राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक : 3] बारहवीं विधान सभा के तीसरे सत्र का चौदहवां दिवस [संख्या : 4

बुधवार,

16 फरवरी, 2005

(राजस्थान विधान सभा की बैठक 11.00 बजे

विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई)

(श्रीमती सुमित्रा सिंह, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष : श्री बहादुर सिंह गोदारा।

सामाजिक सुरक्षा के तहत अशक्तजनों को पेंशन

38. **श्री बहादुर सिंह गोदारा (नोहर) :** क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या सरकार उन विकलांगों, वृद्धों, विधवाओं जिनके पास स्वयं के गुजारे का साधन नहीं है, को पेंशन देने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों ?

(2) क्या सरकार हरियाणा सरकार की तरह वृद्ध, विधवा, अपाहिज आदि एवं बेरोजगार युवकों को पेंशन देने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक व नहीं तो क्यों ?

समाज कल्याण मंत्री (श्री मदन दिलावर) : (1) ऐसे विकलांगों, वृद्धों, विधवाओं जिनके पास स्वयं के गुजारे का साधन नहीं है, को नियमानुसार पात्रता रखने पर राजस्थान वृद्धावस्था एवं विधवा पेंशन नियम, 1974 के अन्तर्गत वृद्धावस्था एवं विधवा पेंशन तथा विकलांग पेंशन पहले से ही दी जा रही है।

(2) राज्य सरकार के सीमित वित्तीय संसाधनों के होते हुए भी, राज्य के पात्रता रखने वाले हर वृद्ध, विधवा, अपाहित आदि एवं बेरोजगार युवकों को पेंशन/आर्थिक सहायता दी जा रही है।

श्री बहादुर सिंह गोदारा : मैं माननीय मंत्रीजी से पूछना चाहता हूं कि जब उनके पास निजी साधन नहीं हैं तो फिर पात्रता क्या बाकी रह गयी है और इस पात्रता की व्यवस्था करके बतायें कि पात्रता आप किस आधार पर देख रहे हैं ?

श्री मदन दिलावर : अध्यक्ष महोदय, सरकार ने पात्रता के लिए कुछ नियम बनाये हुए हैं और उसी के आधार पर यह पेंशन जारी की जाती है। जैसे वृद्धावस्था पेंशन 58 वर्ष की आयु का पुरुष और 55 वर्ष की आयु की महिला या किसी भी आयु की विधवा, परित्यक्ता, निराश्रित हो, राजस्थान का वास्ताविक निवासी हो और उसका प्रमाण पत्र देने पर कम से कम तीन वर्ष की अवधि से यह राजस्थान में रह रहा हो। उसके अलावा उसमें अलग-अलग जिले बांट हुए हैं। किस जिले का रहने वाला है। जैसलमेर और बाड़मेर जिले में पाइंट 75 हैक्टयेर से ज्यादा जमीन ना हो, बीकानेर, नागौर, जालौर, पाली, चूरू और जोधपुर में पाइंट 75 हैक्टेयर से ज्यादा जमीन न हो। इसी प्रकार से झुंझुनूं, अजमेर, डूंगरपुर, उदयपुर और बांसवाड़ा में भी यही है। अन्य जिलों में 1.25 हैक्टेयर से ज्यादा सिंचित जमीन ना हो और यदि असिंचित हो तो इसकी दुगुनी जमीन से ज्यादा ना हो तो उनको हम यह पेंशन जारी करते हैं। पहले जब कांग्रेस के सरकार थी ..।

श्री अध्यक्ष : अननेसेसरी उलझ रहे हो नाम लेकर, आप अपना जवाब दें। हां, क्यों उलझते हो इनसे।

श्री मदन दिलावर : अध्यक्ष महोदय, मैं पात्रता बता रहा हूं। जब यह पेंशन दें तो किसी भी परिवार में 20 साल से बड़ा बेटा हो तो आपको पेंशन नहीं दी जाती थी। ज्यों ही वसुधंराजी मुख्य मंत्री बनीं उन्होंने हमें निर्देशित किया और कहा कि बी.पी.एल. श्रेणी में जो परिवार आते हैं उनमें जो 20 साल से बड़ा बेटा भी हो, जब भी हम पेंशन देंगे उनकी इनकम की जांच पड़ताल हम इसलिए नहीं करेंगे कि आलरेडी वह बी.पी.एल. सूची में है। यानि बी.पी.एल. सूची में रहने वाले हर विकलांग, हर विधवा और हर वृद्ध महिला यानि 55 वर्ष और 65 वर्ष की आयु वाले पुरुष, जिन्होंने यह आयु पूरी कर ली हो, सबको हम 200 रूपये प्रतिमाह पेंशन देंगे। इसके कारण से हमने 45 हजार लोगों को अतिरिक्त पेंशन दी है। और पेंशन के जो आवेदन प्राप्त होते हैं और जो-जो पात्रता रखते हैं उनको हम नियमानुसार पेंशन देते जा रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : मेरे भी प्रश्न का जवाब दे दीजिये । कितने बेरोजगार युवकों को आप पेंशन दे रहे हैं यह भी बता दीजिए।

श्री बहादुर सिंह गोदारा : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्रीजी से पूछना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : मेरे प्रश्न का जवाब तो आने दीजिए ... (व्यवधान) आप सिर्फ बेरोजगार युवक बता दें।

श्री समर्थ लाल (राजगढ़) : अध्यक्ष महोदय, अलग से प्रश्न है।

श्री बहादुर सिंह गोदारा : इसमें है यह।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही) : इसमें से है यह...(व्यवधान)

डा. सी.पी. जोशी (नाथद्वारा) : पूर्व अध्यक्ष के अनभुव का लाभ भी मिल रहा है।

श्री अध्यक्ष : गंभीर मामला है। आप हंसी में ना उड़ायें ।

श्री मदन दिलावर : अध्यक्ष महोदय, अभी तक 113032 रूपये का व्यय इसमें किया है।

श्री अध्यक्ष : मेरे प्रश्न का यह जवाब नहीं है।

श्री मदन दिलावर : आप सुनें तो सही । अध्यक्ष महोदय, बता रहा हूं क्योंकि इसमें 300 रूपये प्रतिमाह देय है और जो इसके नियम बने हुए हैं वह इतने क्लिष्ट हैं कि आसानी से कोई भी इसको प्राप्त नहीं कर सकता है। माननीय मुख्य मंत्रीजी ध्यान दे रही हैं, आगे अब बताऊंगा ... (व्यवधान) सुनो तो सही। आपके किये कारनामे हैं यह।

श्री बहादुर सिंह गोदारा : पूरा ही सुन लिया ।

श्री मदन दिलावर : आपके किये कारनामे हैं जिसको बता रहा हूं ... (व्यवधान) आपने जो कारनामे किये थे वह बता रहा हूं । (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : व्यवधान नहीं डालें... (व्यवधान) मंत्रीजी को जवाब देने दें।

श्री मदन दिलावर : इतना क्लिष्ट है कि तीन साल से रोजगार कार्यालय में उसका निरन्तर नाम दर्ज होना चाहिए।

श्री बृजकिशोर शर्मा : प्रश्न ही दूसरा है । कितने बेरोजगार हैं और कितनों को आपने दिया है, यह बतायें आप।

श्री मदन दिलावर : अध्यक्ष महोदय, मुझे जवाब देने दें। मैं जवाब दे रहा हूं।

श्री बृजकिशोर शर्मा : जवाब नहीं दे रहे हैं। पढ़कर नहीं आये हो.... (व्यवधान)

श्री सुरेश मीणा (करौली) : आज भास्कर में जो रिपोर्ट छपी है उसके बारे में मंत्रीजी हमको बताएं।

श्री मदन दिलावर : उसको भी बता दूंगा।

श्री सुरेश मीणा : इतना बड़ा भ्रष्टाचार एस.सी., एस.टी. के बच्चों का पैसा आपने डकार लिया है।

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल) : कांग्रेस के शासनकाल में कितने लोगों को बेरोजगारी पेंशन दी गयी ? कृपया यह बताने का कष्ट करें।

एक माननीय सदस्य : नम्बर बताने दो, उसी में फंसेगा यह ... (व्यवधान)

श्री मोहन लाल गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। कांग्रेस के शासनकाल में कितने बेरोजगारों को पेंशन दी गयी।

श्री बृजकिशोर शर्मा : कांग्रेस की बात तो बाद में करना। पहले अभी का जवाब बता दो। पहले कांग्रेस की बात करें। अननेसेसरी उलझाना चाहते हो... (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा : अध्यक्ष महोदय का जवाब भी नहीं दे रहे हो...(व्यवधान)

श्री सुरेश मीणा : जवाब है ही नहीं उनके पास ...(व्यवधान)

श्री बृजकिशोर शर्मा : कोई जवाब नहीं है ... (व्यवधान) इधर-उधर क्या देखते हो।

श्री अध्यक्ष : आप लोग कमेंटस नहीं दे। उन्हें जवाब देने दें।

श्री संयम लोढ़ा : अध्यक्ष महोदय, माइक सामने ही है।

श्री मदन दिलावर : अध्यक्ष महोदय, उसके कारण से जैसा मैंने कहा कि एक तो नियोजन कार्यालय से तीन साल से लगातार उसका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए।

श्री बृजकिशोर शर्मा : कितनों को दी है ...(व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा : अध्यक्ष महोदय, स्पेसिफिक पूछा है। कितनों को दी, आप यह प्रक्रिया में नहीं जाइये ...(व्यवधान)

श्री बृजकिशोर शर्मा : कितने बेरोजगार हैं और उसमें से कितनों को दी..(व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : अध्यक्ष महोदय, मेरी पूरी बात सुन लें।

श्री अध्यक्ष : आप व्यवधान नहीं डालें। उन्हें जवाब देने दें।

श्री मदन दिलावर : मैं जवाब दे रहा हूं। दूसरी तरफ नौकरी पाने वालों को नियोजन कार्यालय में नाम दर्ज कराना आवश्यक नहीं, यह विसंगति है।

श्री अध्यक्ष : नौकरी का प्रश्न कहां से आ गया ...(व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : सुनें तो सही ।

श्री बृजकिशोर शर्मा : संख्या बतायें संख्या। कुल कितने बेरोजगार नवयुवक हैं और उनमें से कितनों को पेंशन दी गयी...(व्यवधान)

श्री संयम लोढा : राजस्थान के बेरोजगारों को मालूम पडेगा कि कितना कुठाराघात आपने किया है ....(व्यवधान)

श्री बृजकिशोर शर्मा : आप खाली यह बताने का कष्ट करें कि कुल कितने बेरोजगार हैं और उसमें से कितनों को पेंशन दी है। या तो आप तैयार होकर के नहीं आये तो इस प्रश्न को पोस्टपोन करा दें ...(व्यवधान)

श्री बाबूलाल नागर (दूदू) : बेरोजगारों को जो सपना दिखाया था। आज राजस्थान के बेरोजगारों को पता पड़ेगा...(व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : अभी तक लगभग 350 लोगों को ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, शांत रहें ..(व्यवधान) माननीय सदस्य, अपना स्थान ग्रहण करें । उन्हें जवाब देने दें।

श्री बाबूलाल नागर : कितनों को दी है ?

श्री मदन दिलावर : अभी तक लगभग 350 लोगों को बेरोजगारी भत्ता दिया गया है, हां, 350 को...(व्यवधान)

श्री बृजकिशोर शर्मा : बेरोजगारी भत्ता दे दिया है।

श्री मदन दिलावर : जो आप लोगों ने कांटे बोये हैं उनको हम ठीक करेंगे।

श्री बाबूलाल नागर : एक साल में भी पूरे नहीं हुए क्या कांटे ...(व्यवधान)

श्री बृजकिशोर शर्मा : 150 को, एक साल में दिये हैं .. (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : व्यवधान नहीं डालें... (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : एक भी आवेदन पैंडिंग नहीं है जिन्होंने बेरोजगारी भत्ता पाने के लिए आवेदन दिया हो और उसमें पात्रता रखता हो...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : रायपुर से आने वाले माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण कर लें।

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्रीजी से यह प्रश्न पूछना चाहता हूं कि अशोकजी गहलोत के अपने शासन काल में कितने लोगों को बेरोजगारी भत्ता दिया गया ?

श्री सांवर लाल (सिंचाई मंत्री) : माननीय मंत्रीजी जवाब दे रहे हैं तो आपको तकलीफ हो रही है क्या ?

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्री महोदय, सीधी सी बात है कि बेरोजगारों को पेंशन नहीं दी जाती है, आप सीधा-सा जवाब दे दीजिए कि बेरोजगारों को पेंशन नहीं मिलती है, भत्ता देते हैं बेरोजगारों को, सीधी सी बात है, आप जवाब दे दीजिए।

श्री मदन दिलावर : बेरोजगारी भत्ते का पूछा है।

श्री अध्यक्ष : बेरोजगारी भत्ता अलग है, पेंशन अलग चीज है । आप सीधा-सा जवाब दे दीजिए कि नहीं मिलती है, खतम बात। (व्यवधान) नहीं मिलती है तो बस खतम हुई बात।

श्री सुरेश मीणा (करौली) : माननीय अध्यक्ष महोदय, आज जो भास्कर में छपा है उसके बारे में माननीय मंत्रीजी बताएं।

श्री अध्यक्ष : आप मूल प्रश्नकर्ता को पूछ लेने दीजिए।

श्री बहादुर सिंह गोदारा : माननीय मंत्रीजी, यह बतलाने की कृपा करें कि आपने पात्रता नियम, 1974 के नाम से, पात्रता नियम, 1965 के नाम से जो आबस्टेक्ल्स डाल रखे हैं कि किसी भी विकलांग को, वृद्धा और विधवा को पेंशन नहीं मिलनी चाहिए, इन आब्स्टेक्ल्स को हटाने का इरादा रखते हैं या नहीं रखते हैं ? आज आपके इन पात्रता नियमों के रहते हुए किसी भी वृद्ध को, किसी भी विकलांग को और किसी भी विधवा को पेंशन नहीं मिल पा रही है। आज भी हमारे क्षेत्र के अन्दर बिलखते हुए फिर रहे हैं, (व्यवधान)

श्री सुभाष चन्द्र शर्मा (कोटपूतली) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से एक बात और निवेदन करना चाहता हूं कि जिनके परिवार में 20 साल की उम्र से ज्यादा का बालिग सदस्य होने के बावजूद माता-पिता को खाने को नहीं मिल पा रहा, ऐसे माता-पिता जो दर-दर की ठोकरें खाने के लिए मजबूर हैं, उनके जीविकोपार्जन और पेंशन के लिए सरकार क्या व्यवस्था करने का विचार रखती है ?

श्री मदन दिलावर : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य श्री गोदाराजी ने यह पूछा है कि नियम काफी किल्ष्ट हैं इस कारण से पेंशन नहीं मिल पा रही है, इनको जानकारी नहीं है कि अभी राजस्थान में 6 लाख 21 हजार लोगों को हम पेंशन दे रहे हैं। माननीय मुख्य मंत्रीजी ने बड़े उदार ह्रदय से मुख्य मंत्री बनने के बाद 25 जनवरी को मुझे निर्देश दिया थी बी.पी.एल. श्रेणी के लोग जो विकलांग, विधवा की परिभाषा में आते हैं, वृद्ध महिलाएं 55 वर्ष की और वृद्ध पुरुष 65 वर्ष के जो हो गए हैं और बी.पी.एल. की सूची में हैं जिनके परिवार उन सबको पेंशन जारी की जाए। इसीलिए हमने 26 जनवरी को एक आर्डर जारी किया, उसके आधार पर अभी तक हजारों लोगों को पेंशन दी जा रही है।

श्री सुभाष चन्द्र शर्मा : मंत्री महोदय मेरा प्रश्न यह नहीं है कि आप जो बी.पी.एल. की बात कर रहे हैं, मेरा प्रश्न यह है कि जो बी.पी.एल. की श्रेणी में भी नहीं आते, जिनके परिवार में बालिग सदस्य होने के बावजूद माता-पिता को खाना नहीं मिल रहा है उनके लिए सरकार क्या व्यवस्था कर रही है ?

श्री मदन दिलावर : जो बी.पी.एल. की श्रेणी में नहीं आते, धनवान हैं, अच्छी श्रेणी में है इसलिए उनके परिवारों को पेंशन देने का कोई अंर्थ नहीं है। जो बी.पी.एल. श्रेणी में नहीं है, बी.पी.एल. श्रेणी से ऊपर हैं इसका मतबल उनके परिवार ठीक-ठाक हैं, उनके बेटे उनको रोटी दे सकते हैं, उनकी व्यवस्था कर सकते हैं। (व्यवधान)

श्री सुभाष चन्द्र शर्मा : क्या उन लोगों को आइडेन्टीफाई किया जाएगा जिनको बच्चे होते हुए भी खाना नहीं मिल पा रहा है।

श्री अध्यक्ष : एक-एक करके बोलें।

श्री बहादुर सिंह गोदारा : माननीय अध्यक्षजी, मैं माननीय मंत्रीजी से पूछना चाहता हूं कि जो विधवा औरते हैं, उसके एक लड़का जवान है, एक लड़का विकलांग है, क्या उस विकलांग को और उस विधवा को आपके नियमानुसार पेंशन नहीं मिल पाएगी ?

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से माननीय मुख्य मंत्री महोदय और मंत्री महोदय को इस बात के लिए धन्यवाद देता हूं कि बी.पी.एल. श्रेणी के लोगों को आपने इसमें रियायत प्रदान की । लेकिन अध्यक्ष महोदय, जब हम व्यवहार में देखते हैं तो सिंचित क्षेत्र में 0.75 और 1.25 हैक्टेयर और असिंचित क्षेत्र में 2.5 हैक्टेयर का जो प्रावधान रखा है, राजस्थान में पिछले पांच साल से अकाल पड़ा हुआ है और 2.5 हैक्टेयर भूमि का जो प्रावधान रखा हुआ है, पिछले पांच साल से जहां खेती नहीं हो रही है, भले ही वह जमीन विधवा के नाम से बोल रही है, वह विधवा बहनें दर-दर की ठोकरें खा रही हैं।

आज सामाजिक जीवन में भी हम देखते हैं कि मां-बाप ठोकरें खा रहे हैं, मां-बेटे में झगड़े हो जाते हैं तो उनका कमाऊ पूत होने के बावजूद भी विधवा मां और बाप दर-दर की ठोकरें खाते हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि जहां इस तरीके की कठिनाइयां है, और आपने बी.पी.एल. को अलाऊ किया है, इस पेंशन का आधार बी.पी.एल. होना नहीं है, इस पेंशन का आधार है विकलांग होना, विधवा होना और असहाय होना इसलिए सामान्य बी.पी.एल. के अलावा और भी जो लोग है जिनके बच्चे उनको रोटी नहीं देते है या जिनकी भूमि पर काश्त नहीं की जा रही है, मेरी विनम्र प्रार्थना है मुख्य मंत्रीजी से कि इसमें भी विचार करके उनको भी आदेश प्रदान करने का कष्ट करें।

श्री अध्यक्ष : ऐसे लोगों के लिए विधवा आश्रम भी खोले हैं सरकार ने।

श्री सुभाष चन्द्र शर्मा : उनका भी आइडेन्टीफिकेशन करवाकर लाभ दिलवाया जाए।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी) : माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें आवश्यक हो तो नियमों में प्रावधान किए जाएं, ऐसी मेरी प्रार्थना है।

श्री कन्हैया लाल मीणा (बस्सी) : जिनके बेटे काम नहीं करते हैं, आवारागर्दी करते हैं उनके मां-बाप को भी पेंशन दी गई है और ग्राम सभा ने सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया है।

श्री अध्यक्ष : ना-ना-ना, पात्रता रखने वालों को ही दी गई है।

श्री संयम लोढ़ा : माननीय अध्यक्ष महोदय, दर-दर की ठोकरें खा रहे हैं।

श्री जुबेर खान (रामगढ़) : जिनके बच्चे बालिग हैं उनको भी वृद्धावस्था पेंशन नहीं दी जा रही है।

श्री मदन दिलावर : जिनके बच्चे बालिग हैं और जो बी.पी.एल. सूची में हैं तो पेंशन मिलेगी।

डा. चन्द्रशेखर बैद (तारानगर) : आप बी.पी.एल. का सर्वे करवाएंगे तभी तो पेंशन मिलेगी, 14 महीने व्यतीत हो जाने के बाद भी आज तक आपने बी.पी.एल. का सर्वे नहीं करवाया, आप बी.पी.एल की बात कर रहे हैं।

श्री राकेश मेघवाल (परबतसर) : कोई न कोई रास्ता निकाल कर विधवाओं, विकलांगों, असहायों को नियम बनाकर, सरल करके चिन्हित करके यह काम किया जाए, यह माननीय मुख्य मंत्रीजी से निवेदन है।

श्री संयम लोढ़ा : हमारी प्रार्थना मानवीय आधार पर जारी करने के लिए है, इसमें कोई राजनीति की बात नहीं है, जो विधवा बहनें आज दाने-दाने के लिए मोहताज हैं, सरकार की जिम्मेदारी है, तीनों प्रजातांत्रिक उच्च पदों पर महिलाएं विराजमान हैं, एक आम महिला, एक आम विधवा बहन को उसका लाभ मिलना चाहिए, यह निवेदन करना चाहता हूं।

श्री मदन दिलावर : माननीय अध्यक्ष महोदय, सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य ने मानवीयता की बात की है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार ने पहले ही यह कहा है कि जो गरीब हैं उनको बी.पी.एल. में चयनित करते है यदि कोई कोई गरीब है दर-दर की ठोकरें खा रहा है तो निश्चित रूप से उसका बी.पी.एल. में चयन किया जाता है, यदि उस श्रेणी में आता है तो उस सूची में उसको रखा जाता है तो निश्चित रूप से उसको पेंशन मिलेगी। (व्यवधान)

श्री बृजकिशोर शर्मा (जयपुर ग्रामीण) : इसमें विधवाओं को ही शामिल नहीं किया जाए जो डाइवोर्सी हैं और दूसरों पर आश्रित हैं उनको भी इसमें शामिल किया जाना चाहिए।

श्री अध्यक्ष : पात्रता वाले।

श्री मोहन लाल गुप्ता : माननीय मंत्री महोदय, हरियाणा सरकार की तरह हर वृद्ध, विधवा, अपाहिज आदि एवं बेरोजगार युवकों को पेंशन देने का क्या सरकार विचार रखती है, यह प्रश्न के दूसरे खण्ड में पूछा है, इसलिए हरियाणा सरकार के नियम क्या हैं यह बताएं।

श्री सुभाष चन्द्र शर्मा : यह राजस्थान के मंत्री हैं हरियाणा के नहीं, 60 साल से ऊपर वाले प्रत्येक परिवार को पेंशन दी जाती है, इसको आपके मंत्रीजी राजस्थान में भी लागू करना चाहते हैं।

श्री बहादुर सिंह गोदारा : किसी भी विधवा को 300 रूपए महीना कोई खर्च बड़ा नहीं है, हर व्यक्ति को बुढ़ापे में पेंशन मिले।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट क्वेश्चन, श्री सुभाष चन्द्रजी शर्मा।

बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम हेतु कार्य योजना

39. श्री सुभाष चन्द्र शर्मा (कोटपूतली) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या सरकार प्रदेश में बढ़ रही सड़क दुर्घटनाओं को रोकने तथा यात्रियों हेतु परिवर्तन सुचारू करने के लिए कोई योजना बनाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक व नहीं तो क्यों ?

यातायात मंत्री (श्री यूनुस खान) : राज्य में सड़क दुर्घटनाओं को रोकने एवं यात्रियों हेतु परिवहन व्यवस्था सुचारू करने हेतु राज्य सरकार सतत प्रयत्नशील है। दुर्घटनाओं के कारकों पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा शिक्षा, सड़क, यांत्रिकी एवं प्रवर्तन के क्षेत्र में निम्नांकित प्रयास किये गये हैं :-

(श्री यूनुस खान)

(1) स्कूल स्तर पर छात्रों को प्रतिवर्ष आयोजित सड़क सुरक्षा सप्ताह में गोष्ठियों, वार्ताओं एवं प्रदर्शनियों के माध्यम से यातायात नियमों की जानकारी दी जाती है। शिक्षा विभाग को भी स्कूलों के पाठ्यक्रम में यातायात नियमों की जानकारी का समावेश करने हेतु लिखा गया है।

(2) राज्य में प्रायः अधिक सड़क दुर्घटना होने वाले स्थानों को चिन्हित किया गया है तथा इन स्थानों पर सड़क यांत्रिकी के दोषों को दूर करने हेतु कार्यवाही की जा रही है।

(3) पुलिस एवं परिवहन विभाग द्वारा संयुक्त रूप से अभियान चलाकर तथा स्वतंत्र रूप से भी चैकिंग कर लापरवाही एवं तेज गति से वाहन चलाने वाले व्यक्तियों के विरूद्ध कार्यवाही की जाती है व दोषी पाये जाने वाले व्यक्तियों पर जुर्माना आरोपित किया जाता है।

(4) कपितय प्रकरणों में दुर्घटना घटित करने वाले चालकों के वाहन चालक लाइसेंस भी निलंबित किये जाते हैं।

(5) विभिन्न अपराधों की जुर्माना राशि में वृद्धि की गई है।

यात्रियों को सुचारू परिवहन व्यवस्था उपलब्ध करवाने के लिए विभाग द्वारा निम्नांकित प्रयास किये गये हैं :-

(1) इस हेतु नियमों में आवश्यक परिवर्तन कर ग्रामीण क्षेत्रों में परिवहन व्यवस्था उपलब्ध करवाने हेतु ग्रामीण मार्गों का प्रावधान कर इन मार्गों पर वाहन संचालन को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से कर में भी रियायत दी गई है।

(2) राज्य में समस्त संभागीय मुख्यालयों तथा अलवर एवं भीलवाड़ा जिला मुख्यालयों के आसपास विकसित हो चुके उपनगरों को सम्बन्धित मुख्यालय से जोड़ने हेतु उपनगरीय मार्गों का गठन किया गया है।

(3) अधिक से अधिक गांवों एवं कस्बों को बेहतर यातायात के साधन उपलब्ध करवाने की दृष्टि से राष्ट्रीयकरण योजनाओं को संशोधित कर निम्न प्रावधान किये गये हैं :-

(श्री युनूस खान)

(1) राष्ट्रीयकृत मार्गो पर निजी वाहनों को 10 किमी. के स्थान पर 25 किमी. अथवा योजना का 1/3 भाग जो भी कम हो पर प्रविच्छाद (ओवरलेप) करने की छूट प्रदान की गई ।

(2) ओवरलेपिंग के भाग पर स्टेज कैरिज वाहनों को सवारियां उठाने एवं उतारने की सुविधा दी गई है।

(3) राष्ट्रीयकृत मार्गो पर हाई टॉप कवर्ड मैक्सी वाहनों को ही संविदा अनुज्ञापत्र देने का प्रावधान किया गया है तथा साफ्ट टॉप मैक्सी कैब को राष्ट्रीयकृत मार्ग पर संविदा अनुज्ञापत्र दिया जाना प्रतिबंधित कर दिया गया है।

इस प्रकार राज्य सरकार द्वारा सड़क दुर्घटना की रोकथाम एवं परिवहन व्यवस्था सुचारू करने हेतु नियमित रूप से कार्यवाही की जा रही है।

श्री सुभाष चन्द्र शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्रीजी से यह जानना चाहता हूं कि जनसंख्या के घनत्व और यात्री भार को देखते हुए रोड़वेज बसें अपर्याप्त हैं। क्या सरकार यात्री भार के अनुपात में नई बसें खरीदने का विचार रखती है और कब तब ? मेरा दूसरा प्रश्न है...

श्री अध्यक्ष : आप तो सड़क दुर्घटनाओं की बात करते-करते नई परचेज पर आ गये।

श्री सुभाष चन्द्र शर्मा : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह इसी से सम्बन्धित है, कोई अलग बात नहीं है, सभी इसी से सम्बन्धित है। दूसरी बात मैं यह जानना चाहता हूं क्या सरकार शहरों की तर्ज पर ग्रामीण क्षेत्रों में मिनी बसें रोडवेज बेड़े से या प्राइवेट चलाने का विचार रखती है ?

तीसरी बात यह है कि यात्री भार के बावजूद बढ़ते घाटे को रोकने के लिए क्या आसाम की तर्ज पर रोडवेज बेड़े को प्राइवेट में देने का विचार है ?

श्री अध्यक्ष : आपका प्रश्न इर्रेलेवेंट है । रेलेवेंस नहीं है आपके क्वेश्चन से।

श्री सुभाष चन्द्र शर्मा : ओवरलोडिंग के कारण एक्सीडेंट होते हैं। सारी जीपें, सारे ट्रक, सारे जुगाड़, सारे ट्रैक्टरों के अन्दर जनता जाती है, रोडवेज की बसें मिलती नहीं है। नेशनल हाइवेज पर यह हालात होती है एक-एक जीप में 40-40 सवारियां ठूंस-ठूंस कर भरी जाती हैं और रोजाना 10 से 20 लोग सड़क दुर्घटनाओं में मर रहे हैं। यह बड़ा गंभीर मसला है और मैं सरकार को इस ओर निवेदन करना चाहता हूं, माननीय मुख्य मंत्रीजी भी हमारे बीच में बैठी हैं इन सड़क दुर्घटनाओं में रोजाना लोग मारे जा रहे हैं। साधनों के अभाव में मारे जा रहे हैं उनके जीवन को बचाने के लिए रोडवेज की पर्याप्त बसों की व्यवस्था करनी चाहिए और अगर सरकार पर्याप्त बसें खरीदने में असमर्थ है तो क्या जैसा आसाम के अन्दर प्राइवेटाइजेशन के कारण करोड़ों रूपये के प्रोफिट के अन्दर वह रोडवेज बेड़ा चला गया है। मैं माननीय मुख्य मंत्री महोदय से आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि इस प्रकार की अगर योजना बनायी जाए तो प्रदेश के हित में होगी और सड़क दुर्घटनाओं को रोका जा सकेगा। इसलिए माननीय मंत्री महोदय मेरी तीन बातों का आप जवाब देने का कष्ट करें।

श्री अध्यक्ष : परिवहन मंत्री।

श्री जुबेर खान (रामगढ़) : मंत्री महोदय, नेशनल हाइवे पर आपने बस अड्डे के लिए जो शेड बनाये हुए हैं, उन शेडों में तो दुकानें खुली हुयी हैं और बसें पार्क होती हैं तो मैन हाइवे पर ही होती हैं। इसके लिए आप क्या कार्यवाही करेंगे कि जो बस अड्डे बने हुए हैं हाइवे पर जो शेड बने हुए हैं उनको यात्रियों के लिए खाली कराकर सुविधा मुहैया कराएं।

श्री अध्यक्ष : अलग से प्रश्न है आपका।

श्री अशोक बैरवा "खण्डार" (खण्डार) : 35-35 सवारियां एक-एक जीप में चल रही हैं। आपके इंस्पेक्टर वसूली कर रहे हैं और गाड़ियां चल रही हैं। आये दिन एक्सीडेंट इसी वजह से हो रहे हैं। ओवरलोडिंग को रोकने का आपने क्या विचार किया ?

श्री अध्यक्ष : वह पूछ लिया उन्होंने।

श्री अशोक बैरवा "खण्डार" : माननीय मंत्री महोदय, आपके राज में एक साल के अंदर 21 हजार मौतें हुई हैं।

श्री अध्यक्ष : वह पूछ लिया उन्होंने । मंत्रीजी जवाब दीजिए।

श्री अशोक बैरवा "खण्डार" : सड़कों पर आये दिन दुर्घटनाएं केवल आपके इंस्पेक्टरों की चौथ वसूली और लापरवाही के कारण हो रही हैं इसके लिए आप क्या पुख्ता कार्यवाही करेंगे यह बताएं।

श्री अध्यक्ष : जवाब देने दीजिए मंत्रीजी को। आप जवाब देने दीजिए। आप बाद में पूछ लेना। पहले प्रश्न का जवाब आने दीजिए।

श्री कैलाश त्रिवेदी (सहाड़ा) : इसी से रिलेटेड है। अध्यक्ष महोदय, जितनी भी दुर्घटनाएं हुई हैं तेज रफ्तार से हुई हैं। राजस्थान का हर आदमी जानता है, राजस्थान का हर नेता जानता है। माननीय मंत्री महोदय ने अभी अपने जवाब में कहा है कि मैंने तेज रफ्तार से चलने वाली गाड़ियों के चालान किये हैं। मुझे यह बताएं कि राजस्थान की किन-किन सड़कों पर आपने क्या मापदण्ड तय किये कि कितनी स्पीड की गाड़ियां, कौन से मीटर अधिकारियों के पास आपने दे रखे हैं जिससे उन्होंने यह महससू किया कि यह तेज रफ्तार से चलने वाली गाड़ी है। तेज रफ्तार से चलने वाली गाड़ियों के लिए आपके पास जांच के कोई यंत्र नहीं हैं। राजस्थान में खाली चौथ वसूली के लिए जो पैसा नहीं देते हैं उनसे आप वसूल करते हैं।

श्री अध्यक्ष : आप प्रश्न पूछें।

श्री कैलाश त्रिवेदी : आप यह बताएं कि राजस्थान में किन-किन जिलों में कहां-कहां आपने इन यंत्रों की व्यवस्था कर रखी है? क्या डी.टी.ओज. के पास हैं या इंस्पेक्टर के पास हैं, कौन उसके आधार पर चालान पेश करते हैं और उसके आधार पर आपने कितने चालान पेश किये?

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी। माननीय मंत्री को जवाब देने दीजिए। (व्यवधान) कृपया शांत रहें।

श्री युनूस खान : माननीय अध्यक्ष महोदय, कोटपूतली से आने वाले

(श्री यूनुस खान)

माननीय सदस्य ने आर.एस.आर.टी.सी. की बसों की खरीद के बारे में कहा, हालांकि रिलेवेंट नहीं है, लेकिन आपने पूछा है मैं जवाब दे दूं, आर.एस.आर.टी.सी. 700 बसें नयी खरीदने जा रही है और मार्च के महीने में 300 बसें सड़कों पर आ जाएंगी।

दूसरा आपने पूछा कि शहरों की तरह क्या ग्रामीण क्षेत्रों में भी आप इस तरीके की व्यवस्था करेंगे। निश्चित रूप से राजस्थान सरकार, माननीय मुख्य मंत्री ने हमें निर्देशित किया है और हम ग्रामीण क्षेत्रों में जीपों को, जो हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में युवा बेरोजगार हैं उनको हाई टॉप की जीपें किराये पर चलाने के लिए और छोटे-छोटे रूटस नये खोलकर उनको रोजगार देंगे और उनका टैक्स जो शहरी क्षेत्र है, उनसे हम कम लेंगे, यह राजस्थान सरकार ने फैसला किया है।

तीसरा, आपने लोड फैक्टर के बारे में पूछा। हालांकि लोड फैक्टर रोडवेज से जुड़ा हुआ है, लेकिन मैं आपके ज्ञान के लिए बता दूं कि हमारी रोडवेज का लोड फैक्टर 10.74 प्रतिशत बढ़ गया है, जो 64 प्रतिशत था वह बढ़कर 74 प्रतिशत हो गया है और हमारी प्रतिदिन रोडवेज की आय लगभग 30 लाख रूपये औसतन आ रही है और कल रिकार्ड तोड़ आय 238 करोड़ रूपये आयी है। तो हम लोड फैक्टर रियायतें देने में भी अग्रसर हैं।

रामगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने पूछा कि हाइवेज पर जो पार्किंग की जगह हैं उन पर किसी ने कब्जा कर रखा है। निश्चित रूप से उसको खाली करवाएंगे, यात्रियों की सुविधा के लिए उनको प्रोवाइड कराएंगे, उनके खिलाफ कार्यवाही करेंगे। इसके अलावा हमारे अभी एक साथी ने सूचना दी कि (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अलग से प्रश्न है, उनका जवाब देने की आपको आवश्यकता नहीं है।

श्री युनूस खान : 21 हजार मौतें हुई हैं। मैं आपसे निवेदन कर दूं पिछली साल के मुकाबले इस साल 6477 मौतें सड़क दुर्घटनाओं में हुई हैं। प्रति एक हजार बसों के पीछे जो दुर्घटनाएं होती थीं वो 1.61 थीं जो घटकर

(श्री यूनूस खान)

इस साल 1.56 हो गई हैं। इसलिए आप दुरुस्त कर लें 6477 मौतें हुई हैं 21 हजार मौतें नहीं हुई।

श्री बाबूलाल नागर (दूदू) : अध्यक्ष महोदय, नेशनल हाइवे पर जो बस स्टॉप हैं बसें वहां नहीं रुकती हैं।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट क्वेश्चन । श्री हरिमोहन शर्मा।

श्री मुरारी लाल मीणा (बांदीकुई) : जो सड़क दुर्घटनाएं होती हैं वे ड्राइवरों की लापरवाही से होती हैं । (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट क्वेश्चन । श्री हरिमोहन शर्मा।

श्री मुरारी लाल मीणा : इसमें एक क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण रह गया है। अध्यक्ष महोदय, लाइसेंस देने की प्रणाली है, इसके लिए भी कोई नियम बनाये जाने चाहिए।

श्री बाबूलाल नागर : अध्यक्ष महोदय, जो स्टैण्ड बने हुए हैं रोडवेज की बसें उन बस स्टैण्ड पर नहीं रुकती हैं। बसों में बैठने के लिए यात्री उन बसों के पीछे दौड़ते हैं और दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं। नेशनल हाइवे पर जो होटल, ढाबे बने हुए हैं उन बसों के ड्राइवर, कंडक्टर को 100 रूपये एक होटल से मिलते हैं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मैंने दूसरा प्रश्न पुकार लिया है। दूदू से आने वाले माननीय सदस्य, मैंने दूसरा प्रश्न पुकार लिया है। हरिमोहन शर्मा । (व्यवधान) आप स्थान ग्रहण कर लें। श्री हरिमोहन शर्मा।

अटरू पंचायत समिति द्वारा विभिन्न योजनान्तर्गत देय अनुदान राशि का दुरुपयोग

40. **श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली) :** क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि पंचायत खेडली गंज अटरू और पंचायत समिति अटरू द्वारा कार्यशाला दुकान के अनुदान हेतु 10,000/- रूपये की राशि

(श्री हरिमोहन शर्मा)

वर्ष 2003-04 में स्वीकृत की गई ? यदि हां, तो उक्त राशि किन-किन लोगों को अनुदान हेतु दी गई ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि कार्यशाला दुकान के अतिरिक्त भी इन लोगों को इंदिरा आवास योजना के अन्तर्गत ऋण स्वीकृत किये गये हैं ? यदि हां, तो सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि ग्राम पंचायत अटरू ने अपने वर्तमान चुनाव में से पूर्व के कार्यकाल में 700/- रूपये मात्र में भूखण्ड आवंटित किये हैं ? यदि हां, तो सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि उक्त प्रकरणों की जांच और ग्राम पंचायत अटरू की नीलामी प्रक्रिया को लेकर हुई शिकायतों की जांच जिला कलक्टर द्वारा की गई थी ? यदि हां, तो जांच का क्या नतीजा रहा ?

पंचायत राज मंत्री (श्री कालूलाल गुर्जर) (1) जी हां। वर्ष 2003-04 में पंचायत समिति अटरू में 41 कार्यशील दुकान के अनुदान हेतु दस-दस हजार रूपये की स्वीकृति राजस्थान अनुसूचित जाति, जनजाति निगम द्वारा दी गई थी जिसमें से पंचायत खेड़लीगंज में 6 एवं पंचायत अटरू में 7 की स्वीकृति दी गई थी। उक्त राशि जिन लोगों को दी गई उसकी सूची परिशिष्ट "ए" पर संलग्न है।

(2) जी नहीं।

(3) जी हां। ग्राम पंचायत अटरू ने अपने वर्तमान चुनाव से पूर्व के कार्यकाल में एक व्यक्ति श्री अब्दुल सत्तार पुत्र श्री केसर खां को 700/- रू में भू-खण्ड दिया गया था।

(4) समाचार पत्रों में अनुदान के सम्बन्ध में प्रकरण प्रकाशित होने पर जिला कलक्टर द्वारा उप खण्ड अधिकरी से जांच कराई गई जिसमें दिये गये अनुदान को सही माना। ग्राम पंचायत अटरू की नीलामी प्रक्रिया के सम्बन्ध में न तो जिला कलक्टर को कोई शिकायत प्राप्त हुई और न ही इसकी जांच जिला कलक्टर द्वारा की गई।

(सूची विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी।)

श्री हरिमोहन शर्मा माननीय अध्यक्ष महोदय, एक मार्च, सन् 2004 को 25x40 फीट के दो भू-खण्ड जिसमें एक भूखण्ड कृष्ण मुरारी दिलावर और हसनतुल्ला खां को ग्राम पंचायत ने दिये और जिसकी रसीद संख्या 75 और 76 है जिन पर इन लोगों के नाम इन्द्राज हैं। क्या यह बात सही है कि ग्राम पंचायत के द्वारा और वहां के सरपंच के द्वारा ये 25x40 के प्लाट दिये गये हैं ? दूसरा, क्या खेड़लीगंज में कृष्ण मुरारी दिलावर को कोई प्लाट दिया गया है ? क्या कांति बाई दिलावर अटरू पंचायत समिति द्वारा कार्यशाला दुकान हेतु 10 हजार रूपये का अनुदान 21 जून, 2004 को स्वीकृत कर उसी पुरानी दुकान को खोलकर नया बैनर लगाकर और फोटो लगाकर रिकार्ड उपलब्ध कराया है? इन कांति बाई का क्या पुत्र पेट्रोल पम्प का मालिक है और दूसरा बेटा आवासीय स्कूल में राज्य कर्मचारी है ? क्या मनोज कुमार आत्मज श्री घनश्याम जिनके पाइप की फैक्ट्री अटरू में है और वह दिलावर साहब ने कराई थी दुकान के नाम से 10 हजार रूपये की स्वीकृति, दो मंजिला मकान होते हुए भी उनको दी है। क्या 1998 में 26 प्लाट जिनमें माननीय वर्तमान मंत्री मदनजी दिलावर भी शरीक हैं, उनको ग्राम पंचायत ने आवंटन किया था और ग्राम पंचायत ने आबंटन करवाया। जिला कलक्टर ने इनको उस श्रेणी में बताते हुए, जिला कलक्टर ने अपील के माध्यम से उन सभी प्लाटों को निरस्त कर उनको सरकारी कब्जे में लिया था लेकिन वह पट्टा माननीय मंत्री महोदय के नाम का होने से उन्होंने उस सरकार की ओर से उसको निरस्त करने के बावजूद 26 जून, 2002 को अटरू निवासी, स्टेट बैंक आफ बीकानेर एण्ड जयपुर के सेवानिवृत्त होने वाले मोहन लाल टेलर को सवा लाख एक सौ एक रुपये के स्टाम्प पर भूखण्ड बेचान कर दिया। बेचान में यह भी उल्लेख किया गया है कि उक्त भू-खण्ड पक्की बाउण्ड्री का कर रखा है और भू-खण्ड में बैंक ऋण, सरकारी ऋण, किसी ऋणदात्री संस्था एवं अदालती कार्यवाही से विवादास्पद...

श्री राजेन्द्र राठौड़ : ये सप्लीमेंटरी कर रहे हैं ?

श्री जुबेर खान : आपके चूरू में भी ऐसा ही हो रहा है। अध्यक्ष महोदय, आपके चूरू में भी ऐसे ही हालत है। (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा : घरवालों को रेवड़ियां बांट रहे हो? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप प्रश्न पूछें । (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा : अपने घरवालों को रेवड़ियां बांट रहे हो ? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : स्थान ग्रहण करें। माननीय सदस्य, सुनिए आप, आप प्रश्न के फार्म में जो कुछ चाहें पूछ सकते हैं, यदि मंत्रीजी के खिलाफ आपको कुछ कहना है तो 273 में आइये आप, 273 में कहिये।

श्री हरिमोहन शर्मा : नहीं, मंत्रीजी के भी पहले नोटिस में लाएं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : पहले नोटिस देते हैं मंत्रीजी को।

श्री हरिमोहन शर्मा : 273 में, मैं मंत्रीजी के खिलाफ कुछ नहीं कह रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न पूछिये आप।

श्री हरिमोहन शर्मा : प्रश्न ही तो पूछ रहा हूं।

श्री महावीर प्रसाद जैन : प्रश्न भी यही करेंगे, जवाब भी यही देंगे।

श्री हरिमोहन शर्मा : प्रश्न ही तो पूछ रहे हैं । (व्यवधान)

श्री रामप्रताप कासनिया : पंचायत का आदेश सिर माथे पर नाला वहीं गिरेगा। मंत्रीजी के खिलाफ कुछ भी नहीं होगा। (व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा : क्या माननीय मंत्रीजी ने उस प्लाट को निरस्त कर दिया था? सन 1998 में उस प्लाट को एक लाख एक हजार और एक रूपये में बेचकर उसमें यह लिखा कि इस प्लाट का स्वामित्व मेरा है, किसी के रहन या बय नहीं है और इसे बेचने का मुझे अधिकार है और उसे नोटेरी से तस्दीक कराकर उस मोहन लाल टेलर को बेचा और उस पर कब्जा होने के बाद अब उसको नोटिस दिलवाया गया। माननीय मंत्री महोदय इन बातों का जवाब दें।

श्री कालूलाल गुर्जर : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि जो प्रश्न पूछा खण्ड एक 2003 और 2004 की स्वीकृति के बारे में पूछा है और अभी प्रश्न इन्होंने जितने पूछे हैं ये 1998 से 2000 के पहले के प्रश्न पूछे हैं।

श्री हरिमोहन शर्मा : आप समय मांग लें, पोस्टपोन कर दें इसको, दुबारा चर्चा कर लें इस पर।

श्री कालूलाल गुर्जर : आप पहले सुन लीजिए । माननीय सदस्य, सुनने का माद्दा रखें। अध्यक्ष महोदय, केवल इन्होंने पूछा है 2003-2004 में किन-किन लोगों ने कार्यशाला आवंटन की, उसके अन्दर जो नाम आपने बताये उनका कोई आवंटन नहीं हुआ और एक भी व्यक्ति किसी भी राजनीति व्यक्ति या मदनजी दिलावर या किसी को भी, कोई परिवार या सदस्य 2003 और 2004 में कोई लाभ प्राप्त नहीं हुआ।

श्री हरिमोहन शर्मा : और किस साल में हुआ यह बता दो, जिन सालों में हुआ वह बता दें।

श्री कालूलाल गुर्जर : बैठिये-बैठिये, मैं सब जवाब दे रहा हूं।

श्री महावीर प्रसाद जैन : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह विशेषाधिकार का मामला है। इसमें माननीय मंत्रीजी को नोटिस देकर यदि कोई बात अलग माध्यम से उठाई जाए, प्रश्न के माध्यम से जो इन्होंने पूछा उसकी कोई रेलेवेंसी नहीं है और प्रश्न से अलग जाकर किसी प्रकार का आरोप-प्रत्यारोप लगाना यह गलत है।

श्री जुबेर खान : यह बिलकुल विशेषाधिकार का मामला नहीं है, अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य को पूरा अधिकार है कि अगर कोई व्यक्ति के नाम से दुकान अलाट हुई है वह मंत्री है या नहीं है इससे क्या मतलब है, बिलकुल गलत है।

श्री महावीर प्रसाद जैन : मैं यह नहीं कहना चाहता कि किसका क्या हुआ है।

श्री जुबेर खान : यह बिलकुल गलत है सवाल से जुड़ा हुआ है, यह सवाल माननीय सदस्य ने लगाया है उससे जुडा हुआ है कि इस पंचायत समिति ने किस-किस को दुकान अगर दी है तो मंत्री का नाम है तो कौनसी बुराई है।

श्री महावीर प्रसाद जैन : यदि मंत्री का नाम है, यदि मंत्री ने किया है तो उसको कहीं बचाने का सवाल नहीं है। (व्यवधान) लेकिन विशेषाधिकार का मामला नहीं बनता है? (व्यवधान)

श्री सी.डी. देवल : यदि मंत्रीजी के दामन पर दाग नहीं है तो खड़े होकर बोलें कि मैंने नहीं किया । (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : अध्यक्ष महोदय, मंत्रीजी को इसका जवाब देने के लिए, स्पष्टीकरण का समय दिया जाए।

श्री मदन राठौड़ : आप नियम में आओ, जवाब भी देंगे मंत्रीजी।

श्री सी.डी. देवल : नियम में है, पूरक प्रश्न पूछ रहे हैं । (व्यवधान)

श्री संयम लोढा : इनका ऐसा इतिहास है । वेंकैया नायडू ने हैदराबाद में जमीन का घोटाला किया है। (व्यवधान) और यहां पर आप बात कर रहे हो। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य ने अपनी बात कहते कहते वेंकैया नायडू की यहां चर्चा की है। इसको एक्सपंज किया जाए। यह ईर्रलेवेट बात किसी के लिए कुछ भी कह दें, उनको यह अधिकार है ? यह सदन का दुरुपयोग है । अगर इन्होंने माननीय मदनजी दिलावर को इंगित करके कोई बात कही। तो मेरा आपसे निवेदन है, आसन से प्रार्थना है कि आप इनको भी अपना स्पष्टीकरण देने की अनुमति प्रदान करें ।(व्यवधान)

श्री अमरा राम (धोद) : पहले मंत्री का उत्तर तो होने दो । (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण। सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य । चूंकि यह प्रश्नकाल है, इस समय स्पष्टीकरण का प्रश्न नहीं होता है यदि इस बारे में स्पष्टीकरण देना चाहते हैं तो बाद में वो निश्चित तौर से दे सकते हैं, मैं समय दूंगी उन्हें लेकिन प्रश्नकाल में नहीं । (व्यवधान)

श्री गोविन्द राम मेघवाल (नोखा) : अध्यक्ष महोदय, यूरिया काण्ड (व्यवधान) सारे के सारे चोर भरे पड़े हैं कांग्रेस में । ये वेंकैया नायडू पर अंगुली उठा रहे हैं । (व्यवधान)

डा. एन.एस. गुर्जर : एक मिनट सुनो न । (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बाद में दूंगी।

श्री गोविन्द राम मेघवाल : ये कितनी बड़ी-बड़ी बातें कर रहे हैं, कांग्रेस का हवाला काण्ड, यूरिया काण्ड, चीनी काण्ड, पूरे देश का भ्रष्टाचार में भटटा बिठा दिया और ये लोग आज वेंकैया नायडू पर अंगुली उठा रहे हैं तो यह कैसे हम लोग बर्दाश्त करेंगे। (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन (सरकारी मुख्य सचेतक) : अध्यक्ष महोदय, यह प्रावधान है नियमों में। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मैं टाइम दूंगी (व्यवधान) प्रश्नकाल में नहीं दे सकती।

श्री महावीर प्रसाद जैन : यह अखबारों में, प्रोसीडिंग में चली गई है। प्रश्नकाल में क्यों नहीं दे सकते ? जब भी आरोप लगाये जाएंगे तब ही उसका उत्तर दिया जाएगा। ऐसा नहीं है अध्यक्ष महोदय । (व्यवधान)

श्री गोविन्द राम मेघवाल : हवाला काण्ड में नरसिंहराव ने साबित किया था, बूटासिंह, ये सारे के सारे ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकाल केवल प्रश्नों के लिए होता है। प्रश्नकाल प्रश्नों के लिए होता है। नैक्स्ट क्वेश्चन श्री नन्दलाल मीणा (व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा : सवाल का कोई जवाब नहीं आया। (व्यवधान)

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल) : Rule 272. I an quoting rule 272. "A member while speaking shall not...

(ii) make a personal charge against a member; ..."

श्री अध्यक्ष : मैंने नैक्स्ट क्वेश्चन पुकार लिया है। माननीय श्री नन्दलाल मीणा।

श्री हरिमोहन शर्मा :... मेरे प्रश्न का जवाब नहीं आया। आप इसका जवाब ही नहीं दिलाना चाहते। फिर हमारे प्रश्न पूछने का क्या फायदा है ? यह प्रश्न लगाने से और जवाब आने से क्या फायदा ? एक का भी जवाब नहीं आया। मैंने जितनी सप्लीमेंट्री की, एक का भी जवाब नहीं आया (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री सी.डी. देवल : आप प्रश्नकाल को ही खतम करा दीजिये अगर यही होना है तो । (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : स्थान ग्रहण करें । स्थान ग्रहण करिये। उन्होंने जवाब दे दिया। मंत्रीजी ने जवाब दिया है कि 2003 और 2004 में कोई भी मदन दिलावर के परिवार के किसी भी सदस्य को कोई भी प्लॉट आबंटन नहीं किया गया। जवाब दिया है मंत्रीजी ने। (व्यवधान) दिया है उन्होंने जवाब। मंत्रीजी ने जवाब दिया है और आपको कोई एलिगेशन लगाने हों तो नियम 273 में सूचना देकर के आप आइये और लगाइये। (व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा : जवाब नहीं दिया है । (व्यवधान) यह तो हमारा गला घोंटने के अलावा क्या है ? (व्यवधान)

श्री सी.डी. देवल : अध्यक्ष महोदय, कल भी उन्होंने जवाब नहीं दिया और आज भी जवाब नहीं दे रहे हैं। (व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा : ... प्रश्नों का जवाब वो दे नहीं पाये । (व्यवधान) यह हमारा गला घोंटना ही तो है और क्या ? जवाब ही नहीं आता है। (व्यवधान) जवाब दें।

श्री अध्यक्ष : उन्होंने जवाब दिया है कि 2003 और 2004 में मदन दिलावर के परिवार के किसी भी सदस्य को आबंटन नहीं हुआ है। यह जवाब दिया है उन्होंने। (व्यवधान)

श्री जुबेर खान (रामगढ़) : मंत्री महोदय, यह बतायें कि क्या कभी मदन दिलावर के नाम से दुकान आबंटन हुई है? (व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा : जवाब ही नहीं आ रहा । (व्यवधान)

श्री जुबेर खान :... लेकिन दुकान तो हुई है। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : फिर तो प्रश्न पूछने का अधिकार ही नहीं है। (व्यवधान)

श्री जुबेर खान : दुकान आबंटित हुई है। क्या कभी भी मंत्री महोदय को दुकान आबंटित नहीं हुई ? (व्यवधान)

डा. सी.पी. जोशी : प्रश्न का भाग तीन रिलेवेंट है । (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : नाथद्वारा से आने वाले माननीय सदस्य, ऐसा है आप एक साथ खड़े होकर के यदि बोलना प्रारम्भ करेंगे तो उसका कोई नतीजा नहीं निकलने वाला है । आप सुनिये। (व्यवधान) आप कृपा करके एक समय में एक ही बोले तो उसका कोई उत्तर आयेगा। आप इकट्ठे होकर के एक साथ खडे होकर के सब बोलने लग जाते हैं तो क्या इलाज है उसका यह बताइये। सदन को ठीक तरीके से चलने दें। (व्यवधान)

डा. सी.पी. जोशी : अध्यक्ष महोदय, भाग संख्या तीन में प्रश्न पूछा है, देख लीजिये आप। भाग संख्या तीन में जो प्रश्न पूछा है उससे सारे सप्लीमेंट्री रिलेवेंट है। भाग संख्या एक का रिलेवेंट नहीं है पर भाग संख्या तीन में पूछा गया है उससे रिलेवेंट है । (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मंत्रीजी ने जवाब दे दिया है । (व्यवधान)

डा. सी.पी. जोशी : क्या जवाब दिया इन्होंने ? भाग संख्या तीन का जवाब दिलवाइये आप । (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मैं मंत्रीजी को बाध्य तो नहीं कर सकती। (व्यवधान) मंत्रीजी भाग तीन का जवाब फिर दे दीजिए। (व्यवधान) रायपुर से आने वाले माननीय सदस्य, आप मुझे मजबूर नहीं करें। कृपया स्थान ग्रहण कर लें। स्थान ग्रहण करें। हाथों को इस तरह से करने से.. (व्यवधान) हां, जा सकते हैं आप, पधारिये। (व्यवधान)

श्री कालूलाल गुर्जर : माननीय अध्यक्ष महोदय, भाग संख्या तीन में वर्तमान चुनाव के पहले अटरू पंचायत के कार्यकाल के पट्टों के बारे में जानकारी चाही है और उसमें एक ही पट्टा दिया गया था इसके अलावा और कोई नहीं दिया गया। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : एक सैकण्ड। मैं बहुत स्पष्ट कहना चाहती हूं कि जो माननीय सदस्य इस आसन की उपेक्षा करेगा, यह आसन भी उसकी उपेक्षा करेगा।

डा. सी.पी. जोशी : नहीं करेंगे, हम आपकी उपेक्षा नहीं करेंगे।

श्री अध्यक्ष : आप उपेक्षा क्यों करते हो ?

डा. बुलाकीदास कल्ला (नेता, प्रतिपक्ष) **:** अध्यक्ष महोदय, आपको प्रोटेक्शन देना चाहिए। माननीय सदस्य सब आपका आदर करते हैं, आपकी कोई उपेक्षा नहीं कर रहे हैं। माननीय सदस्यों को जो बोलने का अधिकार है, उसकी आपको रक्षा करनी चाहिए। (व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा :.... माननीय अध्यक्ष महोदय को तो माफ करना चाहिए, वो भी उपेक्षा कर देंगे तो फिर हम क्या करेंगे ? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बोल लिये । (व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा : माननीय अध्यक्ष महोदय, अगर हमसे कोई उपेक्षा होती भी है और आप भी करने लगे तो फर्क क्या रह जाएगा। फिर तो कोई फर्क ही नहीं रहा। आपसे तो प्रोटेक्शन चाहते हैं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मैंने आपसे कहा कि नियम 273 में आइये आप और लाइये जो कुछ आपको कहना है। जिस किसी के खिलाफ आपको कुछ कहना है, आप नियम 273 में आइये, कौन मना कर रहा है आपको ? (व्यवधान)

डा. सी.पी. जोशी : तीसरे का जवाब दे दीजिये । (व्यवधान)

श्री जुबेर खान: अगर भूखण्ड आबंटन ही नहीं हुआ तो रजिस्ट्री के

(श्री जुबेर खान)

माध्यम से बिका कैसे ? जब अलॉट नहीं हुआ, आबंटन ही नहीं हुआ तो रजिस्ट्री के माध्यम से बिका कैसे ? (व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा : स्टाम्प लिखा है 26 जनवरी, 2002 को और सोहन लाल टेलर को बेचा है वह प्लॉट । वह प्लॉट बेचा है जो निरस्त कर दिया है । (व्यवधान)

श्री जुबेर खान : जब आबंटन ही नहीं हुआ तो बेचने का हक कैसे हो गया. ?

श्री अध्यक्ष : कृपया धीरे बोलें । (व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा : यह पट्टा है, यह पट्टे की कापी है मदन दिलावर के नाम की । (व्यवधान) यह पट्टे की कापी है मदन दिलावर के नाम की।

श्री मोहन लाल गुप्ता : Rule 272 and 273 support my contention.

श्री हरिमोहन शर्मा : .... फिर निरस्त किया है । (व्यवधान)

श्री कालूलाल गुर्जर : अध्यक्ष महोदय , ये सुनना ही नहीं चाहते, मैं क्या करूं?

श्री बंशीलाल खटीक : यह पट्टा एकदम फर्जी है। फर्जी पट्टा है। यह फर्जी पट्टा बनाया है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : राजसमन्द से आने वाले माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण करिये। आप लोगों को बोलने की अनुमति है, आसन की तरफ से प्रोटेक्शन मिलेगा लेकिन जो कोई मेरी अनुमति से बोलेगा उसी को तो मिलेगा, आप बिना अनुमति के बोलते हैं। आप एक समय में एक ही बोलें।

श्री कालूलाल गुर्जर : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य बार-बार खण्ड तीन पर जोर दे रहे हैं । इन्होंने पूछा है – क्या यह सही है कि ग्राम पंचायत अटरू ने अपने वर्तमान चुनाव से पूर्व कार्यकाल में 700 रूपये

(श्री कालूलाल गुर्जर)

मात्र में भूखण्ड आबंटित किये ? यदि हां, तो सूची सदन की मेज पर रखें। मैंने यह कहा कि जी, हां। ग्राम पंचायत अटरू ने अपने वर्तमान चुनाव से पूर्व के कार्यकाल में एक पट्टा अब्दुल सत्तार को 700 रूपये में दिया था। अब इससे ज्यादा और मैं क्या जवाब दूं। (व्यवधान) यह जो बात कर रहे हैं यह सारे पट्टे पहले के हैं 2000 से पहले के दिये हुए होंगे। (व्यवधान) 2000 से अभी जो चुनाव हुए इसके बीच में पंचायत ने कोई पट्टा ही नहीं दिया। इनको मालूम ही नहीं है, इनको जानकारी नहीं है और पुरानी बातों को नई बताकर के सदन में रखना चाहते हैं।

श्री जुबेर खान : सवाल यह है कि मदन दिलावर के नाम से पट्टे जारी हुए हैं या नहीं हुए ? आप हां या ना में जवाब दीजिये। (व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा : ग्राम खेड़लीगंज के सरपंच कैलाश चन्द चौरसिया के द्वारा यह जो दो नाम मैंने बताये और रसीद 75 और 76 बताई है। ग्राम पंचायत की रसीद संख्या 75 और 76 है, इसको आप मंगवा लें, ग्राम पंचायत की रसीद संख्या मंगवा लें आप (व्यवधान) ग्राम पंचायत की रसीद संख्या मंगवा लें आप।

डा. सी.पी. जोशी : इसको आप मंगवा लीजिये। आप कह दें कि जांच करवा लेंगे। आप तो जांच करवा लें, बात खतम हुई । आप तो जांच करो, बात खतम हुई । (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप हार्ट पेशेंट है, आप थोड़ा तसल्ली से धीरे बोलें, आप इतना तेज क्यों बोल रहे हैं। (व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा : यह क्या बात हुई, आप इन्कार कर रहे हो। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : मंत्रीजी को पता ही नहीं है।

श्री हरिमोहन शर्मा : यह एक आदमी को अलाट हुआ है और मैंने कहा है कि यह नहीं है, यह दो को नहीं, तीन को हुआ है और उसकी रसीद संख्या बताई है, रसीद संख्या ले आओ, रसीद संख्या बताई है मैंने तो । (व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद) : आप रसीद नम्बर के बाद मना कर रहे हो। (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न को स्थगित करके दो दिन बाद रख दीजिये ताकि मंत्रीजी तैयारी से आयें, प्रश्न को स्थगित कर दीजिये आप।

डा. सी.पी. जोशी : अध्यक्ष महोदय, यदि रसीद नहीं कटी तो मंत्रीजी जांच करा लें, बात खतम हुई। इसमें क्या तकलीफ है। यदि रसीद नहीं कटी तो मंत्रीजी कह दें कि जांच करवा लेंगे, बात खतम हुई।

श्री हरिमोहन शर्मा : जांच कराओ, जांच कराओ फिर इस मामले की।

डा सी.पी. जोशी : अध्यक्ष महोदय, जांच करने में क्या तकलीफ है ? जांच के लिए मना क्यों कर रहे हैं ? जांच के अन्दर सब बातें सामने आ जाएंगी, अध्यक्ष महोदय, जांच करने में क्या तकलीफ है ? (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : अध्यक्ष महोदय, बार-बार मेरा नाम लेकर के यहां चर्चा की जा रही है और मेरा आपसे निवेदन है कि मुझे स्पष्टीकरण देने के लिए समय अविलम्ब दिया जाये। माननीय अध्यक्ष महोदय, बार-बार मेरा नाम लिया जा रहा है और मुझे स्पष्टीकरण देने का समय अविलम्ब दिया जाये। मैं इस बात का स्पष्टीकरण जल्दी दूं, इसलिए मुझे समय अविलम्ब दिया जाये । (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : माननीय अध्यक्ष महोदय, क्या यह सही है कि 1998 में कांग्रेस सरकार के पहले श्री शेखावत सरकार के समय मदन दिलावरजी ने एक भूखंड आबंटित करवाया और बाद में कांग्रेस की सरकार आई तो उसने उसे निरस्त कर दिया। निरस्त होने के बाद दिलावरजी ने वह भूखण्ड, 1,01,000 रूपये में मोहन लाल टेलर को बेचने का अवैधानिक काम किया है, अध्यक्ष महोदय, इस बारे में स्पष्टीकरण होना चाहिए। (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : मैं चाहता हूं कि मुझे इस बात का स्पष्टीकरण देने के लिए विलम्ब समय दिया जाये । (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : ये इस तरह से सत्ता का दुरुपयोग करें, सदन का दुरुपयोग करें, इससे बड़ा और कोई गलत काम नहीं हो सकता और पंचायती राज मंत्रीजी यह कह दें कि यह .. (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : अध्यक्ष महोदय, बार-बार मेरा नाम लिया जा रहा है, मुझे स्पष्टीकरण देने का अविलम्ब समय दिया जाये । (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : आप माननीय मंत्रीजी को जवाब देने का अवसर दें। नहीं-नहीं यह तो स्पष्टीकरण देना चाहते हैं । (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : अध्यक्ष महोदय, मुझे कृपा करके अविलम्ब समय दें स्पष्टीकरण देने के लिए। अध्यक्ष महोदय, बार-बार मेरा नाम कोट किया जा रहा है । (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : ये आरोप लगा दें किसी के ऊपर और मंत्रीजी अपना स्पष्टीकरण देना चाहते हैं तो उनको स्पष्टीकरण देने का अधिकार है।

श्री हरिमोहन शर्मा : अध्यक्ष महोदय, आप सारे प्रकरण की जांच करवा लें।

श्री राकेश मेघवाल : अध्यक्ष महोदय, ये बिना सबूत के अनर्गल आरोप लगा रहे हैं इसलिए उनको प्रताडित किया जाए और अध्यक्ष महोदय, इनके पूरे काले कारनामों की जांच कराई जाये। (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन सुन लें। अभी आपने यह कहा है ... (व्यवधान)

श्री मोहन लाल गुप्ता : Hon'ble Speaker, I am quoting rule 273. "No allegation of a defamatory or incriminatory nature shall be made by a member against any person unless the member has given previous intimation to the Speaker..."…. (interruption)….

श्री अध्यक्ष : मंत्रीजी खड़े हैं और आप यूं ही....

डा. सी.पी. जोशी : अध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्रीजी इसकी घोषणा कर दें, बात खतम हुई। मुख्य मंत्रीजी खड़े होकर बोल दें कि इन पट्टों की जांच करवा लेंगे, बात खतम हुई। मुख्य मंत्रीजी इस सदन में घोषणा करें, जांच करवा लेंगे क्या तकलीफ है । (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : मुझे स्पष्टीकरण देने का अविलम्ब समय दिया जाये, मैं स्पष्टीकरण देने को तैयार हूं।

श्री जुबेर खान : आप जांच करवा लें इसकी।

डा. सी.पी. जोशी : वे सदन में यहां बैठी हुई हैं, घोषणा कर दें, जांच करवा लेंगे, हमारी बात खतम हुई अध्यक्ष महोदय। यह तो आपको व्यवस्था करनी पड़ेगी, यह तो आपको करना पड़ेगा अध्यक्ष महोदय । मुख्य मंत्रीजी जांच करवा लें, बात खतम हुई । इस बात को मानने में क्या तकलीफ है। (व्यवधान)

श्री जुबेर खान : अध्यक्ष महोदय, जांच होनी चाहिए इसकी। इस प्रकरण की जांच होनी चाहिए।

डा. सी.पी. जोशी : मुख्य मंत्रीजी, घोषणा कर दें, बात खतम हुई। यह रसीद संख्या 75 और 76 है...

श्री मदन दिलावर : मैं बता रहा हूं, मैं जवाब देने के लिए तैयार हूं।

श्री महावीर प्रसाद जैन : कोई भी माननीय सदस्य अपना स्पष्टीकरण दे सकता है। (व्यवधान) अपना स्पष्टीकरण कोई भी माननीय सदस्य दे सकता है।

श्री भवानी सिंह राजावत : ये जवाब देने के लिए तैयार हैं। जांच करने में आपके घोटालों का इतिहास सामने आ जाएगा। वे जवाब देने के लिए तैयार हैं, आप सुनो तो सही । (व्यवधान) वे पट्टे निरस्त हो चुके हैं।

डा. सी.पी. जोशी : मुख्य मंत्रीजी घोषणा कर दें इसकी, बात खतम हुई।

श्री भवानी सिंह राजावत : आप जवाब सुनने के लिए तैयार नहीं हैं, मंत्रीजी जवाब देना चाहते हैं, आप सुनना नहीं चाहते हैं।

डा. सी.पी. जोशी : इसमें आप कार्यवाही कर लेना ना अगर कोई गलत बात हो तो, माननीय अध्यक्ष महोदय, जांच की घोषणा कराओ। (व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद) : आप गलत हैं तो इनको सजा मिल जाएगी आपको जांच कराने में तकलीफ क्या हो रही है । (व्यवधान)

श्री जुबेर खान : आप कराइये सरकार से जांच, अध्यक्ष महोदय, करवाइये आप जांच । (व्यवधान)

डा. सी.पी. जोशी : रूल 273 पढ़िये आप।

श्री महावीर प्रसाद जैन : माननीय सदस्य अपना स्पष्टीकरण दे सकता है। (व्यवधान) ... उस अवस्था में कोई भी विवादास्पद बात...(व्यवधान)

श्री जुबेर खान : सरकार तो आपकी है, जांच करवा लीजिये। सरकार तो आपकी है, जांच करवा लीजिये। (व्यवधान)

डा. सी.पी. जोशी : रूल 273 देखिये।

श्री भवानी सिंह राजावत : और भी कई लोगों के खिलाफ चालान पेश होने वाले हैं । (व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद) : आप जांच करवाइये, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया स्थान ग्रहण कर लें। कृपया माननीय सदस्य अपना स्थान ग्रहण कर लें। राजसमन्द से आने वाले माननीय सदस्य, हर समय हर प्रश्न पर आपका खड़ा होना और बोलना आवश्यक नहीं है। हर वक्त खड़े हो जाते हैं आप। मंत्रीजी आपको कुछ कहना है क्या ? बोलिये।

श्री मदन दिलावर : हां।

डा. बुलाकीदास कल्ला : एक मिनट, एक मिनट।

डा. सी.पी. जोशी : अध्यक्ष महोदय, रूल 273 के अन्दर मंत्रीजी कुछ बोल नहीं सकते, पहले आप इनको नोटिस दीजिये। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप एक बार अपना स्थान ग्रहण कर लें । (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : पहले इनको स्पष्टीकरण का अधिकार है। कोई बीच में नहीं बोल सकता। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : हिण्डौली से आने वाले माननीय सदस्य, आपकी उत्तेजना को देखते हुए, जिन पर आपने एलीगेशन लगाया है, मैं आपकी उत्तेजना को देखते हुए एक तो मैं आपको राय दूंगी कि आप हार्ट पैशेंट हैं, इतना उत्तेजित नहीं हों थोड़ा धीरे बोला करें, आपकी सेहत के लिए यह ठीक नहीं है। सुनिये-सुनिये बिराजिये-बिराजिये । आप बिराजिये, आप बिराजिये-बिराजिये। (व्यवधान) आपकी उत्तेजना को देखते हुए चूंकि आप लगातार उन पर आरोप लगा रहे हैं। आपको कुछ कहना हो तो कह दीजिये मंत्रीजी।

श्री मदन दिलावर : अध्यक्ष महोदय ....

डा. सी.पी. जोशी : अध्यक्ष महोदय, आरोप नहीं लगा रहे हैं । रसीद संख्या 75 और 76 है...

श्री अध्यक्ष : वन एट ए टाइम, वन एट ए टाइम ।

डा. सी.पी. जोशी : अध्यक्ष महोदय, हम यह मांग कर रहे हैं कि रसीद संख्या 75 और 76 जिसका रेफरेंस दिया है, उसकी जांच करवा ली जाये और जांच के जो तथ्य हैं .. (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : आप पूरी बात सुनें, आप पूरी बात तो सुनें, बाद में बोल लेना ना।

डा. सी.पी. जोशी : जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे ...

श्री अध्यक्ष : आप मंत्रीजी को नहीं सुनेंगे ? (व्यवधान) उसके बाद करा देंगे जांच, आप सुन तो लो।

डा. सी.पी. जोशी : पहले आप नोटिस दें।

श्री महावीर प्रसाद जैन : पहले इनको बोलने का मौका दिया जाये, पहले इनको स्पष्टीकरण की इजाजत दी जाये। (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : अध्यक्ष महोदय, मैं बोलने के लिए तैयार हूं।

डा. सी.पी. जोशी : अध्यक्ष महोदय, आरोप की स्टेज तो बाद में आती है। पहले रसीद संख्या 75 और 76 जो कटी है, उसका स्पष्टीकरण तो आने दें। (व्यवधान)

श्री सी. डी. देवल : अध्यक्ष महोदय, पहले आप हमारी बात तो सुन लो।

श्री महावीर प्रसाद जैन : नहीं अध्यक्ष महोदय, ये पहले नहीं बोल सकते।

श्री मदन दिलावर : अध्यक्ष महोदय, मेरे ऊपर एक एलीगेशन लगाया गया है, मेरे नाम से जो प्लाट है...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, आपने नाम पुकारा है। आपने इनका नाम पुकारा है मंत्रीजी का। अध्यक्ष महोदय ने नाम पुकारा है। आसन ने नाम पुकारा है। (व्यवधान) पहले इनको बोलने का मौका दिया जाये।

एक माननीय सदस्य : माननीय कल्ला साहब, पहले मंत्रीजी का स्पष्टीकरण सुनिये।

डा. बुलाकीदास कल्ला : अध्यक्ष महोदय, ये अपना स्पष्टीकरण दें, उससे पहले मैं कुछ कहना चाहता हूं।

एक माननीय सदस्य : कल्ला साहब, मंत्रीजी का स्पष्टीकरण सुन लीजिये पहले।

श्री महावीर प्रसाद जैन : पहले ये अपना स्पष्टीकरण दे दें । (व्यवधान)

श्री मोहन लाल गुप्ता : यह सदन में गलत परम्परा डाली जा रही है। बिना नोटिस दिये किसी भी सदस्य के ऊपर आरोप नहीं लगा सकते हैं अण्डर रूल 273 । (व्यवधान)

श्री लक्ष्मीनारायण दवे : अध्यक्ष महोदय, यह गलत परम्परा लागू हो रही है। माननीय मंत्रीजी के नाम पर यदि इस प्रकार से आरोप लग रहा है तो इनको पहले नोटिस देना चाहिए।

श्री मोहन लाल गुप्ता : नोटिस देकर काम होना चाहिए, ऐसे कोई काम नहीं होगा।

श्री लक्ष्मीनारायण दवे : माननीय अध्यक्ष महोदय, नेता प्रतिपक्ष खड़े हैं और मंत्रीजी बीच में खड़े हैं । (व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला : माननीय अध्यक्ष महोदय, हिण्डौली से आने वाले माननीय सदस्य ने दो रसीदों का जिक्र किया, रसीद संख्या 75 और 76, जिसके अन्तर्गत माननीय समाज कल्याण मंत्रीजी को जो प्लाट आबंटित हुआ था सन् 1998 में और उसके बाद... (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, आपने मंत्री महोदय का नाम पुकारा है। आसन ने व्यवस्था दी है कि माननीय समाज कल्याण मंत्री अपना स्पष्टीकरण दें। यह क्या बात हुई? आप इनको बैठाइये पहले, माननीय अध्यक्ष महोदय। आसन ने नाम पुकारा है इनका । आपने नाम पुकारा है। आसन ने नाम पुकारा है। (व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला : मैं बता रहा हूं। प्रतिपक्ष के नेता बोल रहे हैं और आप बीच में बोल रहे हैं । (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : आप इनको बैठाते नहीं हो और हमको बैठाते हो।

श्री अध्यक्ष : नेता प्रतिपक्ष, मंत्रीजी खड़े हो गये थे। आप उनके बाद बोल लीजिये, क्या तकलीफ है। इनके बाद बोल लीजिये।

डा. बुलाकीदास कल्ला : मैं इनके स्पष्टीकरण से सम्बन्धित ही बात रख रहा हूं । माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इनका स्पष्टीकरण आने के पहले यह जानकारी चाहता हूं कि क्या उनके नाम से कोई प्लाट अलाट हुआ था और यदि अलाट हुआ था तो वह मिस हुआ था और मिस होने के बाद क्या उन्होंने बेचा है। इसका स्पष्टीकरण दे दें।

श्री महावीर प्रसाद जैन : पहले स्पष्टीकरण तो देने दो । (व्यवधान)

श्री मोहन लाल गुप्ता : रूल 273।

डा. बुलाकीदास कल्ला : अध्यक्ष महोदय, यदि प्लाट अलाट हुआ था तो मुख्य मंत्रीजी इसकी जांच करायेंगे या नहीं करायेंगे ? (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : माननीय सदस्य यह प्रश्न पूछते हैं कि अगर...

श्री मोहन लाल गुप्ता : रूल 273 देखें । (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया स्थान ग्रहण करें, आप भी स्थान ग्रहण करें, आप भी स्थान ग्रहण करें। (व्यवधान)

श्री मोहन लाल गुप्ता : किस बात का स्पष्टीकरण दें ? बिना नोटिस दिये किस बात का स्पष्टीकरण दें ? ऐसे तो हर बात में स्पष्टीकरण होगा। ये कैसे लगा सकते हैं आरोप ? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप स्थान ग्रहण करें।

श्री मदन दिलावर : मैं बता रहा हूं, मैं स्पष्टीकरण दे रहा हूं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप स्थान ग्रहण करें।

श्री हरिमोहन शर्मा : आपने मुझे पूछा कि क्या आपने एलीगेशन लगाया है क्या ? एक सैकण्ड ।

श्री मदन दिलावर : मैं इस सदन को बता रहा हूं, स्पष्टीकरण दे रहा हूं, मेरे नाम से कोई भी प्लाट आबंटित नहीं हुआ है, मेरे नाम से कोई भी अटरू पंचायत के अन्दर प्लाट का आबंटन नहीं हुआ, मैंने एक प्लाट नीलामी में खरीदा है, मेरे नाम से किसी प्लाट का आबंटन नहीं हुआ। मैंने एक प्लाट नीलामी में खरीदा है बोली लगाकर। (व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा : आप मेरी बात सुनो तो सही, आप लाचार क्यों महसूस करते हो? आप इनको बैठाओ फिर । यह क्या बात हुई, आप इनको बैठाओ । (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : और उस समय वहां बोली लगाने वाले सैकड़ों लोग मौजूद थे...(व्यवधान)

श्री माननीय सदस्य : यह + + + हैं इनको रोको, माननीय अध्यक्ष जी....

श्री नन्दलाल बंशीवाल : आप जवाब तो सुनें । हरिमोहनजी, जवाब तो सुनो आप।

श्री हरिमोहन शर्मा : आपने उनसे पूछा कि उन्होंने जो एलीगेशन लगाये हैं, मैंने तो कोई एलीगेशन नहीं लगाये, मैंने तो तथ्य सामने रखा है, उन तथ्यों का जवाब आना चाहिए, फिर स्पष्टीकरण किस बात का ? फिर किस बात का स्पष्टीकरण ?

श्री सी.डी. देवल : मुख्य मंत्रीजी, इसकी जांच करवा लें। इनके सारे भ्रष्टाचार, कारनामे उजागर हो जायेंगे । (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : ... और यह प्लाट दो हजार.. (व्यवधान) खरीदा गया है...

श्री हरिमोहन शर्मा : यह तथ्य सामने रखे हैं ..

श्री सी.डी. देवल : अध्यक्ष महोदय, यह जांच से क्यों डर रहे हैं.. (व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला : अध्यक्ष महोदय, इसकी जांच होनी चाहिए और सरकार जांच नहीं करवाना चाहती है...

श्री मदन दिलावर : 2000 से पहले मेरे कोई प्लाट का आबंटन नहीं हुआ । मैंने खुली नीलामी में खरीदा है और आगे की बात और सुन लीजिये...

डा. बुलाकीदास कल्ला : सरकार के इस हठधर्मितापूर्ण रवैये पर हम सदन से बहिर्गमन करते हैं।

(इंडियन नेशनल कांग्रेस के माननीय सदस्यों द्वारा बहिर्गमन)

श्री नन्दलाल बंशीवाल : कल्लाजी, जवाब तो सुन लो आप।

श्री मदन दिलावर : मेरा स्पष्टीकरण मैं दूंगा, मुझे स्पष्टीकरण पूरा देने दिया जाय, माननीय अध्यक्ष महोदय ।

श्री जुबेर खान : भ्रष्टाचारियों की जांच कराओ, जांच । (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : ... और वह आरोप लगाकर भाग रहे हैं, यह अच्छी परम्परा नहीं है। अच्छा यह होता माननीय अध्यक्ष महोदय, कि यह सुनते, यह इस प्रकार के आरोप लगाकर जब जा रहे हैं, मैं इसकी घोर निन्दा करता हूं..

श्री मदन दिलावर : मैं जवाब दूंगा, मेरा पूरा आयेगा।

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकाल समाप्त हुआ।

श्री मदन दिलावर : मेरा स्पष्टीकरण हो रहा था माननीय अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, जैसा मैंने निवेदन किया है आपसे...

श्री अध्यक्ष : आप शांत रहें कृपया।

व्यक्तिगत स्पष्टीकरण

मदन दिलावर श्री, समाज कल्याण मंत्री का स्पष्टीकरण

श्री मदन दिलावर : कि मेरे नाम अटरू ग्राम पंचायत, या खेड़ली ग्राम पंचायत या अटरू तहसील में कहीं भी या हाउसिंग बोर्ड के मकान के अलावा कहीं भी मेरे कोई प्लाट आबंटन नहीं हुआ है इस राजस्थान के पूरे प्रदेश की धरती पर।

मैं यह निवेदन करना चाहता हूं क्योंकि मैं अटरू से चुनकर आता हूं, अटरू में रहने के लिए मेरे लिए कोई स्थान नहीं है, घर का रहने के लिए, जब खुली नीलामी ग्राम पंचायत ने उस समय लगायी, आज के लगभग आठ-दस साल पहले की बात हो गई है, तब खुली नीलामी में मैंने 25x40 होगा या 20x40 होगा, यह प्लाट मैंने खुली नीलामी में सैंकड़ों लोगों की उपस्थिति में उसको नीलामी लगाकर के खरीदा है। यह सच है कि तत्कालीन जिला कलक्टर आर.एस. गठाला और मेरे कई विवाद होते थे, उससे झगड़ा रहता था, मेरे खिलाफ मेरे भाई की जांच करवाई, मेरे पिताजी की जांच करवाई, मेरी मां की सम्पत्ति जांच करवाई, मेरी बहन की करवाई, उनको कहीं कुछ नहीं मिला तो उन्होंने उस समय यह लगाकर कि तुमने यह नीलामी में प्लाट सस्ता खरीदा है इसलिए पूरी नीलामी को उन्होंने निरस्त किया है, यह सच है। निरस्त करने के बाद सम्भागीय आयुक्त के कोर्ट में अपील के लिए गये हैं, अपील में स्टे मिला है और मैंने वह प्लाट.. (व्यवधान) मैं पूरी बता रहा हूं, खुला बता रहा हूं, मेरी बात सुन लीजिये..(व्यवधान)

श्री प्रमोद जैन "भाया" : जमीन थी और गुपचुप तरीके से खरीदा था इसलिए उसको निरस्त किया था।

श्री मदन दिलावर : मेरी बात सुन लें पूरी। (व्यवधान) पूरा सुन लें। वह प्लाट जब मुझे हाउसिंग बोर्ड के मकान के पैसे जमा कराने थे तब मैंने एक लाख बीस हजार में बेचा है और उसका शपथ पत्र पढ़ें, मैंने उसमें लिखा

(श्री मदन दिलावर)

हुआ है कि यह प्लाट विवादित है और जैसा भी निर्णय होगा उसके अनुसार यदि यह पूरा निरस्त होता है तो पैसे को वापिस किया जायेगा, यह मेरे शपथ पत्र के लास्ट में लिखा हुआ है, मैंने कोई तथ्य नहीं छिपाया है। दूसरी बात मैं यह सदन में कह सकता हूं, आज तक के जीवन में एक पैसा भी मदन दिलावर के पास बेईमानी का आया है तो गौ-मांस के बराबर है। मदन दिलावर आज सार्वजनिक जीवन में रहता है, राजनीति में रहता होगा, एक पैसा भी कोई इस राजस्थान की धरती पर कह दे कि मदन दिलावर को रिश्वत के रूप में दिया है या सरकारी खजाने का खाया है या किसी का जबरदस्ती लेकर के खाया है तो गौ-मांस के बराबर है...(व्यवधान)

श्री रामचन्द्र सराधना : पंचायती राज मंत्रीजी का जवाब गलत है। फिर पंचायती राज मंत्री ने गलत बोला है..(व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : मैं उसका स्पष्टीकरण देता हूं। मैं उसका स्पष्टीकरण देता हूं, माननीय अध्यक्ष महोदय...

श्री महीपाल सिंह यादव : जांच कराओ, जांच कराओ।

श्री रामचन्द्र सराधना : मदन दिलावर की जांच कराओ। (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : मेरे बारे में जो यह कहा गया है, गलत है.. (व्यवधान)

श्री नन्दलाल बंशीवाल : पैसा तुम खाये बैठे हो तुम कांग्रेस के लोग, जवाब सुनो चुपचाप से। (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : एक मिनट। मेरा पूरा हो जाने दीजिये। मेरा पूरा हो जाने दीजिये। (व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा : निरस्त प्लाट को बेचने का अधिकार किसी को भी नहीं है..(व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : मेरे परिवार का नाम लिया गया है .(व्यवधान)

श्री नन्दलाल बंशीवाल : जवाब तो सुनो आप, किसी का नहीं है।

श्री हरिमोहन शर्मा : प्लाट वो बेचने का किसी को भी अधिकार नहीं है..(व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : मेरी भाभी पच्चीस साल से विधवा है, उसके दो बच्चे हैं..

श्री सी.डी. देवल : मुख्य मंत्रीजी जांच करा लें, दूध का दूध और पानी का पानी हो जायेगा..

श्री मदन दिलावर : और सरकारी सेवा में नौकरी करने की बात कही है, पन्द्रह सौ रूपया महीने में कान्ट्रेक्ट पर (व्यवधान) काम मेरा भतीजा करता है..(व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा : तुमने कैसे जबरदस्ती करके उसको बेचा .. (व्यवधान)

श्री नन्दलाल बंशीवाल : किस मुंह से बोल रहे हैं आप..

श्री हरिमोहन शर्मा : मां के नाम पर ले लो, भाभी के नाम पर ले लो, खुद के नाम पर ले लो, निरस्त करवा करके बेच दो आप, फिर ईमानदारी का...(व्यवधान)

श्री सी.डी. देवल : इतने सच्चे हो तो फिर जांच से क्यों डरते हो, जांच करवा लो, दूध का दूध और पानी का पानी हो जायेगा। मुख्य मंत्रीजी जांच करवा लें।

श्री हरिमोहन शर्मा : दूसरों पर आरोप लगाने से पहले आइना देख लो अपना..(व्यवधान)

श्री महीपाल सिंह यादव : जांच करवा दो।

श्री कालूलाल गुर्जर : माननीय अध्यक्ष महोदय, इसकी जांच हो गई और उन्होंने जवाब दे दिया है..(व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : हो चुकी है और इनकी आदत खराब है, किसी के ऊपर आरोप लगाकर चले जाते हैं और उसके बाद सुनना नहीं चाहते, यदि इनके पास कोई भी प्रमाण है तो आपको सौगंध है, यह अदालतें भी पड़ी हुई हैं और अपने भ्रष्टाचार को छिपाने के लिए किसी का चरित्र हनन करने का किसी को कोई अधिकार नहीं है।

श्री हरिमोहन शर्मा : यह प्रमाण, यह खुद मानते हैं कि बेच दिया है।

श्री जुबेर खान : आप जांच क्यों नहीं करा लेते। अगर आप संतुष्ट हैं तो मुख्य मंत्रीजी जांच क्यों नहीं करा लेती। आप जांच कराओ, आप किसी से भी जांच कराओ। (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : कोई अनियमितता नहीं हुई..

श्री जुबेर खान : अगर यह कहते हैं कि कोई अनियमितता नहीं हुई है तो जांच कराने में क्या आपत्ति है, आप जांच कराइये ना। आप जांच को तैयार नहीं हो रहे हैं..(व्यवधान)

श्री सी.डी. देवल : सरकार तथ्य छिपाना चाहती है...(व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : माननीय अध्यक्ष महोदय, आपसे मेरा निवेदन है कि सारे प्रकरणों की जांच विपक्ष के नेता कर लें...

श्री सी.डी. देवल : हमारी मांग है, जांच कराओ।

श्री जुबेर खान : जांच कराइये ना।

श्री अमराराम (धोद) : निरस्त किये गये प्लाट को इन्होंने बेचा है..

श्री ओम बिरला : माननीय अध्यक्ष महोदय, इसकी जांच हो चुकी है..(व्यवधान) दोबारा जांच करने का कोई प्रावधान नहीं है।

श्री जुबेर खान : यह तथ्य को छिपाना चाह रहे हैं...(व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : मेरे ऊपर जितने भी आरोप लगाये हैं उन सारे मामलों की जांच विपक्ष के नेता स्वयं कर लें।

श्री कालूलाल गुर्जर : सौ-सौ चूहे खाकर बिल्ली हज को जा रही है.. (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : यह कांग्रेस वाले उनसे माफी मांगे, आपको सजेशन है..(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि श्रीमति स्नेहलता, सदस्य विधान सभा ने..(व्यवधान) आसन पांवों पर है, आप क्या लहरा रहे हैं, क्या लहरा रहे हैं आप, आसन पांवों पर है। आसन पांवों पर है

अनुपस्थिति अनुमति

स्नेहलता श्रीमती, सदस्य को 3 फरवरी, 05 से सत्रांत तक

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि श्रीमती स्नेहलता, सदस्य, विधान सभा ने शारीरिक अस्वस्थता की वजह से कोटा प्राइवेट नर्सिंग होम सुधा हास्पीटल में भर्ती होने के कारण दिनांक 3 फरवरी, 2005 से सदन की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुमति चाही है। क्या सदन की अनुमति है कि इन्हें सदन की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुमति प्रदान कर दी जाय?

(स्वीकृत)

अनुपस्थित रहने की आज्ञा प्रदान की गई। अनुमति प्रदान की गई।

संदेश

राज्यपाल महोदय से प्राप्त संदेश

दण्ड प्रक्रिया संहिता (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 2004 पर पुनर्विचार

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि राज्यपाल महोदय से एक संदेश प्राप्त हुआ है। संविधान के अनुच्छेद 200 के प्रथम परन्तुक के साथ पठित अनुच्छेद 201 के परन्तुक के अन्तर्गत विधान सभा द्वारा पारित दण्ड प्रक्रिया संहिता (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 2004 पर महामहिम राज्यपाल महोदया से निम्न संदेश प्राप्त हुआ है :-

"Whereas, the code of Criminal Procedure (Rajasthan Amendment) Bill, 2004 was reserved for the consideration and assent of H.E. the President;

"And Whereas, H.E. the President has, having considered the Bill, directed, in pursuance of the proviso to article 201 of the Constitution, that the Bill be returned to the legislature of the State of Rajasthan, together with a message to reconsider it and suitably amend to provide in Section 167(2) of the Code of Criminal Procedure, 1973 in its application to the State of Rajasthan, for physical production of an accused every time before the Magistrate till such time the accused remains in the custody of police and subsequent production of the accused, when such accused is detained otherwise than in the custody of police before the Magistrate either in person or through the medium of electronic video linkage;

"Now, therefore, I, Smt. Pratibha patil, Governor of Rajasthan in pursuance of the first proviso to article 200 read with the proviso to article 201 of the Constitution of India, do hereby return the Bill and request the House of the State Legislature that the Bill be reconsidered in terms of the message of H.E. the President.

GOVERNOR OF RAJASTHAN.

श्री हरिमोहन शर्मा : माननीय अध्यक्ष महोदय, जब इस क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के 167 अमेण्डमेंट बिल पर चर्चा हुई थी तो हमने विस्तार से और गम्भीरता के साथ जो कानूनी कमी थी इसमें उस पर विस्तार से चर्चा करके कहा था कि यह कानून मूल रूप से गलत है क्योंकि कस्टडी में, ज्यूडिशियल एण्ड पुलिस कस्टडी इन्क्लुड है लेकिन सरकार ने और पूरे के पूरे

(श्री हरिमोहन शर्मा)

विभाग ने हमारी इस वाजिब बात को नहीं माना। लेकिन राष्ट्रपति महोदय ने उस बात को स्वीकार किया उसके लिए हम उनके तो आभारी हैं और आपसे निवेदन करते हैं कि भविष्य में भी इस लोकतंत्र की बढ़िया परम्पराएं कायम रखने के लिए जब कभी ऐसा आये तो खुले दिल और दिमाग से अगर भविष्य में आप सोचेंगे तो ऐसी स्थिति पैदा नहीं होगी जो इस बिल में हुई।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, उस दिन जब यह बिल डिस्कस हो रहा था उस समय इस पर एनी कस्टडी को लेकर मैंने यह कहा था कि हमारी मंशा इसमें केवल जुडिशियल कस्टडी है लेकिन वो शब्द अपने-आप में दोनों को कवर कर रहा था। पुलिस भी कर रहा था, उसको भी कर रहा था और यहां मैंने बर्बली कहा था कि हम इसमें फिर से देखेंगे और कानून को देखने के बाद विभाग अगर यह महसूस करेगा कि इसके कारण दोनों कस्टडी का इसमें भाव निकल रहा है, सामान्यता यह क्या है कि जो आंध्र प्रदेश का आज से दो साल पहले सेम बिल था उसी बिल के आधार पर हमनें उसकी कॉपी की थी और उसको भी राष्ट्रपति से स्वीकृति मिली थी। उसमें यह था अगर हमारे जब साधन उपलब्ध होंगे तभी हम यह लिंकेज हम कर पाएंगे तो हमने केवल जो कस्टडी में था लेकिन वो आपका कहना सही था कि वो एनी कस्टडी के नाम से दोनों का ही भावार्थ निकल रहा था और उसके कारण से अगर उन्होंने कहा है तो हम उसको अमेंडमेंट कर देंगे।

श्री अध्यक्ष : अब कर लीजियेगा कोई बात नहीं है। ठीक है।

मोहम्मद माहिर आजाद : यों तो महाराष्ट्र में भी यही लागू किया है लेकिन जिन अधिकारियों ने कहा था कि इसमें सुधार कर देंगे कम से कम आपको प्रताड़ना तो देनी चाहिए। सरकार को नीचा देखना पड़ा उन अधिकारियों की वजह से। आप हमारी बात मान लेते तो ही ठीक रहता।

डा. एन.एस. गुर्जर (टोडारायसिंह) : अध्यक्ष महोदय, एक मिनट आप विराजें।

श्री अध्यक्ष : अब क्या जब उन्होंने कह दिया तो आप क्या कहेंगे?

डा. एन.एस. गुर्जर : आप विराजें तो सही।

(डा. एन. एस. गुर्जर)

अध्यक्ष महोदय, जब भी कानून बनता है तो हमारी एक प्रैक्टिस चल पड़ी है कि दूसरे राज्यों में क्या कानून बने हुए हैं उनको इकट्ठा करके उनकी नकल मार करके विधान सभा में अधिकारी ले आते हैं। मैं सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि मैं खुद जब मंत्री था तो मेरे सामने भी ये परिस्थितियां आयी थीं। पंचायत एक्ट में और जे.डी.ए. एक्ट बना था, मुझे याद है तो 105 धाराएं थी और 105 धाराओं मे उनमें यह लिखा हुआ था कि जयपुर के दक्षिण में समुद्र होगा उसमें यह होगा, जयपुर के पश्चिम में समुद्र होगा उसमें यह होगा क्योंकि..,।

श्री अध्यक्ष : क्या कहना चाहते हैं आप?

डा. एन.एस. गुर्जर : मैं यह कहना चाहता हूं कि उस दिन उस एक्ट में 97 धाराओं में एक कमेटी बनायी गई और उसमें जे.डी.ए. एक्ट में अमेंडमेंट हुआ। मैं सरकार से यह कहना चाहता हूं कि उस दिन जब यह बिल आया था तो माननीय सदस्य जो भी बोल रहे थे और सत्ता पक्ष से भी हमने कहा था कि यह लीगल लेकूना है और अधिकारियों ने यह गलती की है इसको ठीक करवाइये इसलिए यह परिस्थिति पैदा हुई तो आइंदा सरकार को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि अधिकारी जांच करके लायें तो आप उसको स्वयं चैक करें अधिकारियों के ऊपर निर्भर नहीं रहें।

श्री अध्यक्ष : ठीक है। आइंदा ध्यान रखेंगे। हां भविष्य में ध्यान रखेंगे।

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है :-

(1) श्री जुबेर खान, सदस्य की ओर से राज्य में समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग के छात्रावासों की खस्ता हालत एवं उनमें फैले कथित भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में।

(2) श्री संयम लोढ़ा एवं 2 अन्य सदस्यों की ओर से राज्य में

(श्री अध्यक्ष)

क्रमोन्न्त किये गये माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालयों में राजनैतिक आधार पर भेदभाव बरते जाने के सम्बन्ध में।

सदन में महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर चर्चा हो रही है। माननीय सदस्यों को प्रस्ताव के विषयों पर बोलने का अवसर उपलब्ध है। अतः इन पर अनुमति देने में असमर्थ हूं।

(3) श्री अमराराम धोद एवं 3 अन्य सदस्यों की ओर से राज्य में बिजली की दरों में असहनीय वृद्धि के सम्बन्ध में।

स्थगन प्रस्ताव के रूप में तो अनुमति देने में असमर्थ हूं लेकिन यदि सरकार इस सम्बन्ध में कुछ कहना चाहेगी वक्तव्य देना चाहे तो वक्तव्य दे सकती है वैसे वृद्धि तो काफी समय हो गया है हाल की घटना नहीं है। अभी नहीं हुई है वृद्धि।

श्री अमराराम (धोद) : वृद्धि होने के बाद सत्र पहला यही है। 1 जनवरी से वृद्धि हुई है और यह फरवरी चल रही है आप बताइये। जनवरी के बाद सेशन यही आया है और उसके पहले अध्यक्ष महोदय कोई नहीं आया।

श्री अध्यक्ष : स्थगन प्रस्ताव हाल की घटना पर होता है।

श्री अमराराम (धोद) : हाल की ही है यह 1 जनवरी की अभी तो 1 अप्रैल से लागू होगी चुनाव को देखते हुए सरकार ने मुल्तवी कर दी मार्च तक का पैसा सरकार वहन करेगी और 1 अप्रैल से राजस्थान की जनता वहन करेगी।

श्री अध्यक्ष : अभी तो एप्रिहेंशन पर चल रहे हो आप कि होगी कि नहीं होगी। आप तो कह रहे हैं कि अप्रैल से होगी अभी तो फरवरी है।

श्री अमराराम (धोद) : नहीं अध्यक्ष महोदय, रेटें तो बढ़ गई केवल 1 जनवरी से लेकर 31 मार्च तक बढी हुई रेटों का पैसा सरकार वहन करेगी।

डा. श्रीगोपाल बाहेती : अध्यक्ष महोदय, यह बिजली वाला मुद्दा बहुत महत्वपूर्ण है उसके अन्दर रेटें बढ़ी हुई हैं। बिजली का स्थगन प्रस्ताव है पास किया जाए इसको।

श्री अध्यक्ष : अब आप क्या बोलना चाहते हैं? आसन पांवों पर है मैंने कह दिया न। दे तो दिया।

नियम 295 के अन्तर्गत प्राप्त विशेष उल्लेख की सूचनाएं

(1) डा. श्रीगोपाल बाहेती, सदस्य की ओर से पुष्कर को बीसलपुर योजना से पेयजल उपलब्ध करवाने के सम्बन्ध में।

(2) श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास, सदस्य की ओर से खनन क्षेत्रों में आधारभूत सुविधाओं के विकास के सम्बन्ध में।

(3) श्री नवनीत नीनामा, सदस्य की ओर से तहसील घाटोल के गांव गरनावट के गरीब आदिवासियों को भूमि आबंटित करने के सम्बन्ध में।

(4) श्री रामलाल शर्मा, सदस्य की ओर से राजकीय महिला महाविद्यालय, चौमूं के लिये भवन का निर्माण करने के सम्बन्ध में।

(5) श्री नन्दलाल पूनिया, सदस्य की ओर से जिला चूरू के राजगढ़ के डिगली स्थित कन्या उच्च प्राथमिक विद्यालय में बालकों को भी प्रवेश देने के सम्बन्ध में।

(6) श्री मांगीलाल गरासिया, सदस्य की ओर से पंचायत समिति गोगुन्दा व कोटड़ा में एनीकट का निर्माण करने के सम्बन्ध में।

माननीय सदस्यों को उनके द्वारा दी गई सूचना को पढ़ने की अनुमति होगी।

डा. श्रीगोपाल बाहेती।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

श्री संयम लोढ़ा : माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान सरकार ने बजट में दो सौ सीनियर सैकण्डरी और चार सौ सैकण्डरी स्कूल खोलने का प्रावधान किया था। हमारे इलाके में राजनीतिक भेदभाव करते हुए कांग्रेस के

(श्री संयम लोढ़ा)
विधायकों के क्षेत्र में सैकण्डरी और सीनियर सैकण्डरी स्कूल नहीं खोले माननीय अध्यक्ष महोदय। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आपको अवसर मिला था। आप लंबे समय तक बोले हैं तब आपको राजनीति भेदभाव...(व्यवधान)...

श्री संयम लोढ़ा : माननीय अध्यक्ष महोदय, जिस प्रकार सत्ताधारियों ने मुख्य मंत्री ने..(व्यवधान)..

श्री जीतमल खांट : माननीय अध्यक्ष महोदय, (व्यवधान)...

राजस्थान के गरीब आदिवासी छात्र-छात्राओं का मसला है। मानवाधिकार आयोग ने अपनी चिन्ता व्यक्त की है। राजस्थान के अनुसूचित जाति/जनजाति के छात्रावासों की हालत बड़ी दयनीय है..(व्यवधान).. राजस्थान का गरीब आदिवासी है..(व्यवधान)

श्री मुरारी लाल मीणा : माननीय अध्यक्ष महोदय, छात्रावासों की हालत बहुत दयनीय है।

श्री जीतमल खांट : यह पहली बार हुआ है। ..(व्यवधान)..

श्री जुबेर खान : अनुसूचित जाति/जनजाति के छात्रावासों की क्या हालत हो रही है..(व्यवधान)..

श्री अध्यक्ष : सदन का समय शोर-शराबे में व्यतीत नहीं करें। सदन का समय यों शोर-शराबे में व्यतीत नहीं करें।

श्री जीतमल खांट : मैं आपके माध्यम से चाहूंगा कि पूरे राजस्थान के आदिवासी छात्र-छात्राओं का भविष्य बड़ी नारकीय स्थिति से बहुत बड़ी दयनीय हालत से गुजर रहा है...(व्यवधान)... सरकार ने कहा था कि गरीब आदिवासी को गणेशजी मानकर उनकी सेवा की जाएगी आज मानवाधिकार आयोग की यह रिपोर्ट है (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : कृपया, स्थान ग्रहण करें। कृपया अपना-अपना स्थान ग्रहण करें। माननीय सदस्यगण, मैं आपसे निवेदन कर रही हूं कि कृपया स्थान ग्रहण करें। जीतमलजी खांट, आप स्थान ग्रहण करें एक बार।

श्री अशोक बैरवा "खण्डार" : ..(व्यवधान) ... स्थिति बहुत खराब है।

श्री अध्यक्ष : मिस्टर अशोक, आप स्थान ग्रहण करें। आप जिस तरीके से खड़े होकर एक साथ बोलने लग जाते हैं न तो यहां सुनायी देता है, न अंकित होता है। आप लोग एक-एक अपनी बात कहें मैं निश्चित तौर से सरकार को बाध्य करूंगी उन बातों के लिए कि सरकार उनका जवाब दें लेकिन.. (व्यवधान).. आप फिर, मैं कहती हूं क्यों खड़े हो रहे हैं, आसन पांवों पर है थोड़ा तो ध्यान रखिये आप। मैं आपसे कह रही हूं कि एक समय में एक ही सदस्य बोले और अपनी बात कहे तो निश्चित तौर से सरकार भी उसका जवाब देगी..। सरकार कुछ कहेगी। आप खड़े होकर एक साथ बोलने लग जाते हैं सदन का समय भी जाता है। अब आप क्या बोलना चाहते हैं?

श्री जुबेर खान : मैं इसी पर बोलना चाहता हूं कि मेरा स्थगन प्रस्ताव दिया है।

श्री अध्यक्ष : आपको बोलने का मौका मिलेगा, बोलिए आपको कौन कहता है। धन्यवाद प्रस्ताव पर जवाब दे देंगे।

श्री जुबेर खान : धन्यवाद का मौका नहीं मिल रहा है ना। अध्यक्ष महोदय, मुझे मौका नहीं मिल रहा।

श्री अध्यक्ष : काहे का स्टेटमेंट?

श्री जुबेर खान : मैंने इसीलिए स्थगन प्रस्ताव लगाया है कि मैं इस पर दो मिनट कुछ कहना चाहता हूं बाकी सरकार के ऊपर है सरकार कुछ रिएक्ट करे या नहीं करे। आप मुझे अलाऊ कीजिए प्लीज।

श्री अध्यक्ष : आपने बाकायदा समाज कल्याण विभाग को दे दिया है। क्या व्यवस्था है, खस्ता हालत है, क्या है क्या नहीं है वह निश्चित तौर से बतायेंगे, क्यों नहीं बतायेंगे।

श्री जुबेर खान : अध्यक्ष महोदय, सदन की जानकारी में तो लावे तभी तो बतायेंगे।

श्री अध्यक्ष : और मैंने क्या किया है, आपका पढ़कर सुनाया ही तो है। यही तो कहा मैंने कि आपको बोलने का मौका मिलेगा। उसके अलावा भी आप उनको लिखकर देंगे तो निश्चित तौर से सुधार करेंगे, क्यों नहीं करेंगे।

मोहम्मद माहिर आजाद : अध्यक्ष महोदय, हमने तीन दिन पहले माननीय भरतसिंहजी और 4-5 सदस्यों ने घना पक्षी विहार में पर्याप्त पानी की व्यवस्था नहीं करने के सम्बन्ध मे नियम 127 में आपको नोटिस दिया था। आपने अपनी व्यवस्था में उसका कहीं कोई जिक्र नहीं किया। आपके सचिवालय ने पता नहीं आपको दिया है या नहीं दिया है। आज तीन दिन हो गये। हमने कल भी इंतजार किया था कि उस पर आप कोई व्यवस्था देंगी लेकिन पता नहीं विधान सभा सचिवालय ने आपके पास पेश किया है कि नहीं किया।

श्री अध्यक्ष : किस बात पर?

मोहम्मद माहिर आजाद : माननीय भरतसिंहजी और हम 8-10 सदस्यों ने आपको नियम 127 में घना पक्षी विहार में..

श्री अध्यक्ष : मैंने सरकार को भेज रखा है। सरकार का जवाब आया नहीं अभी।

मोहम्मद माहिर आजाद : आपने व्यवस्था नहीं दी इसीलिए आपसे निवेदन है कि आपकी क्या व्यवस्था है हमें जानकारी दे दें।

श्री संयम लोढ़ा : अध्यक्ष महोदय, हमारे अधिकारों की आप रक्षा करो। राजनीतिक आधार पर भेदभाव करके 10वीं और 12वीं के स्कूल खोले गये। कांग्रेस के दर्जनों सदस्यों के क्षेत्रों में एक भी स्कूल नहीं खोला गया। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य (व्यवधान)

श्री सांगसिंह भाटी : गलत ढंग से सरकार पर आरोप लगाना माननीय सदस्य, सरासर गलत है। इस भाव से गलत आरोप लगाना गलत है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य क्या आपने फैसला कर लिया है कि रोजाना आपको कुछ न कुछ हंगामा खड़ा करना है, फैसला कर लिया क्या? मैं जवाब दे रही हूं।

श्री संयम लोढ़ा : अध्यक्ष महोदय, हमारे इलाके में स्कूल नहीं खुल रहे हैं। हम तो यह फरियाद कर रहे हैं आपसे।

श्री सांगसिंह भाटी : जहां स्कूल की जरूरत थी वहां पर सरकार ने स्कूलें खोली हैं। (व्यवधान) और आपका जो आरोप है वह सरासर गलत है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आसन आपसे कुछ कहना चाह रहा है।

श्री सांगसिंह भाटी : राज्य सरकार ने स्कूलों का पूरे राजस्थान में जाल फैलाया है। (व्यवधान) और इन्होंने अपने पांच साल के कार्यकाल में क्या किया और असत्य आरोप लगा रहे हैं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अभी 127 नियम का जिक्र किया और उसके बारे में इन्होंने एक नोटिस दिया है। 127 पर कोई व्यवस्था आसन से नहीं दी जाती है। सरकार को भेजा जाता है। मैंने सरकार को भेज रखा है। सरकार का जवाब आने पर उसके बारे में निर्णय लिया जायेगा। लेकिन माननीय सदस्यों को मैं एक और सूचना देना चाहती हूं और याद दिलाना चाहती हूं इस सम्बन्ध में एक बार नहीं अनेक बार अध्यक्षीय व्यवस्था हो चुकी है कि समाचार पत्रों के उद्वरण के आधार पर स्थगन प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता। 1975 में जब श्री निरंजननाथजी आचार्य यहां अध्यक्ष थे उस समय उन्होंने यह व्यवस्था दी थी और यह व्यवस्था एक बार नहीं अनेक बार दी जा चुकी है कि अखबार के आधार पर आप यहां पर कोई भी स्थगन प्रस्ताव नहीं ला सकते।

श्री जुबेर खान : अध्यक्ष महोदय, अखबार के आधार पर नहीं मानवाधिकार आयोग के जो कार्यवाहक अध्यक्ष हैं श्रीमान अमर सिंह गोदारा उन्होंने चिट्ठी लिखी है मंत्री महोदय को उसके आधार पर हमने लगाया है।

श्री अध्यक्ष : मानवाधिकार की बात अखबार में ही तो आई है।

श्री जुबेर खान : अखबार में नहीं चिट्ठी लिखी है। हमारे पास कापी है चिट्ठी की।

श्री अध्यक्ष : कापी लाइए, दिखाइए। मानवाधिकार की कापी लाइए।

श्री जुबेर खान : फोटो कापी छपी हुई है।

श्री अध्यक्ष : सदन के पटल पर रखिए, सदन के पटल पर रखो। नहीं अखबार नहीं माना जायेगा, नो, नो।

श्री जुबेर खान : अखबार में चिट्ठी की फोटो कापी छपी है।

श्री अध्यक्ष : लाओ, रिपोर्ट दो ना।

श्री जुबेर खान : मंत्री महोदय मना कर दे कि 9 फरवरी को इनको चिट्ठी नहीं लिखी है। मंत्री महोदय यहां मौजूद हैं मना कर दे कि 9 फरवरी को इनको चिट्ठी नहीं लिखी है। (व्यवधान) मंत्री महोदय मना कर दे.. (व्यवधान)

श्री ओम बिरला : (व्यवधान) यह जो निरीक्षण की रिपोर्ट है यह इस वर्ष की नहीं है। यह पूर्ववर्ती सरकार के निरीक्षण की रिपोर्ट है। (व्यवधान)

श्री रामप्रताप कासनिया : अध्यक्ष महोदय, अगर यह सदन इसी तरह से चलेगा तो हर घंटे 2-2 लाख रूपये खर्च होता है।

श्री जुबेर खान : अध्यक्ष महोदय, आप प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों को प्रोटेक्ट कीजिए। माननीय मंत्री महोदय कह दे..(व्यवधान)

श्री ओम बिरला : अध्यक्ष महोदय, यह जो रिपोर्ट है यह पूर्ववर्ती सरकार की रिपोर्ट है और पूर्ववर्ती सरकार की रिपोर्ट के आधार पर चर्चा करना चाहते हैं । (व्यवधान)

श्री बाबूलाल नागर : ...(व्यवधान) उनके खाने को खा गये, नाश्ते को खा गये।

श्री सुरेश मीणा : अध्यक्ष महोदय, माननीय समाज कल्याण मंत्री इसके बारे में सदन को बताये कि इतना बड़ा घोटाला राजस्थान में कैसे हो रहा है।

श्री बाबूलाल नागर : ऐसी स्थिति में बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है। (व्यवधान)

श्री रामप्रताप कासनिया : अध्यक्ष महोदय, इस सदन के एक घंटे पर कम से कम 2-3 लाख रूपये खर्च होते हैं। अध्यक्ष महोदय, अगर यह सदन इसी तरह से चलेगा तो जनता के खून पसीने की कमाई खर्च करने की क्या आवश्यकता है। (व्यवधान)

श्री बाबूलाल नागर : अध्यक्ष महोदय, बहुत बुरा हाल हो रहा है। यह लोकमहत्व का मामला है।

श्री रामप्रताप कासनिया : अध्यक्ष महोदय, अगर यह सदन इसी तरह से चलेगा तो व्यर्थ में राज्य सरकार का कितना पैसा खर्च होता है। बिना ही बात के बीच-बीच में हर बात में व्यवधान डालना उचित नहीं है। एक घंटे पर 2-3 लाख रूपये खर्च होते हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं इससे दुखी होकर सदन से वाकआउट करता हूं। विपक्ष के लोग सदन नहीं चलने देते।

(माननीय सदस्य श्री रामप्रताप कासनिया द्वारा बहिर्गमन)

श्री सुरेश मीणा : हम तो सदियों से दुखी हैं हमारी बात तो अभी भी नहीं सुनी जाती है।

श्री जीतमल खांट : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि राजस्थान के अनुसूचित जाति, जनजाति..

श्री अध्यक्ष : किस बात पर कराना चाहते हैं मैंने तो नाम पुकारा है डा. श्रीगोपाल बाहेती का। आप किस बात पर ध्यान आकर्षित कर रहे हैं।

श्री जीतमल खांट : एस.टी., एस.सी. का मामला है। आदिवासी छात्र छात्राओं का भविष्य बड़ा अंधकारमय है। मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : आपने कोई सूचना तो दी ही नहीं यहां पर मुझे। न कोई आपका स्थगन प्रस्ताव है, न कोई पर्ची है।

श्री जीतमल खांट : आज दैनिक भास्कर के मुख्य पृष्ठ पर छपा है इससे बड़ा और क्या होगा। (व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, यह हमारे लोकतंत्र का 5वां स्तम्भ है इसको अगर हम असत्य मान लेंगे तो फिर क्या होगा। फिर इस अखबार का कोई महत्व नहीं रहता है। हमारे मंत्रीजी इस बारे में सारे सदन का बताये कि यह जो हालात है वह क्यों है। (व्यवधान)

श्री सुरेश मीणा : हमें बताये कि मंत्रीजी के पास कितना पैसा आया है उसमें से। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप मुझसे मेरे वेश्म में मिल लीजिए मैं आपको बताऊंगी कि इसको कैसे उठाये।

श्री जीतमल खांट : अध्यक्ष महोदय, इससे बड़ा हमारा और क्या मुद्दा हो सकता है।

श्री अध्यक्ष : मैं बताऊंगी कि इस प्रश्न को आप कैसे उठा सकते है। आप मुझसे चैम्बर में मिल लीजिए। डा. श्रीगोपाल बाहेती।

श्री संयम लोढ़ा : अध्यक्ष महोदय, मैंने स्थगन प्रस्ताव दिया है, माननीय मुख्य मंत्रीजी विराजमान हैं, शिक्षा मंत्रीजी विराजमान हैं। कांग्रेस के दर्जनों विधायकों के क्षेत्र में एक भी 10वीं और 12वीं का स्कूल नहीं खोला। (व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, हमारे अधिकारों की रक्षा करो। (व्यवधान) नहीं खोला एक भी स्कूल।

एक माननीय सदस्य : (व्यवधान) आप हम पर आरोप लगा रहे हो भेदभाव का। (व्यवधान) अपने नीचे तो देखो। (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा : अध्यक्ष महोदय, हमारे बच्चों ने मुख्य मंत्रीजी का क्या बिगाड़ा है? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मैं इस बात को कतई बदार्शत नहीं करूंगी कि, मिस्टर अशोक, स्थान ग्रहण करें। सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य, मैं बहुत विनम्र शब्दों में निवेदन कर रही हूं कि एक बार स्थान ग्रहण कीजिए। मैं इस

(श्री अध्यक्ष)

बात को कतई बदार्शत नहीं करूंगी कि मैं जिसका नाम पुकारूं उसको आप बोलने का मौका नहीं दें। पांच जने खड़े होकर अपनी अपनी बात कहने लग जाए। सदन ऐसे नहीं चलेगा, सदन नियमों से चलेगा। श्रीगोपाल बाहेती। (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही) : हमारे अधिकारों की रक्षा कौन करेगा?

श्री अध्यक्ष : मैं करूंगी । (व्यवधान) यह आसन करेगा, मैं करूंगी? (व्यवधान) आप नियमों में आइये, नियमों में आइये।

श्री संयम लोढ़ा : आप सरकार से पूछिए । (व्यवधान)

श्री जीतमल खांट (बागीडोरा) : पहले भी भेदभाव किया था।

श्री अध्यक्ष : यह सदन नियमों से चलेगा । (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : पिछले समय भी भेदभाव हुआ था।

श्री जुबेर खान (रामगढ़) : यह परम्परा रही है कि जिनका आप स्थगन प्रस्ताव निरस्त करते हैं पहले उनको बोलने का मौका देते हैं और पर्चियों को बाद में बुलवाते है। (व्यवधान)

श्री जीतमल खांट : कांग्रेस की सरकार भेदभाव..(व्यवधान)

श्री जुबेर खान : इसलिए हमारा आपसे निवेदन है कि..(व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा : हमारे बच्चों नें क्या बिगाड़ा है?

श्री धर्मपाल चौधरी (मुण्डावर) : जब कांग्रेस के राज में अशोक गहलोत का राज था तो बी.जे.पी. वालों के कहने से..(व्यवधान) अपने क्षेत्र में जाकर देखिए।

श्री जुबेर खान : स्थगन प्रस्ताव जिनके निरस्त किए हैं पहले उनको बोलने का मौका दीजिए, अध्यक्ष महोदय। (व्यवधान)

श्री धर्मपाल चौधरी : जब आपको मौका था स्कूल खोलने का तब आपने क्या किया था? (व्यवधान)

श्री जुबेर खान : स्थगन प्रस्ताव वालों को बोलने का मौका दें। स्थगन प्रस्ताव वालों को दो मिनिट बुलवाइये पहले। (व्यवधान)

श्री धर्मपाल चौधरी : आपके राज में बी.जे.पी. के क्षेत्र में कितने स्कूल खोले थे याद करो। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : नियमों के विपरीत है (व्यवधान) माननीय सदस्य नियमों का पालन करें।

एक माननीय सदस्य : हमारी वजह से तो आज राज में बैठे हो। (व्यवधान)

श्री महवीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक) : जो अखबार में आई, यह बात सही है कि अखबार के आधार पर नहीं उठाया जा सकता, लेकिन यदि आपकी अनुमति हो तो आप कोई समय निश्चित करें तो इस मामले में सरकार वक्तव्य देने के लिए तैयार है। (व्यवधान) यदि आप कोई समय निश्चित करें अनुसूचित जाति छात्रावासों के मामले में (व्यवधान) कोई समय निश्चित करें तो सरकार वक्तव्य देने के लिए तैयार है। (व्यवधान)

श्रीमती लक्ष्मी बारूपाल (देसूरी) : माननीय अध्यक्ष महोदया, सिरोही से आने वाले सदस्य आरोप लगा रहे हैं, वह गलत है। मेरे पड़ौस में भी खारची विधान सभा क्षेत्र है वहां पर भी इस प्रकार से (व्यवधान) स्कूल क्रमोन्नत किए गए हैं।

श्री अमराराम (धोद) : स्थगन प्रस्ताव पर आपने..(व्यवधान)

श्रीमती लक्ष्मी बारूपाल : क्योंकि वह कांग्रेस के वहां के विधायक हैं फिर भी ..(व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा : मेरे से कोई नाराजगी है क्या आपकी? (व्यवधान)

श्रीमती लक्ष्मी बारूपाल : नहीं है। (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा : आपकी बहन है सिरोही में, आपकी बहन भी सिरोही में है उसके भी बच्चे हैं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : एक समय में एक बोलेगा तो आसन सुन पाएगा। आप पांच-पांच बोलते हैं सुनाई नहीं देता। (व्यवधान)

श्रीमती लक्ष्मी बारूपाल : आपसे मेरी कोई नाराजगी नहीं है। मैं तो आपको बरगलाने की कोशिश कर रही हूं, सच्चाई बता रही हूं। (व्यवधान)

श्री अमराराम धोद : माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने बिजली की रेट और वीसीआर के नाम से जो लूट है उस पर स्थगन प्रस्ताव का, हमारे चार माननीय सदस्यों का जो स्थगन प्रस्ताव था इस पर आपने व्यवस्था दी है कि स्थगन प्रस्ताव को मंजूर करना, क्योंकि मंजूर कोई नहीं हुआ। (व्यवधान) आपने क्या यह निर्देश दिया है कि राजस्थान की सरकार बिजली की रेट बढ़ोत्तरी और वीसीआर के नाम से जो लूट हो रही है उस पर वक्तव्य देने के लिए आपने जो निर्देश दिया है, कब देगी? आज जिस तरह से राजस्थान के किसान पर, आम जनता पर 521 करोड़ रूपये की बिजली की दरों की बढ़ोत्तरी की गई, राजस्थान के बड़े उद्योगपत्तियों का एक नया पैसा राजस्थान की सरकार ने नहीं बढ़ाया है। किसान और आम जनता तबाह हो रही है। किसान अकाल की मार झेल रहा है। भाव की मार झेल रहा है। डीजल की रेट वृद्धि की मार झेल रहा है उन पर 521 करोड़ रूपये सालाना की वृद्धि की गई है। दूसरी तरफ, अनाप-शनाप जिस तरह से एक-एक किसान की 50-50 हजार की वीसीआर भरी जा रही है, आज से पहले उसकी सुनवाई होती थी, कमेटियां होती थी लेकिन इस सरकार ने एक जनवरी से आदेश दे दिया है कि किसी की भी वीसीआर 50 हजार और 60 हजार की भरी जाएगी उसकी कहीं सुनवाई नहीं होगी। अगर 60 हजार रूपये जमा नहीं कराएंगे तो उसका अगले दिन कनेक्शन काट दिया जाएगा, इस तरह से किसान और आम जनता को तबाह करने के लिए जिस तरह से सरकार ने बिजली में यह निर्णय लिया है मैं समझता हूं कि राजस्थान की आम जनता और किसान की खेती तबाह होने का काम है। एक किसान का कनेक्शन जारी किया जाता है 16 तारीख को और 17 तारीख को 60 हजार की वीसीआर भर दी जाती है..(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बजट सैशन यदि अभी सम्भव हुआ तो अभी वरना बजट सैशन के अन्दर निश्चित तौर से सरकार इस सम्बन्ध में अपना वक्तव्य देगी। (व्यवधान) यह तो लागू अप्रैल से होगा, उससे पहले जवाब देगी। (व्यवधान)

श्री अमराराम धोद : अध्यक्ष महोदय, जो वीसीआर से जिसका 60 हजार, एक दिन कनेक्शन नहीं हुआ 7 घंटे की बिजली में 60 हजार रूपये, उसकी तो फसल ही तबाह हो जाएगी। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : सरकार जब वक्तव्य देगी, सारी बात आ जाएगी। (व्यवधान)

श्री अमराराम धोद : रेट के बारे में जवाब बजट सत्र में दे दे मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है। वीसीआर की कहीं सुनवाई नहीं हो रही है। आप अंदाजा कीजिए 60 हजार, 50 हजार की वीसीआर किसान जमा नहीं करायेगा उसका कनेक्शन कटेगा, उसकी खड़ी फसल पूरी की पूरी तबाह होगी। कोई भी किसान (व्यवधान) सदन में बैठे हुए कोई भी माननीय सदस्य यह बात सोच सकते हैं कि पचास हजार..(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : स्थगन प्रस्ताव पर आप बोल तो लिए और स्थगन प्रस्ताव का मतलब क्या होता है। (व्यवधान) दो मिनिट का समय दिया जाता है वह तो आप बोल लिए और क्या कहना चाहते हैं? (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा : हमारे स्कूलों का क्या हुआ? (व्यवधान) हमारे अधिकारों की रक्षा करने के लिए आपसे निवेदन है। राजस्थान सरकार ने 200 उच्च माध्यमिक विद्यालय और 400 उच्च माध्यमिक विद्यालय खोलने का फैसला किया लेकिन दलगत आधार पर हमारे क्षेत्र के बच्चों के साथ वसुन्धरा राजे की सरकार अन्याय कर रही है। (व्यवधान) कांग्रेस के (व्यवधान) विधायकों के क्षेत्र में एक भी माध्यमिक विद्यालय, एक भी उच्च माध्यमिक विद्यालय क्रमोन्नत नहीं किया गया (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बाध्य नहीं करूंगी....(व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : कोई भी माननीय सदस्य सवाल पूछते हैं.. (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा : हमारे अधिकारों की रक्षा..(व्यवधान)

श्री धर्मपाल चौधरी : राजस्थान की सरकार ने बिना किसी भेदभाव के सभी विधान सभा क्षेत्रों में बराबर विद्यालय खोले हैं। (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा : हमारे अधिकारों की आप रक्षा करें....(व्यवधान)

श्री धर्मपाल चौधरी : आपके अधिकारों की रक्षा हो रही है.. (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा : एक भी माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालय क्रमोन्न्त नहीं किए गए। (व्यवधान)

श्री धर्मपाल चौधरी : जैसा आपने किया था, वैसा आपके साथ किया गया।

श्री संयम लोढ़ा : हमारे क्षेत्र के बच्चों के साथ..(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, आप सभी अपना स्थान ग्रहण कर लें। सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य, आप बिराजिए। जो कुछ आपको कहना था, आपने कह दिया। यह तो सभी सरकारों की परम्परा है अपने हिसाब से स्कूल खोलती है। पिछली सरकार भी ऐसा ही करती थी इस सरकार ने भी कर लिया होगा (व्यवधान) पिछली सरकार भी करती थी। करती है सरकारें, थोड़ा भेदभाव करती है सरकारें। (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा : हमें न्याय चाहिए, न्याय के लिए हम धरने पर बैठते हैं।

(माननीय सदस्य द्वारा कूप में धरना)

श्री धर्मपाल चौधरी : जैसा आपने किया था वैसा आपके साथ किया है। अब न्याय चाहिए आपको।

(माननीय सदस्य श्री संयम लोढ़ा द्वारा धरना समाप्त)

श्री जुबेर खान : अध्यक्ष महोदय, मुझे भी बुलवा दीजिए जब इन दोनों को बुलवा दिया। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : नो, नो गलत बात है....(व्यवधान)

श्री धर्मपाल चौधरी : यह नाटकबाजी छोड़ दो, रोज-रोज की नाटकबाजी में कुछ नहीं धरा है। (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : हम वैल में नहीं आएंगे (व्यवधान) यह खेद प्रकट किया था (व्यवधान) यह तय हुआ था कि (व्यवधान) आप सारी परम्पराएं तोड़ रहे हैं। (व्यवधान)

श्री धर्मपाल चौधरी : आपने अपने राज में खोले थे उनको देखो पहले। विधान सभा अध्यक्षजी भी उधर बैठती थी प्रतिपक्ष में, एक साल में ही रोने लग गए। (व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी (शिक्षा मंत्री) : अध्यक्ष महोदया... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : शिक्षा मंत्रीजी बोलने जा रहे हैं।

श्री दुर्गाप्रसाद अग्रवाल (गंगापुर) : अध्यक्ष महोदय, 25 साल पुराना वजीरपुर में मेरा कन्या महाविद्यालय है, माध्यमिक विद्यालय, जिसमें 300 लड़कियां पढ़ती है। 25 साल से स्कूल खुला हुआ है, क्रमोन्नत नहीं किया गया। सबसे बड़े दुख की बात यह है कि सरकार एक तरफ तो यह कह रही है...(व्यवधान)

श्री शंकरसिंह राजपुरोहित (आहोर) : आपने 5 सालों में क्या किया? आपने क्या किया? (व्यवधान)

श्रीमती लक्ष्मी बारूपाल : पिछली बार आपकी सरकार आई आपने क्या किया? (व्यवधान) तब क्यों नहीं खुलाया?

श्री दुर्गाप्रसाद अग्रवाल : 25 साल पुराना कन्या महाविद्यालय.. (व्यवधान)

श्रीमती लक्ष्मी बारूपाल : 25 साल पुराना है तो पिछली सरकार ने क्यों नहीं खोले..(व्यवधान)

श्री दुर्गाप्रसाद अग्रवाल : कन्याओं का स्कूल है।

श्री शंकरसिंह राजपुरोहित : आपने पांच साल में क्या किया उसका जवाब दो पहले। (व्यवधान) हमने तो एक नहीं दस उदाहरण हैं।

श्री दुर्गाप्रसाद अग्रवाल : आपको क्या तकलीफ हो रही है? (व्यवधान)

श्रीमती लक्ष्मी बारूपाल : तकलीफ तो आपको हो रही है, आप सदन नहीं चलने देते। (व्यवधान)

श्री जुबेर खान : सरकारी मुख्य सचेतकजी ने कहा है समाज कल्याण के छात्रावासों के ऊपर सरकार वक्तव्य देने को तैयार है। (व्यवधान)

श्री तगाराम चौधरी (बाड़मेर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य ने यह तय कर रखा है कि कोई भी बोले उसमें यह खड़े होकर बोलें । (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बाड़मेर से आने वाले माननीय सदस्य, आप स्थान ग्रहण कर लें । (व्यवधान)

श्री जुबेर खान : मैं चाहूंगा, सरकार भी तैयार है। महत्वपूर्ण मुद्दा है, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के छात्रावासों से जुड़ा हुआ है। न्यायमूर्ति अमरसिहं गोदाराजी ने क्रमांक 1080 दिनांक 9.2.2005 को माननीय मंत्री महोदय को चिट्ठी लिखी थी इस दयनीय स्थिति के ऊपर। मेरा निवेदन यह है कि जब सरकार तैयार है तो वह दें सरकार इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर अपना वक्तव्य दे दें, जो हमको पूछना होगा पूछ लेंगे। चिन्ता तो इनको भी होना चाहिए न्यायधीश, मानवाधिकार के अध्यक्ष महोदय इनको लिख रहे हैं तो आपसे निवेदन है कि थोड़ा टाइम करा दीजिए। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आसन को क्या आपत्ति है।

श्री जुबेर खान : कहा है, सरकारी मुख्य सचेतक ने कहा है, सरकार तैयार है।

श्री महावीर प्रसाद जैन : आप कोई समय निश्चित कर दें तो वक्तव्य दे दें।

एक माननीय सदस्य : समय मिले तो तैयार हैं। (व्यवधान)

श्री जुबेर खान : तब ठीक है, समय तो करा दीजिए।

श्री महावीर प्रसाद जैन : आपको समय तय करना है, आप समय तय कर दें।

श्री अध्यक्ष : ठीक है, मैं समय तय कर दूंगी।

श्री संयम लोढ़ा : माननीय अध्यक्ष महोदय, शिक्षा मंत्रीजी जवाब दे रहे।

श्री अध्यक्ष : माननीय शिक्षा मंत्रीजी। वैसे तो शिक्षा मंत्रीजी जो कुछ भी खड़े होकर कहना चाहें, कहें।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : नहीं, नहीं, मैंने आप पर छोड़ा है।

श्री अध्यक्ष : लेकिन यह परम्परा बहुत गलत है कि आप लोग इस तरह से किसी भी प्रश्न को खड़े होकर उठा दें और कहें कि मंत्रीजी जवाब दें। यह कोई तरीका नहीं है। इस तरह से सदन नहीं चला करता है। सदन ठीक तरीके से, मैं देख रही हूं, 2-3 दिन से कि आप जिस तरीके से सदन को चलाना चाहते हैं..(व्यवधान) अब आप क्यों बीच में खड़े हो रहे हैं? मैं प्रतिपक्ष और सत्तापक्ष, दोनों ही के माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहती हूं कि वह थोड़ा नियमों का ध्यान रखें। एक साथ खड़े होकर के जोर-जोर से बोलने लग जाते हैं, न तो कुछ सुनाई देता है न काम आगे बढ़ता है। विधायी कार्य और सदन ठीक तरीके से चले, यह जिम्मेदारी सत्तापक्ष की है लेकिन प्रतिपक्ष को भी सहयोग देना चाहिए। हम सब मिलकर के यहां पर जनहित की समस्याओं के समाधान के लिये ही तो आये हैं। इसमें शोर-शराबे से काम थोड़े ही चलता है। अब जिस माननीय सदस्य को अपनी बात कहनी है, वह कहे। निश्चित रूप से उसका कुछ न कुछ समाधान निकलेगा। लेकिन एक साथ खड़े होकर के शोर-शराबा करके केवल अखबार में आने के लिये आप लोग यह बात करें, मैं सोचती हूं कि यह उचित नहीं है।

आप कुछ कहना चाह रहे हैं? अब आप शान्ति से सुनिये।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : अध्यक्ष महोदय, मैं दो बातें ही कहना चाहता हूं। पहली बात तो यह है कि मैंने जो स्कूल खोले, राज्य सरकार का किसी भी माननीय सदस्य के साथ भेदभाव का कोई इरादा नहीं है। मैंने दो-सौ के दो सौ माननीय सदस्यों को पत्र लिखा है कि आपके क्षेत्र में ये-ये काम शिक्षा के हुए हैं, स्कूल खुले हैं, यह खुले हैं। फिर भी सैकण्डरी और सीनियर सैकण्डरी में, अपर प्राइमरी और प्राइमरी में, राजस्थान के दो सौ, विधान सभा क्षेत्रों में एक भी विधान सभा क्षेत्र नहीं है जिसमें मैंने ...(व्यवधान) आप सुन लीजिए, फिर भी, मैंने आपको भी पत्र लिखा है और फिर भी यदि कहीं रह गया है तो हमेशा खुली हैं । (व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी : दो सौ में तो नहीं खुली हैं। (व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी : हां तो खोल देंगे। दो सौ को लिखा है, सबको मैंने पत्र लिखा है, आप सुनें तो सही। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आपके यहां तो खुली हैं, माननीय सदस्य, मण्डावा से आने वाले माननीय सदस्य, आपके यहां तो खुली हैं। (व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी : मैं कह रहा हूं कि प्राइमरी, आप सुन लीजिए पहले, बहस नहीं हो रही है। (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा : आप गोलमाल जवाब देते हैं मंत्रीजी, आपने हमारे एक भी सैकण्डरी या एक भी सीनियर नहीं खोला है। (व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी : खोल देंगे ।

चौधरी विनोद कुमार : मंत्रीजी, हमारे हनुमानगढ़ में भी नहीं खोले हैं। यह निश्चित रूप से भेदभाव हुआ है इसमें।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : जिनके नहीं खुले हैं उनके खोल देंगे, बात खतम हुई।

श्री अध्यक्ष : डाक्टर श्रीगोपाल बाहेती, 295 । (व्यवधान)

श्री अर्जुनसिंह (दानपुर) : एक छोटी सी बात है । (व्यवधान)

श्री ज्ञानचंद पारख : पहले जो हमारे साथ अन्याय हुआ, पहले आप उनकी पूर्ति करवा दें। (व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी : माननीय अध्यक्षजी, शिक्षा मंत्रीजी आपके माध्यम से यह दावा तो कर ही नहीं सकते हैं, हमने भेदभाव नहीं किया। इन्होंने नितान्त भेदभाव किया है, भारी पक्षपात किया है।

श्री अध्यक्ष : आपके यहां तो खोली हैं, आप तो माननीय सदस्य असत्य वाचन कर रहे हैं, आपके यहां तो खोली हैं।

श्री रामनारायण चौधरी : कहां खोली हैं, एक भी नहीं खोली आप बता दीजिए।

श्री भंवरलाल शर्मा : माननीय अध्यक्षजी और शीशरामजी, दोनों के कहने से खोली हैं। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : सरदारशहर से आने वाले माननीय सदस्य, आपके कहने से तो खोली हैं । (व्यवधान)

श्री भंवरलाल शर्मा : हां, खोली हैं, खोली हैं।

श्री रामनारायण चौधरी : मण्डावा क्षेत्र में तो एक भी नहीं खोली है। (व्यवधान) एक भी नहीं खोली है।

श्री अध्यक्ष : मिडिल तो खोली है। मिडिल खोली है।

श्री रामनारायण चौधरी : मैं असत्य बात कभी नहीं करता हूं। (व्यवधान)

श्री रामचन्द्र जारोड़ा : मेड़ता क्षेत्र में भी नहीं खोली है। (व्यवधान)

श्री अर्जुनसिंह (दानपुर) : मेरा एक निवेदन था शिक्षा विभाग के सम्बन्ध में कि जो मिडिल स्कूल हैं पहले से, 10 साल से 5 मिडिल स्कूल मेरे

(श्री अर्जुनसिंह)

विधान सभा क्षेत्र में थे उन्हीं को वापस कमोन्नत कर लिखा गया है तो क्या आप संशोधन की मंशा रखते हैं और उसके लिए भी हमने..(व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी : कर देंगे, संशोधन कर देंगे।

श्री अध्यक्ष : अगले साल कर देंगे।

नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख

पुष्कर को बीसलपुर योजना से पेयजल

डा. श्रीगोपाल बाहेती (पुष्कर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रक्रिया के नियम 295 के तहत पुष्कर में फैली बीमारी के सम्बन्ध में अपनी बात कहना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : नहीं, नहीं, आपका पुष्कर को बीसलपुर योजना से पेयजल उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में है।

डा. श्रीगोपाल बाहेती : जो मैंने लिखकर दिया है, वही पढ़ रहा हूं। जो लिखकर दिया है, वही पढ़ रहा हूं मैं, आपके पास पत्र पड़ा हुआ है, आप देख लें।

श्री अध्यक्ष : आपने यह पुष्कर को बीसलपुर योजना के पेयजल उपलब्ध करवाने के सम्बन्ध में दिया है और यहां फैली बीमारी की बात कर रहे हैं।

डा. श्रीगोपाल बाहेती : जो पढ़ रहा हूं, वह आपको दिया हुआ पढ़ रहा हूं मैं। आप मिला लीजिएगा अक्षर से अक्षर।

श्री अध्यक्ष : ठीक है।

डा. श्रीगोपाल बाहेती : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रक्रिया एवं कार्य संचालन सम्बनधी नियम 295 के तहत आपके माध्यम से सरकार का ध्यान पुष्कर में फैल रहे पीलिया रोग एवं दूषित पेयजल की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। पुष्कर एक अन्तरराष्ट्रीय तीर्थ स्थली एवं पर्यटन केन्द्र है जहां प्रतिवर्ष लाखों

(डा. श्रीगोपाल बाहेती)

पर्यटक एवं श्रद्धालु आते हैं। पेयजल सप्लाई की ओर बार-बार सरकार का ध्यान आकर्षित करने के बाद भी स्थिति यह है कि इतने महत्वपूर्ण आस्था केन्द्र एवं पर्यटन स्थल पर शुद्ध पेयजल सप्लाई सरकार की प्राथमिकता नहीं है। पुष्कर में वर्तमान में दूषित पेयजल सप्लाई की वजह से पीलिया रोग फैल रहा है। इससे स्थानीय नागरिक एवं पर्यटक सहमे हुए हैं। पुष्कर में पर्यटक तो पुष्कर से तेजी से जा रहा है तथा नये पर्यटकों के आने में तेजी से कमी आई है। अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि विधान सभा के गत सत्र में भी मैंने विधान सभा के पटल पर पेयजल समस्या की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करते हुए निवेदन किया था कि पुष्कर को बीसलपुर से जोड़ा जाये ताकि यहां की जनता को शुद्ध व पर्याप्त पेयजल मिल सके। सरकार अजमेर जिले के गांवों को पेयजल हेतु बीसलपुर से जोड़ने की बार-बार घोषणा तो करती है पर अभी भी इस दिशा में कोई कार्य नहीं किया गया। स्थिति यह है कि अगर पेयजल सप्लाई में तत्काल सुधार नहीं किया गया तो पीलिया एक महामारी का रूप ले लेगा तथा अन्तरराष्ट्रीय पर्यटक पुष्कर आने से पहले कई बार सोचेंगे। जिससे पुष्कर की अर्थव्यवस्था पर भी असर पड़ेगा। पुष्कर में फैले पीलिया रोग ने यहां के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र की भी पोल खोल कर रख दी। न तो पर्याप्त चिकित्सा सेवा उपलब्ध और न ही जांच के साधन। ऐसे में अध्यक्ष महोदय, आप स्वयं कल्पना करें कि सरकार कैसे उपलब्धियों का ढोल पीटती है। खैर, मैं इसमें कोई राजनीति नहीं करना चाहकर मेरा निवेदन है कि पुष्कर को अविलम्ब बीसलपुर पेयजल योजना से जोड़ा जाये तथा स्वच्छ पेयजल की पर्याप्त व्यवस्था की जाये। पुष्कर में फैले इस पीलिया रोग को एक अलार्म मानते हुए अजमेर जिले के ग्रामीण क्षेत्रों को शीघ्र ही बीसलपुर योजना से जोड़ा जाये ताकि ग्रामीण जनता को शुद्ध पेयजल उपलब्ध हो सके। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास।

खनन क्षेत्रों में आधारभूत सुविधाओं का विकास

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (जोधपुर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रक्रिया एवं कार्य संचालन सम्बन्धी नियम 295 के अन्तर्गत मैं आपके

(श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास)

माध्यम से माननीय खान मंत्रीजी का ध्यान खनन क्षेत्रों में मूलभूत सुविधाओं की कमी की ओर आकृष्ट करना चाहती हूं। खनन उद्योग राजस्थान की अर्थव्यवस्था का मजूबत आधार है और इस क्षेत्र में प्रतिवर्ष 800 करोड़ रूपये से ज्यादा की राजस्व आय सरकार को होती है। अन्य आय की गणना करें तो यह राशि हजारों करोड़ में जायेगी। राज्य सरकार का यह दायित्व है कि इन क्षेत्रों में मूलभूत सुविधाओं का विकास हो जिससे यह आय और बढ़ सके। राज्य सरकार ने इसके लिए विकास शुल्क के नाम से राशि लेनी प्रारम्भ की। मैंने अपने तारांकित प्रश्न संख्या 2316/खनिज द्वारा जब यह उत्तर मांगा कि किन नियमों के अन्तर्गत यह राशि वसूली की जा रही है तो कोई उत्तर नहीं दिया गया। स्पष्ट है कि ऐसा कोई नियम नहीं है।

परन्तु केवल यही नहीं, बिना किसी नियम के विकास शुल्क के नाम पर राज्य सरकार द्वारा पिछले 5 वर्षों में 135 करोड़ रूपयों से ज्यादा की राशि वसूली गई परन्तु विकास के नाम पर खर्च हुआ केवल 41 लाख रूपये, जैसा कि मेरे तारांकित प्रश्न संख्या 375/खनिज के उत्तर में बताया गया। इस राशि में से भी काफी राशि कार्यालय भवन के निर्माण पर खर्च कर दी गई।

मेरी राज्य सरकार से मांग है कि खान क्षेत्रों में मूलभूत सुविधाओं तथा सड़क निर्माण, पेयजल व्यवस्था, खान क्षेत्रों में अस्पतालों एवं स्कूलों का निर्माण, खनन क्षेत्रों में पर्यावरण सुधार एवं वृक्षारोपण पर प्रतिवर्ष वसूली जाने वाली विकास राशि का कम से कम पचास प्रतिशत खर्च किया जाय और इस वर्ष के बजट में उपरोक्त मद में 100 करोड़ रूपये की राशि का प्रावधान किया जांय। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : श्री नवनीत नीनामा।

गरनावट (घाटोल) के गरीब आदिवासियों को भूमि आबंटन

श्री नवनीत नीनामा (घाटोल) : माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रक्रिया एवं कार्य-संचालन सम्बन्धी नियम 295 के तहत निवेदन है कि गत वर्ष दिनांक 27.11.2004 से 31.12.2005 तक प्रशासन आपके द्वार अभियान ग्राम

(श्री नवनीत नीनामा)

पंचायत हैडक्वाटरों पर शिविर आयोजित किये गये थे। जिसमे ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, समाज कल्याण, जन साधारण जनता पर होने वाली समस्या का समाधान मौके पर निपटारा करने के आदेश थे मगर गांव गरनावट पटवार मण्डल सेनाबासा तहसील घाटोल जिला बांसवाड़ा में श्री धारजी पिता लालू आदिवासी, गाव गरनावट, श्री ईश्वरलाल पिता नवनीत लाल गांव गरनावट के कब्जा काश्त की भूमि अलोटमैंट करने के फार्म ग्राम पंचायत सेनाबासा के शिविर में पेश किये मगर उपखण्ड अधिकारी, घाटोल ने उक्त दोनों किसानों की जमीन हाईवे सड़क पास एक किलोमीटर का बहाना कर अलोटमैंट नहीं किया व किसानों को धारा 91 के तहत नाजायज जुर्माना लग रहा है।

अत : गरीब आदिवासी किसानों को जमीन अलोटमैंट करके जो धारा 91 के तहत जुर्माना लग रहा है उसे मुक्त करवाया जाए। मान्यवर, अभी घाटोल तहसील में फिर से 15.2.2005 से प्रशासन आपके द्वार फिर शुरू हो गया है तो तत्काल ही..(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अब क्या पढ़ रहे हैं, खतम हो गया आपका?

श्री नवनीत नीनामा : हां, तो मान्यवर, कलक्टर महोदय, जिला बांसवाड़ा को सूचना भेजी जाए सरकार की तरफ से कि अभी जो 15 तारीख से फिर से अभियान चल रहा है, वह फिर जो धारा–91 का जुर्माना लगाया जा रहा है और गरीब किसानों को जिनमें यह असंतोष है कि एक तरफ तो बी.पी.एल. कार्ड दिये जा रहे हैं और उसी किसान पर जुर्माना लगाया जा रहा है, तो यह असंतोष है, उसे ठीक करने के लिए मेरा सुझाव है।

श्री अध्यक्ष : ठीक है। श्री रामलाल शर्मा

चौमूं राजकीय महिला महाविद्यालय का भवन निर्माण

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं) : माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रक्रिया एवं कार्य संचालन सम्बन्धी नियम 295 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख प्रस्ताव के माध्यम से मैं सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि चौमूं कस्बे में राजकीय महिला महाविद्यालय विगत 5 वर्षों से राजकीय माहेश्वरी माध्यमिक विद्यालय, चौमूं में संचालित है। वर्तमान समय में इस महाविद्यालय में लगभग 450

(श्री रामलाल शर्मा)

छात्राएं अध्ययनरत हैं। छात्राओं को बैठने की जगह भी नहीं है तथा एक-एक कमरे में अध्ययन के लिए 80-85 छात्राओं को बिठाना पड़ता है। एक साथ इतनी संख्या में बैठने से न तो व्याख्याताओं द्वारा ठीक ढंग से पढ़ाया जा सकता है तथा न ही ठीक ढंग से छात्राओं द्वारा पढ़ा जा सकता है। इसके साथ ही सबसे बड़ी समस्या का सामना परीक्षा के समय करना पड़ता है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा भी परीक्षाएं मार्च माह में आयोजित की जाती हैं तथा विश्वविद्यालय की परीक्षाएं भी इसी माह में आयोजित की जाती हैं दोनों परीक्षाएं एक साथ आयोजित होने के कारण छात्राओं को खुले में परीक्षा देनी पड़ती है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं सरकार से मांग करना चाहता हूं कि जो जमीन महाविद्यालय को आवंटित की गयी है उस जमीन पर भू-माफियों ने कब्जा कर रखा है, उसे कब्जा मुक्त करवायी जाए और अविलम्ब महाविद्यालय की आवंटित भूमि पर महाविद्यालय का भौतिक कब्जा दिलवाकर भवन निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जाए ताकि छात्राओं की इस समस्या का समाधान हो सके।

श्री अध्यक्ष : श्री नन्दलाल पूनिया।

डिगली-राजगढ़ (चूरू) राजकीय कन्या उच्च प्राथमिक विद्यालय में बालकों को भी प्रवेश

श्री नन्दलाल पूनिया (सादुलपुर) : अध्यक्ष महोदय, प्रक्रिया एवं कार्य संचालन सम्बन्धी नियम 295 के तहत राजगढ़ जिला चूरू के राजकीय उच्च माध्यमिक कन्या विद्यालय, डिगली में बालकों को प्रवेश देने के सम्बन्ध में विशेष उल्लेख के जरिए निवेदन है कि पंचायत समिति राजगढ़ जिला चूरू के ग्राम डिगली में बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय है। जिसमें आठवीं कक्षा तक की लड़कियां शिक्षा ग्रहण करती हैं। उक्त ग्राम डिगली में एक प्राथमिक विद्यालय भी है। पांचवीं कक्षा उत्तीर्ण करने के बाद लड़कों को नोरंगपुरा, सुलखनिया आदि गांवों में करीबन पांच-छह किलोमीटर दूर जाकर शिक्षा ग्रहण करनी पड़ती है। छोटे लड़कों के लिए जाना मुश्किल हो जाता है। जबकि ग्राम में ही आठवीं तक का कन्या विद्यालय है। अतः मेरा राज्य सरकार से अनुरोध

(श्री नन्दलाल पूनिया)

है कि या तो कक्षा 6 से 8 तक के लड़कों को कन्या उच्च प्राथमिक विद्यालय में प्रवेश की अनुमति दी जाए या अलग से ग्राम डिगली में उच्च प्राथमिक विद्यालय खोला जाए ताकि छोटे लड़कों को शिक्षा ग्रहण करने के लिए दूर न जाना पड़े। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : श्री मांगीलाल गरासिया।

गोगुन्दा एवं कोटड़ा में एनीकट निर्माण

श्री मांगीलाल गरासिया (गोगुन्दा) : अध्यक्ष महोदय, प्रक्रिया एवं कार्य संचालन सम्बन्धी नियम 295 के तहत गोगुन्दा व कोटड़ा में एनीकट निर्माण के सन्दर्भ में सिंचाई मंत्री का ध्यान आकर्षित करने के लिए विशेष उल्लेख के जरिए निवेदन है कि पंचायत गोगुन्दा व कोटड़ा में विशेष तौर से पानी बहकर जाते रहने से किसानों को एवं पेयजल पानी से भयंकर समस्या बनी हुई है। यदि निम्न स्थानों पर एनीकटों एवं डेम का सर्वे करा कर सिंचाई विभाग द्वारा निर्माण कराया जाए, जिससे लाखों काश्तकारों की खेती की सिंचाई हो सके एवं पानी का लेबल बढ़ सके :-

1. सरिका नाका पिपरना कोहनीधरा, पंचायत-चित्रावास-गोगुन्दा
2. पावाधरा एनीकट पाटिया, गोगुन्दा
3. बावड़ी वाला एनीकट अवाणी, गोगुन्दा
4. कुबरी का नाका नानकी राई एनीकट मालबा का धोरा, कोटड़ा
5. भैसड़ा एनीकट जुड़ा, कोटड़ा
6. सामोली डेम पंचायत-सामोली, कोटड़ा
7. चुआ का बेरा बालरा एनीकट सेमड़, गोगुन्दा
8. उडेश्वर महादेव एनीकट जेमली, गोगुन्दा
9. डाकनिया का नाका एनीकट पालछा गोगरूद, कोटड़ा
10. उआरा का वाला एनीकट-झीलों का कलबाना

(श्री मांगीलाल गरासिया)

उपरोक्त स्थानों पर सिंचाई मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित कर निवेदन है कि एनीकट निश्चित तौर से बनाये जाने की अविलम्ब कार्यवाही कराये। महोदय, कोटड़ा टी.एस.पी. एरिया है एवं गोगुन्दा माडा क्षेत्र है। धन्यवाद।

(12:55 बजे)

(श्री रामनारायण विश्नोई, उपाध्यक्ष, पदासीन)

श्री उपाध्यक्ष : श्री अमराराम धोद, पर्ची के सम्बन्ध में।

पर्ची के माध्यम से उठाये गये मुद्दे

सीकर से लुहारू मार्ग पर टोल टैक्स की वसूली

श्री अमराराम (धोद) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार और हमारे सार्वजनिक निर्माण मंत्रीजी का ध्यान उस ओर दिलाना चाहूंगा कि जहां पर..(व्यवधान)

श्री कनकमल कटारा : आपके पीछे कोई नहीं है।

श्री अमराराम (धोद) : मेरे पीछे राजस्थान की जनता है। आप चिन्ता मत करो, एक बहुत है। व्यर्थ टाइम गंवाने की जरूरत नहीं है, एक बहुत है आपको कहने के लिए। (व्यवधान)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान की सरकार द्वारा जिस तरह से सीकर से लुहारू जो मार्ग है, उसमें बी.ओ.टी. के माध्यम से जिस तरह से जनता को लूटने का काम शुरू किया है कि किसी भी बी.टी.ओ. परियोजना में जब तक परियोजना पूर्ण नहीं हो जाती तब तक टोल टैक्स लेने का कोई प्रोविजन इस बी.ओ.टी. एक्ट में नहीं है। जबकि सीकर से लुहारू 119 किलोमीटर सड़क का रिनोवेशन करने का बी.ओ.टी. में प्रोजैक्ट दिया गया और वह प्रोजैक्ट पूरा होने से पहले टोल टैक्स चालू कर दिया गया और उसमें कितनी बड़ी लूट है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सीकर से सालासर 50 किलोमीटर सड़क

(श्री अमराराम धोद)

रिनोवेश की गयी, उसकी लागत सरकार के विभाग द्वारा आयी है वह डेढ़ करोड़ रूपये और सीकर से लुहारू 119 किलोमीटर है, जिसकी मंत्री महोदय 43 करोड़ रूपये उसकी लागत बता रहे हैं एवं उस प्रोजैक्ट की इनका जो प्रगति प्रतिवेदन है उसमें है 46 करोड़ रूपये। पहला तो मंत्रीजी यह बता दें कि किस नियम के तहत जो प्रोजैक्ट पूरा नहीं हुआ उससे पहले ही टोल टैक्स के माध्यम से जनता की जेब काटने का और लूटने का काम उन्होंने शुरू कर दिया? दूसरा, किस तरह से उसके टोल टैक्स के जो प्राधिकृत हैं, उस कम्पनी ने किस तरह से जनता को बगैर नियम के, उसको पूरा करने से पहले ही उन्होंने टोल टैक्स शुरू कर दिया? यहां पर मंत्री महोदय 43 करोड़ रूपये बता रहे हैं, प्रगति प्रतिवेदन में 46.19 करोड़ रूपये बता रहे हैं। मैं नहीं समझता कि तीन-तीन करोड़ रूपये किस तरह से वसूल किये जा रहे हैं और न केवल यह किया गया है, एक तरफ 50 किलोमीटर वहां सड़क रिनोवेशन के लिए डेढ़ करोड़ रूपये आता है और 119 किलोमीटर के लिए 46.19 करोड़ रूपया रिनोवेशन के नाम पर जनता को लूटने की कोशिश की जा रही है और जिसके लिए पूरी की पूरी, न उनका कोई नियम है, अपनी मनमर्जी से जिस तरह से यह कर रहे हैं उसके खिलाफ पूरे झुंझुनूं और सीकर की जनता में उस टोल टैक्स का विरोध किया। पूरा चक्का जाम किया। मंत्रीजी वहां पर गये और पंचायत चुनावों को देखते हुए एक महीने का उन्होंने टोल टैक्स को लेने के लिए स्थगित कर दिया तो मैं मंत्रीजी से जानना चाहूंगा कि जिस नियम के विरुद्ध, कौन अधिकारी थे, जिन्होंने इस कम्पनी को टोल टैक्स वसूल करने का, प्रोजैक्ट पूरा होने से पहले टोल टैक्स शुरू करने के लिए कौन थे, किन अधिकारियों ने इनको प्राधिकृत किया था और क्या उन अधिकारियों के खिलाफ आपने इस जांच में कार्यवाही की है और जो यह प्रोजैक्ट के आधार पर पूरा करने से पहले यह लेना शुरू किया और दूसरा नियम यह है कि 30-35 किलोमीटर से पहले टोल टैक्स बूथ नहीं हो सकता जबकि झुंझुनू के दोनों ओर 20 किलोमीटर के अन्दर दो टूल बूथ लगाये हुए हैं। और जहां मनमर्जी से किसान से अपने ट्रैक्टर पर कोई टोल टैक्स नहीं लिया जा सकता। यह कम्पनी टोल टैक्स के माध्यम से आम जनता और किसान से जिस तरह से लूट रही है, मैं समझता हूं जो 40 साल से जनता के पैसे से सीकर से लुहारू सड़क बनी हुई है और इसको केवल मात्र रिनोवेशन के नाम पर 46 करोड़

(श्री अमराराम (धोद)

रूपये वसूल करने का जो टोल टैक्स के माध्यम से दिया है, मैं समझता हूं कि राजस्थान की जनता के हित में नहीं है इसलिये सरकार को समय रहते हुए अभी भी पहचान लेना चाहिये वरना रावला और घड़साना की तरह झुंझुनू और सीकर की जनता इस टोल टैक्स की कम्पनी को किसी भी सूरत में लूटने की इजाजत नहीं देगी और संघर्ष होगा। इसलिये समय रहते हुए जो लूटने की छूट इस टोल टैक्स कम्पनी को दी है उसको वापस लें और जिन अधिकारियों ने इस प्रोजेक्ट को पूरा होने से पहले टोल बूथ से टोल टैक्स लेने की आज्ञा जारी की है उनके खिलाफ कार्यवाही करें। यह मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, धोद से आने वाले माननीय सदस्य ने पर्ची के माध्यम से जो प्रकरण सदन में उठाया है उसके बारे में मैं उनको स्पष्टीकरण देना चाहूंगा। उपाध्यक्ष महोदय, पूरे देश के अन्दर सड़क तंत्र में निजी निवेश को आमन्त्रित करने के लिये बी.ओ.टी. योजना चल रही है और इसी को दृष्टिगत रखते हुए राजस्थान रोड डवलपमेंट एक्ट सन 2002 इसी सदन में पारित किया था। आपने यह कहा कि प्रोजैक्ट पूरा हुआ नहीं और इससे पहले उसमें टोल टैक्स वसूली प्रारम्भ कर दी। उपाध्यक्ष महोदय, मैं सदन का ध्यान यह जो राजस्थान रोड डवलपमेंट एक्ट 2002 है इसकी धारा 8 की ओर आकर्षित करना चाहूंगा जिसके अन्दर यह स्पष्ट प्रावधान किया गया था कि कोई भी प्रोजेक्ट जिसमें पूरी लम्बाई का आधा भाग और आधा भाग भी 50 कि.मी. से कम नहीं हो, अगर वह पूरा हो जाता है तो उस पोर्शन का टोल रेट लेने का वह अधिकारी है। मैं निवेदन करना चाहूंगा जिस रोड़ की आपने चर्चा की है। यह स्टेट हाइवे नंबर-8 है, 122 कि.मी. लम्बा है और इसके अन्दर जो लैटर आफ इण्टैण्ट जो एग्रीमेंट हुआ था, जो कम्पनी और सरकार के बीच, वह हुआ था 17.5.2002, उस समय हमारी सरकार नहीं थी। परन्तु उस वक्त 45 करोड़ 50 हजार लाख रूपये का एक एग्रीमेंट हुआ था और उसी एग्रीमेंट के आधार पर इस पूरी रोड को अलग-अलग जगह पर जिस तरह 64 कि.मी. को 7 मीटर चौड़ा करना था, साढ़े 28 कि.मी. को साढ़े 5 मीटर से 7 मीटर करना था और उसी समय यह तय हो गया था कि किस स्थान पर टोल टैक्स गेट लगेंगे और उसकी रेट क्या होगी? यह सारा मामला पूरा पारदर्शी है और यह जो एक्ट

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

बना था उस एक्ट के अन्दर यह प्रस्तावित है कि किस वाहन पर कितना टोल रेट होगा और उसकी बढ़ोतरी कितनी होगी। इसलिये मैं निवेदन करना चाहूंगा कि माननीय सदस्य, इसमें किसी तरह की अनियमितता नहीं हुई। हालांकि इस चीज को लेकर जब आन्दोलन हुए थे तो मैं स्वयं वहां गया और कई छोटे स्टेटेज के अन्दर भी टोल रेट वही थी और बड़े स्टेटेज के अन्दर भी टोल रेट वही थी। सीकर से झुंझुनूं के बीच यह तय हुआ कि जो नवलगढ़ से झुंझुनूं जायेगा उसको भी उतना ही पैसा देना पड़ेगा और जो सीकर से झुंझुनूं जायेगा उसको भी उतना ही पैसा देना पड़ेगा। इस व्यावहारिक कठिनाई को देखते हुए हमने 5.1.2004 को इसकी टोल वसूली स्थगित की है और उसके बाद एक एडिशनल चीफ इंजीनियर के नेतृव में एक मैंने तीन सदस्यीय दल बनाया था। उस दल ने इस चीज का पूरा मूल्यांकन किया है कि इसमें कहां-कहां पर व्यावहारिक तौर पर जो विसंगतियां रह गयीं, उनको कैसे ठीक किया जाये और मैं माननीय सदस्य को आश्वस्त करना चाहूंगा और इनके माध्यम से सदन को भी आश्वस्त करना चाहूंगा कि राजस्थान में बी.ओ.टी. प्रोजेक्ट के अन्दर जो राजस्थान ने अपनी गति बनाई है, चूंकि यह आवश्यकता है, सरकार के स्वयं के इतने संसाधन नहीं हैं। परन्तु इसके अन्दर किसी तरह की कोई अनियमितता आयेगी सरकार उस पर जांच करायेगी और जहां आवश्यकता पड़ेगी वहां कार्यवाही भी करेगी। मैं माननीय सदस्य, आपसे भी व्यक्तिगत तौर पर मिल लूंगा। जहां कुछ भी कमियां हैं, उनको ठीक करेंगे। इसलिये इसमें ऐसी कोई बात नहीं जिसको हम कह सकें किसी तरह की लूट हो रही है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री मदन राठौड़।

पाली-जालौर क्षेत्र में बहने वाली सूकड़ी नदी पर पानी रोकने के सम्बन्ध में

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि पाली जिले और सिरोही जिले के बीच में एक सूकड़ी नदी बहती है। उस सूकड़ी नदी में ज्यों ही पर्वत श्रेणियों से नदी नीचे उतरती है, मैदानी भाग में, वहीं पर दोनों किनारों को जोड़कर एक पांच फीट ऊंची दीवार बना दी गयी और दीवार बनाकर इस नदी का पूरा पानी

(श्री मदन राठौड़)

सिरोही जिले में लिया जा रहा है और सिरोही के जो माननीय विधायक हैं, उनके चहेते किसानों को इसका लाभ पहुंचाया जा रहा है। इस नदी के किनारे कई गांव स्थित हैं, जिसमें पाली जिले के भी गांव भी हैं। जालौर जिले के भी गांव हैं और सिरोही जिले के भी गांव हैं। उन गांवों के किसानों के कुएं सूख चुके हैं और वहां पर हैण्डपम्प भी सारे फेल हो गये हैं। इस प्रकार से नदी का पानी रोककर और व्यक्तिगत लाभ के लिये लिया जाये, निश्चित रूप से इस कंटूर को, जिसको 5 बेवल कंटूर सिस्टम कहते हैं, इन्यूडेशन स्कीम के तहत यह पानी रोका गया है। इस कंटूर सिस्टम को हटाया जाना चाहिये। आज तक की जो स्थिति है कि वहां पर 2000 में जब कंटूर बनाया गया तो वहां पर 2,14,214 क्यूसेक पानी था, लेकिन उसे हमारी नदी में नहीं बहने दिया गया। इसी प्रकार से 2001 में 2,79,747 क्यूसेक पानी था, 2002 में 47,969 क्यूसेक, 2003 में 1,61,005 और 2004 में 7009 क्यूसेक पानी था, लेकिन यह पूरा का पूरा पानी सिरोही जिले में लिया गया। यह पाली जिले के और जालौर जिले के किसानों के साथ अन्याय है।

मैं यह भी कहना चाहूंगा कि नदी के किनारे सिरोही जिले के कुछ गांव हैं वहां पर भी किसान पीडित हैं तो इसी की ओर पुन: छानबीन करवाई जानी चाहिये और वह कंटूर सिस्टम हटवाया जाना चाहिये। ऐसा कतई सम्भव नहीं है कि पहाड़ों से जो पानी निकलता है, अरावली की पर्वत श्रेणियों से जो पानी निकलता है और किसी व्यक्तिगत लाभ के लिये चंद किसानों को दे दिया जाये, यह पूरे जिले के साथ में अन्याय है। वहां पर सारे हैण्डपम्प फेल हो गये। किसान आज भूख से पीडित हैं। उनको पानी लाने के लिये दूर-दूर तक अपने ट्रैक्टर और बैलगाड़ी लेकर पानी लाने के लिये जाना पड़ता है। यह अन्याय है और वहां इसी प्रकार से जवाई बांध से पानी निकलता था पहले। जवाई बांध में जब पर्याप्त पानी होता था तो वहां से पानी छोड़ दिया जाता था लेकिन आज जवाई बांध में जब पर्याप्त पानी नहीं है तो उस पानी को रिजर्व कर दिया गया पीने के लिये। यदि सूकड़ी नदी का पानी भी रोककर सिरोही जिले में दे दिया जायेगा तो पाली जिले के किसानों के साथ में अन्याय है। इस अन्याय को मिटाना चाहिये और नदी में पानी छोड़ा जाना चाहिये। यह मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : श्री केसरदेव बाबर, विधान सभा क्षेत्र लक्ष्मणगढ़ में ओलावृष्टि से हुए नुकसान के सम्बन्ध में।

लक्ष्मणगढ में ओलाविृष्ट से नुकसान

श्री केसरदेव बाबर (लक्ष्मणगढ) : उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने के लिये समय दिया, इसके लिये धन्यवाद। दिनांक 6 फरवरी, 2005 को रात को विधान सभा क्षेत्र लक्ष्मणगढ़ और आसपास के इलाकों में एक भंयकर ओलावृष्टि और तूफान आया और इससे उस इलाके के पेड़ उखड़ गये। वहां की जो फसल थी चाहे सरसों हो, चाहे जौ हो, चाहे गेहूं हो, चना हो, प्याज हो। सब बुरी तरह नष्ट हो गये। ओलावृष्टि इतनी तेज थी कि दूसरे रोज सुबह जब वहां पर कुछ फोटो मैंने मेरी उपस्थिति में उतरवाई थी तो भी वहां ओले पड़े थे और कुछ मवेशी भी वहां मर गये। इसलिये मेरी सरकार से मांग है कि उन किसानों को जितना नुकसान हुआ है उनका सही आंकलन कर उनको उचित मुआवजा, दिलाया जाये। इस इलाके में भी कुछ गांव ऐसे हैं जैसे जसरासर, खातीपुरा, भोजासर, पाटोदा, डोडासरा, अलखपुरा, मंडालिया, हमीरपुरा कुछ गांव धोद विधान सभा के भी हैं जैसे सांबरोदा लाडखानी, सांवरदा पुरोहितान जहां पर प्याज की खेती अधिक होती है और प्याज की एक तरह से मंडी है वहां। प्याज की खेती में बहुत नुकसान हुआ है और प्याज का बीज काफी महंगा आता है। इसलिए एक विशेष टीम गठित करके और जो वास्तविक नुकसान हुआ है उसका आंकलन करके उनको मुआवजा दिलाया जाये। कुछ जो फोटो मेरे पास हैं वह भी मैं सदन की मेज पर रखना चाहूंगा, आप अनुमति दें, धन्यवाद।

श्री अमराराम (धोद) : उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से कहूंगा कि पूरी की पूरी फसल ओलावृष्टि से जो प्यांज की फसल है, पूर्ण रूप से नष्ट हो गयी। सीकर जिले में प्याज सबसे प्रमुख है और मंत्रीजी इस बारे में निश्चित रूप से व्यवस्था करें, क्योंकि यह रबी की फसल में सबसे ज्यादा जो प्याज की फसल है, जो पूर्ण रूप से ओलावृष्टि से नष्ट हुई है। सरकार की तरफ से आज तक उसमें कोई भी सहायता नहीं दी है। कृषि मंत्रीजी बातों में मशगूल हैं किसानों को जहां कहते थे नुकसान का मुआवजा देंगे, मैं समझता हूं आज तक सरकार ने न तो कोई आकलन कराया है और पूरी की पूरी फसल लाखों रूपये की फसल में एक रूपये का भी बीज नहीं बचा है और जो प्याज की फसल थी वह पूरी की पूरी तबाह हो गयी है। इसलिये मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय

(श्री अमराराम)

से चाहूंगा कि वह आकलन कराये और सहायता के लिये सरकार उचित मुआवजा दे।

श्री उपाध्यक्ष : श्री वीरेन्द्र बेनीवाल । अमरारामजी, आप बीच में ही बोलने लग गये। (व्यवधान) कासनियाजी बैठें।

श्री रामप्रताप कासनिया : अध्यक्ष महोदय, यह कोई अकेले सीकर जिले का सवाल नहीं है, पूरे राजस्थान में हनुमानगढ़, गंगानगर, बीकानेर, सीकर और झुंझुनूं सब जगह जहां ओलावृष्टि हुई है उसका जायजा लेकर किसानों को अति शीघ्र मुआवजा दिया जाए। यह मेरा निवेदन है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री वीरेन्द्र बेनीवाल ।

श्री प्रभुलाल सैनी (कृषि मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, सरकार द्वारा गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, नागौर, सीकर, झुंझुनूं और अलवर जिला जिनमें ओलावृष्टि हुई है, उनका आकलन करवा लिया गया है।

गंगानगर जिले की पंचायत समिति पदमपुर के पंचायत माधुवास, नरसिंहपुरा, दपूड़वाली ओलावृष्टि में सरसों की 1335 हैक्टेयर क्षेत्रफल में 60 से 90 प्रतिशत, तारामिरा में 370 हैक्टेयर क्षेत्रफल में 40 से 60 प्रतिशत, चने में 162 हैक्टेयर में 40 से 60 प्रतिशत, जौ में 310 हैक्टेयर में 25 से 40 प्रतिशत और गेहूं में 700 हैक्टेयर में 20 से 50 प्रतिशत चारे में 665 हैक्टेयर में 15 से 55 प्रतिशत नुकसान हुआ है। इसी प्रकार हनुमानगढ़, बीकानेर, नागौर, सीकर जिलों में सब में जो नुकसान हुआ उसका मूल्यांकन करवा लिया गया है। शीघ्र ही इसको आपदा मद से राशि स्वीकृत की जा रही है।

श्री उपाध्यक्ष : धन्यवाद।

श्री अमराराम (धोद) : प्याज और प्याज के बीज का करवाया नहीं आपने, सरसों, चना, जो है...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : प्याज का ज्यादा नुकसान नहीं हुआ होगा इसमें।

श्री अमराराम (धोद) : उपाध्यक्ष महोदय, प्याज में जो बीज है उसका तो शत-प्रतिशत खराब हो गया।

श्री प्रभुलाल सैनी : उपाध्यक्ष महोदय, जैसा आपने चाहा कि प्याज के बारे में सरकार ने क्या आंकलन करवाया, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि प्याज की फसल का 150 हैक्टेयर क्षेत्र में सीकर में 80 प्रतिशत और प्याज की फसल में 600 हैक्टेयर में 50 प्रतिशत ओलावृष्टि की हानि हुई है। इसका भी आंकलन करवा लिया गया।

श्री उपाध्यक्ष : सरकार इसमें बहुत चिंतित है और सक्रिय है।

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल।

लूणकरणसर में भेड़ों की अकाल मौत

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (लूणकरणसर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं तहसील लूणकरणसर के ग्राम बढ़ेरन, मनोरिया, गुसाइना, बालादेसर, जसवंतसर, रामसरा आदि गांवों में भेड़ों की हुई अकाल मौत की ओर माननीय पशुपालन मंत्रीजी का, सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय, गत डेढ़-दो माह पूर्व तहसील लूणकरणसर और न सिर्फ लूणकरणसर बल्कि उसके पास की तहसील सूरतगढ़ और राजलदेसर तहसील में भेड़ों की अकाल मौत का दौर शुरू हो गया। यह इलाका वह इलाका है जो कि पुराने मरूस्थलीय इलाका रहा करता था और यहां पर पशुपालन ही मुख्य व्यवसाय था। गरीब पशुपालक भेड़ों को पाल कर अपनी आजीविका चलाते हैं और यही उनका धन है। अचानक भेड़ों में किसी रोग के संकेत मिलने शुरू हो गये और इसको देखते हुए भेड़पालकों ने प्रशासन को, पशुपालन विभाग को आगाह कराया, सूचना दी लेकिन किसी भी प्रकार की कार्यवाही नहीं होने के कारण उन्होंने अपने पशुधन को बचाने के लिए अपने स्तर पर प्रयास शुरू किये और बाजार से टीके खरीद कर उन भेड़ों को लगाया क्योंकि ऐसा अंदेशा जाहिर किया गया कि भेड़ों में माता रोग का प्रकोप फैल रहा है लेकिन उन टीकों को लगाने से भी उन भेड़ों की मौत का क्रम रूका नहीं बल्कि और बढ़ गया। इससे चिंतित भेड़पालकों ने प्रशासन को पुनः आगाह कराने का

(श्री वीरेन्द्र बेनीवाल)

प्रयास किया लेकिन उसके ऊपर कोई कार्यवाही नहीं हुई। प्रशासनिक स्तर पर टीम जरूर भेजी गयी। टीम ने मौके पर जाकर कुछ भेड़ों का पोस्टमार्टम भी किया। उसकी जो जांच की गयी उसकी क्या स्थिति है, यह आज तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। इसके साथ-साथ बाजार से पशुपालकों द्वारा जो दवा, जो टीके खरीदे गये थे उनके उन्होंने बिल भी पेश किये और जब उन्होंने इसके ऊपर कार्यवाही चाही, उसके साथ बाजार से वह दवा गायब हो गयी।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी से यह निवेदन करना चाहता हूं कि वहां की स्थिति क्या है? हजारों की संख्या में जो भेड़े मरीं जिसके कारण करोड़ों रूपये का पशुपालकों का वह धन नष्ट हुआ जिससे उनका परिवार पलता था, इसकी जिम्मेदारी किस की है? इस बात को स्पष्ट किया जाए।

विभाग के वे अधिकारी जो समय-समय पर यह दावा करते हैं कि भेड़ों का शत-प्रतिशत टीकाकरण किया जाता है, वह दावा ऐसे जब कभी भी हादसे होते हैं तो खोखला साबित होता है, उसकी हकीकत क्या है क्या उन अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्यवाही की जा रही है? क्या उन दवा विक्रेताओं के ख़िलाफ, उन कम्पनियों के खिलाफ कोई कार्यवाही की जा रही है? वास्तव में उन भेड़ों की मौत किस प्रकार किस बीमारी से हुई और सरकार उन गरीब भेड़पालकों को मुआवजे के रूप में किसी प्रकार की राशि उपलब्ध कराने का विचार रखती है? मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहता हूं मंत्री महोदय से। धन्यवाद।

डा. चन्द्रशेखर बैद (तारानगर) : उपाध्यक्ष महोदय, छोटी-सी इन्फोर्मेशन है।

सूचना

विधायकों को कम्प्यूटर

माननीय मुख्य मंत्रीजी ने बड़े उदार होकर हरेक एम.एल.ए. को एक कम्प्यूटर प्रदान करने की स्वीकृति प्रदान की जिसके लिए उन्होंने पचास हजार

(डा. चन्द्रशेखर बैद)

रूपये राजस्थान विधान सभा को प्रदान कर दिये लेकिन उसमें इतनी अड़चनें डाल दी गयी कि आप फलां कम्पनी से कम्प्यूटर खरीदिये, फलां कम्पनी से खरीदिये।

आप से मेरा निवेदन है कि केवल यह मेरे अकेले की नहीं सारे एम.एल.एज. की प्रॉब्लम है जो कि विश्व में मानी गयी कम्पनियां हैं उनका नाम इसमें शामिल नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, यह कोई ऐसा विषय नहीं है।

डा. चन्द्रशेखर बैद : जीरो आवर में ही इस सवाल को मैं उठा सकता हूं। यह सारे एम.एल.एज. से पूछ लें, सबके साथ यह प्रॉब्लम है। किसी के साथ गारंटी नहीं मिल रही और पचास हजार रूपये के लिए हम को दरदर, हमको पता नहीं कैसे-कैसे कम्प्यूटर खरीदने पड़ रहे हैं। हम यह निवेदन करते हैं सारे एम.एल.एज. एकत्र रूप से कि हमको पचास हजार का कम्प्यूटर जो भी मापदंड है उसके आधार पर खरीदने की अनुमति प्रदान की जाए।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, मैं समझ गया आपका, I have got your point.

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, नियमों और प्रक्रियाओं में विधान सभा सचिवालय के बारे में कोई भी सवाल यहां नहीं किया जा सकता।

श्री सी.डी. देवल (रायपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, नियम और प्रक्रिया वही हैं। यह पचास हजार रूपये हैं, क्या हमारे एक विधायक की इतनी क्रेडिबिलिटी नहीं है कि हम पचास हजार का सामान खरीदें जो आपके विधान सभा सचिवालय से परिपत्र जारी होते हैं और हमारी विश्वसनीयता पर यह प्रश्नचिन्ह उठाया जाता है? इसलिए उस परिपत्र को वापस लिया जाए, उपाध्यक्ष महोदय।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, यह ऐसा विषय नहीं है। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि अध्यक्ष महोदय के साथ बैठ कर विपक्ष के नेता इस मामले को आपस में तय कर लें। इसमें कौनसी लम्बी-चौड़ी बात है।

श्री सी.डी. देवल : मुख्य मंत्रीजी ने पचास हजार रूपये दिये और आपके विधान सभा सचिवालय से हमारे परिपत्र आ गये।

श्री उपाध्यक्ष : ठीक है दिये हैं...(व्यवधान)....

श्री सी.डी. देवल : विधायकों को सुविधा दी जाती है रेलवे पास की और आपके यहां से परिपत्र आता है कि इसकी यह पालना की जाए। आखिर या तो यह सुविधाएं विदड्रा कर लो, कोई जरूरी नहीं है कि सुविधाएं दो...

श्री उपाध्यक्ष : आप मत खरीदना।

श्री सी.डी. देवल : लेकिन अगर सुविधाएं देते हो तो विधान सभा सचिवालय के अधिकारियों को कोई अधिकार नहीं है कि हमारे पर पाबंदी लगायी जाए।

श्री उपाध्यक्ष : अंकित नहीं हो।

श्री सी.डी. देवल : xxx

श्री घनश्याम तिवाड़ी : उपाध्यक्ष महोदय, विधान सभा सचिवालय के बारे में यहां चर्चा उचित नहीं है इसलिए इसको एक्सपंज करा देना चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष : अंकित नहीं होगा यह।

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल : उपाध्यक्ष महोदय, मंत्रीजी का जवाब आना बाकी है।

श्री उपाध्यक्ष : हां, ठीक है।

श्री सी.डी. देवल : xxx

श्री उपाध्यक्ष : आप मत लीजिए तो। आपको कह दिया मैंने कि आप अध्यक्ष महोदय के साथ बैठकर के विरोधी पक्ष के नेता और सारे.... (व्यवधान)....

श्री सी.डी. देवल : xxx

श्री उपाध्यक्ष : नहीं तो यह कोई ऐसा मुद्दा नहीं है। (व्यवधान)

श्री सी.डी. देवल : xxx

श्री उपाध्यक्ष : आप कह रहे हो न कि हमारे पर कोई दया की है कि इसमें..(व्यवधान)...

श्री सी.डी. देवल : xxx

श्री उपाध्यक्ष : यह बिना अनुमति के बोल रहे हैं इसलिए एक्सपंज होगा यह।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, इसलिए नहीं, नियमों और प्रक्रियाओं में प्रावधान है कि विधान सभा सचिवालय के बारे में कोई चर्चा सदन में नहीं हो सकती। अगर कोई चर्चा करनी है तो अध्यक्ष महोदय के चैम्बर में जाकर करें, इसलिए एक्सपंज कराओ आप, इसलिए मत कराओ।

डा. बुलाकीदास कल्ला : उपाध्यक्ष महोदय, एक मिनट। एक्सपंज जैसी तो कोई बात नहीं है। न तो इन्होंने कोई विधान सभा सचिवालय पर प्रश्नचिन्ह लगाया। माननीय सदस्यों ने यह बात कही कि कम्प्यूटर की खरीद के लिए कुछ शर्तें लगायी गयी हैं, वह नहीं लगानी चाहिए। इसमें क्या बात है ? कोई विधान सभा सचिवालय पर बात, कोई टिप्पणी नहीं की गयी। इसको एक्सपंज करने की क्या बात है ?

श्री उपाध्यक्ष : यही कहा है इसको एक्सपंज, बिना अनुमति के बोले हैं...(व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला : इसको आपको नोटिस में, नोट लेना चाहिए। माननीय सदस्य सारे राजस्थान की प्रॉब्लम खुद रखें, उनको भी कोई प्रॉब्लम हो रही है, वह प्रॉब्लम नहीं रखें, यह क्या बात हुई। इसलिए आप सीरियसली इसका नोट लें और अध्यक्ष महोदय को इस मामले में बैठ कर, बात करके इस समस्या का समाधान करना चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष : वह तो कह दिया मैंने पर देवल साहब ने बिना परमीशन के कहा है वह एक्सपंज होगा, उन्होंने जो कहा है वो उसमें आ जायेगा।

श्री राजेन्द्र राठौड़, सार्वजनिक निर्माण मंत्री राजस्थान स्टेट रोड डवलपमेंट एण्ड कंस्ट्रक्शन कारपोरेशन लिमिटेड का चतुर्थ वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे सदन की मेज पर रखेंगे।

पर्ची के माध्यम से उठाये गये मुद्दे

लूणकरणसर में भेड़ों की अकाल मौत

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि मंत्रीजी मेरी पर्ची के ऊपर कुछ जवाब देना चाहते थे। बीच में बार-बार व्यवधान उत्पन्न होने के कारण वह रह गये।

श्री उपाध्यक्ष : थोड़ा कह दीजिए, खड़े हो गये।

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल : मंत्रीजी, जवाब दीजिए।

श्री उपाध्यक्ष : शार्ट नोटिस के अन्दर शायद इनके पास तथ्य भी नहीं होंगे, पूरे तथ्य नहीं हैं तो ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है।

श्री प्रभुलाल सैनी (कृषि मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, बीकानेर संभाग में पिछले दिनों भेड़ों में सी पोक्स, भेड़ माता की बीमारी फैली और इसकी सूचना मिलने के तुरन्त बाद पशुपालन विभाग द्वारा त्वरित कार्यवाही करके वहां पर पशु-पालन विभाग की टीमें भिजवाई गयी और वहां पर जो मृतक भेड़ें मिलीं उनके पोस्टमार्टम करवाए गए। उनके विसरा के सैम्पल लिए गए। ब्लड के, यूरिन के सबके सैम्पल लेकर वैटरिनरी कालेज बीकानेर एण्ड हिसार भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान, इज्जतनगर परीक्षण के लिए भिजवाए गए हैं और वहां पर विशेषज्ञों द्वारा जो भी चिकित्सा प्रेस्क्राइब की उससे वहां पर नियंत्रण हो गया है और अधिकृत रूप से 465 भेड़ें मरने के सबूत मिले हैं और अब वहां पर किसी प्रकार की कोई बीमारी नहीं है। पूर्ण रूप से नियंत्रण किया जा चुका है।

सूचना

नगर की ग्राम पंचायत सेमलाकलां के सरपंच की हत्या

मोहम्मद माहिर आजाद : उपाध्यक्ष महोदय, आई एम आन ए पाइंट आफ इन्फार्मेशन। उपाध्यक्ष महोदय, मेरे निर्वाचन क्षेत्र नगर की ग्राम पंचायत सेमला कलां के सरपंच महेन्द्र कुमार जाट की किन्हीं लोगों ने हत्या करके उनके शव को फेंक दिया। मैंने माननीय गृह मंत्रीजी को कल इसकी सूचना भी दे दी थी।

मैं माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से माननीय गृह मंत्रीजी से यह जानना चाहता हूं कि क्या कार्यवाही हुई ? उनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्या आई, मुलजिम पकड़े गये, कोई आइडेन्टिफाई हुए कि नहीं हुए? क्षेत्र की जनता में बहुत आक्रोश व्याप्त है। कल भी वहां आठ घंटे राष्ट्रीय राज मार्ग बंद रहा, बाजार बंद रहे, लोगों में बड़ा आक्रोश है। इसलिए मैं आपके माध्यम से माननीय गृह मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं कि आखिर यह प्रदेश में हत्याएं, बलात्कार और अपराध की घटनाएं रोज बढ़ रही हैं....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, माननीय सदस्य।

मोहम्मद माहिर आजाद : पुलिस प्रशासन निरंकुश हो रहा है। इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही हुई कृपया आप मुझे अवगत कराने का कष्ट करें, माननीय गृह मंत्रीजी।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : कोई विषय ही नहीं है।

मोहम्मद माहिर आजाद : मैं पाइंट आफ इन्फार्मेशन के तहत आपको यह बात कह रहा हूं। कल भी आपको सूचना दे दी थी।

श्री उपाध्यक्ष : इन्फार्मेशन मिल गयी है।

मोहम्मद माहिर आजाद : अगर नहीं पकड़े गये, पुलिस आपकी कोई काम नहीं कर रही है, कोई जानकारी तो मिले। हत्याएं, ऐसे जन प्रतिनिधियों

(मोहम्मद माहिर आजाद)

को कोई भी मार कर पटक जाए और उसका कोई पता नहीं चले और पुलिस कुछ नहीं कर पाए तो इससे ज्यादा और क्या बात होगी?

श्री उपाध्यक्ष : विषय पैण्डिंग है।

मोहम्मद माहिर आजाद : विषय पैण्डिंग नहीं है। मैंने आपके माध्यम से माननीय गृह मंत्रीजी को सूचना दी है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, पुलिस अपना काम कर रही है।

मोहम्मद माहिर आजाद : गृह मंत्रीजी बताएं क्या किया कल से अब तक? 48 घंटे में कोई कार्यवाही नहीं हुई।

श्री उपाध्यक्ष : आज का आज बताना कोई संभव नहीं है माननीय सदस्य आप भी नहीं बता सकते, आज का आज कोई नहीं बता सकता। बता देंगे।

मोहम्मद माहिर आजाद : आज नहीं, उपाध्यक्ष महोदय, कल सूचना दे दी थी।

श्री उपाध्यक्ष : आप मजबूर नहीं कर सकते इस मामले में।

मोहम्मद माहिर आजाद : कल से अब तक कुछ भी नहीं हुआ है।

श्री रामप्रताप कासनिया : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह बाहर की घटनाओं की चर्चा कर रहे हैं। कल मुझे नहीं बोलने दिया गया। मेरा माइक पकड़ लिया, मेरे साथ बड़ी बेरहमी से इन लोगों ने ज्यादती की।

मोहम्मद माहिर आजाद : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन कर रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आपने जो कहना थां कह दिया (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : माननीय उपाध्यक्ष महांदय, मैं आसन के माध्यम से निवेदन कर रहा हूं। अगर कानून व्यवस्था कायम रखनी है....

श्री उपाध्यक्ष : कानून व्यवस्था के लिए आपने कह दिया है।

मोहम्मद माहिर आजाद : गृह मंत्रीजी, क्या पुलिस ने कार्यवाही की, कम से कम जानकारी तो दें उसकी कल से आज तक कोई जानकारी मुझे अकेले को दे सकते थे।

श्री उपाध्यक्ष : आपने अपना पाइंट आफ इन्फार्मेशन रख दिया।

मोहम्मद माहिर आजाद : सदन में इसलिए मुझे उठाने पर मजबूर होना पड़ा कि मैंने कल इनके नोटिस में यह बात ला दी थी।

श्री उपाध्यक्ष : आपने रख दिया पाइंट आफ इन्फार्मेशन। अब कार्यवाही अपने आप होगी। उनकी इच्छा होगी..(व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : अपने आप कार्यवाही होती है क्या? उपाध्यक्ष महोदय, कार्यवाही अपने आप हो रही है क्या? सात प्रतिशत अपराध रेट बढ़ गयी। यह मेरे क्षेत्र में पहली हत्या नहीं है अगर इस तरीके से वहां निरंकुशता रही तो यह तो बढ़ते चले जाएंगे, अपराधियों के हौसले बढ़ रहे हैं इसलिए माननीय गृह मंत्रीजी को कम से कम यह तो जानकारी लेकर बतानी चाहिए थी तो आइडेन्टिफाई मुलजिम हुए या नहीं हुए, उनकी हत्या कैसे हुई है, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट क्या आई है क्या नहीं आई है?

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, वह हर केस में आवश्यक नहीं है। यह प्रैक्टिकेबल भी नहीं है। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : आप इसको नहीं मानते हो आपकी मर्जी की बात है।

श्री गोविन्द राम मेघवाल (नोखा) : पाइंट आफ इन्फार्मेशन।

श्री उपाध्यक्ष : श्री राजेन्द्र राठौड़, सार्वजनिक निर्माण मंत्री, कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 619ए(3).

श्री गोविन्द राम मेघवाल : उपाध्यक्ष महोदय, पाइंट आफ इन्फार्मेशन।

श्री उपाध्यक्ष : आप थोड़ा ठहरिये।

श्री गोविन्दराम मेघवाल : उपाध्यक्ष महोदय, पाइंट आफ इन्फार्मेशन। मैं भी बहुत इम्पॉर्टेंट सूचना देना चाहता हूं। मेरा निवेदन यह है कि..

श्री उपाध्यक्ष : मंत्रीजी को मैंने पुकार लिया है इनके बाद।

श्री गोविन्द राम मेघवाल : पाइन्ट बहुत इम्पॉर्टेंट है मेरा। मैं दो मिनट में अपनी बात कह दूंगा। उपाध्यक्ष महोदय, दो मिनट में, मात्र दो मिनट में कह दूंगा। उपाध्यक्ष महोदय, हम नये आदमी हैं हमारी भी सुनो, एक मिनट में कह दूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : आप एक मिनट के बाद कह देना।

श्री गोविन्दराम मेघवाल : एक मिनट में कह दूंगा। बैठ गये मंत्रीजी, मैं एक मिनट में कह देता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : एक मिनट बाद कह देना आप।

सदन की मेज पर रखे गये पत्र

प्रतिवेदन एवं लेखे

राजस्थान स्टेट रोड डवलपमेंट एण्ड कन्स्ट्रक्शन कारपोरेन लि. का वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे वर्ष 2003-04

श्री उपाध्यक्ष : श्री राजेन्द्र राठौड़, सार्वजनिक निर्माण मंत्री कम्पनी अधिनियम लिमिटेड का चतुर्थ वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे सदन की मेज पर रखेंगे।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 61-ए(3) के अन्तर्गत राजस्थान स्टेट रोड

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

डवलपमेंट एण्ड कंस्ट्रक्शन कारपोरेशन लिमिटेड का चतुर्थ वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे वर्ष 2003-2004 सदन की मेज पर रखता हूं।

भारत के नियंत्रक महा लेखा परीक्षक के वित्त एवं विनियोग लेखे वर्ष 2003-04

श्री उपाध्यक्ष : श्री वीरेन्द्र मीणा, वित्त राज्य मंत्री भारत के नियंत्रक महा लेखा परीक्षक के वित्त एवं विनियोग लेखे वर्ष 2003-2004 सदन की मेज पर रखेंगे।

श्री वीरेन्द्र मीणा (वित्त राज्य मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं भारत के नियंत्रक महा लेखा परीक्षक के वित्त एवं विनियोग लेखे वर्ष 2003-2004 सदन की मेज पर रखता हूं।

समिति का प्रतिवेदन

प्राक्कलन समिति "क" (क्र.सं. 6 से 10)

श्री उपाध्यक्ष : श्री कालीचरण सर्राफ, सभापति, प्राक्कलन समिति "क" 2004-2005 समिति के पांच प्रतिवेदनों का उपस्थपान करेंगे।

श्री कालीचरण सर्राफ : उपाध्यक्ष महोदय, मैं कार्य सूची में किये गये उल्लेख के अनुसार प्राक्कलन समिति "क" 2004-2005 के निम्न प्रतिवेदन उपस्थापित करता हूं:-

(1) प्राक्कलन समिति "क", 2003-2004 के 35वें प्रतिवेदन में समाविष्ट पर्यटन कला एवं संस्कृति विभाग से सम्बन्धित सिफारिशों पर शासन द्वारा की गई कार्यवाही विषयक समिति का छठा प्रतिवेदन।

(2) प्राक्कलन समिति "क", 2003-2004 के 34वें प्रतिवेदन में समाविष्ट ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग से सम्बन्धित सिफारिशों पर शासन द्वारा की गई कार्यवाही विषयक समिति का सातवां प्रतिवेदन।

(श्री कालीचरण सर्राफ)

(3) प्राक्कलन समिति "क", 2003-2004 के 24वें प्रतिवेदन में समाविष्ट वन विभाग से सम्बन्धित सिफारिशों पर शासन द्वारा की गई कार्यवाही विषयक समिति का आठवां प्रतिवेदन।

(4) प्राक्कलन समिति "क", 2003-2004 के 23वें प्रतिवेदन में समाविष्ट शिक्षा (उच्च शिक्षा) विभाग से सम्बन्धित सिफारिशों पर शासन द्वारा की गई कार्यवाही विषयक समिति का नवां प्रतिवेदन।

(5) प्राक्कलन समिति "क", 2003-2004 के 33वें प्रतिवेदन में समाविष्ट खनिज एवं भूगर्भ विभाग से सम्बन्धित सिफारिशों पर शासन द्वारा की गई कार्यवाही विषयक समिति का 10वां प्रतिवेदन।

जन लेखा समिति (क्र.सं. 82 से 93)

श्री उपाध्यक्ष : डा. बुलाकीदास कल्ला, सभापति, जन लेखा समिति 2004-2005 समिति के 12 प्रतिवेदनों का उपस्थापन करेंगे।

डा. बुलाकीदास कल्ला : उपाध्यक्ष महोदय, मैं कार्य सूची में किये गये उल्लेख के अनुसार जन लेखा समिति 2004-2005 के निम्न प्रतिवेदन उपस्थापित करता हूं:-

(1) जन लेखा समिति, 2002-2003 के 188वें प्रतिवेदन (11वीं विधान सभा) में समाविष्ट सिफारिशों की परिपालना हेतु शासन द्वारा की गयी कार्यवाही पर क्रियान्विति विषयक समिति का 82वां प्रतिवेदन।

(2) जन लेखा समिति, 1997-98 के 97वें प्रतिवेदन (दसवीं विधान सभा) में समाविष्ट सिफारिशों की परिकल्पना हेतु शासन द्वारा की गई कार्यवाही पर क्रियान्विति विषयक समिति का 83वां प्रतिवेदन।

(3) जन लेखा समिति 2001-2002 के 105वें प्रतिवेदन (11वीं विधान सभा) में समाविष्ट सिफारिशों की परिपालना हेतु शासन द्वारा की गई कार्यवाही पर क्रियान्विति विषयक समिति का 84वां प्रतिवेदन।

(4) जन लेखा समिति, 2001-2002 के 129वें प्रतिवेदन (11वीं विधान सभा) में समाविष्ट सिफारिशों की परिपालना हेतु शासन द्वारा की गई कार्यावाही पर क्रियान्विति विषयक समिति का 85वां प्रतिवेदन।

(5) जन लेखा समिति, 2002-2003 के 159वें प्रतिवेदन (11वीं विधान सभा) में समाविष्ट सिफारिशों की परिपालना हेतु शासन द्वारा की गई कार्यवाही पर क्रियान्विति विषयक समिति का 86वां प्रतिवेदन।

(6) भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन (सिविल) वर्ष 2000-2001 के अनुच्छेद संख्या-4.6 (गजनेर लिफ्ट) में समाविष्ट इंदिरा गांधी नहर विभाग से सम्बन्धित मामलों पर समिति का 87वां प्रतिवेदन।

(7) भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन (राजस्व प्राप्तियां) वर्ष 2001-2002 में समाविष्ट वाणिज्यिक कर विभाग से सम्बन्धित मामलों पर समिति का 88वां प्रतिवेदन।

(8) भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन (राजस्व प्राप्तियां) वर्ष 2000-2001 में समाविष्ट भू-राजस्व विभाग से सम्बन्धित मामलों पर समिति का 89वां प्रतिवेदन।

(9) भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन (राजस्व प्राप्तियां वर्ष 2001-2002 में समाविष्ट भू-राजस्व विभाग से सम्बन्धित मामलों पर समिति का 90वां प्रतिवेदन।

(10) जन लेखा समिति, 2001-2002 (11वीं विधान सभा) के 102वें प्रतिवेदन में परिवहन विभाग से सम्बन्धित सिफारिशों पर शासन द्वारा की गई कार्यवाही पर क्रियान्विति विषयक समिति का 91वां प्रतिवेदन।

(11) जन लेखा समिति, 2003-2004 के 211वें प्रतिवेदन (11वीं विधान सभा) में समाविष्ट सिफारिशों की परिपालना हेतु शासन द्वारा की गई कार्यवाही पर क्रियान्विति विषयक समिति का 92वां प्रतिवेदन।

(12) भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन (सिविल) वर्ष 2001-2002 के पैरा संख्या 3.2 में समाविष्ट शिक्षा विभाग तथा वर्ष 2001-2002 के पैरा संख्या 3.10 में समाविष्ट प्राथमिक शिक्षा, भू-जल एवं वन विभाग से सम्बन्धित मामलों पर समिति का 93वां प्रतिवेदन।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य।

सूचना

नगरपालिका, नोखा में घोटाला

श्री गोविन्दराम मेघवाल : उपाध्यक्ष महोदय, मैं पाइन्ट आफ इन्फार्मेशन के माध्यम से सदन से आग्रह करना चाहता हूं, कि नोखा नगरपालिका में करीब दस करोड़ के वहां के नगरपालिका चेयरमैन हनुमान पींचा और रामेश्वर डूडी जिला प्रमुख के द्वारा वहां भयंकर घोटाला किया गया है। उसकी जांच वहां के एस.डी.एम. ने की है। जांच कम्पलीट हो चुकी है। जांच जयपुर में आ चुकी है। मैं आपके माध्यम से स्वायत्त मंत्रीजी को कहना चाहता हूं वहां के रामेश्वर डूडी और हनुमान पींचा ने दोनों ने जो जांच अधिकारी वहां का एस.डी.एम. है जो अनुसूचित जाति का है उसको एक जगह पर बैठकर कहा कि तेरा हम जीना हराम कर देंगे अगर इस जांच के अन्दर गडबड की तो।

मैं आपके माध्यम से मैसेज देना चाहता हूं कि उस कार्यवाही की जो अवैध खनन में वह फंस चुके हैं उसमें वह निष्पक्ष जांच करे और तुरन्त मंगवाकर के हनुमान पींचा को सस्पैंड किया जाए। मैं यह आपसे आग्रह करना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री घनश्याम तिवाड़ी, प्रभारी मंत्री....

श्री गोविन्द राम मेघवाल : यह प्रमुख नहीं, पहले भी इनकी चौकड़ी बनी हुई है, वह पूर्व सांसद भी हैं माननीय सदस्य। यह नहीं है कि उनको कोई लूटने की छूट दे देंगे हम लोग। आप एक तरफ अनुसूचित जाति की हिमायत करते हो और दूसरी तरफ अनुसूचित जाति के अफसरों को धमकाने का काम करते हो (व्यवधान) उनके खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाएगी (व्यवधान)

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल : माननीय सदस्य ने प्रमुख का हवाला दिया है इसलिए मैंने निवेदन किया है।

श्री गोविन्दराम मेघवाल : मैं यह कह रहा हूं प्रमुख से पहले वह पूर्व सांसद भी हैं और कांग्रेस के नेता भी हैं। उनको यह छूट नहीं है कि पूर्व सांसद के रूप में जाकर के अनुसूचित जाति के जाच अधिकारियों को धमकाने का काम करें।

श्री हरिमोहन शर्मा : यह छूट तो भारतीय जनता पार्टी के मंत्रियों को ही है।

मोहम्मद माहिर आजाद : क्या बात करते हैं यहां?

श्री गोविन्दराम मेघवाल : यह कल मुद्दे उठा रहे थे ना दलितों की हिमायती के, माहिर आजादजी, धमकाने की जरूरत नहीं है।

मोहम्म्द माहिर आजाद : आप बताओ कितने जीते थे बी.जे.पी. के, कितने वोट आए (व्यवधान)

श्री गोविन्द राम मेघवाल : कौन जीतने हारने की बात कर रहे हो आप (व्यवधान) मैं जो पूछ रहा हूं आप उसका उत्तर दीजिए (व्यवधान) मैं कह रहा हूं आप उत्तर दीजिए उस बात का। बार बार आंखें निकालने की धमकाने की जरूरत नहीं है। +++ (व्यवधान) +++ किसको धमका रहे हो।.+++किस को धमका रहे हो माइक के माध्यम से (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : माहिर आजादजी, दम है क्या?

मोहम्मद माहिर आजाद : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, रिकार्ड पर है जितने सदस्य जीते (व्यवधान) उससे ज्यादा वोट आए। इन्होंने अपने वोट उनको बेचे हैं। (व्यवधान)

श्री गोविन्दराम मेघवाल : उपाध्यक्ष महोदय, इन्होंने अधिकारी (व्यवधान) को धमकाने का काम किया है (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : प्रधान की सौदेबाजी पटी नहीं इसलिए आप शिकायत कर रहे हैं (व्यवधान) सौदेबाजी फेल हो गयी आपकी।

श्री गोविन्दराम मेघवाल : हम विधान सभा से इस्तीफा देंगे। (व्यवधान) या फिर ये देंगे हमने वोट दिए हैं तो (व्यवधान) माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक दलित अधिकारी को धमकाने का काम किया जा रहा है (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, माननीय सदस्य । (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : 353 और 356 यह कौनसी भाषा आ गयी, यह कौनसी भाषा आ गयी? (व्यवधान) इसको एक्सपंज किया जाए।

श्री गोविन्दराम मेघवाल : आपकी कौनसी भाषा है मर्जी आए जब खड़े हो जाते हो।+++ हमारे तो सारे चोर और आपके साहूकार...

आपने पचास साल में इस देश को लूटकर खाया है। पचास साल में देश को कांग्रेस ने लूटकर, डराकर रखा है। साहूकार बने घूम रहे हैं..(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, कोई इश्यू ही नहीं है...(व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपसे निवेदन करना चाहता हूं जिस प्रकार से यह सदन चल रहा है इससे तो स्थगित करके सबको घर भेज दो आप....(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : मैं आपको अलाउ नहीं करूंगा.....(व्यवधान)

श्री गोविन्दराम मेघवाल : कर दीजिये। कल आपने दो घंटे तक हमें बोलने नहीं दिया, आपने घर बना रखा है। हमारे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं .... (व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा : न तो कोई नियंत्रण है। मर्जी आये जो बोल सकते हैं...

श्री सुरेन्द्र सिंह राठौड़ : आप आरोप नहीं लगा सकते। केवल आप आरोप लगाना जानते हैं...(व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा : गरिमा तो बनाये रखो आप। आप गरिमा ही बनाये रखें इस सदन की..(व्यवधान) आप क्यों बोल रहे हो? क्या बोलोगे आप...(व्यवधान) क्या बोले वह। किस प्रकार की भाषा का उपयोग किया। फिर आप बोल रहे हैं...(व्यवधान)

श्री गोविन्दराम मेघवाल : ऐसे तो सदन को चलने नहीं दे, घर का राज बना रखा है क्या...(व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र सिंह राठौड़ : सारा का सारा ठेका आपने ले लिया। कोई भी बात हो बीच में बोलने खड़े हो जाते हैं ...। (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन (सरकारी मुख्य सचेतक) : यह पहले तो अनुसूचित जाति के विधायक को और फिर आसन को धमका रहे हैं। यह इस सदन का विशेषाधिकार है....(व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा : यह बेकार की मत करो, माननीय महावीरजी ।

श्री महावीर प्रसाद जैन : आपको ध्यान रखना चाहिये, सदन नियमों और परम्पराओं से चलता है। (व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा : माननीय महावीरजी बुजुर्ग आदमी हो, सदन की परम्परा का ध्यान रखो और इधर से कोई गलत बोले तो उनको रोके। आप शह मत दो उनको...(व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : मैं कहां से बुजुर्ग हो गया..(व्यवधान)

श्री गोविन्दराम मेघवाल : परम्पराओं का आप भी ध्यान रखो। परम्पराओं का आप भी ध्यान रखना...(व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र सिंह राठौड़ : दो-दो घण्टे तक सदन को नहीं चलने दे रहे हैं, हमें सिखाने आये हैं कानूनबाजी...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय राठौड़ साहब, बैठिये आप। (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र सिंह राठौड़ : दो-दो घण्टे तक सदन को नहीं चलने दे रहे और कानून की बात कर रहे हैं...(व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा : पाठ नहीं सिखा रहा हूं और आपको क्या पाठ सिखाऊंगा आप तो सीखे सिखाये हो। आप जिस भाषा का उपयोग करते हो वह तो सरकार जानती है मैं क्या पाठ सिखाऊंगा आपको।

श्री गोविन्द राम मेघवाल : आप भी कौनसी भाषा का यूज करते हो सरकार जानती है..(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय राठौड़ साहब...(व्यवधान) माननीय सदस्य.. (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा : आप तो इस सरकार को निपटाते रहो, अच्छा काम कर रहो आप तो बहुत बढ़िया...(व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र सिंह राठौड़ : मैं जो कर रहा हूं वह ठीक कर रहा हूं। आपको चिन्ता करने की जरूरत नहीं है लेकिन यह जो कह रहे हैं...(व्यवधान)

श्री अशोक नागपाल : आप अपनी चिन्ता करो, हमारी चिन्ता मत करो...

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप काहे के लिये उत्तेजित हो रहे हो..

श्री गोविन्द राम मेघवाल : हम जो करेंगे, आपको पूछकर नहीं करेंगे। दो घण्टे तो सदन को नहीं चलने देते और हमें कानून सिखा रहे हैं... (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : कोई भी मामला हो और यह सज्जन खड़े हो जाते हैं..

श्री उपाध्यक्ष : श्री घनश्याम तिवाड़ी, प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयक, 2005 को पुरःस्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाये..(व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र सिंह राठौड : यह क्या हुआ कोई व्यवस्था नहीं आयी आपके पाइंट आफ इनफोर्मेशन पर...(व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला (नेता, प्रतिपक्ष) : आप तो खुद कह रहे थे। आपने क्या कहा था लाठी और गोली के अलावा इस सरकार ने क्या दिया। आप अपने वचनों से बदलते क्यों हो। आपने क्या कहा तब..(व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र सिंह राठौड़ : कौन बदला है वचनों से...

डा. बुलाकीदास कल्ला : तो बोलो कि लाठी और गोली की सरकार है। आपने कहा था लाठी और गोली के अलावा आपने एक वर्ष में क्या दिया है... (व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी : अच्छा सुनो। बिराजो। महामहिम बिराजिये.. (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र सिंह राठौर : किसने कहा है? जो कहा है उस पर कायम हूं..

डा. बुलाकीदास कल्ला : आपने कहा है। अब बताओ...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अपने नेता पर पूरी आस्था है इनकी। आपकी भड़काऊ बात पर आने वाले नहीं हैं। अपने दम पर जीतकर आये हैं....

श्री संयम लोढ़ा : नेता का नाम बताओ। नेता का नाम क्या है। नाम बताओ। आपके नेता का नाम बताओ...(व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र सिंह राठौर : आप देवी सिंह भाटी..(व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा : आप खुद ही नेता हैं..(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य । माननीय सदस्य..(व्यवधान)

विधायी कार्य : विधेयक का पुर:स्थापन

राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयक, 2005

श्री घनश्याम तिवाड़ी (शिक्षा मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयक, 2005 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा के लिये प्रस्ताव करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयक, 2005 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

विधेयक को पुरःस्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गयी।

प्रभारी मंत्री विधेयक को पुरःस्थापित भी करेंगे।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयक, 2005 को पुरःस्थापित करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रक्रिया के नियम 63(1) के अन्तर्गत राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय अध्यादेश, 2004 (2004 का अध्यादेश संख्या 9) को जारी करने के कारणों का विवरण भी सदन की मेज पर रखता हूं।

शासकीय वक्तव्य

घड़साना, रावला एवं खाजूवाला के किसानों पर गोली एवं लाठी चार्ज

श्री उपाध्यक्ष : श्री गुलाब चन्द कटारिया, गृह मंत्री घड़साना, रावला एवं खाजूवाला के किसानों पर लाठीचार्ज एवं गोली चलाये जाने के सम्बन्ध में एक वक्तव्य देंगे।

मोहम्मद माहिर आजाद : माननीय उपाध्यक्ष महोदय..

श्री उपाध्यक्ष : बीच में नहीं माहिर साहब। बीच में नहीं। मैं अलाऊ नहीं करूंगा।

मोहम्मद माहिर आजाद : मेरा एक निवेदन है कि रावला और घड़साना के आन्दोलन पर तीन मंत्रियों की टीम वहां गयी थी। पहले सिंचाई मंत्रीजी, किसानों की समस्या क्या थी...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : बीच में नहीं। पहले वक्तव्य देने दीजिये। बीच में आप क्यों बोल रहे हैं...(व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : पी.डब्ल्यू.डी. मंत्रीजी, गृह मंत्रीजी की तो बाद में बारी आयी जब गोली चली। इसलिये पहले वह दो मंत्रियों के बयान दिला दें कटारियाजी से पहले। सिंचाई मंत्री और सार्वजनिक निर्माण मंत्री का बयान होना चाहिये...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : बीच में नहीं। माननीय सदस्य, आप वक्तव्य नहीं लेना चाहते हैं? आप वक्तव्य नहीं सुनना चाहते हैं क्या..

मोहम्मद माहिर आजाद : सुनेंगे। हम वक्तव्य सुनेंगे लेकिन पहले किसानों की समस्या पानी के लिये थी। सिंचाई मंत्री बताएं की समस्या क्या थी। यह तो बाद की बात है लाठी गोली वाली तो...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : तो फिर बीच में क्यों। बैठिये आप। आप बीच में नहीं बोलिये..(व्यवधान) पहले आपका गलत है कहना। नियमों से ही सदन चलेगा.. (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : मेरा निवेदन एक मिनट सुन लें...(व्यवधान)

श्री ओ.पी. महेन्द्रा : आपके द्वारा किया गया पाप है। आप लोगों ने जो पाप किया इतने लम्बे समय से वह सामने आया है...(व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : सरकार से यह निवेदन करना चाहता हूं। पानी की समस्या थी, सिंचाई मंत्रीजी वहां गये, सार्वजनिक निर्माण मंत्रीजी गये, इनको क्या परिस्थितियां थी, क्या समस्या थी, पहले यह बयान दें। गृह मंत्रीजी ने गोली बाद में चलायी। अब आप...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आपको उनसे क्या मतलब । पहले आप अपना... (व्यवधान)

श्री ओ.पी. महेन्द्रा : रावला, घड़साना की घटना कांग्रेस का किया गया पाप है। आपने जो पाप किया, आपने जो किसानों के साथ भेदभाव किया उसी का परिणाम थी। रावला, घड़साना की घटनाओं का यहां जिक्र किया जा रहा है, तथ्य किसी को मालूम नहीं है..(व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : इसलिये गृह मंत्रीजी बयान दें उससे पहले क्या समस्या थी सिंचाई मंत्रीजी यह बताएं...(व्यवधान)

श्री रामप्रताप कासनिया : उपाध्यक्ष महोदय, सरकार वक्तव्य दे रही है.. (व्यवधान) वक्तव्य मत बढ़ाओ, वक्तव्य सरकार दे रही है...(व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : कि आखिर घड़साना, खाजूवाला, सूरतगढ़ और गंगानगर के किसानों की दिक्कत क्या थी। कितना पानी चाहते थे।

(मोहम्मद माहिर आजाद)

कितना पानी मिल रहा था, क्या परिस्थिति थी। यह दो मंत्री पहले वहां गये.. (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : कोई रेलेवेंसी नहीं रही...(व्यवधान) बीच में कोई रेलेवेंसी नहीं

श्री ओ.पी. महेन्द्रा : क्या दिक्कत थी वह सब आपकी देन है। राबला, घड़साना, खाजूवाला की दिक्कत सब आपकी देन है। कांग्रेस की देन है। 1978 में सी.सी.ए. आपने बढ़ाया। 23 क्यूसेक्स से साढ़े तीन मोगे का डिजाइन आपने किया...(व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : गृह मंत्रीजी गोली कांड की बाद में आनी चाहिये..

श्री गोविन्द राम मेघवाल : यह कौनसे कानून के तहत खड़े हो जाते हैं...(व्यवधान) नहीं बैठेंगे हम भी। क्या हम बोलना नहीं जानते हैं। एक-एक मिनट में खड़े हो जाते हैं...

श्री संयम लोढ़ा : हां-हां खड़े रहो..

श्री गोविन्द राम मेघवाल : हां बिलकुल खड़े रहेंगे। क्या सारी पावर इनको दे दी माहिर आजाद साहब को..

श्री संयम लोढ़ा : सब खड़े हो जाओ..

श्री गोविन्द राम मेघवाल : एक-एक मिनट में खड़े हो जाते हैं। सदन का सत्यानाश कर रहे हैं.

श्री संयम लोढ़ा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सदन को, आज राजस्थान की जनता को पहले इस बात की जानकारी मिलनी चाहिए कि समस्या उत्पन्न कहां से हुई। इसलिये पहले सिंचाई मंत्री का वक्तव्य आना चाहिये। सिंचाई विभाग के अधिशासी अभियंता ने सरकार को क्या सूचित किया..

श्री गोविन्द राम मेघवाल : हम लोग नहीं जानते। क्या यही लोग जानते हैं दो ही आदमी...(व्यवधान) उपाध्यक्ष महोदय, इनसे पूछा जाए

(श्री गोविन्दराम मेघवाल)
कौनसी धारा, कौनसे रूल के तहत बोल रहे हैं। एक-एक मिनट में खड़े हो गये..

श्री संयम लोढ़ा : उपाध्यक्ष महोदय, गोली चलाने वाले का वक्तव्य नहीं, पहले सिंचाई मंत्री का वक्तव्य आना चाहिये। समस्या उत्पन्न कहां से हुई, यह बात पहले आनी चाहिये। मेरे पास एक्स.ईएन. की चिट्ठी आयी है। पहले यह बात आनी चाहिये..(व्यवधान) पहले सिंचाई मंत्री का वक्तव्य आना चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप बीच में कोई नहीं बोल सकते...(व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : हमारा आपसे करबद्ध निवेदन है कि प्राब्लम थी क्या, प्राब्लम पैदा क्यों हुई किसानों की। गोली की नौबत क्यों आयी...(व्यवधान)

श्री धर्मेन्द्र कुमार मोची : यह प्राब्लम आपने पैदा की। यह आपकी देन है। आपकी सरकार की देन थी यह कांग्रेस की..(व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद) : सांवर लालजी बोल रहे हैं...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : मैं अलाउ नहीं कर रहा हूं चाहे सिंचाई मंत्री हों..(व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद) : सिंचाई मंत्री रिप्लाई कर रहे हैं तो दिक्कत क्या है..

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, मेरी बात सुन लीजिये। माननीय सदस्य, यह परम्परा नहीं डालें। आपको ऐसी परम्परा हम नहीं डालने देंगे। ऐसी परम्परा नहीं डालने देंगे। वह सुझाव देगा तो यह करेंगे, वह करेंगे। यह अलाऊ नहीं करेंगे। माननीय मंत्री महोदय..(व्यवधान) पहले बैठिये आप...

श्री सांवर लाल : कोई भी मंत्री दे देगा।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन यह कर रहा था कल पूरा प्रतिपक्ष आंदोलित था..(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्री महोदय, एक सैकिंड। माननीय सदस्यगण, वक्तव्य देने के लिये मंत्री महोदय कल इतनी बात होने के बाद भी वक्तव्य दिया जा रहा है और उसके बाद में किन्तु परन्तु बात डाल रहे हैं। यह आपको वक्तव्य देने के बाद कहना चाहिये था क्या करना है, क्या नहीं करें। माननीय संयम लोढ़ा, इस प्रकार से नियमों का उल्लंघन करके आप हाउस को चलाना चाहते हैं, यह बिलकुल गलत बात है। पहले वह बोलेंगे और वह बोलेंगे यह कोई बात है क्या। मैं नहीं आने दूंगा।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरे वक्तव्य के बाद आपको कोई शंका हो तो आप जिससे भी पूछेंगे वह सभी मंत्री तैयार हैं, वह दे देंगे लेकिन जो व्यवस्था है उसके अनुसार।

जिला श्रीगंगानगर में कृषि ही जीविकोपार्जन का एक मात्र साधन है जो मुख्यतः पानी पर निर्भर है। इसके लिये पानी की सुचारू व्यवस्था की हुई है। इस क्षेत्र में भूमि की सिंचाई मुख्यतः गंग केनाल, इंदिरा गांधी नहर परियोजना द्वारा होती है, जिसकी पूरे क्षेत्र में वितरिकाएं, शाखाएं फैली हुई हैं।

विगत कुछ वर्षों से वर्षा का अभाव रहा जिसके कारण सिंचित क्षेत्र में पानी की अधिक मांग रही। वर्षा की कमी होने के कारण नहरों में पानी कम रहा। विगत चार वर्षों में इस क्षेत्र में साधारणतया एक फसल रबी ही रही। पूर्व में खरीफ की फसल नरमा, कपास बहुत अच्छी रही। इस कारण घड़साना मंडी का उत्थान बड़ी तीव्र गति से हुआ परन्तु पानी की कमी और वर्षा की कमी के कारण हुई अवनति से हर व्यक्ति प्रभावित हुआ। इस प्राकृतिक आपदा का राजनैतिक दलों ने फायदा उठाना प्रारम्भ कर दिया एवं किसान, मजदूर, व्यापार संघर्ष समिति के नाम से एक संगठन खड़ा किया। दिनांक 27.9.2004 को किसान संघर्ष समिति ने अपने ज्ञापन में राज्य सरकार के समक्ष पांच मांगे रखी थीं। अनिश्चितकालीन धरना चालू करने का आह्वान किया। संघर्ष समिति की मांगे निम्न प्रकार थी :- 1. अनूपगढ़ शाखा की नहरों में सिल्ट निकाला जाये। सात रोजा बारी चालू की जाये।

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

2. प्रथम चरण में तयशुदा 5.23 क्युसेक पानी दिये जाने के स्थायी आदेश जारी किये जायें।

3. अनूपगढ़ क्षेत्र को अकालग्रस्त घोषित करते हुए अकाल राहत कार्य प्रारम्भ किये जायें।

4. सीमा क्षेत्र में सैनिक गतिविधियों से पीडितों को मुआवजा दिया जाये। रास्ते एवं मोर्गों को बंद होने से फसलों को हुए नुकसान का मुआवजा दिया जाये।

5. गंगानगर, हनुमागढ़ जिलों को फसल बीमा योजना से जोड़ा जाये।

इस प्रकार उपरोक्त मांगों को लेकर के किसान, मजदूर, व्यापार संघर्ष समिति द्वारा उपखण्ड कार्यालय के समक्ष शुरू हुए आंदोलन में शुरूआत में स्थानीय नेताओं द्वारा भाषण दिये गये फिर बाहर के गंगानगर, हनुमानगढ़ एवं अन्य स्थानों के नेताओं ने भी आकर उक्त संघर्ष समिति को अपना समर्थन दिया। दिनांक 2.10.2004 से संघर्ष समिति द्वारा 13 व्यक्तियों ने क्रमिक भूख-हड़ताल पर बैठने का कार्यक्रम शुरू हुआ। 4.10.2004 को धरने में शामिल कुछ औरतें और उनके पीछे 200-250 धरणार्थी एस.डी.एम. कार्यालय आये और एस.डी.एम कार्यालय में ताला लगाकर एस.डी.एम. घड़साना एवं थानाधिकारी घड़साना, रावला अनूपगढ़ को बंद कर दिया तथा धरणार्थियों द्वारा ए.डी.एम. कार्यालय की जीप को नुकसान पहुंचाया गया जिस पर मुकदमा नम्बर 382/04 दर्ज हुआ। दिनांक 6.10.2004 रावला और घड़साना के छात्र संघर्ष समिति द्वारा उक्त आंदोलन को समर्थन देते हुए कुछ छात्रों एवं अन्य व्यक्तियों द्वारा करीब 50-60 आवारा गायों को पीछे से हांकते हुए लाये जिससे सभा में अफरा-तफरी मची, जब पुलिस द्वारा व्यवस्था बनाने में गायों को हटाने की कोशिश की गयी तो उक्त लोगों ने पुलिस फोर्स पर पथराव चालू कर दिया जिससे करीब एक दर्जन पुलिस कर्मियों को चोटें आयी। पुलिस द्वारा रबड़ बुलेट, अश्रु गैस का प्रयोग किया गया। इस सम्बन्ध में आंदोलनकारियों के खिलाफ मुकदमा नम्बर 396/04 दर्ज किया गया। राज्य सरकार द्वारा किसानों की मांगों पर सर्वप्रथम स्थानीय अधिकारियों के स्तर पर वार्ता की गयी लेकिन सफल नहीं हुई।

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

तत्पश्चात, सिंचाई मंत्री महोदय की अध्यक्षता में दिनांक 25.10.2004 को जयपुर में बैठक हुई जिसमें सांसद, विधायक, प्रतिपक्ष के नेता एवं उक्त संगठन के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। किसान संघर्ष समिति ने अपने अड़ियल रवैये के कारण इस बैठक में भाग नहीं लिया। इसमें निम्नांकित मांगों का निराकरण किया:- 1. अनूपगढ़ शाखा की नहरों, जो मैंने 5 मांगे पढ़ी थीं, इसमें हल की बात बैठक में हुई थी। सात रोजा बारी लागू कर दी गयी। शिल्ट निकालने का कार्य पूर्व में ही किया जा चुका था।

2. रेगुलेशन नियम 171 के प्रथम चरण में तयशुदा 5.23 क्यूसेक पानी का स्थायी आदेश जारी किया जाये, 5.23 क्यूसेक पानी को घटाने के निर्णय को लागू ही नहीं किया गया।

3. वर्तमान कारण अकाल राहत कार्य के लिए था, खराबा की रिपोर्ट 31.10.2004 को प्रशासन को जा चुकी है और अकाल की घोषणा राज्य सरकार के स्तर पर विचाराधीन है। 1156 चक, गांव प्रभावित हैं।

4. सीमा क्षेत्र में सेना द्वारा जो नुकसान हुआ उसकी भी पालना हुई, सीमा पर सेना की गतिविधियों से प्रभावित फसल की मुआवजे की 13 करोड़ रूपये की राशि आनी शेष है। मजदूरों और विस्थापितों को कोई राशि स्वीकृत नहीं हुई। संयुक्त सर्वे के आधार पर मुआवजा दिया जायेगा।

5. फसल बीमा योजना में कपास और देशी कपास को छोड़कर के शेष फसलों में पूर्व में ही लागू है। इसके बाद भी आंदोलनकारियों ने अपनी गतिविधियां उग्र और तीव्र कर दी तो दिनांक 25.10.2004 को संघर्ष समिति द्वारा उप खण्ड कार्यालय के बाहर परिसर के दोनों मुख्य गेट पर ताला लगा दिया। परिसर में मौजूद पुलिस अधिकारी, कर्मचारी और प्रशासनिक अधिकारियों को बाहर जाने से रोका गया तथा बाहर से खाद्य पदार्थ को आना-जाना बंद कर दिया। परिसर में करीब 140 व्यक्ति पुलिस फोर्स के बंद रहे। जिसमें उप खण्ड अधिकारी, उप पुलिस अधीक्षक, थानाधिकारी भी शामिल थे।

आंदोलनकारियों द्वारा परिसर के बाहर घूम-घूमकर पहरा दिया गया। रात भर अधिकारी, कर्मचारी उक्त परिसर में बंद रहे। इस घटना पर मुकदमा

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

नंबर 406/04 थाना घड़साना में दर्ज हुआ। दिनांक 26.10.2004 को धरणार्थियों द्वारा उप खण्ड कार्यालय परिसर में किये गये घेराव को हटाने के लिए लाठी चार्ज, अश्रु गैस का प्रयोग कर हटाया गया तथा 57 उपद्रवकारियों को गिरफ्तार किया गया। इस सम्बन्ध में मुकदमा दर्ज करके कार्यवाही की गयी। 26.10.2004 को धरनार्थियों द्वारा कूपडी तिराहे पर, नयी मंडी घड़साना पर अनूपगढ़ से अजमेर जा रही बस पर पथराव कर शीशे तोड़ दिये एवं बस चालक को चोट पहुंचायी। दिनांक 26.10.2004 को ही जालवाली बस स्टैंड पर रोडवेज बस पर पथराव करके शीशे तोड़ दिये और बस को आग लगा दी। उपरोक्त दोनों घटनाओं पर मुकदमा दर्ज किया गया। दिनांक 27.10.2004 को लाठी चार्ज के विरोध में बाजार बंद रहा। उसी दौरान सूचना मिलने पर जब पुलिस पार्टी मय वाटर कैनन के 25 ए.एस. पुलिस पहुंची तो वहां पर 500-700 व्यक्तियों की भीड़ ने पुलिस पार्टी पर पथराव किया जिसे तितर-बितर करने के लिए वाटर कैनन और उसके बाद अश्रु गैस का प्रयोग किया गया। उपद्रवियों द्वारा नयी मंडी पुलिस घड़साना में लाइन्स क्लब जिसमें आर.ए.सी. का सामान और बिस्तर आदि पड़ा था। नयी मंडी पुलिस चौकी, उप खण्ड अधिकारी निवास, तहसीलदार निवास, उप खण्ड कार्यालय, तहसीलदार कार्यालय तथा सी.आई.डी. कार्यालय में तोड़-फोड़ करके भवनों में आग लगा दी तथा वहां तत्पश्चात अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने कर्फ्यू की घोषणा करते हुए मय जाब्ते के नयी मंडी को रवाना हुआ। पुरानी मंडी नहर पुल के पास हथियारों से लैस भीड़ को तितर-बितर करने के लिए 6 राउंड फायर किये। दंगाइयों की तरफ से एक व्यक्ति घायल हुआ जिसे भीड़ उठाकर ले गयी। पुलिस के कर्मचारियों को काफी चोटें आयी। कस्बा पुरानी मंडी और नयी मंडी में कर्फ्यू लगाया गया। दिनांक 27.10.2004 को ही कस्बा रावला में करीब 5000 व्यक्तियों ने उग्र भीड़ ने लाठियां, गंडासे, बंदूके, देशी कट्टे आदि हथियारों एवं पेट्रोल की बोतलें और जरीकेन से लैस होकर के पुलिस थाना रावला पर हमला कर दिया। थाने की चारदीवारी में आवासीय परिसर में तोड़फोड करके क्षतिग्रस्त कर दिया। जब्तशुदा वाहनों में आग लगा दी। वायरलैस एवं अन्य सरकारी संपत्ति को जला दिया। रामप्रताप, कांस्टेबल थाना रावला को उग्र भीड़ उठाकर ले गयी तथा उसे जिंदा जलाने का प्रयास किया। अतः सरकारी संपत्ति की सुरक्षा और आत्मरक्षा के मद्दे नजर पुलिस ने

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

भीड़ पर चेतावनी देकर अश्रु गैस, रबड़ बुलेट एवं राइफल की गोलियों का प्रयोग किया।

तत्पश्चात स्थिति की गंभीरता को देखते हुए प्रशासन द्वारा घड़साना एवं रावला पुलिस थाना क्षेत्र में बेमियादी कर्फ्यू लगा दिया एवं सेना को शांति व्यवस्था में सहयोग हेतु बुलवाया गया। घटना के दूसरे दिन 28.10.2004 को सिंचाई मंत्री और सार्वजनिक निर्माण मंत्री घटना स्थल पर गये। स्थिति का जायजा लिया। 29.10.2004 को मंत्रिमंडल उप समिति ने संघ समिति से वार्ता की। वार्ता का कोई नतीजा नहीं निकला और आंदोलनकारी अव्यावहारिक मांगों पर अड़े रहे। इस आंदोलन में पुलिस की फायरिंग की कार्यवाही से घड़साना में तो एक रावला में तीन कुल चार व्यक्ति मारे गये। लाठी चार्ज में घायल एक अन्य व्यक्ति की बाद में इलाज के दौरान 17.11.2004 को मृत्यु हो गयी। दिनांक 21.11.2004 को तीन मंत्री गृह मंत्री, सिंचाई मंत्री और सार्वजनिक निर्माण मंत्री की कमेटी के जरिये वार्ता कर उनसे समझौता करने का भरसक प्रयत्न किया तथा किसानों की लगभग सभी मांग मानी जाकर समझौता होने ही वाला था कि वार्ता बीच में ही टूट गयी। जिला श्रीगंगानगर में चलाये जा रहे आंदोलन के क्रम में दिनांक 6.12.2004 को आंदोलनकारियों और जिला बीकानेर के कस्बा खाजूवाला में लगी निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 144 का उल्लंघन करने पर पुलिस द्वारा उन्हें रोका गया जिस पर आंदोलनकारियों द्वारा उग्र होकर पुलिस बल पर हमला किया जिसमें 11 पुलिसकर्मी घायल हुए एवं एक आंदोलनकारी की किसी वाहन से मृत्यु हो गयी। स्थिति की उग्रता को देखते हुए दिनांक, 6.12.2004 को कस्बा खाजूवाला में कर्फ्यू लगाया गया। इस घटना के सम्बन्ध में दो अभियोग थाना खाजूवाला दर्ज किए गए। मृतकों को पांच लाख रूपए बतौर मुआवजा राशि राज्य सरकार द्वारा दी गई। इस सम्बन्ध में दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 107, 151 में 357 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया, जिनमें तीन को लोक व्यवस्था भंग करने की आशंका में राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत निसद कर जेल भेजा गया। थाना घड़साना, रावला, अनूपगढ़ पर कुल 26 प्रकरण दर्ज हुए, 17 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया। इस आन्दोलन के दौरान निम्न प्रकार से आन्दोलकारी और पुलिसकर्मी घायल हुए। घड़साना में एक आन्दोलकारी की डेथ हुई, 62 घायल हुए, 43 पुलिसकर्मी भी घायल हुए। रावला में 4 की मृत्यु हुई

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

और 7 आन्दोलनकारी घायल हुए, पुलिस के 23 जवान घायल हुए। खाजूवाला में 1 की मृत्यु हुई और 5 आन्दोलकारी घायल हुए, 11 पुलिसकर्मियों को चोटें आई। अनूपगढ़ में 5 आन्दोलनकारी घायल हुए, 3 पुलिसकर्मी भी घायल हुए। इस तरह से कुल 6 लोगों की मृत्यु और 79 आन्दोलनकारी घायल हुए और 80 पुलिसकर्मी भी घायल हुए।

इस प्रकार किसान आन्दोलन के शांतिपूर्ण समाधान की भरपूर कोशिश की गई लेकिन यह आन्दोलन दुर्भाग्यवंश हिंसक होता चला गया। इससे प्रशासनिक कार्य में बाधा उत्पन्न हुई, लोक शांति भंग होने के परिणामस्वरूप कानून व्यवस्था को कायम रखते हुए पुलिस और प्रशासन ने विधि सम्मत कार्यवाही कर प्रकरण दर्ज किए। निरोधात्मक कार्यवाही अमल में लाई गई।

समाज और किसानों के कल्याण के मद्देनजर प्रत्येक मृतक के आश्रित परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी एवं पांच-पांच लाख रूपए, घायलों को तीन हजार से पांच हजार तक आर्थिक सहायता दी। घायल पुलिसकर्मियों को पांच-पांच सौ रूपए की आर्थिक सहायता दी गई। तत्कालीन जिला कलक्टर, श्रीगंगानगर, पुलिस अधीक्षक, श्रीगंगानगर, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, रायसिंहनगर, वृत्ताधिकारी, अनूपगढ़, थाना अधिकारी घड़साना और रावला का स्थानान्तरण किया गया, एस.डी.एम. घड़साना और ए.डी.एम., प्रशासन, श्रीगंगानगर को निलम्बित किया गया।

अंततः किसान नेताओं एवं सरकार के बीच दिनांक 11.12.04 को अजमेर में समझौता हो जाने पर आन्दोलन समाप्त हुआ। समझौता निम्न प्रकार वर्णित है – 1. पोंग डैम से इन्दिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र को प्रतिवर्ष मिलने वाले कुल पानी 14100 क्यूसेक्स की क्षमता वाली नहरों हेतु प्रथम चरण 8200 क्यूसेक्स तथा द्वितीय चरण 5900 क्यूसेक्स की क्षमता वाली नहरों के माध्यम से प्रथम चरण 5.23 क्यूसेक्स प्रति हैक्टेयर एवं द्वितीय चरण 3.00 क्यूसेक्स प्रति हैक्टेयर से वितरण किया जाता रहेगा। इसी अनुपात से पानी उपलब्धता के अनुसार घटता-बढ़ता रहेगा। पीने के पानी की व्यवस्था अपने-अपने क्षेत्रों में बदस्तूर जारी रहेगी।

राज्य सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि सिंचाई हेतु उपलब्ध जल सभी काश्तकारों को विशेष रूप से अंतिम छौर के काश्तकारों को समान रूप से

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

निरन्तर मिलता रहे। इस वर्ष डैम में जल की अत्यधिक कमी को देखते हुए राज्य सरकार ने विशेष प्रयास किए हैं, 12.12.04 के बाद तीन सतरोजा बारी पानी उपलब्ध कराएगी। दोनों चरणों का वितरण जनप्रतिनिधियों की अलग-अलग कमेटियां करेगी जिनकी अध्यक्षता, प्रथम चरण की मुख्य अभियंता (उत्तर), हनुमानगढ़ और द्वितीय चरण की मुख्य अभियंता, इन्दिरा गांधी नहर परियोजना, जैसलमेर करेंगे। राज्य सरकार उपयुक्त संख्या की एक समिति का गठन करेगी जिसमें सिंचाई एवं कृषि विज्ञानियों तथा अन्य के साथ किसान संघर्ष समिति के चार प्रतिनिधियों को शामिल किया जायेगा। उपरोक्त व्यवस्थाएं राज्य सरकार द्वारा गठित समिति की रिपोर्ट प्राप्त होने तक लागू रहेगी। उक्त समझौते के अनुसार आन्दोलन तुरन्त प्रभाव से समाप्त किया जाता है। सम्पूर्ण घटनाक्रम की न्यायिक जांच के लिए माननीय न्यायाधीश आर.एस. केजड़ीवाल की अध्यक्षता में एक सदस्यीय आयोग का गठन किया गया।

जिन लोगों के परिवारों में डैथ हुई उनमें पांचों को हमने नौकरी दे दी। यह जो सारी सूचियां हैं, पुलिस के भी इतने लोग इन्जर्ड हुए, उनका तो सेवा करने का एक संकल्प है इसलिए लेकिन जब जलाने की नौबत आ जाए, मारने की नौबत आ जाए उसके बाद भी अगर पुलिस तमाशबीन की तरह से देखे, यह तो सम्भव नहीं है और उसके कारण से जन हानि निश्चित रूप से हुई है लेकिन कानून को बनाए रखने के लिए जन हानि को बदार्शत करके ही चलना पड़ेगा।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह नौबत किसलिए आई, मैं एक एक्स.ईएन. की चिट्ठी के कुछ अंश पढ़ना चाहता हूं जो अनूपगढ़ शाखा के सिंचाई खण्ड द्वितीय के एक्स.ईएन. ने 5 सितम्बर को अपने चीफ इन्जीनियर और एस.ई. को लिखी है जिसमें उन्होंने पहले ही आगाह किया है कि यह हालात बने हुए हैं। विभाग में आपस में समन्वय नहीं है और कल ऐसी स्थिति बन जाएगी कि हालात भयावह हो जाएंगे यह एक्स.ईएन. की चिट्ठी 5 सितम्बर की है। बिरदवाल हैड से अनूपगढ़ शाखा को छोड़े गये पानी की मात्रा 2350 क्यूसेक्स होने के बावजूद इस खण्ड की नहरों के लिए बुर्जी 137 से नीचे 1554 क्यूसेक्स की बजाय मात्र 1300

(श्री संयम लोढ़ा)

क्यूसेक्स पानी उपलब्ध होने की बाबत है। इस पत्र के अंत में एक्स.ईएन. ने लिखा है कि निम्न हस्ताक्षरकर्ता अनूपगढ़ शाखा के खण्ड प्रथम के अधिकारियों से अव्यवस्था सुधारने हेतु अनुरोध करता है एवं उच्च अधिकारियों से अव्यवस्था सुधारने हेतु अनुरोध करता है एवं उच्च अधिकारियों से निवेदन करता है कि वह सम्बन्धित को पाबन्द करे अन्यथा इस खण्ड की अधीनस्थ नहरों के काश्तकारों के बढ़ते हुए रोष को नियंत्रित करना असम्भव हो जाएगा क्योंकि काफी समय से इस खण्ड की किसी भी वितरिका को अंतिम छोर तक निर्धारित मात्रा के अन्दर पानी नहीं पहुंचा है। 5 सितम्बर को अनूपगढ़ शाखा द्वितीय के एक्स.ईएन ने चिट्ठी भेज दी। उसके बाद आपने कोई कार्यवाही नहीं की, किसानों से कोई वार्ता नहीं की, कोई सुध नहीं ली इसलिए नौबत आई, यह मैं निवेदन करना चाहता हूं। (व्यवधान)

श्री सांवर लाल जाट (सिंचाई मंत्री) : पहले तो आप मेरी मांग कर रहे थे और अब बोलने नहीं दे रहे हैं।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर) : विपक्ष का भी जवाब आ जाएगा न।

श्री सुरेन्द्र सिंह राठौड़ (गंगानगर) : माननीय सदस्य लोढ़ा साहब ने जो कहा, यह रूटीन की बात है। इस प्रकार से एक्स.ईएन और ए.ईन. आपस में पत्र भेजते रहते हैं। यह इतनी कोई महत्वपूर्ण बात नहीं है।

श्री संयम लोढ़ा : रूटीन में लिया इसीलिए 6 लोगों को अपनी छाती पर गोलियां खानी पड़ी।

श्री सुरेन्द्र सिंह राठौर : उपाध्यक्ष महोदय, पानी की समस्या कोई एक दिन में पैदा नहीं हुई। 6 लोग आपके रिश्तेदार नहीं हमारे ही परिवार के थे। सबसे ज्यादा दु:ख हमें हो रहा है और बड़ा गलत हुआ है इसको मान रहे हैं, इससे ज्यादा बुरा कुछ हो नहीं सकता लेकिन किन परिस्थितियों में हुआ, क्यों हुआ, हम आपको मिल बैठकर इसको राजनीतिक मसाला न बनाते हुए, किन परिस्थितियों में ऐसा हुआ उन पर विचार करना चाहिए।

(श्री वीरेन्द्र बेनीवाल)

नजदीकी विधान सभा क्षेत्र जिसमें गोलीकाण्ड हुआ है मैं उससे सीधा संबद्ध हूं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो वहां की स्थिति है उसको सदन के समक्ष रखना चाहता हूं इसकी मुझे इजाजत दी जाए (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : गलत बात है। आप वक्तव्य दिलाना चाहते थे कि वक्तव्य दें, मंत्रीजी ने वक्तव्य दे दिया। आपको कोई प्रश्न पूछना है पूछ सकते हैं। (व्यवधान)

(14.00 बजे)

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह आंदोलन क्यों शुरू हुआ सबसे महत्वपूर्ण बात यह है। यह आंदोलन की परिणति बतायी जा रही है, मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं आज अगर इन उद्देश्यों को उजागर नहीं किया गया तो आने वाला (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : वो खतम हो गया। आंदोलन क्यों शुरू हुआ इस विषय में जाने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि वह अब खतम हो गया।

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, छह किसान शहीद हुए हैं। (व्यवधान) तथ्य सदन के समक्ष रखना जरूरी है। सदन में बार-बार यह पक्ष रखा जा रहा है।

श्री अध्यक्ष : तीन मंत्रियों की कमेटी गई थी। (व्यवधान) आप स्थान ग्रहण करें। लूणकरणसर से आने वाले माननीय सदस्य, आप स्थान ग्रहण करें। (व्यवधान) आप कृपया बैठें। आप कृपया स्थान ग्रहण करें। आप कृपया पहले मुझे सुन लीजिए। तीन मंत्रियों की कमेटी वहां गई थी, यदि किसी को उसमें कुछ कहना है, एड करना है, कुछ और कहना है तो मैं कहने की इजाजत दे रही हूं उसके बाद कोई क्लेरिफिकेशन देना है मुझे दे देना।

श्री सांवर लाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, वैसे तो इस सम्बन्ध में माननीय गृह मंत्रीजी ने लगभग सारी बातें कर दी हैं, प्रजातंत्र जब से इस देश में लागू हुआ है, जनता के लिए सरकारों ने काम करना शुरू किया है, चाहे शिक्षा हो, चिकित्सा हो, पीने के पानी की हो, सिंचाई की व्यवस्था की बात हो, आई.जी.एन.पी. नहर में जो आंदोलन हुआ, आंदोलन करने का अधिकार सबको है और जो इनकी ओरिजनल मांगें थीं वे मांगें भी माननीय गृह मंत्रीजी ने

(श्री सांवर लाल)

घड़साना संघर्ष समिति की पढ़कर सुनायी। मैं आपको एक बात और बता देना चाहता हूं इनकी प्रमुख मांग जो सिंचाई विभाग से सम्बन्धि थी कि वाटर अलाउंस 5.23 है जिसका निर्णय 4.10.2000 को तत्कालीन सरकार ने लिया वो लागू नहीं होना चाहिए। मुख्य मांग यही थी। इसके अलावा दूसरी मांग यह थी कि डिसिल्टिंग होनी चाहिए। बाकी फसल बीमा और अन्य मांगें थीं। किसान मांग करें, मांग करना उनका अधिकार है। पिछले कई वर्षों से पानी की कमी पौंग डेम में और भाखड़ा में है इस बात से कोई भी सदन का माननीय सदस्य इंकार नहीं कर सकता और इस वर्ष जो पानी की स्थिति है सबसे कम है। 1999-2000 से लगातार इस वर्ष की हम देखें तो केवल 2.944 एम.ए.एफ. पानी इस पौंग डेम में था जिसको स्टेज फर्स्ट और स्टेज टू में देना था। चूंकि इनकी प्रथम मांग यही थी कि हमारा वाटर अलाउंस नहीं घटाया जाए, डिसिल्टिंग करायी जाए। मैं आपकी सेवा में निवेदन करना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की जब-जब सरकार इस राजस्थान में आयी है कर्जा माफ किया है, हमने फीस माफ की है, हमने बच्चों के लिए किताबों की व्यवस्था की है।

श्री अमराराम (धोद) : गोली चलाने में भी प्रगति की है आपने।

श्री सांवर लाल : अब मैंने कुछ ज्यादा बात कह दी तो किसान हित में जो काम किये वो मैंने बताए, इसमें आपको तकलीफ है तो मेरे पास कोई इलाज नहीं है। (व्यवधान) हमने किया और मैं बोल रहा हूं। (व्यवधान) जो हमने किया और आपने नहीं किया। अगर आपने किया हो तो आप गिना देना मेरे बाद में कि और कहीं आपने माफ किया हो तो। अगर किसानों का भला हम करें और हम बोलें तो इसमें आपको तकलीफ है इस बात का मुझे बहुत दुख है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इंदिरा गांधी नहर सिस्टम बहुत बड़ा था। पहले वहां पर पटवारी लगे हुए थे जो सिंचाई की व्यवस्था करते थे। इन्होंने पटवारी हटा दिये। लगातार पांच साल अकाल पड़ा इनके राज में फसल नहीं हुई, आबियाना देने की हालत में किसान नहीं थे, उनको पानी नहीं दिया गया। उस आबियाना को इन्होंने चुनाव के टाइम में पेंडिग किया कि हमारा राज आएगा तब वह वसूल करेंगे। हमारा राज आने के बाद हमने 27 करोड़ रूपया माफ किया, पटवारी हमने लगाये। गंग नहर की जीर्ण-शीर्ण हालत थी उसको

(श्री सांवर लाल)

ठीक करने के लिए 100 करोड़ रूपये माननीय वसुन्धराजी ने दिये। हरिके गेट से लगभग 15 वर्षों से रिसाव हो रहा है, पानी जा रहा है उसकी मरम्मत की भी व्यवस्था हमने करा दी, सात करोड़ रूपये दे दिये। पंजाब में भी मरम्मत करायी जो हमारा एरिया पड़ता है। नहर का पानी आता है उसकी मरम्मत की भी व्यवस्था करायी है, सिल्ट निकालने के लिए पहली बार हमने व्यवस्था करायी है, सिल्ट निकालने के लिए पहली बार हमने व्यवस्था की है। लगभग 6 करोड़ रूपये हमारे मुख्य मंत्रीजी ने विशेष रूप से दिये और डिसिल्टिंग की व्यवस्था भी हो गई।

माननीय अध्यक्ष महोदय, टोटे में लड़ाई होती है। पानी कम है, पानी टेल पर नहीं पहुंचा। गत बार राज आने के बाद पहली बार हमने पानी दिया। इस बार भी किसानों को आशा थी कि यह सरकार आ गई है तो यह पानी और देगी। कुछ अव्यवस्था हुई। इनकी जो मांग थी उस मांग के बारे में मैंने 25.10 हमारे हमारे अधिकारियों ने नीचे के स्तर पर हर जगह बात की, हमारे एम.एल.ए. साहिबान ने भी की, हमारे मंत्रीजी ने भी की। इसके बाद में जब आंदोलनकारी नहीं माने तो मैंने 25 अक्टूबर को यहां पर बैठक बुलायी और उस बैठक में यह फैसला किया जिसमें कई बिन्दु हैं। इनकी मांग तो केवल दो थी 5.23 वाटर अलाउंस कम नहीं किया जाए, जिसमें माननीय प्रतिपक्ष के नेता बी.डी. कल्ला साहब भी उपस्थित थे, हमने उनकी मांग मान ली कि कम नहीं कर रहे हैं। डिसिल्टिंग की व्यवस्था कर दी और बड़ा लम्बा-चौड़ा उनसे समझौता किया वो सब हमारे पास है। इसके बाद में खाजूवाला के किसान आये, उनकी समस्या थी उनका भी हमने समझौता किया, वो समझौता भी हमारे पास में आप देख सकते हैं। कोई भी मांग, स्वाभाविक है पानी किसान चाहता है क्योंकि किसान के पास खेती के अलावा आमदनी का क्या जरिया है। हम इस बात से सहमत हैं सरकार ने पूरी व्यवस्था की है, सरकार ने उनकी हर बात मानी है। 25 अक्टूबर को जब हमने इन सारी मांगों को मान लिया उसके बाद में यह सारी दुर्घटना जो घटित हुई उसके बारे में माननीय गृह मंत्रीजी ने बता दिया, फिर भी यह आंदोलन चलता रहा, पानी की व्यवस्था हमने करा दी, साढ़े तीन रोजा से सात रोजा बारी हमने कर दी। कोई भी मांग पेंडिंग नहीं रही। उसके बाद में जब आन्दोलन निरन्तर चलता रहा। उधर सेकण्ड स्टेज में कुछ आंदोलनकारी आंदोलन पर उतारु हो गये तो

(श्री सांवर लाल)

मैं वहां खुद गया और मैंने कहा कि आपके साथ नाइंसाफी नहीं हो, राजस्थान की सरकार सबके साथ इंसाफ करेगी चाहे पहली स्टेज हो चाहे सेकंड स्टेज। जब हम पंजाब से पानी लेने की बात कर रहे हैं, हम मध्य प्रदेश से पानी लेने की बात हम कह रहे हैं, यमुना का पानी लेने की बात कर रहे हैं तो राजस्थान में जो पानी है उसका जस्टीफाइड बंटवारा होगा, किसी के साथ हम अन्याय नहीं होने देंगे यह बात हमने उनको कही। उन्होंने अपना आंदोलन समाप्त कर दिया। मीनव्हाइल जब यहां पर जेल में चर्चा हुई तो हमारे सेक्रेट्री को हमने कहा कि आप जाइए और आप समझौता करिए।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं वाटर अलाउंस के बारे में जो समझौता हमने 25 अक्टूबर को किया उसके अलावा कोई समझौता कर नहीं सकता था। हमारे सेक्रेट्री ने वही समझौता किया और ये विटनेसेज हैं और यह सर्टिफिकेट हमारे पास है। समझौते के बाद में आंदोलन खतम हुआ। अब माननीय सदस्य कह रहे हैं एक्स.ईएन. की चिट्ठी है। इन आंदोलनकारियों ने नहीं कहा कि एक्स.ईएन. की चिट्ठी के कारण हम आंदोलन कर रहे हैं, हमको पानी नहीं मिल रहा है इसलिए हम आंदोलन कर रहे हैं। एक स्वाभाविक प्रक्रिया है छोटा अधिकारी बड़े अधिकारी को लिखता है और सरकार तक कोई मामला आता है तो सरकार के पास भी सेक्रेट्री गवर्नमेंट पुटअप करता है बाकी अपने-अपने हिसाब से फैसले करते हैं। उस फैसले में कहीं कोताही होती है, कहीं गड़बड़ होती है तो सरकार उसके खिलाफ एक्शन लेगी। मेरा निवेदन यह है कि यह दुर्घटना घटी यह कतई उचित नहीं थी और कुछ आंदोलनकारी भी थोड़े यों थे कि जायज मांग जो मान ली उससे सहमत नहीं हुए इस वजह से सारी बातें हुई हैं। बाकी सरकार की तरफ से मैं कहना चाहता हूं जो मांगें थीं प्रजातांत्रिक तरीके से हमने 25 अक्टूबर को ही फैसला कर दिया इसलिए मैं कहना चाहता हूं जो भी दुर्घटना घटित हुई उसमें कौन दौषी है इसका फैसला तो जो न्यायिक आयोग बैठा है वही करेगा उसके बाद ही आप बात करना। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, चूंकि मैं भी उस मंत्रिमंडलीय उप समिति में था इसलिए मैं कुछ क्षणों में अपनी बात पूरी करूंगा। अध्यक्ष महोदय, इस पूरी समस्या की पृष्ठभूमि में जाएं तो यह सारा पाप 1981 में

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन यह कर रहा था कि यह फैसला जिसमें इन्दिरा गांधी नहर परियोजना के प्रथम चरण के काश्तकार का वाटर अलाउंस कम देने का हुआ, जो हुआ है 4.10.2000 को चूंकि चुनाव सामने थे और द्वितीय चरण के अन्दर भी इनको कमाण्ड एरिया खोलना था इसलिए इन्होंने इस चीज का वाटर अलाउंस कम किया और उसके साथ, अध्यक्ष महोदय, यह बात सही है कि अनूपगढ़ शाखा के अन्दर..

श्री अध्यक्ष : 2000 में चुनाव कब हुए थे?

श्री राजेन्द्र राठौड़ : थोड़े दिन बाद थे, चुनाव की पृष्ठभूमि बनने लगी थी।

डा. सी.पी. जोशी : जो मन में आये बोलेंगे, क्या तकलीफ है, सब बोल सकते हैं। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, चार साल लगातार पोंग डेम में पानी कम आया और हमारा हिस्सा उसमें 8.6 एम.ए.एफ. है उसमें से पाइंट 6 एम.ए.एम. तो कांग्रेस घुटने टेककर छोड़कर आ गई थी। जब पानी कम आया और किसानों के पास पानी कम पहुंचा तब इन्होंने प्रचारित किया कि जो फैसला 2000 में हमने किया था हमने उसको लागू नहीं किया, भारतीय जनता पार्टी ने लागू कर दिया और जब किसान ने यह महसूस किया कि उसका पानी सदैव-सदैव के लिए चला गया तो भोला-भाला किसान इनके चक्कर में आ गया और उस किसान ने आन्दोलन किया। मैं निवेदन करना चाहता हूं जो घटना हुई उसका दु:ख हमें भी है, इस तरह का गोलीकांड नहीं होना चाहिए परन्तु उस पूरे मामले के अन्दर अगर कोई दोषी है तो सामने बैठी कांग्रेस पार्टी दोषी है।

श्री अध्यक्ष : अब आप केवल क्लेरीफिकेशन ले सकते हैं, अब बोलने का मौका नहीं दूंगी।

मोहम्मद माहिर आजाद : अध्यक्ष महोदय, मैं स्पेसिफिक सवाल पूछ रहा हूं।

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय स पूछना चाहता हूं, क्या यह सही है कि दिनांक 1 दिसम्बर, 2003 को इन्दिरा गांधी मुख्य नहर बुर्ज संख्या 498.90 से 495 के बीच, 499.85 से 500.320 के बीच बुर्ज टूटा था? क्या यह भी सही है कि उस नहर टूटने की घटना के बाद बिरदावास हैड के नीचे के इलाके के बजाय हरिके पतन से पानी को बन्द कर दिया गया? क्या यह भी सही है कि बिरदवाल हैड के ऊपर का इलाका जिसका उस नहर टूटने की घटना के बाद भी पानी मिलना चाहिए था उसको पानी से महरूम कर दिया गया और उसके कारण से किसानों की खड़ी फसल को नष्ट होना पड़ा? क्या यह भी सही है कि परिणामस्वरूप सावनी की फसल का बिजान किसान नहीं कर पाया और सरकार द्वारा इस बात की घोषणा की गई कि इस वक्त अगर उपलब्ध होगा तो पेयजल उपलब्ध होगा? क्या यह भी सही है कि...

श्री गोविन्द राम मेघवाल : माननीय अध्यक्षजी, 295 का पर्चा है उसको देखकर पढ़ सकते हैं, बोल नहीं सकते हैं। ये पढ़कर बोल रहे हैं, ये पढ़ रहे हैं, सीधे बोलो। (व्यवधान)

श्री जुबेर खान : जब कोई माननीय सदस्य अपनी बात, सवाल पूछ रहा है और बीच में सत्ता पक्ष के लोग खड़े होकर सीधे टोका टाकी करें, रूल में साफ है जो भी माननीय सदस्य बोलेगा सीधे किसी सदस्य को एड्रेस नहीं कर सकता। आप यह व्यवस्था दीजिए कि सदन का कोई माननीय सदस्य किसी सदस्य की तरफ नहीं, चेयर को एड्रेस करेगा। जो भी बोले चेयर की तरफ मुंह करके बोले।

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल : माननीय अध्यक्ष, यह गंभीर मसला है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : कृपया व्यवधान नहीं करें।

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल : क्या यह सही है कि सूरतगढ़ और लूणकरणसर जो कि स्टेज सैकण्ड का क्षेत्र है कवर से लिफ्ट का क्षेत्र है। इस क्षेत्र के अन्दर 12 दिसम्बर, 1995 के राज्य सरकार के लिये गये आदेश को लागू

(श्री वीरेन्द्र बेनीवाल)

करते हुए दिनांक 1.6.2004 से 19.6.2004 किसानों के मोगों के साथ छेड़छाड़ की गई? क्या यह भी सही है कि उन्हीं काश्तकारों के विरोध को देखते हुए जिन मोगों के साथ छेड़छाड़ की गयी थी उनको पुनः पुरानी स्थिति में लाने के महज चंद दिनों बाद दिनांक 9.7.2004 को माननीय मंत्री महोदय द्वारा कोई आदेश जारी किया गया। यह भी पूछना चाहूंगा कि क्या यह भी सही है हाड़ी की बिजाई हेतु सितम्बर, 9.7.2004 में जो पानी लिया जाना चाहिए था वह पानी नहीं दिया गया और...

श्री अध्यक्ष : इतने क्लेरीफिकेशन नहीं दिये जाते हैं।

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल : और इसी कारण से, माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें सब खुलासा हो जाएगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगा कि क्या अगला जो हाड़ी का बेजान किया जाना चाहिए था उसके लिए जो पानी स्वीकृत हुआ उसके चलते चलते अनूपगढ़ ब्रांच कितनी बार टूटी? और अगर टूटी तो उसका जिम्मेवार कौन है?

श्री अध्यक्ष : अब बस करिये, आप रहने दीजिये, बहुत क्लेरीफिकेशन ले लिया आपने। जवाब आने दीजिये।

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल : इसी के साथ-साथ मैं माननीय अध्यक्ष महोदय, यह भी पूछना चाहूंगा कि...

मोहम्मद माहिर आजाद : अध्यक्ष महोदय, मेरा भी एक सवाल है, मंत्रीजी नोट कर रहे हैं, मैं भी एक सवाल पूछ लूं।

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल : क्या यह सही है कि कुछ नहरों के मोगे अपनी आवश्यकता से ज्यादा बड़े हैं, उनके अन्दर भिन्नता है और उस भिन्नता के चलते चंद ऐसे राजनीति लोगों को जो समय-समय पर आम जनता की आवाज को दबाने का प्रयास करते हैं उनको ज्यादा पानी दिया जा रहा है? क्या यह भी सही है कि टेल क्षेत्र के अन्तिम छोर पर बैठे हुए किसान को पानी नहीं मिल रहा है और अगर कोई पानी देने का प्रयास किया गया है तो उन्हीं बाहुबलियों ने उस पानी को दबा लिया है? मैं माननीय मंत्री महोदय से यह बात जानना चाहूंगा।

श्री अध्यक्ष : क्या पूछेंगे आप? एक ही पूछना।

मोहम्मद माहिर आजाद : माननीय अध्यक्ष महोदय, एक साथ जवाब दे दीजिएगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से केवल दो स्पेसिफिक प्रश्न पूछना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : शांत रहें।

श्री गोविन्द राम मेघवाल : मोगे बड़े किये गये और उनको हानि दी गई, वह मोगे मन्द किया जाएं।

श्री तगाराम चौधरी : ये माननीय सदस्य टेल किसको मान रहे हैं? (व्यवधान)

श्री जुबेर खान : अध्यक्ष महोदय, यह तो कोई तरीका नहीं है। (व्यवधान)

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल : पानी का मसला आम किसान का मसला है। इस मसले में राजनीति करने की मंशा कांग्रेस पार्टी की कदापि नहीं रही। दूसरी चीज मैं यह निवेदन करना चाहता हूं। (व्यवधान)

श्री तगाराम चौधरी : आगे वाले किसान नहीं हैं क्या? (व्यवधान)

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल : आज जो राजनीति की जा रही है वह कांग्रेस द्वारा नहीं की जा रही है लेकिन गरीब का मसला, जिन किसानों की मौत हुई, जिन किसानों के अहित हुए उस मसले को उठाना प्रतिपक्ष की जिम्मेवारी है और प्रतिपक्ष अपनी जिम्मेवारी को निभाना चाहता है।

श्री तगाराम चौधरी : इतने साल तो आपने कुछ नहीं किया, पांच साल आपने कुछ नहीं किया, कहीं आबियाना माफ नहीं किया, पानी भेजा नहीं, किश्तें माफ की नहीं और उकसा कर वह करवा दिया सारा।

श्री सुरेन्द्र सिंह राठौर (गंगानगर) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह पूछना चाहूंगा, हाउस में सम्मानीय जितने सदस्य बैठे हैं कांग्रेस पार्टी के और सी.पी.एम. के इनमें से अमरारामजी धोद जरूर अनूपगढ़

(श्री सुरेन्द्र सिंह राठौर)

तक गये थे और बाकी कोई एक भी नहीं, वहां पर अगर गया है तो हाथ खड़े करके बतायें।

मोहम्मद माहिर आजाद : मैं गया हूं, मैं सूरतगढ़ तक गया हूं। (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र सिंह राठौड़ (गंगानगर) : दूसरी बात कि आपके नेता माननीय श्री अशोक गहलोत ने वहां जाकर खुद ने यह कहा था कि इस आन्दोलन को चलाना है तो गांधीवादी तरीके से चलाओ और शांतिपूर्वक चलाओ अथवा सी.पी.एम. वालों के साथ मिलकर इसको हिंसक आन्दोलन मत बनाओ। यह अशोक गहलोतजी ने कहा था।

श्री अध्यक्ष : स्थान ग्रहण करिये। माननीय माहिर आजाद।

श्री गोविन्द राम मेघवाल : अध्यक्ष महोदय, ये सही कह रहे हैं कि यह माहिर आजाद नहीं जाते तो ये किसान मरते ही नहीं, यहीं हैं उकसाने वाले, यही लोग गये और इन्होंने ही उकसाया । (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : गोविन्दसिंह नाम है न इनका?

डा. एन.एस. गुर्जर : अध्यक्ष महोदय, गये हैं कि नहीं गये हों, लेकिन इन्होंने इनके हाथ तो ऊपर खड़े करवा ही दिये।

मोहम्मद माहिर आजाद : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय गृह मंत्रीजी से 2-3 सवाल पूछना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : दो-तीन नहीं, एक पूछना है। फिर इसी में लगा दोगे सारा समय।

मोहम्मद माहिर आजाद : दो पूछ लेता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, एक सदस्य ने 20 पूछ लिये तो मेरे दो के तीन भी नहीं हो सकते। मैं तो बहुत छोटा सवाल पूछ रहा हूं, स्पेसिफिक पूछ रहा हूं।

श्री सांवर लाल : माननीय विधायकजी, आप विराजो। पहले मैं सिंचाई का जवाब दे दूं। आप गृह मंत्रीजी से पूछ रहे हैं तो मुझे जवाब तो देने दो। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मंत्री महोदय बिराजें, स्थान ग्रहण करें। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : आपसे भी पूछ लेंगे, एक मिनट तो शांत रहें। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह पूछना चाहता हूं कि...

श्री अध्यक्ष : आपस में बात नहीं मंत्रीजी।

मोहम्मद माहिर आजाद : क्या आंदोलनकारी किसानों को अजमेर की सैण्ट्रल जेल में रासुका के अन्दर बन्द किया हुआ था और यह समझौता 11 दिसम्बर, 2004 को अजमेर की सैण्ट्रल जेल में हुआ था तो पहला तो यह बतायें कि समझौते पर किन-किन लोगों के हस्ताक्षर हैं, समझौता करने वाले कौन थे? दूसरा, मेरा सवाल यह है कि समझौते पर जिनके हस्ताक्षर हैं वो अजमेर की सैण्ट्रल जेल में गये तो क्या वे पास बनवा कर गये या बिना पास के राठौड़ी में अजमेर की सैण्ट्रल जेल में चले गये? चाहे वो श्री एस.एन. गुप्ता हों और चाहे वो चन्द्रराजजी सिंघवी। तीसरा, सवाल मेरा यह है कि आपने जस्टिस आर.एस. केजड़ीवालजी को नियुक्त किया है यह स्वागतयोग्य है, उसका टाइम कितना रखा है कि वो कितने दिन में रिपोर्ट देंगे? इन सवालों का जवाब दीजिये।

श्री अध्यक्ष : घड़साना, रावला के मामले से सम्बन्धित बातों का जवाब तो ये देंगे लेकिन पास से गये या बिना पास के गये, इनको क्या पता है इस बात का?

मोहम्मद माहिर आजाद : अध्यक्ष महोदय, यह पार्ट है। अध्यक्ष महोदय, समझौता इज ए पार्ट आफ स्टेटमेंट। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : कैसे देंगे यह जवाब?

मोहम्मद माहिर आजाद : इन्होंने कहा समझौता हुआ अजमेर जेल में तो इसको आप इर्रलेवेंट कैसे समझते हैं?

श्री अध्यक्ष : अलग से प्रश्न है। प्रश्न में पूछ ली बात।

मोहम्मद माहिर आजाद : चलिये यह बता दें कि समझौते पर किस किस के हस्ताक्षर हैं यह इर्रेलेवेंट नहीं है। समझौता किन लोगों ने किया यह तो बतायें। जब समझौता अजमेर सैण्ट्रल जेल में हुआ है, जेल में कोई बिना पास के नहीं जा सकता इसलिए मैं तो यह जानना चाहता हूं कि समझौते में हस्ताक्षर किस-किस के हैं? क्या यह जो मंत्रियों की समिति बनी इनको भी उसमें महत्व नहीं दिया क्या? (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : गुंडे सारे जेलों में घूम रहे हैं, बिना पास के घूम रहे हैं। (व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद) : अध्यक्ष महोदय, आप इजाजत दें तो मैं पूछूं।

श्री अध्यक्ष : पूछो। आप कितने क्लेरिफिकेशन लेंगे? कितने क्लेरिफिकेशन लेंगे वह भी बता दो?

श्री अमराराम (धोद) : वह तो जो मेरे मन में हैं वो ही क्लेरिफिकशन लूंगा और तो कौनसा लूंगा।

श्री अध्यक्ष : कितने लेंगे क्लेरिफिकेशन? यह पूछ रही हूं।

श्री रामप्रताप कासनिया : हमारे भी मन में बहुत सी बातें हैं।

श्री अध्यक्ष : आपको भी समय देंगे, बीच में बातचीत नहीं।

श्री अमराराम (धोद) : माननीय अध्यक्ष महोदय, गृह मंत्रीजी ने अभी रावला घड़साना और खाजूवाला के आंदोलन के बारे में वक्तव्य दिया है और मुझे बड़ा अफसोस है कि अभी भी सरकार और सरकार के गृह मंत्रीजी यह मानते हैं कि यह कुछ लोगों का राजनीतिक स्वार्थ के लिए आंदोलन था। मैं नहीं समझता...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बीच में नहीं बोलें।

श्री अमराराम (धोद) : राजनीतिक स्वार्थ से कोई भी जनता दो जिलों की जनता सड़कों पर रास्ता नहीं रोक सकती। पूरे गंगानगर, हनुमानगढ़ और

(श्री अमराराम)

बीकानेर तीन जिलों के कस्बे और मण्डियां बन्द नहीं हो सकती। कोई भी राजनीतिक स्वार्थ हो सकता है, राजनीति करने के लिए आपने पार्टी बनाई है, हम पार्टी में है, कोई भी राजनीतिक स्वार्थ के लिए जनता को मैदान में उतारना चाहे तो नहीं उतार सकता। जनता की वाकयी तकलीफ थी और उस तकलीफ की अनदेखी इस बात पर की गई। न केवल यह की गई, गृह मंत्रीजी यह बता दें..

श्री अध्यक्ष : प्रश्न पूछें।

श्री अमराराम (धोद) : प्रश्न ही पूछ रहा हूं। गृह मंत्रीजी, क्या यह सही है कि गृह मंत्री और मुख्य मंत्री ने उन आंदोलनकारियों को असामाजिक तत्व क़हा और 12 को रात को एक बजे उन्हीं असामाजिक जिनको कह रहे थे। उनके सामने घुटने टेके इस सरकार ने रात को एक बजे। क्या कारण था कि आंदोलन करने वाले किसानों पर, खेत को बचाने वाले, पीने के पानी को बचाने वाले, अपने हक की मांग करने वालों पर इन्होंने रासुका जैसा कानून लगाया। क्या यह सरकार पानी मांगना, खेत बचाना, मंडी बचाना, व्यापार बचाना, मजदूर की मजदूरी बचाना, अगर यह राष्ट्र को खतरा है तो ऐसा खतरा बार-बार होगा, सरकार कान खोलकर के सुन ले। यह गंगानगर के लोगों ने 1970 में यह जमीन भी खून देकर के ली है। 1970 में तत्कालीन सरकार जमीन को नीलाम करना चाहती थी तो 18 लोगों ने अपना खून देकर के भूमिहीन ओर कमीपूर्ति वालों ने जमीन ली है। 18 लोगों ने खून देकर के 69-70 में ली थी और आज भी ली है। मैं कहना चाहता हूं, मंत्रीजी कह रहे थे कि हमने मांग मान ली थी। मांग मान ली थी तो क्यों नहीं बुआई की नरमा और कपास में। इन्होंने, सरकार ने आदेश निकाला कि कोई भी किसान अगर फसल वो लेगा तो उस पर मुकदमा दर्ज होगा। यह केवल पीने के पानी के लिए है। पानी अगर वहां था, इन्होंने मान ली, मांग मान ली तो फिर आंदोलन किस बात का है?

श्री सांवर लाल : अध्यक्ष महोदय, भाषण हो रहा है। बिना तथ्य की बात रख रहे हैं। मैं अपनी चीज का जवाब दूं। भाषण बन्द करें, सवाल पूछें। (व्यवधान)

श्री धर्मेन्द्र कुमार मोची (टीबी) :..... पिछले वर्ष 2800 रूपये नरमा बिका था और इस साल 1700-1800 रूपये बिका है। बड़ी शर्म की बात है। यह किसान के नाम पर आंदोलन कर रहे हो और केन्द्र सरकार से बात नहीं करते। (व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद) : आप तो राजनीतिक स्वार्थ के लिए केन्द्र सरकार के खिलाफ जाओ न। जनता को उतारो मैदान में। (व्यवधान)

श्री धर्मेन्द्र कुमार मोची :... और आप इस बात की बात नहीं करते कि नरमा के भाव क्या हैं, आप पानी के नाम पर आंदोलन कर रहे हो।

श्री अमराराम (धोद) : अध्यक्ष महोदय, यह सरकार इस हेकड़ी के साथ जो सरकार का सामंती सोच था इस सरकार के खिलाफ...

श्री अध्यक्ष : प्रश्न पूछें। कोई क्लेरिफिकेशन लें कुछ हो तो। आप तो भाषण देने लगे।

श्री अमराराम (धोद) : क्लेरिफिकेशन ही मांग रहा हूं। अध्यक्ष महोदय, जनता ने कोई हिंसा नहीं की। मैं कहना चाहता हूं कि 25 सितम्बर को मैं वहां गया, 26 सितम्बर से चालू हुआ। 24 अक्टूबर के पहले तक 26 दिन तक रावला घड़साना में 50 हजार लोग...

श्री सुरेन्द्र सिंह राठौर (श्रीगंगानगर) : 27 तारीख को तो गोली चली थी और आप उससे पहले ही पहुंचे गये। (व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद) : 26 दिन तक आपका कोई भी सक्षम अधिकारी..

श्री सुरेन्द्र सिंह राठौर (श्रीगंगानगर) : 27 को तो गोली चली थी और उससे पहले ही पहुंच गये वहां। गोली चलवाने के लिए गये थे क्या?

श्री अमराराम (धोद) : गोली मैं ही चलाता हूं?

श्री सुरेन्द्र सिंह राठौर (श्रीगंगानगर) : गोली 27 को चली है और आप

(श्री सुरेन्द्र सिंह राठौर)

कह रहे हो कि 27 से पहले हो पहुंच गये थे। आप और मैं दोनों ट्रेन में एक ही डिब्बे में थे। तारीख तो याद कर लो। (व्यवधान) एक ही डिब्बे में सफर किया था अपन ने तो तारीख तो याद करो अच्छी तरीके से।

श्री अमराराम (धोद) : उससे पहले भी होकर आया था। आप तो यहां राज के मजे ले रहे थे जब 25 दिन तक 10-10 हजार किसान एस.डी.एम. कार्यालय के सामने बैठे हुए थे। 24 दिन तक एक भी अधिकारी, मंत्रियों और जन प्रतिनिधियों की बात तो छोडिये, एक भी प्रतिनिधि..

श्री सुरेन्द्र सिंह राठौर : राज का मजा कभी लिया नहीं और न ही लेंगे। जनता के आंदोलन में आपसे आगे बढ़कर के हमेशा हुआ हूं। लेकिन आप जो वहां आपके नेता हैं, क्यों उनके बोझ के तले दबे जा रहे हो, आप अपना सीकर संभालो और मजे करो। उन लोगों की करतूतें। .. (व्यवधान) उनकी करतूतें हम पर छोड़ दो।

श्री अमराराम (धोद) : आप बिराजो। आप तो मस्त रहो, स्वास्थ्य लाभ लो। (व्यवधान) आप तो राठौड़ साहब, वो बयान रिपीट कर दो कि जो मुख्य मंत्री के लिए गंगानगर में दिया था। वो यहां सदन के सामने रख दो।

श्री सुरेन्द्र सिंह राठौर (श्रीगंगानगर) : मैं तो कोई बयान दिया उससे वापस नहीं होता, बयान दिया है वो दिया है।

श्री अमराराम (धोद) : आपने बयान दिया था, रावला घड़साना, खाजूवाला के आंदोलन के लिए राजस्थान की मुख्य मंत्री के लिए जो बयान दिया था वो जरा आप बता दो। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : घड़साना की बात करते-करते, किसानों की बात करते-करते कहां आ गये आप? (व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद) : अध्यक्ष महोदय, वो बीच में टोक रहे हैं।

श्री महावीर प्रसाद जैन : अध्यक्ष महोदय, यह जवाब चाहते हैं या नहीं? जवाब चाहते हैं तो जवाब सुनिये। प्रश्न पूछ सकते हैं पर इस प्रकार का लम्बा और उत्तेजना पैदा नहीं करें। (व्यवधान) पहले जवाब सुनिये।

श्री अमराराम (धोद) : प्रश्न पूछने से पहले ही जवाब देंगे?

श्री गोविन्द राम मेघवाल : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने कहा है कि सामंती सोच की सरकार चल रही है, यह सामंती शब्द एक्सपंज किया जाय, यह गलत कहा है। (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : आप अगर ऐसी उत्तेजना की बात करोगे तो उत्तेजना इधर भी आती है। आपसे कम तो वह भी नहीं है, आपसे कम वह भी नहीं है (व्यवधान) कैसे भी निपट लो चाहे।

श्री अध्यक्ष : आप समाप्त कर दें। आपने प्रश्न नहीं पूछा, आपने भाषण दे दिया ठीक है।

श्री अमराराम (धोद) : नहीं अध्यक्ष महोदय, बोलने तो दो। बोलने तो दो।

श्री गोविन्द राम मेघवाल : अध्यक्ष महोदय, ये नहर के पानी के बारे में क्या जानते हैं? ये नहीं जानते कि नहर में टेल क्या है, मूड़ क्या है, इनको कोई ज्ञान नहीं है। ये यूं ही फेंके जा रहे हैं हवा में। (व्यवधान)

श्री जुबेर खान : अध्यक्ष महोदय, यह लाइसेंस दिया हुआ है क्या जब चाहे मर्जी आये बोल लें। आप हमको प्रताडि़त करते रहते हैं। ये कुछ भी बोलते रहें, आप इनको क्यों नहीं प्रताडि़त करते। (व्यवधान) क्या आसन सत्ता पक्ष के सामने असहाय महसूस कर रहा है? हम आसन की गरिमा करते हैं, आपके साथ हैं। ये एक-दो सदस्य तो बार-बार टोकते हैं, आप उनको प्रताड़ित कीजिये।

श्री अध्यक्ष : आपको प्रताडि़त कब किया। नोखा से आने वाले माननीय सदस्य, बीच में नहीं बोलें। (व्यवधान) बाड़मेर से आने वाले माननीय सदस्य, प्लीज स्थान ग्रहण कर लें।

श्री अमराराम (धोद) : अध्यक्ष महोदय, सरकार तो यह जवाब दे दें कि 26 सितम्बर से किसान आन्दोलन में थे। 26 सितम्बर से लेकर 24 अक्टूबर तक सरकार का कौनसा प्रतिनिधि किसानों की संघर्ष समिति या किसान-मजदूर-व्यापारियों की संघर्ष समिति से वार्ता करने गया?

श्री राजेन्द्र राठौड़ : बता देंगे।

श्री अमराराम (धोद) : हां बता देना, क्यों चिंतित हो रहे हो। अध्यक्ष महोदय, यह जो मंत्रीजी सरासर असत्य बयान कर रहे हैं कि जनता...

श्री अध्यक्ष : आप तो सत्य बयान कर रहे हैं ना? आप तो बिलकुल सत्य कह रहे हैं ना? (व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद) : बिलकुल सत्य कह रहा हूं । अध्यक्ष महोदय, अभी गृह मंत्रीजी ने स्टेटमेंट दिया है कि जनता की तरफ से फायरिंग की गई। आप एक भी हथियार बरामद करके बता दें या पुलिस के किसी भी सिपाही के किसी आर्म्स के या किसी भी गोली के निशान हैं? आप मेडिकल रिपोर्ट यहां सदन के पटल पर रख दें कि जनता की तरफ से फायरिंग की गई और पुलिस के किसी जवान या अधिकारी के...

श्री अध्यक्ष : बात खतम हो गई, ठीक है, ठीक है, आपने पूछ लिया, जवाब दे देंगे, मंत्रीजी जवाब दे देंगे।

श्री जुबेर खान : अध्यक्ष महोदय, ये मुख्य सचेतक महोदय बैठे-बैठे बोलते रहते हैं। आप इतने वरिष्ठ सदस्य हो गये। आप थोड़ा सा लिहाज करिये गरिमाओं का। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : धोद से आने वाले माननीय सदस्य, बैठिये, नौ मिनट हो गये हैं, बैठिये।

श्री अमराराम (धोद) : अध्यक्ष महोदय, 26 अक्टूबर को जब लाठीचार्ज किया गया...(व्यवधान)

श्री सांवर लाल : आपका जवाब दे रहा हूं मैं।

श्री अमराराम (धोद) : अध्यक्ष महोदय, 29 अक्टूबर को उपखण्ड कार्यालय से जनता को जो धरना दे रही थी बाहर, उस जनता को खदेड़ने का ही नहीं, एक-एक किलोमीटर तक जाकर इस तरह से लूटपाट मचाई और इसी का नतीजा है कि वहां जितने भी प्रशासनिक और पुलिस अधिकारी थे, वे गुनाहगार नहीं थे तो आपने उन्हें किस कारण से हटाया? उन्होंने केवल यह

(श्री अमराराम)

गुनाह नहीं किया, पूरे बाजारों को लूटा। जिस लाठीचार्ज से घायल हुआ है जो उपखण्ड कार्यालय से एक किलोमीटर दूर जाकर हरभजन सिंह को मारने गये हैं...

श्री अध्यक्ष : अब आप अपनी बात कह चुके, स्थान ग्रहण कर लें। अब आप स्थान ग्रहण कर लें।

श्री अमराराम (धोद) : अध्यक्ष महोदय, मैं तो दो ही सवाल पूछना चाहता हूं, जो सरकार ने 11-12 तारीख को समझौता किया...

श्री अध्यक्ष : 10 मिनट हो गये, 10 मिनट का भाषण दे दिया और अब आप प्रश्न पूछने की बात कर रहे हैं। 10 मिनट हो गये, आपने भाषण दिया। यह कोई ठेका है क्या।

श्री अमराराम (धोद) : अध्यक्ष महोदय, यह तो बता दें, सरकार 11-12-2004 को समझौता होने के बाद तीन महीने तक जुडिशियल इन्क्वायरी स्थापित नहीं करने से पीछे क्या मंशा थी? जबकि समझौता करने वाले के साथ तय हुआ, उनका नाम लिया और यह भी तय हुआ कि इसको हम अतिशीघ्र घोषणा की है, इसको लागू करेंगे। तीन महीने तक नहीं की है इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि सरकार की हठधर्मिता और सामंती सोच के कारण छह किसानों को प्राणों की आहूति देनी पड़ी और सरकार आज भी इस बात के लिए आगाह रहे कि किसान और आम जनता की आवाज को राजनीति से प्रेरित नहीं समझे, उसकी बात को सुने तो मैं समझता हूं यह सरकार के लिए भी ठीक होगा और राजस्थान की जनता के लिए ठीक होगा, मुझे यही कहना है, धन्यवाद। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : प्लीज, अब आप स्थान ग्रहण कर लें। अब स्थान ग्रहण कर लें।

श्री हरिमोहन शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मैं भी कुछ कहना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : आप क्या पूछना चाहते हैं घड़साना के बारे में?

श्री रामप्रताप कासनिया : अध्यक्ष महोदय, मुझे भी पूछना है।

श्री सांवर लाल : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो पूछा है उनका जवाब तो दे दूं मुझे इनकी बात का जवाब देना है।

श्री अध्यक्ष : श्री रामप्रताप कासनिया । केवल एक प्रश्न।

श्री रामप्रताप कासनिया : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी से पूछना चाहता हूं...

श्री अशोक नागपाल : धोद से आने वाले मेरे साथी, माननीय सदस्य ने यहां पर जो कहा है...

श्री रामप्रताप कासनिया : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी से पूछना चाहता हूं कि यह जो घड़साना की समस्या है, यह पिछले 10-15 वर्षों से बरकरार है। क्या यह सही है कि अनूपगढ़ शाखा में मिट्टी भरी हुई थी और अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह भी पूछना चाहता हूं कि पिछले 7-8 सालों में अब की बार पानी पहुंचा है टेलों पर, यह बात भी सही है क्या?

दूसरा अध्यक्ष महोदय, भुआ जाऊं जाऊं हो रही है और फूफा लेने के लिए आ गया। बरसां की समस्यां ही 10 सालां की और लोहा तपा हुआ था, चोट इन्होंने मार दी। समस्या बहुत पुरानी थी। 10 साल पहले की समस्या थी यह । इसके लिए 2350 क्यूसेक्स पानी तय किया गया जबकि पानी ले रहे हैं 1950 क्यूसेक्स तो 300 क्यूसेक्स तो वैसे ही कम हो गया और 300 क्यूसेक्स जो यह आन्दोलन करने वाले हैं, मोटे-मोटे ठेकेदार हैं जो पानी की चोरी कर रहे हैं और इसीलिए 600 क्यूसेक्स पानी कम हो गया तो काश्तकार तो रोएगा ही, मरेगा ही। वाजिब ही मांग थी उनकी और इस तरह की दुर्घटना नहीं घटनी चाहिए। मैं इसके पक्ष में नहीं हूं। बहुत अन्याय है, ऐसा काम मत करना। जो मेरे जैसे पंच हैं अध्यक्ष महोदय, वे लोग मरवा देते हैं मनुष्यों को, बस इतनी सी बात है।

श्री अशोक नागपाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, धोद से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि 27 सितम्बर को...

श्री अध्यक्ष : अब आप काफी कह चुके हैं, दूसरे को पूछने दीजिये। मैंने आपका नाम नहीं पुकारा है।

श्री हरिमोहन शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मुझे इजाजत दी जाये।

श्री अशोक नागपाल : मेरे क्षेत्र की बात है, इसलिए मैं बता रहा हूं, मेरे विधान सभा क्षेत्र की बात है, मैं इसलिए बता रहा हूं।

श्री हरिमोहन शर्मा : मुझे इजाजत दी गई है और आप बिना इजाजत ऐसे ही खड़े हो गये।

श्री अशोक नागपाल : माननीय सदस्य, मैं आपको बता रहा हूं, आप कह रहे हैं कि कोई गया नहीं। मैं बता रहा हूं आपको, आप विराजिये।

श्री अमराराम (धोद) : वहां जाते आप, क्षेत्र में जाते आप। आप तो मस्ती कर रहे थे।

श्री हरिमोहन शर्मा : आप बिना इजाजत क्यों खड़े हो गये?

श्री अध्यक्ष : मैंने हरिमोहन शर्मा का नाम पुकारा है।

श्री अशोक नागपाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे दो मिनट का समय दीजिये, दो मिनट का समय दीजिये मुझे।

श्री अध्यक्ष : नहीं, मैंने हरिमोहन शर्मा का नाम पुकारा है। आपको मौका बाद में दूंगी। पहले मैंने इनका नाम पुकार लिया है।

श्री अशोक नागपाल : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने यह कहा कि.... मैं स्वयं वहां गया था और एक बार नहीं, पांच बार गया था। (व्यवधान) मेरी तो जमीन भी नहीं है। आपके लोगों की है और वहां आन्दोलन कर रहे थे।

श्री अध्यक्ष : खण्डार से आने वाले माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण कर लें।

श्री अशोक बैरवा "खण्डार" :... सारी पानी आप ढोल रहे हैं।

श्री अशोक नागपाल : माननीय बी.डी. कल्लाजी ने मेरे ऊपर यह आरोप लगाया था कि 11000 रूपये का चंदा दिया गया। मैंने आपको पत्र भी लिखा है, जिसका कोई जवाब नहीं दिया गया है। मेरे पास में उस पत्र की कापी है। मैंने कोई चंदा नहीं दिया है। जो आपको लिखा है।

श्री अशोक बैरवा "खण्डार" : आप जनता की बहुत वकालत करते हो। आपने जो चोरी कराई है नहरों में, वह किसी से छिपी हुई नहीं है। आप विराजिये। (व्यवधान)

श्री अशोक नागपाल : उस नहरों के ऊपर आपके इतने बड़े-बड़े व्यक्तियों के खेत हैं जो 25-25 मुरब्बे दबाकर बैठे हुए हैं और पानी की चोरी कर रहे हैं। (व्यवधान) सबसे पहले मैं 7.10.2004 को वहां गया। बाद में 14 को, 15 को और 16 को मैं वहां गया। (व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद) : सरकार ने भी ले रखी है और आपने भी ले रखी है, जनता के पैसों को चूना लगा रहे हो। (व्यवधान) जो पानी की चोरी कर रहा है उसको फांसी लगाओ। ये मंत्रीजी बैठे हैं, गृह मंत्रीजी बैठे हैं, कौन मना कर रहा है वरना राजस्थान के गंगानगर के, रावला के, घड़साना के लोगों ने आन्दोलन किया है, आपको उस व्यक्ति के लिए माफी मांगनी पड़ेगी। (व्यवधान) पहले भी पहाड़ियाजी की सरकार ने माफी मांगी थी। तुम्हारे में तो इतना भी नहीं है। तुम्हारे अधिकारी गये समझौता करने। समझौते तो पहले भी राजस्थान में हुए हैं। राजस्थान की सरकार के मुख्यमंत्री के साथ में आन्दोलनकारियों के समझौते हुए हैं। तुम्हारी सरकार की इतनी भी हिम्मत नहीं है। मंत्रियों को भेजकर, अधिकारियों को भेजकर समझौते करते हो। (व्यवधान)

श्री अशोक नागपाल : आप कहें तो वह मैं सदन के पटल पर रख सकता हूं। यह आपके पदाधिकारियों की रिपोर्ट है।

श्री अमराराम (धोद) : तुम्हारी सरकार और मंत्रियों में विश्वास नहीं है इसलिए राजस्थान की रावला, घड़साना और खाजूवाला की जनता से सरकार माफी मांगे और आइन्दा इस तरह से जनता को दबाने का काम नहीं करें।

श्री जीतराम : अमरा रामजी, जो पहले यहां सदस्य थे, जो आपके नेता थे, वह पानी की चोरी करते थे। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : गंगानगर से आने वाले माननीय सदस्य, कृपया स्थान ग्रहण करें। लूणकरणसर से आने वाले माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण करें। (व्यवधान)

श्री जीतराम : अध्यक्ष महोदय, मैं बताऊं इनके नेता की करतूत?

श्री अध्यक्ष : नहीं, आप भी स्थान ग्रहण कर लें। आप भी प्लीज, स्थान ग्रहण कर लें।

श्री जीतराम : मेरे पास इनके नेता की जानकारी है।

श्री अध्यक्ष : मैं नाम पुकार चुकी हूं। मैंने नाम पुकार लिया, उसके बाद में आप बोल लेना।

श्री हरिमोहन शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मेरे दो-तीन सवाल हैं। वैसे तो वकील विधायक गंगानगर के हिसाब से बिना..(व्यवधान) आप सुनो तो सही।

श्री जीतराम : आपको क्या पता, मुझे पता है। गंगानगर के बारे में मैं बताऊं। आपके नेता की पानी की चोरी के बारे में मैं बताऊं कि क्या है। वह कितनी-कितनी चोरी कर रहे हैं, अध्यक्ष महोदय। (व्यवधान)

श्री जुबेर खान : अध्यक्ष महोदय, आन ए पाइंट आफ आर्डर। जब आपने माननीय सदस्य का नाम पुकार लिया और आपने उनको कह दिया कि आप बैठिये, उसके बाद में भी आसन के आदेशों की पालना नहीं की जा रही है, यह बहुत गलत बात है।

अध्यक्ष महोदय, क्या आप चाहती हैं कि यह सदन ठीक से चले, परम्पराओं से चले तो सत्ता पक्ष के लोगों को यह मानना पड़ेगा..(व्यवधान)

श्री जीतराम : अगर चोरी नहीं कर रहे हैं तो बताऊं इनकी.. (व्यवधान)

श्री जुबेर खान : कि आसन से जो व्यवस्था दी जाय, उसकी पालना की जाय। माननीय सदस्य आपके व्यवस्था देने के बावजूद जबरदस्ती खड़े हो रहे हैं और उनको उकसा-उकसा कर खड़े कर रहे हैं..

श्री जीतराम : यह तो चोरी करवा रहे हैं...(व्यवधान) पानी जा रहा है, यह तो इनका काम है..

श्री जुबेर खान : इस तरह से सदन नहीं चल पायेगा, जिस तरह से यह कर रहे हैं..

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, कृपया स्थान ग्रहण करें। मालपुरा से आने वाले माननीय सदस्य, कृपया स्थान ग्रहण कर लें। मालपुरा से आने वाले माननीय सदस्य, मैं आपसे कह रही हूं, आप क्या बतायेंगे, आपका टर्न आये तब आप बताइयेगा। आप क्या कह रहे हैं, आपसे यह अपेक्षा नहीं की जाती है, कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : कभी-कभी बोलते हैं।

श्री अध्यक्ष : बोलें तो ठीक है लेकिन यह तरीका थोड़े हुआ। जब मैंने, आसन ने जब नाम पुकार लिया तो मैं सत्ता पक्ष और प्रतिपक्ष, दोनों पक्षों से कह रही हूं कि नाम पुकारने के बाद दूसरे सदस्य खड़े जब होते हैं तो बिलकुल नियमों के विपरीत है। मैं जिसका नाम पुकारूं आप उसे बोलने दें। आपको मौका मिलेगा, उनके बाद मिलेगा। (व्यवधान) आप फिर खड़े हो रहे हैं, आप फिर खड़े हो रहे हैं, क्या बात हुई यह। आप सत्ता पक्ष में हैं, माननीय मुख्य सचेतक, थोड़ा समझाइये इन्हें।

श्री संयम लोढ़ा : हरिमोहनजी, आसन पैरों पर।

श्री महावीर प्रसाद जैन : मैं तो रोकने की व्यवस्था पूरी करता हूं..

श्री अध्यक्ष : समझाइये थोड़ा।

श्री महावीर प्रसाद जैन : पर यहां इस प्रकार का वातावरण बन गया है कि बार-बार आपके आदेशों की अवहेलना हो रही है, कभी इधर से होता है तो इनको रोकना..

श्री संयम लोढ़ा : आप क्या कर रहे हैं, आप किसके आदेश से खड़े हैं।

श्री महावीर प्रसाद जैन : अभी मैं गारंटी से कह सकता हूं एक सदस्य नहीं उठ सकता है।

श्री जुबेर खान : माननीय मुख्य सचेतक महोदय, सबसे ज्यादा आपके सदस्य करते हैं और आप खुद करते हैं। आप आसन की बात को भी नहीं मानते, बैठे-बैठे ही बोलते रहते हैं। (व्यवधान)

श्री मदन राठौड़ : आज सुबह हरिमोहनजी खड़े ही रहे, वह बैठे ही नहीं। (व्यवधान) खड़े रहे पूरे समय तक, यह बैठे ही नहीं। यह उन्होंने अवहेलना की, उसका क्या होगा? यह हर समय खड़े ही रहते हैं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : हिण्डौली से आने वाले माननीय सदस्य, आप पुराने सदस्य हैं, आपको नियमों की जानकारी है तो नियमों का पालन भी आप करें। नियमों का पालन भी किया करें।

श्री हरिमोहन शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मेरे तीन सवाल हैं।

श्री अध्यक्ष : ना, केवल एक सवाल। (व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा : वैसे तो बकौल एक विधायक के बिना दिल और दिमाग की सरकार से कोई प्रश्न करना तर्कसंगत नहीं है...

श्री अध्यक्ष : तो काहे के लिए कर रहे हैं ? काहे को कर रहे हैं फिर? (व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा : लेकिन मैं यह जानकारी चाहता हूं गृह मंत्रीजी से..

श्री महावीर प्रसाद जैन : तो फिर बैठ जाओ, क्यों कष्ट पा रहे हो।

श्री हरिमोहन शर्मा : गृह मंत्रीजी से तीन जानकारी चाहता हूं। नम्बर एक-पुलिस फायरिंग का आदेश किस अधिकारी ने दिया? नम्बर दो – पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उन छह किसानों की पीठ पर जबरदस्त चोटों के और इनके निशान आये हैं। जब किसान आपके आंदोलन में से भाग रहे थे और उनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उनके बदन पर, पीठ पर चोट आई तो भागते हुए किसानों के पीछे गोली चलाने का आपका क्या उद्देश्य था? नम्बर तीन- जब दोनों मंत्री महोदय ने पुराने समय में उनकी सब मांगे मान लीं तो माननीय मुख्य मंत्री ने इन दोनों मंत्रियों ने जब मांगें मान ली प्रस्ताव स्वीकार कर लिया तो उनके प्रस्तावों पर इन दोनों मंत्रियों के हस्ताक्षर करवाने के बाद दूसरे दो आदमियों को जेल में क्यों भेजा?

श्री अध्यक्ष : भाषण नहीं होगा, केवल प्रश्न पूछे जायेंगे। हिण्डौली से आने वाले माननीय सदस्य, प्रश्न पूछे जायेंगे, भाषण नहीं।

श्री हरिमोहन शर्मा : भाषण नहीं दिया साहब, मैंने यह कहा है..

श्री अध्यक्ष : मैं देख रही हूं कि कई माननीय सदस्य तथा कई बार मंत्रीजी यहां तक इस जगह पर आ जाते हैं..

चौधरी विनोद कुमार : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सिर्फ एक बात ही कहना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : यह नियमों के विपरीत है। स्थान ग्रहण कर लें। मैं कह रही हूं, स्थान ग्रहण कर लें। (व्यवधान) शोर-शराबा नहीं। मैं कई दिनों से देख रही हूं कि कई माननीय सदस्य और कई बार मंत्री भी यहां तक आ जाते हैं, यह नियमों के विपरीत है और आज के बाद आईन्दा कोई भी इस जगह आकर के अध्यक्ष से बात करने की कोशिश नहीं करेंगे, आपको जो कोई सूचना देनी है, वह आप नीचे दें, टेबिल पर दें, टेबिल यहां पर आयेगी, इसका भविष्य में आप सब ध्यान रखेंगे।

चौधरी विनोद कुमार : अध्यक्ष महोदय, मैं कब से सिर्फ एक ही बात कहना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : कहना नहीं, कोई पूछना हो तो पूछिये, बात कहने का समय नहीं है।

चौधरी विनोद कुमार : केवल एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। निश्चित तौर पर राज्य सरकार की..

श्री जीतराम : मैं बताऊं इनकी करतूत। आप बैठो, मैं बताऊं इनकी।

श्री अध्यक्ष : आपको बोलना है तो बेलिये, अब खतम करिये जवाब को। (व्यवधान)

चौधरी विनोद कुमार : अध्यक्ष महोदय, अगर यह समय से पानी दे दिया जाता तो खरीफ की फसल भी पूरी हो जाती..

श्री जीतराम : विनोदजी, बैठिये, मैं बता दूं।

चौधरी विनोद कुमार : और रबी की बुवाई भी अच्छी तरह हो जाती। फिर यह जो कुछ भी हुआ, यह दुर्भाग्यपूर्ण बात है।

श्री जीतराम : अध्यक्ष महोदय, कामरेड साहब के जो नहर चल रही है, जो नेता बने हुए थे उस आन्दोलन के..

चौधरी विनोद कुमार : मैं आपको एक बात से आगाह कराना चाहता हूं..

श्री जीतराम : उनके कितनी, एक घंटे में पांच बीघा पानी पिलाई होती है, दूसरे काश्तकारों के घंटे में एक बीघा से ज्यादा पिलाई नहीं होती है.. (व्यवधान)

चौधरी विनोद कुमार : कि भाखड़ा क्षेत्र के अन्दर अब की दफा पानी कम होने की वजह से गेहूं की बीजाई बहुत कम हुई है और मार्च में अगर इसको एक-दो पानी नहीं दिया गया तो यह जो घटना घटी है उसकी पुनरावृति नहीं हो और पानी दिया जाय, यह सुनिश्चित किया जाय..

श्री जीतराम : इसलिए यह जो नेता जो हैं उनकी वजह से है यह सारा आंदोलन क्योंकि यह चोरी करवाते हैं, खुद करते हैं, मैं जानता हूं..

चौधरी विनोद कुमार : और जो कुछ हुआ, यह सब के लिए ही बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है।

श्री जीतराम : आपके हेतरामजी बेनीवाल के नहीं है तो मेरे को कह देना।

श्री अमराराम (धोद) : हेतराम बेनीवाल की गंगानगर में कोई जमीन फर्स्ट फेज में है तो बताओ मेरे को। (व्यवधान)

श्री जीतराम : यह आपसे ज्यादा तो मैं जानता हूं। आओ, मैं जानता हूं, आप छोड़ो, मैं जानता हूं। (व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद) : राजस्थान केनाल में जितनी जमीन हेतराम बेनीवाल की है..(व्यवधान)

श्री जीतराम : है, है, मैं जानता हूं। बिलकुल नाम लेता हूं और सही बताता हूं। (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र सिंह राठौर (श्रीगंगानगर) : अमरारामजी। मैं अध्यक्ष महोदय के माध्यम से माननीय..(व्यवधान)

श्री जीतराम : नहीं है तो बताऊं। आप क्या कहते हैं, मेरे को ध्यान है।

श्री अमराराम (धोद) : हेतराम बेनीवाल के पास जितनी जमीन है वह आपको दे देंगे, आपके खातेदारी कर देंगे। (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा : माननीय अध्यक्ष महोदय, मालपुरा से आने वाले माननीय सदस्य ने श्री हेतराम बेनीवाल पर जो आरोप लगाये हैं, वह सदन के सदस्य नहीं हैं, उन पर चोरी करवाने का आरोप लगाया है, यह नैसर्गिक न्याय के विपरीत है इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि इसको एक्सपंज किया जाय। (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र सिंह राठौर (श्रीगंगानगर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन में बताना चाहता हूं कि जो घटना हुई है वह इतनी बुरी हुई है..

श्री अध्यक्ष : आप बार-बार क्या खड़े हो रहे हैं, क्या कह रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं आप।

श्री सुरेन्द्र सिंह राठौर (श्रीगंगानगर) : सन् 1969 के बाद जो संगरिया में गोलीकाण्ड हुआ था उसके बाद यह घटना सालों के बाद दोबारा रिपीट हुई है और इसकी जितनी भी निंदा की जाय, उतनी ही कम है। क्योंकि हमारे किसान भाई पानी, जिसके बिना उनका जीवन भी बिलकुल अधूरा है, तो वह पानी की मांग ही कर रहे थे लेकिन इसके साथ ही हमें मानवीय दृष्टिकोण से देखना पड़ेगा क्योंकि चूंकि गोलीकांड जिस दिन हुआ है, 27.10.04 को, तो उस दिन मैं जयपुर था, माननीय राजेन्द्र राठौड़, माननीय सांवर लालजी जाट और बाकी के सारे हम गंगानगर के विधायक जितने थे, हम सब लोग दूसरे दिन...

श्री अध्यक्ष : गंगानगर से आने वाले माननीय सदस्य, आप क्या कहना चाहते हैं? कोई दूसरी बात तो है ही नहीं, क्या कहना चाहते हैं? क्या कहना चाह रहे हैं आप।

श्री सुरेन्द्र सिंह राठौर (श्रीगंगानगर) : मैं यह बात बताना चाहता हूं माननीय अध्यक्ष महोदय, कि इसको किस प्रकार इन्होंने राजनीतिक मुद्दा उठाया है, बनाया था। यह सज्जन अभी कह रहे थे कि पीठ में गोलियां लगी हैं, पीठ में गोली नहीं लगी है, हम लोग खुद गये थे और जाकर दूसरे दिन उनके घरों में देखा है, लाशों के छाती पर थी और...

श्री अध्यक्ष : ठीक है अब।

श्री सुरेन्द्र सिंह राठौर (श्रीगंगानगर) : पुलिस वाले बता रहे थे कि वह कपड़े फाड़-फाड़ कर आगे आ रहे थे लेकिन हमने खुद ने देखा कि आरएसी वाले, कौन सा बाई-इलेक्शन था इधर, मेड़ता, मेड़ता में वही कम्पनी, मेड़ता से वहां सीधी पहुंची थी और उन्होंने कपड़े भी चेंज नहीं किये थे और उनके सारे के सारे जल गये, अंदर पैसे भी जल गये। लेकिन उनका कोई मैं पक्ष नहीं ले रहा, लेकिन उनका भी देखा जाये तो बहुत बुरा हाल हो गया था। एक उनमें से सिपाही के 76 हजार रूपये लड़की की शादी के लिए उसने इकट्ठे कर रखे थे वह भी जल गये थे।

श्री अध्यक्ष : आप क्या कहना चाहते हैं। अब आपको माननीय प्रतिपक्ष के नेता, दो-तीन आप जो कुछ क्लेरिफिकेशन लेना चाहते हैं, उसके बाद बस..

डा. बुलाकीदास कल्ला : आप मेरे को भी रेस्ट्रिक्ट कर रही हैं?

श्री अध्यक्ष : मंत्रीजी के जवाब के बाद में अगला कार्यक्रम शुरू होगा।

डा. बुलाकीदास कल्ला : आपकी आज्ञा हो तो मैं बोलूं भी नहीं।

श्री अध्यक्ष : नहीं, बोलें क्यों नहीं आप।

डा. बुलाकीदास कल्ला : तो फिर आप मेरे को पहले से ही रेस्ट्रिक्ट क्यों कर रही हैं?

श्री अध्यक्ष : मैं बोलने के लिए नहीं कर रही हूं। चूंकि वक्तव्य आ चुका है, वक्तव्य के बाद यही परम्परा होती है कि क्लेरिफिकेशन लिया जाता है। अब आप सब लोग मेरी उदारता का नाजायज फायदा उठा रहे हैं, आसन की उदारता का नाजायज फायदा उठा रहे हैं..

डा. बुलाकीदास कल्ला : मैं बोलना शुरू नहीं हुआ, उससे पहले ही आपने मेरे को हिदायतें देनी शुरू कर दीं, अध्यक्ष महोदय। ऐसा कभी नहीं हुआ है। कोई बात नहीं, आप करें तो आपकी मर्जी है।

श्री अध्यक्ष : आपको हिदायत नहीं दी है मैंने, मैंने तो आपकी क्लेरिफिकेशन के लिए कहा है।

डा. बुलाकीदास कल्ला : पहले ही आपने मेरे को हिदायत देना शुरू कर दी। अध्यक्ष महोदय, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ है, कोई बात नहीं है, आप करें तो आपकी मर्जी है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आपको क्लेरीफिकेशन करना चाहिए। मैंने कहा आपको क्लेरीफिकेशन करने के लिए । (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा : अध्यक्ष महोदय, नाजायज शब्द है इसको एक्सपंज किया जाए।

श्री अध्यक्ष : क्या एक्सपंज कराएंगे आप?

श्री संयम लोढ़ा : यह शब्द जो उपयोग किया गया है – नाजायज, यह असंसदीय है, इसको एक्सपंज किया जाए।

श्री अध्यक्ष : क्या असंसदीय है?

श्री संयम लोढ़ा : नाजायज शब्द असंसदीय है, इसलिए इसको एक्सपंज किया जाए, यह मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : आपके शब्दकोष की तारीफ करनी पड़ेगी। (व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सबसे पहले तो सिंचाई मंत्रीजी से यह जानना चाहता हूं कि यह वाटर अलाउंस 5.23 क्यसेक्स से 3.5 क्यूसेक्स करने के आदेश क्या 1995 में हुए थे या नहीं हुए थे? दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि वाटर अलाउंस कांग्रेस के राज में कभी 5.23 क्यूसेक्स से कम नहीं हुआ। पहली बार इसको 3.5 क्यूसेक्स करने की कोशिश की गयी, जिसके कारण किसान, व्यापारी और मजदूर ने आन्दोलन किया।

दूसरी बात मैं यह जानना चाहता हूं कि रावला में गोली किसके आदेश से चलायी गयी? उस अधिकारी का नाम बतायें। हमारे पास में यह जानकारी है कि यह सी.एम.ओ. आफिस से आदेश हुए तो आप यह भी बताने का कष्ट करें कि रावला में गोली चलाने के आदेश किसने दिया और उसके बाद आपने एक पैकेज घोषित किया, उस पैकेज के अनुसार आपने हाईकोर्ट के जज से इन्क्वायरी कराने का आदेश दिया। आज तीन महीने के बाद आपने हाईकोर्ट के एक रिटायर जज को नियुक्ति अधिकारी लगाया। तीन महीने तक आप क्या करते रहे? सरकार सोती रही। इतने बड़े आन्दोलन की जांच कराने के लिए और विधान सभा के चलते हुए भी आपने विधान सभा में इसकी घोषणा नहीं करके बाहर घोषणा की, इससे विधान सभा की क्या अवमानना नहीं हुई है?

तीसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि पाइंट सिक्स मिलियन एकड़ फीट, जिसके बारे में संसदीय कार्य मंत्रीजी ने जो यहां पर प्रश्न उठाया था,

(डा. बुलाकीदास कल्ला)

उसको पंजाब को कभी नहीं दिया गया। राजस्थान में इन्फ्रास्ट्रक्चर डवलप होने के बाद आप (व्यवधान) आप कृपा करके बीच में नहीं बोले, आप बोल रहे थे तो हम सब आपको सुन रहे थे। अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से यह जानना चाहता हूं कि पाइंट सिक्स मिलियन एकड़ फीट पानी राजस्थान को इन्फ्रास्ट्रक्चर डवलपमेंट करने के बाद में मिलना चाहिए था और उसके बारे में इस पूरी विधान सभा ने यह संकल्प पारित कर रखा है कि वह पाइंट सिक्स मिलियन एकड़ फीट पानी राजस्थान को मिले, इसके लिए पूरे राजस्थान की विधान सभा ने संकल्प पारित करके दे रखा है, उसके बारे में आपने अब तक क्या किया? एक बात मैं यह जानना चाहता हूं कि पानी की चोरी के बारे में पक्ष और विपक्ष के कई माननीय सदस्यों ने आपके सामने प्रश्न रखे। मैं जानना चाहता हूं कि पानी की चोरी को रोकने के लिए आपने क्या उपाय किये और अब चूंकि वहां पर किसान आन्दोलन समाप्त हो गया है लेकिन अभी तक जो किसान आन्दोलन का असली मकसद था वह यह था 35 दिन के बाद वहां पर पानी मिल रहा था 35 दिन में, अध्यक्ष महोदय, कौनसी ऐसी फसल है जो किसान की वहां रह सकती है? आपने पानी कितने रोज के अन्तराल के बाद देने की बात की क्योंकि उनकी प्रमुख चार मांगें थीं। एक तो वाटर अलाउंस पहले जैसे रहे। दूसरी बात वे यह चाहते थे कि उनको एक निश्चित अन्तराल के बाद में पानी मिले, 18 और 20 रोज के बीच में, क्या आप 18 और 20 रोज के बीच में उनको पानी दे रहे हैं?

उन्होंने तीसरी मांग यह रखी थी कि अकाल राहत के कार्य खोले जाए। क्या आपने अकाल राहत के कार्य वहां पर खोले हैं? आपने अकालग्रस्त घोषित किये होंगे लेकिन वहां पर राहत कार्य अभी तक नहीं खुले हैं। पशु चारा डिपो नहीं खुले हैं और पशु सेवा शिविर एक भी उस इलाके में नहीं खुला है। मैं वहां उस इलाके में जाकर आया हूं। अध्यक्ष महोदय, किसान, मजदूर और व्यापारी भूख और पेट की लड़ाई लड़ रहा है और उसमें सारी राजनैतिक पार्टियों के लोग उसमें सम्मिलित थे। मैं यह कहना चाहता हूं कि आप लोग उस पानी की चोरी को रोकिये। पानी की चोरी को जब तक नहीं रोकेंगे तब तक किसान के खेत में और टेल एण्ड के ऊपर पानी पहुंचेगा।

अन्त में मैं दो प्रश्न गृह मंत्रीजी से जानना चाहूंगा। राजकुमार सिंधी,

(डा. बुलाकीदास कल्ला)

आई.ए.एस. की रिटन परीक्षा में जो पास था, उसके भाई मनोज कुमार ने एस.पी., गंगानगर को पत्र लिखकर कहा है कि मेरे भाई को जिस व्यक्ति ने गोली मारी है वहां पर कोई आन्दोलन नहीं हुआ, वहां पर कोई आगजनी नहीं हुई, वह व्यक्ति अपने ननिहाल से घर आ रहा था, उसको गोली मारने वाले के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए। क्या आपने उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है? जो लोग, यहां पर आपने जो स्थान बताये हैं, मैंने आपके वक्तव्य को शांति से सुना है। वहां-वहां पर कहीं भी गोली नहीं चली। गोली किसी जेठाराम को, जो गाय को घास डाल रहा था, उसके ऊपर गोली चल गयी। एक राजकुमार का जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया, मांगीलाल विश्नोई जो अपने एक रिश्तेदार के यहां से घर जा रहा था, उसकी हत्या हो गयी और इसी प्रकार से आपके कालू सिंह जो एक दुकान से सामान लेकर जा रहा था, उसकी हत्या हो गयी। इनके बारे में आपने क्या मुकदमे दर्ज किये और उनके खिलाफ भी आप क्या कार्यवाही करने जा रहे हैं और अन्त में मैं यह बात कहना चाहता हूं कि इस किसान आन्दोलन को जिस तरीके से, आपने 29 दिन तक उनसे बात नहीं की और एस.डी.एम. का घेराव होने के बाद में 25 तारीख को माननीय सिंचाई मंत्रीजी ने मीटिंग जरूर बुलाई लेकिन अगले ही दिन लाठीचार्ज करके 27 आदमियों को आपने लाठीचार्ज करके घायल कर दिया और उसके अगले दिन गोलियों से भून कर लोगों को, पानी मांगने वालों को जिस तरीके से मारा है, उनको शहीद किया है, राजस्थान की जनता आपको कभी माफ नहीं कर सकती इसलिए अन्त में मैं आपसे यह जानना चाहता हूं कि आप इस पूरे प्रकरण को इसकी हाईकोर्ट के जज से जांच कराने जा रहे हैं, हालांकि इसमें भी आपकी यह विधान सभा में हमारा स्थगन प्रस्ताव आया तब जाकर आपने इसकी जांच के आदेश दिये और आपने विधान सभा के बाहर इसकी घोषणा की लेकिन मैं यह जानना चाहता हूं कि अब आपकी क्या प्लानिंग है? आप किसान को 17 और 20 दिन के बीच में पानी देना चाहते हैं या नहीं देना चाहते हैं?

दूसरी बात मैं यह जानना चाहता हूं कि पानी की चोरी को रोकने के लिए आपने क्या प्रबन्ध किये हैं? हरियाणा, पंजाब और राजस्थान इन तीनों स्थानों के ऊपर पानी साइफन हो रहा है। मैं अपनी आंखों से देखकर आया हूं। इसलिए इस पानी की चोरी को जब तक आप नहीं रोकेंगे जल प्रबन्धन सही

नहीं होगा और अन्त में एक बात कहना चाहता हूं कि पोंग डेम का वाटर लेबल जब से कम रखने की बात की गयी है उससे किसानों का अहित हो रहा है इसलिए आप सब लोगों को और हम लोगों को मिलकर जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में हमारा मामला है, केन्द्रीय सरकार के दखल से गया है, वहां पर जाकर हमको इसको रखना होगा और पोंग डेम का लेवल जो है वह पूरा भरा जाए, एक या दो फीट खाली रखकर उसको पूरा भरा जाए ताकि तभी जाकर किसानों की समस्या का हल होगा। इसके बारे में आप क्या कार्यवाही कर रहे हैं?

श्री सांगसिंह भाटी (जैसलमेर) : अध्यक्ष महोदय, खाजूवाला, घड़साना, अनूपगढ़ में आपने क्या पैसे दिये आन्दोलनकारियों को ? दिये हैं तो कितने रूपये दिये? यह सदन को अवगत करायें। आपने पैसे दिये हैं तो अवगत करायें।

डा. बुलाकीदास कल्ला : ऐसा है, एक रूपया भी मैंने नहीं दिया है। (व्यवधान)

श्री सांगसिंह भाटी : आपने हजारों रूपये काश्तकारों को भड़काने के लिए और इस सरकार को बदनाम करने के लिए आपने पैसे दिये हैं। (व्यवधान) काश्तकारों को सरेआम, तीनों जगह, खाजूवाला मे मैं रहता हूं, वहां मुझे अच्छी तरह से पता है। वहां दिये। (व्यवधान) सरकार को बदनाम करने के लिए सरेआम पैसे दिये।

श्री जुबेर खान : ऐसे पैसे देने का काम भारतीय जनता पार्टी के लोग करते हैं।

श्री सांगसिंह भाटी : सरेआम पैसे दिये।

श्री जुबेर खान : भारतीय जनता पार्टी करती है, कांग्रेस के लोग नहीं करते हैं ऐसा काम। (व्यवधान)

श्री सांगसिंह भाटी : मैं विपक्ष के नेता से पूछना चाहता हूं। प्रतिपक्ष के नेता से कभी यह उम्मीद नहीं की जा सकती है।

डा. बुलाकीदास कल्ला : यह असत्य आरोप है, असत्य बात कह रहे हैं।

श्री सांगसिंह भाटी : प्रतिपक्ष के नेता से यह कभी उम्मीद नहीं की जा सकती है। यह न्यायिका है, हमारी राजस्थान की न्यायिका, उसमें मैं यह उम्मीद नहीं कर सकता। मैं प्रतिपक्ष के नेता को सही बताना चाहता हूं लेकिन प्रतिपक्ष के नेता ने पहले सदन को गुमराह किया है। गुमराह यह किया है कि खाजूवाला और पूगल में कृषि काश्तकारों को कनेक्शन ट्यूबवैलों पर बिजली नहीं दी जा रही है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहता हूं कि एक भी ट्यूबवैल नहीं है उस जगह खाजूवाला और पूगल में।

मोहम्मद माहिर आजाद : सरकार ने दो महीने तक कुछ नहीं किया। (व्यवधान)

श्री सांगसिंह भाटी : और सरे आम सदन को गुमराह करने के लिए प्रतिपक्ष के नेता ने काम किया है। खाजूवाला और पूगल में एक भी ट्यूबवैल नहीं है। उन्होंने कहा कि काश्तकारों को बिजली नहीं मिली, यह प्रतिपक्ष के नेता ने सदन को गुमराह किया है और दूसरी, काश्तकारों को हजारों रूपये सरकार को बदनाम करने के लिए प्रतिपक्ष के नेता देकर आये हैं। (व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला : अध्यक्ष महोदय, वैसे तो प्रतिपक्ष से कभी प्रश्न नहीं पूछते हैं लेकिन यह सदन में नयी परम्परा है। मेरी चुनौती है जैसलमेर से आने वाले माननीय सदस्य प्रूव प्रस्तुत करें कि मैंने किसको चन्दा दिया।

डा. एन.एस. गुर्जर : जांच करवा लो इसकी।

डा. बुलाकीदास कल्ला : हां, जांच करवा लो।

श्री सांगसिंह भाटी : चन्दा दिया है आपने।

डा. बुलाकीदास कल्ला : मैं तैयार हूं।

डा. एन.एस. गुर्जर : इसकी जांच करवायी जाए।

डा. बुलाकीदास कल्ला : यह असत्य बोलने का पाप लगता है। इनको पाप लगेगा। इसमें यदि एक परसेंट भी सत्य हो तो मैं इस्तीफा दे दूंगा और नहीं तो जैसलमेर से आने वाले माननीय सदस्य इस्तीफा दें। (व्यवधान)

डा. एन.एस. गुर्जर : अध्यक्ष महोदय, यह सीरियस चार्ज है, इसकी जांच करवायी जानी चाहिए। (व्यवधान) सरकार इसकी जांच करवाये।

श्री जुबेर खान : यह भाजपा की अन्दरूनी लड़ाई थी। आपस में यह एक-दूसरे के खिलाफ चंदा दे रहे थे आप लोग। (व्यवधान)

श्री सांगसिंह भाटी : इसकी जांच होना आवश्यक है। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, एक जांच आयोग जस्टिस केजड़ीवाल की अध्यक्षता में पूरे प्रकरण की जांच के लिए बना हुआ है। आपकी अनुमति हो तो यह आरोप-प्रत्यारोप लगे हैं, इसका भी दूध का दूध और पानी का पानी हो जायेगा, जांच सौंप देते हैं उनको। (व्यवधान)

श्री सांगसिंह भाटी : हां, इसकी जांच होनी चाहिए।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : टर्म्स एण्ड रेफरेंस में यह भी लिख सकते हैं कि किस-किसने दिया। इस आन्दोलन को चलाने के पीछे कौन-कौन थे, किस-किसने पैसे दिये, इसकी भी जांच हो जाएगी, यदि आपकी इजाजत हुई तो, वह जांच भी हो जाएगी। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : ये आरोप-प्रत्यारोप उसमें कैसे आएंगे?

डा. सी.पी. जोशी :..(व्यवधान).....कौन-कौन पार्टी था इसमें इसकी भी जांच करवा ली जाए। यह आन्दोलन करवाने के पीछे मुख्यमंत्री को हटाने के लिए शामिल थे उसकी भी जांच करवा लीजियेगा पता पड़ जाएगा आन्दोलन कैसे हुआ। करायें जांच उसकी भी। करायें।

श्री अध्यक्ष : यह आरोप-प्रत्यारोप जांच के दायरे में नहीं आएंगे।

श्री बहादुर सिंह गोदारा : माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे भी दो मिनट का समय दिया जाए। मेरे क्षेत्र से भी यह समस्या सम्बन्ध रखती है।

श्री अध्यक्ष : यह कैसे दिया जाएगा समय अब आपको? अब क्या पूछना चाहते हैं आप?

श्री बहादुर सिंह गोदारा : मैं यह एक्सप्लेन करना चाहता हूं कि रावला घड़साना की समस्या का मुख्य कारण अभी तक हाउस के सामने नहीं आया है। घड़साना रावला और इनकी मुख्य समस्या का कारण जो पानी का अभाव क्रियेट हुआ है उसके मुख्य रूप से तीन कारण हैं।

श्री अध्यक्ष : आपको कोई प्रश्न पूछना हो तो पूछ लीजिये। भाषण देने का अवसर नहीं है।

श्री बहादुर सिंह गोदारा : मैं भाषण नहीं दे रहा हूं मैं तो कारण बता रहा हूं।

श्री सांवर लाल : कारण मेरे को पता है।

श्री अध्यक्ष : कारण इनको पता है। आपको कोई प्रश्न इनसे पूछना हो तो पूछें कारण वो भी जानते हैं इसलिए बताने की आवश्यकता नहीं है।

श्री बहादुर सिंह गोदारा : मैं तो दो-तीन कारण बताना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : आप मंत्रीजी। प्लीज।

श्री सांवर लाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, वैसे तो इस प्रकरण के सम्बन्ध में कैसे यह दुर्घटना घटी माननीय गृह मंत्रीजी ने और मैंने सारी बातें बताई जो भी घटना घटी दुर्भाग्यपूर्ण है यह प्रतिपक्ष के नेता महोदय आप भी मानते हैं और हम भी मानते हैं और आपको सारी जानकारी है। आपको पता है कि दुर्घटना घटित होने से पहले यहां पर सचिवालय के अन्दर बैठक बुलायी थी आप उपस्थित थे उसमें सारा समझौता जो-जो इनकी मांगें थी उनका हो गया था उसके बाद भी यह घटित हुआ। धोद से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि वो जेल में समझौता कैसे हुआ तो आपके नेताओं को पूछिये संघर्ष समिति

(श्री सांवर लाल)

वालों को कि जो समझौता मैंने 25 अक्टूबर को कर लिया उसके बाद आंन्दोलन क्यों चलाया और उसी शर्तों पर फिर क्यों समझौता किया? जवाब देना उनको पड़ेगा। समझौता करने के लिए माननीय अध्यक्ष महोदय, बेबुनियाद बातें कर रहे हैं। अब आपकी बातें सारी सुन ली तो आप बैठ जाइये न अब।

श्री अमराराम (धोद) : आपने 25 को ही कर लिया था तो क्यों जा रहे थे वहां आपका समझौता दिखा दो जरा।

श्री सांवर लाल : नहीं, जब माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने शांतिपूर्ण आपने जो भी कहा सुना है तो आप भी थोड़ी शक्ति रखो

श्री जुबेर खान : मुख्य मंत्री से पूछो आपका समझौता क्यों नहीं माना उन्होंने दूसरे से क्यों करवाया?

श्री घनश्याम तिवाड़ी : शांतिपूर्ण गलत बात सुनी, अब सही बात भी सुनो।

श्री सांवर लाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्री महोदय के निर्देश पर समझौता चाहे मंत्री करे कोई भी मंत्री कर सकता है कोई भी शासन सचिव है वो कर सकता है और मुझे...। मैं जो बता रहा हूं सुनिये न आप। मुझे जैसलमेर में किसानों के बीच में भेजा वो भी एजीटेट हो गये थे.. (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा : कम से कम +++ से तो नहीं करवाना था ना +++ से तो नहीं करवाना था समझौता।

श्री सांवर लाल : बैठ जाइये न। अध्यक्ष महोदय, वो स्थिति भी इसलिए पैदा हुई कि उन्होंने सेकेंड स्टेज के किसानों को भी भड़काना चालू कर दिया तो हमारा फर्ज था मुख्य मंत्रीजी ने मुझे भेजा कि हम किसी के साथ नाइंसाफी नहीं करेंगे सबको अपने हक का न्याय मिलेगा। मैंने उनको शांत किया मीनवाइल आपके नेता जेल में जाते ही क्यों पिघल गये उनसे पूछो न आप कि उन्हीं शर्तों पर जो सांवरलाल जाट के साथ समझौता किया कि 5.23 क्यूसेक्स कम नहीं होगा उसी शर्त पर यह समझौता क्यों किया और

(श्री सांवर लाल)

उसके अन्दर गवाह तो आप कहते तो आपको ले जाते जो अवेलेवल थे दो चन्द्रराज सिंघवी और एस.एन. गुप्ता और अब इनसे भी आपको तकलीफ है कि गवाह कौन गये तो आप जाना चाहते थे क्या?

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने सारी परिस्थितियां बता दीं। मैंने सारी परिस्थितियां आपको पहले बता दीं। अब आप कह रहे हैं कि आंदोलन के दौरान...।

श्री अमराराम (धोद) : आप में तो ताकत थी नहीं कि लिख कर दे दे और आपके अधिकारी जा आएं।

श्री सांवर लाल : राजस्थान के किसानों के साथ इन्साफ हमने किया इन प्रतिपक्ष में बैठने वालों ने नहीं किया है। पांच साल से तो हमने लड़ाई लड़ी फसल बीमा योजना लागू कर दो यह प्रतिपक्ष के नेता बैठे हैं, हमारा खजाना खाली है +++ यह तो राजस्थान की जनता का है आप लागू करो पर नहीं किया। माननीय वसुन्धराजी के आभारी हैं कि राज में आते ही पहले फैसला किया कि राजस्थान के किसानों के लिए फसल बीमा योजना लागू की। आप किसानों का भला नहीं करें उसमें आपको तकलीफ नहीं है हम अगर भला करें, भले की योजना लायें उसमें भी आपको तकलीफ है तो इसका इलाज मेरे पास नहीं है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने समाचार पत्रों में पढ़ा था। अब यहां बता रहे हैं संवेदनशीलता घड़साना के किसानों के साथ। घड़साना का आंदोलन घड़साना रावला तक रहा उसके बावजूद भी पूर्व मुख्य मंत्रीजी वहां पर गये वहां अखबारों में छपा दिया सरकार अगर मुझे कहे तो समझौता करा दूं। मुझे समझ में नहीं आया कि क्या आपने लगा रखा है क्या इनको धंधे पर। आपने करवा रखा है आंदोलन। आपका फर्ज बनता है। हर राजस्थान के नागरिक का फर्ज बनता था अगर इस प्रकार का आंदोलन हो रहा है उसकी जायज मांगे हैं तो हमसे बात करते हम उनको पूरा करते अगर अड़ियल रवैया था तो उनको कह सकते थे कि मिल बैठ कर बाद में में बात करेंगे। पर इस प्रकार के स्टेटमेंट देने वाले जब कह रहे हैं कि यह हो गया और वो हो गया। यह हमारे लिए बड़ी चिन्ता की बात है। मैं तो आपको आज भी आश्वस्त करता हूं कि

(श्री सांवर लाल)

जो हिस्सा हमारा है वे पानी पूरा देंगे और हमने क्या किया सारी बातें आपको बता दीं। पटवारी लगाये, टेल एंड तक पानी पहुंचाया। पिछले सात साल का..। आप बैठो सुनो न।

श्री अमराराम (धोद) : आप तो रावला के रेस्ट हाउस से बाहर नहीं जा पाये। आपके मंत्रियों की तो हिम्मत नहीं थी कि जो शहीद उनके हुए उनकी डेड बॉडी तक भी आप चले जाते। यह हिम्मत भी आपकी नहीं थी।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : बिलकुल उनके घर तक गये थे। उनके घर तक गये थे।

श्री अमराराम (धोद) :...और आज यहां छाती...(व्यवधान)... मांगीलाल के आप घर जाते।

श्री सुरेन्द्र सिंह राठौर : मंत्रीजी, अमरारामजी तो केवल इसलिए पूछना चाहते हैं कि उनको पूरा फिगर रटना है, एक्युरेट बताएं।

श्री सांवर लाल :....(व्यवधान)... अगर आप उस एजीटेशन में रहे तो उसके बाद में भी आपको रहना चाहिए था। आप कैसे भागे गये उसके बाद में यह कांड कैसे करवा दिया? आप इसका तो स्पष्टीकरण दीजिये और राजेन्द्र सिंह राठौड़ और हम गये वहां पर गांव में गये गांव वालों के बीच में गये।

श्री अमराराम (धोद) : मैं तो वहीं था।

श्री सांवर लाल : आप नहीं थे। कहीं दुबक रहे होंगे। आप कहीं और धंधे में लग रहे होंगे।

श्री अमराराम (धोद) : आप आते। मैं तो वहीं था मांगीलाल की डेड बॉडी के पास दाह संस्कार के वक्त। आप आते वहां तब पता लगता आपको।

श्री संयम लोढ़ा : आपकी तो घुसने की हिम्मत नहीं पड़ी उलटे पांव भाग कर आये वहां से आप।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : लाश पर राजनीति करना आपकी आदत है। (व्यवधान)...

श्री जुबेर खान : आप तो किसानों के डर से थाने पर बैठे थे....(व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र सिंह राठौर : चौकीदारी करने की मिल गयी होगी कीमत तो।

श्री जुबेर खान : किसानों के डर से थाने में रुके हुए हुए थे आप लोग।

श्री सांवर लाल : मैं तो यह पहले ही स्पष्ट कर चुका हूं 25 अक्टूबर को समझौता होने के बाद भी आप जैसे लोग लगे थे, आंदोलन को जारी रखवाने के लिए, बता दो न आपको इसलिए नहीं घुसने दिया वहां.. (व्यवधान).... आप यह कहना चाहते थे कि गलत बात के लिए भड़काया लोगों को। आज राजस्थान की जनता देख रही है आपको। आप यह कहना चाहते हैं।

श्री संयम लोढ़ा : आप तो वहां किसानों को यह कह कर आये थे.. (व्यवधान)..

श्री अमराराम (धोद) : मुख्य मंत्रीजी, राजस्थान में हैलीकोप्टर लेकर समस्या ढूंढ रही थीं तो ढाई महीने से राजस्थान का रावला घड़साना का किसान था. तो क्यों नहीं गयीं मुख्य मंत्रीजी बाकी राजस्थान में तो हैलीकोप्टर लेकर समस्या ढूंढ रही थी और ढाई महीने से लड़ रहे थे वहां मुख्य मंत्रीजी को सांप सूंघ गया था और आपको तो मंत्रीजी इतना ही नहीं समझतीं चपरासी की तरह भी नहीं समझती थीं मुख्य मंत्रीजी तो मैं क्या करूं इसका मेरे पास कोई इलाज नहीं है।

श्री सांवर लाल : पूरा तो सुन लो। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि पिछले सात सालों का रिकार्ड ले लीजिये दो वर्षों में गत वर्ष और इस साल रिकार्ड उत्पादन जो नहरी क्षेत्र में होगा आप आंकड़े देख लीजिये उठा कर। यह हमारी व्यवस्था की वजह से हुआ है। हमने डिसिल्टिंग करवायी।

श्री अमराराम (धोद) : यह आपकी मेहरबानी नहीं है किसानों ने लड़कर लिया है आपके कठों में नाखून देकर लिखा है..(व्यवधान)...

श्री महीपाल सिंह यादव : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्नों का जवाब दिलवाया जाए।

श्री सांवर लाल : आपका जवाब आ गया न विराज जाएं अब आप। अब आप झेंप मिटाना चाहते हैं इसका इलाज मेरे पास नहीं है। राजस्थान की जनता भुगत रही है और देख रही है।

श्री संयम लोढ़ा : राठौर-साहब, आप तो वहां लोगों को यह कह कर आये कि मुख्य मंत्री क रवाना करना है आंदोलन चालू रखो। आप अपने लोगों को यह कह कर आये थे।

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल : सवा साल बीत जाने के बाद आज तक काश्तकारों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध नहीं करवायी गयी है। अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्नों का जवाब दिलवाया जाए।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, बीच में व्यवधान नहीं डालें। मंत्रीजी जवाब दे रहे हैं आप व्यवधान नहीं डालें।

श्री सांवर लाल : प्रतिपक्ष के नेता महोदय ने एक सवाल उठाया कि हमने पाइंट 6 एम.ए.एफ. वाटर पंजाब को नहीं दिया हमारी क्षमता नहीं है नहरों को लाने की यह लिख कर दिया है आपने। किस दबाव में दिया भगवान जाने जवाब आपको देना पड़ेगा। उसका उपयोग आज भी पंजाब कर रहा है पाकिस्तान नहीं कर रहा है इसलिए आप यह नहीं कह सकते हैं कि पंजाब को पाइंट सिक्स नहीं दिया पंजाब में ही जा रहा है वो पानी पाइंट सिक्स एम.ए.एफ. । दूसरा आपने कहा चोरी रोकने के लिए क्या व्यवस्था कर रहे हैं।...(व्यवधान)..

श्री अध्यक्ष : आप क्यों बोल रहे हैं? वो बोल रहे हैं।

श्री सांवर लाल : चोरी के लिए हमने पैट्रोलिंग की व्यवस्था कर दी। जो चोरी कर रहे हैं उनके मुकदमे भी हमने कायम करने शुरू किये हैं और मैं आश्वस्त करना चाहता हूं कि जो मोघे गलत पानी ले रहे हैं जो निर्धारित साइज है उनसे ज्यादा ले रहे हैं उनको भी ठीक करायेंगे। अब आप लोगों में किसी को परेशानी हो तो यहां सदन में मत उठाना।

श्री अध्यक्ष : समाप्त करें।

श्री जीतराम : मंत्रीजी, 1154 मोघे ले रहे हैं वो ठीक करें।

श्री अध्यक्ष : समाप्त करें जब आप। हो गयी आपकी बात।

श्री सांवर लाल : अब माननीय अध्यक्ष महोदय. सवाल कुछ नहरें टूटने का उठाया तो नहरें टूटीं उनको हमने दुरूस्त भी करवाया है यह इस आंदोलन से सम्बन्धित नहीं है। उनकी मांगें थी वो हमने पूरी कर दी। आप सवाल लगायें उसमें पूरा जवाब दे देंगे।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : अध्यक्ष महोदय, कुछ सवाल जो खड़े किये गये हैं वैसे तो मैं सोचता हूं कि मैंने जितना विस्तृत वक्तव्य दिया है उसमें यह सब चीज समाहित थी फिर भी आपका आत्मसंतोष नहीं हुआ और इसलिए मुझे दुबारा कहना पड़ रहा है। मैं सोचता हूं कि आंदोलन का आधार बना था आपका 2000 का फैसला जिसके कारण आपने पानी की जो मात्रा 5.23 की, यह गलतफहमी उनके मन में बैठाई गई कि यह सरकार आपका पानी काटकर सप्लाई देना शुरू करेगी जबकि हमने इस बात को बार-बार समझाने का प्रयास किया, आश्वासन दिया कि आपका 5.23 प्रति हजार हैक्टेयर का जो पानी है वह मिलता रहेगा। लेकिन उन्हें यही गलतपाटी बार बार पढ़ाई गई कि आपका पानी यहां कम होगा और सैकिण्ड फेज में जो भी नहरें और बाकी जो डवलपमेंट हो रहा है वहां आपको यह पानी नहीं मिलेगा। इसके आधार पर उनके मन में एक असंतोष पैदा किया जिसका हमने हर स्टेट पर अपनी तरफ से और सरकार के हर समझौते में यह बात आई। जहां तक मुझे पूछा कि किन्होंने हस्ताक्षर किये उसके बारे में उन्होंने बता दिया कि जो समझौता हुआ उस पर उन तीनों के हस्ताक्षर हैं जिनको हमने रासुका में बंद किया, सैक्रेटरी के हस्ताक्षर हैं और उनके साथ जिनको इस समझौते में बुलाया गया था, जिनके साथ बातचीत की उनका विटनेस के रूप में, डाक्युमेंट के रूप में यह सब हस्ताक्षर है।

इसके साथ ही एक सवाल मोहम्मद माहिर आजादजी ने खड़ा कर दिया कि जेल में कैसे गये, किस आदेश के तहत गये। यह आदेश है 10 दिसम्बर का। इसके तहत कौन कौन-लोग जेल में जायेंगे, कब-कब जायेंगे, इनके लिये किस समय वार्ता होगी उस समय के आधार पर इनको अलाऊ किया, उसकी स्वीकृति का पत्र जारी हुआ। कितने महीने जांच आयोग की अवधि होगी, 3 महीने जांच आयोग की अवधि तय की है। राजनीतिक स्वार्थ, मैं भी समझ सकता हूं राजनीतिक स्वार्थ और जो गलतफहमी पैदा कर हम

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

जिस प्रकार का आंदोलन लड़ते हैं उसकी यह परिणति हुई। जो समझौता इन्होंने 25.10 को किया और जो अंतिम दिन समझौता हुआ भगवान के लिये आप दोनों को एक आंख के सामने रख कर देख लें और देखने के बाद लगे कि जो 25.10 को समझौता किया उसमें और लास्ट में जो जेल में समझौता किया उसमें अंतर कहां है? इसका मतलब आप स्वयं समझ जायेंगे कि आंदोलन किस कारण से प्रेरित था। जिन बिन्दुओं पर 25.10 को समझौता हुआ उसमें आप भी मौजूद थे। 25.10 मंत्रियों के साथ जो आपने मीटिंग की और उसमें जो आपने तय किये उनको और जेल में उन लोगों के साथ जो समझौता हुआ उसमें वर्ड टू वर्ड आप पढ़ लो और पढ़ने के बाद आप मुझे यह बता दो कि उसमें और इसमें क्या अंतर है। आपको स्वयं समझ में आ जायेगा कि यह आंदोलन किस बात से प्रेरित था। जो बात हम प्रारम्भ में ही मान रहे थे वही बात तो आपने अंत में मानी है। फिर अपने नाक को ऊंचा रखने के लिये इतनी ज्यादा हैंकड़ी करने की जरूरत क्या है। क्या जरूरत है बिना बात के लोगों को भड़का कर लोगों को एक तरह से इस हालत में पहुंचाया। फायरिंग किस कि आदेश से की, हरिमोहनजी ने और कुछ प्रश्न आपने भी खड़े किये। मैं सोचता हूं कि आयोग की कुछ सीमाएं है हम इस समय उन सब शब्दों को न उखाड़े जिसके कारण आयोग की जांच में फ़र्क पड़े। इसमें जो भी दोषी पाया जायेगा उसको निश्चित रूप से जैसी आयोग की रिपोर्ट होगी उसके अनुसार कार्यवाही करेंगे।

कहा गया कि पीठ में गोली नहीं लगी, यहां लगी। मैं सोचता हूं कि आप यह सारे डाक्युमेंट जो मैं लेकर आया हूं इसको आप देख लेना। आपने कहा कि वह तो वहां सब्जी लेने जा रहा था, वहां जा रहा था। जहां इस प्रकार के आंदोलन छिडते हैं वहां गोली कोई नाप तौल कर जाती नहीं है कि मोहनलाल को लगेगी, ऐसा तो सम्भव नहीं है। गोली जो चल गई वहां जहां लग गई वहां लग गई। उसमें छोड़ने वाले ने कोई टारगेट बनाकर थोड़े ही मारी है कि मुझे इसे मारना है। आपको कम से कम इतना पता होना चाहिये कि पुलिस के 80 लोग इन्जर्ड हुए हैं। हमारा सारा सामान जला दिया, आफिस जला दिये, लोगों को पकड़ कर ले गये। आखिर पुलिस भी किस सीमा तक बदार्शत करेगी। आप लोग अगर यह चाहते हैं कि पुलिस का बिलकुल मोरल

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

ही गिरा दें और सारा दोष उसके माथे थोंप दें। जो हमारे लिये वहां लड़ती है, मरती है और सारा का सारा दोष उस पर लाद दें। उसकी मजबूरी थी उन परिस्थितियों में वह अपने स्वयं की रक्षा के लिये और व्यवस्था को कायम करने के लिए इसके अलावा कुछ कर नहीं सकती थी। उसके बाद भी अगर कोई दोषी होगा तो आयोग बना है वह जिसको दोषी मानेगा हम कार्यवाही करेंगे। हमें प्रशासनिक तंत्र में पहली दृष्टि में जो भी कमियां नजर आई हमने उनके खिलाफ एक्शन लिया है। दो लोगों को हमने निलम्बित किया है, बाकी को हमने ट्रांसफर किया है। हमने हमारी तरफ से जो कुछ हम कर सकते थे सहृदयतापूर्ण इस सरकार ने किया है। मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप इस प्रकार के विषयों को राजनीति के दंगल में न डालें। न पानी बढ़ा न घटा। जो पानी आपने कभी नहीं पहुंचाया वह अबकी बार हमने, पहुंचाया है। हमने 12-12 के बाद तीन पारी देने की बात की, उनसे तय किया। मैं जिस बैठक में था हमने तीन मंत्रियों की बैठक में तय कर लिया केवल ड्राफ्ट लिखने में तीन घंटे लगे और वह ड्राफ्ट बनकर तैयार हो गया तो पता नहीं किसको सनक आई कि नहीं, इसको तो ड्राप करो और अंततोगत्वा हुआ क्या वही जो पहले दिन की बातें थीं वह अंतिम दिन में हुई। यह दुर्भागयपूर्ण स्थिति थी और उसके बाद भी जांच आयोग में किसी प्रकार का दोष होगा तो निश्चित रूप से उसे सजा मिलेगी।

डा. बुलाकीदास कल्ला : अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से एक मिनट। फैक्चुअल बात कह रहा हूं मैं।

श्री अध्यक्ष : विपक्ष के नेता, इट इज टू मच।

डा. बुलाकीदास कल्ला : अध्यक्ष महोदय, जो वक्तव्य गृह मंत्रीजी ने दिया कि जो मीटिंग हुई उसमें, वह कोई समझौता मीटिंग नहीं थी। वह केवल मीटिंग हुई थी इसलिए उस दिन कोई समझौता नहीं हुआ था, इसको आप करेक्ट कर लें।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : वह समझौता नहीं था लेकिन आपको बुलाकर जो पांच विषय उन्होंने खड़े किये थे उनका यह हल हो सकता है..

डा. बुलाकीदास कल्ला : उन्होंने केवल मीटिंग की थी हमारे से समझौता नहीं किया था।

श्री महावीर प्रसाद जैन : जो मीटिंग में तय हुआ वही समझौता होता है और क्या होता है।

डा. बुलाकीदास कल्ला : अध्यक्ष महोदय, कोई समझौता नहीं हुआ, मंत्रियों के साथ मीटिंग की थी और उसमें उन्होंने कुछ जानकारियां दी थीं।

श्री महावीर प्रसाद जैन : जो मीटिंग में तय हुआ वह क्या होता है।

डा. बुलाकीदास कल्ला : आपने वक्तव्य में गृह मंत्री महोदय यह नहीं बताया कि जहां घटनाएं घटित हुई, आंदोलन हुआ वहां गोली नहीं चली है। मैंने इसलिए उनका नाम लिया कि जहां कोई घटना घटित नहीं हुई, आंदोलन नहीं हुआ वहां लोगों पर गोलियां चली हैं इसलिए वहां पर जिन जिन लोगों ने गोलियां मारी हैं वह दोषी हैं और उनके खिलाफ जो मुकदमे दर्ज हुए हैं, उन पर कोई कार्यवाही नहीं हो रही है।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : मैंने आपको कहा कि यह परव्यू आयोग के सामने रहने दीजिए जो भी कमी-खामी रही है आयोग इसके बारे में तय करेगा। आपके पास कोई तथ्य हो तो उन्हें दे दें। और उसके बाद निर्णय कर लेंगे।

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल : अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि अभी माननीय गृहमंत्री महोदय ने जो स्वयं ने बात फरमाई है।

श्री अध्यक्ष : राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर वाद विवाद प्रारम्भ हो रहा है मैं सी.पी. जोशी का नाम पुकार रही हूं। (व्यवधान) अब कोई निवेदन की आवश्यकता नहीं है, नहीं कोई निवेदन नहीं, अब कुछ नहीं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आज आप नाराज होकर मत बोलना, मुस्कराकर बोलना।

धन्यवाद प्रस्ताव पर वाद-विवाद

डा. सी. पी. जोशी : हां, हंस कर बोलूंगा। अध्यक्ष महोदय, चुनाव के बाद जब सरकार बदली और मुख्य मंत्रीजी ने जनपथ पर जब शपथ ली।

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल : अध्यक्ष महोदय, मेरे एक भी प्रश्न का जवाब नहीं आया...

श्री अध्यक्ष : आपकी पार्टी के वरिष्ठ सदस्य बोल रहे हैं और आप बीच में आकर डिस्टर्ब कर रहे हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : प्रतिपक्ष के नेता, यह है आपकी पार्टी, यह है आपका अनुशासन।

श्री अध्यक्ष : अब आप नियमों में आइए, अब आप नियमों में आइए। आप लोग क्यों बीच में बोल रहे हैं।

डा. सी.पी. जोशी : अध्यक्ष महोदय, चुनाव के बाद जब सरकार बदली माननीय मुख्य मंत्रीजी ने जब शपथ ली:.

श्री घनश्याम तिवाड़ी : अध्यक्ष महोदय, दो घंटे खराब किये समझ में आया नहीं कि आपकी मांग क्या थी जो आपने इतना बड़ा हंगामा खड़ा किया।

डा. सी.पी. जोशी (नाथद्वारा) : अध्यक्ष महोदय, संवैधानिक व्यवस्था के अन्तर्गत चुनाव होते हैं और चुनाव के बाद सरकार का परिवर्तन होता है। हमें खुशी हुई कि नई सरकार बनी और नई सरकार में मुख्य मंत्रीजी ने जो शपथ ली तब जनपथ पर उन्होंने एक शेर पढ़ा था कि 'हंगामा करना मेरा मकसद नहीं है।' जब वह सदन में भाषण देने आई तब भी उन्होंने 2-3 शेर पढ़े और लोगों के मन में यह भावना और उमंग जगाई कि नई सरकार नये तरीके से परिवर्तन कर के जनता की आकांक्षाओं को पूरा करेगी। हमें बहुत खुशी हुई मुख्य मंत्रीजी महिला के रूप में पहली बार राजस्थान की मुख्य मंत्री बनीं। आप अध्यक्ष बनों और आज राज्यपाल भी महिला बनी। निश्चित तौर पर एक नया परिवर्तन राजस्थान में आने की अपेक्षा हर व्यक्ति कर रहा है। इस एक साल के सिंहावलोकन के बाद मेरा धर्म बनता है, मैं साधारण परिवार से आया

(डा. सी. पी. जोशी)

हूं मुझे भी मंत्री बनने का मौका मिला। आज जिस तरह की सरकार बनी मेरे मन में कल्पना थी कि एक साल में इस सरकार ने जो काम किया उसका सिंहावलोकन किया जाए, समालोचना की जाए। आने वाले समय में हम सब जो जनप्रतिनिधि यहां पर आए वह ईमानदारी से इस बात की चर्चा करें कि जिन राज्यपाल के भाषण पर हम चर्चा कर रहे हैं, जिन राज्यपाल के भाषण के बाद हम बजट लाते हैं, बजट लाने के बाद जिस तरह का हम प्लान बनाते हैं और बड़े जोरशोर से तालियां बजाते हैं कि हमने बजट के प्लान की साइज बढ़ा दी, हमने यह काम कर लिया वह काम कर लिया। मेरे मन में यह कल्पना थी कि हम जाकर इन सब चीजों को दुबारा देखें और एक साल के घटनाक्रम को याद करें कि एक साल का घटनाक्रम किस तरह से हुआ।

अध्यक्ष महोदय, मुझे बहुत खुशी हुई जब मुख्य मंत्रीजी के भाषण के बाद उन्होंने बजट रखा, उस बजट में उन्होंने बात कही, उन्होंने कहा मेरी परिकल्पना है कि राजस्थान समग्र रूप से विकसित राज्य बने, जनसाधारण की अपेक्षाओं को सुलभता से पूर्ण कर जन विश्वास की पुनर्स्थापना हमारी योजनाओं तथा शासन प्रणाली का प्रमुख अंग होगा जिसकी नीतियों की रणनीतियों के बीच में दूरी कम की जा सकेंगी, इसको मूर्त रूप देने की दृष्टि से हमने शासन की बागडोर सम्भालते समय विभिन्न विकल्पों पर विचार कर पांच वर्ष के विकास की रूपरेखा तैयार की जो हमारे विजन डाक्यूमेंट में परिलक्षित होती है। इसके अन्तर्गत हमने राज्य के विकास की दिशा निर्धारित करने की दृष्टि से 6 प्राथमिकताओं को चिन्हित किया है और हमारा बजट प्रस्ताव भी इन्हीं प्राथमिकताओं के अनुरूप है।

पहली दरिद्रता, कुपोषण, भूख से मुक्ति, आशक्त महिलाओं को सम्बल, मानव संसाधन विकास से सम्बन्धित आधारभूत सुविधाओं में वृद्धि, रोजगार सृजन तथा प्राकृतिक तथा सांस्कृतिक सम्पदा संरक्षण, अच्छा शासन एवं राजकोषीय सुधार तथा आर्थिक आधारभूत सुविधाओं का विकास। इन आधार पर राजस्थान के विकास की कल्पना कर सरकार बजट लाई। बजट लाने के बाद मेरे साथी जो बूंदी, हिण्डौली से आएं हैं उन्होंने उस दिन भी कहा, सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि जो एक साल का प्लान है उस प्लान के अन्तर्गत जो पैसा इन्होंने एक्चुअल सलेक्ट किया है वह अलोकेशन किया है 6922 करोड़ रूपये का। 7120 की स्कीम बनाई कहा कि पिछली

(डा. सी. पी. जोशी)

सरकार काम नहीं कर सकी। सरकार से जाकर हमने पैसा बढ़ाया, बढ़ना स्वाभाविक था। गवर्नमेंट जो सैन्ट्रल डिवोल्यूशन आफ फाइनेंशियल पावर है उसकी स्थिति बदली।

राजस्थान के वित्त मंत्री, राजस्थान के सांसद ही भारत के वित्त मंत्री थे। सरकार भारतीय जमता पार्टी की थी। उनको एक क्वेश्चन मिला। उनको 1200 करोड़ रूपये का एक आधार मिला जिससे उन्होंने प्लान की साइज बढ़ाई। बहुत खुशी हुई। आज एक साल बाद उन्होंने कहा हमने 100 दिन का बनाया, 365 दिन का बनाया, मन में कल्पना थी कि 100 दिन के अन्दर मोनिटरिंग की व्यवस्था की होगी, 365 दिन रकम मोनिटरिंग करने की व्यवस्था की होगी।

माननीय अध्यक्ष महोदया, यह आंकड़े हमारे पास उपलब्ध हैं, उन आंकड़ों के आधार पर मैं दो-तीन चीजों पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। पहला तो माननीय मुख्य मंत्रीजी ने बजट में जो बातें कहीं कौन-कौनसी बातें क्या है जिस पर सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि जो सदस्य बाद में बोलें, जो मुख्य मंत्रीजी की प्रशंसा में बाते कर रहे हैं, मेरे मन में भी यह कलपना थी कि मुख्य मंत्रीजी की प्रशंसा की जाए, वह कौन-कौनसी बातें हैं उनकी ओर मैं ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

पेज आठ पर कहा गया है कि इस वर्ष 26521 सहयोगिनियों को नियोजित किया जाएगा। यह मुख्य मंत्रीजी का परिवर्तित बजट भाषण है, उसमें कहा गया कि 26521 सहयोगिनियों को, अब जो कहा गया है उसमें 12000 सहयोगिनियों को नियुक्ति की है। मैं नहीं समझता कि एक साल पहले पांच साल के विकल्पों को सोचकर अलग-अलग अल्टरनेट डवलपमेंट के होने चाहिए उनके सोचने के बाद 6 प्राथमिकताएं बनाई। उन छह प्राथमिकताओं में पहला कहा गया कि 26000 सहयोगिनियों को हम नियोजित करेंगे और आज 12000 सहयोगिनियों को ट्रेनिंग दी गई है। (व्यवधान) खुशी होगी, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। 20 हजार का हुआ तो मुझे कोई तकलीफ नहीं है। जब हम 100 दिन का कार्यक्रम बना रहे हैं, 365 दिन का कार्यक्रम बना रहे हैं तो पर डे मोनिटरिंग करने की जिम्मेदारी हमारी है। यह 26000 का टार्गेट पूरा क्यों नहीं

(डा. सी. पी. जोशी)

हुआ, क्या जिम्मेदारी नहीं बनती? 26000 का टार्गेट नहीं हुआ तो इसके खिलाफ कोई एक्शन हुआ, इसके खिलाफ हमने कोई काम किया? मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि जो हमने कदम उठाए थे उसमें क्या-क्या कमी है उस पर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

प्रदेश के जनजाति बहुल जिलों में 6 से 14 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों में औसतन 50 प्रतिशत बच्चे सूक्ष्म पोषक (माइक्रो न्यूट्रिशन) की कमी से ग्रसित है। इन्हें अतिरिक्त सूक्ष्म पोषक तत्व उपलब्ध कराये जाने के लिए राज्य सरकार द्वारा सघन अभियान चलाया जाएगा।

कटारा साहब, प्रदेश में जनजाति बहुल जिलों में डूंगरपुर भी आता है, बांसवाड़ा भी आता है, सिरोही भी आता है, आपने यह माइक्रो न्यूट्रिशन केवल मात्र कोटड़ा और जालौर में शुरू किए। आपने तो यह कहा था कि यह पूरे प्रदेश की जनजाति बहुल जिलों में, जितने बहुल जिले हैं उन सब में हम बच्चों के लिए माइक्रो न्यूट्रिशन की व्यवस्था करेंगे। इस गवर्नर स्पीच में आपने कहा कि केवल मात्र जालौर और कोटड़ा के अन्दर ही हमने व्यवस्था की है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, राज्य में उपभोक्ता हितों के समर्थन एवं संरक्षण के उद्देश्य से उपभोक्ता कल्याण कोष की स्थापना होगी। खाद्य मंत्रीजी बैठे हुए हैं। बहुत इफेक्टिव आदमी है। बहुत प्रभावशाली आदमी है। उनके मुकाबले का कोई आदमी नहीं है। उपभोक्ता कल्याण कोष की स्थापना की गई।

डा. किरोड़ी लाल (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री) : स्थापना हो गई।

डा. सी. पी. जोशी : आगे बोल रहा हूं, इस काम से सूचनाओं के तथा संचार शिक्षा के माध्यम से उपभोक्ताओं को, उनके हितों के प्रति जागृति उत्पन्न की जाएगी, आपने तो जागृति उत्पन कर दी। कैसेज बन गए अपने पास और उसके बाद जिन उपभोक्ता का संरक्षण होना चाहिए था, उपभोक्ता के कल्याण कोष की स्थापना होने के बाद आपने काम्पनसेशन करवा दिया। उपभोक्ता को नकली चीज मिल रही है, वह नकली चीज नहीं जेनुइन प्रोडक्ट

(डा. सी. पी. जोशी)

मिल रहा है इस सम्बन्ध में हमने जागरूकता पैदा करवा दी। केसेज डिस्पोज होकर लोगों को फायदा हो रहा है, यह उपभोक्ता कल्याण कोष की स्थापना क्यों की गई? उपभोक्ता कोर्ट तो पहले से ही है। उपभोक्ता कोर्ट में रिड्रेसर की व्यवस्था आलरेडी है। यह व्यवस्था करने के पीछे था उपभोक्ता आंदोलन से युवाओं को जोड़ने के लिए इस शिक्षा सत्र में प्रदेश के 500 राजकीय माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में उपभोक्ता क्लब स्थापित करेंगे। 500 क्लब स्थापित कर दिए। घनश्यामजी बैठे हुए हैं, उन्होंने तो उपभोक्ता कल्याण कोष स्थापित कर दिया। उन्होंने 500 क्लब की व्यवस्था पूरी कर दी क्योंकि नये जमाने में उपभोक्ता का राइट बनता है कि हेतु जेनुइन प्रोडक्ट मिले। उपभोक्ताओं को राइट मिलता है कि उसका राइट प्रोटेक्ट करने के लिए हम कन्ज्यूमर प्रोटेक्शन की व्यवस्था करें। इसी उद्देश्य से माननीय मुख्य मंत्रीजी ने विकल्प चुना था, मुझे पता नहीं। घनश्यामजी जवाब देंगे तब बतायेंगे क्योंकि शिक्षा के क्षेत्र में इन्होंने साहसिक ऐतिहासिक काम किया है। 500 क्लब स्थापित करके इन्होंने इस लक्ष्य को भी पूरा किया होगा।

माननीय अध्यक्ष महोदय, अशक्त महिलाओं को सम्बल करने के लिए हमने यह कहा कि इस हेतु कठिन एवं दुर्गम क्षेत्रों को चुनकर 200 उप केन्द्रों पर प्रसव गृहों का निर्माण करवाया जाएगा। आज डा. दिगम्बर सिंह जी नहीं बैठे हुए हैं। 200 उप केन्द्रों पर प्रसव गृहों का निर्माण करवाया जाएगा। 200 का निर्माण हो गया? इसके अतिरिक्त सुरक्षित प्रसव के लिए दस हजार दाइयों को प्रशिक्षित किया जाएगा। (व्यवधान) बहुत अच्छा उनका प्रोटेक्शन भी ध्यान रखना पड़ेगा कि अब आपको ही करवाना है। आगे भी ध्यान रखना। बच्चे भी हैं तो आगे पढ़ाने का ध्यान भी आपको ही करना है। शिक्षा मंत्री जी के लिए कहा गया है कि राज्य में महिला साक्षरता दर जो कि वर्तमान में 44.3 प्रतिशत है को बढ़ाने के लिए राज्य सरकार द्वारा विशेष प्रयास किये जाएंगे। राज्य के 23 जिलों में जहां महिला साक्षरता दर राज्य की महिला साक्षरता दर से कम है उनमें 15 से 35 वर्ष की महिलाओं एवं बालिकाओं के लिए 10 हजार से अधिक विशेष महिला शिक्षण शिविर किए जाएंगे। मुझे खुशी होगी, मैं भी मंत्री रहा हूं।

आज एस.टी. गर्ल्स चाइल्ड एजुकेशन कितना प्रतिशत है? लेस देन टेन परसेंट। आज एस.सी. गर्ल्स चाइल्ड एजुकेशन कितना है? लेस देन टेन परसेंट। हमने एक साल में क्या प्रयास किया?

शिक्षा के क्षेत्र में, महिलाओं को एम्पावर करने के लिए बच्चियों को रिटेन करे उसके बारे में हम क्या कर रहे हैं। मुझे खुशी होती, आपने आज स्कूल खोले बहुत-बहुत धन्यवाद। पर आप मुझे खड़े होकर यह बताए क्या एक साल में बच्चियों को रिटेन करने के लिए हमने क्या इन्सेंटिव दिया। एस.टी. के अन्दर कितनी बच्चियां पांचवी क्लास में पढ़ रही हैं, कितनी आठवीं क्लास में पढ़ रही हैं? जो बच्चियां आठवीं में पढ़ रही थी वह दसवीं में कितनी आई? दसवीं पढ़ रही थी वह 12वीं में कितनी आई? क्या महिला साक्षरता को रिटेन करने की जिम्मेदारी के लिए हमने विशेष कार्यक्रम बनाया। केवल मात्र सर्व शिक्षा अभियान के अन्दर पैसा मिल रहा है। दूसरा, जो एन.जी.ओ. की व्यवस्था कर रहे हैं उनके अन्दर हमने व्यवस्था कर दी लेकिन राजस्थान के सन्दर्भ में ऐसे कौन से ब्लाक हैं? जालौर में गर्ल्स चाइल्ड एजुकेशन की व्यवस्था क्या है? उस गर्ल्स चाइल्ड की व्यवस्था के लिए राजस्थान की 237 पंचायत समितियों में से कौन-कौनसी पंचायत समितियां हैं जहां हमें विशेष ध्यान देना पड़ेगा। ऐसी कौनसी पंचायत समितियां हैं जहां विशेष ध्यान नहीं देना पड़ेगा इनका एक्शन प्लान बनाकर काम करने की मुख्य मंत्रीजी की मंशा होगी ऐसा मैं मानता हूं। ट्रेडिशनल काम तो हम 50 साल से करते आए हैं। महिला शिक्षा को बढ़ाने का काम हम करते आए हैं। (व्यवधान) आप सुन लीजिए, मेरी गाड़ी को फिर आप बहुत तेज कर दोगे। आप चाहते हो ध्यान में सुनना तो ध्यान से सुन लो।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : जहां आपके पैर पड़ रहे हैं वही कमी है। बाकी ठीक है।

डा. सी. पी. जोशी : बहुत अच्छा। मेरे पैर नहीं पड़े आपके यहां। सांगानेर में पड़े ध्यान है। आगे ध्यान रखना।

अध्यक्ष महोदय, महिलाओं को सम्बल करने के लिए कहा कि राज्य स्तरीय स्वयं सहायता समूह संस्थान स्थापित किए जाएंगे। सैल्फ हैल्प ग्रुप

(डा. सी. पी. जोशी)

बनाकर महिलाओं को सशक्त करना है। महिला अध्यक्ष है, महिला मुख्यमंत्री है, महिला राज्यपाल है इसलिए हमने उस समय विजन बनाया था। हम राज्य स्तरीय स्वयं समूह संस्थान बनाएंगे। संस्थान बने। संस्थान बनना जरूरी है। आंध्र के अन्दर सैल्फ हैल्प ग्रुप के अन्दर कितना काम हुआ, 30 हजार का टर्न ओवर है। सबसे ज्यादा सैल्फ हैल्प का कंसेप्ट साउथ में शुरू हुआ, आन्ध्र में शुरू हुआ। आप मुख्यमंत्री बनी, मन में कल्पना थी कि निश्चित रूप से इस सम्बन्ध में काम होगा, महिलाएं सशक्त होंगी, इनडिपेंडेंट होगी। एम्पावरमैंट होगा। एम्पावरमैंट होने के लिए एक संस्थान बनाने की कल्पना की। एक साल हो गया संस्थान बनाने की कल्पना करने में। कामकाजी महिलाओं हेतु शहरी क्षेत्रों में 13 छात्रावास तथा ग्रामीण महिला कामगारों के लिये ग्रामीण क्षेत्रों में 500 शिशु पालन गृह स्थापित किये जाएंगे।

डा. एन.एस. गुर्जर : आप बजट पर बोल रहे हैं कि गवर्नर के एड्रेस पर बोल रहे हैं?

डा. सी.पी. जोशी : आप बहुत विद्वान हैं, इसका वाइड स्कोप है।

डा. एन.एस. गुर्जर : नहीं, आप बजट पर बोल रहे हैं, गवर्नर एड्रेस पर बोल रहे हैं मुझे यह समझ में नहीं आ रहा है। आप पढ़े-लिखे हैं। (व्यवधान)

डा. सी.पी. जोशी : मैं जिस पर बोल रहा हूं, सोच-समझकर बोल रहा हूं। (व्यवधान) आप सुनिये।

डा. एन.एस. गुर्जर : देखिये, आप पढ़े लिखे हैं इसलिये आपको पाइण्ट आउट किया और कोई बोलता तो मैं नहीं बोलता।

डा. सी. पी. जोशी : आप बहुत विद्वान हैं। वाइण्ड अप करूंगी तब जवाब देना। (व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह : आपको बड़ी अपच हो रही है, आपको बहुत अपच है इन चीजों की। इसका क्षेत्र बहुत वाइड है। फालूत बात करते हैं। (व्यवधान)

डा. एन.एस. गुर्जर : नहीं, मैंने इसलिये कहा कि आप बहुत समझदार हैं। और कोई बोलता तो मैं समझ लेता, किसी को नहीं बोलता। (व्यवधान)

डा. सी.पी. जोशी : Gentleman, when I wind up I have said it. I have quoted it. सरकार के ये विकल्प चुने हैं उस पर बोल रहा हूं। I know what is the scope of the debate. Don't give me.... (व्यवधान) बी.जे.पी. के जो हैं उनको गाइड किया करें। इसलिये यहां बैठे हैं। हमें गाइड करने की जरूरत नहीं है। आप इनको गाइड किया करें। (व्यवधान) आप अपनी विद्वता वहीं पर लगाया करें। (व्यवधान)

डा. एन.एस. गुर्जर : यह गवर्नर एड्रेस है, इस पर कुछ और बोलें । (व्यवधान)

डा. सी.पी. जोशी : इसी विद्वता के कारण तो वहां बैठे हैं आप। आपकी विद्वता है, इसलिये वहां बैठे हो। बाकी यहां नहीं बैठ सकते हैं आप। (व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह : मंत्री नहीं बनने वाले हैं।

डा. सी.पी. जोशी : इसलिये विद्वता वहीं रहने दें, जहां जरूरत है। मैं वाइण्ड अप करूं फिर कमेण्ट्स करना।

डा. एन.एस. गुर्जर : ठीक है, ठीक है, बोलिये आप।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : नाथद्वारा से आने वाले माननीय सदस्य, अन्दर की बात आपको कैसे मालूम पड़ी?

डा. सी.पी. जोशी : क्योंकि आप मेरे मित्र रहे हैं, आप मेरे मित्र रहे हो।

(डा. सी. पी. जोशी)

अध्यक्ष महोदय, राज्य की कुल जनसंख्या के 1.7 प्रतिशत व्यक्ति नि:शक्त, फिजीकली चेलेंज्ड हैं जिनके विशे . देखभाल की आवश्यकता है। इस वर्ष सरकार द्वारा निशक्तों के लिये विशेष पैकेज के अन्तर्गत विभिन्न सुविधाएं दी जाएंगी, दे दीं सुविधाएं हमने? हमने बहुत सुविधाएं दे दीं।

अध्यक्ष महोदय, राज्य के विभिन्न जिला मुख्यालयों में, घनश्यामजी, मूक-बधिर व नेत्रहीन बालकों के लिये कोई शिक्षण संस्थान नहीं है।

श्री अध्यक्ष : आप सम्बोधन अध्यक्ष को करें, घनश्यामजी को नहीं।

डा. सी.पी. जोशी : अध्यक्ष महोदय, मैं आपको ही सम्बोधन कर रहा हूं।

डा. एन. एस. गुर्जर : आपकी विद्वता का परिचय दे दिया, अध्यक्षजी, आपने अभी।

डा. सी.पी. जोशी : बहुत अच्छा, धन्यवाद।

वहां एक विशेष शिक्षण संस्थान की स्थापना की जाएगी। राज्य के विभिन्न जिला मुख्यालयों पर जहां मूक-बधिर व नेत्रहीन बालकों के लिये कोई शिक्षण संस्था नहीं है। वहां एक विशिष्ट शिक्षण संस्था की स्थापना की जाएगी। क्या शिक्षण संस्थान की व्यवस्था कर दी हमने? 26 जिले हैं, 26 जिलों में दिसम्बर तक हमने यह व्यवस्था कर दी? अब 3 महीने में 26 जिलों में व्यवस्था कर देंगे, अध्यक्ष महोदय?

नि:शक्तजनों को रोजगार उपलब्ध कराने की दृष्टि से विशेष स्वरोजगार सहायता योजना लागू की जाएगी जिसके अन्तर्गत वित्तीय संस्थाओं से 40 हजार रूपये तक के ऋण की व्यवस्था करायी जाएगी, कर दिया? राज्य के, अध्यक्ष महोदय, यह बहुत जरूरी है। आप जिस उम्र के पड़ाव पर पहुंच गये उस पर इस पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। राज्य में लगभग 40 लाख वृद्धजन हैं। वृद्धजन वर्तमान परिवेश में उपेक्षित महसूस न करें तथा उन्हें समुचित संरक्षण एवं आधारभूत सुविधा उपलब्ध हो इस दृष्टि से वृद्धजन नीति बनायी जाएगी तथा सम्बन्धित विभागों को इस नीति के अनुरूप कार्यक्रम बनाने हेतु निर्देशित किया जाएगा। कर दिया? अध्यक्ष महोदय, आप

(डा. सी. पी. जोशी)

भी उस उम्र में हैं, आपको भी यह मालूम होगा कि कौन-कौन से विभाग में यह वृद्धजन की नीति बना दी और उन्होंने कर दिया। मुझे भी यदि जानकारी दें तो खुशी होगी. यह जानकारी बतायें कि यह काम करेंगे?

अध्यक्ष महोदय. बहुत जरूरी है, राज्य में अनुसूचित जनजाति के विकास के लिये महाराष्ट्र पैटर्न योजना लागू है। गत वर्ष इस पेटे 5 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया था जिसे बढ़ाकर इस वर्ष 30 करोड़ रूपये का प्रावधान प्रस्तावित है। इस राशि का उपयोग अभिनव योजनाओं में किया जाएगा ताकि उक्त योजनाओं में सस्टेनेबल डवलपमेंट हो सके। अध्यक्ष महोदय, आज ही प्रश्न का जवाब आया, भारतीय जनता पार्टी के नन्दलालजी मीणा के, 30 करोड़ के अगेंस्ट में मात्र 5.2 करोड़ रूपये खर्च हुए हैं और रिलीज किया है 14.8 करोड़ रूपये। यह महाराष्ट्र पैटर्न है। आदिवासी इलाके में..

डा. किरोड़ी लाल : आपने पूरे 5 साल में कितना रिलीज किया है? (व्यवधान) 10 प्रतिशत भी नहीं किया।

डा. सी.पी. जोशी : हमने 5 साल में जो किया उसका प्रश्न पूछना। (व्यवधान) पहले साल का, 2000-01 में 27 करोड़ रूपये, उसे पहले पढ़ लें। हमने क्या किया, इसलिये यहां बैठे हुए हैं। आप क्या कर रहे हैं उसका जवाब दे रहा हूं मैं। इसका ध्यान रखें। (व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, आप इनको रोकें जरा, रहेगा, नहीं तो उनको देखकर बोलना पड़ेगा। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप टोकें नहीं।

डा. सी. पी. जोशी : जब जवाब दें तो अपने आप जवाब दें। इनके पास बहुत सक्षम मंत्री हैं। इनके ट्रेलेण्ट और इनकी क्षमता से राजस्थान बहुत प्रभावित है। कोई भी जवाब दे देंगे ये। फिर नाथूसिंहजी और इनका नम्बर आ जाएगा, ये जवाब देते रहेंगे तो। वे वेट कर रहे हैं इसमें।

अध्यक्ष महोदय, 30 करोड़ रूपये के अगेंस्ट में केवल मात्र आज तक 5.22 करोड़ रूपये, अध्यक्ष महोदय, और कहते हुए तकलीफ है, आर्टिकल 275 (1) जिसमें भारत सरकार से पैसा मिलता है 22 करोड़ रूपये, इन 22 करोड़

(डा. सी. पी. जोशी)

के अर्गेस्ट में 3.92 करोड़ रूपये, यह पैसा राजस्थान सरकार का नहीं है। भारत सरकार का पैसा है, आर्टिकल 275 में पैसा मिलता है। 22 करोड़ के अर्गेस्ट में केवल मात्र 3.92 करोड़ रूपये खर्च हुए हैं। सेम योजना लागू की गयी। नेशनल सेम योजना, झालावाड़ के साथ डूंगरपुर, बांसवाड़ा भी उसमें सम्मिलित है। 45 करोड़ रूपये खर्च होंगे। 45 करोड़ रूपये भारत सरकार से आ गये। उसमें से कितना रिलीज हुआ, 7.5 करोड रूपये। 45 करोड़, भारत सरकार का पैसा आ गया उस पैसे से 7.5 करोड़ रूपये मात्र 16.67 प्रतिशत राशि इन्वेस्ट की।

नेशनल सोशल असिसटेंट स्कीम 11.37 करोड़ रूपये, खर्च हुए 3.04 करोड़ रूपये, केवल मात्र 26.7 प्रतिशत।

अध्यक्ष महोदय, मैं आगे और आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। मानव संसाधन एवं सामाजिक आधारभूत सुविधा विकास के लिये, माननीय शिक्षा मंत्रीजी बैठे हुए हैं, सेंट्रल स्पांसर्ड स्कीम्स की क्या स्थिति है। डी.पी.ई.पी. की क्या स्थिति है। सैंट्रल सैकण्डरी स्कूल अलोकेशन में कितना पैसा खर्चा हुआ। इन फिगर्स नहीं देना चाहता हूं क्योंकि हरिमोहनजी उन फिगर्स को कोट कर चुके हैं। अब निश्चित तौर पर कहना चाहता हूं, आपने टार्गेट बनाये हैं। उन टार्गेट में जितने स्कूल खोलने थे उतने स्कूल नहीं खोले हैं। आपने प्राइमरी, यू.पी.एस. और सैकण्डरी स्कूल खोलने के लिये जितने आपने टार्गेट दिये, उन टार्गेट के अन्दर आपको स्कूल खोलने थे नये, कन्वर्जन आफ राजीव गांधी पाठशाला टू प्राइमरी स्कूल, 2000 और आपने दिसम्बर तक केवल 931 स्कूलों को अपग्रेड किया है। आपको नयी प्राइमरी स्कूल खोलने थे 3331, आपने दिसम्बर तक 1684 स्कूल खोले हैं। 2436 प्राइमरी से अपग्रेड करने थे, आपने दिसम्बर तक 519 स्कूल को अपग्रेड किया है। आपने सैकण्डरी और सीनियर सैकण्डरी स्कूल तो लक्ष्य से ज्यादा प्राप्त किये, उसके लिये धन्यवाद। पर अध्यक्ष महोदय जब आपने सौ दिनों की योजना बनायी थी, 365 दिन की योजना बनायी थी, तब माननीय शिक्षा मंत्रीजी हमने आपको कहा था कि यह नहीं हो सकेगा, कोर्ट में स्टे आयेगा, आपने कहा, कर दूंगा। प्लान का पैसा, नॉन प्लान का पैसा, 35 हजार टीचर्स की शॉर्टेज है। हम तो इन्काम्पीटेंट आदमी हैं, शिक्षा का भट्टा बैठा दिया। अब आपने स्कूल खोल दीं, आपने नयी स्कूल खोली हैं, 2445 यू.पी.एस.। आपने गवर्नर की स्पीच में कहा है। आपने

(डा. सी. पी. जोशी)

401 सैकण्डरी स्कूल खोले हैं। 207 सीनियर सैकण्डरी स्कूल खोले हैं। 2826 नये प्राइमरी स्कूल खोले हैं। कितने अध्यापक चाहिए। 35-37 हजार टीचर्स का शार्ट-फाल पहले है। इन टीचर्स की और कमी को हम पूरा कर लें तो टीचर्स का शार्ट-फाल है, थर्ड ग्रेड और सैकिण्ड ग्रेड के टीचर्स को मिलाकर 50 हजार से ज्यादा टीचर्स का शॉर्ट-फाल है। आप मुझे बतायें, कैसा जादू, घनश्यामजी, बिना स्कूल के, बिना टीचर्स के, खाली जगह पर सैकिण्ड ग्रेड के टीचर्स हमने लगाये नहीं। स्कूल में इंग्लिश का टीचर नहीं, मेथेमेटिक्स का अध्यापक नहीं। परन्तु सबसे ज्यादा आवश्यकता होती है इंग्लिश और मेथेमेटिक्स के टीचर की। और आपने शिक्षा में क्रांतिकारी परिवर्तन कर दिया है, स्कूलों में हमने किताबें बांट दी हैं और डेढ़ साल में 50 हजार टीचर्स के शार्ट-फाल के बाद एग्जाम हो रहा है और शिक्षा में हम वाह-वाही लूट रहे हैं कि शिक्षा का इतना क्वालेटेटिव इम्पूवमेंट हमने किया है कि राजीव गांधी पाठशाला में आठवीं पास को लगा दिया। हमने इतना काम कर दिया। मान्यवर, 23 हजार राजीव गांधी पाठशाला में से 1300 आदमी आठवीं पास नहीं हैं। वहां पर जो लोग हैं...(व्यवधान) वहां की बी.एससी. हैं, एम.एससी. हैं, बी.एड. हैं और एम.एड. हैं, हायर सैकण्डरी स्कूल हैं। लेकिन जैसा कहा है कि घड़साना के अन्दर लोगों को भड़काकर आन्दोलन कर दिया आपने एक वातावरण बनाया राजस्थान में कि हमने राजीव गांधी पाठशाला में आंठवी के लोगों को लगाया। मैं चैलेंज के साथ कहना चाहता हूं कि आप प्रूव कर दें इस बात को कि राजीव गांधी पाठशाला में इतने अध्यापक आठवीं क्लास के पास हैं तो मैं आपकी बात को मान लेता हूं। लेकिन एक प्रयोग किया गया। प्रयोग किया गया और मैं आज आपको फिर कहना चाहता हूं 4 साल बाद आपको भी यह काम करना पड़ेगा। क्यों लगाई गेस्ट फेक्ल्टी? आपके थर्ड ग्रेड के रिक्रूटमेंट में माननीय शिक्षा मंत्री अध्यापक इंग्लिश का नहीं मिलता है, साइंस का नहीं मिलता है और सैकिण्ड ग्रेड के प्रमोशन में जो 50 प्रतिशत पोस्ट है उसमें इंग्लिश का टीचर चाहिए, मेथेमेटिक्स का टीचर चाहिए। इंग्लिश और मेथेमेटिक्स का टीचर नहीं होने के कारण सैकण्डरी के सारे स्कूल खाली पड़े हुए हैं। आपको नियम और कानून में परिवर्तन करना पड़ेगा कि थर्ड ग्रेड के टीचर के रिक्रूटमेंट में हम इन चीजों का ध्यान रखें कि नहीं रखें। कौन रखेगा इस ध्यान को ? ध्यान नहीं रखना चाहें, हम कहें कि हमने 35 हजार टीचर्स भर दिये। यह 37 हजार टीचर शिक्षा मंत्रीजी, 37 हजार टीचर्स में से मेरी हाइपोथीसिस है कि 30 हजार वे हैं

(डा. सी. पी. जोशी)

जिनके न साइंस है न मेथेमेटिक्स है। इन 30 हजार में से 15 हजार सैकिण्ड ग्रेड में जाएंगे। जब साइंस और मेथेमेटिक्स के टीचर्स नहीं होंगे तो वह सैकिण्ड ग्रेड में पढ़ाने क्या जाएगा। अगले 25 साल तक राजस्थान में सैकिण्ड ग्रेड में मेथेमेटिक्स पढ़ाने वाला टीचर कौन होगा, इंग्लिश पढ़ाने वाला टीचर कौन होगा, इस सम्बन्ध में आपने नहीं सोचा। आज आवश्यकता इस बात की है, हम इस बात को छोड़ दें हमने क्या गलती की। क्योंकि राजस्थान में शिक्षा का एक वातावरण बन रहा है, शिक्षा के वातावरण को बनाने के साथ-साथ क्वालिटी आफ एजुकेशन को रिटेन करने की जिम्मेदारी भी हमारी बनती है। इस क्वालिटी आफ एजुकेशन को रिटेन करने के लिये आपने क्या प्रयोग किया एक साल में आपने खाली गेस्ट फैकल्टी लगायी है। आपने यू.पी.एस. में गेस्ट फैकल्टी टीचर्स लगा दिये, आपने सैकण्डरी स्कूल में गेस्ट फैकल्टी टीचर्स लगा दिये। रिटायर्ड टीचर पढ़ायेगा हमारा और हमने यह सोचा ही नहीं कि आने वाले समय में एक कम्प्यूटर इलिटरेट टीचर जो पढ़ाने के लिये जाएगा, 25 साल का जब लड़का पढ़ने आयेगा स्कूल का वह पढ़ाने वाला आदमी कम्प्यूटर जानता नहीं होगा तो पब्लिक स्कूल का जो लड़का पढ़कर आयेगा उससे क्या कम्पीटीशन करेगा हमारा लड़का। कुछ आधारभूत चीजों पर आपको चर्चा करनी चाहिए, समझना पड़ेगा, परिवर्तन करना पड़ेगा। गाली देने से और किसी को कन्डेम करने से शिक्षा की क्वालिटी में परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। हम एक्सपांशन कर सकते हैं लेकिन क्वालिटी की एजुकेशन को इम्पार्ट करने की जिम्मेदारी भी आपकी है। क्या यह आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती है? हमने निजी कालेज खोल दिये, हम यूनिवर्सिटी खोल रहे हैं, निजी कालेज में फैकल्टी पढ़ाने के लिये कौन आ रहा है? इंजीनियरिंग कालेज में पढ़ाने के लिये कौन आदमी है? इलैक्ट्रोनिक्स कौन पढ़ा रहा है? दूसरे सब्जैक्ट कौन पढ़ा रहा है? आई.टी. कौन पढ़ा रहा है? हमने यह इंजीनियरिंग कालेज खोल दिये। लोग मनमानी फीस वसूल कर रहे हैं और यहां का लड़का पढ़कर निकलेगा और जब बी.ई. की डिग्री लेगा तो सड़क पर ले जाकर घूमेगा कि मैं किस इंजीनियरिंग कालेज से पास करके आया हूं। क्या हमें नियम और कानून में परिवर्तन करने की आवश्यकता नहीं है। टेली एजुकेशन का जमाना आ गया है। हम प्राइवेट में इंजीनियरिंग कालेज में उन कालेजों का अलाऊ करेंगे जो टेली एजुकेशन से लिंक है किसी स्टैण्डर्ड यूनिर्वसिटी के साथ में। हमारी क्वालिटी आफ एजुकेशन इम्प्रूव होगी। कम पैसे में भी आदमी को पढ़ा सकेंगे और एक इलैक्ट्रोनिक का

(डा. सी. पी. जोशी)

प्रोफेसर पांच इंजीनियरिंग कालेज में टेली कम्युनिकेशन के साथ पढ़ा सकेगा। क्या यह कल्पना नहीं करनी पड़ेगी? क्या कल्पना 25 साल बाद करेंगे? जब 7500 की कैपेसिटी हमने जनरेट कर दी. बहुत अच्छा काम किया आपने। हमारी नालेज कोरीडर बनाना चाहते हैं। नोलेज के हमारे हब खड़ा करना चाहते हैं। यहां की सोसायटी ज्ञानवान होनी चाहिये, बिलकुल होनी चाहिये पर ज्ञानवान बनाने के लिये उसकी फैकल्टी को रिक्रूट करने के सम्बन्ध में इनके रिकोगनेशन में कोई नियम और कानून बनाये हैं? कौन करेगा यह काम? केवल मात्र एक्सपांशन करने के आधार पर कह दें हमने इतने लॉ कालेज खोल दिये, इतने इंजीनियरिंग कालेज खोले दिये, इतने डैंटल कालेज खोले दिये।

मेरी माननीय शिक्षा मंत्रीजी, आपसे सानुरोध प्रार्थना है कि सबसे बड़ी आवश्यकता है फैकल्टी की। इन्फ्रास्ट्रक्चर होना चाहिये उसके लिये कंडिशन डाल रखी है, डैंटल कौंसिल ने कंडीशन डाल रखी है, मेडिकल कौंसिल ने कंडीशन डाल रखी है। प्रोफेशनली वह अपना ध्यान रखते हैं लेकिन फैकल्टी का रिक्रूटमेंट कैसे हो, इसके बारे में सरकार को नियम और कानून बनाने पड़ेगे। सरकार को करना पड़ेगा कि वह उन्हीं लोगों को एन.ओ.सी. दें जिन लोगों के पास यदि फैकल्टी नहीं है तो वह इन-कॉम्पीटेन्ट आदमियों के साथ, जो हमारे डिग्री के इंजीनियर बढ़ा रहे हैं, उससे हमें नालेज की सोसायटी पैदा नहीं होगी और हमारे बच्चों के साथ अन्याय हो जायेगा। इस सम्बन्ध में भी निश्चित तौर पर आपको कुछ न कुछ व्यवस्था करनी पड़ेगी और मन में यह कल्पना थी व्यवस्था होगी पर, माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे सबसे बड़ी तकलीफ जो हुई मेडिकल हैल्थ के बारे में हुई।

मेडिकल एण्ड हैल्थ में 14.99 करोड़ का प्रोविजन था। डाक्टर साहब भी चाहते थे, प्रोफेशनली साउण्ड हैं, काम्पीटेन्ट आदमी हैं पर शायद फाइनेंस के बारे में काम्पीटेन्ट नहीं हैं जितना नाथूसिंहजी हैं। इसलिये वहां खर्चा हुआ मात्र 2.08 करोड़ रूपये 172.08 करोड़ रूपये खर्च हुए माननीय अध्यक्ष महोदय, हैल्थ डवलपमेंट के लिये ई.ए.बी. का यह जो प्रोजेक्ट है उसमें हमें 18.41 करोड़ रूपये मिले उसके अंगेस्ट 2.09 करोड़ रूपये खर्च हुए, हैल्थ सर्विसेज का जो प्रोजेक्ट है बाहर से प्रोजेक्ट आया 400 करोड़ रूपये का

(डा. सी. पी. जोशी)

जिस प्रोजेक्ट के लिये हमने 22 करोड़ रूपये का प्रोवीजन किया उस 22 करोड़ के एवज में केवल मात्र 8.45 करोड़ रूपये खर्च हुए हैं और हमने कहा है कि टेली मेडीसिन के माध्यम से हम जिले के अस्पतालों को जोड़ देंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे कहते हुए तकलीफ है टेलीफोन मेडिसिन में आज सबसे ज्यादा आवश्यकता है, माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें लिखा है मैं मुख्य मंत्री को धन्यवाद देना चाहूंगा। मुख्य मंत्रीजी ने टेली-मेडिसिन के सम्बन्ध में सोचा। प्रोविजन किया। मैंने उस समय गवर्नर साहब की स्पीच में कहा था कि जमाना आ गया है। कि टेली-मेडिसिन का उपयोग हम गांव के गरीब आदमी के लिये करें। जिससे जो एक्सपर्ट हमारे उपलब्ध हैं उनकी सेवाओं का लाभ गांव के गरीब आदमी को मिलता है। यह ट्रांसफर पोस्टिंग में घनश्यामजी के पीछे जयपुर में रहने की माथाफोड़ी भी नहीं रहे वह जयपुर में रहने वाला सर्जन गांव के गरीब आदमी को भी सुविधा उपलब्ध करा सके, यह टेली मेडिसिन की सुविधा उपलब्ध हो सके। इसके लिये मुख्य मंत्रीजी ने प्रयास किया लेकिन हुआ क्या?

ग्राम सेवक योजना के माध्यम से विभिन्न विभाग अपने कार्मिकों से प्रशिक्षण प्राप्त कर कार्य करेंगे। चयनित विकास खण्डों में सभी स्वास्थ्य संस्थाओं को 3 करोड़ की लागत से कम्प्यूटर तंत्र के साथ जोड़ा जायेगा ताकि कार्यक्रमों का प्रभावी क्रियान्वयन किया जा सके। ग्रामीण क्षेत्र में विशेषज्ञ चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से राज्य में टेली मेडिसिन की परियोजना चुने हुए सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों तथा जिला अस्पतालो को सवाई मानसिंह अस्पताल, जयपुर एवं देश के विभिन्न प्रशिक्षित विशेषज्ञों से जोड़ा जायेगा। यह लिखा हुआ है माननीय अध्यक्ष महोदय।

मुझे कहते हुए तकलीफ आती है और आगे कहा है- 20 करोड़ रुपये का प्रोविजन किया है माननीय मुख्य मंत्री-ई-गवर्नेंस, जनमित्र, लोकमित्र कम्प्यूटराइज कर रखा है। अब नई ई-गवर्नेंस हमारी प्रायोरिटी है। उसमें 20 करोड़ मे हम प्रोविजन्स फोर इन्फोर्मेशन टैक्नोलॉजी, विरेन्द्रजी बैठे हुए हैं, यहां पर 20 करोड़ के विरुद्ध 20 लाख रूपया य न 20 लाख रूपये हुआ एक प्रतिशत 20 करोड़ का हमने प्रोविजन किया है आई.टी. को एम्पॉवर करने के लिये। टेली-मेडिसिन लागू होगी। लोगों को, गांव के गरीब आदमी को उसके

(डा. सी. पी. जोशी)

खाते की खातेदारी की नकल कम्प्यूटराइजेशन स मिलेगी। भारत सरकार ने कम्प्यूटराइज कराया सारे खाते को और हमने प्रोविजन किया। माननीय मुख्य मंत्रीजी ने लिखा आगे- हमने 20 करोड़ रूपये का प्रोविजन किया है, 20 करोड़ का और निश्चित तौर पर मन में था कि 20 करोड़ के बाद नये विचारों के बाद राजस्थान को आगे बढ़ाने की जो कल्पना कर रहे हैं वह निश्चित तौर पर यह 20 करोड़ का उपयोग करके इनका लाभ लेंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, उसमें अभी तक खर्चा किया है केवल मात्र 20 लाख रुपये। अब मुझे बतायें 20 लाख रुपये खर्च करके हम किस तरह की व्यवस्था करना चाहते हैं? मुझे अभी तक समझ में नहीं आया कि केवल मात्र जितने भी हमारे जो कार्यक्रम हैं जिनमें हमने 100 दिन की बात की, 365 दिन की बात की, उनमें कैसे हम इन चीजों को आगे बढ़ाना चाहते हैं?

अध्यक्ष महोदय, मैं चाहता हूं कि इस सम्बन्ध में हमें माननीय मुख्य मंत्रीजी, जब जवाब दें। निश्चित तौर पर इन बातों के सम्बन्ध में जरूर चर्चा करें जिससे लोगों के मन में यह बात पैदा हो सके कि नये विचारों के साथ जो मुख्य मंत्रीजी सत्ता में आई हैं उनके मन में एक कल्पना है कि हम कैसे इन चीजों को आगे बढ़ाये। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान और आकर्षित करना चाहता हूं।

माननीय कटारिया साहब अभी नहीं हैं। प्रायः यह देखने में आता है कि सामान्य जन पुलिस से सम्पर्क में संकोच करता है। पुलिस का आम जनता से बेहतर तालमेल विकसित करने की दृष्टि से राज्य सरकार ने प्रत्येक संभागीय मुख्यालय पर एक-एक परामर्श एवं सहायता केन्द्र स्थापित करने का निर्णय लिया है। यह केन्द्र पुलिस के भवनों के अलावा अन्य स्थानों पर खोले जायेंगे तथा इन केन्द्रों में पुलिसकर्मी सादी पोशाक में बैठेंगे ताकि लोगों को अपनी समस्याओं के सम्बन्ध में इनसे सम्पर्क करने में कोई संकोच नहीं हो। "गुड गवर्नेंस और पावर टू पीपुल" यह नारा दिया है उसमें। जब गवर्नर साहब से भाषण करवाया था तब कहा कि हम "पावर टू पीपुल" जनता को ताकत देना चाहते हैं। जनता को ताकत देने का यह काम किया है और जनता को ताकत देने के माध्यम से मैं नहीं समझता कि कहां-कहां उन्होंने इस तरह की व्यवस्था की है।

(डा. सी. पी. जोशी)

माननीय अध्यक्ष महोदय, सब काम इस डेमोक्रेसी में करती है सरकार के नुमाइंदे हमारे जितने भी अधिकारी हैं ब्यूरोक्रेसी का जब तक माइंड सैट नहीं बदलता है तब तक कोई भी सरकार आ जाये, कोई भी योजना बनाये, उसका लाभ गांव के गरीब आदमी को नहीं मिलेगा। माननीय मुख्य मंत्रीजी ने अच्छी कल्पना की थी, उन्होंने कहा कि सरकार के विभागों तथा संस्थानों में भी अधिक पारदर्शिता, जवाबदेही, संवेदनशीलता विकसित करनी है और इन प्रवृत्तियों को राजकीय नियमों तथा प्रक्रिया, जोड़ने के उद्देश्य से हरिश्चन्द्र माथुर लोक प्रशासनिक संस्थान के तत्वावधान में सेंटर फार गुड गवर्नेंस की स्थापना की जायेगी। सेंटर फोर गुड गवर्नमेंट हो गया रावला में, घड़साना में। सेंटर फोर गुड गवर्नेंस के आदमियों ने काम किया और किसानों के आन्दोलन के साथ क्या फैसला किया, यह हमारे सामने है। सेंटर फोर गुड गवर्नेंस, हमने माइंड सैट बदला है। उनको ट्रेनिंग देकर हमारे मन में कल्पना थी कि यह जो नये विचार की माननीय मुख्य मंत्रीजी की कल्पना थी, उनको वह साकार करेंगी। माननीय मुख्य मंत्रीजी के मन में कल्पना की कि सत्ता का विकेन्द्रीकरण जब तक नहीं हो तब तक जनता को लाभ नहीं मिल सकता। सत्ता का विकेन्द्रीकरण होना निश्चित रूप से जरूरी है।

मैं यहां विनम्र शब्दों में कहना चाहता हूं अच्छा सरकार ने फण्ड, फंक्शन और फंक्शनरीज को ट्रांसफर करने के लिये कमिटमेंट किया है। एक केबिनेट कमेटी भी बनाई है। मेरी यहां पर सानुरोध प्रार्थना है, समय आ गया है, हमें इन चीजों के सम्बन्ध में समझने की आवश्कता है कि पंचायत के जो चुनाव हुए, आज नये सिरे से इस पर सोचने की आवश्यकता है। मैं किसी की जीत और हार की बात नहीं कहना चाहता पर मेरे मन में कल्पना थी कि जो नई सरकार बनी है, जो सरकार के मन में कल्पना थी तो मैं गांव का गरीब आदमी एक गरीब मास्टर का लड़का मुझे शिक्षा में मौका मिला तो मैंने राजा-महाराजा कैसे होते हैं सुना था, मैंने राजा-महाराजा रहते कैसे हैं, वह मैंने देखा नहीं था। पर मंत्री बनने के कारण मुझे सर्किट हाउस में ठहरने का मौका मिला तो बताया गया कि यह राजा का मकान रह था। मेरे मन में कल्पना थी और जब भी घनश्यामजी खड़े होते, राजेन्द्रजी खड़े होते हमारे वरिष्ठ मंत्री मुख्य मंत्री का निवास है, मुख्य मंत्री का निवास मुख्य मंत्री के लायक होना चाहिये। निश्चित तौर पर होना चाहिये क्योंकि गांव का गरीब आदमी मुख्य मंत्री बनकर जायेगा तो ध्यान रखेगा वहां पर कि यह राजा यहां पर मुख्य मंत्री था। इस

(डा. सी. पी. जोशी)

लोकतंत्र में गांव के गरीब आदमी ने वोट दिया है। वह गांव का गरीब आदमी जिसके पीने के पानी की व्यवस्था नहीं, जिसके आने-जाने के रास्ते नहीं है, जिसके स्कूल की व्यवस्था नहीं है, जिसकी औरत आज भी दिन भर मजदूरी करके सिर पर पानी लेकर आती है। उसके नुमाइंदे के रूप में हमने मुख्य मंत्री चुना था। हम राजा के घर से मुख्य मंत्री लेकर नहीं आये। हमारे मन में कल्पना थी पर मैं पढ़ा लिखा आदमी, मनौवैज्ञानिक आदमी, मैं दिमाग लगा रहा कि आखिर में हो क्या रहा है? क्यों हमारे मित्र नाराज हो रहे हैं। तब मुझे कहा कि नहीं-नहीं जोशीजी, आपको ध्यान नहीं है, मुगले-आजम फिल्म नहीं देखी। मैंने कहा कौन-सी मुगले-आजम फिल्म? उन्होंने कहा नई मुगले-आजम फिल्म देखो आप। वह वाली मुगले-आजम फिल्म कुछ लोग कहते हैं पुरानी मुगले-आजम फिल्म बहुत अच्छी है। उसमें दिलीप कुमार ने क्या रोल किया? उन्होंने कहा नई मुगले-आजम फिल्म अच्छी बनी है, उसको जाकर देखो। आज लोग मुगले-आजम की नई फिल्म को देखते हैं। मैंने भी कहा है कि बिलकुल ठीक है सुनामी का मामला हो, कैसे पर्चेज की जाये, गांव का गरीब आदमी क्या पर्चेज करेगा? सवारी निकली किसको मालूम पड़ेगा राजा-महाराजा कैसे थे? मैंने तो देखे ही नहीं राजा महाराजा, मैं तो आजादी के बाद पैदा हुआ था, पर बहुत खुशी हुई कि राजा-महाराजा यदि राज करते और हमें मौका मिलता उसमें पैदा होने का तो राजा-राजशाही कैसे होते, राजा का मकान कैसे होता, राजा कैसे रहता है, कैसे उसके ब्रांड नेम से सरस के अंदर, उनके सरस प्रोडक्ट, ब्रांड एम्बेसडर के रूप में हमारी मुख्य मंत्री को प्रोजेक्ट करना जरूरी है, बहुत खुशी हुई। मन में नई कल्पना है कि गांव का गरीब आदमी चाहे दिलावर साहब हो, चाहे सी.पी. जोशी, हो दिलावर साहब का मकान नहीं है, कहने से मुझे खुशी हुई। एक आदमी के मन में कमिटमेंट है सेवा करने की। कल मुख्य मंत्री बनें, उस मकान में जायें तब उनकी पत्नी घर पर आकर कहेगी कि कहां लेकर आ गये मुझे, यह स्वर्ग में मुझे तो मालूम ही नहीं था कि इतनी जिन्दगी खराब की मैंने।

यह लोकतंत्र की जो पद्धति है, उसमें कुछ चीजों को हमें समझना पड़ेगा। नई चीजों से नई चीजों को परिवर्तन करने का लाभ यदि गांव के गरीब आदमी को मिलता है तो निश्चित रूप से उसका लाभ गरीब आदमी को मिलता है और गांव के गरीब आदमी को लाभ मिलने का लाभ दूसरे लोगों को भी मिलेगा। 'एक गिलास दूध जरूर पीयें।' आगे कहते हैं दूसरे गिलास की बात भी करो। (व्यवधान) वह घनश्यामजी, आप पर छोड़ देता हूं। एक गिलास दूध

(डा. सी. पी. जोशी)

की बात मैं करता हूं, दूसरे गिलास की बात आप पर छोड़ देते हैं। आप उसको शुरू करा देना। जब आप सरस नहीं चल रहा है, दूसरा आपका डिपार्टमेंट बदल जाये तब आप भी शुरू करा देना। अभी आपको शायद शिक्षा का नहीं मिल रहा है। कभी आपको वित्त मंत्रालय मिल जाए तो आप वो शुरू कर देना। यह आपकी च्वाइस है, मैं नहीं कहता इसके बारे में। कभी 16 परसेंट की एक्साइज ड्यूटी कम कर सकते हो तो कल यह भी बात कर सकते हो। यह आपकी च्वाइस है, मैं नही कहता। मुझे तो खुशी होती...

श्री भवानी सिंह राजावत : आप तो पानी को भी बचाने की बात कहते रहे, हम दूध पिला रहे हैं, आपको खुशी होनी चाहिए।

डा. सी.पी. जोशी : बहुत अच्छा, भवानी सिंहजी, घर पूछ लेना शाम को कि क्या पीते हैं अपन। हम तो ठीक है अभी जो पीते हैं, कोई तकलीफ नहीं है।

अध्यक्ष महोदय, मुझे और तकलीफ हुई, गांव के गरीब आदमी की सामाजिक न्याय की दृष्टि से टोटल सोशल वैलफेयर स्कीम में 69 करोड़ के अगेंस्ट में केवल-मात्र....

श्री धर्मपाल चौधरी : माननीय जोशीजी, आप इनके साथ बैठ कर पीते हो क्या, यह क्या पीते हैं..

डा. सी.पी. जोशी : हां, मैं साथ पीता हूं, पीते हुए देखता हूं, आपको भी देखा है मैंने। पीते हुए देखने में कोई तकलीफ नहीं है।

श्री धर्मपाल चौधरी : हमें तो देखा है। आप इनके साथ पीते हो क्या?

डा. सी.पी. जोशी : पीने में क्या, मैंने तो बहुत लोगों को देखा है। वहां पीते हुए मैं तो बहुत को देखता हूं, उसमें आप भी सम्मिलित हैं।

श्री धर्मपाल चौधरी : आप इनको देखने की बात कह रहे हैं, हमने और आपने तो साथ पी है। इनको देखा है क्या, मैं यह पूछ रहा हूं।

डा. सी.पी. जोशी : हां, ठीक है, कल भी पीएंगे, चिंता क्यों करते हैं आप।

श्री अध्यक्ष : आप बीच में व्यवधान नहीं डालें।

डा. सी.पी. जोशी : अध्यक्ष महोदय, जो सामाजिक वैलफेयर की स्कीम है, जहां गांव के करीब को डी.पी.आई.पी. का प्रोग्राम था वर्ल्ड बैंक का प्रोग्राम उसमें 200 करोड़ के अंगेस्ट में अभी तक केवल मात्र 66 करोड़ रूपये खर्च हुए हैं, 200 करोड़ की स्कीम में से। अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय बैठे हुए हैं, सोशल वैलफेयर के 63 करोड़ रूपये के एलोकेशन के अगेंस्ट में केवल मात्र 18.77 करोड़ रूपये, 29.47 करोड़ रूपये। टोटल सोशल सेक्टर में 1014.16 करोड़ के अगेंस्ट में केवल मात्र 32 करोड़ रूपये खर्च हुए, अध्यक्ष महोदय, और उसमें भी भारत सरकार का कंट्रिब्यूशन है 50 करोड़। भारत सरकार ने आपको 50 करोड़ दे दिये और आपने अभी तक खर्चा किया है 32 करोड़ रूपये। अध्यक्ष महोदय, टोटल सेंटर स्पोन्सर्ड स्कीम है, उसमें कुल पैसा है 2223.84 करोड़, उसमें एक्सपेंडिचर हुआ है केवल मात्र 97.04 करोड़। अध्यक्ष महोदय, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, टोटल सेंटर स्पोन्सर्ड स्कीम में राजस्थान को पैसा उपलब्ध है 2223.84 करोड़, उसके अगेंस्ट में केवल मात्र 97.04 करोड़ खर्च हुआ है। जबकि भारत सरकार का कंट्रिब्यूशन 1348.16 करोड़ रूपये है। यह तो हमारे सेंट्रल स्पोन्सर्ड स्कीम की स्थिति है, अध्यक्ष महोदय।

अध्यक्ष महोदय, मैंने आपको बताया कि इन्फोर्मेशन टैक्नोलोजी में और टोटल इकोनोमिक सर्विसेज में 262.47 करोड़ रूपये के अगेंस्ट में केवल मात्र 78.87 करोड़ खर्च हुए हैं। टोडारायसिंह से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि आपने यह बातें क्यों कहीं? अध्यक्ष महोदय, मुझे मालूम है कि गवर्नर की स्पीच में जो बात कहते हैं उसका प्रोविजन करते हैं बजट के अन्दर। आज एक साल हो गया है, आज एक साल बाद नया बजट आने वाला है। यह सरकार, जिसके हम गुणगान कर रहे हैं, करना चाहिए, हमें गर्व है, नयी मुख्य मंत्री बनीं, नयी मन में कल्पना लेकर, विचार लेकर लेकिन कल्पनाओं को साकार करने के लिए यथार्थ के धरातल पर वह हकीकत की बात को नहीं कहेंगे तो हम न्याय नहीं कर पायेंगे। इसलिए मैंने विनम्र शब्दों में कहा कि मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी की इज्जत करता हूं, निश्चित तौर पर उन्होंने एक क्वालिटेटिव चेंज किया है। आज डाक्टर दिगम्बर सिंहजी को टाई लगा कर बैठे हुए देखते हैं तो यह भारतीय जनता पार्टी में परिवर्तन

(डा. सी. पी. जोशी)

हुआ, उस परिवर्तन को मैं एप्रिशिएट करता हूं। अध्यक्ष महोदय, बाकी यह सम्भव नहीं था कि आज अलाउ करे इनको कि कोट, टाई पहन कर आ जावें। वेलेंटाइन डे पर हम आन्दोलन कर सकते हैं लेकिन यह क्वालिटेटिव चेंज राजस्थान की राजनीति में किसी ने किया है तो उसका एक नाम है राजस्थान की मुख्य मंत्री वसुन्धराजी।

श्री जुबेर खान : तिवाड़ीजी भी तो सूट पहने हुए बैठे हैं।

डा. सी.पी. जोशी : तिवाड़ीजी तो मेरे मित्र हैं, मैं बोलना नहीं चाहता।

यह राजनीति में जो क्वालिटेटिव चेंज किया है उसके फार रीचिंग इफैक्ट आयेंगे। आज माई इंडिया का सम्मेलन राजस्थान में हुआ है, मुख्य मंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहता हूं। मुख्य मंत्रीजी को इस बात का भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि मुख्य मंत्रीजी ने एक नयी वर्क कल्चर डवलप करने का काम किया पर दुर्भाग्य है, अध्यक्ष महोदय, क्या इस विधान सभा में टैलेंटेड आदमी उपलब्ध नहीं हैं? नाथूसिंहजी जैसे टैलेंट का उपयोग नहीं लें, विष्णु मोदी जैसे टैलेंट का उपयोग नहीं लें, शांतिलालजी चपलोत जैसे टैलेंट का उपयोग नहीं लें, समर्थ लालजी जैसे टैलेंट का उपयोग नही लें, महावीरजी को बोलने के लिए खड़ा करने का काम लें। इतना टैलेंट उपलब्ध है, उस टैलेंट का उपयोग करने का काम हम नहीं करेंगे, अध्यक्ष महोदय, नन्दलालजी मीणा मेरे मित्र हैं, मैं मानता हूं मंत्री बन रहे हैं इसलिए मैंने नाम नहीं लिया इनका, नहीं बन रहे हैं उनका नाम लिया है मैंने, अध्यक्ष महोदय।

अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि 365 डेज, यह अंग्रेजी के वर्ड, 'विजन' 'डेज', 'टारगेट', 'मिशन' यह क्वालिटेटिव चेंज भारतीय जनता पार्टी में है। यह भारतीय जनता पार्टी के लोगों को समझने की आवश्यकता है कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों में ड्रैस सैंस आवे, क्वालिटी आफ लाइफ लीड करने का तरीका उनको मालूम होना चाहिए। उन्हें मालूम होना चाहिए कि राज चलाने के लिए क्या-क्या व्यवस्था करनी चाहिए। इस सम्बन्ध में मुख्य मंत्रीजी ने जितना प्रयास किया है, मैं उनकी ह्रदय से प्रशंसा करता हूं और मुझे पूरा विश्वास है कि जितने मित्र यहां पर बैठे हुए हैं, जिनके मन में और कोई आकांक्षा हैं, वह आकांक्षाएं समझनी पड़ेगी कि आज गांव का गरीब

आदमी, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, सिरोही, चित्तौड़, उदयपुर, जालौर यहां के आदमियों ने पंचायती राज में क्या फैसला दिया है और यह फैसला किया है, इसको राजनीतिक विश्लेषण करने की आवश्यकता है। मैं नहीं कहना चाहता पर मैं कहना चाहता हूं बड़े विनम्र शब्दों में डाक्टर किरोड़ी लालजी को कि यह पहली बार हुआ है राजस्थान के इतिहास में, अकाल के जब काम शुरू होते हैं तो सबसे पहले आर्डर निकलता है कि पुराने अधूरे काम को पूरा किया जाए, आप उठा कर देख लें, 50 साल में राजस्थान में कभी अकाल का काम हुआ है तो सबसे पहले सर्कुलर निकला था कि जो पुराने अकाल के काम हैं उनको प्रारम्भ करवाया जाए लेकिन हमने यहां पर अकाल के काम में 50 वोट कहां मिल सकते हैं, 30 वोट कहां मिल सकते हैं, फेयर वैदर रोड़ कहां बन सकती है, हैमलेट को जोड़ने का काम कैसे कर सकते हैं, इस आधार पर हमने अकाल राहत के काम निकलवाए हैं, यह दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। यह कभी नहीं हुआ आज दिन तक। आप कोई भी उठा कर देख लें, जब भी अकाल के काम चलते हैं, पहला आर्डर निकलता है कि पुराने अधूरे काम को प्रारम्भ करवाया जाए। पुराने अधूरे काम प्रारम्भ नहीं करवाये गये और उसमें भी कौन मेट लगेगा, कैसा मेट लगेगा। अध्यक्ष महोदय, ऐसा काम कभी नहीं हुआ लेकिन आपकी मंशा है, नियम बनाने का, कानून बनाने का आपका काम है, हमारा काम तो है आपके सामने पाइंट आउट कर लें। यह जो व्यवस्था है, यह ठीक नहीं है।

अध्यक्ष महोदय, अपनी बात को वाइंडअप करने से पहले दो-तीन बातें कहना चाहता हूं।

डा. किरोड़ी लाल : आपको शायद जानकारी नहीं है, पहले के जितने भी अधूरे काम हैं उनको पहले किये जाने की हमने प्राथमिकता दी है और वह काम चल रहे हैं।

डा. सी.पी. जोशी : मैं आपको सूची लाकर दे दूंगा, 99 परसेंट, वर्ड आई एम यूजिंग, 99 परसेंट फ्रैश वर्क जहां 20 लेबर लगे, 30 लेबर मिले, कैसे वोट मिलें, यह आज तक कभी नहीं हुआ। बहुत दुःख की बात है। कर दिया, रिजल्ट निकलें, हमें कोई दिक्कत नहीं, उसके बाद भी रिजल्ट नहीं आया। उसके बाद भी गांव के गरीब आदमी ने आपको वोट नहीं दिया। गांव के

(डा. सी. पी. जोशी)

गरीब आदमी को मालूम है वोट कैसे मिलते हैं इसलिए वोट का कोई सम्बन्ध राज से नहीं है। आप यह समझ लें। सड़क बना लें, व्यवस्था कर लें, अच्छा फंक्शन कर लें, उससे वोट नहीं हैं, वोट मिलने के अलग तरीके हैं। वह तरीके आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं।

अध्यक्ष महोदय, अंत में मैं तो आपको निवेदन करना चाहता हूं।

श्री सुरेन्द्र सिंह राठौर : आपके गृह जिले में तो वोट दिये हैं।

डा. सी.पी. जोशी : मुझे मत कहलाओ, सुरेन्द्रजी, जितना कम बोलूं उतना अच्छा है। (व्यवधान)

श्री हेमराज मीणा : एक साल पहले भूल गये थे क्या फिर तरीका?

डा. सी.पी. जोशी : चार साल बाद बता देंगे कितना आता है।

अध्यक्ष महोदय, मैं विनम्र शब्दों में एक निवेदन कर रहा था, आप भी इतने साल से जनप्रतिनिधि के रूप में हैं, समय आ गया है पंचायत राज को ज्यादा एम्पावरमेंट करना है तो पंचायत राज के चुनाव के सम्बन्ध में हमें कोई नीति नयी निर्धारित करनी पड़ेगी। आज चाहे मेरे साथी नाराज हों, पंचायत के चुनाव में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण चीज हो गयी सरपंच कौन बने। और सरपंच हम पार्टी लेवल पर नहीं करते हैं। सरपंच ही एक एक्जिक्यूटिव एर्जेसी है। डेमोक्रेसी की सबसे बड़ी यह है कि कांट्रेक्टर को "ए",'ब' और "सी" कांट्रेक्टर बनने के लिये लाइसेंस लेना पड़ता है पर यहां पर डेमोक्रेसी में इलैक्ट होकर काम करने का काम मिलता है, वह उस सरपंच को मिलता है। अब जिस तरह से डिवोल्यूशन आफ पावर हो रही है गांव के सरपंच के हाथ में यह सब योजना में पैसा आ रहा है, दूसरी योजना में आ रहा है, कुछ पंचायतों में तो एक-एक साल में 25-25, 30-30 लाख रूपये आते हैं। अब वहां पर सरपंच के चुनाव में कोई आदमी 8 लाख रूपये खर्च कर रहा है, कोई 10 लाख रूपये खर्च कर रहा है। गांवों में यदि हमें पंचायतीराज को एम्पावरमेंट करना है, मेरा विनम्र निवेदन है कि सबसे पहले जिस तरह से राजस्थान की सरकार में कि फंक्शनरी चीफ सैक्रेटरी है, आप मेहरबानी करके सबसे पहले ग्राम साथी का सलैक्शन अच्छा करिये। ग्राम साथी का सलैक्शन

(डा. सी. पी जोशी)

ठीक ढंग का होगा तब जो हम ट्रांसफर कर रहे हैं, जो शिड्यूल आपने बनाये 1994 में भैरोसिंहजी के राज में, पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद को क्या काम मिलने चाहिए, ग्राम सेवक स्तर का आदमी आपका किस ढंग का हुआ? वह आदमी बड़े लेवल का आदमी होना चाहिए, जो हमने ग्राम सेवक आदमी को बना रखा है उससे बड़ा आदमी, बी.डी.ओ. लेवल का आदमी ग्राम सेवक बनना चाहिए। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मुख्य मंत्रीजी ने बड़ी हिम्मत करके सैक्रेटेरिएट में चेंज किये, प्रिंसिपल सैक्रेटरी और सेक्रेटरी बनाये, नया काम किया उन्होंने, डिपार्टमेंट को इंटिग्रेट किया, एक अच्छा प्रयोग किया है। सारे पी.एच.ई.डी. के इरीगेशन के डिपार्टमेंट एक साथ बनाये, प्रिंसिपल सैक्रेटरी बनाये, सैक्रेटरी बनाये, एच.आर.डी. का काम अच्छा प्रयोग है। ठीक उसी प्रकार से आज हमें यदि पंचायतीराज को एम्पावरमेंट करना है तो पंचायत राज में एम्पावरमेंट करने के लिए हमें नीचे के लेवल पर, बी.डी.ओ. और बी.डी.ओ. के नीचे ग्राम साथी हैं, आज राजस्थान में 9188 पंचायतें हैं, आप अलग-अलग डिपार्टमेंट से पूल करिये, 9188 अच्छे ग्राम सेवक को आप आइडेंटिफाई कर के कम से कम उनका स्टेटस सेकण्ड ग्रेड के टीचर के बराबर हो या जे.ईएन. लेवल का आदमी हो, ऐसे आदमी को ग्राम सेवक बनाइये और मल्टीफेरस जो एक्टिविटी है, अब जमाना एक्सक्लूसिव सर्विसेज का नहीं है, कम्प्यूटर आ गया, दिन भर एक पटवारी घूमे कि मैं खाली नामान्तरण चेंज करूंगा, दिनभर एक आदमी जाए कि मैं वर्ल्ड बैंक की स्कीम को लागू करूंगा, अब जमाना आ गया इनक्लूसिव सर्विसेज का। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि पंचायती राज में नये सिरे से राजीव गांधी पाठशाला में गलत काम किया होगा पर आपको भी आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। दो-तीन सर्विसेज गांव में जरूरी है। गांव में प्राइमरी हैल्थ सर्विस जरूरी है, एजुकेशन की सर्विसेज जरूरी है। गांव में हर जगह पम्पसैट हो गया, इलैक्ट्रिसिटी का काम करने वाला जरूरी है, हैण्डपम्पों का काम जरूरी है। आपको चार-पांच सर्विसेज को क्लब करके एक आदमी को मल्टीफेरस ट्रेनिंग देकर रखेंगे तो गांव के गरीब आदमी के साथ न्याय होगा। आज गांव के आदमी की जमीन, उसका बाप का बाप मर जाए, उसके खाते के लिए पटवारी लैंड की किस्म क्या है, उसके आधार पर फैसला करता है। यदि उसकी किस्म ठीक है तो ज्यादा पैसा लेता है, किस्म ठीक नहीं है तो कम पैसे लेता है। यह पटवारी गांव में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। ग्राम सेवक जो एक अनपढ़ चुने हुए प्रतिनिधि के साइन के नाम से पैसा ले रहा है..।

(डा. सी. पी. जोशी)

यदि पंचायती राज को एम्पावरमैंट करना है तो नये सिरे से हमें इन सब चीजों के सम्बन्ध में सोचने की आवश्यकता है। मुझे खुशी है कि माननीय मुख्य मंत्रीजी ने तीन मंत्रियों की एक कमेटी बनाई है। आप अलग-अलग जगह जा रहे हैं। आप कर्नाटका का मॉडल देखिए, महाराष्ट्र का मॉडल देखिए, गुजरात का मॉडल देखिए, उन मॉडल के अलावा हमारा मॉडल नया हो सकता है। उस मॉडल को करके हमें नये सिरे से पंचायतीराज को एम्पावरमैंट करना पड़ेगा। पंचायतीराज में भी एंटी डिफेक्शन बिल को लागू करना चाहिएद्य यदि पंचायतीराज में एंटी डिफेक्शन बिल को हमने लागू नहीं किया तो यह जो पब्लिक मैन्डेट को हाई जैक करके इधर-उधर हो जाता है उससे पंचायती राज कमजोर होगा। पंचायतीराज को मजबूत किए बगैर हम किसी भी पार्टी की सत्ता आ जाए उसके परिणाम ऐसे ही रहेंगे जैसे आज रहे हैं। मुख्य मंत्रीजी अच्छे, काम करने की नीयत अच्छी लेकिन जितने भी गरीब इलाके हैं, बी.जे.पी. हारी है। आप मानें या नहीं मानें आपके ऊपर है हम तो अपना काम ही कर सकते हैं।

यह चैलेंज है जिस चैलेंज को आपको असेप्ट करना चाहिए कि हमारे गवर्नेंस के मॉडल को पावर टू पीपुल करने का काम हमें नहीं करना है तो हम समझते हैं कि यह काम नहीं कर पायेंगे और महावीरजी को यह समझ में नहीं आएगा। अगले पांच साल बाद.... (व्यवधान) करंट आ गया मेरी बात से, बैठो आराम से।

श्री महावीर प्रसाद जैन : मैं तो आपकी सिफारिश कर रहा हूं कि इस कमेटी का चेयरमैन आपको बना दिया जाए।

एक माननीय सदस्य : ट्रांसफार्मर के भी करंट आता है।

डा. सी.पी. जोशी : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं तो इसलिए कहना चाहता हूं कि अगले पांच साल बाद राजस्थान में नहीं हिन्दुस्तान में 65 पर्सेण्ट पापुलेशन बिलो 35 इयर्स की होने वाली है तो 35 पर्सेण्ट की नई पापुलेशन के एस्पिरेशन ज्यादा, गांव के गरीब आदमी की अपेक्षाएं ज्यादा नहीं हैं। गांव का गरीब आदमी क्या चाहता है, पटवारी न्याय कर ले, पुलिस वाला न्याय कर ले, अध्यापक पढ़ाने वाला आ जाए। छोटी-छोटी चीजें, बिजली

समय पर मिल जाए, पानी की हैण्डपम्प की व्यवस्था ठीक ढंग से हो जाए। इसके सम्बन्ध में सरकार को चिन्ता करनी चाहिए।

मैं यह भी चाहता हूं अध्यक्ष महोदय, जो कठिन बात है, कड़वी बात है लोग भले ही नाराज हों, राजस्थान में एक पर्सेण्ट पानी उपलब्ध है। हम यह बिजली की कुएं को एनरजाइज करने का जो काम कर रहे हैं इसको नये सिरे से सोचने की आवश्यकता है कि राजस्थान में वह फसल जो कम पानी में उगती हो उस फसल को पैट्रनाइज करने के लिए हम सर्पोटिंग सिस्टम लगाएं तब तो आप बिजली को दें बाकी आज मेरे साथी नाराज होंगे, 38 हार्स पावर, 40 हार्स पावर की बिजली को नीचे से पानी निकालने का काम कर रहे हैं तो यह तो आज गंगानगर का मामला खड़ा हुआ है। पूरी आई.जी.एन.पी. अगले दस साल में केवल मात्र ड्रिंकिंग वाटर का काम करेगी, कोई आपको इर्रिगेशन की फैसिलिटी नहीं कर सकेगी। तो नये सिरे से सोचने की आवश्यकता है कि हम भी एक कम्पीटिशन करके पचास कुओं को हम एनरजाइज कर रहे हैं, चालीस को एनरजाइज कर रहे हैं। यह केवल मात्र पांच छह जिले हैं जहां पर किसान को आप कर रहे हैं। लेकिन इसका फार रीचिंग इफेक्ट यह पड़ेगा कि आने वाले समय में सारा आपका इन्फ्रास्ट्रक्चर खतम हो जाएगा। इसलिए पानी के सम्बन्ध में भी नये सिरे से वाटर हार्वेस्टिंग, स्कूल में बच्चों को बताकर कैसे हम रोकने की व्यवस्था कर सकें, इन सबके लिए चर्चा करने का समय आ गया है।

मैं समझता हूं इस सम्बन्ध में भी माननीय मुख्य मंत्रीजी ने कुछ प्रयास किए हैं। उन्होंने साइंटिफिक एटलस बनाया है। राठौड़ साहब बता रहे हैं कि उन्होंने एनीकट्स के बड़े काम हाथ में लिए हैं, लिये जाने चाहिए। जो रेन वाटर है उसे रिटेन कर लें हम, जितना रेन वाटर को चार्ज करः की व्यवस्था कर लें तब तो राजस्थान की पानी की समस्या हल हो जाएगी। बाकी मेरा अनुभव तो यह कहता है कि एक विधान सभा क्षेत्र में एक साल में १फली 100 हैण्डपम्प ड्राई होते हैं और 100 हैण्डपम्प को पचास हजार से मल्टीप्लाई करें और उसको 200 से मल्टीप्लाई करें तो लगभग सौ करोड़ रूपया हम फालतू खर्च कर रहे हैं हर साल जिससे ड्रिंकिंग वाटर की व्यवस्था नहीं हो रही। ड्रिंकिंग वाटर में हैण्डपम्प तो एक क्लोज कुआ है बाकी ओपन कुए पहले ही खोद देते हैं। यह नये सिरे से सोचने की आवश्यकता है।

(डा. सी. पी. जोशी)

जो मैकेनाइज्ड सिस्टम में टयूबवैल और हैण्डपम्प के माध्यम से हम ड्रिंकिंग वाटर की व्यवस्था करना चाहते हैं यह आने वाले समय में बहुत बड़ी प्राब्लम क्रियेट करेगा। इस सम्बन्ध में भी समय आ गया है कि हम निश्चित तौर पर चर्चा करें और कुछ व्यवस्था करें जिसका लाभ मिल सके। डाक्टर साहब आ गये हैं इसलिए मैं फिर डाक्टर साहब का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि डाक्टर साहब आज आपको सोचना पड़ेगा कि जो आपकी पी.एच.सी. और रैफरल हास्पिटल हैं कैसे रैफरल हास्पिपटल को हम पी.एच.सी. और पी.एच.सी. को एड पोस्ट के साथ लिंक करें। आज गांव-गांव में इंटरनेट व्यवस्था उपलब्ध है, आज टेलीफोन की सुविधा उपलब्ध है। आज पी.एम.जी.एस.वाई. में सड़कें बन रही हैं तो हमने क्या मन में यह रख रखा है कि एक सी.एम.ओ. दस साल बाद यह बनेगा। यह नये सिरे से सोचने की हमें आवश्यकता है।

मैन पावर को कैसे हम दुबारा डिप्लाय करें। ठीक ढंग से उसका उपयोग भी हो सके, यह हमें नये सिरे से करने की आवश्यकता है नहीं तो डेमोक्रेसी जो फार दी पीपुल बाई दी पीपुल, आफ दी पीपुल की जगह डेमोक्रेसी फार दी एम्प्लाई, आफ दी एम्प्लाई, एण्ड बाई दी एम्प्लाई होती जा रही है। यह आने वाले समय में लोकतंत्र के लिए सबके लिए खतरा है। इस खतरे को भी हमें समझने की आवश्यकता है। यदि हम जीतकर आ रहे हैं, हमें काम करना है तो मेरी जानकारी है कि हम जितना पैसा आज सरकारी कर्मचारी को दे रहे हैं, देना चाहिए, लेकिन जनरेट ही नहीं कर पाएंगे पैसा। हम लोन लेकर काम करते रहेंगे तो एक जमाना ऐसा आएगा अब हम पब्लिक एस्पिरेशंस को पूरा नहीं कर सकेंगे और हर पांच साल में सरकार बदलेगी। न तो अकाउण्टेबिलिटी बढ़ेगी और न एक ऐसा जमाना आएगा जब हम कह सकेंगे कि हमारी अध्यक्षा जी नौ बार जीतकर आयी हैं। यह रेयर चेन आफ कण्टीन्युटी हो जाएगी कि कोई नौ बार जीतकर भी आ सकता है। यह नयी सदी में, मैं समझता हूं कि बहुत बड़ी प्राब्लम खड़ी हो जाएगी। इसको भी समझने की आवश्यकता है।

इलैक्ट्रिसिटी के सम्बन्ध में जरूर कहना चाहता हूं, इसलिए कहना चाहता हूं कि जितना हम सिस्टम को इम्प्रूव करने का काम कर रहे हैं We

(डा. सी. पी. जोशी)

are giving latitude for theft. Should I say once again? पहले बिजली यदि ट्रिप हो रही थी दो घंटे, आधे घंटे तो बिजली चोरी नहीं हो रही थी। और हम इम्प्रूव कर रहे हैं सिस्टम । के.वी. सिस्टम बना रहे हैं, 144-220 अबाध बिजली मिलेगी। चोरी करने वालों को दो घंटे की जगह चार घंटे बिजली मिलेगी। यह सिस्टम किसके लिए खड़ा कर रहे हैं? उस सिस्टम से हम थैफ्ट को रोक नहीं पा रहे हैं।

आपने इसमें लिखा है कि टी एण्ड डी लासेज कम किये जा सकते हैं पच्चीस पर्सेण्ट पर लाया जाएगा। टी.एण्ड डी लोसेज किसी भी, आप जोधपुर निगम ले लो, अजमेर ले लो, सबके एक्सीड कर गये हैं। पच्चीस पर्सेण्ट छोड़िये, चालीस पर्सेण्ट से ऊपर हो गए हैं। टी.एण्ड डी. लोसेज आप कम नहीं कर पा रहे हैं। सिस्टम को इम्प्रूवमेंट करने का पैसा खर्च कर रहे हैं तो यह चोरी करवाने के लिए यदि हम सिस्टम को इम्प्रूव करवा रहे हैं तो गांव के गरीब आदमी के साथ अन्याय है। बिजली का पैसा बढ़ाते हैं आप, कुछ लोग चोरी करें और चोरी को रोक नहीं सकें सिस्टम को इम्प्रूव करके इसके वनिस्पत तो सिस्टम ठीक नहीं था तो चोरी कम हो रही थी। कम से कम गरीब आदमी के साथ तो अन्याय नहीं हो रहा। मैं कहना चाहता हूं कि मेवाड़ के साथ अन्याय हो रहा है। काहे को मेवाड़ को हमने जोड़ रखा है झुंझुनूं और सीकर के साथ, मेवाड़ के अन्दर क्या स्थिति बनी हुई है, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर में एग्रीकल्चर कनेक्शन ही नहीं हैं। उनकी क्रास सब्सिडी के अन्दर इतनी चोरी हो, उसकी सजा गांव के गरीब आदमी को मिले या आदिवासी को मिले, हमें नये सिरे से गांव के गरीब आदमी को यदि व्यवस्था करनी है तो आपको यह जो बिजली निगम हैं उनका भी री-स्ट्रक्चर करने की जरूरत है। गांव के गरीब आदमी के साथ अन्याय नहीं हो। आज ढाणी और मजरे में रहने वाले आदमी के पास बिजली नहीं पहुंच रही है, बिजली के नये नार्म्स आ गये। घनश्यामजी ने जवाब दिया था असेम्बली में, भारत सरकार ने नियम बना दिया है कि हम किसी गांव को, विलेज को इलैक्ट्रिफाई डिक्लेयर कैसे करेंगे, उस आधार पर नये सिरे से हम इन लोगों को बिजली पहुंचाने की व्यवस्था करें। यह भी एक बहुत बड़ा आवश्यक काम है जिस काम को करने की आवश्यकता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस बात को भली भांति जानता हूं कि आप स्वयं कहेंगे कि बहुत ज्यादा समय हो गया है, मैं आपका

(डा. सी. पी. जोशी)

बहुत-बहुत आभारी हूं लेकिन मेरे मन में एक कल्पना थी कि हम सब मिलकर, आज आपको सरकार बनाने का अवसर मिला है, चार साल तक आप सरकार चलाएंगे, हमारे मन में कल्पना है, अच्छा गवर्नेंस करें, जनता की भागीदारी बनाएं, ऐसी पालिसी बनाएं जिससे राजस्थान प्रगति के पथ पर आगे बढ़ सके। फिर जनता के बीच में वोट मांगने के लिए जाएं तो खुशी होगी। लेकिन यह जो आज सरकारी आंकड़े हैं।

मानीय अध्यक्ष महोदय, आखिर में एक ही बात कहकर खतम करूंगा, हजारों कार्यकर्ता काम करके सैकड़ों आदमियों को एम.एल.ए. बनाते हैं, सैकड़ों एम.एल.ए. मिलकर कुछ आदमियों को मंत्री मनाते हैं, कुछ मंत्री, जहां कुछ सैक्रेटरी, कुछ मिलने वाले मिलकर मुख्य मंत्री चलाते हैं, यह लोकतंत्र के लिए खतरा है। आज कंट्रीब्यूशन होना चाहिए एम.एल.ए. का। एम.एल.ए. का कोई रोल नहीं है किसी में। वो ही सैक्रेटरी जो हमारा सैक्रेटरी था वो आपको एडवाइज कर रहा था, वह हमको एडवाइज कर रहा था पी.एच.ई.डी. में, आज आपको मेडिकल हैल्थ में एडवाइज कर रहा है। यह सैक्रेटरीज जो हैं जनता की एस्पिरेशन हैं इसको आब्जर्व करके सरकार को कमजोर करता है डेमोक्रेटिक सैटअप। जब से हमने सी.एम. सैक्रेटेरियेट को पी.एम. सैक्रेटेरियेट बनाने की कोशिश की है, हमारे चुने हुए नुमाइन्दों को बिलिटिल करने की कोशिश की है तब से हमारा कमजोर हो गया है लोकतंत्र। लोकतंत्र में जनता का चुना हुआ प्रतिनिधि सर्वोपरि होना चाहिए। पार्टी का प्रतिनिधि कोई जीतकर आया हो, अच्छा होना चाहिए। किसी विचाराधारा का आदमी जीतकर आए, खुशी हो, विचारों के आधार पर आदमी आगे बढ़ना चाहिए लेकिन विचारों को हाई जैक करके दूसरी कंसीडरेशन से राजनीति करना चाहते हैं वह लोकतंत्र को कमजोर करेंगे।

पंचायतीराज में भी यह नहीं हो इसलिए मैं आपसे विनम्र शब्दों में निवेदन करना चाहता हूं कि पंचायतीराज के नियम और कानून में भी परिवर्तन करने का समय आ गया है जिससे गांव के गरीब आदमी को लाभ मिल सके। मुझे पूरा विश्वास है कि जिन भावनाओं से माननीय मुख्य मंत्रीजी

ने कहा कि हम सब मन भेद को भुलाकर अपनी बातें कहें, हमने मन भेद तो रखा नहीं है, मतभेद हैं कल भी रहेंगे, परसों भी रहेंगे। राजा को देखकर खुशी होती है, रानी को देखकर खुशी होती है और राजा चुनकर जीता, राज करने आए तो राजा रानी नये ढंग से राज करें तो खुशी होती है कि लोगों को विश्वास हो सके कि यह डेमोक्रेसी के चुने हुए राजा रानी हैं। वह पुराने राजा रानी की तरह रहते नहीं हैं। काम करने में भी उनके बदलाव आया है। उसका लाभ जनता को मिले। ऐसी मैं आशा करता हूं। इन्हीं सब शब्दों के साथ यह सब चीजें जो मैंने आपके सामने बताई हैं यह मुझे बाध्य करती हैं कि गवर्नर साहब के थैंक्स में मैं इसका विरोध करता हूं।

श्री अध्यक्ष : श्री नाथूसिंह गुर्जर।

व्यक्तिगत स्पष्टीकरण

संयम लोढ़ा श्री, सदस्य का व्यक्तिगत स्पष्टीकरण

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही) : माननीय अध्यक्ष महोदय, आन ए पाइंट आफ क्लेरीफिकेशन।

श्री अध्यक्ष : आपको अभिभाषण पर बोलने के लिए पुकारा है।

डा. एन.एस. गुर्जर : बोल रहा हूं, यह बीच में खड़े हो गये।

श्री संयम लोढ़ा : माननीय अध्यक्ष महोदय, आन ए पाइंट आफ क्लेरीफिकेशन।

श्री अध्यक्ष : क्या पाइंट आफ क्लेरीफिकेशन करेंगे आप? (व्यवधान) आपके खिलाफ कोई चार्ज तो है नहीं, क्लेरीफिकेशन क्या करेंगे आप?

श्री संयम लोढ़ा : मैं कर रहा हूं क्लेरीफिकेशन

डा. एन.एस. गुर्जर : मैं तो बोल रहा हूं वह बोल रहे हैं कुछ।

श्री अध्यक्ष : आप क्या क्लेरीफिकेशन करेंगे? (व्यवधान)

मैंने नाम पुकार लिया नाथूसिंह गुर्जर का (व्यवधान) आपके खिलाफ कोई चार्ज तो है नहीं, आप क्लेरीफिकेशन किस बात का देंगे।

श्री संयम लोढ़ा : मैं इस बात का क्लेरीफिकेशन कर रहा हूं, कल एक शब्द के अर्थ के विषय में मैंने यह निवेदन किया था, सामान शब्द का अर्थ बंदोबस्त, सामर्थ्य ताकत, बदन से है। अध्यक्ष महोदय, मैं यहां हिन्दी उर्दू का शब्दकोष लेकर आया हूं (व्यवधान) कल जिस मानसिकता के साथ आपने इस शब्द पर एतराज किया था वह +++ थी और एक +++ था। माननीय अध्यक्ष महोदय, उर्दू का एक मशहूर शेर है जिसमें इस शब्द का प्रयोग हुआ है "पहले जां फिर जाने जां फिर जाने जाना हो गये। रफ्ता रफ्ता वो मेरी हस्ती का सामां हो गये।" यह सामान शब्द असंसदीय नहीं है, मैं यही निवेदन करना चाहता हूं।

श्री रामप्रताप कासनिया : माननीय अध्यक्ष महोदय, कल मुझे बोलने नहीं दिया गया, निर्दलीयों का भी थोड़ा..

श्री सुरेश मीणा (करौली) : अध्यक्ष महोदय, हमने तीन-तीन बार पर्ची पहुंचायी, तीन-तीन बार पर्ची पहुंच चुकी, पता नहीं कहां गायब हो जाती है हमारी। विधान सभा में हमें भी बोलने का मौका दिया जाये, जिस तरह यह चुन कर आए हैं उसी तरह हम भी चुनकर आए हैं, हमें भी बोलने का मौका दिया जाए।

श्री अध्यक्ष : देंगे, आपको भी देंगे।

धन्यवाद प्रस्ताव पर वाद-विवाद

डा. एन.एस. गुर्जर (टोडारायसिंह) : माननीय अध्यक्ष महोदय, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर जो धन्यवाद का प्रस्ताव आया है मैं उसका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। समर्थन इसलिये कर रहा हूं कि राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में राजस्थान सरकार की एक नयी सोच, समग्र विकास की कल्पना को, साकार करने के सपने को इस अभिभाषण के माध्यम से प्रकट किया है।

(डा. एन. एस. गुर्जर)

माननीय अध्यक्ष महोदय. तीन दिन से मैं पतिपक्ष के सदस्यों के भाषण सुन रहा हूं। पुराने जमाने में, आज तो नहीं, आज तो नया जमाना बदल गया है लेकिन पुराने जमाने में कोई महिला अपने पति का नाम नहीं लेती थी। लेती भी थी तो घुमा फिराकर बोलती थी ऐ जी, ओ जी, सुनो जी.. (व्यवधान) आप कहां बीच में आ गये...(व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा : आप सलाह दे रहे थे सी.पी. जोशी साहब को कि भाषण कैसा होना चाहिये और आपका बड़ा लुत्फ लाने वाला भाषण है।

डा. एन.एस. गुर्जर : आप सुनो तो सही। आप बुढापे की ओर बढ़ रहे हैं इसलिये हम जवानों के बीच में क्यों आ रहे हो?

श्री घनश्याम तिवाड़ी : आप जवान हैं?

डा. एन. एस. गुर्जर : आपको संदेह है क्या? अभी आप बूढ़े हो गये क्या?

अध्यक्ष महोदय, तो सीधा पति का नाम लेकर नहीं कहती थी ऐ जी, ओ जी, सुनो जी कहती थी। मुझे ताज्जुब यह हो रहा है कि प्रतिपक्ष के किसी भी माननीय सदस्य ने सरकार की तारीफ में वसुन्धराजी का नाम कभी लिया ही नहीं। क्या मैं यह मान सकता हूं कि एक साल में कोई एक भी अच्छा काम इस सरकार ने नहीं किया जिसकी की आप तारीफ करते, वसुन्धराजी की तारीफ करते, वसुन्धराजी का नाम तो ले लेते। पुराना जमाना नहीं है, नया जमाना आ गया। इस वक्त पति का नाम लेने में या किसी का नाम लेने में परहेज नहीं है लेकिन इन्होंने उस पुरानी पत्नी का फर्ज अदा किया है। वसुन्धराजी का नाम नहीं लिया। तारीफ नहीं की। एक भी काम, एक आंख से देखें रहे हैं। समग्र दृष्टि का मतलब होता है आप दोनों आंखों से देखकर चलो। अच्छा होता, स्वस्थ लोकतंत्र में यह आवश्यक है कि हम अच्छाई भी देखें, बुराई भी देंखे। आप हमारी बुराइयां देखिये, उनको सदन में रखिये, जोरदार तरीके से रखिये लेकिन एकाध कोई अच्छाई का भी गुणगान कर देते. कोई अच्छा काम हुआ है उसकी भी तारीफ कर देते तो हमें अच्छा लगता। इसलिये मुझे लगता है कि प्रतिपक्ष सकारात्मक सोच के साथ अपनी भूमिका

(डा. एन. एस. गुर्जर)

सदन में अदा नहीं कर रहा है। मैं इसलिये कह रहा हूं, जिस समय, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं..

श्री हरिमोहन शर्मा : एक सैकिंड। जब माननीय वसुन्धराजी प्रदेश का नेतृत्व करने के लिये आयीं उस समय आप तारीफ कर देते तो यह दुर्गति नहीं होती।

डा. एन.एस. गुर्जर : आप भी मुझे यह सलाह उस समय दे देते तो बहुत अच्छा होता। बहुत देरी से सलाह दी।

श्री महावीर प्रसाद जैन : आपने उनकी सलाह मानी क्यों? कमेटी में आप बैठे हुए हो इसलिये जरूरी नहीं है उनकी सलाह मानना।

श्री हरिमोहन शर्मा : मैंने तो आपको भी सलाह दी थी मुख्य सचेतक बनने की, जो आपने मेरी भी मानी है। मैंने कहा था विवाद में मत उलझो, नहीं तो है जिससे भी जाओगे।

श्री महावीर प्रसाद जैन : ऐसा है मैं तो किसी की सलाह पर चलता नहीं हूं। मैं अपनी सलाह स्वयं तय करता हूं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : इनको देखकर तो लोग पीछे हट जाते हैं।

श्री हरिमोहन शर्मा : इसीलिये तो नाथूसिंहजी हट गये, नहीं तो नाथूसिंहजी बनते मंत्री।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : मंत्री से कम नहीं हैं।

श्री बृजकिशोर शर्मा : आप तो चाहते ही हो कि यह ऐसे ही रहें।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : नहीं, नहीं, मैं तो चाहता हूं यहां आ जाएं।

डा. एन.एस. गुर्जर : घनश्यामजी और हम बहुत पहले से साथ-साथ हैं, मित्र हैं इसलिये वह मेरे बारे में ऐसा नहीं सोच सकते जैसा आपके बारे में दूसरे लोग, जब आप सत्ता में थे तो आपस में सोचते थे। हमारे में ऐसा नहीं है।

(डा. एन. एस. गुर्जर)

अध्यक्ष महोदय, राजस्थान को विकास की दृष्टि से अगर हम देखें यह पहली बार ऐसा हुआ है कि राजस्थान की मुख्य मंत्रीजी ने, राजस्थान की सरकार ने अपने कुशल वित्तीय प्रबंधन से केवल विकास को आगे नहीं बढ़ाया अपितु केन्द्र को भी प्रभावित किया है और राजस्थान विकास की दृष्टि से आगे बढ़ा है। 1990 में जब आपकी सरकार थी उस समय राजस्थान विकास की दृष्टि से 17वें स्थान पर था। उसके बाद जब माननीय भैरोंसिंहजी के नेतृत्व में सरकार बनी बी.जे.पी. की, उन्होंने खींचकर के राजस्थान को विकास की दृष्टि से पांचवें नम्बर पर लाकर खड़ा कर दिया। हम बीमारू राज्यों की श्रेणी में खड़े थे, अभी भी खड़े हैं। आपकी सरकार आयी आपने पांचवें नम्बर से ले जाकर उसको 13वें स्थान पर विकास की दृष्टि से खड़ा कर दिया..(व्यवधान) 13वें नम्बर पर...(व्यवधान) बिलकुल सही बात है। राजस्थान को पीछे ले जाने में अव्वल नम्बर बन..

श्री कालीचरण सर्राफ : यह किस मामले में फर्स्ट थे?

डा. एन.एस. गुर्जर : पीछे ले जाने में। 13वें स्थान पर ले जाकर खड़ा कर दिया पांचवें स्थान से।

मैं धन्यवाद देना चाहता हूं मुख्य मंत्रीजी को, सरकार को कि उन्होंने वापस प्रयन्त करके केवल एक साल के अन्दर 13वें स्थान से आठवें या नवें स्थान पर लाकर राजस्थान को पुनः खड़ा कर दिया। इसके लिये मैं बधाई देना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, यह क्यों हुआ? राजस्थान का कुशल वित्तीय प्रबंधन, योजनाओं का सही क्रियान्वयन । कुशल प्रबंधन हुआ, मैं इसलिये कह रहा हूं कि हमारी वार्षिक योजनाएं हैं, आप लोगों ने जितनी भी वार्षिक योजनाएं तय कीं उतनी मात्रा में खर्च नहीं किया। पहले आंकड़े दिये जा चुके हैं, मैं उन आंकड़ों में नहीं जाना चाहूंगा। अगर आप चाहें तो मेरे पास आंकड़े हैं 1951 से लेकर 2004-2005 तक के। मैं नहीं जाऊंगा लेकिन मैं कुछ आंकड़े जरूर बताऊंगा कि 2002-2003 में वार्षिक योजना आपकी 5160 करोड़ थी, साढ़े पांच हजार करोड़ की ली गयी थी। 4200 करोड़ के समथिंग, 4431 करोड़ उतना ही खर्च किया। 2003-2004 में आप 6200 करोड़ की योजना लेकर

(डा. एन. एस. गुर्जर)

गये, योजना आयोग ने आपके वित्तीय प्रबंधन को ठीक नहीं माना और आपको 4258 करोड़ की वार्षिक योजना स्वीकृत की और आपने उसको भी खर्च नहीं किया। तब तक सरकार बदल गयी। हमने आकर उस योजना में 6044.38 करोड़ का खर्चा किया। उसका परिणाम अध्यक्ष महोदय, यह हुआ कि प्लानिंग कमीशन के सामने जब इस बार हम लेकर गये तो हमने योजना का आकार, जब हम पिछली बार करीब 7100 करोड़ स्वीकृत किया और हमने 6922 करोड़ खर्च किया। उसका परिणाम यह था कि इस बार हम केवल 8350 करोड़ की योजना नहीं ले गये थे, कम ले गये थे हम। लेकिन उन्होंने हमारा वित्तीय प्रबंधन देखा, योजनाओं की क्रियान्विति देखी और राजस्थान सरकार के वित्तीय प्रबंधन को देखकर स्वयं योजना आयोग ने यह योजना बढ़ायी। 7800 करोड़ के आस-पास हम ले गये थे, उन्होंने बढ़ाकर 8350 करोड़ की हमारी वार्षिक योजना स्वीकार की। क्या कहा उन्होंने? योजना आयोग ने स्वीकार करते समय कहा, "The State has a lower poverty ratio of 15.28% compared to the national average of 26.1%" उन्होंने कहा पॉवर्टी रेशो राजस्थान में 15.28 परसेंट है जबकि 26.1 परसेंट राष्ट्रीय एवरेज है इसका। उससे कम पावर्टी रेशो राजस्थान में है, इस वजह से उन्होंने की। उन्होंने आगे और कहा कि क्यों बढ़ायी है। मैं कोट करना चाह रहा हूं जो उन्होंने कहा। "In addition to enhancement of the outlay for the Women and Child Department..."

अभी हमारे नाथद्वारा से आने वाले विद्वान माननीय सदस्य महिलाओं के बारे में बोल रहे थे, आपरेशन के बारे में बोल रहे थे, प्रसव पीड़ा के बारे में बोल रहे थे। मुझे मालूम नहीं उनको किस तरह की प्रसव पीड़ा हो रही थी। हो रही होगी प्रसव पीड़ा, लेकिन इसमें कहा है-

"In addition to enhancement of the outlay for the Women and Child Department, the State Government has provided a number of incentives such as interest subsidy, reduction in stamp duty etc. for women entrepreneurs."

यह मैं नहीं कह रहा हूं, प्लानिंग कमीशन बोल रहा है। और आगे उन्होंने कहा- "Concluding the discussions, the Deputy Chairman, Planning Commission said that Rajasthan had many commendable achievements, com-

(डा. एन. एस. गुर्जर)

mendable achievements, in various areas and especially in literacy during the last decade."

डा. चन्द्रशेखर बैद : लास्ट डिकेड।

डा. एन.एस. गुर्जर : यस-यस, 93 एंड एबव। 1990 से जब हम आये थे। वह भी मैं आंकड़े दूंगा। मैं आ रहा हूं, उस पर आ रहा हूं एजुकेशन में। मेरे पास था प्राइमरी विभाग इसलिए बता रहा हूं। आप चिन्ता मत करो। आप लास्ट डिकेड की बात कर रहे हैं। जब आपने कहा 1990 तो 1991 की जनगणना के आधार पर राजस्थान की लिटरेसी रेट पुरुषों की 38 प्रतिशत और महिलाओं की 20 प्रतिशत की थी, हमने 1990 से लेकर 1998 तक जब शिक्षा का अभियान चलाया राजस्थान में और आपने एक नियम बना रखा था कि राजस्व गांव के अलावा किसी भी ढाणी में स्कूल नहीं खुलेगा। अध्यक्ष महोदय, मुझे याद है मैं पंचायत मंत्री था, हमारी सरकार ने निर्णय लिया उस समय कि इस राजस्व गांव की कोई सीमा नहीं है, इस कानून को हटाओ। अब ढाणी में भी स्कूल खुलेंगे। ढाणियों में भी हमने स्कूल खोले और उससे लिटरेसी रेट बढ़ाकर उस समय जब हम छोड़कर गये 1998 में तो भारत सरकार का एक डेलीगेशन आया था सर्वे करने के लिए और 1998 के बाद सर्वे करके कहा कि राजस्थान की लिटरेसी रेट अचानक बढ़कर 55 प्रतिशत हो गयी है। यह उस समय डेलीगेशन ने कहा है। यह मैं नहीं कह रहा हूं और उसके बाद 2001 की जनगणना के आधार पर जब लिटरेसी रेट आयी तो 75 प्रतिशत तक पुरुषों की लिटरेसी रेट आयी और 65 प्रतिशत महिलाओं की रेट आयी। यह मैं हमारी सरकार का एचिवमेंट ही बता रहा हूं लास्ट डिकेड का, यह जो मैं कह रहा हूं, इसलिए आप मुझे ज्यादा छेड़िये मत।

श्री अध्यक्ष : यह आप फिर से देखिये 65 को..(व्यवधान)

डा. एन.एस. गुर्जर : "He also said that Planning Commission would have further occasions to discuss the various issues concerning the State during the quarterly….."

श्री राम प्रताप कासनिया : आप हिन्दी में बोलें तो समझ में आ जाये।

डा. एन.एस. गुर्जर : यह तो इन्होंने लिखा है इसलिए मैं पढ़ रहा हूं। मेरा कुछ नहीं है।

श्री अध्यक्ष : यह अर्थ बता देंगे आपको।

डा. एन.एस. गुर्जर : "... progress review meetings. Planning Commission would be happy to extend all possible assistance to the State........

देखिये, प्लानिंग कमीशन कह रहा है। प्लानिंग कमीशन ने कहा है कि वह खुश होगा राजस्थान को सारी सहायता देकर इस तरह की,

"....Planning Commission would be happy to extend all possible assistance to the State Government in their efforts to the living conditions of the people." यह कहा है उन्होंने और आगे कहा है, "Summing up the discussions, Secretary, Planning Commission announced that the size of the Annual Plan 2005-06 of Rajasthan would be Rs. 8350 Crore comprising of Rs. 5256.0 crore of State's Own Resources (SOR) and Rs. 3094 Crore of Central Assistance."

यह प्लानिंग कमीशन ने कहा है, मैं नहीं बोल रहा हूं। इसलिए यह हमारी सरकार का वित्तीय प्रबंधन है और यह क्यों हुआ, वित्तीय प्रबंधन ठीक हुआ उसके नतीजे क्या हुए कि हमने इस एक साल के कम समय में टैक्स रेवेन्यू 18 प्रतिशत रखी और नान टैक्स रेवेन्यू 26 प्रतिशत के आसपास बढ़ायी है। अब यह एक-आध महीने का ऊपर-नीचे आंकड़ा हो सकता है क्योंकि चालू वित्त वर्ष है। मैं लगभग बोल रहा हूं। अध्यक्ष महोदय, यह हमने रेवेन्यू बढ़ायी और यह किसलिए बढ़ायी कि हमारी सरकार ने जनता पर विश्वास किया और पहली बार व्यापारियों पर विश्वास किया और टैक्स रिलेक्शेसन के लिए उन्हें ज्यादा टैक्स में छूट दी। इससे उनसे ज्यादा कलेक्शन हुआ। सेल्स टैक्स का ज्यादा कलेक्शन हुआ। हमने किसानों पर विश्वास किया, व्यापारियों पर विश्वास किया। मजदूरों पर विश्वास किया। हर वर्ग के लिए कुछ न कुछ इस सरकार ने किया। जनता पर भरोसा करके ज्यों ही टैक्स को कम किया तो हमारी टैक्स रेवेन्यू में बढ़ोतरी होती चली गयी। यह जनता पर भरोसा है। आपकी सरकार ने आज तक जनता पर भरोसा ही नहीं किया। आपने इंस्पेक्टर

(डा. एन. एस. गुर्जर)

राज कायम रखा, उलटे-सीधे टैक्स लगाये जिसके कारण जितना टार्गेट बनता था उतना टैक्स रेवेन्यू आपका कभी कलेक्ट नहीं होता था इसलिए यह जनता पर भरोसा हमारी सरकार ने किया। यह उसका परिणाम था।

अध्यक्ष महोदय, इतना ही नहीं हर क्षेत्र में, हमारी योजनाओं के बारे में बड़ा कह रहे थे कि इतना कम किया, इतना कम किया। अभी सी.पी. जोशी साहब कह रहे थे कि सेन्ट्रल की योजनाएं थी उनमें इतना कम खर्च किया। वह मैं आपको बताना चाहूंगा। विभिन्न गरीबी हटाओ योजनाओं में राशि 2000-2001 में 1147 करोड़ रूपये आपको आबंटित हुई थी जिसमें आपने 924 करोड़ रूपये का उपयोग किया। 223 करोड़ रूपया आपका खर्च ही नहीं किया। आपने 2001-2002 में, आप हमारी सरकार के बारे में बता रहे थे, मैं आपको बता रहा हूं, आपकी सरकार का नमूना बता रहा हूं कि आपकी सरकार का चेहरा क्या था, 2001-2002 में 1178 करोड़ रूपया मिला, 123 करोड़ रूपया खर्च नहीं किया। 2002-2003 में 1147 करोड़ रूपया मिला, 663 करोड़ रूपया खर्च नहीं किया।

श्री कालीचरण सर्राफ : 600 करोड़ रूपया खर्च नहीं किया।

डा. एन.एस. गुर्जर : अध्यक्ष महोदय, किस आधार पर यह बोल रहे हैं? उस समय खर्च ही नहीं किया। जितनी योजनाएं चल रही थीं इनकी सरकार में, उनमें भ्रष्टाचार था। हम जब गांवों में जाते थे तो लोग चटखारे लेकर बताते थे कि डीपीएसपी एक इनकी योजना था, उसके बारे में लोग बताते थे, इसका नाम क्या रखा लोगों ने बदलकर, मतलब दारू पिओ और पिलाओ। डेकोइटी डवलपमेंट प्रोग्राम, आईआरडीपी, आई रकम डकाररो प्रोग्राम। नाबार्ड, नाबार्ड से भी आपने बहुत समझौते किये, बहुत ऋण लिया और आपके मित्र, हरिमोहनजी के मित्र उस समय...(व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा : आपको पता तो है ना कि राज बदल गया है?

डा. एन.एस. गुर्जर : मुझे मालूम है सब।

श्री संयम लोढ़ा : पता तो है ना। फिर इस सरकार के अभिभाषण पर बोलो ना।

डा. एन.एस. गुर्जर : आप हमारी क्रिटिसाइज कर रहे थे..(व्यवधान)

डा. संयम लोढ़ा : अभी हैंग ओवर आपका खतम नहीं हुआ.. (व्यवधान)

डा. एन.एस. गुर्जर : आपके बारे में बता रहा था..(व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा : हैंग ओवर खतम नहीं हुआ..(व्यवधान) अपनी सरकार की तो बताओ। यह हमारे कामकाज का रोना कितने समय तक रोओगे आप..(व्यवधान)

डा. एन.एस. गुर्जर : अभी आपको प्लानिंग कमीशन का सर्टिफिकेट बताया है....(व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा : अगर यही आपकी हालत रही तो यह रोते-रोते पांच साल पूरे हो जायेंगे और इधर वापस आ जाओगे ..(व्यवधान)

डा. एन.एस. गुर्जर : हमारी सरकार को जो सर्टिफिकेट दिया है प्लानिंग कमीशन ने..(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, व्यवधान नहीं।

डा. एन.एस. गुर्जर : आपकी सरकार के समय में प्लानिंग कमीशन ने, वह सर्टिफिकेट बता दिया अभी आपको। मैं कह रहा हूं कि आपकी सरकार का बताओ। बता दिया शायद आप इधर-उधर चले गये होंगे। नाबार्ड से जो लोन लिया उस पैसे की क्या दुर्गति आपने की। नाबार्ड की डेफिनेशन लोगों ने बदल दी और उसके लिए कहने लगे नाट एट आल बोदर्ड अबाउट रूरल डवलपमेंट। यह आपकी सरकार की स्थिति थी उस समय में जितनी योजनाएं थी उनके नाम बनाकर लोग क्या-क्या चटखारे लेते थे और आप हमारी सरकार के बारे में पूछ रहे हैं।

(डा. एन. एस. गुर्जर)

अध्यक्ष महोदय, यह कह रहे थे, कल ही कह रहे थे, रोजगार, सरकारी नौकरियां देना ही रोजगार नहीं होता और सरकारी नौकरियों में ज्यादा गुंजाइश भी नहीं है। फिर भी मैं सरकार को बधाई देना चाहूंगा कि करीब 38 हजार अध्यापकों की भर्ती कर रहे हैं और दूसरे मिलाकर 41 हजार के आसपास और कुल मिलाकर 50 हजार के आसपास यह भर्ती करेंगे।

श्री हरिमोहन शर्मा : माननीय मुख्यमंत्रीजी ने 80 हजार बताया, आंकड़े ज्यादा बढ़ाकर नहीं बता सको तो कम बताकर और नम्बर कटवा रहे हो।

डा. एन.एस; गुर्जर : ऐसा है ज्यों-ज्यों समय नजदीक आ रहा है, आंकड़े बढ़ते जायेंगे इसलिए यह सतत् प्रक्रिया है।

श्री हरिमोहन शर्मा : कम कर रहे हैं।

श्री संयम लोढ़ा : अपनी शपथ का समय तो तय हो गया..(व्यवधान)

डा. एन.एस. गुर्जर : देखिये, मुझे जनता ने शपथ दिला दी विधान सभा में, मैं उसकी परवाह करता हूं। बाकी शपथों की परवाह नहीं करता हूं। सबसे बड़ा जनता का सर्टिफिकेट होता है। आपके सर्टिफिकेट की आवश्यकता मुझे नहीं है। जनता के सर्टिफिकेट की आवश्यकता है।

श्री संयम लोढ़ा : हम जनता की तरफ से ही कह रहे हैं। आप जैसे योग्य व्यक्ति की सेवा का लाभ जनता को मिले, हम इसलिए तो कह रहे हैं।

श्री माननीय सदस्य : लोढ़ाजी, सर्टिफिकेट तो दे दिया, वह बैठे जोगारामजी पटेल आपके सामने।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक) : इनको अब तक इसलिए जगह नहीं मिल रही है कि आप बीच में आ जाते हैं।

डा. एन.एस. गुर्जर : आपने मेरे प्रति सहानुभूति दर्शाई उसके लिए धन्यवाद।

(डा. एन. एस. गुर्जर)

अध्यक्ष महोदय, रोजगार के लिए भी जब तक हम केवल नौकरियों के पीछे भागते रहेंगे, चाहे आपकी सरकार हो या हमारी सरकार हो, इस बारे में हमको पोजीटिव सोच रखना चाहिए, सरकारी नौकरियों के पीछे हम कब तक भागते रहेंगे, आप देते रहेंगे, लेते रहेंगे यश-अपयश। मैं इस बात का समर्थक नहीं हूं, हालांकि मैंने अभी सरकार को धन्यवाद दिया कि इतनी नौकरियां वे दे रहे हैं लेकिन फिर भी मैं सैद्धान्तिक और व्यक्तिगत रूप से इस पक्ष में नहीं हूं क्योंकि रोजगार देने के लिए हम कितने लोगों को नौकरियां देंगे। पांचवें वेतन आयोग की रिपोर्ट आने के बाद कोई भी स्टेट इस स्थिति में नहीं है कि ज्यादा सरकारी नौकरी दे सके। यदि किसी सरकार ने ज्यादा नौकरी देने की गलती की भी तो उसके डवलपमेंट की गति धीमी पड़ जाएगी इसलिए मैं नौकरी को केवल रोजगार नहीं मानता हूं। अपने को ग्लोबलाइजेशन के हिसाब से चलना पड़ेगा। जिस प्रकार से आज विकसित राष्ट्र इस दिशा में चल रहे हैं, हमको भी उसी दृष्टि से सोचना पड़ेगा। चाहे हमारी सरकार आए या आपकी, सरकारों की अदला-बदली तो होती रहेगी लेकिन जब तक हम समस्या की मूलभूत जड़ में नहीं जाएंगे और केवल नौकरी की बात करेंगे कि इतनी नौकरी हमने दे दीं, आपने इतनी नौकरी नहीं दीं, मैं मूलभूत समस्या की ओर इशारा करना चाहता हूं।

रोजगार के बारे में कल जैसा मंत्री महोदय ने कहा कि 1 लाख 5 हजार लोगों को हमने रोजगार दिया तो बड़ी आपत्ति हुई कि आप बताएं कि नौकरी कितनों को दी है, रोजगार की बात क्यों कर रहे हैं। यह आपको शोभा नहीं देता है, आपको कहना चाहिए कि अच्छी बात है और लोगों को रोजगार दीजिए तो बड़ी खुशी होती।

अध्यक्ष महोदय, मैं सरकार से भी निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे राजस्थान में दूसरे राज्यों की तुलना में सेंट्रल इन्वेस्टमेंट बहुत कम हुआ है, इसलिए हम सबको, पक्ष और प्रतिपक्ष को मिलकर यह प्रयत्न करना चाहिए केन्द्र सरकार से कि हमारे यहां राजस्थान में सेंट्रल इन्वेस्टमेंट बढ़े। आज दो प्रतिशत भी हमारे पास सेंट्रल इन्वेस्टमेंट नहीं हैं । (व्यवधान) इतने के आसपास है, मैंने कहा न कि दो प्रतिशत भी नहीं है। अध्यक्ष महोदय, इसके लिए हमें भारी उद्योग लगाने चाहिए राजस्थान में जिससे हमारे लोगों को

(डा. एन. एस. गुर्जर)

रोजगार के अवसर ज्यादा मिल सकें। लघु उद्योगों को प्रोत्साहित करना चाहिए ताकि ढाणी में बैठे उस आदमी को वहीं रोजगार उपलब्ध हो जाए। हमें कृषि पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए ताकि कृषि छोड़कर जो लोग बेरोजगार हो गए और उद्योग धंधों और नौकरियों की तरफ भाग रहे हैं, कृषि को ही अपना कार्य चुन सकें। पशुपालन हमारे वैस्टर्न राजस्थान की इकोनोमी है, हमें उस पर भी ध्यान देना चाहिए।

आप लोगों ने खनन उद्योग का बंटाधार कर दिया। माननीय जोशीजी आज नहीं हैं लेकिन मैं उनकी तारीफ करना चाहता हूं। हम उस समय प्रतिपक्ष में थे, उन्होंने जब केन्द्र सरकार से इस तरह का आर्डर आया कि फोरेस्ट के कारण खानें बंद करो तो हमसे कहा कि हम सरकार में हैं इसलिए आन्दोलन नहीं कर सकते, आप लोग आन्दोलन करिए, हम लोग परश्यू करेंगे कि सेंट्रल गवर्नमेंट इस आदेश को वापस ले। मैं माननीय हरिदेवजी जोशी जो यहां नहीं हैं, उनको बधाई देना चाहता हूं। इसलिए आप भी इस तरह का रुख अपनाइए।

पहली बार इस सरकार ने एक नीति बनाई। फोरेस्ट विभाग के अधिकारी खान मालिकों को कहते हैं कि यह खानें फोरेस्ट में चल रही हैं, इसलिए बंधी देओ। वह बंधी लेते हैं। यदि नहीं देते हैं तो सुप्रीम कोर्ट तक लिख कर दे देते हैं एन.जी.ओ. के माध्यम से। इसी तरह से खान विभाग के लोग अवैध रूप से खानें चलवाते हैं। रेवेन्यू डिपार्टमेंट कहता है कि यह जमीन हमारी है, फोरेस्ट डिपार्टमेन्ट कहता है कि यह जमीन हमारी है। जमीनों के झगड़े निपटाने के लिए इस सरकार ने पहली बार एक जोइन्ट कमेटी बनाई और यह तय किया कि फोरेस्ट की जमीन को अलग करो, रेवेन्यू की जमीन को अलग करो, यह सब क्लीयरकट करो जिससे फोरेस्ट डिपार्टमेंट और इन्वायरमेंट डिपार्टमेंट के चक्कर खतम हों और अधिकारियों के पीछे पड़ने वाली और ले देकर काम कराने वाली बात है वह समाप्त हो। इसके लिए मैं सरकार को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने एक पोजीटिव कदम इस समस्या को हमेशा-हमेशा के लिए समाधान करने के लिए उठाया है।

श्री अशोक बैरवा "खण्डार" (खण्डार) : रिजल्ट क्या आया?

डा. एन.एस. गुर्जर : रिजल्ट आएगा। शादी होते ही बच्चा पैदा नहीं हो जाता, उसमें भी नौ महीने का समय लग जाता है, विराज जाओ।

अध्यक्ष महोदय, पहली बार सरकार ने प्रयास किया कि मैक्सिमम खानें खुलें, इसके लिए मैं सरकार को बधाई देना चाहता हूं।

आप यह कह रहे हो, यह कर दिया, वह कर दिया। आप कल कह रहे थे। हम वित्तीय प्रबन्ध और समग्र विकास की बात कर रहे हैं। क्योंकि कुछ तो हमारा भाग्य ने साथ दिया और कुछ भगवान ने साथ दिया और कुछ हमारी मुख्य मंत्रीजी की नई सोच रही, नई परिकल्पना रही। अभी आधुनिक विचारों के बारे में कह रहे थे, आधुनिक विचार नहीं होंगे तो ग्लोबलाइजेशन के युग में हम काम नहीं कर सकेंगे। पुराने ढर्रे पर ही प्रशासन चलाएंगे, पुराने ढर्रे पर ही शासन चलाएंगे तो हम विकसित राष्ट्रों और विकसित राज्यों का सामना कैसे कर पाएंगे? हमारे सामने महाराष्ट्र है, गुजरात है, कर्नाटक है, इनसे कम्पीट हम कैसे कर पाएंगे? इसलिए मुख्य मंत्रीजी ने नई सोच के साथ कुछ सकारात्मक कदम उठाए हैं। इन तीनों का मिला-जुला प्रभाव ऐसा पड़ा है कि भाग्य के भरोसे भगवान ने अच्छा किया, अच्छी बरसात हो गई, बाड़मेर में तेल और गैस के भण्डार मिल गए। मुख्य मंत्रीजी की सोच के कारण प्रशासनिक तब्दीलियां हुईं और अच्छे काम हुए उसके कारण हमारा वित्तीय प्रबन्धन ठीक हुआ, इसको प्लानिंग कमीशन ने एप्रिशिएट किया है और इसके कारण से हमें करीब 167 करोड़ रूपए इन्सेन्टिव मिला है, फाइनेंशल डिसिप्लीन का पालन करने के कारण। इसी कारण दसवें वित्त आयोग के जितने भी टार्गेट थे वे पूरे होंगे और राजस्थान के निर्माण के बाद पहली बार प्लानिंग कमीशन ने इन सारी चीजों को देखते हुए 8350 करोड़ रूपए की वार्षिक योजना स्वीकृत की है जो इतनी बड़ी योजना राजस्थान में पहली बार बनी है, यह सब कुछ हुआ है।

मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार की एक समग्र सोच है, विकसित सोच है, उसी का यह मिला-जुला परिणाम है.

अध्यक्ष महोदय, कल हिण्डौली से आने वाले माननीय सदस्य हरिमोहनजी कह रहे थे कि इसमें इतना कम खर्च हुआ है, इसमें इतना कम

(डा. एन. एस. गुर्जर)

खर्च हुआ है, मैं आपको कहना चाहता हूं कि एक-एक सब्जैक्ट में तो नहीं जाना चाहता, मैं टोटल आंकड़े बताना चाहूंगा। कि दिसम्बर, 2004 तक जो टोटल टार्गेट था रिवाइज्ड प्लान आउट-ले का वह 6922 करोड़ का था उसके अगेंस्ट में हमने एचीवमेंट किया, दिसम्बर तक एक्सपेंडिचर किया 3488 करोड़, यह 79.45 प्रतिशत लगभग 80 प्रतिशत, लेकिन जो एनुअल टार्गेट था उससे कम हुआ, उसका कारण है। अब आप कहेंगे कि कम क्यों खर्च हुआ मैं कारण बताना चाहूंगा कि हमारा बजट जुलाई में पास हुआ, लेट पास हुआ। उसके बाद पहले लोक सभा फिर विधान सभा, फिर म्यूनिसिपैलिटीज और फिर पंचायतीराज के चुनाव, इनकी आचार संहिता लगती रही जिसके कारण नई सैंक्शन्स हमारी सरकार नहीं निकाल सकी। जब नई सैंक्शन्स ही नहीं निकली तो क्रियान्विति का तो सवाल ही नहीं था। इस सरकार का ज्यादातर समय आचार संहिता में ही गुजर गया। एक्सपेंडिचर का जो बार-बार उदाहरण दे रहे हैं, यह बिकॉज आफ दैट, उसके कारण हुआ। आपके समय तो आपने अपने प्लान का पूरा उपयोग ही नहीं किया इसलिए हर साल प्लान आपका घटता गया। और हमारा तो बढ़ता गया। जब-जब हमारा शासन आया हमारी प्लान साइज बढ़ती गई. और आप डिसेंड करते रहे, घटती गई, यह आपके वित्तीय प्रबन्धन का नमूना है।

आंकड़े बहुत हैं इस समबन्ध में लेकिन मैं उनमें नहीं जाना चाहता, इतना समय भी नहीं है। हमारी सरकार का एक दिन भी ओवरड्राफ्ट नहीं रहा, आपकी सरकार पांच साल रही और एक दिन भी ऐसा नहीं रहा जिस दिन ओवरड्राफ्ट न हो। यह फर्क है आपके और हमारे वित्तीय प्रबन्धन में। इस सरकार ने हर क्षेत्र में अच्छे काम पहली बार किए हैं। मैं चाहता हूं कि जिस प्रकार इण्डोनेशिया में 1976 में लिटरेसी रेट 18 प्रतिशत थी, वह 1997 आते-आते 86 हो गई। इंडिया की भी हमारी 1976 में केवल 30 परसेंट लिट्रेसी रेट थी, 1997 में 52 परसेंट हो पायी, जब हम सत्ता में आये। वरना तो 30 परसेंट पर ही अटकी रही। यह फर्क है आपकी सरकार में और हमारी सरकार में। इसलिए शिक्षा की बात कर रहे थे नाथद्वारा से आने वाले माननीय सदस्य जोशी साहब चले गये, मैं उनको शिक्षा में बता देता। जिस विभाग के बारे में आप चर्चा करोगे, मेरे पास आंकड़े उपलब्ध हैं, मैं नहीं जाना चाहता।

(डा. एन. एस. गुर्जर)

मानननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं इस देश में हमने हर क्षेत्र के अन्दर एचिवमेंट लिये हैं और इसलिए मैं कह रहा था कि रोजगार में आपको एक समग्र रूप में देखना पड़ेगा। आप हमारी असफलताएं गिना रहे हो, हमने 1994 में समझौता किया, माननीय भैरोंसिंह शेखावत मुख्य मंत्री थे, उनकी सरकार थी, यमुना के पानी के लिए। मुझे याद है स्वर्गीय राजबहादुरजी इस समय हमारे बीच में नहीं हैं, वे केन्द्र में मंत्री रहे, यहां अपोजिशन में हमारे साथ विधायक रहे, कोई सैशन नहीं होता था जिसमें यमुना के जल की बात नहीं उठाते थे। आपकी सरकार ने कोशिश की होगी या नहीं की होगी, मुझे मालूम नहीं है, लेकिन आप सफल नहीं हुए। लेकिन मैं माननीय भैरोंसिंहजी शेखावत को बधाई देना चाहूंगा, 1994 में उन्होंने हरियाणा के साथ समझौता किया और यमुना का 1.11 बिलियन क्यूबिक मीटर पानी लेने का समझौता करके एक बहुत बड़ा एचिवमेंट उन्होंने राजस्थान को दिया। यह हमने किया। उसके बाद आपकी उपलब्धि क्या रही? पांच साल आप सरकार में रहे, आप हरियाणा सरकार से एम.ओ.यू. पर हस्ताक्षर तक नहीं करा सके और उसका परिणाम क्या हुआ? उसका परिणाम यह हुआ कि हरियाणा सरकार आज पुनर्विचार याचिका में चली गई बोर्ड में, जिसके कारण वह पानी खटाई में पड़ गया और राजस्थान सरकार को पत्र लिखकर सूचित किया कि जब तक बोर्ड का निर्णय नहीं आएगा हम एम.ओ.यू. पर हस्ताक्षर नहीं करेंगे। यह आपकी असफलता नहीं है तो क्या है? यह किसकी असफलता है? आप किसको दोष दे रहे हो? विधान सभा में पिछले सत्र में आपने बड़ा शोर किया, मध्यप्रदेश में एनीकट बन गये, चम्बल का पानी रूक गया, गांधी सागर सूख गया, प्रताप सागर सूख गया, बहुत जोर से आपने यहां पर हल्ला किया। मैं पूछना चाहता हूं कि जितने भी मध्यप्रदेश में एनीकट बने उस समय राजस्थान में किसकी सरकार थी? कांग्रेस की सरकार थी। उस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं थी। मध्यप्रदेश में एनीकट बनते रहे और आप लोगों ने उनको रोकने का प्रयास नहीं किया जिसके कारण हमारी चम्बल नदी का पानी रूक गया, कम हो गया, गांधी सागर सूख गया। किसको दोष देना चाहते हो? नर्मदा का पानी गुजरात से राजस्थान में लेकर कौन आया? वसुन्धराजी की सरकार लेकर आयी है, कांग्रेस की सरकार लेकर नहीं आयी है। आप किसकी बात कर रहे हो? आपने 1981 में रावी-व्यास का

(डा. एन. एस. गुर्जर)

समझौता किया था उसके कारण हमको रावी-व्यास का अपने हक का पानी नहीं मिल रहा। आपने इतना बड़ा पाप कर दिया उस समय। माननीय भैरोंसिंहजी शेखावत लीडर आफ अपोजिशन हुआ करते थे उन्होंने उस समय जोर-शोर से उठाया था कि आपने राजस्थान के किसान की हत्या करने के बीज बो दिय हैं। उन्होंने उस समय कहा था। आप किस मुंह से हमको क्रिटिसाइज कर रहे हो? आप किस आधार पर आलोचना कर रहे हो?

आज रिफाइनरी की बात हो रही है। हम कोशिश कर रहे हैं आपको साथ लेकर चलें। आज सौभाग्य की बात है, मैंने जैसा पहले ही कहा कि आज हमारे यहां तेल और गैस के भंडार बहुत सारे मिले हैं। अभी सेंट्रल की किसी कम्पनी के अधिकारी ने कह दिया कि 5 साल का ही तेल नहीं है। उस अधिकारी को पूछा जाय कि क्या वह नापकर गया है और नापकर गया है तो कौन से पैमाने से नापकर गया है। क्या किया उसने? क्योंकि आपकी सरकार के समय आपने ओ.एन.जी.सी. को ठेका देकर ओ.एन.जी.सी. के साथ करार किया और ओ.एन.जी.सी. ने सबलेट कर दिया और मिडिल ईस्ट के दबाव के कारण जितनी भी कंपनियां थीं वे पाकिस्तान में तो तेल के कुंए खोदती रहीं, लेकिन राजस्थान में तेल के कुएं नहीं खोदे गये। इसके लिए जिम्मेदार कौन थे, हम थे क्या? हमारी सरकार ने आते ही प्रयत्न किया, कुएं खोदे, तेल निकाला, गैस निकाली और आज अध्यक्ष महोदय, मैं बताना चाहता हूं यदि देखा जाए तो कम से कम 25 साल का तेल हमारे पास उपलब्ध है और इसी आधार पर हम रिफाइनरी की मांग कर रहे हैं कि रिफाइनरी राजस्थान में लगायी जाए। इससे हमको रोजगार मिलेगा, हमें रेवेन्यू मिलेगा और राजस्थान जो एक दरिद्रता की स्थिति में है, जो बीमारू श्रेणी में है वह बीमारू श्रेणी के राज्यों से निकलकर विकसित राज्यों की श्रेणी में आ जाएगा और हो सकता है प्रथम स्थान पर राजस्थान विकास की दृष्टि से आ जाए। हमारी मुख्य मंत्रीजी प्रयत्न कर रही हैं इसलिए सर्वदलीय बैठक बुलायी। आप लोगों को कह रहे हैं आपका दिल्ली में शासन है, मणिशंकरजी यहां आये, वही मणिशंकरजी जिन्होंने इस पंचायतीराज का बंटाधार किया है। मैंने दिल्ली में एक मीटिंग में उनको कहा था मणिशंकरजी, आपने हिन्दुस्तान के गांवों को या तो प्लेन से देखा है या हैलीकोप्टर से देखा है यदि गांवों में उतरते तो आप इस तरह का एक्ट ड्राफ्ट नहीं करते, यह कानून ड्राफ्ट नहीं करते, कांस्टीट्यूशन में

(डा. एन. एस. गुर्जर)

अमेण्डमेंट आप इस तरह का ड्राफ्ट नहीं लाते। वही मणिशंकरजी आये, राजस्थान का भूगोल नहीं जानते और कह गये यहां रिफाइनरी नहीं लगेगी। मैं तो आपसे निवेदन करना चाहता हूं अब आपकी जिम्मेदारी हो जाती है मणिशंकरजी हमारी पार्टी के मंत्री नहीं हैं आपकी पार्टी के मंत्री हैं जाकर उनको समझाया कि मणिशंकरजी, आपका तो ध्यान करें। हम अगले चुनाव में यही मुद्दा बना देंगे कि कांग्रेस वालों ने राजस्थान की दिल्ली में आकर कोई वकालत नहीं की, इनकी सरकार थी और एक रिफाइनरी तक राजस्थान में नहीं लगवा सके। मैं तो आपको पहले ही चेता रहा हूं, आप जितने चुनकर आये, आप सब तो कम से कम लौट आओ। इसलिए मैं आपको पहले ही सचेत कर रहा हूं कि अभी से आप उन पर दबाव बनाना शुरू करो। दबाव बनाना शुरू करो मणिशंकरजी पर। आपकी सरकार पर दबाव बनाना शुरू करो कि रिफाइनरी हमारे यहां लगे। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अब कृपया समाप्त करें।

डा. एन.एस. गुर्जर : अध्यक्ष महोदय, मैं कर रहा हूं बहुत जल्दी। अभी मुझे कितना समय हुआ?

श्री अध्यक्ष : काफी टाइम ले लिया आपने।

डा. एंन.एस. गुर्जर : आपने उनको इतना समय दिया, मुझे थोड़ा-बहुत तो समय दीजिए। अभी जब नाथद्वारा से आने वाले माननीय सदस्य बोल रहे थे मुझे लग रहा थे वे बजट पर भाषण दे रहे हैं। प्रसव के आंकड़े, कितने पैदा हुए, कितने मरे, कितने प्रसव केन्द्रों पर सामान पहुंचा या नहीं पहुंचा। ये सब आंकड़े तो बजट के समय उठाएं, हम जवाब देंगे। यह अभिभा .ण है आपको इस पर बोलना चाहिए था, पोलिटिकल भाषण देना चाहिए था। अगर हमारी पोलिटिकल कमी रही है तो आप उसकी समालोचना करिए, हम उसको ठीक करेंगे, हमारी सरकार ठीक करेगी। मैं भी चाहता हूं सरकार ने कोई कमी रखी है, सरकार ने कोई गलती की है उस ओर हम सरकार को पाइंट आउट करें कि इसको ठीक करें ताकि राजस्थान विकास की दृष्टि से आगे बढ़े। हम भी यह बात चाहते हैं, आप भी चाहते हैं। हम भी कोई ऐसा नहीं कर रहे हैं, सरकार जिस दिन गलती करेगी हम भी कहेंगे। यह हो सकता है आप बाहर कहें, हम

(डा. एन. एस. गुर्जर)

अन्दर कहें, लेकिन हम बोलेंगे सरकार को। ऐसा नहीं है हम राजस्थान का हित नहीं चाहते। आप भी मन से राजस्थान का हित चाहते हो, लेकिन मैंने कहा कि पुराने जमाने की पत्नी की तरह बोलते हो। पति का नाम ही नहीं लेना चाहते विकास की दृष्टि से। इसलिए आप भी चाहते हो तो खुलकर लोकतंत्र में हम प्रतिपक्ष और पक्ष मिलकर नहीं बोलेंगे।

श्री दलजीत सिंह : आपने अपने भाषण में केवल एक बार ही नाम लिया है।

डा. एन.एस. गुर्जर : अच्छा, आपने गिना है, आप कितना ध्यान रखते हैं मुझे आज पता लगा है। आप धौलपुर के हैं इसलिए मुझे पहली बार पता लगा है कि आप कितना ध्यान रखते हैं।

अध्यक्ष महोदय, अभी पंचायतों के बारे में माननीय सदस्य बोल रहे थे, मैं भी बोलना चाहूंगा, आपने क्या किया चुनाव के पहले? 16 सब्जैक्ट दिये थे। ये 16 सब्जैक्ट जब माननीय भैरोंसिंहजी की सरकार थी मुझे गौरव हासिल हुआ पंचायती राज मंत्री रहने का।

श्री अध्यक्ष : इन्होंने क्या किया यह मत बोलो। एक साल में आपने जो किया वह बोलो। इन्होंने किया होगा उससे मतलब नहीं है।

डा. एन.एस. गुर्जर : उसी पर आ रहा हूं, जो ये बोल रहे हैं कि हमने किया।

श्री अध्यक्ष : उसका नतीजा तो यह है अब क्या बोल रहे हो आप।

डा. एन.एस. गुर्जर : अध्यक्ष महोदय, ये यह क्रेडिट ले जाना चाहते हैं कि 16 विषय हमने दिये। 16 विषय का निर्णय हमारे समय पर हमने कर दिया था, लेकिन चुनाव की घोषणा हो गई, क्रियान्विति नहीं हो पायी। उसके बाद आपने क्या किया पांच साल तक? दिल्ली के अन्दर कांफ्रेंस हुई, सोनियाजी को भी हमारे मंत्रीजी ने बुलाया। सोनियाजी ने डांट-डपट लगायी मुख्य मंत्रियों को और राजस्थान के मुख्य मंत्री कहते रहे हां, लागू कर रहा हूं, हां, लागू कर रहा हूं। तीन दिन की डिबेट यहां हुई, स्पेशल सेशन बुलाया,

(डा. एन. एस. गुर्जर)

एक टास्क फोर्स बना दी गई मंत्रियों की। उनको कहा कि जल्दी से रिपोर्ट दो। वो रिपोर्ट भी आ गई, उसके बाद रिपोर्ट को लागू करने की बजाय धड़ा-धड़ तीन-चार विभागों के अधिकारी पंचायत समितियों में भेज दिये, जिला परिषदों को भेज दिये। बात तो यह थी कि 'थ्री-एफ'-फंक्शन, फंक्शनरी एण्ड फण्ड ये तीनों पंचायती राज संस्थाओं को दिये जाएंगे। इसकी बजाय उन्होंने फंक्शनरीज को धड़ाधड़ भेजकर काम की इतिश्री कर ली और चुनाव आ गये। उसका नतीजा यह हुआ कि कई विभागों ने तो दूसरे दिन ही वापस विद-ड्रा कर लिया। कई विभागों ने पांचवें दिन विद्र-ड्रा कर लिया और पंचायत समिति और जिला परिषदों में उन कर्मचारियों और अधिकारियों को बैठने की जगह नहीं मिली, कई जगह टीम ही नहीं गई। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, उस समय मैंने कहा था कि आप अधिकार दीजिए मगर इसको शनैः-शनैः, धीरे-धीरे समझकर कि कितने अधिकारी पचा पाएंगे, कितनी नहीं पचा पाएंगे उस हिसाब से दीजिए तो आप सफल रहेंगे। आज भी हमारी सरकार ने अधिकार देने के लिए मंत्रियों की एक कमेटी बनायी हुई है। मैं सरकार को भी सुझाव देना चाहता हूं, जिस समय हमने एक्ट बनाया था हमने इस पंचायतीराज संस्थाओं को गांधीजी के विचारों के अनुसार, गांधीजी की भावना के अनुसार पार्टी लाइन से ऊपर रखा था। हमने जो ओरिजनल एक्ट ड्राफ्ट किया उसमें हमने कहा था कि पंच से लेकर प्रमुख तक का चुनाव पार्टी के आधार पर नहीं होगा और यदि वह हो जाता तो आज जो विकृत रूप पंचायती राज संस्थाओं के चुनावों का हम देख रहे हैं वह हमारे सामने नहीं आता और नाथद्वारा से आने वाले माननीय सदस्य को यह मांग नहीं करनी पड़ती। लेकिन उसी समय आपकी ही पार्टी के नेता जो उस समय अध्यक्ष थे आपकी पार्टी के माननीय अशोकजी गहलोत उन्होंने स्टेटमेंट दे डाला कि भारतीय जनता पार्टी चुनावों से डरकर भाग रही है इसीलिए पार्टी के आधार पर चुनाव नहीं कराना चाहते हैं। हमें मजबूरी में जिला परिषद और पंचायत समिति के सदस्यों सहित प्रधान और प्रमुख का चुनाव राजनीतिक आधार पर कराने पर मजबूर होना पड़ा । मैं आपसे फिर निवेदन करना चाहता हूं और माननीय मुख्य मंत्री और सरकार से भी निवेदन करना चाहता हूं, आप फिर एक कॉमन कन्सेंसस बनाइये दोनों पार्टियों को मिलकर जो.........

(16.51 बजे)

(डा. एन. एस. गुर्जर)

(श्री रामनारायण विश्नोई, उपाध्यक्ष, पदासीन)

.....वीभत्स दृश्य आपने और हमने चाहे कोई भी जीत गया होगा, कोई भी हार गया होगा, मैं इस बात में नहीं जाना चाहता लेकिन मैं एक जागरूक नागरिक होने के नाते ग्रामीण विकास के ऊपर भरोसा करता हूं, उनको अधिकार देने में भरोसा करता हूं इसलिए उस नाते आपको कहना चाहता हूं कि भगवान के लिए अगर पंचायतीराज संस्थाओं को बचाना चाहते हो, जो विकृत रूप आपने भी देखा और हमने देखा कि किस तरह से ओपन धन के आधार पर खरीद-फरोख्त हुई, किस तरह से धन के आधार पर दल-बदल हुए, किस तरह से इन पंचायतीराज चुनावों के अन्दर जातिवाद का जहर घोला गया। जातिवाद धन बल, भुज बल, यह सब कुछ हमको इन पंचायत राज संस्थाओं के चुनावों में देखने को मिला। मैं किसी एक पार्टी को दोष नहीं देना चाहता। नीचे के स्तर पर क्या विकृत व्यवस्था हो रही है इस पंचायती राज की। गांधीजी ने जब स्वराज का सपना देखा था तो उसमें दो तीन चीजें थीं, आत्म निर्भरता पहली चीज उन्होंने कही थी, स्वराज के लिए आत्म निर्भरता जरूरी है और दूसरी चीज कही थी स्वावलम्बन। ये दो पहिये होंगे स्वराज के एक स्वावलम्बन तो दूसरा आत्म निर्भरता। मैं चाहता हूं कि पंचायत राज संस्थाओं को आत्मनिर्भर बनाया जाए, उनको अधिकार सम्पन्न बनाया जाए ताकि माथुर साहब ने जो रिपोर्ट दी थी जिसमें उन्होंने विलेज सैक्रेटेरिएट की बात कही थी वह इनका सपना साकार हो सके और गांधीजी का सपना भी यही था। इसलिए अभी भी समय है कि हम एटलीस्ट दोनों पार्टियां मिलकर बैठ जाएं और यह तय कर लें कि पंचायतीराज संस्थाओं के चुनाव पार्टियों के आधार पर नहीं होंगे। गांवों की जनता अपने प्रतिनिधि अपने आप चुने, वो ही उनका विकास करे जिस तरह से पंचायत के अन्दर कई जगह निर्विरोध हुए हैं। अगर आपने यह पद्धति डवलप कर दी तो राजस्थान पंचायती राज संस्थाओं को संदेश देने के लिए पहले की तरह एक अग्रणी राज्य के रूप में देखा जाएगा और पूरा देश राजस्थान को फालो करेगा और वह पुरानी पद्धति जिसमें थ्री-टायर सिस्टम तो था लेकिन वह जुड़ा हुआ था एक दूसरे से। आज डिलिंक कर दिया आपने, उसका लिंक ही नहीं रखा। जिला परिषद का सदस्य अलग चुनकर आता है, वह कहते हैं कि हमारे अधिकार

(डा. एन. एस. गुर्जर)

क्या हैं। पहले पंच होता था, सरपंच होता था, प्रधान होता था, प्रमुख होता था, यह बात हमने कही दिल्ली में भी और उसके लिए कोई दोषी नहीं है। अब आप कहेंगे आरोप लगा रहा हूं, मैं आरोप नहीं लगाना चाहता, कन्सेंसस बन गई थी, आपकी ही पार्टी के मंत्री थे, प्रधानमंत्री थे, कन्सेंसव बन गई और उस समय कहा गया कि पुराना सिस्टम लागू किया जाए, कन्सेंसव बन गई, गवर्नमेंट बदल गई, माननीय अटलजी प्रधानमंत्री बन गये। उस समय फिर वापस जब शांताकुमारजी मिनिस्टर थे तो रूरल डवलपमेंट पंचायतीराज सेंटर में थे, उन्होंने एक कांस्टीटयूशन अमेंडमेंट मूव किया राज्य सभा में और उसमें यह व्यवस्था की थी लेकिन उसी समय माननीय अटलजी नें पार्टियों की राय ली, पार्टियों की कन्सेंसस बन गई लेकिन चीफ मिनिस्टर्स की मीटिंग बुला ली और चीफ मिनिस्टर्स की मीटिंग में वही दिग्विजय सिंहजी जो हमारे साथ प्रधान मंत्री ने मीटिंग बुलाई थी पंचायतीराज मंत्रियों को उसमें उन्होंने सहमति व्यक्त की थी, उन्होंने उस समय दो मुख्य मंत्री थे। एक तो मध्यप्रदेश के मुख्य मंत्री और कर्नाटक के मुख्य मंत्री जो आपकी पार्टी से सम्बन्ध रखते थे, उन्होंने उस 89वें अमेंडमेंट को रोकने का काम किया और कह दिया कि हम इससे सहमत नहीं है इसलिए वह अमेंडमेंट वहां का वहां रुक गया। आज आपकी पार्टी की सरकार है, आप इसको परश्यू कराइये और भगवान के लिए इसको वापस उस ढांचे पर लाने का प्रयास कीजिए ताकि पंचायतीराज स्वस्थ हो, सुदृढ़ हो, उनको और अधिकार सम्पन्न बनाया जाए और अधिकार सम्पन्न बनाने के लिए मैंने उस समय फिर कहा था कि अधिकार तो देते जा रहे हो लेकिन इनको पता ही नहीं कि मेरे अधिकार क्या हैं, मैं उसका उपयोग कैसे करूं इसलिए ट्रेनिंग की पूरी व्यवस्था करिये और हमारी सरकार ने उस समय विभागवाइज ट्रेनिंग सेंटर स्थापित किये थे, मुझे याद है केवल एक विभाग और दो विभाग बच गये थे। एक तो कोटा और बीकानेर वरना सारे विभागों में हमने ट्रेनिंग की व्यवस्था की थी और उसमें सरकारी फंक्शनरी ग्रामसेवक से लेकर और ऊपर तक के अधिकारियों को ट्रेनिंग की व्यवस्था की थी, पंच से लेकर प्रमुख तक की ट्रेनिंग की व्यवस्था की थी लेकिन आपने आते ही उस ट्रेनिंग को रोक दिया उस ट्रेनिंग व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने को रोक दिया और आपने विभागवाइज ट्रेनिंग सेंटर नहीं खोले, आपने किसी आधार पर नहीं खोले,

(डा. एन. एस. गुर्जर)

आपने कहीं नहीं खोले। अगर खोले हों तो मुझे बता दें। मैं इसीलिए कहना चाहता हूं कि उनको ट्रेनिंग दीजिए और ट्रेनिंग के माध्यम से जब वह अपने आपको सक्षम समझेंगे और एक उपाध्यक्ष महोदय, एक बात और कहना चाहूंगा।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री महावीर प्रसाद जैन (सरकारी मुख्य सचेतक) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय दो घंटे बढ़ाया जाए।

श्री उपाध्यक्ष : क्या सदन का समय दो घंटे और बढ़ा दिया जाए?

(स्वीकृत)

सदन का समय दो घंटे के लिए बढ़ाया गया।

एक घंटे में सारे बोल नहीं पाएंगे।

धन्यवाद प्रस्ताव पर वाद-विवाद

डा. एन.एस गुर्जर : उपाध्यक्ष महोदय, उनकी जो कमेटी बनी है, कमेटी क्या रिपोर्ट देगी, मुझे मालूम नहीं है लेकिन मैं सुझाव देना चाहता हूं सदन के माध्यम से कमेटी को भी, आप दो व्यवस्था जरूर करिये, एक तो ट्रेनिंग की व्यवस्था करें। ट्रेनिंग की व्यवस्था के साथ-साथ उस समय हमारी सरकार ने एक रूरल डवलपमेंट सर्विसेज की स्थापना की थी और उस समय हमने सबसे क्लीयर कराकर मैंने सारा काम तैयार कर दिया था लेकिन आपकी सरकार आ गई। उस रूरल डवलपमेंट, ग्रामीण विकास सेवा का गठन पांच साल में आप लागू नहीं कर पाये। मैं वर्तमान सरकार से निवेदन करना चाहता हूं शीघ्रातिशीघ्र उसको पूरा करें।

(डा. एन. एस. गुर्जर)

इसी तरह से रूरल इंजीनियरिंग सर्विसेज का भी गठन किया था। आज गांवों के अन्दर विकास के लाखों रूपये, करोड़ों रूपये के काम हो रहे हैं। जब तक रूरल इंजीनियरिंग सर्विसेज आप सोचिये अधिकारियों को ग्रामीण विकास के लिए विकसित नहीं करोगे, मैं इसलिए कह रहा हूं, उपाध्यक्ष महोदय, मैंने एक एक्सपेरीमेंट किया था उस समय, माथुर साहब वहां बैठे हैं और माथुर साहब का मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि वे रूरल डवलपमेंट और पंचायत राज के बहुत बड़े हिमायती हैं इसलिए इनके सामने मैं कहना चाहता हूं। मैंने एक एक्सपेरीमेंट किया। एक खमनोर पंचायत समिति थी नाथद्वारा के पास, हमने हमारे विकास अधिकारी को बुलाया और कहा कि कुछ कंस्ट्रक्शन कराना है, हमने कहा कि पी.डब्ल्यू.डी. से इसका जो बी.एस.आर. होता है, कितनी लागत आएगी पी.डब्ल्यू.डी. से पूछो, पी.डब्ल्यू.डी. ने उस समय 6 लाख रूपये बताये और फिर मैंने विकास अधिकारी से कहा कि आप लोग इसको कितने रूपये में बना सकते हो तो उन्होंने कहा कि हम इसको आधी कीमत में बनवा सकते हैं। मुझे खुशी है उपाध्यक्ष महोदय कि करीब ढाई, पौने तीन लाख रूपये में बहुत बढिया कंस्ट्रक्शन उन्होंने कर दिखाया और उसी के आधार पर मैंने मुख्य मंत्रीजी को जब फोटो ले जाकर और सारे डाक्यूमेंट ले जाकर कहा माननीय भैरोंसिंहजी तत्कालीन मुख्य मंत्री थे, उन्होंने कहा कि इस पी.डब्ल्यू.डी. की बी.एस.आर. को रिवाइज करने की आवश्यकता है। अगर इतना अच्छा काम पंचायतीराज कर सकता है तो इनको क्यों नहीं दिये जाने चाहिए और तभी उन्होंने निर्देश दिये, मैं पंचायत मंत्री था कि इसको फटाफट अधिकार दीजिए लेकिन ट्रेनिंग की भी साथ में व्यवस्था कीजिए। हमने उस समय व्यवस्था की थी। मैं आज फिर आपसे निवेदन करना चाहता हूं पंचायतें अच्छा काम कर सकती हैं, दो चीजों की आवश्यकता है ट्रेनिंग की और चुनाव प्रक्रिया में सुधार की, अगर ये दो काम हमने कर दिये तो हम ग्रामीण विकास के लिए बहुत बड़ा तोहफा देंगे। एक निवेदन और करना चाहूंगा अन्त में। (व्यवधान) मैं वही निवेदन करना चाहता हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय, पहले जब चुनाव हुआ था तो हमने पहले एक शर्त थी पढ़े लिखे होने की, उस पढ़े लिखे होने की शर्त को हमने हटा दिया, तब मेरा बहुत क्रिटिसिज्म हुआ कि पढ़े लिखे की शर्त को क्यों हटाया क्योंकि पहली बार हमने आरक्षण दिया था एस.सी., एस.टी., ओ.बी.सी. को, महिलाओं

को, सबको तो पढ़े लिखे मध्यप्रदेश के अन्दर कितने हजारों और कितने लाख चुनाव लड़ने से रह गये उसका अनुभव लेते हुए हमने यह शर्त हटाई थी, मैं चाहता हूं कि अब समय आ गया है, लिट्रेसी रेट हमारी बढ़ गई, उस समय बहुत कम थी, महिलाओं की 20 प्रतिशत, यह 65 प्रतिशत हो गई और पुरुषों की 75 प्रतिशत हो गई। अब हमें कानून में परिवर्तन करके यह भी डालना चाहिए कि मिनिमम फिफ्थ पास महिला और एट्थ पास आदमी होगा वो ही पंचायत राज संस्थाओं के चुनाव लड़ सकेगा। यह व्यवस्था हमें करनी चाहिए। इसके अलावा जो रोटेशन का सिस्टम है यह सही है कि आज जो सरपंच बनता है या प्रधान बनता है उसको पता है कि अगली बार पता नहीं पद किसका आएगा इसलिए मेरी जिम्मेदारी क्या है, इसको कम से कम बढ़ाकर दो बार के लिए केवल 10 साल मिनिमंम किया जाना चाहिए कि 10 साल तक वह पद रहेगा, 10 साल बाद उसको रोटेट कियां जाएगा। अगर इस तरह की व्यवस्था होगी तो इसमें हम कुछ कर सकते हैं।

अन्त में, उपाध्यक्ष महोदय, हम राजस्थान के समग्र विकास के लिए जितने भी हमारे अन्तरराज्यीय विवाद हैं उनमें हम किस तरह से हमारे पक्ष में निर्णय करवा सकते हैं, किस तरह रिफाइनरी राजस्थान में ला सकते हैं, किस तरह से भारी उद्योग लगाने के लिये सैंट्रल इन्वेस्टमेंट ला सकते हैं। किस तरह से लघु उद्योगों को बढ़ावा दे सकते हैं, किस तरह से कृषि का विकास कर सकते हैं, ग्रामीण विकास को तीव्र गति दे सकते हैं और शिक्षा को और तीव्र गति देकर सेंट परसेंट लिट्रेसी रेट राजस्थान में हो जाए, यह किस तरह कर सकते हैं, इन मुद्दों पर पक्ष और विपक्ष बैठकर के चर्चा करें और चर्चा करके कोई सर्वमान्य हल कुछ हम एक, दो, तीन, चार, पांच ऐसे मुद्दे चुनें जिसके आधार पर पक्ष और विपक्ष में मतभेद न हों। हमारी राय एक हो कि यह मुद्दा है जिस पर पक्ष और विपक्ष एक है। जिस तरह से अमेरिका में है, उन्होंने कुछ मुद्दे तय कर रखे हैं। एक, दो, तीन, चार, पांच, ये मुद्दे हैं जिन पर पक्ष और विपक्ष एक-दूसरे की आलोचना नहीं करेगा चाहे सत्ता में हो चाहे सत्ता के बाहर हो। तो राजस्थान में भी यह प्रणाली विकसित करनी चाहिए क्योंकि हमारी मुख्य मंत्रीजी की नई सोच है इसलिए यह नई प्रणाली विकसित करेगी। मुझे आशा है, विश्वास है कि पक्ष और विपक्ष मिलकर के कुछ कामन मुद्दे इस तरह के तय करें जो राजस्थान के विकास में अपनी एक अहम भूमिका निभायें।

(डा. एन. एस. गुर्जर)

इन्हीं शब्दों के साथ अंत में, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं दो पंक्तियों के साथ मेरी बात समाप्त करना चाहता हूं क्योंकि हमारी मुख्य मंत्रीजी ने भी हौसले की बात कही थी तो मैंने उसी बात पर दो पंक्तियां, मैंने उनके लिए लिखा है। यह कविता दूसरी तरह की नहीं है लेकिन उन्होंने कहा था उसी पर है-

वादे जो किये थे खोखले नहीं देखे।

फैसले भी देखे मगर ऐसे हौसले नहीं देखे।

आपने मुझे समय दिया इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्रीमती राजकुमारी शर्मा।

श्रीमती राजकुमारी शर्मा (सीकर) : धन्यवाद, उपाध्यक्ष जी। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राज्य के इसी सदन में 3 फरवरी, 2005 को राज्य की प्रथम महिला महामहिम राज्यपाल महोदया का ऐतिहासिक भाषण हम सभी ने सुना। मैं इसके धन्यवाद प्रस्ताव के समर्थन में अपना मत व्यक्त करते हुए निवेदन करना चाहूंगी कि इस अभिभाषण में पहली बार सरकार की वास्तविक एवं सही उपलब्धियों का उल्लेख महामहिम राज्यपाल महोदय ने किया है। मैं सर्वप्रथम हमारी जनप्रिय मुख्य मंत्री महोदया को धन्यवाद देना चाहूंगी जिनके कुशल एवं सजग नेतृत्व ने इस राजस्थान राज्य को देश में विकास की दृष्टि से अग्रणी राज्य का दर्जा दिलाया है। मैं माननीय मुख्य मंत्री महोदया को जनप्रिय नेता इसलिए नहीं कह रही हूं कि वे हमारी पार्टी की मुख्य मंत्री हैं वरन् इसलिए कह रही हूं कि उन्होंने वास्तव में इस राज्य की गरीब जनता के दुःखों को पहचाना है और उनका निराकरण किया है। हमें सरकार पर गर्व है जिसने राज्य की विपरीत भौगोलिक परिस्थिति, पर्याप्त साधनों का अभाव होते हुए भी राज्य की चुनौतियों को दृढ़ता से स्वीकार करते हुए अल्प कार्यकाल में ही जो उपलब्धियां प्राप्त की हैं उनका संक्षिप्त विवरण मैं आपके समक्ष रखना चाहूंगी।

सर्वप्रथम मैं उल्लेख करना चाहूंगी कि अभी कुछ दिन पूर्व देश के कुछ भागों में सुनामी त्रासदी की लहरों ने देश के सभी लोगों का दिल दहला

(श्रीमती राजकुमारी शर्मा)

कर रख दिया था और जान-माल की इतनी हानि हुई जिसका उल्लेख अपने शब्दों में नहीं कर सकती। ऐसी दुःख की घड़ी में और विपरीत परिस्थितियों में भी करूणा की देवी बनकर हमारी मुख्य मंत्री महोदया ने मुख्य मंत्री सहायता कोष से एवं जन सहायता से तीन करोड़ की सहायता दी। राज्य के हमारे कर्मचारी साथियों ने अपना एक दिन का वेतन सहर्ष पीडितों की सहायतार्थ दे दिया तथा सात राजस्थानी भाई जो इस सुनामी त्रासदी से अपना जीवन खो चुके उनको एक-एक लाख की पृथक् सहायता प्रदान की।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं हमारे चिकित्सा मंत्रीजी को विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहूंगी जिन्होंने राष्ट्र की इस विपदा की घड़ी में अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करते हुए 51 चिकित्सकों का दल गठित किया और वहां जाकर जनसेवा की। यह शायद राज्य के इतिहास में पहले ऐसे चिकित्सा मंत्री होंगे जो मंत्री होते हुए भी अपने अनुभव एवं योग्यता से गरीब जनता की सप्ताह में एक या दो दिन बैठकर निःशुल्क चिकित्सा देकर सेवा कर रहे हैं। इससे पहले कभी भी हमने ऐसा उल्लेखनीय उदाहरण न कभी पढ़ा, न कभी देखा। मैं समझती हूं यही सच्ची जनसेवा है। माननीय चिकित्सा मंत्रीजी का मैं इस बात के लिए भी धन्यवाद देना चाहूंगी कि उन्होंने हमारी सभी चिकित्सा पद्धतियों को एक ही छत के नीचे लाने का उल्लेखनीय एवं सराहनीय कार्य किया।

कल हमारे एक माननीय सदस्य ने कहा था कि इस सरकार के आने के बाद कोई नियुक्तियां नहीं दी गईं तो मैं आपके माध्यम से उनको याद दिलाना चाहती हूं कि अभी कुछ दिन पूर्व ही कई चिकित्सकों को नियुक्तियां की गई हैं, शिक्षकों की नियुक्तियों का कार्य प्रगति पर है, प्रसाविका पदों पर एक साथ भर्ती कर बेरोजगारी खतम की जा रही है। माननीय चिकित्सा मंत्रीजी की प्रेरणा से राज्य में विश्व बैंक की सहायता से 472 करोड़ रूपंये की लागत के "राजस्थान हैल्थ सिस्टम प्रोजेक्ट" प्रारम्भ किये जा रहे हैं। जनहित में राजधानी के सवाई मानसिंह चिकित्सालय में आई.सी.यू. एवं कैंसर रोगियों के लिए आई.सी.यू. आरम्भ की गई है। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि हमारे चिकित्सा मंत्रीजी के नेतृत्व में राज्य चिकित्सा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर होने जा रहा है।

(श्रीमती राजकुमारी शर्मा)

इसी प्रकार शिक्षा के क्षेत्र में ऐतिहासिक प्रगति हुई है। मैं प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों का ध्यानाकर्षित कर निवेदन करना चाहूंगी कि जहां पिछली सरकार ने बेरोजगारी का रिकार्ड बनाया है वहीं हमारी सरकार के शिक्षा मंत्रीजी ने लगभग 34000 शिक्षकों की भर्ती की प्रक्रिया प्रारम्भ कर वो उल्लेखनीय कार्य किया है जिसका शब्दों से वर्णन करना ही असम्भव है। इस सरकार का जो अब तक कार्य है इससे यह तो साफ हो जाता है कि रोजगार के नये-नये अवसर पैदा कर बेरोजगारी जैसी जटिल समस्या से मुकाबला किया जा रहा है। माननीय शिक्षा मंत्रीजी ने कई नये विद्यालयों की स्वीकृति दी, कई विद्यालयों को क्रमोन्नत किया। माननीय उपाध्यक्षजी, हमारी सरकार ने एक वित्तीय वर्ष में ही लगभग 2445 प्राथमिक विद्यालयों को उच्च प्राथमिक विद्यालय में क्रमोन्नत किया है। इसी प्रकार 2826 नवीन प्राथमिक विद्यालय खोले गये। 401 विद्यालयों को सैकण्डरी तथा 175 विद्यालयों को सीनियर सैकण्डरी में क्रमोन्नत किया गया। माननीय प्रतिपक्ष के नेता भी शिक्षा मंत्री रहे हैं वे चाहे ऊपरी तौर पर मानें या न मानें परन्तु आन्तरिक भावना से उनको भी मानना पड़ेगा कि शिक्षा के क्षेत्र में हमारे शिक्षा मंत्रीजी ने कितना कार्य किया है। उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा और चिकित्सा शिक्षा सभी क्षेत्र में राज्य विकास की ओर अग्रसर है।

ऐसे ही पी.एच.ई.डी. के मंत्री हैं जो हमारे प्रभारी मंत्री भी हैं जिन्होंने सड़क की योजना स्वीकृत की। मेरे सीकर विधान सभा क्षेत्र में कई गांव आते हैं जो हैं गुमाना का वास, रघुनाथगढ़ से डावपनोरा, पिपराली से पीलियों का ढहर, दौलतपुरा से लक्ष्मण का वास, जेरठी से कोलीड़ा, इनमें कई उल्लेखनीय काम किये हैं उनको मैं धन्यवाद देना चाहूंगी।

इसी प्रकार सिंचाई एवं पानी संग्रहण एवं दोहन के क्षेत्र में भी उल्लेखनीय विकास हुआ है। जहां एक ओर पिछली सरकार के समय राज्य में अकाल का नंगा नाच हुआ उस विपदा से हमारे वर्तमान जलदाय मंत्री ने पूरे राज्य में आवश्यकता अनुसार जगह-जगह बोरिंग तैयार किये, हैण्डपम्प स्वीकृत किये और व्यक्तिगत रूप से किसानों एवं जनता को ध्यान में रखकर उनकी परेशानियां दूर कीं जिससे किसान आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर है। जहां एनीकट की जरूरत थी, ज्यादा से ज्यादा पास किये। मैं जन स्वास्थ्य

(श्रीमती राजकुमारी शर्मा)

अभियांत्रिकी मंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहूंगी कि राजस्थान में जहां पानी का बोरिंग 400-500 फीट से भी नीचे है वहां उन्होंने अपनी टीम को भेजकर जहां फ्लोराइड का पानी है वहां पर जांच करवाकर, परीक्षण करके, टीम भेजकर खुदाई की है।

सीकर जिला परिषद सदस्यों के चुनाव में बी.जे.पी. को 48 प्रतिशत वोट मिले हैं। जिला परिषद के 22 वार्डों में बी.जे.पी. और 12 वार्ड में कांग्रेस विजयी हुई है। 216 वार्ड पंच में 101 हमारे, 62 सरपंच विजयी हुए हैं। हमारे जिला प्रमुख, हमारे उप जिला प्रमुख, हमारे प्रधान, हमारे उप प्रधान निर्वाचित हुए हैं। फिर प्रतिपक्ष के नेता कहते हैं कि हमारी सरकार ने यह किया हमारी सरकार ने यह किया। मैं हमारी प्रभारी मंत्री, हमारे पी.एच.ई.डी., हमारे शिक्षा मंत्रीजी, हमारे चिकित्सा मंत्रीजी, हमारे मुख्य मंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहूंगी जिन्होंने इतने आयाम इकट्ठे किये हैं और इन साधनों से जुटाये हैं। इन्होंने विधवाओं के लिए कोटा रखा है। मैं सबसे पहले आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं में जो हमारी विधवाएं हैं, उनके लिए मुख्य मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगी कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं में विधवाओं को लगायें और उन्होंने विधवाओं के लिए अलग से कोटा दिया है, विकलांगों के लिए अलग से कोटा दिया है और विकलांगों और विधवाओं, दोनों को लगायें।

गांवों में अभी जिनके बच्चे हैं उनको पेंशन नहीं मिलती है। यह सही है लेकिन जहां जिनके बच्चे जवान हो गये हैं, 18 वर्ष के जब तक बच्चे हो जाते हैं, तब तक तो उनको पेंशन मिलती है। 18 वर्ष के बाद में उनको पेंशन नहीं मिलती है इसलिए अभी हमारे कई माननीय सदस्य प्रतिपक्ष के बोल रहे थे कि जिनके बेटे जो अपने माता-पिता को पाल नहीं सकते हैं उनके लिए पेंशन लागू करवाई जाये। हम हमारी मुख्य मंत्रीजी से निवेदन करेंगे कि उनकी जांच करवाकर, सही में क्या उनको वह सही पालन पोषण नहीं कर रहे हैं, उनके लिए भी, उन महिलाओं के लिए मुख्य मंत्री सहायता कोष से कुछ दिलवायें।

हमारे जहां-जहां अग्नि पीड़ितों की समस्या है, आज अग्नि से घर जल जाते हैं, मवेशी जल जाते हैं, उनको कलक्टर से सहायता बहुत कम दी जाती है तो उसके लिए भी हम हमारी मुख्य मंत्रीजी से निवेदन करेंगे कि उनको भी

(श्रीमती राजकुमारी शर्मा)

सहायता थोड़ी ज्यादा दिलाई जाये। हमारी मुख्य मंत्रीजी के पास कैंसर रोगी आते हैं, उन कैंसर रोगियों को जो सहायता होती है, मुख्य मंत्रीजी की ओर से तुरन्त पास कर दी जाती है, मैं उसके लिए उनको धन्यवाद देती हूं। मैं मेरे इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात खतम करती हूं। आपने मुझे समय दिया, जय भारत, जय हिन्द।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामप्रताप कासनिया।

श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं बीच में नहीं बोलूंगा पर जो सच्चाई है वही बोलूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय, महामहिम राज्यपाल ने इस सदन के अन्दर जो अभिभाषण दिया, मैं उसका समर्थन करता हूं और समर्थन इसलिए करता हूं कि सरकार के एक वर्ष के कार्यकाल के अन्दर जो-जो विकास के काम हुए हैं, वह किसी से छिपे हुए नहीं हैं। आलोचना करने का तो प्रश्न ही पैदा नहीं होता, पूरा विपक्ष इस सदन के अन्दर दो शब्द भी सरकार की आलोचना में नहीं कह सका, मेरी क्या मजाल है। वह इसलिए नहीं कह सकता कि एक वर्ष के अन्दर सरकार की बहुत सी उपलब्धियां हैं, रिपीट तो मैं नहीं करूंगा, फिर भी कोई बात हो जाये तो अनपढ़ समझकर माफ कर देना। मुख्य रूप से इस सरकार ने शिक्षा के अन्दर जितने काम किये हैं, देश आजाद होने के बाद पहली बार शिक्षा विभाग में बहुत बड़े काम हुए हैं। उपाध्यक्ष महोदय, स्कूल तो पहले भी खुलते थे, पर अब की बार सरकार ने स्कूल खोले, प्राइमरी, मिडल, सैकण्डरी, 10+2, अब की बार जितने भी स्कूल खोले हैं। साथ ही साथ अध्यापकों की व्यवस्था भी की है, भवन बनाने की भी व्यवस्था की है। मैं इसके लिए शिक्षा मंत्रीजी को और मुख्य मंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय, और भी काफी क्षेत्रों में कार्य हुए हैं। जैसे राजस्थान कैनाल, कितने वर्ष हो गये बने हुए और इस सरकार ने बिना कोई मांग किये, बिना कोई आन्दोलन किये नहरों की सिल्ट निकालने का निर्णय व बजट का प्रावधान रखा था, उसके लिए भी मैं इस सरकार को धन्यवाद कहना चाहूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय, तृतीय श्रेणी के अध्यापकों की भर्ती करने में जो

(श्री रामप्रताप कासनिया)

विलम्ब हुआ है, इसके बारे में मैं माननीय शिक्षा मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि अदालत वगैरह की जो भी बाधाएं थीं, वह आप सबने पार कर ली हैं और अब जल्दी अध्यापकों की नियुक्ति की जाय, यह मेरा निवेदन है।

उपाध्यक्ष महोदय, इसके साथ-साथ इस राज के अन्दर एक चीज मैंने और देखी है। नहरी क्षेत्र के अन्दर पक्की नहरों का जो निर्माण होता है, पक्के खालों का जो निर्माण होता है, उसकी गुणवत्ता में काफी सुधार है। पूर्व में सन 1975 के अन्दर मुझे याद आ रहा है कि सी.ए.डी. ने जो पक्के खाले बनाये थे, नहरें बनाई थीं, आज मौके पर एक भी नहर और खाले बिलकुल सही नहीं चल रहे हैं, क्षतिग्रस्त हैं और बनने के तुरन्त बाद क्षतिग्रस्त हो गये और पी.डब्ल्यू.डी. ने भी यह आर.यू.पी. प्रथम और द्वितीय, पता नहीं क्या चीज है, पर इसके तहत जो भी रोडों की मरम्मत हुई है, पूर्व से अच्छी गुणवत्ता है। गुणवत्ता इसलिए है कि ठेकेदार की जिम्मेदारी फिक्स पर दी है कि जो भी रोड मरम्मत होगी या नई बनेगी तो पांच साल तक उसकी देखभाल, उसकी जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी...(व्यवधान) आपके विभाग में भी काफी काम किये हैं, आपने बच्चों का मैस भत्ता बढ़ाया है। (व्यवधान) अनपढ़ हूं ना, इसलिए चूक हो जाती है। भट्टा तो अब मैं क्या कहूं, मेरे मुंह से कहना नहीं चाहिए, जिन लोगों ने बैठाया है, उनको भगवान देख रहा है। उपाध्यक्ष महोदय, यह चर्चा शुरू कर ही दी तो मैं कहना चाहूंगा कि सदन का ज्यादातर समय एक दूसरे की आलोचना करने में गुजर जाता है...

श्री उपाध्यक्ष : अब छोड़ो उस बात को, आप तो शार्ट में अपनी बात कह दो।

श्री रामप्रताप कासनिया : छोड़ूं क्या, यह भी एक बात है। इस प्रांत के हक में अगर सच्चाई को सच्चाई कहना इस हाउस में पक्ष-विपक्ष शुरू कर देगा तो इस राजस्थान की तस्वीर बदल सकती है..(व्यवधान) निर्दलीयों की संख्या बढ़े या नहीं बढ़े, इसकी चिंता नहीं है पर जो आदमी अच्छा काम करता है, उसकी अच्छाई को इस सदन में कहने में कोई संकोच नहीं करना चाहिए। महज इसलिए आलोचना करना कि हम विपक्ष में हैं, विपक्ष में होना कोई बुरी बात नहीं है। सरकार की कोई त्रुटि हो, कोई गलती हो तो उसको उजागर करो और उसको उजागर सही तरीके से करो, सच्चाई के साथ करो। गांव से आया हूं, इतनी मैं आंकड़ेबाजी वगैरह नहीं जानता।

(श्री रामप्रताप कासनिया)

उपाध्यक्ष महोदय, इसके अलावा मैं मुख्य मंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि पिछले 20-25 वर्ष में सेम की समस्या हनुमानगढ़ जिले में थी, जिसका समाधान करने के लिए अभी कार्य तो शुरू नहीं हुआ है पर मुझे भरोसा है कि बजट के अन्दर प्रावधान रखा है और शायद अभी इसी महीने के अन्दर काम शुरू हो जाएगा तो उपाध्यक्ष महोदय, इनकी मैं तारीफ कैसे नहीं करूं। मैं इस सदन के अन्दर चिल्ला-चिल्लाकर बार-बार सेम की समस्या का समाधान करने के लिए कह रहा हूं। पता नहीं कितने आन्दोलन हो गये और कोई बहुत महंगी स्कीम नहीं है। कांग्रेस के समय वहां पर करोड़ों रूपये मौका देखने पर खर्च कर दिये और इस सरकार ने बिना मौका देखे हुए, मेरी बात को मानते हुए सेम की समस्या का समाधान करने के लिए एक कमेटी का गठन किया है और कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक वित्तीय प्रबन्ध भी करने का कमिटमेंट इस हाउस में किया गया है तो इस कार्य के लिए भी मैं सरकार को धन्यवाद देना चाहूंगा।

इसके अलावा, उपाध्यक्ष महोदय, इस सदन के अन्दर मेरे से पूर्व वक्ताओं ने पाठ्य पुस्तकें जो बच्चों को उपलब्ध करवाई हैं, के बारे में कहा है, यह भी भारतीय जनता पार्टी सरकार की देन है, तत्कालीन माननीय मुख्य मंत्री भैरोंसिंहलर जो कि वर्तमान में महामहिम उप राष्ट्रपति महोदय हैं उनकी देन थी कि बिना कोई मांग किये, बिना कोई बात, अपने आप सोच-विचार के कि ग्रामीण क्षेत्र के जो बच्चे हैं, वह पुस्तकों के अभाव में अनपढ़ नहीं रह जायें, पुस्तकों पर भी बहुत ज्यादा खर्चा होता है, इसलिए मेरा, उपाध्यक्ष महोदय, यही कहना है कि सरकार की आलोचना करने की मेरे पास कोई वजह नहीं है इसलिए मैं इस सरकार की तारीफ करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, यहां इस सदन के अन्दर काश्तकारों के लिए बहुत सी बातें बोली जाती हैं पर हकीकत में इस वर्ष के अन्दर नरमा और कपास की फसल की जो दुर्गति हुई है, उपाध्यक्ष महोदय, इस सदन के अन्दर एक भी सदस्य ने यह मांग नहीं की कि इस सदन के अन्दर सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित कर केन्द्र सरकार से मांग की जाय कि नरमे और कपास के भाव बढ़ाये जायें। विपक्ष के माननीय सदस्यों से मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि अगर आप इस तरह की बात केन्द्र सरकार के सामने रखते तो अवश्य ही सौ, दो सौ

(श्री रामप्रताप कासनिया)

रूपये क्विंटल का फायदा होता परन्तु किसी भी माननीय सदस्य ने यह प्रयास नहीं किया कि काश्तकार को उसकी उपज का सही भाव मिले।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक और निवेदन करना चाहूंगा सरकार से कि समय रहते हुए क्योंकि अब की बार राज्य के अन्दर यह सरसों की फसल दुगनी है और उस सरसों की फसल की खरीद के लिए समय रहते हुए खरीद करने के सेंटर अभी से स्थापित कर दिये जायें और बारदाने के बारे में भी निवेदन करना चाहूंगा कि काश्तकारों का माल औने-पौने दामों पर बिकता है, अगर सरसों की खरीद समय पर शुरू नहीं हुई, बारदाने की व्यवस्था नहीं हुई तो काश्तकार लुट जायेगा। मुश्किल से तीन वर्ष से अब की बार काश्तकार के खेत में फसल है तो समय रहते हुए सरकार को इस तरफ ध्यान देना चाहिए। केन्द्र सरकार पर दबाव डालें पक्ष और विपक्ष मिल करके, यह समय है अभी बहुत समय पड़ा है, व्यवस्था की जा सकती है।

उपाध्यक्ष महोदय, इसके अलावा यहां पंचायत चुनावों की चर्चा चल रही थी। सबसे पहले तो मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि यह जितने छोटे चुनाव हैं, गांवों के अन्दर इतनी कंट्रोवर्सी इनसे पैदा होती है जिसकी कोई सीमा नहीं है। हम राजनेता तो आपस में एक-दूसरे के पास बैठते हैं, बोलते हैं पर उपाध्यक्ष महोदय, गांव का आदमी एक बार चुनाव में अड़ गया तो पांच वर्ष तक वह विवाह-शादी में ही नहीं जाता। यह स्थिति पैदा क्यों हो गई, यह स्थिति पैदा इसलिए हो गई कि यह चुनाव हमने पार्टी बेस पर करवा दिये, सिम्बल पर चुनाव लड़े जाते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, पंचायतीराज चुनाव के अन्दर इस तरह की कंट्रोवर्सी पैदा होना। प्रजातंत्र के लिए खतरे से खाली बात नहीं है कि एक सरपंच बन गया और सामने उसके किसी ने चुनाव लड़ा पार्टी के हिसाब से, तो वह रंजिश अवश्य रखेगा और एक दूसरी जो यह बीमारी पैदा हो गई कि आज सामान्य सीट है और अगले चुनाव में वह रिजर्व होगी, एस.सी., एस.टी, होगी या ओ.बी.सी. होगी, इस बीमारी के कारण कोई पंचायतीराज संस्था का प्रतिनिधि सही तरीके से अपने इलाके की देखरेख नहीं करता। उपाध्यक्ष महोदय, इस चुनाव में एक खेल और देखा है (व्यवधान) अच्छा, बीमारी शब्द गलत होता है क्या, पकड़ लिया कान। उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि पंचायतीराज संस्थाओं के चुनाव में अब की बार

जिस तरह से पैसा, धनबल चला है, मेरी आंखों देखी घटना है, एक-एक पंचायत में छह-छह, सात-सात, आठ-आठ लाख रूपये खर्च हुए, वह सरपंच कोई विकास कर देंगे? यही हालत पंचायत समितियों के चुनाव की है और यही हालत जिला परिषद के चुनावों की है। इन चुनावों के अंदर जितना धनबल और बाहुबल चला, कोई इसमें दूध का धोया हुआ नहीं है, इधर वाले भी नहीं हैं तो उधर वाले भी नहीं हैं, हां, दोनों तरफ से हुआ है, यह प्रजातंत्र को खतरा है उपाध्यक्ष महोदय। आपके तो ज्यादा है, मैं बताऊं तो अब आप...

एक माननीय सदस्य : बीच वाले तो बच गये।

श्री रामप्रताप कासनिया : बीच वाले कहां बच गये फिर, बीच वाले नहीं बचे। कोई भी नहीं बचा, बीच वाला भी नहीं बचा, इधर वाला भी नहीं बचा बल्कि आप लोगों की तो परम्परा ही डाली हुई है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य कासनियाजी, विधान सभा में और पार्लियामेंट में भी कुछ बाकी बचा हुआ है क्या, वहां भी कोई खर्चे में कमी आई है क्या?

श्री रामप्रताप कासनिया : खर्चे में कमी की सोच पैदा करनी पड़ेगी, उपाध्यक्ष महोदय, इसलिए मैं कह रहा हूं कि ग्रामीण क्षेत्र के अंदर चुनाव के अंदर इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी पैदा नहीं होती, एम.एल.ए. और एम.पी. के चुनाव में जिसको जिधर वोट देना है, देते रहें, चाहे कांग्रेस में दें, चाहे बीजेपी में दें, किधर भी दें, पर उपाध्यक्ष महोदय, पंचायतीराज संस्थाओं में सिम्बला से चुनाव लड़ने का जब से यह चला है तब से गांवों के अंदर आपस में भयंकर कंट्रोवर्सी हो गई है। इसलिये मैं निवेदन कर रहा हूं और इसमें सुधार किया जा सकता है, पक्ष और विपक्ष मिलकर के अगर यह प्रथा बंद करना चाहें कि सिम्बल से चुनाव नहीं होगा तो हमें केन्द्र सरकार से मंजूरी लेने की आवश्यकता नहीं है, यह हो सकता है, इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूं और साथ में यह जो धनबल और बाहुबल चला है पंचायतीराज चुनाव में, इससे भी छुटकारा मिल जायेगा क्योंकि जब कोई पार्टी ही नहीं होगी तो फिर कौन धन खर्च करेगा और कौन बाहुबल का प्रयोग करेगा और लोगों को आपस में मिल-बैठ कर रहने की एक परम्परा कायम हो जायेगी, अगर पक्ष और विपक्ष मिल कर इस पर विचार कर लें।

उपाध्यक्ष महोदय, अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि ग्रामीण क्षेत्र के अंदर अभी तक चाहे कोई पटवारी है, चाहे मास्टर है, चाहे नर्स है या कोई डाक्टर है, गांव की तरफ जाने का उनका मन बिलकुल नहीं है, पोस्टिंग जरूर उनकी हो गई, पोस्टिंग कर दी तो भी वह पोस्ट खाली रहती है, वह आदमी शहर के अंदर रहना पसंद करता है और गांव की तरफ नफरत भरी नजरों से कर्मचारी-अधिकारी देखते हैं। इसका कारण यह है उपाध्यक्ष महोदय, मूलभूत सुविधाएं जो उनको शहर में मिलती हैं, वह गांवों में नहीं मिलतीं इसलिए ग्रामीण क्षेत्र के अंदर कोई भी कर्मचारी-अधिकारी नहीं रहता, तो मेरा सरकार से आपके माध्यम से निवेदन है कि इस तरफ भी थोड़ा ध्यान दें। ध्यान तो सरकार ने बहुत दिया है, आज इस राजस्थान सरकार के पास जितना बजट है, यह बजट पूर्व की सरकार के पास भी था, बजट कोई नया टैक्स लगाकर इस सरकर ने नहीं बनाया, कोई नया कर नहीं थोपा, सिर्फ बुद्धि से काम लिया है, बुद्धि से काम लेकर उसी बजट से इस राज्य का कितना विकास किया है और एक, उपाध्यक्ष महोदय, योजना का आकार बढ़ाकर बहुत रुपया कर लिया।

श्री उपाध्यक्ष : अब समाप्त कीजिये।

श्री रामप्रताप कासनिया : यह भी सुना है और सच भी है, थोड़ा-बहुत पढ़ना जानता हूं पढ़ा भी है कि योजना का आकार बढ़ा है। योजना का आकार बढ़ा है तो राजस्थान का विकास भी होगा, इसमें भी कोई संदेह नहीं और अंत में, मैं सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूं कि इतने कम समय में, बार-बार आचार संहिता के बावजूद, यह आचार-संहिता की एक बीमारी और चल गई, यह आचार-संहिता लागू है, यह काम नहीं होगा, मर गया बणिया, यह अच्छी आचार-संहिता हुई, तीसरे महीने ही। तो काम करे कब आदमी? रोज यह आचार-संहिता की लाठी रहती है, तो उपाध्यक्ष महोदय, इन्हीं शब्दों के साथ मेरी बात समाप्त करता हूं, जय हिन्द ।

श्री उपाध्यक्ष : श्री माहिर आजाद।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अभी महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर अपने विचार व्यक्त करते हुए मेरे फाजिल दोस्त टोडारायसिंह से आने वाले माननीय

(मोहम्मद माहिर आजाद)

सदस्य कह रहे थे और बिलकुल सही कह रहे थे कि एक भी प्रतिपक्ष के सदस्य ने चौदह माह के शासनकाल में वसुन्धराजी की सरकार द्वारा किये एक भी अच्छे काम की यहां तारीफ नहीं की। बहुत सही है, चौदह माह में कोई अच्छा काम हुआ, उसकी तारीफ करनी चाहिए थी लेकिन माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा "पर उपदेश कुशल बहुतेरे" मैं माननीय नाथू सिंहजी से पूछना चाहता हूं कि क्या पिछले पांच वर्ष में श्री अशोक गहलोत के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार ने कोई भी एक भी जनहित का अच्छा काम नहीं किया था? इस 14 माह के शासनकाल में 10 बार टोडारायसिंह से आने वाले माननीय सदस्य अपने भाषण इस सदन में दे चुके हैं। क्या पिछली गहलोत सरकार ने प्रदेश के उन गरीब लोगों के लिए जिनके पास पैसा नहीं है अपने असाध्य रोगों का इलाज कराने के लिए, सरकार ने उसका माई-बाप बनकर मुख्य मंत्री सहायता कोष से जीवन रक्षा कोष से इलाज कराने का जो फैसला किया, क्या यह भी सही नहीं था? क्या अकाल का जो प्रबन्धन किया गया वो भी अच्छा नहीं था? क्या बिजली का उत्पादन किया वो भी अच्छा काम नहीं था जिसकी आपके तत्कालीन प्रधान मंत्रीजी ने भी भूरि-भूरि प्रशंसा की थी? क्या ओवरब्रिज बनाये, फ्लाईओवर बनाये यह भी काम अच्छा नहीं था? तो एक्शन का रिएक्शन होता है माननीय नाथूसिंहजी साहब, अगर आप अपने 10 भाषणों में एक बार भी पिछली बार की सरकार के किसी अच्छे काम की तारीफ करते तो निश्चित रूप से हम भी आपकी बात को मानते हुए हम भी कुछ कहते।

डा. एन.एस. गुर्जर : मैंने किया है। माथुर साहब की तारीफ की है और अशोकजी ने भी एक-दो काम किये हैं उनकी तारीफ मैंने की है।

मोहम्मद माहिर आजाद : मैंने आपको टोका नहीं है आप बीच में मत बोलो। कोई तारीफ नहीं की।

डा. एन.एस. गुर्जर : की है। मैंने सोनियाजी की तारीफ की है। सोनियाजी ने मुख्य मंत्रियों को बुला कर डांट डपट की कि पंचायती राज के अधिकार दें। मैंने उनकी भी तारीफ की है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : और आपने इसलिए तारीफ नहीं की कि माहिरजी को कांग्रेस पार्टी में शामिल कर लिया सोनियाजी ने। इसलिए तारीफ नहीं की आपने।

मोहम्मद माहिर आजाद : आप भी हमारे साथ थे, आप मत भूलो आप भी हमारे साथ थे। आपको मैं ही जाकर छोड़ कर आया था, मत कहलाओ मेरे से। आप जरा चुप ही रहो। आपका तो मुझे पता है क्या है।

श्री धर्मपाल चौधरी : आप तो, माहिरजी, पहले भी विपक्ष में थे और अभी भी विपक्ष में हो।

मोहम्मद माहिर आजाद : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, टोडारायसिंह से आने वाले माननीय सदस्य बार-बार यह कहते हैं कि मैं जब मंत्री था, आपको याद दिलाने की जरूरत क्या पड़ती है? मंत्री कन्हैयालालजी भी रहे हैं, मंत्री नन्दलालजी भी रहे हैं, मंत्री शांतिलालजी चपलोत भी रहे हैं, मंत्री कालीचरणजी भी रहे हैं, इनको तो जरूरत नहीं पड़ती है। आपको बार-बार यह याद दिलाने की जरूरत क्यों पड़ती है जब मैं मंत्री था? क्या अभी तक वो चीज आप भूले नहीं हैं? अगर आपने कोई अच्छा काम आपके मंत्रि-मंडलीय काल में किया होता तो दूसरे लोग उसकी तारीफ करते, वो एक प्रशंसा की बात थी। आप खुद ही अपनी बात जताते हो कि मैंने यह किया, वो किया।

डा. एन.एस. गुर्जर : मेरी तारीफ तो आपके सेन्टर के उस समय के रूरल डवलपमेंट मिनिस्टर ने और प्राइम मिनिस्टर ने की है। आन रिकार्ड है, दिल्ली में है। आप चाहें तो मैं डाक्यूमेंट्स दिखा दूंगा। आप मेरी बात कर रहे हो तो।

श्री जुबेर खान : इसीलिए आपको मंत्री नहीं बनाया क्योंकि कांग्रेस के लोगों ने आपकी तारीफ कर दी।

मोहम्मद माहिर आजाद : देखिये, माननीय कटारियाजी ने शिक्षा मंत्री रहते हुए अच्छे काम किये हैं तो आज भी सारे लोग उसकी तारीफ करते हैं।

डा. एन.एस. गुर्जर : यह सम्भावना हो सकती है लेकिन वो जो कह रहे हैं वो ठीक नहीं है।

मोहम्मद माहिर आजाद : आप कोई अच्छा काम करते तो निश्चित रूप से उसकी तारीफ होती। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जौहरी बाजार से आने वाले माननीय सदस्य जब अपना धन्यवाद प्रस्ताव यहां रख रहे थे तो वो ये बात कह रहे थे कि राजस्थान की पहली महिला मुख्य मंत्री के शासन काल में यह हुआ, पहली महिला राज्यपाल, पहली महिला विधान सभा अध्यक्ष और कोई तो माननीय मुख्य मंत्रीजी को मां भवानी की संज्ञा दे रहा था, कोई माननीय मुख्य मंत्रीजी को लक्ष्मी की संज्ञा दे रहा था। मैं आपसे निहायत अदब के साथ पूछना चाहता हूं कि अगर महिलाओं का आप इतना ही सम्मान करते हैं तो आप मां दुर्गा सोनिया गांधी से इतना क्यों डरते हैं? सारे राग अलापते रहे सोनियाजी प्रधानमंत्री बनेंगी, सोनियाजी प्रधान मंत्री बनना चाहती हैं, नहीं बनने देंगे और जब सोनियाजी ने एक अनुकरणीय उदाहरण पद को ठोकर मारकर त्याग प्रस्तुत किया तब आपकी बोलती बंद हो गयी। एक भी सदस्य नहीं था जिसको बोलना चाहिए था। इतना डर क्यों लग रहा था उनसे? मैं यह आपसे कहना चाहता हूं।

डा. दिगम्बर सिंह : सोनियाजी ने ठोकर नहीं मारी।

मोहम्मद माहिर आजाद : चुन लिया गया था, राष्ट्रपति की चिट्ठी आ गयी थी, डाक्टर साहब, आप तो पढ़े लिखे आदमी हैं। यह बात सुन्दरलालजी कहते तो समझ में आ सकता है।

श्री मदन राठौड़ : मैं नगर से आने माननीय विधायक से पूछना चाहता हूं कि आपकी सोनिया दुर्गाजी के बारे में जानती भी हैं क्या? वो दुर्गा के बारे जानती ही नहीं हैं।

श्री संयम लोढ़ा : आपके लिए तो वो दुर्गा का दूसरा अवतार हैं, यह ध्यान में रखना।

श्री ओम बिरला : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य के बारे में जो टिप्पणी की है सुन्दरलालजी एम.ए., बी.एड, पास हैं उन्होंने जो टिप्पणी की है ठीक टिप्पणी नहीं की है।

डा. एन.एस. गुर्जर : मैं आपको विद युअर परमीशन.......(व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे बोलने दें। जब नाथूसिंहजी एक घंटा बोले तो मैंने इन्ट्रप्ट नहीं किया, इनका भाषण पूरा सुना।

डा. एन.एस. गुर्जर : मैं आजाद साहब, आपको करेक्ट करने के लिए बोल रहा हूं।

मोहम्मद माहिर आजाद : आपने तो सी.पी. जोशी साहब को प्रसव पीड़ा करवा दी, कहीं पुरुषों के भी प्रसव पीड़ा होती है? यह ज्ञान है एल.एल.एम. को और पीएचडी का?

डा. एन.एस. गुर्जर : देवीलालजी को भी एज प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट कर लिया था लेकिन उन्होंने वी.पी. सिंहजी को बनाया था। वे पोलिटिकल परिस्थितियां होती हैं।

मोहम्मद माहिर आजाद : यह महिला का त्याग पहला है।

डा. एन.एस. गुर्जर : अब उसको आप त्याग कहो, महात्याग कहो। ये पोलिटिकल परिस्थितियां होती हैं।

मोहम्मद माहिर आजाद :........ (व्यवधान).... आप लालायित हो रहे हैं, आप मंत्री पद पाने के लिए लालायित हो रहे हैं।

श्री महावीर प्रसाद जैन : आपको क्या एतराज है इस बात का? वो इस समय अपना फर्ज निभा रहे हैं, वो इधर आएंगे तो आपकी कर लेंगे।

मोहम्मद माहिर आजाद : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जब इस सरकार ने अपना चुनाव घोषणा पत्र जारी किया था और पिछले राज्यपाल

(मोहम्मद माहिर आजाद)

महामहिम खुराना साहब से जब यहां अभिभाषण करवाया था उसमें जो मुख्य बातें कही गयी थीं, ये उस समय का अभिभाषण भी मेरे पास है। इसमें इन्होंने यह कहा था कि हम एक लाख नौजवानों को प्रतिवर्ष रोजगार देंगे। हम बिजली की दरों को व्यावहारिक बनायेंगे। हम इलेक्ट्रोनिक मीटरों को बदलने का काम करेंगे। हम बिजली का उत्पादन बढ़ायेंगे, हम कानून और व्यवस्था की स्थिति में सुधार करेंगे। हम समाज के प्रत्येक वर्ग को समान विकास का अवसर प्रदान करेंगे।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, लेकिन स्थिति क्या हुई, मेरी समझ में नहीं आ रहा है। एक तरफ सरकार ने जवाब में कहा है कि हमने इण्डस्ट्रीज में 15,400 लोगों को रोजगार दिया। कहा, हमने माइनिंग के अन्दर खनन में पांच लाख लोगों को रोजगार दिया हमने फलाने विभाग में इतना दिया ढिमके में इतना दिया।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से यह पूछना चाहता हूं कि परसों सरकार ने मेरे ही एक तारांकित प्रश्न संख्या 66 का उत्तर दिया है। इस प्रश्न संख्या 66 के उत्तर को सही मानूं कि आपने महामहिम के मुख से जो यह बात कहलायी है इसको सही मानूं। कृपया आप जब उत्तर दें तो इसको शुद्ध करने का काम करें। यह मेरा प्रश्न संख्या था 106 कार्मिक विभाग से मैंने पूछा था कि सरकार ने 1 जनवरी, 2004 से 31 दिसम्बर, 2004 के मध्य 1 लाख लोगों को रोजगार मुहैया कराने का वादा किया था, घोषणा की थी। इन्होंने जवाब दिया है जी हां, 1 जनवरी, 04 से 31 दिसम्बर, 04 तक हमने राज्य के 4,506 लोगों को रोजगार मुहैया कराने का काम किया है। माननीय घनश्यामजी तिवाड़ी, आप बड़े विद्वान हैं, आप 1 लाख में जरा 4,506 का भाग दे लें कि कितने प्रतिशत आपकी उपलब्धि रही है और इसमें भी माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जितने मृतक राज्य कर्मचारी हैं उनके आश्रितों को तो नौकरी दी जाती है नियम बना रखा है। आपने किसान आंदोलन में जिन पांच लोगों को दी वो भी इसमें जोड़ दिया। आपने इसमें जो हाई कोर्ट से निर्णय हुआ वो भी इसमें जोड़ दिया। आपने जो दैनिक वेतन भोगी लगाये कांट्रेक्ट पर उनको भी इसमें जोड़ दिया। यानी 1 लाख की घोषणा

करने के बाद आपने 4506 लोगों को रोजगार दिया है। जरा आत्मचिन्तन करिये, माननीय तिवाड़ीजी, आप खुद सोचिये कि आपने जो कहा था उसमें से आपने कितना पूरा किया है? आपने वादा किया था कि कानून और व्यवस्था की स्थिति में सुधार करेंगे। मुझे बड़ा ताज्जुब होता है कि पहली महिला मुख्य मंत्री जिसको खूब जोर-शोर से कहा जाता है कि महिला सशक्तिकरण वर्ष और महिला, मुख्य मंत्री, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे शर्म भी आती है यह पढ़ने में, रोज तीन बलात्कार और चार हत्याएं यानी 7 प्रतिशत प्रदेश के अन्दर क्राइम रेट इन्क्रीज हो गयी। मैं कहना चाहता हूं माननीय कटारियाजी गुरूजी हैं, अध्यापक रहे हैं मैं उनका सम्मान करता हूं वो एक अच्छे शिक्षा मंत्री हो सकते हैं लेकिन एज ए होम मिनिस्टर राजस्थान में वो पूर्णतया फेल रहे हैं, असफल रहे हैं। 7 प्रतिशत में वृद्धि होना, घनश्यामजी अदला-बदली कर लो आप गृह विभाग ले लो और उनको शिक्षा विभाग दे दो और मेरी कटारियाजी के प्रति हमदर्दी भी है और हमदर्दी इसलिए है कि आज तक राजस्थान में सन 1952 से लेकर अब तक का इतिहास है माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो भी गृह मंत्री रहा वो दुबारा जीतकर नहीं आया। चाहे वो कुम्भारामजी आर्य रहे, चाहे रामकिशोरजी व्यास रहे, चाहे गुलाबसिंहजी शक्तावत रहे, चाहे जो भी रहे, कैलाश मेघवालजी रहे, दिग्विजय सिंहजी रहे, सम्पतरामजी रहे...

श्री उपाध्यक्ष : तिवाड़ीजी का भला चाहते हैं आप।

मोहम्मद माहिर आजाद : इसलिए, घनश्यामजी, मेरी तो आपसे हमदर्दी है आप संभाल सकते हैं। वो तो कटारियाजी, गुरूजी के बस में कापी किताब पैन है यह डंडा उनके बस में नहीं आ रहा है, और बस में क्यों नहीं आ रहा है? आप लोग फेल करने में लग रहे हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं सही बात कह रहा हूं, मेरी गृह मंत्रीजी से हमदर्दी है। गृह मंत्रीजी एडिशनल एस.पी. की लिस्ट निकालते हैं मुख्य मंत्री सचिवालय रूकवा देता है। गृह मंत्रीजी ने मेरे निर्वाचन क्षेत्र में मैंने एक थानेदार के खिलाफ भ्रष्टाचार की शिकायत की तो उसको बदलने के लिए एस.पी. भरतपुर को फोन किया। दूसरे दिन मैं एस.पी. से मिला कि साहब मेरे सामने फोन आया था क्यों नहीं बदला तो बोले कि सी.एम.ओ.एस.डी. का फोन आ गया कि नहीं बदला जाए। ऐसे

(मोहम्मद माहिर आजाद)

कमजोर गृह मंत्री आप बना करके राजस्थान में कानून और व्यवस्था की स्थिति में सुधार नहीं कर सकते।

यहां जौहरी बाजार से आने वाले माननीय सदस्य बडे जोर-शोर से कह रहे थे कि हमारे शासन काल में एक भी साम्प्रदायिकता की घटना राजस्थान में नहीं हुई। मैं जौहरी बाजार से आने वाले माननीय सदस्य से पूछना चाहता हूं कि जब कोटड़ा में दंगे हो रहे थे, जब सराड़ा में हो रहे थे तब क्या आप वैष्णो देवी के दर्शन के लिए गये थे या विदेश गये थे? वह राजस्थान में नहीं है कोटड़ा और सराड़ा? मैं पूछना चाहता हूं कि आखिर आप चाहते क्या हैं। मैं इसलिए आपसे कहना चाहता हूं कि आज प्रदेश की कांनून और व्यवस्था की स्थिति क्या हो गई? आज मां-बहन सुरक्षित नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय, जरा सुनिए अर्जुनलाल मीणा आपके एम.एल.ए. उनके घर पर आकर लोग उनकी पिटाई कर के चले गये, आज तक मुल्जिम पकड़े गये? आपके पाली के एम.एल.ए. ज्ञानचंदजी पारख उनके निवास स्थान से उनकी क्वालिस गाड़ी चोरी चली गई। आज 4-5 महीने हो गये आज तक उस गाड़ी का पता नहीं चल पाया। हमारे नैनवां से आने वाले माननीय सदस्य रामनारायण मीणा के घर से उनकी जीप चोरी हो गई, आज तक चोरों का पता नहीं चल पाया। हमारे हिण्डौली से आने वाले माननीय सदस्य के घर के बाहर से एक कार्यकर्ता की मोटर साइकिल चली गई आज तक पता नहीं पड़ा।

श्री हेमराज मीणा : यह आपने प्लानिंग से तो नहीं भेज रखे।

मोहम्मद माहिर आजाद : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, हमारी पूर्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और महिला आयोग की राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय गिरजाजी व्यास का पैट्रोल पम्प लूट लिया गया। आज तक लुटेरों का आपको पता पड़ा? और तो और आपके आई.जी. पुलिस लियाकत अली की बीवी का पर्स, उसके गले से चोर छीनकर ले गये। आपके मालवीय नगर में रहने वाले ए.डी.एम. के घर पर चोरी हो गई। मैं पूछना चाहता हूं न विधायक सुरक्षित, न पूर्व सांसद सुरक्षित, न आपका प्रशासनिक अधिकारी सुरक्षित, न पुलिस का अधिकारी सुरक्षित। आम कार्यकर्ताओं की स्थिति इस राज्य में क्या हो गई? इसको टोडारायसिंह से आने वाले माननीय सदस्य आप अच्छा राज कहेंगे या जंगल राज कहेंगे, इसका फैसला आप कर लेना आप

(मोहम्मद माहिर आजाद)

विद्वान हैं, मैं यह निर्णय आप पर छोड़ता हूं। यह कानून व्यवस्था की स्थिति है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं इन्होंने कहा कि हम समाज के प्रत्येक वर्ग को विकास का समान अवसर प्रदान करेंगे। मैं आपसे निहायत अदब के साथ कहना चाहता हूं कि आज अल्पसंख्यकों के कल्याण से सम्बन्धित जितने भी इंस्टीटयूट थे उनको आपने डिफंक्ट करने का काम किया है या नहीं किया? अल्पसंख्यक आयोग का बजट रोक लिया। जब से आपकी सरकार आई है चूंकि संवैधानिक आयोग है आप उसको भंग नहीं कर सकते आपने उसका बजट रोक दिया। अल्पसंख्यक आयोग ने जितने प्रस्ताव आपको भेजे आपने रद्दी की टोकरी में डाल दिये एक भी प्रस्ताव पर आपने चर्चा नहीं की। उपाध्यक्ष महोदय, अल्पसंख्यक वित्त विकास सहकारी निगम बना जो गरीब दस्तकार अल्पसंख्यकों को आसान किश्तों पर रोजगार मुहैया कराने के लिये बनाया गया। आपने उस आयोग को भंग कर दिया। और तो और आपकी मानसिकता, केन्द्रीय सरकार 15 करोड़ का अनुदान देती है अल्पसंख्यक वित्त सहकारी निगम को बशर्ते आप 10 करोड़ की स्टेट गारंटी दें। आपने अनुसूचित जाति, जनजाति आयोग की गारंटी दे दी, आपने ओ.बी.सी. आयोग की गारंटी दे दी, आपने महिला आयोग की गारंटी दे दी। प्रदेश के अल्पसंख्यक गरीब दस्तकारों ने आपका क्या बिगाड़ा था जो समाज कल्याण मंत्रीजी ने अल्पसंख्यक वित्त विकास सहकारी निगम की गारंटी नहीं दी जिससे केन्द्र सरकार से जो हमको 15 करोड़ का अनुदान मिलता हमको उससे भी वंचित रहना पड़ा है।

मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि राजस्थान उर्दू अकादमी का 24 लाख का बजट, आज आपका वित्तीय वर्ष खतम हो रहा है, शिक्षा मंत्रीजी यहां बैठे हैं। आपने आज तक राजस्थान उर्दू अकादमी का गठन नहीं किया। क्या आपके पास कोई एक भी झूठा-सच्चा अल्पसंख्यक कार्यकर्ता ही नहीं है क्या जिससे आप उर्दू अकादमी बनायें? आप कहो तो मैं मुहैया करा दूं अगर आपके पास नहीं है तो।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : मैं तो आपकी आस में ही रूक रहा हूं।

मोहम्मद माहिर आजाद : आपको निराशा हाथ लगेगी। उपाध्यक्ष महोदय, इतना ही नहीं, आपने मदरसा बोर्ड का अध्यक्ष बना दिया। मदरसा बोर्ड के मैम्बर आपने आज तक नहीं बनाये। मदरसा बोर्ड का पूरा गठन नहीं किया। आज पिछले 7-8 माह से मदरसा पैराटीचर्स को वेतन नहीं मिल रहा है। क्या वे आपकी प्रशंसा करेंगे? माननीय शिक्षा मंत्रीजी क्या वह आपकी तारीफ करेंगे? आज तक आपने यह स्थिति पैदा कर दी। इतना ही नहीं वक्फ बोर्ड का कार्यकाल जुलाई में समाप्त हो गया, आज तक आप वक्फ बोर्ड का पुनर्गठन नहीं कर पा रहे हैं। जो विधायक सदस्य चुनने थे वह चुन लिये। बार काउंसिल का मैम्बर आना था जो आ गया। आपके सांसद से जो चुनाव होना था वह हो गया। सम्बन्धित कालेज से जो लोग आने थे वह चुनाव हो गये। सरकार को जो नामजद करने हैं, क्या झगडा हो रहा है या आदमी नहीं मिल रहे हैं, जरा आप स्पष्ट तो करें। यहां रेवेन्यू मिनिस्टर साहब भी बैठे हैं, आपका कैंडिडेट तो हार गया शब्बीर भाई अब आप किस मुंह से बोल रहे हो। आपने तो खूब कोशिश की, खुद ने लोगों को फोन किये उसके बाद भी हार गया। लेकिन मेरा आपसे करबद्ध निवेदन है उपाध्यक्ष महोदय के माध्यम से कि राजस्थान की इस वक्फ सम्पदा को बचाने के लिये कृपया वक्फ बोर्ड का गठन तो करो।

श्री रामनारायण डूडी : आजाद साहब, थोड़ा तो सत्य बोलो। (व्यवधान)

श्री ओम बिरला : यहां तो असत्य बोलने का ठेका ले रखा है तो सत्य बोलेंगे कहां से?

मोहम्मद माहिर आजाद : इसमें बताइए असत्य क्या है? क्या 2 एम.एल.ए. नहीं चुने गये? (व्यवधान)

श्री मदन राठौड़ : मैं जानकारी देना चाहता हूं कि वक्फ बोर्ड का 2004-05 का बजट पारित किया गया। बेसहारा छात्रों को छात्रवृत्ति दी गई। अजमेर जिले को छोड़कर अन्य सभी जिलों में वक्फ सम्पत्तियों का सर्वे कार्य पूर्ण किया गया। (व्यवधान)

श्री रामनारायण डूडी : (व्यवधान) किसने टेलीफोन किया, किसने नहीं

किया एक तो बता दो कि उस आदमी को टेलीफोन किया रामनारायण डूडी ने। कमाल की बात करते हो, आरोप लगाते हो।

मोहम्मद माहिर आजाद : आप तो यह बता दो, वक्फ बोर्ड का पुनर्गठन कब तक करा दोगे? अपने जवाब में बता देना।

श्री रामनारायण डूडी : यह हो जायेगा।

मोहम्मद माहिर आजाद : कब हो जायेगा? सदन को बताओ।

श्री मदन राठौड़ :....(व्यवधान) 12वीं की बच्चियों को मुफ्त शिक्षा, अल्पसंख्यक वर्ग की बच्चियों को...(व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : तीन बार मीटिंग हो चुकी है।

श्री मदन राठौड़ : यह पहली बार हुई है। मैं आपकी जानकारी दुरुस्त करना चाहता हूं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं बताना चाहता हूं कि यह बिलकुल असत्य बात बता रहे हैं, यह तथ्यों को ठुकरा रहे हैं। मैं सबूत के साथ कह रहा हूं।

मोहम्मद माहिर आजाद : मैं वक्फ बोर्ड के गठन की बात कर रहा हूं, मैं सर्वे की बात नहीं कर रहा, जरा समझो तो सही। वक्फ बोर्ड और सर्वे में फर्क है, आपको पता ही नहीं है। (व्यवधान) उपाध्यक्ष महोदय, इतना ही नहीं, पिछली कांग्रेस सरकार ने, जयपुर से अन्तरराष्ट्रीय हवाई उड़ानें उड़नी शुरू हो गईं। जो हज पर मक्का-मदीना जाते हैं उनकी फ्लाइट जयपुर से शुरू कर दी। शुरू होने के कारण जयपुर में हज हाउस निर्माण की आवश्यकता प्रतीत हुई। पिछली गहलोत साहब के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार ने...(व्यवधान)

श्री मोहनलाल गुप्ता : कांग्रेस सरकार में नहीं हुई, बी.जे.पी. की सरकार में हुई है। अन्तरराष्ट्रीय उडान बी.जे.पी. सरकार में चालू हुई है।

मोहम्मद माहिर आजाद : शाहनवाज साहब ने करवाई है, मुझे मालूम है।

श्री मोहनलाल गुप्ता : आप इसको शुद्ध कर लें।

मोहम्मद माहिर आजाद : मैं हज हाउस की बात कर रहा हूं। आप पूरी बात सुनो तो सही।

श्री मोहनलाल गुप्ता : अभी आपने अन्तरराष्ट्रीय उड़ानों की बात की है।

मोहमम्द माहिर आजाद : मैंने यह कहा है कि अन्तरराष्ट्रीय उड़ान शुरू होने के कारण जयपुर में हज हाउस के निर्माण की आवश्यकता प्रतीत हुई। पिछली सरकार ने रामगढ़ मोड़ कर्बला में निःशुल्क हज हाउस बनाने के लिये भूमि का आबंटन कर दिया। तत्कालीन मुख्यमंत्रीजी ने वहां पर उसका शिलान्यास भी कर दिया और आपकी सरकार पर कोई वित्तीय भार भी नहीं पड़ा। एक करोड़ 20 लाख रुपये तो सेंट्रल हज कमेटी दे रही है। 20 लाख रूपये स्वर्गीय सांसद डा. अबरार अहमद ने देने की घोषणा की थी और 20 लाख रूपये तत्कालीन सांसद और मौजूदा विधायक तिजारा ने देने की घोषणा की और 10 लाख रुपये गुजरात के महामहिम राज्यपाल महोदय पं. नवल किशोर शर्माजी वहां के विधायक थे, उन्होंने देने की घोषणा की जिसका समर्थन अब जयपुर ग्रामीण से आने वाले सदस्य बृजकिशोरजी ने किया। यानि पैसा भी केन्द्र का और दूसरे लोगों का लग रहा है। यहां पर 26 जुलाई को मैंने विधानं सभा में ही प्रश्न उठाया था, तब गृह मंत्री माननीय कटारियाजी ने कहा था कि एक महीने में जे.डी.ए. से उसका कन्वर्जन करा दिया जायेगा और जयपुर नगर निगम से नक्शा भी पास करा दिया जायेगा। आज इतना टाइम निकल गया आज तक आपने उसकी मंजूरी नहीं दी। आपका हज हाउस बनाने में इंटरेस्ट नहीं है बल्कि आप लोगों को लड़ाना भिड़ाना चाहते हो कि रामगढ़ में नहीं बनेगा, सांगानेर में बनेगा, यहां बनेगा, वहां बनेगा। मैं कहना चाहता हूं, कहीं भी बनायें निःशुल्क भूमि देकर और हज के सैशन से पहले-पहले कृपया जयपुर में हज हाउस का निर्माण कराने का काम कीजिए, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं।

श्री मोहनलाल गुप्ता : स्थान के मामले में तो कोई डिसप्युट नहीं है न। दूसरी जगह बन जाये तो कोई दिक्कत थोड़े ही है आपको?

मोहम्मद माहिर आजाद : शहर में बने हुए हैं चाहे कलकता में हो, चाहे दिल्ली में हो, चाहे मुम्बई में हो, वहां शहर में बने हुए हैं। आप जंगल में ले जाकर पटक दोगे.....(व्यवधान)

श्री जुबेर खान :..(व्यवधान) सांगानेर में आपकी सरकार बना दे, तो बना दीजिए।

श्री मोहनलाल गुप्ता : अगर आप यह कहते हैं कि कहीं भी बन जाये तो सांगानेर में बना देंगे हम।

मोहम्मद माहिर आजाद : मैं निवेदन करना चाहता हूं आप अपने अभिभाषण और उत्तर में बताते कि आपने एक साल में बिजली की दर कम क्यों नहीं की अगर हमने गलत बढ़ाई थी तो। आपने कितने इलेक्ट्रोनिक मीटर बदले, आपने कितना मेगावाट बिजली का उत्पादन किया? उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं, माननीय शिक्षा मंत्रीजी, क्या आज तक कांग्रेस के शासनकाल में कभी जुलाई में पावर कट हुआ?

श्री धर्मपाल चौधरी : पैट्रोल डीजल के लिये रोज कहते थे जब यहां बैठते थे।

मोहम्मद माहिर आजाद : पावर कट होता था नवम्बर, दिसम्बर, जनवरी में जब गेहूं और सरसों की फसल होती थी। आपने जुलाई में पावर कट कर दिया। आपने टी. एण्ड डी. लोसेज को कम करने की बात कही थी। क्या यह सही नहीं है कि आपके शासनकाल में टी. एण्ड डी. लोसेज बढ़े हैं। मैं कहना चाहता हूं कि जरा वास्तविकता से तो आप राजस्थान की जनता और इस माननीय सदन को अवगत कराने का काम करें।

आपने महामहिम राज्यपाल से यहां जो अभिभाषण दिलाया इसमें आपने कहा कि पुष्कर में फूल मण्डी बनाई जाएगी, सोजत में मेहंदी मण्डी बनाई जाएगी। नागौर में मेहंदी मण्डी बनाई जाएगी। क्या पुष्कर में आज से गुलाब के फूल पैदा होने लगेंगे? क्या यह आपके राज में आने के बाद हुआ? क्या सोजत में मेहंदी आज से शुरू हुई है? क्या नागौर में मेहंदी पहले से नहीं हो रही थी? (व्यवधान) मैं इसको गलत नहीं मानता, मैं इसका स्वागत करता हूं।

(मोहम्मद माहिर आजाद)

अच्छा है, बनना चाहिए लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपने कितने काश्तकारों को जिनकी फसल ओलावृष्टि से खराब हुई, जिनकी फसल प्राकृतिक आपदा से खराब हुई उनको फसल बीमा से या कैसे भी कितना मुआवजा दिया? यह तो बताते अगर आप किसानों के हितैषी होते तो।

आपके घड़साना की पोल अभी खुल ही चुकी है। किसान मांग रहे हैं पानी और आप दे रहे हैं लाठी और गोली, इसलिए किसानों के हमदर्द बनने का आप यह नाटक मत कीजिए। यह मगरमच्छी आंसू मत बहाइये। अगर वास्तव में आप चाहते हैं किसान को उसकी उपज का पूरा मूल्य देना और प्राकृतिक आपदा से उसकी फसल नष्ट हो जाए तो उसको मुआवजा देने का कानून आप हरियाणा के पैटर्न पर बनाने का काम कीजिए, यह मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : समाप्त कीजिए।

मोहम्मद माहिर आजाद : अभी थोड़ी देर में कर रहा हूं। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, अभी सीकर से आने वाली माननीया सदस्या, माननीय चिकित्सा मंत्रीजी को बधाई दे रही थीं। निश्चित रूप से चिकित्सा मंत्रीजी सुनामी पीड़ितों के लिए चिकित्सकों की टीम लेकर गए और कल भी आपने भाटिया अस्पताल में एक महिला को आपरेशन करके गांठ निकाली। निश्चित रूप से यह बधाई का काम है, इसके लिए मैं भी आपको बधाई देना चाहता हूं। मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं कि "घर का पूत तो कंवारा डोले और पडौसी के फेरे" इस कहावत को क्यों चरितार्थ कर रहे हो?

राजस्थान के दूर-दराज ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले गरीब किसान और गरीब मरीजों की स्थिति क्या हो रही है? अस्पताल में डाक्टर समय पर नहीं मिलते हैं। गांवों में पूरे डाक्टर नहीं हैं। कितने गाइनोकोलो जिस्ट आपने लगा रखे हैं, कितने सर्जन वहां हैं, कितना आपने स्ट्रेन्थ कर रखा है? मेडिकल डिपार्टमेंट के अन्दर कितने पद खाली पड़े हुए हैं और कब से खाली पड़े हैं?

शिक्षा मंत्रीजी ने घोषणा कर दी इतने सारे स्कूल खोल दिए, इतने सारे क्रमोन्नत कर दिए। शिक्षा मंत्रीजी, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि स्कूल

(मोहम्मद माहिर आजाद)

खोल देने के कायदे-कानून बना दने से नियमों मं संशोधन करने से भला होने वाला नहीं है, जबकि आपकी नीयत साफ नहीं है। अध्यापक नहीं हैं। मैंने आपको चिट्ठी लिखी कि मेरे यहां अनार देवी कन्या सैकण्डरी माध्यमिक विद्यालय में केमिस्ट्री के अध्यापक का पद पिछले डेढ़ साल से खाली पड़ा है, छात्राएं टी.सी. लेकर अलवर जा रही हैं। अपने वहां केमिस्ट्री का टीचर लगाना तो दूर मेरी चिट्ठी का आज तक आपने जवाब नहीं दिया। कम से कम आपसे तो ऐसी उम्मीद नहीं की जा सकती थी।

मैंने आपको एक हुडकीदला सैकण्डरी स्कूल के लिए लिखा कि अंग्रेजी के अध्यापक की आवश्यकता है, प्रधानाध्यापक का लिखा हुआ दिलाया। मुझे दस दिन बाद, जब मैं गया तो मुझे पता पड़ा, धोती पकड़कर संस्कृत के पण्डित जी चले आ रहे हैं। मांग रहे हैं अंग्रेजी का अध्यापक और भेज रहे हैं संस्कृत का और हिन्दी का। आप इन स्कूलों को कैसे चलाना चाहते हैं, कैसे आप इन स्कूलों को स्ट्रेन्थन करना चाहते हैं?

इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि असत्य वाहवाही लेने के लिए, राजनीतिक लाभ लेने के लिए, माननीय खाद्य और आपूर्ति मंत्रीजी ने घोषणा कर दी कि जो छात्र शिक्षा अर्जन के लिए यहां पढ़ रहे हैं हम उन्हें खाना बनाने के लिए कैरोसिन देंगे। मैं पूछना चाहता हूं खाद्य मंत्रीजी यहां एक भी नाम बता दें एक भी छात्र को अगर आपने कैरोसिन दिया हो तो जरा बता दीजिए। फिर ऐसी राजशाही घोषणा क्यों करते हो, जिन पर आप अमल नहीं कर सकते। आपको वही बात कहनी चाहिए जिस पर आप अमल करें।

अभी नाथूसिंहजी एक शेर सुना रहे थे, मैं भी आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं। "संख्या बल पर मत जाइये संख्याएं बदलती रहती हैं" आप स्थिति उठाकर देख लीजिए कोई ऐसा नहीं है जो चुनाव में नहीं हारा हो। अटलजी भी हारे, गहलोत साहब भी लोक सभा का चुनाव हारे। आपकी महारानी वसुन्धराजी भी हमारे बनवारी लालजी शर्मा से 93 में धौलपुर से एम.एल.ए. का चुनाव हारीं। कोई ऐसा नहीं है। संख्या अदलती बदलती रहती है। 120 पर घमंड कर रहे हो, 120 ज्यादा था या 156 ज्यादा हैं, यह बताइये जरा?

इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि मारवाड़ी में एक कहावत है

"जो हौवे घमंडी वो बेगो हौवे खण्डित" एक शायर ने सही शेर कहा है

खमे आसमां का नजारा करो तुम
जमाने में झुककर गुजारा करो तुम
और झुकेगा वही जिसमें कि जान है
अकड़ तो खाली मुर्दे की पहचान है"।

इसलिए फ्लेक्सिबिलिटी लाइये। अगर हम भी आपको सही बात कहते हैं कि यह जन विरोधी है, तो आपको सुधार करना चाहिए। आपको कोई कल्याणकारी काम अगर हम बताएं तो आपको उसको मानना चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष : शेर कहने के बाद तो आखिरी...(व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : एक और कह दूंगा, ऐसी कोई बात नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : शेर तो आखिरी में कहते हैं।

मोहम्मद माहिर आजाद : मैं एक शेर और आपको कह दूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : हां, एक शेर और कह दीजिए।

मोहम्मद माहिर आजाद : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आप प्रजातंत्र की बात करते हैं, आप लोकतंत्र की बात करते हैं, मैं पूछना चाहता हूं, कम से कम आपको उन कारणों का भी महामहिम राज्यपाल से हवाला दिलाना चाहिए था, आखिर आपने संवैधानिक बाध्यता के चलते कांस्टीट्यूशनल कांसप्रिरेसी हो रही थी, आपकी लीगल बाउंडने हो गई थी। जब जाकर छह महीने पूरे हो रहे थे, तब आखिरी दिन आपने विधान सभा का सत्र बुलाया। कम से कम जिनको आप महारानी कहते हो, जिनको आप महालक्ष्मी कहते हो, भवानी कहते हो उनके मुंह से तो गलत बात मत कहलवाइये। यहां पर 4 जुलाई को मुख्य मंत्रीजी ने कहा था कि नवम्बर में विधान सभा का एक सत्र बुलाएंगे तब विधायकों का भत्ता-वत्ता उसका काम होगा। नवम्बर में क्यों नहीं बुलाया? छह महीने जब आपका पूरा काम हो गया, आज राजस्थान के इतिहास में 50-55

सालों में ऐसा कभी नहीं हुआ जब 6 महीने में सत्र नहीं हुआ हो, विंटर सैशन नहीं हुआ हो। आखिर क्या मजबूरी थी, आप क्यों विधान सभा से बचना चाहते हैं, क्यों आप हम लोगों को हमारी बात कहने का अवसर प्रदान नहीं करना चाहते?

मैं अन्त में आपसे निवेदन करता हूं, उपाध्यक्ष महोदय, कि अभी भी समय रहते आप प्रदेश के पढ़े-लिखे और अनपढ़ प्रशिक्षित नौजवानों को रोजगार देने का काम कीजिए। जो वादा आपने किया, उस हिसाब से दीजिए।

शिक्षा मंत्री बनने के बाद माध्यमिक और उच्च माध्यमिक, कालेज और विश्वविद्यालय के छात्रों की कितनी फीस बढ़ा दी? कोई छात्र डीडवाना में टंकी पर चढ़ रहा है तो कोई कहीं आन्दोलन हो रहा है। कहीं आपके मुख्य मंत्रीजी का पुतला जलाया जा रहा है, कहीं आपका जलाया जा रहा है। हमको यह चीजें अच्छी थोड़े ही लगती हैं।

आपने कहा था कि हम पैराटीचर्स को नियमित कर देंगे, आपने एक भी पैराटीचर को नियमित करने का काम किया है? मुझे बताइये, कोई बात जो आपने कही थी उस पर कितना अमल किया है? इसलिए जब तक आप अपनी घोषणाओं को अमली जामा नहीं पहनाएंगे, उसमें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है।

कल यहां सुमरेपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने बोला, यह कह रहे थे कि फलां के यहां पंचायत चुनाव में वह जीता, ढिमके के चुनाव में वह जीता, कांग्रेस हार गई, "मीठा-मीठा हप और कड़वा-कड़वा थू" आपको जो अच्छा लगा वह बता दिया। मेरी भी सुनिए (व्यवधान) मंत्रियों का ग्राफ गिर गया। एक भी पंचायत समिति में भाजपा को बहुमत नहीं मिला। जरा नाम सुनिए। घनश्याम तिवाड़ी सांगानेर, नरपतसिंह राजवी चित्तौडगढ़, कनकमल कटारा सागवाड़ा, दिगम्बर सिंह कुम्हेर, युनूस खान डीडवाना, किरोड़ी लाल मीणा सवाईमाधोपुर, महावीर जैन टोंक, प्रभुलाल सैनी उनियारा, रामनारायण डूडी बिलाड़ा, वीरेन्द्र मीणा लालसोट, अमराराम बालोतरा, गजेन्द्र सिंह नागौर, खेमाराम सुजानगढ़, उषा पूनिया मूंडवा, बाबूलाल वर्मा केशोरायपाटन, भवानी

(मोहम्मद माहिर आजाद)

सिंह राजावत लाडपुर। यह आपके साल भर की रिपोर्ट है, प्रगति रिपोर्ट है कि आपने कितना अच्छा काम किया है। उसके चलते आपको क्या परिणाम मिला है। क्या यह गलत है? हमने जिला प्रमुख भी हमारा बनाया।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर) : आपकी रिपोर्ट भी सुन लें, अशोक गहलोतजी का क्या हुआ? (व्यवधान)

डा. दिगम्बर सिंह (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री) : आपकी सूचना गलत है।

श्री मदन राठौड़ : जहां से माहिर आजाद है वहां क्या हुआ, यह तो पूछिए। वहां कांग्रेस हारी। नगर में कांग्रेस हारी और निर्दलीय जीता। कांग्रेस की दुर्गति हुई है, यह क्यों भूल रहे हैं? यह आपको ध्यान में नहीं है। (व्यवधान)

श्री अमराराम चौधरी (गृह राज्य मंत्री) : हम तो जीतकर आए हैं प्रधान से।

श्री मदन राठौड़ : अपने गिरहबान में झांककर देखिये जहां से आप जीतकर आए हो, क्या दुर्गति हुई है, यह तो बताइये, दूसरे की ओर देख रहे हो। (व्यवधान) फिर दूसरे की तरफ देखना, आपके यहां निर्दलीय जीता था।

मोहम्मद माहिर आजाद : निर्दलीय को जिताया।

श्री मदन राठौड़ : आपकी कांग्रेस का क्या हुआ, यह बताइये, आपकी पार्टी की दुर्गति...(व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : आपको बोलने का हक नहीं है।

श्री मदन राठौड़ : आपकी पार्टी की दुर्गति हुई है आपके नगर के अन्दर।

डा. दिगम्बर सिंह : इुडी साहब ने सही कहा था, कभी कभार... (व्यवधान) कुम्हेर में प्रधान निर्विरोध बना, कांग्रेस का एक कैंडिडेट सामने खड़े होने वाला नहीं था।

मोहम्मद माहिर आजाद : बी.जे.पी. का नहीं था। (व्यवधान)

डा. दिगम्बर सिंह : उप प्रधान बी.जे.पी...(व्यवधान)

श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा) : सूरतगढ़ की लिस्ट और दे दो।

मोहम्मद माहिर आजाद : मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आखिर हमको उन तथ्यों पर भी जाना पड़ेगा, यह भारतीय जनता पार्टी कहां से शुरू हुई है। गोवा में आपका अंत हो गया......(व्यवधान) अब आपका जाने का नम्बर आता है। (व्यवधान)

श्री ओम बिरला : लोकतंत्र की हत्या करने वाले लोगों, जिस तरीके से सरकार गिराने के लिए... (व्यवधान) 1975 में आपने किया। गोवा में किया आपने । (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : अब आप सब जगह से जा रहे हो। गुजरात से भी जाने वाले हो। (व्यवधान) मैं आपके भाषण में बोला था क्या?

श्री रामप्रताप कासनिया : चलो दोस्ती में पकड़ लिया, चलो माफ किया। यह कह रहे हैं कि दोस्ती में पकड़ लिया, माफ किया।

मोहम्मद माहिर आजाद : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहता हूं, अमरारामजी, प्लीज, एक मिनट। आप खतम कर लेने दीजिए मेरा भाषण।

एक माननीय सदस्य : आप तो कांग्रेस से एम.एल.ए. भी रहे हो।

श्री मदन राठौड़ : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह बुखार से पीडित हैं। अब इनको माफ करो और इनको बैठाओ। (व्यवधान)

श्री गजेन्द्र सिंह : आपने नागौर और मूण्डवा का बोला है, मूण्डवा में क्या हुआ? मूण्डवा में हमारा निर्विरोध जीतकर आया प्रधान । (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : आप करेक्ट कर लीजिए।

श्री गजेन्द्र सिंह : और नागौर के अन्दर निर्दलीय को हमने जिताया। आपने नागौर और मूण्डवा का बोला है। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : करेक्ट कर लीजिए। (व्यवधान)

श्री गजेन्द्र सिंह : मूण्डवा में क्या हुआ, यह आप बताइये। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, गलत सूचनाएं नहीं देनी चाहिए। (व्यवधान)

श्री मदन राठौड़ : मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि यह भरमा गये हैं, बुखार से पीडित हैं, यह भरमा गये हैं। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आखिर राजस्थान में एक साल पहले बनी सरकार की यह स्थिति क्यों हुई। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार को कहना चाहता हूं कि एक स्वयंसेवी संगठन और उसके मुखिया यह कहें कि सत्ता और संगठन में तालमेल होना चाहिए। मुख्य मंत्रीजी को डिक्टेट करें कि आप जैसा, आर.एस.एस. कहे, वैसा करो और एक स्वयंसेवी संगठन का मुखिया यह बात कहकर कि हम दो और हमारे .....(व्यवधान)

श्री ओम बिरला : यह थोड़ा-बहुत आपके घर में देखो, आपके घर में (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : यह कहकर राजस्थान को कहां ले जाना चाहते हैं?

श्री ओम बिरला : यह बात आपने कल तो सदन के पटल पर कही है। कल सदन के पटल पर कही है आपने। (व्यवधान)

श्री हेमराज मीणा : यह गलत कह रहे हो। गलत बयानी कर रहे हो, इसके अन्दर. (व्यवधान)

श्री ओम बिरला : गलत बयान कर रहे हो।

श्रीमती राजकुमारी शर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, इनको बोलिये कि यह किसी के भी आन्तरिक रूप से नहीं बोलें। यह क्यों बोलते हैं ऐसा? आपको कभी कांग्रेस वालों ने...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री जुबेर खान : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह क्या है? हमें नहीं बोलने देंगे? (व्यवधान)

श्री कन्हैयालाल मीणा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, क्या यह परिवार नियोजन में विश्वास रखते हैं और अपनी जाति के सदस्यों से, ऐसे लोगों को जो परिवार नियोजन ..(व्यवधान)

श्री बंशीलाल खटीक : यह अपनी औकात में रहकर बोलिये, यह कहिये इनको।

श्री उपाध्यक्ष : आप अपना स्थान ग्रहण कीजिए। स्थान लीजिए।

श्री बंशीलाल खटीक : यह ऐसा नहीं बोलें, यह अपनी औकात में रहकर बोलें।

श्री उपाध्यक्ष : बीच में नहीं।

श्री बंशीलाल खटीक : यह अपनी औकात में रहकर बोलें।

श्री जुबेर खान : आसन पैरों पर है।

श्री मोहनलाल गुप्ता : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के सर-संचालकजी ने बात सही कही है कि 1881 में हमारे देश में मुसलमानों का प्रतिशत जनसंख्या का दस प्रतिशत था और आज 20 प्रतिशत हो गया। (व्यवधान)

श्री जुबेर खान : यह कैसे बोले जा रहे हैं यह ? (व्यवधान)

श्री मोहनलाल गुप्ता : यह सही बात है, गलत बात नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : बैठिये।

श्री मोहनलाल गुप्ता : मैं यह कह रहा हूं कि जनसंख्या में असन्तुलन बढ़ रहा है यह (व्यवधान) क्या गलत कहा है?

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप अपना स्थान ग्रहण कीजिए। (व्यवधान) आप बीच में नहीं बोलिये। आप अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

श्री महीपाल सिंह यादव : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह +++ हैं, नहीं मानेंगे बिलकुल भी। (व्यवधान)

श्री बंशीलाल खटीक : +++ । (व्यवधान) साम्प्रदायिकता तो आप भड़का रहे हो। (व्यवधान) यह इन्होंने जो भी बात कही है यह आर.एस.एस. के मुखिया को बदनाम करने की साजिश रची गयी है तो इनको अपनी +++ में रहने की, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हिदायत दें, नहीं तो हमारे पास भी बोलने के लिए सब कुछ है। (व्यवधान)

श्री महीपाल सिंह यादव : यह साम्प्रदायिकता की बात कर रहे हैं । माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इन +++ को रोको। (व्यवधान)

श्री जुबेर खान : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह सदन में हमेशा (व्यवधान)

श्री बंशीलाल खटीक : यह व्यवस्था मुल्क की तकदीर बदल देगी, यह कहा था। यह सदन को गुमराह करना चाहते हैं । (व्यवधान)

श्री रामप्रताप कासनिया : इस तरह से बोलने से ढोलकी नहीं भरी जाएगी।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप विराजिये।

श्री बंशीलाल खटीक : उपाध्यक्ष महोदय, सुदर्शनजी ने क्या कहा? माननीय सुदर्शनजी ने यह कहा कि हिन्दू, मुसलमान एकता मुल्क की तकदीर बदल देगी, यह कहा है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य आप बैठिये।

श्री ओम बिरला : उपाध्यक्ष महोदय, बानसूर से आने वाले माननीय सदस्य ने राजसमन्द से आने वाले माननीय सदस्य को टिप्पणी की है +++ की, वह बहुत महत्वपूर्ण टिप्पणी है, उसको सदन की कार्यवाही से निकालना चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष : आप अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

श्री बंशीलाल खटीक : यह स्वयं +++ है।

श्री उपाध्यक्ष : आप अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

श्री ओम बिरला : माननीय सदस्य बानसूर यह टिप्पणी कर यह प्रमाणित करना चाहते हैं कि यह ...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री ओम बिरला : अगर यह संसदीय भाषा है +++ तो राजसमन्द का विधायक है।...(व्यवधान) इस टिप्पणी को निकाला जाना चाहिए।

श्री बंशीलाल खटीक : आप +++ हो।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, राजसमन्द से आने वाले माननीय सदस्य। माननीय सदस्य, यह देख लेंगे, आप अपना स्थान ग्रहण कीजिए। माननीय सदस्य, आप अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

श्री ओम बिरला : यह उत्तर प्रदेश और बिहार का जैसा इसे बनाना चाहते हैं।

श्री बंशीलाल खटीक : जो शांति से सदन चल रहा था उस गरिमामय सदन में इन्होंने ऐसी बात कहकर ऐसे साम्प्रदायिक लोग यहां बैठे हुए हैं, इन्होंने साम्प्रदायिकता बिगाड़ी है। (व्यवधान)

श्री महीपाल सिंह यादव : कोई असंसदीय नहीं है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय।

श्री बंशीलाल खटीक : इनको जीने का अधिकार खाली हिन्दुस्तान में ही है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप अपना स्थान ग्रहण कीजिए। माननीय माहिर आजाद । (व्यवधान) क्या कहा है?

श्री ओम बिरला : राजसमन्द के सदस्य के बारे में जो टिप्पणी की है कि यह+++ हैं।

श्री उपाध्यक्ष : ऐसा नहीं है कि..(व्यवधान)

श्री ओम बिरला : यह टिप्पणी की है, यह सदन की कार्यवाही से निकाली जाए। (व्यवधान)

श्री बंशीलाल खटीक : हमें +++ बताया जा रहा है तो यह +++ है, यह +++ है, यह +++ है। सबसे ज्यादा साम्प्रदायिक यही है। हमें यदि +++ बताया जाता है तो आप लोग सबसे बड़े +++ इस हिन्दुस्तान में +++ हो। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री जुबेर खान : पाइंट आफ आर्डर है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आई एम आन ए पाइंट आफ आर्डर।

श्री उपाध्यक्ष : एक सैकण्ड।

श्री ओम बिरला : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हम पहली बार सदन में आये हैं और जिस तरीके से वरिष्ठ सदस्य यहां पर टिप्पणी करते हैं........ (व्यवधान)

श्री महीपाल सिंह यादव : यह कोई असंसदीय नहीं है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने अपनी उदारता का परिचय दिया है इनको। यह कोई असंसदीय नहीं है। (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : आपने कहा कि आप +++ यह असंसदीय है या नहीं है? (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : यह प्रोसीडिंग्स देख लीजिए अगर यह कहा हो तो, मैं चैलेंज देता हूं आपको, आप प्रोसीडिंग्स देख लीजिए. सरकारी मुख्य सचेतकजी, गलत बयानी मत कीजिए। अगर यह बात मैंने कही हो तो मैं इस्तीफा देने के लिए तैयार हूं। (व्यवधान)

श्री जुबेर खान : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आप हाउस को आर्डर में लाइये। मेरा व्यवस्था का सवाल है।

मोहम्मद माहिर आजाद : मैं पढ़ा लिखा आदमी हूं। आप जैसा नहीं हूं।

श्री बंशीलाल खटीक : +++ कहने वालों, अपने गिरहबान में झांककर देखो, आप कितने हिन्दुस्तान के हिमायती हो। हमें +++ कहने से पहले अपने गिरहबान में झांककर देखो, कितने आप हिन्दुस्तान के हिमायती हो। हम जानते हैं। और यदि हिन्दुस्तान में रहना होगा तो वंदे-मातरम जरूर बोलना पड़ेगा। (व्यवधान)

श्री ओम बिरला : वह शब्द भी जांच कर लें जो महावीर प्रसाद जैन साहब ने कहा है, इसकी भी जांच कर लें।

श्री संयम लोढ़ा : उपाध्यक्ष महोदय, जांच करा लें इस बात की कि ये हैं कि नहीं हैं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, माननीय सदस्य । (व्यवधान) माननीय सदस्य, यह कार्यवाही देखकर जो भी कोई ऐसी भाषा कही है इसमें इसको नहीं लिया जाएगा। आप इसमें निश्चित रहिये। फालूत में उत्तेजित होने की आवश्यकता नहीं है। कोई गलत चीज इसमें नहीं आयेगी। आपको विश्वास रखना चाहिए।

डा. बुलाकीदास कल्ला : दोनों तरफ से ही।

श्री उपाध्यक्ष : दोनों तरफ से ही देखकर करेंगे। (व्यवधान)

श्री जुबेर खान : उपाध्यक्ष महोदय, आई एम आन ए पाइंट आफ आर्डर । (व्यवधान)

श्री बंशीलाल खटीक : इनको भविष्य के लिये हिदायत दी जाए कि ऐसा नहीं बोलें। (व्यवधान) हम भी देखेंगे । (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा : उपाध्यक्ष महोदय, आप तो इस बात की जांच करा लेवें कि +++ हैं कि नहीं हैं ये। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : इसकी जांच करा लें और यह कोना वास्तव में गड़बड़ है। (व्यवधान)

श्री जुबेर खान : उपाध्यक्ष महोदय, हमारे नियमों में यह स्पष्ट है कि जब कोई माननीय सदस्य उठ कर खड़ा होगा तो वह चेअर की तरफ एड्रेस करेगा। यह आज सुबह से देखने में आ रहा है कि कुछ सत्ता पक्ष के माननीय सदस्य खड़े होकर बोलने वाले माननीय सदस्य की तरफ सीधे और जोर-जोर से और डराने धमकाने की भाषा इस्तेमाल करते हैं। मेरा निवेदन है कि सदन 4 साल आगे चलना है, आप ऐसी परम्परा डालिये जो इस सदन की रही है। आज अगर मैं बोलूंगा, अगर मैं गलत बोलता हूं तो चेअर को पूरा अधिकार है एक्सपंज करने का और प्रताडित करने का। जब मुझे हक है बोलने का, मैं अपनी सीमाओं में संसदीय भाषा में अपनी बात कह रहा हूं या कोई आरोप लगा रहा हूं तो सत्ता पक्ष के माननीय सदस्य का जब नम्बर आये तब अपनी बात कह सकते हैं, स्पष्टीकरण दे सकते हैं। यह बार-बार उठाकर... (व्यवधान)

श्री ओम बिरला : उपाध्यक्ष महोदय, प्रतिपक्ष के सचेतकजी, यह तय कर लीजिए, प्रतिपक्ष जो कर रहा है...(व्यवधान) अपने सदस्यों को संयम बरतने की सलाह दें। (व्यवधान)

श्री जुबेर खान : और अगर यही परम्परा रही है तो आप तय कर लीजिए। (व्यवधान) उपाध्यक्ष महोदय, यह तय कर लीजिए, हमारा भी यही रहेगा। (व्यवधान) यदि सदन के समय को बर्बाद किया है तो इन लोगों ने

(श्री जुबेर खान)

किया है। यह मानते नहीं. आप आसन पर खड़े रहते हैं और ये लोग खड़े होकर बोलते रहते हैं। (व्यवधान) आप व्यवस्थित कीजिए हाउस को।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य । माननीय सदस्य, माननीय जुबेर खानजी । (व्यवधान)

श्री जुबेर खान : अगर दोनों ही तरफ से कोई असंसदीय भाषा की गयी है तो उसे एक्सपंज कराइये। आप आगे की व्यवस्था कीजिए। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आपने जो बात कही है....(व्यवधान) आपने जो बात कही है, सदन की यह परम्परा रही है..(व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, लैट मी कम्प्लीट। मुझे कनक्लूड करने दीजिए। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : सदन के नियम बने हुए हैं। अगर कोई भी सदस्य बोलेगा तो आसन की तरफ इशारा करके बोलेगा और सभी सदस्यों से अनुरोध है कि इसकी पालना करें। दोनों तरफ से ही कभी-कभी थोड़ी ढील हो जाती है। इसलिये हमारा यही निवेदन है कि सदस्य नियमों का पालन करें, एक दूसरे से उलझने की आवश्यकता नहीं है। जो कोई भी ऐसी भाषा, जिस किसी भी सदस्य ने कही है वह प्रोसीडिंग्स देखकर उसमें से हटा दी जाएगी । (व्यवधान) अब समाप्त कीजिए।

मोहम्मद माहिर आजाद : उपाध्यक्ष महोदय, समाप्त कर रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष : आखिर में एक शेर कह दीजिए आप। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : मैं कनक्लूड कर रहा हूं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, अध्यक्षीय व्यवस्था यह थी, अलग-अलग दलों को समय दिया गया था, कांग्रेस पार्टी को जितना समय दिया गया था उसमें से अधिकांश सी.पी. जोशी साहब ने पूरा कर लिया है। अब आप इन्हीं को मौका देंगे तो हमारे भी कई माननीय सदस्य, हमारा समय बाकी है।

मोहम्मद माहिर आजाद : अब यह आसन का काम है, आपका काम नहीं है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आप इनको यह तो कहें, संयमित भाषा में तो बोलें। राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बोलें। बोल कहां रहे हैं आप? (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : आप मेरे मुंह में शब्द नहीं डाल सकते हैं। मेरी जो इच्छा होगी वह बोलूंगा। आसन का काम है उसको निकालना और सही करना। यह आपका काम नहीं है। मैं आपके सिखाये में नहीं बोलूंगा। (व्यवधान)

श्री जुबेर खान : उपाध्यक्ष महोदय, बैठाइये इन लोगों को । (व्यवधान)

श्री ओम बिरला : हम तो आपको अच्छा सदस्य बनने की सलाह दे रहे हैं। और अगर इसी भाषा के अन्दर, अमर्यादित रूप से इस सदन में रहना है तो राजस्थान की जनता फैसला करेगी इसका। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, माननीय सदस्य, माननीय सदस्य।

श्री जुबेर खान : संसदीय कार्य मंत्री, अपनी जिम्मेदारी का भी निर्वहन करिये। इनको भी थोड़ा समझा दीजिए।

मोहम्मद माहिर आजाद : ये इनके बस में नहीं हैं। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आप वरिष्ठ सदस्य हो, थोड़ा आप तो गरिमा का ध्यान रखो। (व्यवधान)

श्री ओम बिरला : सचेतक महोदय, आप अपने सदस्यों को भी समझाएं। सचेतक महोदय, आप भी गरिमा का ध्यान रखने के लिये अपने सदस्यों को समझाएं। (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा : राठौड़ साहब, हमने उपाध्यक्ष महोदय से निवेदन कर दिया है कि +++ हैं कि नहीं हैं, इसकी वे जांच करा लेंगे। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, माननीय सदस्य । (व्यवधान)

श्री बंशीलाल खटीक : कांग्रेस का काम है हिन्दू और मुस्लिम झगड़ा कराने का। (व्यवधान) कांग्रेस का काम हमेशा रहा है हिन्दू मुस्लिम झगड़ा कराया और हमेशा मुसलमानों के वोटों पर राज करती रही और हिन्दू मुसलमानों को लड़ाती रही। (व्यवधान) जब तक हिन्दू मुसलमान लड़ते...(व्यवधान) तब तक कांग्रेस का राज नहीं हटा है। क्योंकि ये साम्प्रदायिक खुद हैं और मुसलमानों को हिन्दुओं से लड़ाते हैं तभी ये राज करते हैं। यही हकीकत है। (व्यवधान) ये मुसलमानों के हिमायती नहीं हैं, ये मुसलमानों के दुश्मन हैं। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : ये क्या हो रहा है, मैं रोकूं क्या? (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि 273 और 72 में जो व्यवस्थाएं हैं....। (व्यवधान)...

मोहम्मद माहिर आजाद : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे कनक्लूड करने दीजिए पहले।

श्री महावीर प्रसाद जैन : जैसा कि कांग्रेस के मुख्य सचेतक महोदय ने भी कहा है, मैं कहना चाहता हूं इसमें यह व्यवस्था है कि अभिद्रोहात्मक, राजद्रोहात्मक या मानहानिकारक शब्द कोई भी नहीं कहेगा। अपने भाषण के अधिकार का उपयोग सदन के कार्य में बाधा डालने के प्रयोजन के लिये नहीं करेगा। यह अपने यहां व्यवस्था है। अब आप आसन पर विराजमान हैं, श्रीमान माहिर आजाद साहब ने अपने इस अधिकार का प्रयोग इस प्रकार का, मतलब माहौल बनाकर सदन में उत्तेजना पैदा कराने का...(व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : आप तो मुझे पूरा करने दें। (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : अभिद्रोहात्मक और इस प्रकार इसमें यह भी है कि कोई भी उच्च प्राधिकार वाले व्यक्तियों के आचरण पर आक्षेप नहीं करेगा जब तक कि चर्चा में उचित रूप से वह नहीं हो। अब आप आर.एस.एस. के

(श्री महावीर प्रसाद जैन)

सरसंघ चालक ने क्या कहा है, यह विषय, जब वे यहां उत्तर देने के लिये नहीं हैं और इस प्रकार आप सब जानते हैं कि राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के जो उच्च प्राधिकार प्राप्त हैं, उनके बारे में चर्चा करेंगे, उनके बारे में यहां पर उत्तेजना फैलाने की बात करेंगे तो यहां वातावरण क्या होगा। इसलिये मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से कि इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करने में संयम बरतें जिससे सदन का, आप उच्च स्तर बनाये रखें। (व्यवधान)

श्री बंशीलाल खटीक : उपाध्यक्ष महोदय, एक-एक मिनट ।(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य।

मोहम्मद माहिर आजाद : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह नहीं चलेगा। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आपके मुख्य सचेतकजी ने कह दिया। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन कर रहा था, आज जनसंख्या वृद्धि हमारे देश की..(व्यवधान) अब आप सुनें तो सही। यह क्या तरीका हुआ? आप हर बात में कहते रहते हैं..(व्यवधान) आप आसन से कहें।

श्री शंकर सिंह राजपुरोहित : आप जोर से क्यों बोल रहे हो? डांट क्यों रहे हैं? (व्यवधान) उपाध्यक्ष महोदय, ये डांट रहे हैं। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : यह क्या तरीका हुआ, यह बहुत खराब तरीका है।

श्री शंकर सिंह राजपुरोहित : दण्डात्मक शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, डांट रहे हैं ये । (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : जनसंख्या नियंत्रण पर अपने अलग-अलग विचार हो सकते हैं। अब कोई मौलवी साहब यह कहें.....(व्यवधान) कोई भी

संस्था का व्यक्ति.....(व्यवधान) जनसंख्या पर वह कोई बात कहे तो उस पर आप यहां पर यदि चर्चा करेंगे....(व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला : एक साथ दो पाइंट आफ आर्डर नहीं आ सकते हैं।

मोहम्मद माहिर आजाद : आपको यह शिकायत नहीं रहेगी। (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : जनसंख्या के मामले में मुल्ला-मौलवी का एक व्यू है मुल्ला-मौलवी कहते हैं कि आप नसबंदी मत कराओ...(व्यवधान) यह बात सही है।

मोहम्मद माहिर आजाद : आप सुनो, एक मिनट।

श्री महावीर प्रसाद जैन : (व्यवधान) कि इनके कोई सन्तान नहीं है, या एक ही सन्तान होगी, मान लो ये कर रहे हैं....(व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : यह देखो, क्या बात हो गयी? मेरे बीवी-बच्चों तक जा रहे हैं, मैं आपके मां-बाप तक जाऊंगा तब? यह क्या तरीका हुआ? (व्यवधान) मेरे बीवी-बच्चों तक जा रहे हैं । (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : लेकिन किसने क्या कहा उस पर यदि चर्चा होगी तो....

श्री जुबेर खान : आप लोग हाउस को बंद कर दीजिए, नहीं चला सकते हैं तो। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, माननीय सदस्य।

श्री जुबेर खान : कोई भी नहीं मान रहा है आपकी। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : नहीं, सब मानेंगे, आप मानो तो। (व्यवधान)

श्री जुबेर खान : कहां मान रहे हैं? (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : मुझे कहने तो दो। (व्यवधान)

डा. किरोड़ी लाल : मैं एक बात करेक्ट करना चाहता हूं। जो माननीय माहिर आजाद जी गलत बयानबाजी कर रहे हैं, हमारे सवाई-माधोपुर में प्रधान भारतीय जनता पार्टी का बना है, इन्होंने कांग्रेस का बताया है। (व्यवधान) जिला प्रमुख भारतीय जनता पार्टी का बना...(व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : तो वह आप सुधार कर देना।

डा. किरोड़ी लाल : और इन्होंने फूड सप्लाई डिपार्टमेंट के बारे में यह कहा कि कहीं भी किसी छात्र को केरोसिन नहीं मिल रहा है। हमने हर कालेज में, हर स्कूल में अलग से डीलर नियुक्त कर दिये हैं और हर छात्र को केरोसिन अलग से मिल रहा है।

मोहम्मद माहिर आजाद : बहुत अच्छा। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन यह कर रहा था कि आजकल जनसंख्या नियंत्रण हमारे लिये, हमारे राष्ट्र की एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है। सुन तो लो। कम से कम मेरी पूरी बात तो करने दो। आप सुनो तो सही, (व्यवधान) तो इसमें क्या? अलग-अलग विचार हैं।

अनेक माननीय सदस्य : यह सबके लिये लागू है। ...(व्यवधान)

श्री भवानी सिंह राजावत : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माहिर आजाद ने मेरे लाडपुरा के लिये भी बोला है। लाडपुरा में कांग्रेस का प्रधान...(व्यवधान) आपको जानकारी होनी चाहिये। लाडपुरा में जीता है पहली बार...(व्यवधान) भारतीय जनता पार्टी का प्रधान बना है। यह सामान्य ज्ञान ठीक करो आपका। ...(व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : ....(व्यवधान) नाम लेकर जनसंख्या बढ़ाते जा रहे हैं। (व्यवधान)

श्री बंशीलाल खटीक : यह जनसंख्या नियंत्रण हिन्दुओं पर ही लागू होनी चाहिये क्या?....(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, नियंत्रण कीजिये। माननीय सदस्य, आप किस लिये उलझ रहे हो? अपने अलग-अलग व्यूज हैं। अलग-अलग कोई आदमी कह गया तो उससे क्या फर्क पड़ता है। हर आदमी के अलग-अलग व्यूज हैं, कह सकते हैं कोई आदमी। क्या बात है इसके अंदर?....(व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन कर रहा था, आज प्रदेश और देश में जनसंख्या नियंत्रण पर अरबों रूपया खर्च किया। मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि आज अगर शाही इमाम भी यह कहे कि जनसंख्या वृद्धि करो तो मैं उसका विरोध करता हूं। यह चीज स्वीकार्य नहीं है। अगर कोई मुस्लिम विद्वान भी यह बात कहे कि ज्यादा बच्चे पैदा करें तो हम उसका विरोध करते हैं। क्योंकि जुबेरजी और हम जो हैं....(व्यवधान)

श्री भवानीसिंह राजावत : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपत्ति है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : किसलिये बोल रहे हो? कोई विरोध करेगा, आप उसका पक्ष ले रहे हैं, क्या बात है ऐसी?.......(व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : अब यह क्या बात हो रही है? कोई सुनना ही नहीं चाहते हैं । ...(व्यवधान)

श्री भवानी सिंह राजावत : माननीय सुदर्शनजी ने किसी तबके के खिलाफ अपने विचार प्रकट नहीं किये। जिनको अच्छा लगे वह स्वीकार करे। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : आप तो मेरी बात तो कहने दो। आप अपनी कह लेना। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ऐसे तो बस की बात नहीं। कितनी बार....(व्यवधान)

श्री जुबेर खान : महावीरजी, आप सरकार की तरफ से प्रस्ताव लाओ कि दो बच्चों से ज्यादा जिसके भी होंगे उसको सुविधा नहीं दी जायेगी, हम समर्थन करेंगे, आप लेकर आइये प्रस्ताव । कोई नौकरी नहीं मिलेगी, कोई

(श्री जुबेर खान)

चयनित नहीं होगा, कोई सरकारी सुविधा नहीं मिलेगी। आप लाइये प्रस्ताव। अगर हिम्मत है तो लाओ प्रस्ताव, हम समर्थन करेंगे उसका। आप मुद्दा मत बनाइये।

श्री महावीर प्रसाद जैन : सर्वसम्मति से मीटिंग करके सर्वदलीय बैठक...(व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : मैंने उसका प्रस्ताव रखा था। मैंने रखा था वह प्रस्ताव।

श्री महावीर प्रसाद जैन : बिलकुल, यदि आप सब समर्थन करेंगे तो ऐसा प्रस्ताव ले आयेंगे, लायेंगे, लायेंगे। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : यह माननीय सचेतकजी, आपको मालूम है, दो से ज्यादा संतान की बात होते ही सबसे पहले कल्ला साहब को कुर्सी छोड़नी पड़ेगी। आप जो...(व्यवधान) पढ़ाना चाहते हैं यह मसूंबे पूरे नहीं होंगे आपके।

मोहम्मद माहिर आजाद : और महावीरजी जैन का क्या है, घनश्यामजी का क्या है, गुलाबजी का क्या है, आप अपनी ले आओ। हमारे पास किताब है पूरी। आप और मैं उस श्रेणी में नहीं आते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय माहिर साहब, आप समाप्त कीजिये।

मोहम्मद माहिर आजाद : साहब, मेरी बात तो पूरी करने दें। सारा समय तो यूं ही ले लिया। मैं आधा घण्टे में मेरी बात पूरी करूंगा। आधे घण्टे में मेरी बात पूरी करूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : आप क्या कहना चाहते हैं? आप जो कहना चाहते हैं वह समझ गये लोग। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : यह सुदर्शनजी लड़ाई कराकर चले गये हमारे बीच में। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा समय तो

सारा शोर-शराबे में चला गया। मुझे आप आधा घंटे का समय दे दें। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : नहीं-नहीं, एक दो मिनट में समाप्त करें। आप जान-बूझकर शोर-शराबा करवाते हैं तो गलत बात है। (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : अभी तो आप कह रहे थे, समाप्त कर रहा हूं। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : मैंने थोड़े ही किया है। मैंने कोई गलत बात कही हो तो आप रिकार्ड देखना। मैं बहुत सोच समझ कर बोलता हूं। मैंने कोई गलत बात नहीं कही।....(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : थोड़ा बहुत उत्तेजित करते हो आप। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : टाइम पूरा हो गया।

मोहम्मद माहिर आजाद : टाइम पूरा तो आपका हो रहा है। बैठे रहो चुपचाप, बारहवां हो गया, अब आपका तेरहवां होने वाला है। ये रोकेंगे तो मैं तो फिर बोलूंगा ही। (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : किसका करवा रहे हो? (व्यवधान) यह चालीसवां क्यों करवा रहे हो? ...(व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : आपको दावत दूंगा, मीट बनाऊंगा। आओगे ना पक्के आप उसमें ? आओगे न मेरे चालीसवें में, आपको बुलाऊंगा जरूर।

श्री महावीर प्रसाद जैन : मैं तो नहीं चाहता आपके चालीसवें में आऊं। मैं तो नहीं चाहता पर आप अपना चालीसवां क्यों करवा रहे हो?

श्री मदन दिलावर : यह क्या हो रहा है? बुद्धि कहां गयी आपकी? (व्यवधान) क्या बातें कर रहे हो? क्या है यह? (व्यवधान) शर्म नहीं आती क्या?...(व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : चली गयी थी सुबह, रसीद संख्या 7576

(मोहम्मद माहिर आजाद)

में कहां चली गयी थी? .(व्यवधान) सुन सुनकर कैसे बैठे रहे सुबह? जांच कराओ न पट्टे, बेच दिया निरस्त होने के बाद।....(व्यवधान) जांच कराते। बैठ जाओ। ....(व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : आपकी तरह थोड़े ही हैं निकम्मे। ...(व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : हां, सही है।...(व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : सारा खा गये। तीन पूर्व मंत्री फंसे हुए हैं। सी.डी. प्रकरण में तीन-तीन पूर्व मंत्री फंसे हुए हैं। सारे हाथ रंगे हुए हैं भ्रष्टाचार में कांग्रेसियों के। ....(व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : अभी परिवर्तन में आपका नाम हट रहा है। चिंता मत करो आप...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, दो-तीन मिनट में समाप्त कीजिये। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : उपाध्यक्ष महोदय, अगर आप मुझे आधे घण्टे के लिये अलाउ करें तो मैं मेरी बात कहूं और आप अलाउ नहीं करें तो मैं कनक्लूड कर दूं।....(व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी : उपाध्यक्ष महोदय, आपने समय का विभाजन किया था और समय के विभाजन में कांग्रेस पार्टी ने अपने समय से ज्यादा समय ले लिया है। हमारे मैम्बर भी बोलना चाहते हैं इसलिये इसको ठीक प्रकार से आप नियन्त्रित करिये। मैं अपने सदस्यों को नियन्त्रित करना चाहता हूं कि बोलने दीजिये, जो बोलें। वह सुनें एक बार। हां, बोलिये। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा था कि हमारे जितने भी स्कूल खोले हैं, अस्पताल खोले हैं, सड़कें बनाई हैं, पेयजल व्यवस्था यह सारी नाकाफी है, यह सब बेकार है अगर हम जनसंख्या को नियन्त्रित नहीं कर पाये तो। यह जनसंख्या वृद्धि प्रदेश के लिये एक अभिशाप है और इस पर बड़ी-बड़ी कान्फ्रेन्स हुई हैं। मुख्य मंत्रीजी ने स्वयं भी

एम.एल.एज. की इसके ऊपर वर्कशाप करायी। हम उसके पक्षधर हैं। हमने 1985 में फैमिली प्लानिंग अपनाया था। मैंने 1985 में आपरेशन कराया था। इसलिए मुझे दुःख इस बात का हुआ कि कोई भी धार्मिक नेता चाहे वह इस्लामिक विद्वान हो, चाहे वह ईसाई पादरी हो, चाहे किसी स्वयंसेवी संगठन का प्रमुख हो, अगर वह जनसंख्या वृद्धि करने का आह्वान करता है तो वह प्रदेश के और देश के हित में नहीं है। वह गैर-कानूनी है। उसकी निन्दा की जानी चाहिये। राष्ट्र विरोधी है। यह मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं।

एक माननीय सदस्य : राष्ट्रीय अपराध है। ...(व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि मैं एक सटीक और मौके की जो नजाकत है उसको देखकर अपनी बात कर रहा था। राजसमन्द से आने वाले माननीय सदस्य ने कह दिया कि आपका स्थान हिन्दुस्तान में नहीं है, आपका पाकिस्तान में है। मैं कहना चाहता हूं, क्या हकीम अजमल खां को आप भूल गये जिसने इस देश की आजादी के लिये 1932 में 25 लाख रूपये दिये थे? (व्यवधान)

श्री बंशीलाल खटीक : मैंने ऐसा नहीं कहा। मैंने ऐसा कहा ही नहीं।

मोहम्मद माहिर आजाद : क्या, आपने कहा है। क्या अशफाक उल्लाह खां की कुर्बानी को आप भूल सकते हैं? क्या जफर आपको याद नहीं है? मैं इसलिये आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि हम हिन्दुस्तानी मुसलमान हैं, हम हिन्दुस्तान में पैदा हुए हैं, हिन्दुस्तान में जीयेंगे और इनकी छाती पर यह मूंग दलेंगे। हमको कोई पाकिस्तान भेजने वाला नहीं है।

श्री रामप्रताप कासनिया : उपाध्यक्ष महोदय, फैसला हो गया। (व्यवधान)

श्री बंशीलाल खटीक : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इन्होंने ऐसा कहा, छाती पर मूंग दलेंगे। अगर छाती पर मूंग दलने की कोशिश होगी तो इनको भी हम छठी का दूध याद दिला देंगे। मूंग दलेंगे, ऐसा इन्होंने कहा है। इन्होंने छाती पर मूंग दलने को कहा है। (व्यवधान)

श्री रामप्रताप कासनिया : उपाध्यक्ष महोदय, बहुत सुन्दर अवसर आया है। पक्ष और विपक्ष मिलकर इस बात का संकल्प पारित करें कि राजस्थान के अंदर दो बच्चों से ज्यादा कोई पैदा नहीं कर सकता। यह संकल्प पारित करें। पक्ष और विपक्ष मिलकर संकल्प पारित करें कि राजस्थान के अंदर दो बच्चे से ज्यादा, चाहे वह हिन्दू हो, चाहे मुस्लिम हो, यह संकल्प पारित करना चाहिये।

मोहम्मद माहिर आजाद : उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन कर रहा था, मैं यह भी कह रहा हूं..(व्यवधान)

श्री मोहन लाल गुप्ता : उनकी भावना भी यही है कि दो बच्चे से ज्यादा कोई पैदा नहीं करे। कोई भी सम्प्रदाय हो, चाहे वह हिन्दू हो, चाहे मुसलमान हो। यही भावना है। हम भी यह चाहते हैं, कर दें।

मोहम्मद माहिर आजाद : आप तो अभी वकालत कर रहे थे। (व्यवधान) मेरा तो समय यह खा गये आज। हद हो गयी है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, कनक्लूड कीजिये। (व्यवधान)

श्री बंशीलाल खटीक : इन्होंने कहा है, छाती पर मूंग दलेंगे। (व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी : आप एक बार बैठें। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : न तो ये घनश्यामजी की मानें, न राजेन्द्रजी की मानें। यह किसी की भी नहीं मानें। (व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य कह रहे हैं कि उन्होंने यह नहीं कहा है। आप उत्तेजित मत होइये।

मोहम्मद माहिर आजाद : आप प्रोसिडिंग्स में देख लेना। (व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी : हां, हां। उन्होंने यह नहीं कहा है। इसलिये आप माननीय सदस्य कनक्लूड करिये।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य ने कहा कि मैंने ऐसे नहीं कहा तो आपने कहा वह शब्द आप इसके अन्दर वापस लीजिये। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : देख लेना आप। आप प्रोसिडिंग देख लेना। उपाध्यक्ष महोदय, मैं अन्त में यह निवेदन करना चाहता हूं "माई इंडिया", हम यह कहते हैं "अव इंडिया"। "ह" से मतलब हिन्दू और "म" से मतलब मुस्लिम। इन दोनों को मिला दें तो हम बन जाता है। हम दोनों को मिलायेंगे तब इस प्रदेश और देश का विकास होगा। इसलिये इस संकीर्ण विचाराधारा को निकाल दीजिये और हिन्दू और मुस्लिम दोनों मिलकर, सब मिलकर इस देश का और प्रदेश का विकास करेंगे। मैं अन्त में एक शेर सुनाकर, क्योंकि आपने कहा था, शेर से खतम करना, एक शेर सुनाकर अपनी बात खतम करना चाहता हूं। यह प्रदेश की जनता थी जिसने हमको 156 दी थीं, यह प्रदेश की जनता है जिसने आपको 120 दीं। एक शायर ने सही कहा है-

"ओस कहते हैं आसमां को और पस्ती कहते हैं...

श्री राजेन्द्र राठौड़ : यह पांचवीं बार सुना रहे हो आप, दूसरा सुनाओ। पांचवीं बार सुना दिया आपने। पांच बार पहले सुना दिया, दूसरा सुनाओ आप। ......(व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : अच्छा, दूसरा सुन लो।

डा. एन.एस. गुर्जर : नया सुनाओ।

मोहम्मद माहिर आजाद : नया सुनाऊं, दूसरा सुन लो। "छुपा लिया कभी जो सर फूलों में तो पांव जले ना जाने जितने जहन्नुम हैं तुम्हारे शासन तले" । धन्यवाद। जय हिन्द।

श्री उपाध्यक्ष : धन्यवाद । श्री प्रहलाद गुंजल।

श्री संयम लोढ़ा : उपाध्यक्ष महोदय, आन ए पाइंट आफ इन्फोर्मेशन।...(व्यवधान)

(श्री संयम लोढ़ा)

राजस्थान के हजारों नौजवानों ने इस बात की उम्मीद इस सरकार से लगा रखी थी कि शिक्षकों की नियुक्ति पर फैसला होगा। आज सर्वोच्च न्यायालय ने इस पर स्टे कर दिया है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, काहे पर बोल रहे हैं यह?

श्री उपाध्यक्ष : क्या पाइंट आफ इन्फोर्मेशन है?

श्री संयम लोढ़ा : और यह सरकार जानबूझ कर कोई न कोई ऐसी खामी छोड़ देती है जिससे यह शिक्षकों की नियुक्ति का मामला लगातार लटका हुआ है। उपाध्यक्ष महोदय, लम्बे-चौड़े दावे करते हैं, 2004 में मात्र 4500 लोगों की नियुक्ति हुई और अब हजारों शिक्षकों की नियुक्ति का मामला आज फिर अटक गया।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय लोढ़ा साहब।

श्री संयम लोढ़ा : सर्वोच्च न्यायालय ने आज स्टे कर दिया उसको। पूरे राजस्थान के नौजवानों की चिन्ता मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं और मैं आपसे निवेदन करता हूं कि सदन की बैठक की कार्यवाही स्थगित कर आप शिक्षा मंत्रीजी का वक्तव्य दिलवाइये। पूरे राजस्थान के नौजवानों के दिमाग में चिंता है, उनके भविष्य के सपने दम तोड़ रहे हैं और इस सरकार से जो उम्मीद लगायी हुई है...

श्री उपाध्यक्ष : लोढ़ा साहब, ऐसे कोई पहाड़ नहीं टूट रहा है।... (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा : उपाध्यक्ष महोदय, यह सरकार जानबूझकर खामियां छोड़ रही है.....(व्यवधान) शिक्षकों की नियुक्ति का रास्ता साफ नहीं हो।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य । (व्यवधान)

डा. एन.एस. गुर्जर : उपाध्यक्ष महोदय, जब मैटर सब-जुडिस है, उस पर डिस्कस तो नहीं कर सकते।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री संयम लोढ़ा : सब-जुडिस है तो इसकी स्थिति की जानकारी दें शिक्षा मंत्री, क्या हो रहा है....(व्यवधान)....

डा. एन.एस. गुर्जर : मैटर इज सब-जुडिस।

श्री संयम लोढ़ा : राजस्थान के नौजवानों के साथ कुठाराघात कर रहे हो।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : उपाध्यक्ष महोदय, यह बात गलत है।

श्री उपाध्यक्ष : गलत है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : मैं यह कह रहा हूं कि राजस्थान के सभी उच्च न्यायालयों ने जो फैसले किये थे, 586 के करीब याचिकाएं थीं, 586 के करीब याचिकाएं खारिज हो गयीं और सरकार ने जो आर.पी.एस.सी. का फैसला किया था उस फैसले को राजस्थान हाई कोर्ट की दो तो डी.बी. ने, दो अलग-अलग सिंगल बैंचेज ने अपहोल्ड किया।

इस फैसले के खिलाफ नहीं, एक अन्य फैसले के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय में गये, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि आप अपनी नियुक्ति की प्रक्रिया जारी करिये और 28 तारीख को हम अंतिम फैसला कर देंगे। हमने अल्ताफ हुसैनजी को, जो बहुत बड़े वकील हैं, उनको नियुक्त किया है, और वेणु गोपालजी को। कोई चिंतित होने की बिलकुल आवश्यकता नहीं है, प्रक्रिया चालू है, राजस्थान सरकार अपना काम पूरा करेगी।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्री प्रहलाद गुंजलजी।

श्री प्रहलाद गुंजल (रामगंजमण्डी) : उपाध्यक्ष महोदय, तीन फरवरी को राजस्थान की महामहिम राज्यपाल महोदय द्वारा बारहवीं विधान सभा के इस तीसरे सत्र में अभिभाषण पढ़ा गया जिस पर आज चर्चा का तीसरा दिन है। इस अवसर पर चर्चा में भाग लेने का आपने मुझे मौका दिया, मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं।

(श्री प्रहलाद गुंजल)

उपाध्यक्ष महोदय, लगातार दो दिन तक चली इस चर्चा में पक्ष, विपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा अपना-अपना दृष्टिकोण रखा गया। उपाध्यक्ष महोदय, सत्ता पक्ष के माननीय सदस्यों ने सरकार के एक साल के कामकाज को काफी विस्तार से रखा है। वैसे तो चर्चा अभिभाषण में सरकार के एक साल के कामकाज की तस्वीर पर होनी चाहिए लेकिन चर्चा की दिशा राजनीतिक बन गयी है।

अभी कांग्रेस के पक्ष के माननीय सदस्य अपने भाषण के दौरान इस बात की चर्चा कर रहे थे कि राजस्थान की माननीय मुख्य मंत्री और उन्हें कामकाज के बारे में निर्देश दें एक स्वयंसेवी संस्था के प्रमुख। उपाध्यक्ष महोदय, भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, यह कहते समय कांग्रेस के लोगों के मन में इस बात की कल्पना होनी चाहिए कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के प्रधान मंत्री और उनके ऊपर भी कोई सत्ता का केन्द्र दूसरा बन कर रहे, दुनिया क सबसे बड़े लोकतंत्र के लिए इससे बड़ी शर्म की बात कोई नहीं हो सकती। मैं इसको और लम्बा करना नहीं चाहता। अभी फ्रांसीसी लेखक के उस लेख को पूरे राजस्थान की जनता ने अखबारों में पढ़ा, किसके इशारे पर एक अमरीका से आये धर्म गुरू के आगे दक्षिण की एक राज्य की सरकार नतमस्तक होकर काम करती रही, उसके स्वागत सत्कार में क्या-क्या नहीं हुआ। लेकिन यह आज की चर्चा का विषय नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों ने लगातार तीन दिन तक सरकार के कामकाज की आलोचना की है, मैं तो केवल इतना कहना चाहता हूं कि सरकार को 13 महीने हुए हैं, इस लोकतंत्र की विकास यात्रा को 50-55 साल पूरे होने जा रहे हैं और अगर हम लोग ईमानदारी से इस बात का विश्ले.ण करें कि 50-55 साल की इस विकास यात्रा में वर्षवार प्रगति का मापदंड क्या रहा, वर्ष दर वर्ष विकास की प्रगति के आंकड़े राजस्थान के क्या रहे, तो मैं आज विश्वास के साथ कह सकता हूं कि यह पिछला साल राजस्थान के इस लोकतंत्र के इतिहास में स्वर्णिम काल के रूप में जाना जायेगा। इस एक साल के अवसर पर राजस्थान की सरकार ने पानी, बिजली, सड़क, शिक्षा, चिकित्सा जैसे संवेदनशील मुद्दों पर पूरी संवेदनशीलता का परिचय दिया है।

डा. सी.पी. जोशी : भैरोंसिंहजी से भी अच्छा रहा क्या?

श्री प्रहलाद गुंजल : मैं इसकी सफाई अभी देना नहीं चाहता, पांच साल बाद आपसे कहेंगे।

डा. सी.पी. जोशी : आपने कहा, मतलब यही हुआ न, उससे पहले नहीं था?

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आपसे अच्छा राज रहा।

डा. सी.पी. जोशी : यह नहीं कह रहे...(व्यवधान)..... मतलब भैरोंसिंहजी का राज तो रहा ही नहीं स्वर्णिम? मतलब फालतू, बेकार रहा?

श्री प्रहलाद गुंजल : आपके राज से अच्छा रहा।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : हमने सपने नहीं बेचे, हम यथार्थ में जीते हैं। आपने सपने बेचने का काम किया है।

डा. सी.पी. जोशी : यह भैरोंसिंहजी को मालूम था कि आप कैसा व्यवहार करोगे। उन्हें मालूम था। कहना चाहिए कि वह भी राज में काम अच्छा हुआ और उसमें भी अच्छा हुआ। क्यों कम्पेयर करो दोनों को?

श्री प्रहलाद गुंजल : तीन दिनों की चर्चा के दौरान आरोप-प्रत्यारोप का सिलसिला चलता रहा लेकिन ईमानदारी से जिस सच्चाई का विश्लेषण होना चाहिए था, जिसको हम सब जानते हैं उस पर चर्चा नहीं हुई। एक साल पहले राजस्थान में लगातार पांच साल तक कांग्रेस पार्टी का राज था और जब माननीय अशोकजी गहलोत ने सत्ता संभाली, पूरे पांच साल तक राजस्थान का खजाना खाली है, राजस्थान कंगाल है, राजस्थान पर 27 हजार करोड़ का कर्जा है, विकास नहीं करा सके। यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं, उपाध्यक्ष महोदय, कि शासनतंत्र के मुखिया के इस बार-बार बखान को सुन कर राजस्थान की जनता का विश्वास हिल गया। मैं आज धन्यवाद देना चाहता हूं इस मंच से, अगर हम ईमानदारी से विश्लेषण करें तो माननीय मुख्य मंत्री की सबसे बड़ी उपलब्धि यह रही कि पिछले शासनकाल में विरासत में 55 हजार करोड़ रूपये का कर्जा मिलने के बाद भी इस राजस्थान को एक उत्तरदायी शासन देने की

(श्री प्रहलाद गुंजल)

चेष्टा की। समूचे राजस्थान की जनता जानती है 55 हजार करोड़ के कर्जे के बाद भी राजस्थान की मुख्य मंत्री ने कभी इस बात का बखान नहीं किया कि राजस्थान का खजाना खाली है, राजस्थान कंगाल है। सत्ता की बागडोर संभालने के बाद राजस्थान की मुख्य मंत्री ने राजस्थान के जन में इस बात का विश्वास पैदा करने की कोशिश की कि जिस भावना के साथ उत्तरदायित्व राजस्थान की जनता ने सौंपा है, उसको ईमानदारी से पूरा करके दिखायेंगे। और एक साल उदाहरण है इस बात का। खाली विरोध के लिए विरोध करने का दायित्व निभाने वाले लोग भी इस बात को जानते हैं, इस एक साल के काम काज में क्या हुआ। लगातार तीन दिन से तेरह हजार विद्यालयों की बात, शिक्षा के क्षेत्र में कीर्तिमान स्थापित करने की बात सभी सदस्य कर रहे हैं। मैं तो केवल इतना कहना चाहता हूं उपाध्यक्ष महोदय, अभी सिरोही से आने माननीय सदस्य यह सवाल सदन में उठा रहे थे, विद्यालय खोले जाने में पक्षपात हुआ है। उन्हीं की पार्टी के कुछ सदस्यों ने कहा, इसमें पक्षपात नहीं हुआ, सरकार ने विद्यालय उनके क्षेत्रों में खोले।

मैं एक सवाल करना चाहता हूं माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कि तेरह हजार विद्यालय खोलने का कीर्तिमान जो एक साल में स्थापित हुआ उस पर उंगली उठाने वाले लोग अगर इस बात का आत्म चिन्तन करें, आत्म विश्लेषण करें कि इस प्रदेश की सत्ता की बागडोर चालीस-पैंतालीस साल उन लोगों के हाथों में रही और इससे आधी भी संवेदना शिक्षा के क्षेत्र में इस राजस्थान के बारे में बरतते तो यह राजस्थान इस देश में नहीं दुनिया में अव्वल दर्जे का प्रान्त बनकर खड़ा होता। किस मुंह से कहना चाहते हैं? क्या अधिकार है राजस्थान के बारे में चर्चा करने का? आज माननीय मुख्य मंत्री और शिक्षा मंत्री महोदय का आभार व्यक्त करना चाहता हूं, उन्होंने ऐसे ऐतिहासिक क्रांतिकारी निर्णय लेकर राजस्थान को शैक्षणिक शिखर पर पहुंचाने का काम इस साल में किया है। न केवल विद्यालय खोले, पचास साल पुरानी गांव की इस पीड़ा को समझने की कोशिश की है जिसको आज तक किसी ने नहीं समझा।

लोकतंत्र की पचास-पचपन साल की यात्रा के बाद आज समाचार पत्रों में अक्सर समाचार पढ़ने को मिलते हैं, गांव का विद्यालय मंदिर के बरामदे में

(श्री प्रहलाद गुंजल)

चल रहा है, गांव का विद्यालय किसी बरगद के पेड़ की छाया में चल रहा है। पहली बार राजस्थान की किसी सरकार ने इस पीड़ा को, इस वेदना को, गांव के व्यक्ति की, समझने की चेष्टा की और चेष्टा करके न केवल विद्यालय खोले, विद्या के मंदिरों के निर्माण के नाम पर राशि जारी की। क्या हालात थे पहले? विद्यालय में कमरा निर्माण पर कभी कोई एम.पी. के सामने झोली फैलाता था, किसी एम.एल.ए. के सामने और कभी-कभी गांव का व्यक्ति हिम्मत करके साहस करके "अपना गांव-अपना काम योजना" के अन्दर विद्यालय भवन का पैसा देता था। लेकिन पिछली सरकार ने इस योजना का बेड़ा गर्क कर दिया। गांव की जन सहभागिता के आधार पर होने वाले विकास का पहिया रूक गया। मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं माननीय मुख्य मंत्री महोदया का कि गुरु गोलवलकर योजना के नाम से इस योजना को पुनर्जीवित करके ग्राम विकास में आदमी की सहभागिता को पुनर्जीवित करने की कोशिश की। उपाध्यक्ष महोदय, न केवल सरकार ने विद्यालय खोलने और भवन निर्माण की चिंता की, राजस्थान के बच्चों के शैक्षणिक उन्नयन की चिंता की, राजस्थान के बच्चों को अच्छा माहौल मिलना चाहिए, अच्छे अध्यापकों के द्वारा उनका अध्यापन किया जाना चाहिए और इस मंशा से राजस्थान की धरती पर चालीस हजार अध्यापकों की भर्ती का कार्यक्रम बनाया। यह राजस्थान के इतिहास का पहला अवसर होगा जब किसी सरकार ने अपने शासन के पहले साल के अंदर चालीस हजार अध्यापक, छत्तीस हजार साथिन और अन्य विभागों में मिलाकर अस्सी हजार लोगों को नौकरी देने का कार्यक्रम बनाया। लाखों हाथों को काम देने के अवसर पैदा किये सरकारी नौकरियों में।

बिजली के क्षेत्र में कीर्तिमान स्थापित किये। दो दिन जब बिजली पर चर्चा हुई तो किसी ने इस विषय को छेड़ने की कोशिश नहीं की, उपाध्यक्ष महोदय, मैं जानता हूं, मेरे विधान सभा क्षेत्र की एक अजीब प्रकार की पीड़ा है। लोगों ने कहा फीडर रिनोवेशन के कार्यक्रम का क्या हुआ। विद्युत के उत्पाद की स्थिति पर क्या हो रहा है मैं उसकी चर्चा नहीं करना चाहता, सरकार ने कितने जी.एस.एस. खोले, फीडर रिनोवेशन का कार्यक्रम क्या चल रहा है, मैं चर्चा करना चाहता हूं राजस्थान सरकार की नई बिजली कृषि कनेक्शन नीति की। पचास साल के इतिहास में कभी किसी सरकार ने ऐसा नहीं सोचा। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान का पौने दो लाख किसान कतारबद्ध होकर

(श्री प्रहलाद गुंजल)

तत्काल कृषि कनेक्शन के इंतजार में खड़ा है। किसने समझा उसकी पीड़ा को? दस साल के बाद भी अगर उसका नम्बर आए तो कभी 11 हजार कभी 13 हजार के खम्भे की मार और पिछले राज की बढ़ी हुई दरों के झटके। लगातार राजस्थान के किसान के साथ अन्याय होता चला गया। पहली बार राजस्थान की मुख्य मंत्री ने उस किसान के दर्द को समझने की कोशिश की। मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं मानतीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र में खनन का क्षेत्र होने के कारण खेत की एक मेड के किनारे पर पत्थर की इण्डस्ट्री लगती है दूसरी तरफ किसान बोरिंग लगाता है और एक दिन फाइल हाथ में लेकर व्यापारी और किसान बिजली के दफ्तर में। जाते हैं। व्यापारी को दस दिन में कनेक्शन, किसान को दस साल की कतार में तब उसको लगता था कि मेरे साथ सौतेलेपन का व्यवहार होगा और उसके मन में पीड़ा और दर्द पैदा होगा। उस दर्द को समझने की चेष्टा अगर राजस्थान के इतिहास में पहली बार किसी ने की तो राजस्थान की माननीय मुख्य मंत्री वसुन्धरा राजे ने दी और तय कर दिया कि राजस्थान के पौने दो लाख कतार में खड़े किसानों को तीन साल के अन्दर उस कतार को समाप्त करके तुरन्त कनेक्शन की नीति लागू की जाएगी।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इतना ही नहीं किया, मैं गांव का व्यक्ति हूं, मैं जानता हूं, कभी किसी ने कनेक्शन में डेढ़ लाख का एस्टीमेट..

(18.46 बजे)

(डा. एन.एस. गुर्जर, सभापति, पदासीन)

कभी किसी को डेढ़ लाख बिजली के खम्भों की कीमत। और तब गांव का व्यक्ति रोते हुए यह कहता था कि एस्टीमेट के रूप में बिजली के दफ्तर का मेरे पास वह मांग पत्र आया है। (व्यवधान) यह जो मांग पत्र आया है, मेरे घर की सारी जमीन बेच दूं तो...

श्री महीपाल सिंह यादव : अस्सी हजार।

श्री प्रहलाद गुंजल : आप सुन लीजिए। बीच में मत बोलिए। मेरे घर की सारी जमीन बेच दूं तो भी यह कनेक्शन नहीं ले सकता। पहली बार

(श्री प्रहलाद गुंजल)

राजस्थान की मुख्य मंत्री ने यह तय किया कि उस पर खंभे की कीमत का भार नहीं पड़ेगा, एस्टीमेट का भ्रष्टाचार नहीं पड़ेगा और ढाई हजार रूपए हार्स पावर के हिसाब से कनेक्शन लागू करने की नीति चालू कर दी।

श्री महीपाल सिंह यादव : फार्म हाउस में एक एक लाख रूपया लिया।

श्री प्रहलाद गुंजल : वह आपके राज में होता था। (व्यवधान)

श्री कालूलाल गुर्जर : फार्म हाउस वालों के पास पैसा बहुत है। (व्यवधान)

श्री सभापति : नो इंटरप्शन, प्लीज गैट योअर सीट, प्लीज सिट डाउन। माननीय सदस्य, इंटरफियर नहीं करें, बोलने दीजिए, डिबेट चल रही है आप जवाब दे दीजिएगा। (व्यवधान) बैठे-बैठे नहीं। नो कमेंट्स।

श्री प्रहलाद गुंजल : माननीय सभापति महोदय, सही मायने में महामहिम का अभिभाषण सरकार के एक साल के कामकाज का दर्पण है। उपलब्धियों भरा रहा है एक साल और इस एक साल में इन विषम परिस्थितियों में कुशल वित्तीय प्रबन्धन से राजस्थान की मुख्य मंत्री ने जो कीर्तिमान स्थापित किया है, मैं उसकी चर्चा नहीं करना चाहता। प्रतिपक्ष के सदस्य उस बात को स्वीकार करें न करें, दिल्ली में बैठी इनकी सरकार ने स्वीकार किया है। वह आंकड़े पढ़कर सबने इसमें से बताए हैं। प्रोत्साहन राशि के रूप में वित्तीय प्रबन्धन के लिए राजस्थान की सरकार को केन्द्र ने सहायता दी। राजस्थान सरकार के इस वित्तीय प्रबन्धन के कारण योजना का आकार बढ़ाया। यह सब क्या दर्शाता है? यह सब दर्शाता है कि राजस्थान की सरकार ने एक साल में पूरी संवेदना के साथ राजस्थान की जनता के साथ न्याय किया है और इसलिए माननीय सभापति महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि राजस्थान की जनता का इसी काम काज पर एक साल में राजस्थान की सरकार के प्रति विश्वास बढ़ा और इस विश्वास को देखा है राजस्थान की जनता ने। इस सदन में भी चर्चा हुई है।

यह जनता के विश्वास का नतीजा है, लोक सभा, फिर बहरोड़ फिर लूणी फिर स्थानीय निकाय और पंचायत राज के चुनावों में कांग्रेस का

(श्री प्रहलाद गुंजल)

राजस्थान की जनता ने सफाया कर दिया। अभी दो दिन से हिण्डौली के माननीय सदस्य चर्चा कर रहे थे, सरिस्का में बाघ गायब होने लगे, रणथम्भौर में बाघ गायब होने लगे हैं। माननीय सभापति महोदय, लोक सभा, लूणी, बहरोड़, स्थानीय निकाय के राजस्थान की जनता के फैसले के बाद मुझे ऐसा लगने लगा है कि राजस्थान में भी कांग्रेस की हालत ठीक उसी प्रकार से हो गयी जैसी सरिस्का में बाघों की हो गयी। कांग्रेस मरणासन्न स्थिति में आ गयी और इसको स्वीकार कर रहे थे सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य कल अपने भाषण में कि हमारी पार्टी के दस सदस्यों ने पार्टी को छोड़कर विरोध का निर्णय किया। माननीय सभापति महोदय, इस शाश्वत सत्य को हम सब जानते हैं कि डूबते हुए जहाज में कोई बैठना नहीं चाहता। हमारे हाड़ौती में कहते हैं कि जब कोई बीमार बैल मरने लगता है तो उसके शरीर के छीछड़े छोड़कर जाने लग जाते हैं। लोगों का कांग्रेस से मोह भंग हुआ है। उसके जीते हुए सदस्य छोड़ छोड़कर जा रहे हैं। यह इस बात का स्पष्ट संकेत दे रहे हैं कि एक साल के काम काज के आगे कांग्रेस की राजस्थान में हालत पतली हो गयी है।

माननीय सभापति महोदय, अब कांग्रेस के लोग आलोचना का आधार ढूंढ रहे हैं। आरोप लगा रहे हैं कि राजस्थान में अपराध बढ़े हैं। अपराधों के आंकड़े पेश कर रहे थे हिंडौली से आने वाले माननीय सदस्य। मैं सदन के सामने रखना चाहता हूं। बहुत जोर से उन्होंने रखा कि 2000 की तुलना में 2004 में तीन हत्याएं ज्यादा हुईं। डकैती के 11 मामले 2002 की तुलना में 2004 में ज्यादा हुए। लेकिन उन्होंने इस बात का उल्लेख नहीं किया कि हत्या के प्रयास 2002 की तुलना में 2004 में 13 कम हुए। उन्होंने इस बात का उल्लेख नहीं किया कि लूट के 61 मामले कम हुए, अपहरण के 203, बलात्कार के 13 और बलवा जैसी साम्प्रदायिक घटनाओं के 4077 मामले 2002 की तुलना में 2004 में कम हुए हैं। गुमराह करना चाहते हैं, गलत तथ्य पेश करना चाहते हैं, केवल आरोपों की राजनीति करना चाहते हैं। सदन का इस्तेमाल केवल आरोप लगाने के लिये करना स्वच्छ परम्परा नहीं है। नकबजनी के 750 मामले कम हुए हैं। अच्छा होता हिंडौली से आने वाले माननीय सदस्य इस बात का उल्लेख करते। लेकिन जहां तक अपराध बढ़ने का सवाल है, मैं आज इस पवित्र सदन में कहना चाहता हूं, आबादी बढ़ी है,

(श्री प्रहलाद गुंजल)

सामाजिक सोच में बदलाव आया है। हम सब भौतिकता की राह पर भटकते हुए वैश्वीकरण की ओर बढ़ रहे हैं, संस्कृति का ह्रास हुआ है, नैतिक मूल्यों में गिरावट आयी। माननीय सभापति महोदय, अपराध बढ़ना स्वाभाविक है लेकिन यहां चर्चा

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

इस बात की होनी चाहिये कि अपराध घटने के बाद सरकार की उस पर नियंत्रण करने की, उस पर कार्यवाही करने की इच्छा शक्ति किस प्रकार की रही और इन आंकड़ों का विश्लेषण करने से स्पष्ट नजर आता है कि जिस प्रकार का त्वरित निष्पादन परसेंटेज राजस्थान की सरकार का एक साल में रहा, यह अपने आप में एक अनुकरणीय उदाहरण है। और किस मुंह से कांग्रेस अपराधों को लेकर बात करना चाहती है। यह समाज देखता है कि अपराधी जब दिल्ली के सिंहासन पर स्थान पाने में सफल होते हैं, यह समाज देखता है कि शासन तंत्र उनकी सुरक्षा में लग जाता है। यह देखकर समाज की मनोवृत्ति बदलती है।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं, आलोचना होनी चाहिये, समालोचना होनी चाहिये, केवल विरोध के लिये विरोध का तरीका अख्तियार नहीं किया जाना चाहिये। लोकतंत्र में विरोध पक्ष का बड़ा महत्व है। समालोचना शासक वर्ग को दिशा देती है, आत्म विवेचन का अवसर प्रदान करती है और यह चीज केवल लोकतंत्र में नहीं, राजतंत्र के समय हमारे समाज में यह व्यवस्था कायम थी। इस बात का उल्लेख हमारे धर्म ग्रंथ, शास्त्रों में लिखा है कि "निन्दक नियरे राखिये आंगन कुटी छवाय" यह हमारे समाज की धारणा रही है। हमने सदैव निन्दक का सम्मान किया है लेकिन केवल इसलिये नहीं कि निन्दा स्ट्रेटेजी से हो। आलोचना का स्तर स्ट्रेटेजी के आधार पर तय किया जाने लगे, यह लोकतंत्र के लिये स्वच्छ परम्परा नहीं है। दो-तीन दिन के दृष्टिकोण से यह लग रहा था जिस प्रकार का दृश्य हम सदन में देख रहे थे, प्रतिपक्ष का स्वभाव बन गया।

माननीय सभापति महोदय, पिछले एक साल में सरकार ने हर क्षेत्र में कीर्तिमान स्थापित किया है। चाहे वह आदिवासी कल्याण का मामला हो, सरकारी कर्मचारियों के बोनस, भत्ते का प्रश्न हो, चाहे चिकित्सा

(श्री प्रहलाद गुंजल)

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान हो। मैं कनक्लूड कर रहा हूं..

श्री महावीर प्रसाद जैन : सदन का समय आधा घण्टे बढ़ाया जाए।

डा. बुलाकीदास कल्ला : एक घण्टा।

श्री महावीर प्रसाद जैन : एक घण्टे बढ़ाया जाए।

डा. बुलाकीदास कल्ला : सभापति महोदय, मेरा आपके माध्यम से आग्रह है कि बहुत से लोग, ऐसा है कि जिस समय कल सदन में व्यवधान था एक ही एक पक्ष के लोग बोले थे, हमारे माननीय सदस्य 9 आदमी बोलने वाले हैं इसलिये आप 2-3 घण्टे सदन का समय बढ़ाएं, नहीं तो फिर कल 5.00 बजे रिप्लाई होने में व्यवधान हो जायेगा...(व्यवधान)

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री महावीर प्रसाद जैन (सरकारी मुख्य सचेतक) : सदन का समय एक घण्टे के लिये बढ़ाया जाए।

श्री सभापति : क्या सदन की अनुमति है कि सदन का समय एक घण्टे के लिये बढ़ाया जाए?

(स्वीकृत)

सदन की अनुमति से एक घण्टे के लिये समय बढ़ाया गया।

धन्यवाद प्रस्ताव पर वाद-विवाद

श्री प्रहलाद गुंजल : माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन कर रहा था

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

(श्री प्रहलाद गुंजल)

एक साल में सरकार ने काम काज में कीर्तिमान स्थापित किया है...(व्यवधान) हर मानवीय जरूरत को पूरा करने की कोशिश की। अभी प्रतिपक्ष के नाथद्वारा से आने वाले माननीय सदस्य सी.पी. जोशीजी जब भाषण कर रहे थे.. (व्यवधान)

श्री सभापति : समाप्त करिये प्लीज।

श्री प्रहलाद गुंजल : कर रहा हूं, सभापति महोदय।

चिकित्सा के बजट के खर्च के बारे में टिप्पणी कर रहे थे। मैं कहना चाहता हूं, पांच साल तक उन्होंने राज किया शासन में लेकिन पांच साल तक शासन करते हुए उन्होंने कभी राजस्थान के उन वर्गों के बारे में सोचा जो लम्बे रेगिस्तान में जीवन जीते हुए चिकित्सा के अभाव में अपना दम तोड़ देते हैं? आजादी के 50 साल बाद भी चिकित्सा जैसी मानवीय जरूरतों की पूर्ति नहीं की गयी और आज मैं धन्यवाद देना चाहता हूं चिकित्सा मंत्री महोदय को कि उन्होंने एक साल के अन्दर राजस्थान के मरू क्षेत्र में, रेगिस्तान में 461 उप स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाने का कार्यक्रम बनाया। पहली बार लोगों को लगने लगा है कि राजस्थान में कोई सरकार आयी है जो उसकी मानवीय जरूरतों का ध्यान रख रही है। राजस्थान में कोई सरकार आयी है जिसने मानवीय जरूरतों को पूरा करने का कार्यक्रम बनाया है। शिक्षा, चिकित्सा के क्षेत्र में कल्याणकारी काम करने की योजनाएं हाथ में ली हैं। यह भी पहला अवसर है जब राजस्थान के 238 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र और जिला अस्पतालों को नये तरीके से आधुनिक उपकरणों से सुसज्जित करने का प्रयास राजस्थान की सरकार ने किया। क्या पचास साल तक कभी विरोधी पक्ष के लोगों का इस बात का एहसास नहीं हुआ कि रेगिस्तान को चिकित्सा की जरूरत है? राजस्थान में शिक्षा एवं चिकित्सा की दृष्टि से आयाम खड़े किये जाने चाहिये।

(18.57 बजे)

(श्रीमती सुमित्रा सिंह, अध्यक्ष, पदासीन)

(श्री प्रहलाद गुंजल)

अध्यक्ष महोदय, राजस्थान की सरकार ने हर वर्ग के साथ न्याय किया है। पिछली सरकार ने राजस्थान के कर्मचारियों के साथ धोखा किया है राजस्थान के कर्मचारियों के साथ अन्याय किया। नवयुवक नौजवानों के साथ धोखाधड़ी की। नौजवानों के सामने रोजगार के नये अवसर पैदा करने की बजाय 25,000 कर्मचारियों को अनिवार्य सेवानिवृत्ति दी।

अध्यक्ष महोदय, आपने देखा होगा कि पिछले पांच सालों में पहली बार इस राजस्थान के कर्मचारी को भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद माननीय वसुन्धराजी के नेतृत्व में खुशी के साथ दीवाली मनाने का अवसर मिला। जो पिछली सरकार ने कर्मचारी के बोनस, भत्ते बंद कर दिये, इस सरकार ने उन बोनस को, भत्तों को जारी करके कर्मचारी के साथ दीवाली की खुशियां बांटी हैं। पिछली दीवाली तक हालात क्या थे? कभी किसी कर्मचारी के घर पर उसका मित्र, दोस्त, सगे सम्बन्धी का बधाई का संदेश, दीवाली का शुभकामना संदेश लेकर डाकिया आता था तो उसको हाथ में लेते हुए कर्मचारी के हाथ कांपते थे कि कहीं राजस्थान की सरकार ने मेरी सेवानिवृत्ति का लिफाफा तो नहीं भेज दिया।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, अब कृपया कनक्लूड करने की कोशिश करें।

श्री प्रहलाद गुंजल : अध्यक्ष महोदय, आज राजस्थान का हर वर्ग सरकार के कामकाज से संतुष्ट है।

श्री अध्यक्ष : आपको बोलते हुए 22 मिनट हो गये हैं।

श्री प्रहलाद गुंजल : अध्यक्ष महोदय, इससे ज्यादा हंगामे में निकल गया। मैंने नोट किया है। मैं निवेदन कर रहा था कि प्रतिपक्ष चाहे जो भी आंकड़े इस सदन में पेश करे, आंकड़े पेश कर इस सदन के माध्यम से राजस्थान की जनता को गुमराह करने का प्रयास करे। मैं उन्हें करेक्ट करना चाहता हूं कि चाहे हिण्डौली से आने वाले माननीय सदस्य हों, चाहे नाथद्वारा से आने वाले माननीय सदस्य जो एनवल बजट प्लान का खर्चे का प्रतिशत बता रहे थे। मेरे पास ग्रामीण विकास की डेस्क है। इस दिसम्बर तक 112 प्रतिशत आवंटित बजट का रूपया खर्च हुआ।

(श्री प्रहलाद गुंजल)

केन्द्र प्रवर्तित योजना में 2004-2005 में 609 करोड़ के विपरीत 970 करोड़ रूपया खर्च हुआ और पूरे राज्य का जो एनवल बजट प्लान 6922 करोड़ था, दिसम्बर तक के टार्गेट का 79.45 प्रतिशत रूपया इस राजस्थान की सरकार ने खर्च किया। 79.45 दिसम्बर तक के टार्गेट के बारे में चर्चा कीजिये, आप 31 मार्च तक के बारे में चर्चा करके सदन को गुमराह मत कीजिये। राजस्थान की जनता को गुमराह मत करिये। सरकार ने दिसम्बर तक के टार्गेट का 79.45 प्रतिशत रूपया खर्च करके कीर्तिमान स्थापित किया है। अध्यक्ष महोदय, लेकिन आज मैं यह कहना चाहता हूं कि ये जानते हैं प्रतिपक्ष वाले भी कि एक साल उपलब्धियों से भरा रहा है।

अध्यक्ष महोदय, मैं सड़कों के बारे में चर्चा नहीं करना चाहता। सार्वजनिक निर्माण मंत्री इस राजस्थान की सूरत को सुधारना चाहते हैं। उन्होंने अपनी इच्छा सदन में व्यक्त की है। पेयजल के क्षेत्र में सरकार ने उल्लेखनीय योगदान किया है। मैं राजस्थान के सन्दर्भ में कहना नहीं चाहता। कन्क्लूड करना चाहता हूं। मेरे विधान सभा क्षेत्र में एक साल के अंदर इस राजस्थान की सरकार ने 177 करोड़ रूपये की दो पेयजल योजनाएं मंजूर की हैं। यह आजादी के बाद का सबसे बड़ा तोहफा मेरे विधान सभा क्षेत्र के लिए है। पिछले 20 साल से डार्क जोन घोषित मेरे क्षेत्र का इलाका गर्मी आने पर सारा का सारा जीवन टैंकरों पर निर्भर हो जाता था। पहली बार उसके दर्द को राजस्थान की मुख्य मंत्री महोदय ने समझा है। अध्यक्ष महोदय, मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं। इस सदन में आभार व्यक्त करना चाहता हूं माननीय मुख्य मंत्रीजी का। मेरे विधान सभा क्षेत्र में चाहे वह पेयजल का मामला हो, चाहे सड़कों का, ओवर-ब्रिज का मामला हो, चाहे बिजली के जी.एस.एस. का मामला हो, मैंने एक पुस्तिका जारी की है।

डा. चन्द्रशेखर बैद : अभिभाषण पर बोलें।

श्री प्रहलाद गुंजल : उसी पर बोल रहा हूं। राज्यपाल के अभिभाषण पर ही बोल रहा हूं। मैंने एक साल के कामकाज की, रामगंजमण्डी के मेरे विधान सभा क्षेत्र में सरकार की मंजूरी की एक पुस्तिका जारी की है और प्रतिपक्ष का कोई भी माननीय सदस्य उस पुस्तिका को लेकर हिसाब जोड़ ले, राजस्थान की सरकार के ग्रामीण विकास में साढ़े 350 करोड़ रूपये की स्वीकृति एक साल के अंदर मेरे विधान सभा क्षेत्र में हुई है।

श्री अशोक बैरवा : काम कितने हुए?

श्री प्रहलाद गुंजल : इससे बड़ा काम आजादी के इतिहास में 40 साल राज करने वाली कांग्रेस पार्टी ने मेरे विधान सभा क्षेत्र में नहीं किया।

सरकार हर क्षेत्र में संवेदनशील है। विकास की दृष्टि से राजस्थान की तस्वीर को संवारना चाहती है। एक साल के कामकाज से राजस्थान विकास के पथ पर आगे बढ़ा है। सरकार राजस्थान की जनता के विश्वास पर खरी उतरी है। इस बात का प्रमाण एक साल के अंदर होने वाले चुनाव में राजस्थान की जनता ने दिया है। अध्यक्ष महोदय, मैं तो इतना ही निवेदन करना चाहता हूं, एक साल में वसुंधराजी के नेतृत्व में राजस्थान की जनता और हम सबके सपनों के राजस्थान का निर्माण होगा। राजस्थान सरकार के एक साल के कामकाज के दस्तावेज इसका प्रमाण हैं।

श्री अध्यक्ष : कृपया आप समाप्त करें।

श्री प्रहलाद गुंजल : महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण का मैं पुरजोर समर्थन करता हूं बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : धन्यवाद । श्री सुरेश मीणा।

श्री महावीर प्रसाद जैन : दो इधर से बोलने हैं।

श्री अध्यक्ष : इनके बाद बुलवा दूंगी, नाम पुकार लिया।

श्री सुरेश मीणा (करौली) : अध्यक्ष महोदय, महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर वाद-विवाद में भाग लेने के लिए आपने मुझे जो समय दिया है इसके लिए मैं आपको और सदन को बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं।

श्री अध्यक्ष : आपकी पार्टी को दस मिनट का समय अलाट हुआ है। इसलिए दस मिनट में आप अपनी बात समाप्त करें.

श्री सुरेश मीणा : अध्यक्ष महोदय, हम तो बोलेंगे भी दस मिनट, ज्यादा के लिए टाइम भी नहीं है और उतना बोल भी नहीं पायेंगे।

श्री अध्यक्ष : अब आप बोलें। आपको मैंने बताया है, बोलें।

श्री सुरेश मीणा : आज मैं एक ही बात कहना चाहता हूं कि इधर हमारे सत्ता पक्ष के सदस्य बैठे हुए हैं, उधर विपक्ष के सदस्य बैठे हुए हैं लेकिन मैं इस सदन में एक बात कहना चाहता हूं कि जो विपक्ष में बैठे हुए हैं वह सदन में कोई भी काम हो उसमें यदि कोई सही बात है तो रोड़े ना अटकायें और दूसरी बात मैं सत्ता पक्ष के लोग, जिनका राज है, उनसे कहना चाहता हूं कि इतनी +++ नहीं भरें, ज्यादा +++ भरना भी गलत है। ज्यादा +++ भी नहीं भरनी चाहिए, जितनी +++ आप लोग भर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : आपका +++ शब्द एक्सपंज कर दिया जाये।

श्री सुरेश मीणा : मैं हकीकत बात बताना चाहता हूं। मैं रोशनी रखूंगा। मैं तो किसान और मजदूर हूं और किसानों और मजदूरों की बात ज्यादा करूंगा। मैं कल से सुनता आ रहा हूं कि किसानों की डी.पी. 72 घंटे में बदल दी जाती है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि डी.पी. 72 घंटे के बजाय 72 दिन में नहीं बदली जाती है। यह हमारे साथ हो रहा है। यह सरासर अन्याय है।

श्री बद्रीलाल जाट : सदन में असत्य न बोलें।

श्री सुरेश मीणा : झूठ-सच का तो आपको पता चल जायेगा कि पांच साल बाद क्या होता है और क्या नहीं होता है।

श्री अध्यक्ष : असत्य शब्द संसदीय नहीं है। +++ न कहें, असत्य बोलें।

श्री सुरेश मीणा : मैं बताना चाहता हूं कि एक किसान की जब डी.पी. फुंक जाती है, वह जब डी.पी. लेने के लिए अधिकारी के पास जाता है तो दस हजार रूपये उसकी जेब में होते हैं तो डी.पी. मिल जाती है वरना उसको डी.पी. नहीं मिलती है। उसकी फसल सूख जाती है। यह राजस्थान सरकार में हो रहा है।...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : डी.पी. मिलने से क्या अभिप्राय है आपका?

श्री सुरेश मीणा : ट्रांसफार्मर । यहां पर बहुत से माननीय सदस्य कह रहे थे कि हमारे 24 घंटे बिजली आयी, 24 घंटे बिजली देंगे। माननीय सदस्य जो जौहरी बाजार से आते हैं, मैं तो कहता हूं जिस आदमी ने कभी सूखा देखा नहीं है, हरा ही हरा देखा है तो उसको हरा ही हरा दिखाई देगा। उसने सूखा देखा ही नहीं है। लेकिन हमारे साथ चार दिन गांव में रहकर देखें, कहीं बिजली दिखती नहीं है। उस किसान को जहां आठ घंटे की बात करते हो, दो घंटे भी बिजली नहीं मिल पा रही है, हकीकत पर सोचें तो।

अध्यक्ष महोदय, कल एक बात आयी थी कि सहरिया भूख से मरते हैं। मैं तो आप दोनों पक्षों से एक बात कहता हूं कि आप उन पर क्यों दिमाग लगाते हो? वह तो आप लोग जब पक्ष में हों तो यह लोग कहेंगे कि भूख से मरे हैं और यह जब पक्ष में हो जायेंगे तो आप कहोगे कि भूख से मर रहे हैं। वह तो पांच साल आपको वोट देंगे, पांच साल आपको वोट देंगे। आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। आपने तो उनके साथ कर ही अन्याय रखा है, हकीकत बात तो है यह । (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप भी या तो इधर जाओ या उधर जाओ, आप भी ऐसे ही क्यों बैठे हुए हो?

श्री सुरेश मीणा : माननीय अध्यक्ष महोदय, इस देश को आजाद हुए 56-57 साल हो गए लेकिन इस देश में, राजस्थान में तो एस.सी., एस.टी. के साथ वही अन्याय हो रहा है, वही दुर्व्यवहार किया जाता है जो आज से 50 -60 साल पहले किया जाता था, कोई फर्क नहीं आया है इस चीज में।

अभी हमारे एक सदस्य जोर-जोर से हिन्दुत्व की बात बोल रहे थे, वह मुसलमानों के खिलाफ बात कर रहे थे। मैं तो इनसे पूछ रहा था कि आपको कौनसी मंदिर की चाबी दे रखी है जिसकी पूजा आप करते हो, वह मुझे बता दो। आपको भी मंदिर में नहीं जाने दिया जाता और आप हिन्दुत्व की बात करते हो? (व्यवधान) मैं आपको बताना चाहता हूं कि हकीकत पर आइए, हकीकत क्या है, हकीकत से दूर मत भागिए।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस अभिभा .ण पर एक ही बात कहना

(श्री सुरेश मीणा)

चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार राजस्थान में है, हम तो हमारा सबसे बड़ा सौभाग्य मानेंगे कि यह जो एस.सा, एस.टी, का 70 हजार पदों का जो बैकलाग पड़ा है उसको पूरा कर दिया जाए, हम तो आपको धन्यवाद देंगे।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (शिक्षा मंत्री) : हमने तो कर दिया।

श्री सुरेश मीणा : ऐसे बातों से नही भरा जाता, हकीकत में भरो, यही आपसे मांग है। (व्यवधान) हम तो बधाई दे देंगे, जनता बधाई दे देगी अपने आप। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं पहली बार विधायक बनकर आया हूं और मुझे राजस्थान की इस महासभा में बोलने का मौका मिला है। आपने मुझे मौका दिया इसके लिए मेरी ओर से आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।

श्री अध्यक्ष : बहुत बढिया । श्री गोविन्दराम चौहान।

श्री गोविन्द राम मेघवाल (नोखा) : आदरणीय अध्यक्षजी, मैं महामहिम राज्यपाल महोदय द्वारा दिए गए अभिभाषण का समर्थन करते हुए निवेदन करना चाहता हूं कि आज दो दिन से सदन में इस पर बहस चल रही है और कांग्रेस के सारे के सारे नेता कल से एक ही राग अलाप रहे हैं कि साल में हमारी सरकार ने कुछ नहीं किया जबकि वास्तविकता कुछ और है। मुझे बहुत ही दु:ख हो रहा है कि हम लोग राजस्थान की जनता को मूर्ख बना रहे हैं। ये जितने भी कांग्रेसी नेता बोल रहे हैं, आजादी के बाद के 55 वर्षों में अधिकतर राज इन लोगों का रहा है और देश का गरीब और किसान हमेशा इनके साथ रहा लेकिन आज अगर कहीं भी राजस्थान में जाएंगे तो सबसे ज्यादा अगर पीडित है तो दलित और किसान है। मुझे इन नेताओं पर बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि इनके भाषण में गरीबों और दलितों के लिए एक शब्द भी मुंह से नहीं निकला है इसलिए मैं इस सदन के माध्यम से कहना चाहूंगा कि इस देश में नेता बहुत हैं, नीतियां बहुत हैं, जब तक हमारी नीयत साफ नहीं होगी, इस देश का विकास होने वाला नहीं है।

मुझे बड़ा दु:ख हुआ, माहिर आजादजी कल तक जब बी.एस.पी. में थे तो भाषण दिया करते थे मेरे साथ कि जिस गांव में सबसे ज्यादा गन्दगी

(श्री गोविन्द राम मेघवाल)

जिस मौहल्ले में हो, सबसे ज्यादा अशिक्षा हो, आप समझ लो कि असली कांग्रेस वालों का मौहल्ला आ गया है। ये मौहल्ले कौन से होते थे? दलितों और मुसलमानों के होते थे। ऐसे इनके भाषण होते थे। आज मैंने इनका पूरा भाषण देखा है, किसी दलित का नाम नहीं, मात्र मुसलमान, मुसलमान, मुसलमान की बात इसलिए बोल रहे हैं ताकि हम लोग भड़कें, आपस में हिन्दू और मुसलमान में आग पैदा हो और इनकी नेतागीरी चलती रहे। आने वाले समय में यह चलने वाली बात नहीं है। मैं इस विधान सभा के माध्यम से कहना चाहता हूं....

श्री अशोक बैरवा "खण्डार" (खण्डार) : आप गलत समझ रहे हैं, वह बात अलग है, माहिर साहब ने ऐसा नहीं बोला है। आप समझ रहे हैं तो भूल कर रहे हैं।

श्री गोविन्द राम मेघवाल : बैरवाजी, बैठिए आप। डिस्टर्ब न करें।

श्री अध्यक्ष : खण्डार से आने वाले माननीय सदस्य, आसन ग्रहण करें। माननीय सदस्य, आप भी धन्यवाद प्रस्ताव पर बोलें, विषयान्तर न हों।

श्री गोविन्दराम मेघवाल : मैं अभिभाषण की ही बात बोल रहा हूं और मैं वही बोल रहा हूं जो ये बोल रहे हैं, इनके विरोध में ही तो मुझे बोलना है। (व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि ये हमें बहुत ज्यादा कानून सिखाते हैं और बार-बार खड़े होते हैं, व्यवस्था की बात करते हैं। मेरा आपसे अनुरोध है कि जितने भी सीनियर माननीय सदस्य हैं, एक तो सीधे हमारी तरफ देखकर बात करते हैं, इनसे कहें कि हमारी तरफ न देखें। अभी थोड़ी देर पहले ही यह मुद्दा उठा था व्यवस्था का कि ये सीधे आपसे बात करें। हम नए लोग हैं हम पर हावी होने की कोशिश करते हैं। हमें विषय से भटकाने के लिए बीच-बीच में डिस्टर्ब करते हैं।

मैं अभिभाषण का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं लेकिन जो कुछ असत्य बातें कही गई हैं उनका मैं खण्डन भी करना चाहूंगा। जब वरिष्ठ लोग खड़े होकर पंचायत समितियां गिना दें कि हमने इतनी अधिक पंचायत समितियां बी.जे.पी. से जीत रखी हैं और सदन में एक विधायक खड़े होकर यह बात कहे, इससे बड़ा दुर्भाग्य हमारा और क्या होगा। इसलिए मैं आपसे आग्रह

(श्री गोविन्द राम मेघवाल)

करना चाहूंगा कि आप आजादी के बाद से देख लें, अधिकतर वोट दलितों का कांग्रेस को मिला है। मैं इनसे कहना चाहूंगा कि एम.आई. रोड पर चले जाइए कहीं भी आपको दलित की बड़ी दुकान देखने को नहीं मिलेगी, इसके जिम्मेदार ये लोग हैं। आज आप चले जाइए, कहीं भी दलित की या गरीब की बड़ी फैक्ट्री आपको नहीं मिलेगी, इसके जिम्मेदार ये लोग हैं। उस झोंपड़ी का वोट इन लोगों ने लिया लेकिन वह आज तक गरीब क्यों है, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? इसके लिए ये पूर्ण रूप से जिम्मेदार हैं। और आज यही लोग हिमायती बनकर वापस बात करते हैं, इसलिए हम लोगों को कुछ बोलना पड़ता है।

आज ये बिजली की बात कर रहे हैं, मैं दावे के साथ कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के एक साल के राज में इनकी हिम्मत नहीं है कि कहीं जाकर बिजली का आन्दोलन करने का काम करें। मेरे नोखा विधान सभा क्षेत्र में सबसे ज्यादा बिजली के आन्दोलन होते थे, हम लोग उसका नेतृत्व करते थे, 10-10 हजार लोग सड़कों पर आते थे। मेरा चैलेंज है कांग्रेस के लोगों को कि नोखा में जाकर आप लोग 500 लोगों की रैली बिजली के मामले में निकाल कर दिखा दें। ऐसा इसलिए हुआ है कि हमारी कथनी और करनी में अंतर नहीं है, ये लोग खाली असत्य बातें कर रहे हैं।

अभी शिक्षा की बात चली। माहिर आजादजी बोले कि हमने इंग्लिश का टीचर मांगा, वहां संस्कृत का धोती पहना हुआ टीचर पहुंच गया, वहां संस्कृत का टीचर भी रहेगा और हमारा इंग्लिश का टीचर भी रहेगा।

श्री अध्यक्ष : आप माहिर आजाद पर बोल रहे हैं, आप अभिभाषण पर बोलें।

श्री गोविन्द राम मेघवाल : आज हमारे नोखा में एक साल में 100 स्कूल दिए हैं, 5 करोड़ रुपए खर्च करने का काम किया है। हमारे मिडिल स्कूल 40 खोले हैं 3-3 हाल के साथ में। हमने 8 लाख की पेयजल योजना दी है। हमारी कोलायत की पंचायत में ही अकेले डेढ़ करोड़ का पेयजल का काम दिया है। हमने 8 करोड़ के 40 ट्यूबवैल के काम दिए हैं। मैं दावे के साथ कहता हूं कि इन्होंने अपने पांच साल के राज में एक भी लगाया हो तो मैं विधान सभा से इस्तीफा देने के लिए तैयार हूं। इसलिए हम लोगों को इनकी गलत बातों

(श्री गोविन्द राम मेघवाल)

का खण्डन करना जरूरी है। ये लोग जो मुंह में आए वैसे +++। इन बातों से राजस्थान की जनता को मिसगाइड नहीं किया जा सकता।

अध्यक्ष महोदय, कुछ बातें सच की भी होनी चाहिए। ये बात कर रहे हैं, ये पिछले 40 सालों में दलितों और गरीबों का वोट लेते रहे, इन्होंने कभी छुआछूत विरोधी आन्दोलन चलाया? आज गांव-गांव में जो छुआछूत है वह इन लोगों की जिम्मेदारी है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं बी.जे.पी. वालों को और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं आर.एस.एस. को कि उन लोगों ने अपना प्लान बना रखा है इस छुआछूत को खतम करने के लिए। वह गरीब मोहल्लों में जाकर उनके साथ हर सातवें दिन खाना-खाने का काम करते हैं, वह उनके साथ में भोजन करने का काम करते हैं। इन लोगों की हिम्मत नहीं है कि ये लोग दलितों के साथ चौपाल पर बैठकर गांव में भोजन करने का काम करें। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि मात्र आर.एस.एस., आर.एस.एस. चिल्लाने से काम नहीं चलेगा, आप लोग अपनी नीति को बदलने का काम करो, अपनी नीयत को बदलने का काम करो। खाली बनावटी बातों से काम चलने वाला नहीं है।

अध्यक्ष महोदय, जगजीवनराम के बाद आज इनके पास पूरे देश में कोई भी दलित नेता नहीं है। पूरे राजस्थान में एक भी इन्होंने दलित नेता पैदा नहीं किया। आज उसी का परिणाम है कि दलित समाज इनसे नाराज है और 33 में से 27 एम.एल.ए. आज भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में बैठे हैं। आज हमारे बीच में राजस्थान में कैलाश मेघवाल जैसे नेता हैं। ये लोग आज दूदू में खड़े होकर बोल रहे हैं, इनको कहो कि आपके संगठन में आपकी जगह कहां है? आप लोग दूसरी जगह पर चले जाओ, आपको पहचानने वाला कोई नहीं मिलेगा और उसी का परिणाम है कि कांग्रेस की नीति रही है कि दलित को इतना ऊपर मत उठाओ, यह दलित भूचाल है, अगर यह जग गया तो हमें वापस ताकत में नहीं आने देगा।

इसलिए मैं कांग्रेस के मित्रों से कहना चाहता हूं कि अपनी नीयत में सुधार करो, आप अपने दलित वोटों को भड़काकर, मुसलमानों को भड़काकर वोट लेने की जो नीयत है उसको बन्द कर दो।

बिजली के मामले में मैंने आपसे आग्रह किया, मैंने यह भी आग्रह

किया कि किसानों का माल मण्डी में जाकर बोली लगता है और हम यह भी जानते हैं कि बोली उसी की लगती है जिसके आगे-पीछे कोई नहीं होता। लेकिन याद करो, 1979 और - ब भारतीय जनता पार्टी और जनता दल का मिक्स राज था, चौधरी देवीलाल ने घोषणा की थी 10 हजार तक का कर्जा माफ करने की, लेकिन इनकी हालत है, ये किसानों के बारे में ऐसी घोषणा नहीं कर सकते। उस वक्त भी इन लोगों ने आरोप लगाये थे, सारे लोगों ने पूरे देश को कहा था भूचाल आ जाएगा, चौधरी देवीलाल ने किसानों का कर्जा माफ कर दिया। यह वही कांग्रेस है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, हमारी करनी और कथनी में अंतर नहीं है। हम जो कहते हैं वह करते हैं। आज भी किसानों के प्रति चाहे किसान क्रेडिट का मामला हो, चाहे और कोई लोन का मामला हो, किसानों का चाहे आबियाना का मामला हो, हम लोगों ने माफ करने का काम किया है और मुझे तो बड़ा दु:ख होता है ऐसे लोग खड़े होकर नहर के बारे में बोल रहे हैं जिनको एबीसीडी का ही ज्ञान नहीं है। उनको यह भी पता नहीं है कि पानी क्या होता है, टेल क्या है, मेड़ क्या है। इनको मुरब्बों, किलों के बारे में ज्ञान नहीं है। ये तो पढ़कर, लिखकर ले आते हैं सोनिया गांधी की तरह।

श्री अध्यक्ष : Don't instigate them to interrupt you. Please, don't instigate.

श्री गोविन्द राम मेघवाल : उसी तरह की बात है। इसलिए उनका खण्डन करना जरूरी है क्योंकि अध्यक्षजी, यह बात पूरे राजस्थान में जाने वाली बात है। ये बड़ी-बड़ी बातें हांकते हैं, इनको पूछो, एक अरब की जनसंख्या में क्या किसी मां की कोख में पैदा नहीं हुआ जो आपका नेता बन सके, एक विदेशी औरत को तो नेता बना रखा है और बड़ी-बड़ी बातें बोल रहे हैं। हम दो दिन से उनकी बातें सुन रहे हैं। (व्यवधान) मेरा आपसे आग्रह है..

श्री अध्यक्ष : Please don't instigate them to interrupt. Please don't instigate.

डा. बुलाकीदास कल्ला : अध्यक्ष महोदय, इसको एक्सपंज किया जाए। वो भारत की नागरिक हैं, वो संसद की सदस्य हैं और भारत की बहू को विदेशी कहना गलत है। इसको वापस लिया जाए। (व्यवधान) यह कहना गलत

(डा. बुलाकीदास कल्ला)

है। भारत की महिला हैं, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री की पत्नी हैं और स्त्री का गोत्र तो जिसके साथ शादी होती है वह वहीं की हो जाती है। "गरिमा लघु चेतसाम, उदार चरितानाम, वसुधैव कुटुम्बकम्।" (व्यवधान) यह भारत की संस्कृति नहीं है।

श्री कालूलाल गुर्जर : अभी सुप्रीम कोर्ट का फैसला हो गया कि किसी भी महिला की जाति उसके पीहर से मानी जाएगी, उसके सुसराल से नहीं।

डा. बुलाकीदास कल्ला : जो कहा है वह गलत है।

श्री गोविन्द राम मेघवाल : इनका दुर्भाग्य है कि ये सोनिया गांधी से बाहर राजनीति को नहीं निकाल सकते। यह भारतीय जनता पार्टी है जो... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : नोखा से आने वाले माननीय सदस्य, वो चाहे विदेशी हों, पर भारत की प्रमुख पार्टी की आज के दिन अध्यक्ष हैं। इसलिए आप चाहे विदेशी कहें, लेकिन यह मानना पड़ेगा कि ऐसी पार्टी की वो अध्यक्ष भी हैं। होंगी विदेशी, उससे क्या फर्क पड़ता है?

डा. बुलाकीदास कल्ला : अध्यक्ष महोदय, कैसे कह दिया? वो भारत की बहू हैं, यहां की नागरिक हैं, संसद सदस्य हैं। (व्यवधान)

श्री जुबेर खान : 20 साल से भारत की नागरिक हैं।

डा. बुलाकीदास कल्ला : वो भारत की नागरिक हैं। (व्यवधान)

श्री गोविन्द राम मेघवाल : विदेशी मूल की महिला हैं। (व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला : वो भारत में विदेश से ज्यादा रही हैं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : वो संप्रग की अध्यक्ष हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आपने जो व्यवस्था दे दी वो शिरोधार्य है। (व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला : आसन की तरफ से यह व्यवस्था देनी चाहिए कि वो भारत की नागरिक हैं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : वे आज के दिन संप्रग की अध्यक्ष हैं, विदेशी होने से क्या फर्क पड़ता है?

श्री महावीर प्रसाद जैन : नागरिकता हो सकती है, नागरिकता तो हमने कई पाकिस्तान वालों को दे दी। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : कहीं भी लिया हो उससे क्या फर्क पड़ता है?

डा. बुलाकीदास कल्ला : जो इस सदन की सदस्य नहीं हैं उनके बारे में कोई भी टिप्पणी करना ठीक नहीं है। फिर हम भी टिप्पणी करेंगे, अध्यक्ष महोदय।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, हम शिरोधार्य करते हैं, आपने बहुत अच्छी व्यवस्था दी है। आपकी व्यवस्था सदन के लिए सर्वोच्च है।

डा. बुलाकीदास कल्ला : वे भारत की नागरिक हैं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : विराजिए।

श्रीमती ममता शर्मा : माननीय अध्यक्ष महोदय, एक बार नहीं, चार-चार बार माननीय सदस्य बोल रहे हैं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : वे भारत की नागरिक हैं, संप्रग की अध्यक्ष हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है।

श्रीमती ममता शर्मा : अध्यक्ष महोदय, आप इसको एक्सपंज करवाएं।

एक माननीय सदस्य : +++

श्री ओम बिरला : कल्लाजी, इसकी जांच कर लें कि वे हिन्दुस्तान की हैं या विदेश की। कल्लाजी, इसकी जांच कर लें।

एक माननीय सदस्य : विदेशी मूल की महिला हैं। (व्यवधान)

श्री गोविन्द राम मेघवाल : एक अरब की जनसंख्या में आपको ऐसा नेता नहीं मिला। (व्यवधान)

श्री जुबेर खान : अध्यक्ष महोदय, अटल बिहारी को हम ब्रह्मचारी कहें या अविवाहित कहें, बताइए।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, कृपया स्थान ग्रहण करें। मैंने आपसें कहा कि वो सप्रंग की अध्यक्ष हैं। मैंने कहा, वो एक ऐसी महत्वपूर्ण पार्टी की अध्यक्ष हैं। (व्यवधान)

श्री अशोक बैरवा "खण्डार" : उन्होंने कहा कि नागरिक नहीं हैं वो।

श्री अध्यक्ष : नागरिक नहीं कहा। देखिए, नागरिक शब्द नहीं कहा, विदेशी महिला कहा है। गलत बात।

डा. बुलाकीदास कल्ला : प्रोसीडिंग उठा लीजिए आप।

श्री गोविन्द राम मेघवाल : हमने कहा है वो विदेशी मूल की महिला हैं। (व्यवधान) इनमें हिम्मत नहीं है कोई नेता..... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप स्थान ग्रहण करें। (व्यवधान) यदि विदेशी नागरिक कहा है (व्यवधान) देखिए, स्थान ग्रहण कर लीजिए। ऐसे करने से कुछ काम चलने वाला नहीं है, स्थान ग्रहण करें। (व्यवधान) तो मैंने कहा, स्थान ग्रहण करिए। (व्यवधान) मिस्टर अशोक बैरवा, स्थान ग्रहण कर लें। यदि उन्होंने विदेशी नागरिक कहा है तो मैं उस "नागरिक" शब्द को एक्सपंज करती हूं, लेकिन विदेशी महिला कहा है। (व्यवधान)

श्री अशोक बैरवा "खण्डार" : किसी ने नहीं, आपने कहा विदेशी।

श्री अध्यक्ष : उनका मूल विदेश है।

श्री अशोक बैरवा "खण्डार" : आपने विदेशी कहा है, इस आसन से विदेशी कहा है।

श्री अध्यक्ष : नागरिक कहा है तो नागरिक एक्सपंज करती हूं। यदि नागरिक शब्द कहा है तो नागरिक एक्सपंज कर दें।

श्री अशोक बैरवा "खण्डार" : आप तो आपके शब्दों को एक्सपंज कराएं । आपके शब्दों को एक्सपंज कराएं आप। (व्यवधान)

श्री ओम बिरला : कोशिश करो, दिल्ली में आपकी सरकार है। इतनी तो कोशिश करो। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : शादी के 10-12 साल तक नागरिकता क्यों नहीं ग्रहण की? (व्यवधान)

श्री जुबेर खान : आपका अध्यक्ष तो पाकिस्तान मूल का है। (व्यवधान) भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष तो पाकिस्तान मूल का है, पाकिस्तान में पैदा हुआ है। (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : पाकिस्तान पहले भारत में था और उसको भारत ही बताना है। (व्यवधान)

श्री गोविन्दराम मेघवाल : एक व्यक्ति नहीं मिला जिसको ये प्रधानमंत्री बना सकें। वह विदेशी मूल की महिला है। मैं वापस दोहराता हूं इनके पास एक भी ऐसा लीडर नहीं जिसको..... (व्यवधान)

माननीय सदस्य : आज मनमोहन सिंह भी उनकी हाजिरी भरते हैं।

श्री जालम सिंह रावलोत : पाकिस्तान हिन्दुस्तान का टुकड़ा था, इटली हिन्दुस्तान का कभी रहा ही नहीं। (व्यवधान)

श्री जुबेर खान : वेद का ओरिजिन कहां हुआ है, पता है आपको?

श्री अशोक बैरवा "खण्डार" : ऐसे ही राज चलाना चाहते हो, यह बिलकुल बदार्शत नहीं है। (व्यवधान)

श्री जुबेर खान : जो हम हिन्दू धर्म में वेद मानते हैं वेद का ओरिजिन कहां हुआ, पता है? (व्यवधान)

श्री कालूलाल गुर्जर : अध्यक्ष महोदय, अभी सुप्रीम कोर्ट में फैसला हुआ कि कोई भी महिला की शादी करने से उसकी जाति नहीं बदलेगी बल्कि उसका जो बर्थ है उसी से माना जाएगा। इसलिए अगर शादी यहां कर ली और उनकी कोई जाति बदल गई, ऐसा नहीं माना जाएगा, बल्कि वो विदेशी हैं तो विदेशी हैं, बस।

श्री अशोक बैरवा "खण्डार" : यह जाति का मामला है क्या?

श्री अध्यक्ष : आपका तर्क बिलकुल गलत है। (व्यवधान) यह तो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए है।

एक माननीय सदस्य : यह तो आर.एस.एस. के लिए मर्जी आये वह कह सकते हैं, किसने इनको छूट दे दी?

डा. बुलाकीदास कल्ला : अध्यक्ष महोदय, जान-बूझकर उनके बारे में ये मैलाइन करने की कोशिश कर रहे हैं और मैं समझता हूं कि जो इस सदन की सदस्य नहीं हैं उनके बारे में कोई भी टिप्पणी करना अनुचित है।

एक माननीय सदस्य : वेंकैया नायडू इस सदन के सदस्य थे? कैसे बोले आप?

एक माननीय सदस्य : सुदर्शनजी के बारे में कैसे कहा? (व्यवधान) सर संघ चालक के बारे में बोले, तब आप कहां थे? (व्यवधान) आर.एस.एस. के बारे में बोलते वक्त नियम कहां गये?

एक माननीय सदस्य : प्रतिपक्ष के नेताजी, आर.एस.एस. के बारे में कहा जा रहा था तब कहां थे आप?

श्री गोविन्द राम मेघवाल : आर.एस.एस. के बारे में यहां क्यों चर्चा की गई? (व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला : यह अनुचित है और इसके विरोध में हम सदन से बहिर्गमन करते हैं।

(कांग्रेस पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा बहिर्गमन)

एक माननीय सदस्य : वह विदेशी मूल की हैं और विदेशी मूल की रहेंगी।

श्री जुबेर खान : शर्म आनी चाहिए आपको, कह दिया, शादी से जाति नहीं बदलती। मुख्य मंत्री कौन सी जाति की लगाओगे?

श्री कालूलाल गुर्जर : जाति जो है वही लगाएंगे। जाति नहीं बदलती। (व्यवधान)

श्री जुबेर खान : आपने कहा कि शादी करने से जाति नहीं बदलती। (व्यवधान) शर्म आनी चाहिए आपको। (व्यवधान)

श्री ओम बिरला : विरोध करना जरूरी है, नहीं तो दल से निकल जाओगे। (व्यवधान) अगर दिल्ली वाले जांच कराएंगे कि कौन-कौन सोनियाजी के फेवर में बोला। (व्यवधान) जांच हो जाएगी आपकी।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, प्रतिपक्ष के माननीय नेता सहित प्रतिपक्ष के माननीय सदस्य बिना किसी उचित कारण से बहिर्गमन करके चले गये हैं, एक आदत सी बन गई है। बहुत छोटी सी बात है, जो आसन ने व्यवस्था दी है वह शिरोधार्य है वरना इसकी जांच हो जाए कि वह विदेशी मूल की हैं या नहीं, इसमें कमीशन बैठाने के लिए सरकार तैयार है।

श्री कालीचरण सर्राफ : माननीय अध्यक्ष महोदय, हमें तो गर्व है कि हम राजस्थान में पैदा हुए और कोई यह कहे कि मैं राजस्थानी हूं तो हमें फख्र होता है। और इनको क्या पता क्या तकलीफ है जो इटली में पैदा हुई, अब इटली कोई हिन्दुस्तान का प्रांत तो है नहीं, अब विदेशी राष्ट्र है तो है और वहां वह पैदा हुई हैं तो विदेशी तो निश्चित रूप से हैं। इसमें यह कहना कि वह विदेशी महिला नहीं हैं, कोई गाली नहीं है। उनके जन्म स्थान का हमने

(श्री कालीचरण सर्राफ)

उल्लेख किया है। जैसे हमको कोई कहे कि कहां पैदा हुए, हम कहें कि राजस्थान में, तो हमको गर्व है। यह कहते हुए फख्र है हमें कि हम राजस्थान में पैदा हुए। वैसे ही उनको भी होना चाहिए कि वह इटली में पैदा हुई। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अब आप दो मिनट में अपनी बात समाप्त कर दें। (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा : जो तपस्या भगवान राम, कृष्ण, महावीर और बुद्ध ने की और महात्मा गांधी ने पथ आलोकित किया, वह इस 21वीं सदी में त्याग का महान आदर्श सोनिया गांधी ने प्रस्तुत किया है। देश के सौ करोड़ लोगों को अगर नया आलोक मिला है तो.... (व्यवधान) सोनिया गांधी की प्रतिष्ठा तक कोई पहुंचने वाला नहीं। (व्यवधान)

श्री ओम बिरला : सारा जैन समाज निकाल देगा आपको। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अंकित नहीं हो।

श्री संयम लोढ़ा : XXX

श्री भवानी सिंह राजावत : XXX

श्री मोहन लाल गुप्ता : XXX

श्री जुबेर खान : XXX

श्री बंशीलाल खटीक : XXX

श्री जालम सिंह : XXX

श्री महीपाल सिंह यादव : XXX

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप काफी समय ले चुके हैं और मैंने आपको पूर्व में कहा था, please don't instigate them to interrupt you. आपने अननेसेसरी बात को करके अपना समय खो दिया है।

श्री गोविन्द राम मेघवाल : अध्यक्षजी, जैसे कि हमने देखा कि घड़साना के अन्दर आन्दोलन हुआ......

श्री अध्यक्ष : दो मिनट में अपनी बात समाप्त करें, मैं आपको अब दो मिनट से ज्यादा समय नहीं दूंगी।

श्री गोविन्द राम मेघवाल : पर सच्चाई तो यह है कि वहां पानी की जो समस्या है वह पिछले 10 सालों से है, जो पांच साल कांग्रेस के निकले, न तो कोई हरिके..(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अब आप फिर उसी बात पर आ गये। एक साल की उपलब्धियां गिनाएंगे, फिर उसी बात पर आ गये हैं।

श्री गोविन्द राम मेघवाल : मैं मेरी बात खतम ही कर रहा हूं, मैं लम्बा नहीं बोलूंगा। मैं यही कहना चाहता हूं उस आन्दोलन को भड़काने वाले यही लोग हैं। मैं समर्थन करते हुए यह कहना चाहता हूं कि शिक्षा के मामले में राजस्थान बहुत पीछे था लेकिन धन्यवाद देना चाहता हूं घनश्यामजी को जिन्होंने आज मेरे अकेले क्षेत्र में सवा सौ स्कूल, 40 स्कूल क्रमोन्नत, 40 ट्यूबवैल और हमारे यहां पर एक गांव में दो करोड़ की पेयजल की योजना दी इसलिए आग्रह है मेरा सदन के माध्यम से कि ये लोग खाली चिल्ला कर हावी होना चाहते हैं इसलिए हावी नहीं होने देंगे। मेरे एक विधान सभा क्षेत्र में कम से कम 15 करोड़ का काम हुआ है इसलिए ये लोग खाली असत्य बातों से हावी होकर कहना चाहते हैं। मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं, हमारे वहां सड़कें भी बन रही हैं प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना में और कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं, 18 उप स्वास्थ्य केन्द्र खुले हैं, पूरे राजस्थान में विकास की गंगा बह रही है, इससे ये लोग बौखलाए हुए हैं इसलिए मेरा आग्रह है....

श्री अध्यक्ष : अब आप समाप्त करें।

श्री गोविन्द राम मेघवाल : और मैं समर्थन करता हूं राज्यपाल महामहिम का जिन्होंने यह स्पीच, जो अभिभाषण दिया और मैं निवेदन करना चाहता हूं कि कांग्रेस के लोग जो 40 साल से इस देश का बेड़ा-गर्क किया है, वे बी.जे.पी. से सीख लें और ज्यादा कहने के बजाय करने की कोशिश करें और मैं तो यह कहूंगा कि सोनिया के बजाय दलित को प्रधान मंत्री बनाने की पेशकश करें जब हम मानेंगे कि आप असली देश के हिमायती हो।

श्री जुबेर खान : आप भी मुख्य मंत्री बना लो दलित, हम भी बना देंगे।

श्री अध्यक्ष : श्री चन्द्रशेखर बैद।

श्री जुबेर खान : आप यहां मुख्य मंत्री बना लो, हमने बना लिया पहले।

श्री अध्यक्ष : श्री चन्द्रशेखर बैद । अब आप स्थान ग्रहण कर लें, आप शांतिपूर्वक सुनें।

डा. चन्द्रशेखर बैद (तारानगर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, राज्यपाल के अभिभाषण पर मैं अपने विचार प्रकट करना चाहता हूं। आपने मुझे समय दिया उसके लिए मैं आपका बड़ा आभारी हूं।

पहली बात, अभी किसी माननीय सदस्य ने बोला कि कांग्रेस की कथनी और करनी में फर्क है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं दो छोटे-छोटे एग्जाम्पल देकर कि कथनी और करनी में किसके फर्क है। देखिए, आपने यह बोला कि प्लान के अन्दर 6922 करोड़ का प्लान आपने बनाया और उसके अन्दर 70 परसेंट खर्च कर दिया। यह आपने बोलकर सदन को गुमराह किया है क्योंकि अभी तक सिर्फ 50 परसेंट खर्च हुआ है। अगर आप चाहो तो ये सारे डाक्यूमेंट मेरे पास हैं। आपने यह बोलकर गलती की है कि 70 प्रतिशत अभी तक खर्च हो चुका है। कथनी और करनी में क्या फर्क है, मैं आपको यह निवेदन करता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री महोदय वर्तमान के चुनाव के बाद तारानगर पधारीं और उन्होंने यह घोषणा करवाई कि 10 हजार के जो गरीब किसानों के कर्जे हैं उनको माफ किया जाएगा। चने की फसल के अन्दर जो

(डा. चन्द्रशेखर बैद)

लटें लग गई हैं उसका मुआवजा दिया जाएगा। आप मेरी बात सुनें, आप भी चूरू के हैं, आपके सामने की बात है यह। आपके सामने यह घोषणा की गई और कथनी.... (व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा : चुनाव घोषणा पत्र में लिखा हुआ है 10 हजार के कर्जे माफ करने का। चुनाव घोषणा पत्र में है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मंत्री लोगों को बीच में इंटरप्ट नहीं करना चाहिए। और ही बहुत हैं इंटरप्ट करने के लिए, आप काहे को करें ? (व्यवधान) सारा समय माननीय सदस्य एक ही तरफ निगाह थोड़े ही रख सकते हैं, इधर-उधर भी होती हैं निगाहें तो। (व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी : हां, करिये, इधर-उधर निगाह करिये। (व्यवधान) देखने की तो देखते नहीं, इधर-उधर देखते हैं।

डा. चन्द्रशेखर बैद : माननीय मुख्य मंत्री ने बड़े शान से पहले यह प्रचार करवाया कि 10 हजार तक के कर्जे माफ किये जाएंगे। आपने अपने घोषणा पत्र में भी साफ-साफ लिख रखा है कि गरीब किसानों के 10 हजार तक के कर्जे माफ किये जाएंगे।

दूसरी बात, यह घोषणा करवाई और यह प्रचार करवाया कि जो चने की फसल चूरू जिले के अन्दर, माननीय मंत्रीजी बैठे हुए हैं चूरू जिले के, खराब हो गई है, उसकी गिरदावरी करवाकर उसका मुआवजा दिया जाएगा। और आप देखिए, कोई वहां पर हजारों लाखों की भीड़ इकट्ठी की, वोट बटोरे। और उसके बाद में उस तरफ मुंह करके नहीं देखा। आप अपनी खुद की तहसील के अन्दर किसानों से पूछ लें, किसी एक किसान को अगर चने की फसल की मुआवजा मिला हो। तो यह है कथनी और करनी में फर्क।

पिछले साल माननीय महामहिम राज्यपालजी से आपने बहुत सारी चीजें कहलवाईं। बड़े उत्साह के साथ पूरे प्रदेश ने यह देखा कि आगे आने वाले समय में ये आधुनिक मुख्य मंत्री पता नहीं क्या-क्या योजनाएं लाकर इस प्रदेश का किस तरह से विकास करना चाहती हैं। उसका सारा कच्चा चिट्ठा

(डा. चन्द्रशेखर बैद)

मैंने तैयार कर रखा है जिसके अन्दर कथनी और करनी का फर्क आप अगर इसको देखें तो आपकी ही लिखी हुई बातें हैं। जो आपने राज्यपाल के मुख से कहलवाईं और उसके अन्दर एक साल में कितनी योजनाओं की क्रियान्विति हुई, उसका सही आकलन इसके अंदर है। आप जो चाहें देख लें क्योंकि राज्यपाल के अभिभाषण का अभिप्राय यह होता है कि पिछले साल के राज्यपाल के भाषण में जो घोषणाएं आपने कीं उसमें से कितनी का पालन हुआ, कितनी घोषणाएं आपने क्रियान्वित कीं और आगे आने वाले समय के अन्दर आप क्या क्या योजनाएं रखने वाले हैं।

मुझे यह कहते हुए बड़ा खेद है, मैंने पिछले 15 साल के राज्यपाल के अभिभाषण, पिछले 7 साल में पढ़े हैं और मुझे यह कहते हुए बड़ा दु:ख है कि इस बार का राज्यपाल का अभिभाषण जो माननीय मुख्य मंत्री और सरकार ने उनके मुख से कहलवाया है, वह अभी तक का सबसे घटिया अभिभाषण था क्योंकि उसमें न तो प्रगतिशील नीतियों की घोषणा की गई और न पुराने साल का कोई लेखा-जोखा प्रस्तुत किया गया। उसका कारण यह है कि माननीय मुख्य मंत्री उस समय यहां नहीं थीं, वो विदेश में थीं और अपने मंत्रिमंडल की "बी" टीम के सदस्यों को वो यह जिम्मेदारी सौंपकर गईं कि आप इस राज्यपाल के अभिभाषण को तैयार करें। इसका नतीजा यह है कि इतना घटिया अभिभाषण तैयार किया गया।

माननीय अध्यक्ष, मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय मुख्य मंत्रीजी ने खर्चा कहां-कहां किया है। आप देखिये, एक तारांकित प्रश्न के उत्तर में जो खर्चा किया है वह मुझे बताया गया है और वह मैं बता रहा हूं। सिर्फ 8 करोड़ 11 लाख रूपया डेयरी की तरफ से विज्ञापन पर खर्च किया गया। दूसरे अन्य 25 विभागों की मेरे पास सूची है जिसमें अभी तक कुल मिलाकर 33 करोड़ रूपये पिछले एक साल में सिर्फ मुख्य मंत्री के विज्ञापन पर खर्च किये गये। अगर आप यही रूपया सहरिया के अन्दर खर्च करते तो वहां कुपोषण और भूख से मौतें नहीं होतीं। (व्यवधान)

श्री मदन राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, इनको पूछें कि 'पानी बचाओ, बिजली बचाओ, सब को पढ़ाओ' पर कितना खर्च किया है विज्ञापन लिखवाने में? यह तो बतायें। (व्यवधान) फिर इनके क्या हाल हुए? (व्यवधान)

डा. चन्द्रशेखर बैद : राठौड़ साहब, मैं बीच में नहीं बोला, आप मुझे बोलने तो दें। माननीय अध्यक्ष आपकी सुरक्षा चाहता हूं। मैं जो फिगर बता रहा हूं वो पूरी जिम्मेदारी से और वास्तविक बता रहा हूं और चैलेंज करके बता रहा हूं, आप इसको डिस-एप्रूव कर दें। 33 करोड़ रूपये सिर्फ मुख्य मंत्री के विज्ञापन पर खर्च किये गये जिसमें से 8 करोड़ 11 लाख रूपये डेयरी के विज्ञापन में खर्च किये गये। यह रूपया अगर सहरिया पर खर्च किया जाता तो वहां भूख और कुपोषण से मौतें नहीं होतीं।

आपको एक छोटा-सा सुझाव है। माननीय प्रधान मंत्री ने एक महीने पहले यह घोषणा की है कि केन्द्र सरकार की तरफ से कोई भी विज्ञापन किया जाए उसमें न तो मेरी फोटो होनी चाहिए न मेरा नाम होना चाहिए। माननीय मुख्य मंत्रीजी को इसका अनुसरण करना चाहिए कि किसी भी सरकारी विज्ञापन के अन्दर खुद की फोटो और खुद का नाम न लिखवायें। इससे बचत भी होगी और आपका सही प्रचार भी होगा। (व्यवधान) आशा तो यह की जाती थी कि माननीय मुख्य मंत्री स्वविवेक से यह निर्णय करें लेकिन उनका अनुसरण भी कर लें तो इसमें कोई बुराई नहीं है।

पिछले साल आपने यह घोषणा की कि टेली मेडिसिन को बढ़ावा दिया जाएगा, ई-गवर्नेंस को बढ़ावा दिया जाएगा। ई-गवर्नेन्स का पहला उदाहरण आपने जो पेश किया वह यह पेश किया कि जो आपकी पानी की समस्या है, पानी का डिसपुट राजस्थान और पंजाब के बीच में चल रहा है, पहली बार पूरे विश्व में राजस्थान गवर्नमेंट की आफिशियल वैबसाइट पर 7.6 की जगह 7.06 एम.ए.एफ लिखा गया। आप एक तरफ तो सारे सदन को साथ में लेकर दिल्ली जाकर लड़ाई लड़ रहे हैं और सारी दुनिया को यह बता रहे हैं कि 7.6 नहीं हमारी मांग 7.06 है। आपकी जो आफिशियल वैबसाइट है, आज की तारीख के अन्दर, उसमें पिछले डेढ़ महीने में कोई भी न्यूज को अपडेट नहीं किया गया है। उसके अन्दर पुराने राज्यपाल का नाम लिखा हुआ है। नये महामहिम राज्यपाल के बारे में कोई डिस्क्रिप्शन नहीं दिया गया है। यह बहुत शर्मनाक बात है। उसके अन्दर मुख्य मंत्री सहायता कोष में सुनामी सहायता कोष के बारे में कोई जिक्र नहीं किया गया है। इससे आप क्या इम्प्रेशन देते हैं यहां पर, दिल्ली में, पूरे देश में, विदेशों में? एक तरफ तो आप ई-गवर्नेन्स

(डा. चन्द्रशेखर बैद)

की बात करते हैं, एक तरफ आप कलक्टर्स से वीडियो कान्फ्रेंसिंग की बात करते हैं और दूसरी तरफ हश्र यह है। यह बहुत लज्जाजनक और शर्मजनक बात है।

सूचना का अधिकार- मैं आपसे एक चीज कहता हूं कि पूर्ववर्ती सरकार ने सूचना का अधिकार आम नागरिक को दिया और उन्होंने यह कहा कि किसी भी विभाग की सूचना का पूर्ण अधिकार एक आम नागरिक को प्राप्त है। मैं और हमारे माननीय विधायक श्री हरिमोहनजी शर्मा ने सारे प्रमुख शासन सचिवों को अलग-अलग पत्र लिखकर उनके विभागों के बारे में जानकारी मांगी। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि जब एक निर्वाचित प्रतिनिधि को उसके द्वारा चाही गई सूचना उपलब्ध नहीं कराई जाती है तो एक आम आदमी को वो सूचना कैसे उपलब्ध होगी। (व्यवधान)

पहली चीज जो पिछले सत्र में बी.पी.एल. परिवारों के बारे में मैंने उठाई थी, आज उसको 14 महीने हो गये हैं, आज तक बी.पी.एल. परिवारों का सर्वेक्षण नहीं हुआ है। गांव के अन्दर ग्राम सभायें अभी तक आयोजित नहीं की गई हैं, विभिन्न बहाने करके उनको टाला जा रहा है, अभी तक नहीं की गई है जबकि एक गरीब का सपना इस बी.पी.एल. कार्ड में निहित होता है। पता नहीं कितने हजारों-लाखों को विभिन्न प्रकार के इलाज से वंचित रहना पड़ा है। सिर्फ इसलिए कि उनका नाम बी.पी.एल. की लिस्ट में शामिल नहीं किया गया। मुझे बड़ी खुशी थी कि राजस्थान के इतिहास में पहली बार पहली महिला मुख्य मंत्री, पहली महिला अध्यक्ष, पहली महिला महामहिम राज्यपाल और हमारे जो चिकित्सा मंत्री हैं वो भी एक गायनीकोलोजिस्ट हैं, तो उससे हो सकता है...(व्यवधान) आप नहीं हो तो बता दो।

श्री महावीर प्रसाद जैन : आपको कोई प्राब्लम हो तो आपकी मदद करेंगे।

डा. चन्द्रशेखर बैद : ऐसी आशा की जाती थी कि महिलाओं के लिए कोई विशेष कार्यक्रम बनाये जाएंगे, महिलाओं की सुरक्षा के लिए कोई विशेष योजनाएं बनाई जाएंगी। लेकिन पहली चीज तो यह हुई कि महिलाओं के अपराधों में राजस्थान का नम्बर एक है। दूसरी बात यह हुई कि प्रसव के

(डा. चन्द्रशेखर बैद)

कारण जिसके कारण यह सारी चीजें आंकी जाती हैं, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट में राजस्थान हिन्दुस्तान में नम्बर दो पर है। हर घण्टे एक महिला प्रसव के कारण मर रही है 472 करोड़ रूपये आपको मिले हैं चिकित्सालयों, प्राइमरी हैल्थ सेंटर, कम्युनिटी हैल्थ सेण्टर का सुधार करने के लिए और बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि उसमें से एक लाख रूपया भी इन्होंने अभी तक खर्च नहीं किया।

डा. दिगम्बर सिंह : डाक्टर साहब, अपनी इन्फार्मेशन अप-टू-डेट करें प्लीज ।

डा. चन्द्रशेखर बैद : आप विराजें, मेरी बात सुनें। आपने सिर्फ अभी तक कागजों में योजना बनाई है कि कौन-कौन से अस्पतालों को इसमें इनक्लूड किया जाएगा और उसमें क्या-क्या कार्य करवाये जाएंगे, पर कार्य अभी शुरू नहीं हुए।

डा. दिगम्बर सिंह : डाक्टर साहब, अपनी इन्फार्मेशन अप-टू-डेट कर लें, मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं, ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता।

डा. एन.एस. गुर्जर : इन्होंने जितने भी प्रसव कराये हैं उनमें एक में भी मौत नहीं हुई।

डा. चन्द्रशेखर बैद : इनके प्रसव कराने से मतलब नहीं है। आज जो लेटेस्ट आंकड़े बताते हैं, वह यह बताते हैं कि राजस्थान के अन्दर प्रति घंटे एक महिला की प्रसव के कारण डैथ हो रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि रूरल एरियाज में प्रसव की अभी तक कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है। वहां न तो ए.एन.एम. है, न कोई गायनीकोलोजिस्ट है न कोई डाक्टर है। देखिये, मैं आपसे एक छोटा सा निवेदन करना चाहता हूं, पिछली बार बजट सत्र में सरकार ने यह घोषणा की थी, अस्पतालों के अन्दर प्राइवेट ठेकेदारों को घुसेड़ा जाएगा और आपने जिद्द करके सारी चीजों को ताक में रखकर यह निर्णय किया, आपकी केबिनेट ने यह निर्णय किया कि प्राइवेट ठेकेदारों को सरकारी अस्पतालों के अन्दर डाला जाएगा। बहुत अच्छी बात है, आपका नीतिगत फैसला है। सरकार कोई भी नीतिगत फैसला कर सकती है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : किस सरकार का है? लो।

डा. चन्द्रशेखर बैद : मान ली बात, आपका ही फैसला है यह, वर्तमान का है। नहीं, पुरानी सरकार का फैसला वही माना जाता है जो इम्प्लीमेंट होता है। जो कोई विचारणीय विषय है उसको आप नहीं मान सकते, क्योंकि सरकार के पास विचार के लिए कई विषय आते हैं। लेकिन यह फैसला किया किसने? आपकी सरकार ने किया, आपकी सरकार ने किया। देखिये, जो एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट है, वह तो यही है, आपने भी तो उसकी पालना की...(व्यवधान) आप मेरी बात सुनें। यह योजना बनी थी चार साल पहले।

श्री अध्यक्ष : हाकिम जाता है, हुक्म नहीं जाता है। हाकिम चला जाता है, हुक्म नहीं जाता है। (व्यवधान)

डा. चन्द्रशेखर बैद : आपने प्राइवेट ठेकेदारों को सरकारी अस्पतालों में डाला, बात मान ली आपकी यह, आपका नीतिगत फैसला था। आपने यह देखा कि इससे कई लाभ होंगे, जबकि आप यह मानिये कि जनमत इसके खिलाफ था। सारे मेडिकल स्टूडेंट इसके खिलाफ हैं, सारे मेडिकल टीचर्स इसके खिलाफ हैं, सारा स्टाफ इसके खिलाफ हैं। इसके बावजूद जो सबसे बड़ी सनसनीखेज बात हुई वह दूसरी है। आप देखिये, 25 दिसम्बर को एस.एम.एस. की सी.टी. स्कैन मशीन खराब हो गई थी। अब आपको यह मालूम था कि यह सी.टी. स्कैन मशीन कभी भी खराब हो सकती है, आपने उसका आल्टरनेटिव अरेंजमेंट क्यों नहीं किया? पहली बात।

दूसरी बात, जब आपको यह मालूम है कि नई सी.टी. स्कैन और एम.आर.आई. की मशीन अप्रैल के महीने में लगेगी तो इन चार महीनों का ठेका आपने गैर वाजिब तरीके से किसी एक प्राइवेट डायग्नोस्टिक लैब को दे दिया और वह इसलिए दे दिया कि उसमें किसी व्यक्ति विशेष को आपको लाभ पहुंचाना था। वह डाकूमेंट मैं आपको प्रस्तुत करना चाहता हूं। इसके अन्दर आपने.....(व्यवधान) मैं बताता हूं आपको इसमें एक लिखित सवाल के जवाब में यह बताया है कि इसके लिए टेण्डर इन्वाइट किये गये, जबकि 25 दिसम्बर के बाद में कोई भी टेंडर इन्वाइट नहीं किये गये और बिना किसी कानून कायदे के राजस्थान मेडिकल रिलीफ सोसायटी के माध्यम से एक प्राइवेट डायग्नोस्टिक

लैब को आर्थिक लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से उसको ठेका दे दिया गया, जो कि सर्वथा अनुचित है। यह सवाल जिसके जवाब में आपने गलत आंसर दिया है, मैं माननीय अध्यक्ष के पास में यह प्रस्तुत करूंगा और इसमें क्यों किया गया, यह मैं आपको बताना चाहूंगा। इसके अन्दर वर्धमान डायग्नोस्टिक सेंटर, क्या है वर्धमान डायग्नोस्टिक सेंटर, यह उसकी रिपोर्ट है, वैलिड रिपोर्ट जो आप अगर आदेश करेंगे तो मैं टेबल भी कर दूंगा, जिसमें यह लिखा हुआ है कि जो कंसल्टेंट हैं उसके अन्दर- अनुराग यादव, विदित माथुर और डाक्टर माधवी चन्द्रा, डाक्टर माधवी चन्द्रा सी.एम.ओ. में काम करने वाले एक उच्चाधिकारी की धर्मपत्नी हैं इसलिए इसको आर्थिक लाभ पहुंचाने के लिए यह कार्यवाही की गई है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, जो सदन का सदस्य नहीं है और बिना किसी तथ्य के, बिना किसी उसके, आप अनर्गल आरोप लगा रहे हैं।

डा. चन्द्रशेखर बैद : मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं, मैं यह डाकूमेंट बता रहा हूं।

श्री संयम लोढ़ा : मुख्य मंत्री कार्यालय से यह हुआ है घोटाला।

डा. सी.पी. जोशी : आप इसकी जांच कराइये, आप तो इसकी जांच करवाइये। (व्यवधान) आप में साहस है तो जांच की बात करिये। आप में साहस ही नहीं है।

श्री संयम लोढ़ा : आप जांच की घोषणा करो, इसमें मुख्य मंत्री कार्यालय के अधिकारी शामिल हैं। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : ये बिना तथ्यों के यहां पर बोल रहे हैं। (व्यवधान)

डा. सी.पी. जोशी : आप उसका यहां क्या चाहते हैं? आप में साहस हो तो अध्यक्षजी को कहिये, इसकी जांच करायेंगे। साहस तो है नहं और बिलकुल खड़े हो जाते हैं। कहिये अध्यक्षजी को कि यदि यह सत्य बात नहीं है तो जांच करायेंगे। हम अधिकार देते हैं अध्यक्षजी को।

श्री अशोक बैरवा "खण्डार" : गोविन्द मोहन गुप्ता की धर्मपत्नी हैं। (व्यवधान)

डा. सी.पी. जोशी : आप जांच की घोषणा करो, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। आप सुनना नहीं चाहते। आप तो जांच कराइये, सत्य बात सामने आ जाएगी। (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा : यह समानान्तर सत्ता केन्द्र चल रहा है राजस्थान में। पूरे प्रदेश में यह सत्ता का केन्द्र चल रहा है। (व्यवधान)

डा. सी.पी. जोशी : अध्यक्षजी, आपको इसमें काग्नीर्जेस लेना चाहिए। यदि इस तरह की बात है तो हम अध्यक्षजी को अधिकार देते हैं, आप पता लगा लो, वह जो माननीय सदस्य ने कहा है वह सही है या नहीं है। (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा : आप में अगर, राठौड़ साहब, सच्चाई है तो आप घोषणा करो, आप इसकी जांच करायेंगे। करो घोषणा, करो। आप घोषणा करिये, आप इसकी जांच करायेंगे। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आपके पास तथ्य हों तो करो आप टेबल, करो। आप टेबल करो तथ्य। (व्यवधान)

डा. सी.पी. जोशी : आप घोषणा करिये, हम टेबल करेंगे तथ्य। (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा : हम टेबल करेंगे, तथ्य हैं हमारे पास, आप जांच की घोषणा करो।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आप यूं ही खड़े होकर बात कह देते हैं। आप तथ्य टेबल करिये। (व्यवधान)

डा. सी.पी. जोशी : आप तो जांच की घोषणा करो। मंत्रीजी बैठे हैं, बोल नहीं रहे हैं। किस कारण से नहीं बोल रहे हैं? हैल्थ मिनिस्टर बैठे हैं, ये कुछ नहीं बोल रहे हैं। इस बात पर हैल्थ मिनिस्टर बोलें, क्या तकलीफ है इसमें। (व्यवधान)

श्री अशोक बैरवा "खण्डार" : हैल्थ मिनिस्टरजी, बोलिये, आप इसकी जांच करवा दीजिये। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : हैल्थ मिनिस्टर का तो लेना देना नहीं है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : वैसे हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं है लेकिन मैं आपको इतना बता दूं, यह जो भी सारी कार्यवाही हुई है, वह प्रक्रियाधीन है और सी.एम.ओ. से इसका कोई लेना देना नहीं है, मुझसे भी कोई लेना देना नहीं है और मेडिकल रिलीफ सोसायटी जो बनी हुई है उसके अन्तर्गत यह सारी कार्यवाही हुई। यह जो पिछली सरकार के यहां पर जांच होती थी, उससे भी सस्ती है। उसके कारण से मार्केट रेट डाउन हुई है और वेस्टेड इन्टरेस्ट जिनका है, आप जिनका संरक्षण करना चाहते हैं, उनका कोई संरक्षण नहीं होने दिया जाएगा, यह सुन लो आप। मैं गरीब को लुटने नहीं दूंगा, मैं गरीब को नहीं लुटने दूंगा। (व्यवधान)

डा. चन्द्रशेखर बैद : नहीं, मैं आपको यह निवेदन करना चाहता हूं...

डा. सी.पी. जोशी : नहीं, यह इश्यू नहीं है। इश्यू यह है कि सी.एम.ओ. के अधिकारी के खिलाफ यह बात है, आप जवाब दीजिये इस बात का कि मेडिकल रिलीफ सोसायटी कैसे चलेगी, आपको जवाब देना पड़ेगा। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : जिसको आप दिलाना चाहते हैं, उसको दिया नहीं, एस.एम.एस. को दिया नहीं, इसलिए आप यह बात कर रहे हैं।

श्री महावीर प्रसाद जैन : सी.टी. स्कैन की मार्केट की जो रेट है, उससे कम रेट पर दिया जाता था और अब...(व्यवधान)

डा. सी.पी. जोशी : आपको जवाब देना पड़ेगा कि मिसेज माधवी चन्द्रा सी.एम.ओ. के अधिकारी की पत्नी हैं। यहां हल्ला करने से क्या होगा। आप इसका जवाब दीजिये कि श्रीमती चन्द्रा सी.एम.ओ. में काम करने वाले अधिकारी की वाइफ नहीं हैं? यह जवाब दीजिये आप। इस पर तो आप बोल नहीं रहे हैं। (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : वे किसी फर्म की पैरवी कर रहे थे, आप उनकी पैरवी करना चाहते हैं? (व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी : सुनिये, मशीन खराब और गरीब लोग आयें, सरकार के खर्चे पर मैं उनका टैस्ट करा रहा हूं और सरकार..

डा. चन्द्रशेखर बैद : मशीन खराब करवाई गई। मशीन खराब करवाई गई क्योंकि आपको उनसे जांच करवानी थी। मशीन जान बूझकर खराब करवाई गई और आपको...

श्री घनश्याम तिवाड़ी : आप सुनिये, पहले सुनिये। जहां आप जांच करते हैं वहां मैं नहीं करवाऊंगा। जहां आप जांच करना चाहते हैं वहां नहीं करवाऊंगा। मशीन खराब है और सरकार में जिस रेट पर होती थी, उससे सस्ती रेट में हो रही है, उसके कारण से मार्केट में जबरदस्त गिरावट आ रही है, यह है सबसे बड़ी बात। (व्यवधान) ये लोग उस वेस्टेड इन्ट्रेस्ट का संरक्षण करना चाहते हैं। जब तक घनश्याम तिवाड़ी है, बिलकुल नहीं होने दूंगा, यह मैं आपको कह देता हूं। (व्यवधान)

डा. सी.पी. जोशी : घनश्याम तिवाड़ी के हाथ में कुछ नहीं है, घनश्याम तिवाड़ी के हाथ में कुछ नहीं है। (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा : यह नहीं चलेगा आप जांच की घोषणा करो उसकी। आप आज ही इसकी घोषणा करो।

डा. सी.पी. जोशी : यह कह दो कि यह घनश्याम तिवाड़ी का फैसला है। आप जांच की घोषणा करिये। खाली भाषण देने से काम नहीं चलेगा।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : किसकी जांच करवायेंगे? माननीय अध्यक्ष महोदय, जांच करानी पड़ेगी तो दूसरों की भी करानी पड़ेगी जो उनका प्रतिनिधित्व करते हैं। (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा : आपके मंत्रीजी ने पिछले साल कहा था कि बिजली के पैसे नहीं बढ़ाये जाएंगे। (व्यवधान) क्या हुआ, क्या हुआ? (व्यवधान) यह घोटाला किया गया है और मुख्य मंत्री के इशारे पर हुआ है यह।

श्री हरिमोहन शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मेडिकल रिलीफ सोसायटी को किसी के टेण्डर मांगने का और सरकारी अस्पतालों में जांच करवाने का कोई

कानूनी अधिकार नहीं है। क्योंकि पहले सरकार ने टेण्डर मांगे थे और हाई कोर्ट ने यह टेण्डर निरस्त कर दिये थे इसलिए लाभ पहुंचाने के लिए इसमें मेडिकल रिलीफ सोसायटी के माध्यम से यह अवैधानिक काम करवाया है। मेडिकल रिलीफ सोसायटी कांट्रेक्ट नहीं दे सकती, कोई राइट नहीं है। (व्यवधान) मेडिकल रिलीफ सोसायटी को अस्पतालों के लिए कांट्रेक्ट नहीं दे सकते। अगर दे सकते होते तो सरकार प्राइवेट और...(व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी : सरकार ने नहीं दिया, मैं आपको बता देता हूं। आप सुनिये पहले।

श्री हरिमोहन शर्मा : अब आप ठहरिये, आप सुन लो नां। आप जवाब दो। आप जवाब दो। (व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी : नहीं सुनूंगा मैं, नहीं सुनूंगा। नहीं सुनूंगा मैं।

श्री संयम लोढा : सुनना पढ़ेगा।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : उन लोगों के वेस्टेड इंट्रेस्ट का संरक्षण मैं नहीं करने दूंगा।

श्री संयम लोढ़ा : आप हमारे प्रश्न का जवाब दो पहले। माधवी चन्द्रा कौन हैं? (व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा : आप जवाब क्यों नहीं देना चाहते? बताइये, यह माधवी चन्द्रा कौन हैं?

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, यह सदन का दुरुपयोग किया गया है, ये सदन का दुरुपयोग करना चाहते हैं। यह चाहते हैं, उसको ठेका नहीं मिले। मेडिकल रिलीफ सोसायटी एक स्वायत्तशासी संस्था है। (व्यवधान) ये गलत बात कर रहे हैं।

श्री हरिमोहन शर्मा : मेडिकल रिलीफ सोसायटी को कोई कांट्रेक्ट देने का अधिकार नहीं है। नहीं है, नहीं है। मेडिकल रिलीफ सोसायटी को कांट्रेक्ट देने का वैधानिक अधिकार नहीं है। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : टेबल पटकने से तुम्हारे पाप नहीं धुलेंगे। (व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी : सदन का उपयोग अपने पर्सनल काम के लिए करना चाहते हैं, इससे बुरी बात कोई नहीं हो सकती।

श्री हरिमोहन शर्मा : मेडिकल रिलीफ सोसायटी को कांट्रेक्ट देने का कोई वैधानिक अधिकार नहीं हैं। आप बता दो, अधिकार है क्या मेडिकल रिलीफ सोसायटी को कांट्रेक्ट देने का?

श्री ओम बिरला : आपकी सरकार को अधिकार है तो आप कैसे कह रहे हैं, आप ऐसे ही करते हैं क्या?

श्री हरिमोहन शर्मा : आप बताओ ना, आपकी सरकार कांट्रेक्ट देने में पहले फेल हो गई, हाई कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया। इन्होंने चोर दरवाजा निकाला यह मेडिकल रिलीफ सोसायटी, आप दे दो, कानून है क्या, कानून बताओ। गैर कानूनी काम मत करो। (व्यवधान)

डा. दिगम्बर सिंह : आप माननीय सदस्य की मंशा है कि .. (व्यवधान)

श्री ओम बिरला : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य जो चर्चा कर रहे हैं, सरकार कह रही है इस बात को लेकर..(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप कम से कम उनकी सुनिये। आपके एक सदस्य ही तो बोले हैं..

श्री राजेन्द्र राठौड़ : यह सदन का दुरुपयोग कर रहे हैं। यह सदन का दुरुपयोग है.. (व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी : यह जिसको चाहें उसको ठेका नहीं मिला तो सदन का दुरुपयोग करते हैं और मुख्य मंत्री पर आरोप लगाते हैं (व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा : यह अपने गैर-कानूनी कृत्य को जायज.. (व्यवधान)

श्री ओम बिरला : राजस्थान की गरीब जनता को लुटने नहीं देंगे।

श्री हरिमोहन शर्मा : अपनी गैर कानूनी कार्यवाही को आरोप लगाकर...(व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा : गरीबों को लूटने का ठेका आप लोगों ने किया है.. (व्यवधान)

श्री राजेन्द राठौड़ : आप जैसे वरिष्ठ सदस्य से यह उम्मीद नहीं थी। आप सदन का दुरुपयोग कर रहे हैं, मैं समझता हूं इससे दुर्भाग्यजनक बात कोई हो नहीं सकती।

श्री संयम लोढ़ा : मैं तो एक बात, शर्म आनी चाहिए आपको, ऐसी बातें कर रहे हैं..(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आप अपने निजी स्वार्थ के कारण सदन का दुरुपयोग कर रहे हैं...

श्री संयम लोढ़ा : शर्म आनी चाहिए आपको। आपको शर्म आनी चाहिए। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आपसे इस तरह की उम्मीद नहीं थी, अनर्गल बात कर रहे हो, बिना आधार पर बात करो, बिना तथ्यों के बात करो.. (व्यवधान)

डा. चन्द्रशेखर बैद : आधार है। जांच करवा लो, आधार है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : सदन की बैठक गुरुवार, दिनांक 17 फरवरी, 2005 के प्रातः 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 20.01 बजे गुरुवार, दिनांक 17 फरवरी, 2005 के 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई)

समयाभाव के कारण सदन में नहीं लिये जा सके तारांकित प्रश्न एवं उनके उत्तर

महाराष्ट्र प्रणाली के अन्तर्गत जनजाति उपयोजना क्षेत्र में संचालित छात्रावास

41. **श्री नन्दलाल मीणा (प्रतापगढ़)** : क्या जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) राज्य में जनजाति उपयोजना क्षेत्र विकास के लिए लागू की गई महाराष्ट्र प्रणाली से उपलब्ध राशि में से किस-किस वर्ष में किन-किन मदों के लिये कितनी-कितनी राशि का प्रावधान किया गया? प्रावधान के अनुसार किस-किस मद में कितनी-कितनी राशि व्यय की गई?

(2) उपयोजना क्षेत्र में चलाये जा रहे आश्रम छात्रावासों व कालेज छात्रावासों में वर्ष 2003-2004 में कितने छात्र-छात्रा बोर्ड एवं विश्वविद्यालय परीक्षा में बैठे और परीक्षा परिणाम क्या रहा? जिलेवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) सरकार द्वारा जनजाति उपयोजना क्षेत्र के कितने छात्र-छात्राओं को बेरोजगारी भत्ता उपलब्ध कराया जा रहा है? जिलेवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) महाराष्ट्र प्रणाली में वर्षवार आबंटन एवं उसके विरुद्ध अब तक व्यय निम्नानुसार है :-

वर्ष	आबंटन	स्वी. राशि	व्यय अब तक
2001-2002	30000.00	2965.32	2742.82
2002-2003	1000.00	1000.00	621.75
2003-2004	500.00	500.00	487.99
2004-2005	3000.00	2701.24	522.07

(वर्षवार, योजनावार आबंटन एवं व्यय की सूचना (परिशिष्ट-अ) पर सलंग्न है।)

(जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री)

(2) (i) जनजाति उपयोजना क्षेत्र में विभाग द्वारा संचालित आश्रम छात्रावासों में वर्ष 2003-04 में कक्षा 12, 10 एवं 8वी में जिलेवार प्रवेशित छात्र -छात्राओं की संख्या एवं उत्तीर्ण छात्र/छात्राओं की सूचना निम्नानुसार है-

कक्षा 12		कक्षा 10		कक्षा 8	
प्रवेशित	उत्तीर्ण	प्रवेशित	उत्तीर्ण	प्रवेशित	उत्तीर्ण
656	509	1188	668	1143	917

(जिलेवार विस्तृत सूचना (परिशिष्ट-ब) पर उपलब्ध है।)

(ii) जनजाति उपयोजना क्षेत्र में संचालित महाविद्यालय छात्रावासों में विश्वविद्यालय परीक्षा में वर्ष 2003-04 में बैठक की संख्या एवं उत्तीर्ण छात्र/ छात्राओं की सूचना निम्नानुसार-

विश्वविद्यालय परीक्षा में बैठक छात्र/ छात्राओं की संख्या	उत्तीर्ण छात्र/छात्रा
75	70

(जिलेवार विस्तृत सूचना (परिशिष्ट-स) पर उपलब्ध है।)

नोट :- उपरोक्त दो महाविद्यालय में ही छात्रावास संचालित है शेष महाविद्यालयों में छात्रावास में प्रवेश नहीं है। अतः 7 महाविद्यालय की सूचना शून्य है।

(3) जनजाति उपयोजना क्षेत्र में छात्र-छात्राओं को इस विभाग द्वारा बेरोजगारी भत्ता उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है।

परिशिष्ट-अ

जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर
महाराष्ट्र पेटर्न अन्तर्गत आबंटित राशि की प्रगति
माह दिसम्बर, 2004 तक

क्र. सं.	योजना	स्वीकृत राशि				वर्षवार व्यय इस माह तक			
		वर्ष 2001-02	वर्ष 2002-03	वर्ष 2003-04	योग	वर्ष 2001-02	वर्ष 2002-03	वर्ष 2003-04	कुल व्यय चालू माह तक
1	2	3	4	5.	6	7	8	9	10
A	अनुसूचित क्षेत्र								
1.	आयुर्वेद कैम्प	4.00			4.00	2.34			2.34
2.	पशुपालन शिविर व काफ रेली	14.02			14.02	13.80			13.80
3.	आई.टी.आई. जीएनएम सेरीकल्चर योजना के वेतन आदि पर व्यय	73.00			73.00	73.83			73.83
4.	बैफ द्वारा उद्यानिकी	30.00			30.00	30.00			30.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.	गरीबी रेखा से ऊपर उठने की स्थिति का सर्वे	5.00			5.00	3.47			3.47
6.	हीफर परियोजना	24.20			24.20	0.22			0.22
7.	सीडी कार्य	193.75	40.00	10.25	244.00	204.65	36.68	12.56	253.89
8.	सम्पर्क सड़क	494.41	294.00	415.85	1204.26	444.28	170.04	438.95	1053.27
9.	एनीकट	1133.84	199.18	48.00	1381.02	1003.56	174.80	19.23	1197.59
10.	लघु सिंचाई कार्य	503.18			503.18	491.05			491.05
11.	अधूरी लघु सिंचाई योजना	27.82			27.82	24.04			24.04
12.	आश्रम छात्रावास मरम्मत व रखरखाव	139.25	16.15		155.40	139.25			142.50
13.	आवासीय विद्यालय (राज्य अंश)	75.00			75.00	75.00			75.00
14.	सलूम्बर आश्रम छात्रावास पूर्ण करना		23.50		23.50		16.65		16.65
15.	आश्रम छात्रावास भवन निर्माण		146.10		146.10		47.67		47.67
16.	भीखा भाई स्मारक		25.00		25.00		0.00		0.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
17.	मानगढ़ धाम स्मारक		100.00	10.00	110.00		72.41		72.41
18.	टीआरआई भवन मरम्मत	5.00			5.00	5.00			5.00
19.	शिल्पग्राम से जनजाति म्यूजियम	5.75			5.75	5.75			5.75
20.	सामुदायिक भवन	2.10		12.10	14.20	2.10		11.45	13.55
21.	कक्षा के कक्षों की छत का निर्माण			3.25	3.25			5.80	5.80
22.	सागवाड़ा चिकित्सालय में विश्रामालय के ऊपर हाल का निर्माण			0.55	0.55			0.00	0.00
	योग अनुसूचित क्षेत्र	**2730.32**	**843.93**	**500.00**	**4074.25**	**2518.34**	**521.50**	**487.99**	**3527.83**
B	अनुसूचित क्षेत्र से बाहर								
1.	आश्रम छात्रावास भवन निर्माण		50.07		50.07		17.17		17.17
2.	सम्पर्क सड़क		66.00		66.00		44.63		44.63
3.	एनीकट		40.00		40.00		38.45		38.45

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.	छात्रावास संचालन व माडा प्रशासन के वेतन आदि पर व्यय	205.00			205.00	194.48			194.48
5.	आवासीय विद्यालय (राज्य अंश)	30.00			30.00	30.00			30.00
	योग अनुसूचित क्षेत्र से बाहर	235.00	156.07	0.00	391.07	224.48	100.25	0.00	324.73
	महायोग	2965.32	1000.00	500.00	4465.32	2742.82	621.75	487.99	3852.56

ANNUAL PLAN 2004-05 OUTLAY
(MAHARASHTRA MODEL)

(Rs. In Lakh)

S. No.	Major Head/Minor Head of Development	Outlay	Exp. Upto Dec.,04
1	2	3	4
1.	ANIMAL HUSBANDRY		
	Veterinary and Infernity camp	16.00	
2.	RTADCF	0.00	52.19
A	FISHERIES	0.00	2.69
	Subsidy for purchase of nets & boats	5.00	
	Training & Community Centre	1.10	
	Subsidy for Fish seed purchase	16.00	2.69
	Organisation of Fish cooperatives	7.13	
	Subsidy for Fish conservation	1.00	
	Fishermen insurance	0.51	
B	COOPERATION	0.00	49.50
	Subsidy on purchases of Share of LAMPS by ST	50.00	45.00
	Reimbursement of exhibition exp.	1.00	
	Training grant for RTADCF	2.00	
	Reimbursement of MFP royalty	1.00	0.56
	Reimbursement of MFP overhead charges	30.00	
	Managerial assistance to LAMPS	7.00	3.94
4.	EDUCATION	00.0	160.54
A.	Running of 150 Ashram Hostels & 1135.93	1115.61	107.17
	Books for Ashram Students	9.56	

1	2	3	4
	Free Coaching for Ashram Hostels	34.23	
	Equipment & Utensils for 11 New Hostels &	105.47	
	Const. of New Hostels (50 Beded) @ 33.37	166.85	
	Provision of Rent for Tribal Students	128.25	
	Talented Boys Scholarship to 1st class students (Board & University)	15.00	5.10
	Economic Help to Tribal Girls for Higher Education	57.75	41.49
B	KHEL CHHATRAWAS 2202-01-796 (007)	0.00	
i	Running of Eklavya Khel Chhatrawas	28.47	6.78
ii	Running of Divisional Sports Hostel, Udaipur	11.18	
iii	Running of Distt. Level Sports Hostel, Kherwada	12.23	
5	AYURVED	0.00	
	Organisation of Ayurved Treatmebt Camp	11.57	
6	TRI	0.00	
	Research fellowship to tribal students	3.00	
	Coaching for PMT/PET/IIT exam through reputed institutes	5.50	
	Coaching for other competitive exam.	2.75	
	Evaluation studies	5.00	
	BPL Survey	2.00	
	Other TRI Schemes (50:50)	11.26	
7	SWACH	0.00	
	TB control programme 109.64	103.45	45.94

1	2	3	4
	Fluorosis Control	50.00	
8	**TRAINING PROGRAMME**	0.00	
	General Nursing Training Medical	4.81	
	Food Craft Training	3.64	
	Special B.Ed. Unit	59.30	
	Special B.P.Ed Unit	3.37	
	Training to ST Students in computer 41.00	40.00	18.84
	Craftsman Training	0.00	
	Conduct of Special Course for ST students in ITI	74.84	3.72
9	Token provision for PAHAL project	1.00	
10	**GENERAL SCHEMES**	0.00	
	Legal aid to poor tribals	0.30	
	Onararium to Public Reprentative	1.50	
	Assistance to tribals for Accident & disease	7.00	
11	**OTHERS**		
	Salary of College staff Kherwara		
	Subsidy on solar light system		
	Uniform ect of ANM & anganwari workers		
	Installation of Hand Pumps		
	TOTAL-1 (SCHEDULED AREA) 2202.81	2202.81	281.23

1	2	3	4
	MADA		
	Agriculture & Allied Activities		
	Assistance to tribal for Purchase of Share of Cooperative Society	25.00	8.58
	Power		
	Electrification of Tribal Basties in Electrified villages		
	Subsidy for energation of Agriculture Wells	0.02	
	Kutir Jyoti	0.02	
	Subsidy on Domestic Solar Light Set	0.02	
	Social and Community Services		
	Incentive for Hr. Vocational Education	0.00	
	Incentive to girls for Hr. Education	17.50	7.20
	Scholarship to Talented Students	17.50	13.06
	Running of Ashram Hostels	150.00	104.10
	Estt. Cost of Ashram Hostels	20.49	
	Utensils etc. for New Ashram Hostels	1.18	
	Education Tour for Inmates of A.H.	0.00	
	Books for Ashram Hostels	2.50	0.46
	Coaching for Ashram Hostels	4.05	0.34
	Const. of Residential School	50.00	
	Const. of Ashram Hostel Building	0.00	
	Installation of Handpump	25.00	6.66
	B.Ed. Training	11.66	9.33
	B.P.Ed. Training	3.80	3.37

1	2	3	4
	Sports Hostels	6.67	6.67
	Computer Training	25.00	
	Renovation & Modernisation of Ashram Hostels	48.00	7.34
	TOTAL	408.41	167.11
	MADA CLUSTER		
	Agriculture & Allied Activities		
	Assistance to tribal for Purchase of Share of Cooperative Society	2.50	1.31
	Power		
	Electrification of Tribal Basties in Electrified villages	0.10	
	Subsidy for energisation of Agriculture Wells	0.10	
	Subsidy on Domestic Solar Light Set	0.10	
	Social and Community Services		
	Incentive for Hr. Vocational Education	0.00	
	Incentive to girls for Hr. Education	0.56	0.45
	Scholarship to Talented Students	0.56	0.25
	Installation of Handpump	8.00	1.50
	TOTAL	11.92	3.51
	SCATTERED		
	Co-Operation		
	Assistance to Tribal for Purchase of Share of Cooperative Society	15.00	6.11
	Power		
	Electrification of Tribal Basties in Electrified villages	0.30	
	Subsidy for energisation of Agriculture Wells	0.30	
	Subsidy on Domestic Solar Light Set	0.30	

1	2	3	4
	Social and Community Serivces		
	Education		
	Running of Ashram Hostels	20.70	1.99
	Estt. Cost of Ashram Hostels	20.49	1.51
	Utensils etc. for New Ashram Hostels	1.18	
	Books for Ashram Hostels	0.25	0.03
	Education Tour for Inmates of A.H.	0.00	
	Coaching for Ashram Hostel	1.44	
	Construction for Ashram Hostels Building (50:50)	116.80	
	Incentive for Higher Vocational Education	0.00	
	Incentive to girls for Higher Vocational Education	24.50	13.35
	Scholarship to talented student	25.02	15.93
	Coaching for PET/PMT/IIT exam. Through reputed institutions	13.50	
	Drinking Water		
	Installation of Handpump	17.50	5.42
	Subsidy on Construction of Tanks	4.00	
	TOTAL	**261.28**	**44.34**
	SAHARIA		
	AGRICULTURE & ALLIED SERVICES		
	Assistance for Purchase of Shares of Lamps/ other Cooperative Societies	2.50	
	SOCIAL & COMMUNITY SERVICES EDUCATION		
	Running of Ashram Hostels	44.21	2.72
	Establishment of Ashram Hostels	14.16	4.80

1	2	3	4
	Supply of Free Stationery to Saharia Students (Primary Classes)	7.59	5.69
	Modernization, Repair & Maintenance of Ashram Hostels	10.50	
	Education Tour for Inmate of Ashram Hostels	0.00	
	Scholarship to Talented Students	0.20	0.15
	Books for Residents of Ashram Hostels	0.50	
	Free Stationery, Dress & School Fees (VI to XII Class)	4.20	3.15
	Supply of free Uniform (class I to V)	0.00	
	Incentive to College Students	2.00	1.90
	Coaching of Ashram Hostels Students	1.80	0.40
	B.Ed. Tranning	0.27	
	Installation of Hand Pump in Saharia Basti	5.00	
	HEALTH		
	T.B. Control & Swasthya Karmi	32.65	7.07
	TOTAL	115.58	25.88
	TOTAL-II (MADA+MADA CLUSTER+ SCATTERED+SAHARIA)	797.19	240.84
	GRAND TOTAL (TOTAL-I+TOTAL-II) (including M.Pat.)	3000.00	522.07

परिशिष्ट ब

	कक्षा 12		कक्षा 10		कक्षा 8	
	प्रवेशित	उत्तीर्ण	प्रवेशित	उत्तीर्ण	प्रवेशित	उत्तीर्ण
बांसवाड़ा	213	162	404	207	302	259
डूंगरपुर	197	164	308	213	297	264
उदयपुर	133	113	271	147	303	243

	कक्षा 12		कक्षा 10		कक्षा 8	
	प्रवेशित	उत्तीर्ण	प्रवेशित	उत्तीर्ण	प्रवेशित	उत्तीर्ण
प्रतापगढ़	102	61	183	85	166	112
आबूरोड़	11	9	22	16	75	39
योग	656	509	1188	668	1143	917

परिशिष्ट स

महाविद्यालय छात्रावास का नाम	विश्वविद्यालय परीक्षा में बैठक छात्र/छात्राएं की संख्या	उत्तीर्ण छात्र/छात्रा
1. राजकीय महाविद्यालय बांसवाड़ा	24	20
2. राजकीय महा. विद्यालय, कुशलगढ़	शून्य	शून्य
3. राजकीय कन्या महाविद्यालय, बांसवाड़ा	शून्य	शून्य
4. राजकीय कन्या महाविद्यालय, डूंगरपुर	-	-
5. राजकीय महाविद्यालय, डूंगरपुर	-	-
6. राजकीय महाविद्यालय, सागवाड़ा	-	-
7. राजकीय महाविद्यालय, सलूम्बर	-	-
8. राजकीय महाविद्यालय, प्रतापगढ़	51	50
9. राजकीय महाविद्यालय, आबू रोड़	-	-
योग	75	70

ट्रान्सफार्मर्स की उपयोगिता के सम्बन्ध में जारी निर्देश

42. श्री रामनारायण मीणा (नैनवां) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विद्युत वितरण निगम द्वारा ट्रांसफार्मर के उपयोग, क्रय, मरम्मत एवं वितरण आदि के बारे में क्या कोई प्रक्रिया निर्धारित की गई है? यदि हां, तो क्या? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि ट्रांसफार्मर के क्रय करते समय उसकी सही क्षमता व मरम्मत के समय सही कार्य होने के बारे में उचित ध्यान दिया जाता है? यदि हां, तो इस बाबत क्या प्रकिया/नियम निर्धारित किये हुए हैं?

(3) क्या यह सही है कि ट्रांसफार्मर्स में समय पूर्व खराबी आ जाने, जल जाने एवं अन्य कारणों से अनुपयोगी हो जाने सम्बन्धी शिकायतें आती रहती हैं? यदि हां, तो इनके निराकरण के लिए क्या कार्यवाही अमल में लाई जा रही है?

(4) क्या किसानों को बिना किसी देरी के ट्रांसफार्मर बदले जाने के लिए सरकार द्वारा आदेश जारी किए हुए हैं? यदि हां, तो प्रति सदन की मेज पर रखें।

(5) वर्ष 2003 में सरकार के आदेशों की अवहेलना के कितने प्रकरण सामने आये व उन पर क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। विद्युत वितरण निगमों में ट्रांसफार्मरों के उपयोग क्रय, मरम्मत एवं वितरण की निम्नलिखित प्रक्रिया निर्धारित है :-

उपयोग एवं वितरण : ओ. एण्ड एम. का उप खण्ड (ऐईएन) कार्यालय अपनी आवश्यकता सर्किल (एसई) कार्यालय पर भेजता है तथा सर्किल कार्यालय ट्रांसफार्मर उपलब्धता के अनुसार उप खण्ड कार्यालय को आबंटित

(ऊर्जा मंत्री)

कर देता है। ट्रांसफार्मरों के उपलब्ध नहीं होने पर सर्किल आफिसर (एस ई) मुख्य अभियंता (आंएण्डएम) को अपनी आवश्यकता भेज देता है। मुख्य अभियंता आवश्यकतानुसार उपलब्ध ट्रांसफार्मर सर्किल में भेज देता है।

क्रय : विद्युत वितरण निगमों द्वारा वार्षिक आवश्यकता/उपयोग का आंकलन कर ट्रांसफार्मरों के क्रय हेतु खुली निविदायें आमंत्रित की जाती हैं एवं उनका तकनीकी व वाणिज्यिक आधार पर मूल्यांकन किया जाता है। सक्षम समिति द्वारा इस मूल्यांकन के आधार पर सफल एवं सक्षम फर्मों का चुनाव किया जाता है। जिनको क्रय आदेश जारी कर दिया जाता है। क्रय आदेश में आपूर्तिकर्ता फर्मों को ट्रांसफार्मरों की आपूर्ति हेतु आवश्यक शर्तों का स्पष्ट रूप से उल्लेख होता है।

मरम्मत : (1) गारंटी पीरियड (30 महीने) के दौरान दोषपूर्ण हुए ट्रांसफार्मरों की मरम्मत फर्मों द्वारा निशुल्क की जाती है।

(2) गारंटी पीरियड पश्चात दोषपूर्ण हुए ट्रांसफार्मरों को निगम द्वारा निविदायें आमंत्रित करके रेट कान्ट्रेक्ट पर मरम्मत करायी जाती है। ऐसे ट्रांसफार्मरों का गारंटी पीरियड 12 माह होता है।

(2) जी हां। ट्रांसफार्मरों के क्रय करते समय व मरम्मत के समय उसकी सही क्षमता पर ध्यान दिया जाता है। आपूर्तिकर्ता फर्म द्वारा ट्रांसफार्मर तैयार होने पर निगम द्वारा अपने निरीक्षकों से फर्म की कार्यशालाओं पर ट्रांसफार्मरों की गुणवत्ता एवं क्षमता की जांच हेतु निरीक्षण कराया जाता है। निरीक्षण में सही पाये जाने इन सभी ट्रांसफार्मरों को निरीक्षक द्वारा सीलबंद किया जाता है ताकि निरीक्षणोंपरांत आपूर्ति होने तक उन ट्रांसफार्मरों में कोई हेरा-फेरी नहीं कर सके।

(3) जी हां। ट्रांसफार्मरों में समय पूर्व गारंटी अवधि में खराबी आ जाने/जल जाने या खराब हो जाने पर सम्बन्धित फर्मों को ट्रांसफार्मरों को भेज कर निःशुल्क मरम्मत कराई जाती है। गारंटी पीरियड पश्चात दोषपूर्ण हुए ट्रांसफार्मरों को निगमों द्वारा निर्धारित रेट कांट्रेक्ट पर मरम्मत कराई जाती है। अनुपयोगी हुए ट्रांसफार्मरों का निगम स्तर पर सक्षम समितियों द्वारा नीलामी की जाती है।

(ऊर्जा मंत्री)

(4) जी हां। ट्रांसफार्मर बदले जाने के लिये राजस्थान विद्युत नियामक आयोग द्वारा दिशा निर्देश दिये गये हैं। जिनकी प्रति परिशिष्ट 'अ' पर उपलब्ध है। ग्रामीण क्षेत्रों में जले हुए ट्रांसफार्मरों को 72 घंटे में बदले जाने सम्बन्धित अन्य आदेशों की प्रतियां परिशिष्ट 'ब' 'स' व 'द' पर उपलब्ध है।

(5) उपरोक्त आशय के दिशा निर्देश राजस्थान विद्युत नियामक आयोग द्वारा जारी किए जाते हैं। वर्ष 2003 में जयपुर/जोधपुर डिस्काम में नियामक आयोग के उक्त निर्देशों की अवहेलना का कोई प्रकरण सामने नहीं आया है। अजमेर डिस्काम में वर्ष 2003 में जले हुये 90 ट्रांसफार्मर निर्धारित अवधि में नहीं बदले जा सके। जिन्हें ट्रांसफार्मर उपलब्ध होने पर बदल दिया गया।

परिशिष्ट-अ

APPENDIX-A

STATEMENT INDICATINIG MAXIMUM TIME LIMITS FOR VARIOUS ACTIVITIES/REDRESSAL OF COMPLAINTS APPEARING IN THE S.O.P.

S. No.	Name of Activity/Type of Complaint	Prescribed Maximum Period
1	Complaints of no voltage/interruption in Power supply on account of any reason including blowing of HT/LT fuse at consumer premises or of distribution transformer/MCB trouble or due to loose connections/ disconnection at meter, MCB or service line. (not due to line fault or distribution and/or power transformer (s) failure (Complaints received during 8 A.M. to 10 P.M.) Clause 4 (i)	4 hours in industrial municipal & army/cantonment & PHED installations.. 24 hours in rural areas.
2	Individual complaints received during light times (10 P.M. to 8 A.M.) Clause 4 (i)	4 hours on next day in industrial municipal & cantonment areas & military/PHED installations Next day in rural areas
3	Routine line faults Cluse 4 (iii)	In 8 working hours in industrial municipal & Cantonment areas & military/PHED installations 24 hours in rural areas.
4	Failure of distribution transformer Clause 4 (iv)	Replacement of transformer & restoration within 2 days in industrial municipal & cantonment areas & military/PHED installations 3 days in rural areas

S. No.	Name of Activity/Type of Complaint	Prescribed Maximum Period
5	Failure of power transformer/ associated switchgear Clause 4 (v)	7 days, Restoration in two days, if technically feasible.
6	<u>Quality of power supply</u> (a) Poor quality due to-Neutral voltage exceeding 2% of the supply voltage. (b) Low or high voltage (i.e. phase voltage exceeding to tolerance as per IE Rules). (c) Voltage fluctuations of flickering. (d) High leakage current. (e) Supply voltage with individual harmonics exceecing 1% (f) Streetlights off or not operating properly. (g) Laadequate electrical clearances. Clause 5	Improvement in 7 days or to inform to consumer, if beyond licensee's control. Inadequacy of distribution system to be resolved in 180 days subject to material availability and Techno economic feasibility economic feasibility
7	Scheduled outages Clause 6	Not to exceed to 10 hours during daytime on any day.
8	<u>Meters</u> Regular Inspection checking & testing of large/MIP industrial & NDS consumers Clause 9 (i) (a)	Once in six months
9	Regular inspection, Checking & testing of other consumers Clause 9 (i) (d)	Once in three years.
10	Replacement of defective meter. On request of Consumer Clause 9(i) (d)	60 days 15 days
11	<u>Billing Complaints</u> Complaints on wrong billing/incorrect tariff/non receipt of bill/inadequate time Clause 11 (i)	Immediate if reported in person or telephonically 7 working days, if complaints received by post.
12	Complaints of arithmetical errors or non receipt or inadequate time for payment Clause 11 (ii)	Same day, made in person. On the day of acknowledgement, complaint sent by post.
13	Any other complaint Clause 11 (ii)	7 days.
14	Other Complaint (including of recurring nature) Clause 13	Enquiry in 30 days. Rectification within 60 days thereafter.
15	<u>Release of Connections</u> New Connection Domestic/NDS Issue of demand note. Release of connection. Clause10	Within 21 days of receipt of application 30 days deposit DN and completion of formalities in Urban Areas and 45 days in Rural Areas*

RAJASHTAN ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION

JAIPUR

NOTIFICATION

Jaipur 29th March 2003

NO. Secy/RERC/REG Date 29th March, 2003

In exercise of powers conferred on it by Section 57 read with Section 9.33 and 34 of the Rajasthan Power Sector Reforms Act 1999 and all powers enabling it in that behalf. The Rajasthan Electricity Regulatory Commission after consulting the Commission Advisory Committee and other stakeholders. Hereby makes the following regulations. Namely:

The Rajasthan Electricity Regulatory Commission (Distributing Licensee's Standards of Performance) Regulations, 2003

SHORT TITLE, COMMENCEMENT AND INTERPRETATION

1. (i) These Regulations may be called the Rajasthan Electricity Regulatory Commission (Distribution Licensee's Standards of Performance) Regulations, 2003

(ii) These Regulations shall be applicable to all Distribution and Retail Supply Licensees (hereinafter referred as Licensees)

(iii) They Shall come into force on the date of their publication in the Rajasthan Gazette.

2. Unless the context otherwise requires, words or expressions occurring in these reulations shall bear the same meaning as in the Rajasthan Power Sector Reforms Act and Reglations framed there under or in absence there of, the meaning as commonly understood in the electricity supply industry.

STANDARDS OF PERFORMANCE

3. The licensee is required to maintain standards of performance for supply of electricity to all consumers in the manner prescribed hereinafter in these regulations. The limits prescribed in these standards refer to the maximum time required to be taken to perform different activities of consumer service. It shall be the endeavour of the licensee to provide best possible service well within time limits specified in these regulations.

परिशिष्ट– ब

जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड

कार्यालय मुख्य अभियन्ता, जयपुर

क्रमांकः जेपीडी/मुअ/पवरा/29557/वक/अनु दिनांक 14.1.2004

आदेश

पूर्व में जले हुए वितरण ट्रांसफार्मरों का अधिनियम 72 घंटे में बदल दिये जाने के आदेश जारी किये गये थे। यह देखने में आया है कि कई मामलों में ट्रांसफार्मर बदलने की उक्त समयावधि का पालन किन्हीं कारणों से नहीं किया जाता है। जिससे उपभोक्ताओं को विद्युत आपूर्ति में कठिनाई होती है। अतः सभी वृत्त अधीक्षण अभियन्ता यह सुनिश्चित करें कि जले हुये वितरण ट्रांसफार्मर 72 घंटे में आवश्यक रूप से बदल दिये जाने। ट्रांसफार्मर बदलने में होने वाले विलम्ब के लिये अधीक्षण अभियन्ता को उत्तरदायी समझा जायेगा।

आर.जी. मुंशी

मुख्य अभियंता (पावरा)

JAIPUR VIDHYUT VITRAN NIGAM LTD.

Office of the Chief Engineer (O&M)

NO: JVVNL/CE/O&M/S.6/F/D4141 Jaipur, 17th January, 2004

The superintending Engineer (O&M/JPDC/JCC)

Jaipur Discom,

Alwar/Bharatpur/ Dausa/ Jaipur/ Jhalwar/ Kota/Sawaimadhopur.

Sub:- Replacement of burnt transformers within 72 hours :

Instructions have already been issued vide this office order n 4077 dated 14.1.2004 to replace the burnt transformers within 72 hours. It h been reported to the undersingned that unnecessarily time is consumed in pr·aring the date of outstanding dues, line diagram and making the failure re ort to

transformer and allotment of transformer to the consumer by the Executive Engineer/Superintending Engineer. It to clarfy that transformer is necessarily to be replaced within 72 hours of failure and 3 days time includes time required for preparation of failure report, lifting, allotment and installation of transformer. It is also be clarified that during Rabi season no insistence shall be made for recovery of outstanding dues for replacement of those transformers which are feeding the agriculture load.

The state Government is very seriously reviewing 100 days action plan and any delay in replacement of burnt transformer beyond 72 hours shall be very seriously viewed and officer concerned shall be liable for disciplinary action.

R.G. Gupta

Chief Engineer (O&M)

Copy submitted to Hon'ble Chairman & managing director, Jaipur Discom, jaipur.

Copy also to PS to Energy Secretary for kind information of Hon'ble Energy Secretary Govt. of Rajasthan, Jaipur.

Chief Engineer (O&M)

GOVERNMENT OF RAJASTHAN

ENERGY DEPARTMENT

NO. PS/ES/2004/169-173 Jaipur, dated 9.2.2004

MD, Jaipur Vidyut Vitran Nigam Ltd.

MD, Ajmer Vidyut Vitran Nigam Ltd.

MD, Jodhpur Vidyut Vitran Nigam Ltd.

Sir,

In the conference of collectors held on 8th February in Jaipur some Collectors particularly collector, Baran and collector, Sawai Madhopur raised the issue of delay in replacement of burnt transformers. According to them, while transformers were being replaced within three days but the period of three days was being assumed to commence from the date of receipt of information and, invariably, the period taken for receipt of information exceeded one week as the chain of conveying of information was long, extending from JEN to AEN to XEN to SE.

It is being hereby clarified that the period of 72 hours prescribed in the Action Plan for replacement of burnt transformers should include the period taken for supply of information. In other words, the period of 72 hours should be deemed to have commenced from the date of burining of transformers. This clarification may kindly be conveyed to all field officers at once and all consequential measures required to meet this deadline be put in place with immediate effect. This could include short-circuiting of reporting channels and procedures, decentralization of inventory to the AEN level, increase in number of repair centres (requests came from Atru, Chipabarod and Chabra for such centres) dispatch of transformers in lots of 10, in place of lots of 20 etc.

Yours sincerely,
S.S. Rajan
Secretary, Energy

राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा आवास आबंटन में अनियमितता

43. श्री नवरतन राजोरिया (फुलेरा) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान आवासन मण्डल में मकान आबंटन में भ्रष्टाचार/अनियमितताओं के अनेक मामले सामने आये हैं? यदि हां, तो पिछले 5 वर्षों में ऐसे कितने मामलें सामने आये और उनमें किन-किन अधिकारियों/कर्मचारियों को दोषी पाया गया? दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि मण्डल में रिफण्ड लेने के बाद भी मकान आबंटन के कुछ प्रकरण सामने आये हैं? यदि हां, तो गत 5 वर्षों में ऐसे कितने मामले सामने आये और उनमें किन-किन अधिकारियों/कर्मचारियों को दोषी पाया गया तथा उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई?

उत्तर

(1) जी हां। गत पांच वर्षों में मण्डल में मकान आबंटन का भ्रष्टाचार/अनियमितताओं का एक प्रकरण सामने आया है। मण्डल की मानसरोवर योजना में मकान आबंटन लाटरी दिनांक 31.1.04 एवं 28.2.04 में भ्रष्टाचार/अनियमितताओं का मामला सामने आने पर जांच कराई गई जिसमें कुल 8 अधिकारियों/कर्मचारियों को दोषी पाया गया। इनमें से तीन कार्मिकों को आदेश दिनांक 22.07.04 से निलम्बित किया जाकर उनके विरूद्ध दीर्घ

(नगरीय विकास एवं आवासन राज्य मंत्री)

दण्ड (नियम 11) के तहत आरोप पत्र/आरोप विवरण पत्र आदेश दिनांक 23.08.04 को जारी किये गये तथा शेष पांच अधिकारियों/कर्मचारियों को लुघ दण्ड (नियम 10) के नियम के तहत आरोप पत्र दिनांक 23.08.04 को जारी किये गये। निलम्बन कार्मिकों को विभागीय जांच विचाराधीन रखते हुये बहाल किया गया। दीर्घ दण्ड के तहत आरोपित कार्मिकों की विभागीय जांच हेतु जांच अधिकारी नियुक्त किया गया है। लघु खण्ड के आरोपियों के विरुद्ध भी कार्यवाही प्रगति पर है। वांछित सूची परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है।

(2) जी हां। मंडल के रिफण्ड लेने के बाद भी मानसरोवर योजना जयपुर में मकान आबंटन का मात्र एक प्रकरण सामने आया है। प्रकरण की प्रारम्भिक जांच करवाई गई जिसमें 10 अधिकारियों/कर्मचारियों को दोषी पाया गया। इनमें से 4 अधिकारियों/कर्मचारियों को आदेश दिनांक 4.8.04 से निलम्बन किया गया। उक्त चार अधिकारियों/कर्मचारियों में से तीन अधिकारियों/कर्मचारियों को विभागीय जांच विचाराधीन रखते हुए बहाल किया गया तथा रिफण्ड लेने के बावजूद भी जिस कार्मिक द्वारा मकान आबंटन करवाया गया है वह वर्तमान में भी निलम्बित है। सभी दोषी कार्मिकों के विरूद्ध नियम 11 (दीर्घ दण्ड) के तह्त आरोप पत्र दिनांक 7.10.04 को जारी किया जा चुका है तथा पांच जांच अधिकारी की नियुक्ति की जा चुकी है। वांछित सूची परिशिष्ठ 'ब' पर संलग्न है।

परिशिष्ट-अ

बिन्दु संख्या 1 के उत्तर में वर्णित आठ अधिकारी/कर्मचारी जिनको दोषी पाया गया उसका विवरण निम्नानुसार है

क्र. सं.	नाम अधिकारी/कर्मचारी	पद
1.	श्री आर. के. गुलाटी	उप आवासन आयुक्त
2.	श्री एस. सी. शर्मा	तकनीकी सलाहकार अध्यक्ष एवं उप आवासन आयुक्त
3.	श्री पी. सी. खडगवाल	सहायक आवासन अधिकारी
4.	श्री बी. के. शर्मा	कार्यालय अधीक्षक
5.	श्री पुरूषोत्तम तिवाडी	क. सहायक
6.	श्रीमती अंजना शर्मा	सहायक
7.	श्रीमती कुसुम भदोरिया	सहायक
8.	श्री अजय कुमार	सहायक

तीन अधिकारी/कर्मचारी जिनको निलम्बन किया गया था

क्र. सं.	नाम अधिकारी/कर्मचारी	पद
1.	श्री पी. सी. खडगवाल	सहायक आवासन अधिकारी
2.	श्री बी. के. शर्मा	कार्यालय अधीक्षक
3.	श्री पुरूषोत्तम तिवाडी	क. सहायक

उक्त तीन अधिकारियों/कर्मचारियों को दीर्घ दण्ड (नियम 11) के तहत आरोप पत्र जारी किये गये थे। जिनके जवाब प्राप्त होने पर जांच विचाराधीन रखते हुए बहाल किया जा चुका है।

उक्त तीनों कार्मिको की विभागीय जांच करने हेतु जांच अधिकारी नियुक्त किया जा चुका है।

शेष पांच अधिकारियों/कर्मचारियों को लघु दण्ड (नियम) के तहत आरोप पत्र जारी किये गये थे जिनका स्पष्टीकरण लिया जाकर अग्रिम कार्यवाही की जा रही है।

परिशिष्ट-ब

बिन्दु संख्या 2 में वर्णित दोषी पाये गये कार्मिकों का विवरण

क्र. सं.	नाम अधिकारी/कर्मचारी	पद
1.	श्री आर. के. गुलाटी	उप आवासन आयुक्त
2.	श्री इन्द्रमल दानोदिया	लेखाधिकारी
3.	श्री रामअवतार गुप्ता	स. आवासन अधिकारी
4.	श्री राजीव बाफना	कार्यालय अधीक्षक
5.	श्री आर. एस. सोलंकि	स. लेखाधिकारी
6.	श्री वी. पी. कालरा	लेखाकार
7.	श्रीमती मिथिलेश जैन	क. लेखाकार
8.	श्री ए. के. जैन	क. लेखाकार
9.	श्री सुरेशचन्द खण्डेलवाल	क. सहायक
10.	श्री गंगासहाय मीणा	चौकीदार

मण्डल के आदेश क्रमांक 220 दिनांक 4.8.2004 से चार कार्मिकों को निलम्बन किया गया था जिसकी सूची निम्नानुसार है-

क्र. सं.	नाम अधिकारी/कर्मचारी	पद
1.	श्री आर. के. गुलाटी	उप आवासन आयुक्त
2.	श्री रामअवतार गुप्ता	सहायक आवासन अधिकारी
3.	श्री वी. पी. कालरा	लेखाकार
4.	श्री गंगासहाय मीणा	चौकीदार

इनमें से क्रम संख्या 1 से 3 पर अंकित अधिकारी/कर्मचारियों को आदेश क्रमांक 486 दिनांक 1.1.2005 द्वारा बहाल किया गया।

श्री गंगासहाय मीणा वर्तमान में निलम्बित चल रहे हैं।

इन सभी दोषी कार्मिकों के विरूद्ध दीर्घ दण्ड (नियम 11) हेतु आरोप पत्र जारी किये जाकर नियमित विभागीय जांच करवाने हेतु जांच अधिकारी नियुक्त किया गया है।

केन्द्रीय सहकारी बैंक अलीगढ़ (टोंक) का गबन प्रकरण

44. श्री हीरालाल (निवाई) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि केन्द्रीय सहकारी बैंक, अलीगढ़ (टोंक) में वर्ष 1997-98 से 2001-02 तक की अवधि में जमाकर्ताओं की राशि में गबन का प्रकरण सामने आया है? यदि हां, तो इस गबन प्रकरण में कौन-कौन अधिकारी/कर्मचारी शामिल पाये गये तथा उन पर कितनी-कितनी राशि के गबन का आरोप है?

(2) क्या उक्त गबन के लिए प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी? यदि हां, तो किस थाने में? प्राथमिकी की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त प्रकरण की जांच किस अधिकारी द्वारा की गई? क्या जांच पूरी कर ली गई है? यदि नहीं तो अब जांच कब तक पूरी कर ली जायेगी?

(श्री हीरालाल)

(4) क्या गबन की राशि उक्त दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों से वसूल कर ली गई है? यदि नहीं, तो किन-किन से कितनी राशि वसूल की जानी शेष है तथा यह कब तक वसूल कर ली जायेगी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। इस गबन प्रकरण के आरोपी अधिकारी/कर्मचारियों का विवरण मय आरोपित राशि के परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) जी हां। पुलिस थाना अलीगढ़ जिला टोंक में प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या-141/2000 तथा 146/2001 दर्ज कराई गई। प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रति परिशिष्ट-2 व 3 पर संलग्न है।

(3) प्रकरण में पूर्व में जांच अधिकारी नियुक्त किया गया, परन्तु प्रकरण का सुपर ऑडिट (विशेष आडिट) कराये जाने के कारण जांच कराया जाना न्यायोचित प्रतीत न होने के कारण जांच कार्य स्थगित किया गया।

(4) दोषी अधिकारियों में से निम्न अधिकारियों/कर्मचारियों से सम्मुख अंकित राशि की वसूली की गई है :-

क्र.स.	नाम अधिकारी/कर्मचारी	वसूली राशि
1.	श्री प्रभुलाल वैरागी च.श्रे.क.	318059.00
2.	श्री हरकर्ण जाट, कैशियर	100000.00
3.	श्री रमेश चन्द्र मुदगल, शाखा प्रबन्धक	54265.25
	योग	772324.25

संयुक्त रजिस्ट्रार सहकारी समितियां, अजमेर के स्तर पर राजस्थान सहकारी सोसायटी अधिनियम, 2001 की धारा 57 के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर लिया नियमानुसर वसूली की कार्यवाही की जावेगी।

(विवरण/प्रति विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखी गई)

खेल संघों को देय अनुदान राशि

45. डा. श्रीगोपाल बाहेती (पुष्कर) : क्या खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(डा. श्रीगोपाल बाहेती)

(1) राज्य के कितने खेल संघ राज्य क्रीड़ा परिषद से सम्बद्ध हैं?

(2) क्या सरकार द्वारा उक्त खेल संघों को खेल प्रतिस्पर्धा आयोजित करने या राष्ट्रीय खेलों में प्रतिस्पर्धा हेतु कोई अनुदान दिया जाता है? यदि हां, तो कित्तना?

(3) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा उक्त संघों को नियमित रूप से यह अनुदान राशि दी जा रही है? यदि हां, तो गत एक वर्ष का विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राजस्थान राज्य क्रीडा परिषद द्वारा वर्तमान में 40 खेल संघों को सम्बद्धता प्रदत्त है।

(2) जी हां। राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं हेतु दिए जाने वाले अनुदान का विवरण निम्न प्रकार है :-

i. प्रत्येक प्रतिभागी को नियमानुसार आने-जाने का द्वितीय श्रेणी का रियायती रेल/बस किराया।

ii. आने एवं जाने हेतु दैनिक भत्ते की राशि के समतुल्य राशि अनुषांगिक व्यय के रूप में दी जाती है।

iii. प्रतिभागियों की अनिवार्य उपस्थित के लिए रू. 100/- प्रतिदिन प्रति खिलाड़ी की दर से दैनिक भत्ते का भुगतान किया जाता है।

iv. आयोजन सम्बन्धित विविध व्यय के पेटे रू. 2000/- से 4000/- तक की राशि खेल संघों की श्रेणियों के मुताबिक स्वीकृत की जाती है।

राष्ट्रीय खेलों में प्रतिस्पर्धा हेतु निम्नानुसार अनुदान नियमानुसार स्वीकृत किया जा सकता है :-

v. प्रत्येक प्रतिभागी को नियमानुसार आने-जाने का द्वितीय श्रेणी का रियायती रेल/बस किराया मय आरक्षण शुल्क आरक्षण शुल्क की मूल रसीद प्रस्तुत करना अनिवार्य होता है।

vi. प्रत्येक 24 घण्टे की यात्रा हेतु प्रत्येक प्रतिभागी को दैनिक भत्ते की राशि के समतुल्य राशि अनुषांगिक व्यय के रूप में दी जाती है।

(खेल मंत्री)

vii. प्रतिभागी की अनिवार्य उपस्थिति हेतु प्रत्येक दिन हेतु रूपये 150/- प्रतिदिन का दैनिक भत्ता स्वीकृत होता है।

विविध व्यय के पुनर्भरण हेतु रू. 300/- की राशि स्वीकृत की जाती है।

(3) आय-व्ययक के स्वीकृत प्रावधानों तक नियमानुसार निर्धारित आवेदन-पत्रों एवं दस्तावेजों की आपूर्ति के उपरान्त अनुदान राशि दी जाती है। गत एक वर्ष का विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

परिशिष्ट-1

क्र. सं.	खेल का नाम	वर्षवार वितरित अनुदान राशि						
		2002-2003			2003-2004			
		राज्य	राष्ट्रीय	शिविर	राज्य	राष्ट्रीय	शिविर	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	एथलेटिक	100546	63000	—	—	66417	3360	233323
2.	कुश्ती (ओ.प.)	162257	79718	—	1007117	138548	—	481240
3.	महिला हॉकी	900	—	—	28528	—	—	29428
4.	खो-खो	—	18150	—	—	2368	—	20518
5.	फुटबाल	380060	—	30154	487051	—	68325	965590
6.	तैराकी	134435	32362	7284	153575	14720	6690	349066
7.	पावर लिफ्टिंग	35000	—	—	39001	8954	—	82956
8.	तीरन्दाजी	35596	25953	3600	72945	10320	2382	150796
9.	बास्केटबाल	463319	56810	50401	292312	97452	49612	1009906
10.	हैण्डबाल	411857	45828	52207	427190	175362	65597	1178041

1	2	3	4	5	6	7	8	9
11.	महिला क्रिकेट	—	5312	12038	—	21704	—	39054
12.	कबड्डी	327421	52924	67424	141385	82309	52631	724094
13.	जिम्नास्टिक	19956	17465	—	71679	48293	—	157393
14.	वालीबाल	179724	46570	16792	338064	117928	88335	787413
15.	बैटलिफ्टंग	27208	6264	—	75115	17926	—	126513
16.	बैडमिंटन	24411	24247	—	30297	29549	—	108504
17.	साफ्टबाल	339853	36000	45000	104374	89140	38351	652718
18.	बाक्सिंग	29438	—	—	47034	43174	32189	151835
19.	घुडसवारी	—	—	—	—	—	—	0
20.	टेबिल टेनिस	—	—	—	—	—	—	0
21.	जूडो	—	—	—	—	—	—	0
22.	कैरम	—	10994	—	—	8022	—	19016
23.	टेनिस	—	—	—	—	—	—	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
24.	आट्या पाट्या	—	—	—	—	—	—	0
25.	फोर्कबाल	—	—	—	—	—	—	0
26.	बॉडी बिल्डिंग	32954	28000	—	17815	36842	—	115611
27.	कुश्ती, भा. प.	—	—	—	38639	—	—	38639
28.	हॉकी	310411	—	—	—	10037	—	320448
29.	साइक्लिंग	53009	6500	22280	2500	36287	30320	150896
30.	शूटिंगबाल	—	—	—	41029	—	—	41029
31.	शतरंज	27351	—	—	29095	—	8970	65416
32.	बाल बैडमिंटन	82657	38000	37744	128131	41156	—	327688
33.	ट्रेथ लॉन	—	2000	—	—	—	—	2000
34.	टेनिस बाल क्रिकेट	—	—	—	96242	59762	—	156004
35.	विकलांग संघ	—	—	—	—	76000	—	76000
36.	क्रिकेट	—	—	—	—	5000	—	5000

1	2	3	4	5	6	7	8	9
37.	एडवेन्चर	—	—	—	—	—	40597	40597
38.	आफिशियल (नेशनल गेम्स में)	—	5200	—	—	—	—	—
39.	खिलाड़ियों को पुरस्कार/ यात्रा भत्ता	—	13000	—	—	20412	—	33412
	कुल	3178363	614297	344924	2762718	1257682	487359	8640143

ग्रामीण विकास हेतु योजना राशि में वृद्धि

46. मोहम्मद माहिर आजाद (नगर) : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा ग्रामीण विकास के लिए विशिष्ट योजनाओं का संचालन किया जाता है? यदि हां, तो किन-किन का? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उपरोक्त विशिष्ट योजनाओं के अन्तर्गत संचालित मेवात क्षेत्रीय विकास, माडा विकास योजनाओं के कार्यक्षेत्र तथा अनुदानित राशि में राशि वृद्धि करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कितनी-कितनी कब तक और नहीं तो क्यों?

(3) क्या यह भी सही है कि मेवात स्थानीय क्षेत्र विकास योजनाओं के अन्तर्गत चल रहे विकास कार्यों को पूर्ण करने की कोई समय सीमा निर्धारित है? यदि हां, तो क्या?

उत्तर

(1) जी हां। सरकार द्वारा ग्रामीण विकास विभाग के माध्यम से ग्रामीण विकास की विभिन्न केन्द्र व राज्य प्रवर्तित योजनाओं का संचालन किया जाता है। ग्रामीण विकास द्वारा संचालित योजनाओं का विवरण परिशिष्ट-1 पर अवलोकनीय है।

(2) इस विभाग द्वारा संचालित मेवात क्षेत्रीय विकास योजना के अन्तर्गत वर्ष 2003-2004 में 250.00 लाख रुपये का प्रावधान किया गया था, जिसे बढ़ा कर वर्ष 2004-05 में 262.00 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है। वर्ष 2005-06 हेतु 275.00 लाख रुपये का प्रावधान प्रस्तावित किया गया है। इस प्रकार राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध सीमित वित्तीय संसाधनों की सीमा में मेवात क्षेत्रीय विकास योजना के लिये योजना राशि वृद्धि की गई है। मेवात क्षेत्र के लिये निर्धारित मापदण्ड के अनुसार ग्राम जिनमें मेव परिवार 10

(ग्रामीण विकास मंत्री)

प्रतिशत या इससे अधिक हैं, को प्रस्ताव प्राप्त होने पर मेवात क्षेत्र में सम्मिलित किया जा सकेगा।

जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग की सूचनानुसार फिलहाल माडा के कार्य क्षेत्र में विस्तार प्रस्तावित नहीं है। माडा विकास योजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्य क्षेत्र/योजना में अनुदान की दर में वृद्धि करना प्रस्तावित नहीं है।

(3) कार्य की प्रकृति एवं कार्य की लागत के अनुसार कार्य की जारी की जाने वाली प्रशासनिक/तकनीकी/वित्तीय स्वीकृत में कार्य निष्पादन करने की अनुमानित समय सीमा का उल्लेख किया जाता है।

परिशिष्ट –1

ग्रामीण विकास विभाग द्वारा संचालित योजनाएं

(अ) केन्द्र प्रवर्तित योजानाएं

स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना

सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना

काम के बदले अनाज का राष्ट्रीय कार्यक्रम

इन्दिरा आवास योजना

ग्रामीण आवास हेतु ऋण अनुदान योजना

प्रधान मंत्री ग्रामोदय योजना (ग्रामीण आवास)

मरू विकास कार्यक्रम

सूखा संभावित क्षेत्र विकास कार्यक्रम

एकीकृत बंजर भूमि विकास कार्यक्रम

मरू गोचर योजना

ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी आधारभूत सुविधाओं का विस्तार (पुरा)

सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम

सीमावर्ती क्षेत्र विकास कार्यक्रम

बायोगैस कार्यक्रम

डी.आर.डी.ए. प्रशासन योजना

(ब) राज्य प्रवर्तित योजनाएं

विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम

मेवात क्षेत्रीय विकास योजना

गुरू गोलवलकर जन भागीदारी विकास योजना

डांग क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम

सहरिया एवं कथौड़ी जनजाति परिवारों हेतु विशेष रोजगार योजना

जिला पाली के स्वयं सहायता समूह से अनियमित वसूली

47. श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर) : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि पाली जिले के लिए "स्वयं सहायता समूह" की स्टेशनरी प्रिन्टिंग का व्यय "समूहों" से वसूला गया? यदि हां, तो क्यों? क्या यह भी सही है कि उक्त राशि की रसीदें उक्त परियोजनाओं को दी गई हैं?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त मुद्रण कार्य का भुगतान राजकोष के पी.डी. खाते से किया गया है? यदि हां, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी नहीं। विभाग द्वारा पाली जिले के स्वयं सहायता समूहों की

(महिला एवं बाल विकास मंत्री)

स्टेशनरी का व्यय समूहों से वसूल नहीं किया गया है और न ही स्टेशनरी सम्बन्धी व्यय की वसूली हेतु रसीदें परियोजनों को उपलब्ध कराई गई हैं।

(2) जी हां। महिला स्वयं सहायता समूहों को स्टेशनरी उपलब्ध कराये जाने हेतु 50 रुपये प्रति स्वयं सहायता समूह की दर से विभाग द्वारा जिलों को राशि का आबंटन किया गया है। उपरोक्त अनुसार ही मुद्रण कार्य का भुगतान पी.डी. खाते से किया गया है।

ब्यावर के राजकीय कार्यालयों में रिक्त पद

48. **श्री देवीशंकर भूतड़ा (ब्यावर) :** क्या कार्मिक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र ब्यावर में कौन-कौन से राजकीय कार्यालय संचालित हैं? उनके नामों की सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त राजकीय कार्यालयों में किस-किस संवर्ग के कितने पद स्वीकृत हैं उनमें से कितने कार्यरत हैं व कितने पद रिक्त हैं? संवर्गवार व कार्यालयवार संख्या सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त रिक्त पदों को सरकार कब तक भरने का विचार रखती है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र ब्यावर में संचालित राजकीय कार्यालयों के नामों की सूची परिशिष्ट "क" सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) उक्त राजकीय कार्यालयों में स्वीकृत व कार्यरत एवं रिक्त पदों की संवर्गवार का कार्यालयवार संख्या सम्बन्धी सूची परिशिष्ठ "ख" सदन की मेज पर रख दी गई है।

(3) सम्बन्धित विभागों द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अन्तर्गत नियमानुसार उक्त पदों को भरा जा सकेगा।

(सूची विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

अमानीशाह नाले का पुनर्सीमाकंन

49. श्री रामचन्द्र सराधना (जमुआरामगढ़) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि जयपुर शहर में अमानीशाह नाले की चौड़ाई का सीमांकन बढ़ाया गया है? यदि हां, तो कब कितना और क्यों? संबंधित आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार नए सीमांकन की वजह से विस्थापित होने वाले लोगों के पुनर्वास के लिए कोई वैकल्पिक योजना बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो क्या व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें

उत्तर

(1) जी नहीं। प्रथम बार समग्र रूप से सीमांकन करने के सम्बन्ध में कार्यवाही प्रारम्भ की गई है।

(2) समग्र रूप से सीमांकन प्रथम बार ही किया जा रहा है। सीमांकन से प्रभावित वैध रूप से नियमित भूखण्डों के धारकों के हितों का ध्यान रखा जावेगा।

श्रीगंगानगर क्रय-विक्रय सहकारी समिति द्वारा जौ एवं सरसों की खरीद पर व्यय

50. श्री गुरजंट सिंह बराड़ (संगरिया) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि वर्ष 2001-02 में श्रीगंगानगर क्रय विक्रय सहकारी समिति एवं श्रीगंगानगर सप्लाई एण्ड कमीशन शाप द्वारा समर्थन मूल्य पर जौ एवं सरसों की खरीद की गई? यदि हां, तो कितने मूल्य की?

(2) इस खरीद पर तुलाई एवं बोरियों की खिंचाई पर कितनी राशि व्यय की गई।

(श्री गुरजंट सिंह बराड़)

(3) क्या यह सही है कि तुलाई एवं खिंचाई की राशि की वसूली जौ एवं सरसों बेचने वाले किसानों से की गई?

(4) जौ एवं सरसों की तुलाई एवं खिंचाई की राशि का भुगतान वास्तव में किन-किन लोगों को किया गया?

उत्तर

(1) जी हां, गंगानगर किसान क्रय विक्रय सहकारी सिमति लि., श्री गंगानगर द्वारा जौ की 52725 बोरी कीमत 2,10,90,000/- रुपये व सरसों 93571 बोरी कीमत 9,54,42,420/- रुपये की समर्थन मूल्य पर क्रय की गई है एवं श्रीगंगानगर सप्लाई एण्ड कमीशन शाप द्वारा वर्ष 2001-02 में समर्थन मूल्य पर जौ एवं सरसों की कोई खरीद नहीं की गई।

(2) जी हां, इस खरीद की तुलाई पर 2,91,325/- रुपये की राशि व्यय हुई है एवं खिंचाई पर कोई व्यय नहीं किया गया है।

(3) जी नहीं।

(4) जौ एवं सरसों की तुलाई की राशि का भुगतान समिति द्वारा (कृषि उपज मण्डी, श्रीगंगानगर द्वारा पंजीकृत) तोलों को किया गया है एवं खिंचाई पर किसी भी प्रकार का भुगतान नहीं किया गया है।

सेवानिवृत्त अधिशेष कर्मियों के पेंशन प्रकरण

51. श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (लूणकरणसर) : क्या पंचायतीराज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि स्थानीय निकाय विभाग से चुंगी नाकों के नाकेदारों के अधिशेष कर्मचारियों को ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग में ग्राम सेवक पदेन सचिव के पद पर समायोजित किया गया था? यदि हां, तो कितने कर्मचारियों को? सूची सदन की मेज पर रखें। उपरोक्त में से कितने कर्मचारी सेवानिवृत्त हो चुके हैं?

(श्री वीरेन्द्र बेनीवाल)

(2) क्या ऐसे सभी सेवानिवृत्त कर्मचारियों के पेंशन/उपदान प्रकरण निस्तारित हो चुके हैं? यदि नहीं, तो क्यों? बकाया पेंशन प्रकरण सरकार कब तक निस्तारण करने का विचार रखती है?

(3) सरकार ने ऐसे कर्मचारियों के सेवा शर्तों सम्बन्धी नियमों में पेंशन प्रकरण हेतु क्या प्रावधान किये हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां।

राज्य की जिला परिषदों के अधीन पंचायत समितियों के अंतर्गत 1032 ग्राम सेवक पदेन सचिवों का समायोजन किया गया था। सूची (परिशिष्ट "क") सदन की मेज पर रख दी गई हैं।

उक्त में से 29 ग्राम सेवक पदेन सचिव सेवानिवृत्त हुये हैं तथा 4 ग्राम सेवक पदेन सचिवों ने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ली है। कुल 33 सेवानिवृत्त हुये हैं।

(2) उक्त में से 05 पेंशन प्रकरण विचाराधीन चल रहे हैं, शेष सभी प्रकरण निस्तारित किये जा चुके हैं।

पेंशन विभाग के आक्षेप/वित्त विभाग के निर्णयोपरांत शीघ्र निस्तारण किये जा रहे हैं।

(3) ऐसे कर्मचारियों के सेवा शर्तो सम्बन्धी नियमों में पेंशन प्रकरण हेतु अलग से कोई प्रावधान नहीं किये गये हैं। प्रचलित पेंशन नियमों के तहत ही इनके पेंशन प्रकरणों का निस्तारण किया जा रहा है।

(सूची विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखी गयी)

रामगढ़ (अलवर) हेतु प्रस्तावित 132 के.वी. ग्रिड सब-स्टेशन की स्थापना

52. श्री जुबेर खान (रामगढ़) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) 132 के.वी. ग्रिड सब-स्टेशन स्वीकृत करने के सरकार द्वारा क्या मानदण्ड निर्धारित किये गये हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) राज्य में ऐसे कितने विधान सभा क्षेत्र हैं जहां पर अभी तक भी 132 के.वी. ग्रिड सब-स्टेशन स्वीकृत नहीं हुए हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) सरकार विधान सभा क्षेत्र रामगढ़ (अलवर) में 132 के.वी. ग्रिड सब-स्टेशन कब तक करने का विचार रखती है।

उत्तर

(1) नये 132 के.वी. ग्रिड सब-स्टेशनों के प्रस्ताव विद्युत वितरण निगम द्वारा आवश्यकतानुसार मांग करने पर निम्न मानदण्ड के आधार पर परीक्षण उपरान्त अनुशंसाओं के आधार पर स्वीकृत किये जाते हैं :-

(i) 33 के.वी. विद्युत तंत्र का वोल्टेज रेग्यूलेशन तथा डिमान्ड लास का आंकलन।

(ii) सामान्यतया वर्तमान 132 के.वी. जी.एस.एस. से लगभग 30 कि.मी. (ग्रामीण क्षेत्र) की दूरी।

(iii) क्षेत्र में विद्युत भार की अत्यधिक वृद्धि।

(iv) छीजत में कमी से लागत का आर्थिक दृष्टि से उपयुक्त पाया जाना।

(v) वैकल्पिक प्रस्तावों (जैसे अतिरिक्त 33 के.वी. की लाइन बनाना, नया 33 के.वी. सब-स्टेशन बनाना, कम क्षमता के 33 के.वी. लाइन कन्डक्टर

(ऊर्जा मंत्री)

को बदलना तथा वोल्टेज सुधार हेतु कैपेसिटर बैंक लगाना) से विद्युत तंत्र में सुधार संभव न हो।

(vi) उक्त मापदण्डों पर वरिष्ठ तकनीकी अधिकारियों की समिति द्वारा प्रस्ताव का अध्ययन कर की गयी सिफारिश के उपरान्त उसे तकनीकी एवं आर्थिक जांच में उपयुक्त पाया जाना एवं संसाधनों की उपलब्धता।

(2) 132 के.वी. ग्रिड सब-स्टेशनों की स्वीकृति निर्धारित मापदण्डों के आधार पर की जाती है न कि विधान सभा क्षेत्र के आधार पर। फिर भी राज्य में स्थित ग्रिड सब-स्टेशनों का विवरण परिशिष्ट 'अ' पर उपलब्ध है।

(3) रामगढ़ (अलवर) में 132 के.वी. ग्रिड सब-स्टेशन बनाने का प्रस्ताव अभी विचाराधीन नहीं है।

(विवरण विधानसभा पुस्तकालय में रखा गया)

जिला हनुमानगढ़ में केन्द्रीय सहकारी बैंक मुख्यालय की स्थापना

53. श्री धर्मेन्द्र कुमार मोची (टीबी) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि जिला मुख्यालयों पर केन्द्रीय सहकारी बैंक का मुख्यालय कार्यरत है? यदि नहीं, तो किन-किन जिलों में केन्द्रीय सहकारी बैंक का मुख्यालय नहीं है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार प्रत्येक जिला मुख्यालय पर केन्द्रीय सहकारी बैंक का मुख्यालय खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

(3) क्या सरकार अब हनुमागढ़ जिले में केन्द्रीय सहकारी बैंक का मुख्यालय खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं तो क्यों?

उत्तर

(1) जी नहीं। सभी जिला मुख्यालयों पर केन्द्रीय सहकारी बैंकों का मुख्यालय कार्यरत नहीं है। धौलपुर, करौली, बारां, राजसमन्द एवं हनुमानगढ़ जिलों में केन्द्रीय सहकारी बैंक के मुख्यालय कार्यरत नहीं है। झालावाड़ केन्द्रीय सहकारी बैंक का मुख्यालय झालरापाटन है।

(सहकारिता मंत्री)

(2) जी हां। उक्त जिला मुख्यालयों पर केन्द्रीय सहकारी बैंक खोलने हेतु सर्वे करवाने पर धौलपुर, करौली एवं राजसमन्द जिला मुख्यालयों पर केन्द्रीय सहकारी बैंक का गठन सक्षम इकाई ना होना पाया गया है। सर्वे के आधार पर बारां एवं हनुमागढ़ जिले में केन्द्रीय सहकारी बैंक खोले जाने की राज्य सरकार की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, जिसके आधार पर अग्रिम कार्यवाही विचाराधीन है। धौलपुर, करौली एवं राजसमन्द जिले में नवीन केन्द्रीय सहकारी बैंक का गठन पैतृक एवं नवीन बैंक के सक्षम इकाई होने पर ही सम्भव होगा।

(3) जी हां। हनुमानगढ़ जिले में केन्द्रीय सहकारी बैंक का पंजीयन किया जा चुका है तथा बैंकिंग व्यवसाय प्रारम्भ करने हेतु नाबार्ड से अनुज्ञा पत्र जारी करवाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

राज्य के बीयर बारों से प्राप्त राजस्व

54. **श्री प्रमोद जैन "भाया"** (बारां) : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) राज्य में दिनांक 1 दिसम्बर, 2004 को कितने लाइसेंसशुदा बीयर बार किस-किस स्थान पर संचालित थे? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) राज्य में दिनांक 1 जनवरी, 2005 को लाइसेंसशुदा बीयर बारों की संख्या कितनी है एवं ये किस-किस स्थान पर किस-किस नाम से संचालित हैं? विवरण मय लाइसेंस प्राप्त व्यक्ति के नाम के सदन की मेज पर रखें।

(3) वर्ष 2004 में राज्य को बीयर बारों से कितने राजस्व की प्राप्ति हुई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) दिनांक 1.12.2004 को राज्य में विभिन्न स्थानों पर 20 रेस्टोरेंट बार संचालित थे। सूची परिशिष्ट 'अ' पर है।

(2) दिनांक 1.1.2005 को राज्य में स्वीकृत रेस्टोरेंट बार 20 ही हैं।

(वित्त मंत्री)

जिन स्थानों पर ये रेस्टोरेंट बार संचालित हैं, उनका तथा आवेदक का विवरण परिशिष्ट 'अ' पर है।

(3) इन रेस्टोरेंट बार से वार्षिक अनुज्ञा शुल्क, सरचार्ज, लेण्ड फीस एवं परमिट फीस के रूप में कुल रू. 19.02 लाख की राशि प्राप्त हुई।

परिशिष्ट 'अ'

क्र. सं.	नाम रेस्टोरेंट मय स्थान	अनुज्ञापत्र हेतु आवेदक का नाम
1	2	3
1.	नीरोज रेस्टोरेंट, एम.आई.रोड़, जयपुर	श्री विनय परदल
2.	कोपर चिमनी रेस्टोरेंट, माया मैन्सन, अपोजिट जी.पी.ओ. जयपुर	श्री शशि कुच्छल
3.	मै. दुर्गा दिव्या एण्टरप्राईजेज, सिटी पैलेस, जयपुर	कंवर नरेन्द्र सिंह
4.	रेस्टोरेंट सुरभि, पुराना आमेर रोड़, जयपुर	श्री धर्मवीर सिंह
5.	द जंगल हट रेस्टोरेंट, ए/22-23, हनुमान नगर, खातीपुरा, जयपुर	श्री महेन्द्र सिंह
6.	रेस्टोरेंट ईडियाना, जे-34, महावीर मार्ग, जयपुर	कंवर जय सिंह
7.	रेस्टोरेंट पीजाहट, देवयानी इंटरनेशनल प्रा.लि. 109-क, गणपति प्लाजा, एम.आई. रोड़, जयपुर	श्री वी. के. दत्ता
8.	स्पाइस कोर्ट रेस्टोरेंट, हरिभवन अचरोल हाउस, जेकब रोड़, सिविल लाइंस, जयपुर	श्री कुलदीप सिंह चन्देला
9.	तन्दूर रेस्टोरेंट, जयपुर रोड़, अजमेर	श्री महेन्द्र सिंह मक्कड़
10.	महादेव रेस्टोरेंट, दिल्ली गेट, नागौर	श्री जानाराम
11.	चिराग रेस्टोरेंट, 12 गुलाब बाग रोड़, उदयपुर	श्री चितवन कोठारी

1	2	3
12.	बेरीज रेस्टोरेंट, चेतक सर्कल, उदयपुर	श्री संजय बैरी
13.	हुकम रेस्टोरेंट, यूनिट आफ होटल राजा पैलेस प्रा. लि., यू.आई.टी. ब्रिज, सहेली मार्ग, उदयपुर	श्री विशाल बर्मन
14.	क्वालिटी रेस्टोरेंट, चेतक सर्कल, उदयपुर	श्री वेदप्रकाश सूद
15.	काका रेस्टोरेंट, हिरणमगरी, सैक्टर-11, उदयपुर	श्री प्रताप लाल
16.	वाटिका रेस्टोरेंट, गार्डन रोड, गुलाबबाग, मेनगेट के पास, उदयपुर	श्री प्रवीन बंसल
17.	मील इन रेस्टोरेंट, जलजोग चौराहा, सरदारपुरा, जोधपुर	श्री गजेन्द्र अरोड़ा
18.	रेस्टोरेंट मरूधर, मेहरानगढ़ फोर्ट, जोधपुर	श्री मानेक पेस्टनजी
19.	मान मनुहार रेस्टोरेंट, 629, किशोर भवन, 12-बी रोड़, सरदारपुरा, जोधपुर	श्री नारायण सिंह चौहान
20.	कृष्णा रेस्टोरेंट, नवाडेरा, डूंगरपुर	श्री राजेश शर्मा

अतारांकित प्रश्नोत्तर

अतारांकित प्रश्न संख्या 62

(स्थगित)

वर्ष 1998 में तकनीकी कर्मियों को केन्द्रीय वेतनमान दिये जाने हेतु लिए गए निर्णय का क्रियान्वयन

63. **श्री बंशीलाल खटीक (राजसमन्द)** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा वर्ष 1998 में वित्त विभाग की विभिन्न पत्रावलियों पर अधीनस्थ कर्मचारियों, जिनमें राजकीय मुद्रणालय के तकनीकी कर्मचारी, चिकित्सा विभाग के आप्थेलमिक सहायक (नेत्र चिकित्सा सहायक) एवं रेडियोग्राफर, कम्प्यूटर सेवा के कर्मचारी एवं भेड़ व ऊन विभाग के तकनीकी कर्मचारी शामिल है, को केन्द्र के समान वेतनमान देने का निर्णय लिया गया है?

(2) क्या यह सही है कि राज्य में वर्ष 1998 में विधान सभा चुनावों के कारण आदेश जारी करने पर निर्वाचन विभाग द्वारा प्रतिबंध लगा दिये जाने के कारण वेतन संशोधन के उक्त आदेश जारी नहीं किये जा सके थे?

(3) क्या यह सही है कि चुनावों के पश्चात सरकार द्वारा लिये गये वेतन संशोधन के उक्त निर्णयों/प्रकरणों को श्री वाई. सिंह, वेतन विसंगति निराकरण समिति को जांच हेतु प्रेषित कर दिया गया था?

(4) श्री वाई. सिंह कमेटी का गठन राज्य सरकार को वेतनमानों की सिफारिश करने के लिये किया गया अथवा सरकार के फैसलों/निर्णयों की जांच भी समिति के कार्य क्षेत्र में शामिल है? यदि हां, तो सरकार ने अब तक कितने निर्णयों की जांच अन्य समितियों से करवाई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री बंशीलाल खटीक)

(5) क्या सरकार का निर्णय एक कमेटी की सिफारिश की तुलना में सर्वोपरि नहीं है? यदि हां, तो सरकार द्वारा वर्ष 1998 में लिये गये उक्त वेतन संशोधनों के निर्णय की जांच श्री वाई. सिंह, वेतन विसंगति निराकरण समिति द्वारा कराये जाने का औचित्य क्या है?

(6) वर्तमान में जबकि श्री वाई. सिंह वेतन विसंगति निराकरण समिति की रिपोर्ट सरकार के परीक्षणाधीन है, ऐसी स्थिति में क्या सरकार वर्ष 1998 में लिये गये वेतन संशोधनों के उक्त निर्णयों के आदेश यथास्थिति में जारी करने का मानस रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) राज्य सरकार द्वारा वर्ष 1998 में राजकीय मुद्रणालय के तकनीकी कर्मचारी, चिकित्सा विभाग के आप्थेलमिक सहायक (नेत्र चिकित्सा सहायक) एवं कम्प्यूटर सेवा के पदों के वेतनमान संशोधन करने के निर्णय लिये गये थे।

चिकित्सा विभाग रेडियोग्राफर एवं भेड़ व ऊन विभाग के तकनीकी पदों के वेतनमान संशोधन के निर्णय राज्य सरकार द्वारा नहीं लिये गये थे।

(2) जी हां।

(3) जी हां।

(4) श्री वाई सिंह कमेटी का गठन वेतनमानों में विसंगतियों पर विचार करने व जहां आवश्यक हो, वहां वेतनमानों में परिवर्तनों सुझाने के लिए किया गया था। कमेटी के गठन सम्बन्धी आदेश में यह भी सम्मिलित था कि कमेटी राज्य सरकार द्वारा भेजे गये मामलों पर विचार कर सुझाव देगी। इस सम्बन्ध में वित्त विभाग द्वारा निम्नांकित प्रकरण कमेटी को संदर्भित किये गये हैं :-

1. कम्प्यूटर सेवा के पदों के वेतनमान
2. चिकित्सा विभाग के आप्थेलमिक सहायक
3. राजकीय मुद्रणालय के तकनीकी कर्मचारी

(वित्त मंत्री)

4. मंत्रालयिक सेवा के कर्मचारी

(5) राज्य सरकार वेतन विसंगति से सम्बन्धित प्रकरणों को कमेटी को संदर्भित कर सकती है।

(6) श्री वाई सिंह वेतन विसंगति निराकरण समिति की रिपोर्ट अभी राज्य सरकार के परीक्षणाधीन है। समिति की अनुशंषाओं पर गुणावगुण के आधार पर निर्णय लिया जाता है।

आसीन्द तहसील मुख्यालय (भीलवाड़ा) में उप कोष कार्यालय की स्थापना

64. श्री हंगामी लाल मेवाड़ा (आसीन्द) : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि तहसील आसीन्द, जिला भीलवाड़ा मुख्यालय से 56 किलो मीटर की दूरी पर स्थित है।

(2) क्या यह भी सही है कि तहसील आसीन्द मुख्यालय पर स्वतंत्र उपकोष न होने से इस क्षेत्र के राजकीय कार्यालयों के बिल पारित कराने हेतु कोष कार्यालय भीलवाड़ा को भेजे जाते हैं? यदि हां, तो क्या सरकार तहसील आसीन्द मुख्यालय पर स्वतंत्र उपकोष कार्यालय स्थापित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी हां। जी नहीं। तहसील आसीन्द मुख्यालय में उपकोष कार्यालय है एवं बिल पारित करने के अतिरिक्त अन्य सभी कार्य तहसीलदार एवं पदेन उपकोषाधिकारी द्वारा संपादित किये जाते हैं। इस क्षेत्र के बिल पारित करने का कार्य कोष कार्यालय भीलवाड़ा द्वारा संपादित किया जाता है। अतः स्वतंत्र उपकोष स्थापित करने का औचित्य नहीं है।

जयपुर स्थित नजूल सम्पत्तियों का बेचान

65. श्री सुरेन्द्र पारीक (हवामहल) : क्या सामान्य प्रशासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जयपुर शहर में पिछले 3 वर्षों में कितनी नजूल सम्पत्तियां बेची गई? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार द्वारा नजूल सम्पत्ति बेचने के लिए कोई नीति बनाई गई है? यदि हां, तो क्या? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि जयपुर शहर में पिछले 3 वर्षों में कई नजूल सम्पत्तियां डीएलसी दर पर एवं कइयों को नीलामी द्वारा विक्रय किया गया है? यदि हां, तो इसमें अन्तर के क्या कारण है एवं इससे सरकार को कितनी हानि हुई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार इसकी जांच करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां, जयपुर शहर में पिछले 3 वर्षों में 23 नजूल सम्पत्तियों का विक्रय किया गया है, जिसकी सूची सलंग्न है।

(2) जी हां, राज्य सरकार द्वारा नजूल सम्पत्तियों के निस्तारण हेतु नीति बनाई गई है। नजूल सम्पत्ति निस्तारण नियम, 1971 की प्रति सलंग्न है।

(3) जी हां, राजस्थान नजूल सम्पत्ति निस्तारण नियम, 1971 व वर्ष 1977 में किये गये संशोधनों के तहत खाली नजूल भूमि को खुली नीलामी द्वारा एवं अनाधिकृत कब्जेधारियों को नैगोशियेशन के द्वारा राज्य सरकार द्वारा गठित अपैक्स कमेटी के अनुमोदन के बाद विक्रय की गई है। अतः इस प्रक्रिया के अनुसार राज्य सरकार को कोई भी हानि नहीं हुई है।

(4) जी नहीं, नियमानुसार विक्रय की गई नजूल सम्पत्तियों से राज्य सरकार को कोई हानि नहीं हुई अतः जांच करवाने का प्रश्न नहीं उठता।

(सूची/प्रति विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखी गयी)

प्रशासनिक अधिकारियों के विरुद्ध दर्ज प्रकरण

66. श्री सुरेश मीणा (करौली) : क्या कार्मिक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) राज्य में कितने भारतीय एवं राजस्थान प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार के मामले विचाराधीन हैं? वर्तमान में इनकी नियुक्ति कहां तथा किस पद पर है?

(2) इनमें कितने अधिकारियों के विरुद्ध सरकारी भूमि को अवैध एवं गैर कानूनी तरीके से खुद के या निकटतम रिश्तेदारों के नाम करवाने, अवैध कब्जा करने या सरकारी भूमि को खुर्द-बुर्द करने के मामलों में जांच की गई या विचाराधीन है?

(3) इनमें कितने अधिकारियों के विरुद्ध उच्च न्यायालय द्वारा विपरीत टिप्पणी की गई तथा उस टिप्पणी की पालना में सरकार द्वारा किस अधिकारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार ऐसे अधिकारियों के विरुद्ध आपराधिक मामले दर्ज करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो में भारतीय प्रशासनिक सेवा के 6 अधिकारियों के विरुद्ध 7 मामले व राजस्थान प्रशासनिक सेवा के 38 अधिकारियों के विरुद्ध 59 मामले विचाराधीन हैं। (सूची सलंग्न) इसके अतिरिक्त भारतीय प्रशासनिक सेवा के 8 अधिकारियों एवं राजस्थान प्रशासनिक सेवा के 34 अधिकारियों के विरुद्ध 39 प्रकरणों में प्रारम्भिक जांच की जा रही है।

(2) इनमें से एक अधिकारी के विरुद्ध ग्राम पंचायत की भूमि ओरण श्री करनी माता के नाम से दर्ज भूमि को खुर्द-बुर्द कर अपने सहयोगियों/सम्बन्धियों को लाभ पहुंचाने का प्रकरण राज्य सरकार के समक्ष विचाराधीन है।

(कार्मिक मंत्री)

(3) उपरोक्त प्रकरण में उच्च न्यायालय द्वारा कोई विपरीत टिप्पणी करने की विभाग को कोई जानकारी नहीं है।

(4) बिन्दु संख्या 2 के अनुसार।

(सूची विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखी गयी)

जयपुर की श्री सत्य कालोनी, अजमेर रोड में विकास कार्य

67. श्री हीरालाल (निवाई) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि श्री सत्य कालोनी, हीरापुरा, अजमेर रोड जयपुर का गृह मुस्कान अभियान के तहत नियमन कैम्प लगाया गया था? यदि हां, तो इस कैम्प में किस-किस भूखण्डधारी द्वारा नियमन कराया गया व इनसे कितनी नियमन राशि वसूल की गई? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार नियमन के प्राप्त राशि को इस कालोनी के विकास पर खर्च करेगी? यदि हां, तो क्या-क्या विकास कार्य कब तक करा दिये जायेंगे?

(3) क्या यह सही है कि इस कालोनी में जन सुविधाएं सड़क, सीवरेज आदि का अभाव है? यदि हां, तो सरकार इस कालोनी में उक्त सुविधाएं कब तक उपलब्ध करवाने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। भूखण्डधारियों एवं उनसे ली गयी नियमन राशि की सूची परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है।

(2) जी हां। प्राप्त नियमन राशि में से विकास कार्यों हेतु निर्धारित हिस्से की राशि को इस कालोनी के विकास पर खर्च किया जावेगा। जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा इस कालोनी में सड़क निर्माण हेतु रुपये 7.0 लाख की वित्तीय स्वीकृति क्रमांक 293 दिनांक 8.2.2005 द्वारा जारी की ई है। निर्धारित प्रक्रिया अपना कर सड़क निर्माण कार्य शीघ्र प्रारम्भ किया जायेगा। इसके अतिरिक्त कालोनी में आन्तरिक सीवर लाइन का विकास कार्य भी निर्धारित प्रक्रिया अपनाकर शीघ्र प्रारम्भ कर दिया जावेगा।

(नगरीय विकास एवं आवासन राज्य मंत्री)

(3) जी हां। इस कालोनी में सड़क व सीवरेज का कार्य शीघ्र हाथ में लिया जा रहा है। कालोनी में आर.यू.आई.डी.पी. द्वारा पानी की पाइप लाइन डाल दी गई है। पम्प हाउस चालू हो जाने के पश्चात माह सितम्बर, 2005 तक इस कालोनी को पेयजल उपलब्ध कराये जाने की संभावना है।

परिशिष्ट-अ

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

सत्य कालोनी के भू-नियमन शिविर में जारी पट्टों के भूखण्डधारियों की सूची

क्र. सं.	भूखण्डधारी का नाम	भूखण्ड संख्या	नियमन राशि
1	2	3	4
1.	श्री घनश्याम	28	20,562/-
2.	श्री बाबूलाल सेन	28-ए	20,562/-
3.	श्री ओमप्रकाश जांगिड	35	56,480/-
4.	श्रीमती विजय लक्ष्मी	39	38,578/-
5.	श्री जगदीश प्रसाद सेन	24	29,139/-
6.	श्री भवानी शंकर शर्मा	3	28,200/-
7.	श्री रामनारायण शर्मा	34-ए	82,197/-
8.	श्रीमती चन्द्रकान्ता शर्मा	48	17,414/-
9.	श्री मनोहर लाल गुप्ता	13	37,333
10.	श्रीमती मीना गुप्ता	14	37,333/-
11.	श्रीमती रेणु गुप्ता	15	37,333/-
12.	श्री अशोक कुमार शर्मा	42	49,778/-
13.	श्री रामकरण जांगिड	31	37,335/-
14.	श्रीमती मंजू कंवर	1	46,179/-

1	2	3	4
15.	श्री अनुज कुमार जैन	30	33,169/-
16.	श्रीमती किरण देवी शर्मा	5	28,200/-
17.	श्रीमती सुनिता यादव	25	37,333/-
18.	श्री लालूराम माली	18	63,227/-
19.	श्री गोपाल लाल शर्मा	6	28,200/-
20.	श्रीमती संतोष देवी शर्मा	44-ए	17,859/-
21.	श्री हरिनारायण शर्मा जांगिड	16	18,433/-
22.	श्री सुरेश शर्मा	21	53,333/-
23.	श्रीमती आशा शर्मा	33	37,333/-
24.	श्री बाबूसिंह राजपुरोहित	43	36,266/-
25.	श्री रघुवीर सिंह	19	43,555/-
26.	श्री रामप्रसाद	44	26,031/-
27.	श्रीमती सुशीला देवी	11	44,800/-
28.	श्री कल्पना कटारिया	36	43,939/-
29.	श्री डालचन्द तिवाडी	8, 9	83,306/-
30.	श्रीमती उमा शर्मा	26-ए	20,738/-
31.	श्रीमती इति मीणा	37	59,494/-
32.	श्रीमती मंजूलता एवं श्री रमेचन्द्र शर्मा	16-ए	19,192/-
33.	श्री कैलाश यादव	1-ए	38.827/-
34.	श्रीमती शाकम्भरी देवी	33	28,200/-
35.	श्रीमती भावना गोयल	22	28,200/-

1	2	3	4
36.	श्री छीतर प्रसाद शर्मा	48-ए	19,740/-
37.	श्रीमती विमला शर्मा	41	49,778/-
38.	श्रीमती प्रेमलता	10	66,443/-
39.	श्री अशोक कुमार शर्मा	4	28, 200/-
40.	श्रीमती नीलू शर्मा	20	37,333/-
41.	श्री राधेश्याम कुमावत	2	36,472/-

भरतपुर विजय नगर कालोनी का नियमन

68. श्री विजय बंसल (भरतपुर) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि याचिका संख्या 3273/96 में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 6 मार्च, 2003 के सम्बन्ध में 1 दिसम्बर, 2004 को विभाग द्वारा बैठक आयोजित की गई?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त बैठक में भरतपुर शहर का मास्टर प्लान शीघ्र तैयार करने के निर्देश दिये गये हैं?

(3) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा उक्त मास्टर प्लान तैयार कर लिया गया है? यदि नहीं, तो क्यों और यह अब कब तक तैयार कर लागू हो जायेगा?

(4) क्या यह सही है कि भरतपुर शहर की विजयनगर कालोनी मास्टर प्लान से प्रभावित होगी? यदि हां, तो क्यों और इस कालोनी के सम्बन्ध में सरकार की क्या योजना है?

(5) क्या सरकार भरतपुर की विजयनगर कालोनी को नियमित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी हां।

(3) जी नहीं। मास्टर प्लान का कार्य प्रगति पर है तथा मास्टर प्लान प्रारूप आम जनता से आपत्तियां/सुझाव आमंत्रित करने हेतु शीघ्र प्रकाशित कर दिया जायेगा।

(4) जी हां। प्रश्नगत क्षेत्र भरतपुर का मास्टर प्लान 2023 तैयार करने हेतु राजस्थान नगर सुधार अधिनियम, 1959 की धारा 3(1) के तहत अधिसूचित भरतपुर नगरीय क्षेत्र में सम्मिलित है। विजयनगर कालोनी के सम्बन्ध में मास्टर प्लान अनुमोदन के पश्चात प्रस्तावित भू-उपयोग योजना के तहत नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

(5) भरतपुर के नये मास्टर प्लान में स्वीकृति के अनुरुप कार्यवाही की जायेगी।

जयपुर ग्राम सोडाला का भूमि अवाप्ति प्रकरण

69. **श्री सुरेन्द्र पारीक** (हवामहल) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि ग्राम-सोडाला, जयपुर के खसरा नं. 209 से 214, 219 से 221 व 223 से 226 व 236 से 248 एवं 236 कुल रकबा 27 बीघा 15 बिस्वा भूमि की अवाप्ति के लिये धारा 4(1) की अधिसूचना जारी की गई थी? यदि हां, तो क्या यह भी सही है कि अवाप्त किये जाने के बाद सरकार द्वारा इस भूमि को अवाप्ति से मुक्त किये जाने की सहमति दी गई है? यदि हां, तो क्यों?

(2) क्या यह भी सही है कि इस भूमि को अवाप्ति से मुक्त किये जाने में की गई अनियमितता के विरुद्ध सरकार को शिकायतें प्राप्त हुई हैं? यदि हा, तो क्या इसकी जांच करवाई गई? यदि हां, तो जांच किसके द्वारा की गई? जांच में कौन-कौन दोषी पाये गये और उनके विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई? जांच रिपोर्ट की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। खसरा नम्बर 219, 220, 223, 224, 226, 215, 216, 217, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, व 209, 210, 211/1 एवं 211/2 कुल रकबा 25.14 बीघा को अवाप्ति से मुक्त किया गया था। खसरा नम्बर 209, 210, 211/1 एवं 211/2 प्रार्थी द्वारा पांच सितारा होटल स्थापित करने की योजना प्रस्तुत करने एवं अवाप्ति के विरुद्ध स्थगन आदेश प्राप्त कर लेने के कारण तथा अन्य खसरों की भूमि के बारे में जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा जिस प्रयोजना के लिए भूमि अवाप्त की जा रही है उसकी पूर्ति प्रार्थी द्वारा अपने स्वयं के खर्चे से 87 फीट चौड़ी सड़क बनाने तथा 2000 वर्ग गज रिक्त भूमि अथवा उसके बदले में प्राधिकरण द्वारा चाहे जाने पर 2.00 करोड़ रूपये की राशि देने के लिए तैयार होने पर के पैकेज पर विचार करने के उपरान्त भूमि को अवाप्ति से मुक्त किया गया है।

(2) जी हां। जांच का प्रकरण अभी विचाराधीन है।

बनीपार्क विधान सभा क्षेत्र में विकास कार्य

70. **प्रो. बीरू सिंह राठौड़ (बनीपार्क)** : क्या नगरीय विकास एवं आवासन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र बनीपार्क में दिसम्बर, 2004 से अब तक जयपुर विकास प्राधिकरण/नगर निगम द्वारा किस-किस वार्ड में क्या-क्या विकास कार्य कराये गये? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त कार्यों का भौतिक सत्यापन किया गया है? यदि हां, तो निरीक्षण रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त विकास कार्यों पर कितनी-कितनी राशि व्यय की गई तथा किस संस्था द्वारा कार्य कराया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र बनीपार्क में दिसम्बर, 2004 से अब तक जयपुर विकास प्राधिकरण/नगर निगम द्वारा कराये गये विकास कार्यों की वार्ड वाईज सूची परिशिष्ट 'अ' पर सलंग्न है।

(2) जी हां। कराये गये विकास कार्यों का भौतिक सत्यापन के पश्चात ही भुगतान किया जाता है। निरीक्षण रिपोर्ट अलग से नहीं बनाई जाती है।

(3) उक्त विकास कार्यों पर व्यय की गई राशि की सूचना परिशिष्ट 'अ' की सूचियों में ही अंकित है।

(सूची विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखी गयी)

निम्बाहेड़ा (चित्तौडगढ़) में खेल स्टेडियम का निर्माण

71. श्री अशोक कुमार नवलखा (निम्बाहेड़ा) : क्या युवा एवं खेलकूद मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि निम्बाहेड़ा जिला चित्तौडगढ़ फुटबाल खेल के लिए विख्यात है तथा इस खेल को प्रोत्साहन के लिए यहां के खिलाड़ी सदैव अग्रणीय रहते हैं।

(2) क्या सरकार निम्बाहेड़ा में खेल गतिविधियों को प्रोत्साहन देने तथा खेल स्टेडियम का निर्माण कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक तथा नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी नहीं। भारत सरकार की योजना के अन्तर्गत खेल स्टेडियम का निर्माण केवल जिला मुख्यालय पर ही होता है।

कपासन विधान सभा क्षेत्र में 33 के.वी. ग्रिड सब स्टेशन की स्थापना

72. श्री बद्रीलाल जाट (कपासन) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र कपासन में वर्तमान में कितने 33 के.वी. के ग्रिड सब-स्टेशन कहां-कहां पर स्थित है? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार वित्तीय वर्ष 2004-05 में विधान सभा क्षेत्र कपासन में 33 के.वी ग्रिड सब स्टेशन खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कहां-कहां तथा कब तक, व नहीं, तो क्यों?

(3) क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र कपासन के निम्न स्थानों पर 33 के.वी. ग्रिड सब-स्टेशन खोलने का विचार रखती है :-

1. सोनियाना पंचायत समिति, भदेसर

2. जाशमा (अनोपपुरा) पंचायत समिति, भोपालसागर यदि हां, तो कब तक व नहीं तो क्यों?

उत्तर

(1) वर्तामन में कपासन विधान सभा क्षेत्र में 33 के.वी. के 9 सब-स्टेशनों कपासन, हथियाना, सिंहपुर, आकोला, भोपालसागर, बानसेन, भादसोडा, मण्डपिया व मंगलवाड़ा में कार्यरत है।

(2) जी हां। वित्तीय वर्ष 2004-05 में विधान सभा क्षेत्र कपासन में 33 के.वी. सब-स्टेशन उमण्ड स्वीकृत हैं। जिसका कार्य इसी वर्ष किया जाना प्रस्तावित है।

(3) जी नहीं। क्योंकि ये प्रस्ताव तकनीकी एवं वित्तीय रूप के साध्य नहीं पाये गये।

बनीपार्क विधान सभा क्षेत्र की हाई-टेंशन लाइनें

73. **प्रो. बीरू सिंह राठौड़ (बनीपार्क) :** क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र बनीपार्क में माह दिसम्बर, 2004 से अब तक किन-किन क्षेत्रों से हाइटेंशन लाइन हटाई गई है? सूची क्षेत्रवार सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि सरकार की आगामी वर्षों में भी हाइ टेंशन लाइन हटाने की योजना है? यदि हां, तो किन-किन क्षेत्रों से ? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र बनीपार्क में माह दिसम्बर, 2004 से आज तक कुल 11 स्थानों पर से कुल 3.691 किमी. हाईटेंशन लाइनें हटाई गई हैं जिनका विवरण निम्नानुसार है :-

क्र.सं.	लाईन एवं वोल्टेज (के.वी.)	हटाई गई लाईन (कि.मी.)	क्षेत्र का नाम
1.	33के.वी. डबल सर्किट	1.500	जमना नगर
2.	11 के.वी. सिंगल सर्किट	0.100	सिरसी रोड़
3.	11 के.वी. सिंगल सर्किट	0.210	तारानगर
4.	11 के.वी. सिंगल सर्किट	0.270	रामपुरा
5.	11 के.वी. सिंगल सर्किट	0.135	रानीसतीनगर
6.	11 के.वी. सिंगल सर्किट	0.135	शालीमारबाग विस्तार, धाव
7.	11 के.वी. सिंगल सर्किट	0.363	करनी विहार
8.	11 के.वी. सिंगल सर्किट	0.228	पार्श्वनाथ नगर
9.	33 के.वी. सिंगल सर्किट	0.300	शक्तिनगर, गूजर की थड़ी
10.	11 के.वी. सिंगल सर्किट	0.150	पवनपुरी झोटवाड़ा
11.	11 के.वी. सिंगल सर्किट	0.300	गोकुलपुरा झोटवाड़ा
	कुल योग	**3.691**	

(ऊर्जा मंत्री)

(2) आगामी वर्षों में हाई टेंशन लाइन हटाने के लिए प्रस्ताव तकनीकी रूप में साध्य पाये जानें पर नियमानुसार तकमीने की 50 प्रतिशत राशि लाभान्वित/आवेदक द्वारा जमा कराने पर लाइन हटाने की कार्यवाही की जा सकेगी।

चौमूं के ग्राम चीथवाड़ी के कृषि कनेक्शन शिफ्टिंग के लम्बित प्रकरण

74. **श्री मदन मोहन सिंघल** (कामां) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र चौमूं के ग्राम चीथवाड़ी के कितने किसानों द्वारा कब से अपने विद्युत कनेक्शन शिफ्ट करने हेतु विधिवत आवेदन सहायक अभियन्ता, राजस्थान विद्युत वितरण निगम चौमूं में जमा कराए गए? तारीख वार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि विधिवत आवेदन कर शिफ्टिंग हेतु राशि जमा कराये जाने के एक वर्ष के बाद भी कोई कार्यवाही नहीं की गई? यदि हां, तो क्यों? अब सरकार उक्त कनेक्शनों को कब तक शिफ्ट करवाने का विचार रखती है।

(3) क्या यह सही है कि इस सम्बन्ध में कुछ किसानों ने अधिशासी अभियन्ता को लिखित एवं मौखिक शिकायतें दी गई हैं? यदि हां, तो उन शिकायतों पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि देरी हेतु सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी जिम्मेदार हैं? यदि हां, तो क्या ऐसे अधिकारियों व कर्मचारियों के विरुद्ध सरकार कोई अनुशासनात्मक कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र चौमूं के ग्राम चीथवाड़ी के कुल 24 किसानों द्वारा अपने विद्युत कनेक्शन शिफ्ट कराने हेतु विधिवत आवेदन जमा कराये जिनकी तिथिवार सूची परिशिष्ट 'अ' पर उपलब्ध है।

(ऊर्जा मंत्री)

(2) जी नहीं। शिफ्टिंग हेतु मांगपत्र की राशि जमा नहीं कराई गई है। किसानों/उपभोक्ताओं के द्वारा शिफ्टिंग हेतु मात्र आवेदन शुल्क ही जमा कराया गया है। मांग पत्र जारी नहीं होने के कारण शिफ्टिंग की राशि जमा नहीं कराई गई है। आवेदनकर्ताओं के एस्टीमेट बनाये जा चुके हैं तथा शीघ्र ही मांग पत्र जारी करने की कार्यवाही की जा रही है। मांग पत्र की राशि जमा करवाने पर नियमानुसार संसाधनों की उपलब्धतानुसार इनका शिफ्टिंग कार्य करवाया जावेगा।

(3) जी हां। यह सही है कि श्री मुरलीधर कूलवाल के द्वारा अधिशासी अभियन्ता (पवस) जयपुर डिस्काम, चौमूं के कार्यालय में दिनांक 6.11.2004 को शिकायती पत्र प्रस्तुत किया था। जिसके सम्बन्ध में सहायक अभियंता (ए-1) चौमूं से जानकारी प्राप्त करने पर बताया गया कि उक्त आवेदक का एस्टीमेट बना दिया गया है तथा मांग पत्र जारी करने की कार्यवाही की जा रही है।

(4) जी हां। यह सही है कि शिफ्टिंग हेतु एस्टीमेट बनाकर मांग पत्र जारी करने में विलम्ब हुआ है। एवं जिसके कारण राशि जमा न हो पाई व कनेक्शन शिफ्ट होने में देरी हुई। अतः इस सम्बन्ध में विस्तृत जांच करने के निर्देश जारी किये जा चुके है। जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर दोषी के विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी।

परिशिष्ट-अ

विधान सभा क्षेत्र चौमूं के ग्राम चीथवाड़ी में लम्बित कृषि कनेक्शन शिफ्टिंग पत्रावलियों की सूची

क्र. सं.	पत्रावली जमा दिनांक	आवेदक का नाम	खाता संख्या
1	2	3	4
1.	28.1.2003	श्री लालाराम/लच्छूराम जाट	1504/261
2.	31.1.2003	श्री प्रभुदयाल/नरसी बागड़ा	1502/178
3.	22.2.2003	श्री नरसी/घीसा बागड़ा	1503/202
4.	25.3.2003	श्री सुखदेव/बालू बागड़ा	1502/262

1	2	3	4
5.	15.7.2003	श्री लल्लूराम/खांगाराम जाट	1504/263
6.	15.7.2003	श्री बोदू, मानाराम जाट	1504/262
7.	24.7.2003	श्री कालू, कजोड़, मंगल जाट	1504/296
8.	18.8.2003	श्री गोविन्दराम/रूडा ब्राह्मण	1501/992
9.	15.9.2003	श्री शंकर/गोविन्दराम शर्मा	1502/068
10.	29.9.2003	श्री सुखदेव, बंशी, नाथू शर्मा	1502/261
11.	10.11.2003	श्री बालू/भूराराम मीणा	1502/106
12.	15.11.2003	श्री गोरधन, पांचू/कजोड़ जाट	1502/185
13.	28.11.2003	श्री कालू, भूरा/खांगा जाट	1504/238
14.	18.12.2003	श्री मुरलीधर/जौहरी	1502/118
15.	5.2.2004	श्री रामेश्वर, बद्री, भगवान शर्मा	1501/310
16.	6.2.2004	श्री रूडाराम, जीवणराम जाट	1503/117
17.	21.2.2004	श्री नरसी/चंदाजाट	1503/269
18.	31.3.2004	श्री मंगलचंद, जीवणराम	1503/244
19.	26.4.2004	श्री गोपीचंद, नानगराम	1504/255
20.	28.4.2004	श्री हनुमानसहाय/जयराम जाट	1503/235
21.	14.6.2004	श्री नरसी/मांगूराम जाट	1504/308
22.	14.7.2004	श्री ईश्वर, मंगल, नाथू जाट	1504/102
23.	15.7.2004	श्री नाथू, लादू/भूराराम	15009/269
24.	17.7.2004	श्री मुरली, जगदीश, रामनारायण	1503/055

अतारांकित प्रश्न संख्या 75

(स्थगित)

बारां जिले के सहरिया आदिवासी छात्रावास

76. श्री हीरालाल (निवाई) : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगें :-

(1) क्या यह सही है कि जिला बारां के सहरिया आदिवासी व अनुसूचित जाति-जनजाति के छात्रावासों में वर्ष 2004-05 के दौरान अनियमितताओं अव्यवस्थाओं के प्रकरण सामने आये हैं? यदि हां, तो किस-किस छात्रावास में? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त वर्षों में उक्त छात्रावासों का निरीक्षण कराया गया है? यदि हां, तो किस-किस छात्रावास का निरीक्षण कराया गया है? यदि हां, तो किस-किस अधिकारी द्वारा किया गया तथा उनमें क्या-क्या अनियमितताएं/अव्यवस्थाएं पाई गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त निरीक्षणों के आधार पर किन-किन व्यक्तियों को दोषी पाया गया तथा उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई?

(4) क्या सरकार निरीक्षण में पायी गई कमियों को दूर करने व भविष्य में उक्त छात्रावासों की सुचारु व्यवस्था के लिए कोई योजना बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व क्या?

उत्तर

(1) जी हां। जिला बारां में सहरिया कन्या आश्रम छात्रावास में अनियमितता/अव्यवस्था का प्रकरण सामने आया है।

(2) जी हां। जिला बारां में स्थित छात्रावासों का निरीक्षण जिला कलक्टर, बारां के निर्देशानुसार उप जिला कलक्टर, बारां तथा अतिरिक्त कलक्टर एवं परियोजना अधिकारी, सहरिया विकास परियोजना, शाहबाद के द्वारा निम्न छात्रावासों का निरीक्षण किया गया-

1- सहरिया आश्रम छात्रावास, समरानिया 2- सहरिया कन्या

(समाज कल्याण मंत्री)

छात्रावास, केलवाड़ा 3- सहरिया बालक छात्रावास, गरड़ा 4- सहरिया, बालक छात्रावास, रेलावन 5- सहरिया आश्रम छात्रावास, देवरी 6- सहरिया आश्रम छात्रावास, बैमनगवा 7- सहरिया आश्रम छात्रावास, राजपुर 8- सहरिया कन्या छात्रावास, गट्टी 9- सहरिया बालक छात्रावास, भवरगढ़ 10- सहरिया कन्या छात्रावास, शाहबाद 11- सहरिया बालक छात्रावास, बारां 12- सहरिया कन्या छात्रावास, बारां।

उपरोक्त छात्रावासों में से कन्या आश्रम छात्रावास, बारां में पायी गई अनियमितताओं का वर्णन निम्न प्रकार है– गेहूं एवं आटे का रख-रखाव सही नहीं होना व आटे में इलिया/कीड़े लगे हुए होना, उपस्थिति पंजिका में अनुपस्थित छात्राओं की उपस्थित दिखाकर उनके नाम की खाद्यान्न सामग्री का गबन करना, सब्जी रजिस्टर का ठीक प्रकार से संधारित नहीं करना व अधीक्षिका द्वारा छात्राओं के साथ अभद्र व्यवहार करना व छात्राओं को बेवजह डांटना व धमकाना।

शेष अन्य छात्रावासों के निरीक्षण के दौरान कोई गम्भीर अनियमितता नहीं पाई गई। पाई गई छोटी-मोटी कमियों के सुधार हेतु मौके पर ही निर्देश प्रदान कर दिये गये।

(3) निरीक्षण प्रतिवेदन में कन्या आश्रम छात्रावास, बारां की अधीक्षिका को प्रथम दृष्टया दोषी पाया गया, जिन्हें निलम्बित किया जाकर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जा रही है।

(4) जी हां। निरीक्षण में पायी गयी अनियमितताओं/अव्यवस्थाओं को सुधारने हेतु सम्बन्धितों को दिशा-निर्देश जारी किये गये हैं, दिशा-निर्देशों की प्रति परिशिष्ट–1 पर संलग्न है।

परिशिष्ट–1

कार्यालय जिला कलक्टर बारां (राजस्थान)

क्रमांक पी.ए./05/28 दिनांक : 14-1-2005

आदेश

सहरिया छात्रावास बारां की व्यवस्था के सम्बन्ध में हाल ही में एक समाचार पत्र में समाचार प्रकाशित हुआ है जिसको प्रशासन ने गम्भीरता से लिया है। सहरिया छात्रावासों में सरकार द्वारा पर्याप्त धनराशि व्यय की जा रही है एवं उसके उपरान्त इस प्रकार की अव्यवस्था अनुचित है। छात्रावास की व्यवस्थाओं को सुधारने की दृष्टि से निम्न निर्देश जारी किये जाते हैं-

1. प्रातःकाल छात्रावास में रहने वाले सभी बालक/बालिकाओं की एक प्रार्थना सभा रखी जायेगी जिसमें "ऐसी शक्ति हमें देना दाता" गीत को गाया जायेगा।

2. प्रार्थना के पश्चात सभी छात्र/छात्राएं कुछ शारीरिक व्यायाम अथवा योगाभ्यास करेंगे।

3. नाश्ते का मीनू यथा सम्भव प्रतिदिन अलग-अलग होगा।

4. भोजन के लिये प्राप्त किये जाने वाले गेहूं की मात्रा एक माह से अधिक की नहीं होगी एवं इसकी ठीक तरह देखभाल करना वार्डन का उत्तरदायित्व होगा। यदि किसी भी प्रकार के कीड़े आदि हैं तो उस गेहूं को खाने के काम में नहीं लिया जायेगा।

5. छात्र-छात्राओं को दिया जाने वाला भोजन उचित गुणवत्ता का हो यह प्रतिदिन वार्डन द्वारा सुनिश्चित किया जाये।

6. प्रतिदिन दिये जाने वाले भोजन का मीनू अलग होना चाहिए एवं इसे भलीभांति नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित किया जाना चाहिए।

7. प्रतिदिन क्रय किये जाने वाले दूध एवं सब्जी का विवरण रजिस्टर में अंकित किया जाये।

8. छात्र-छात्राओं की एक मेस कमेटी हो जो सक्रिय रूप से कार्य करे एवं वार्डन द्वारा इस मेस कमेटी के सदस्यों की राय को भोजन व्यवस्था में उचित स्थान दिया जाये।

9. छात्रावास में रहने वाले छात्र-छात्राओं के अलग-अलग समूह बनाकर इन्हें कोई नाम दिया जाये एवं प्रत्येक समूह की छात्रावास परिसर में पौधारोपण एवं उनके रख-रखाव की जिम्मेदारी सौंपी जाये। इससे छात्र-छात्राओं की छात्रावास के संचालन में भागीदारी बढ़ेगी।

10. छात्र-छात्राओं को देय प्रत्येक सामग्री का विवरण स्पष्ट रूप से छात्रावास के मुख्य द्वार के अन्दर बोर्ड पर अंकित किया जाना चाहिए ताकि कार्य पद्वति में पूरी पारदर्शिता बनी रहे।

11. गेहूं, चावल, दाल आदि को खुले में रखने के बजाय पीपी अथवा इनमें रखा जाये ताकि इसका भण्डारण उचित प्रकार हो सके।

12. नियमानुसार छात्र-छात्राओं के लिये अध्यापक उनको पढ़ाने के लिये समय पर आते हैं अथवा नहीं इसका ध्यान रखा जाये एवं विद्यार्थियों की शैक्षिक प्रगति पर भी निगरानी रखी जाये। संबंधित शिक्षकों से लगातार समन्वय स्थापित किया जाये।

13. शौचालयों की सफाई अत्यन्त महत्वपूर्ण है। इसे प्रतिदिन वार्डन द्वारा चैक कर लिया जाये एवं कमी पाये जाने पर उसे ठीक कर लिया जाये।

14. छात्र-छात्राओं के लिये समय-समय पर शैक्षणेत्तर गतिविधियां जैसे वाद विवाद क्विज निबन्ध प्रतियोगिता आदि का आयोजन किया जाये। इसी प्रकार सांस्कृतिक गतिविधियां भी सप्ताह में एक बार आयोजित की जाये।

राजेन्द्र भाणावास

जिला कलक्टर बारां

पाली सेन्ट्रल को-आपरेटिव बैंक लि. का पदोन्नति प्रकरण

77. श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) पाली सैन्ट्रल को-आपरेटिव बैंक लि. द्वारा विगत दो वर्षों में कितने निलम्बित कर्मचारियों को बहाल किया गया?

(श्री मदन राठौड़)

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त कर्मचारियों को पदोन्नति भी दी गई है? यदि हां, तो किस आधार पर?

उत्तर

(1) पाली सैंट्रल को-आपरेटिव बैंक लि. पाली द्वारा विगत दो वर्षों में तीन निलम्बित कर्मचारियों को बहाल किया गया है।

(2) जी नहीं

संविदा आधार पर नियुक्त फार्मासिस्ट

78. **श्री मोहनलाल गुप्ता** (किशनपोल) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जयपुर शहर में राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ लि. जयपुर द्वारा मेडिकल की कितनी दुकानें किन-किन चिकित्सालयों में संचालित हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त दुकानों पर कितने फार्मासिस्ट कार्यरत हैं और इनमें से कितने नियमित हैं और कितने संविदा/दैनिक वेतन के आधार पर कब से कार्यरत हैं? सूची नाम एवं मेडिकल ब्रांच सहित सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार कार्य की अधिकता के मद्देनजर फार्मासिस्टों की नियमित नियुक्ति करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(4) क्या यह सही है कि सरकार बनीपार्क सेटेलाइट चिकित्सालय में उपभोक्ता संघ की दुकान खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(5) क्या यह सही है कि सवाई मानसिंह चिकित्सालय, जयपुर में दुकानों के नव निर्माण होने के नाम पर कुछ अनुबन्ध पर कार्यरत फार्मासिस्टों को सेवा से हटाया गया था? यदि हां, तो विभाग ने अब तक उन्हें सेवा में क्यों नहीं लिया? क्या सरकार ऐसे फार्मासिस्टों को पुनः सेवा में लेने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री मोहन लाल गुप्ता)

(6) क्या सरकार सवाई मानसिंह चिकित्सालय, जयपुर के बांगड भवन की ओर नई दुकानें स्थापित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जयपुर शहर में 53 मेडिकल (एलोपैथिक) की दुकानें संचालित की जा रही हैं, जिनको सूची मय पते परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) जयपुर शहर की दुकानों पर वर्तमान में 93 विक्रेता मेडिकल कार्यरत हैं, जिनमें से 34 संघ के नियमित विक्रेता मेडिकल, अन्य संवर्ग के नियमित संघ कर्मचारी जो फार्मासिस्ट की योग्यता प्राप्त हैं, 11 अनुबन्धित फार्मासिस्ट कार्यरत हैं। अनुबंध के आधार पर कार्यरत फार्मासिस्ट का विवरण मय ब्रांच के परिशिष्ट–2 पर संलग्न है।

(3) रेपसार एक्ट सहकारी संस्थाओं पर लागू होने के कारण फार्मासिस्टों की नियमित नियुक्तियां नहीं की जा रही हैं।

(4) जी हां। प्रमुख चिकित्सा अधिकारी राजकीय सेटेलाइट अस्पताल बनीपार्क के माध्यम से राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ लि. जयपुर द्वारा दुकान आबंटन करवाने की कार्यवाही की जा रही है। दुकान आबंटित होने पर ही संघ द्वारा दुकान प्रारम्भ कर दी जावेगी।

(5) जी हां। राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ लि. जयपुर द्वारा नियमानुसार अनुमोदित संस्थाओं से फार्मासिस्टों का पैनल प्राप्त कर अपनी आवश्यकतानुसार ही अनुबंधित फार्मासिस्टों को रखा जाता है तथा आवश्यकता नहीं होने पर उनकी सेवायें सम्बन्धित संस्था को लौटा दी जाती हैं।

(6) जी हां। राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ लि. जयपुर द्वारा एस.एम.एस. के बांगड अस्पताल में दुकान खोले जाने हेतु स्थान आबंटन करने हेतु एस.एम.एस. प्रशासन से अनुरोध किया गया है। दुकान हेतु स्थान आबंटित होने पर दुकान चालू की जा सकेगी।

परिशिष्ट-1

राजस्थान राज्य सहकारी उप. भोक्ता संघ द्वारा संचालित मेडिकल शाखाओं का विवरण

(अ) जयपुर शहर में स्थित शाखाएं		
क्र. सं.	स्थान जहां दुकान कार्यरत है	पता
1	2	3
1.	एस.एम.एस. प्रथम	एस.एम.एस. अस्पताल परिसर, जयपुर
2.	एस.एम.एस. द्वितीय	एस.एम.एस. अस्पताल परिसर, जयपुर
3.	एस.एम.एस. तृतीय	एस.एम.एस. अस्पताल परिसर, जयपुर
4.	एस.एम.एस. 4	एस.एम.एस. अस्पताल परिसर, जयपुर
5.	एस.एम.एस. 3 बी	एस.एम.एस. अस्पताल परिसर, जयपुर
6.	एस.एम.एस. 6	एस.एम.एस. अस्पताल परिसर, जयपुर
7.	एस.एम.एस. 7	एस.एम.एस. अस्पताल परिसर, जयपुर
8.	एस.एम.एस. 8	एस.एम.एस. अस्पताल परिसर, जयपुर
9.	एस.एम.एस. 8 ई	एस.एम.एस. अस्पताल परिसर, जयपुर
10.	एस.एम.एस. 9 ई	एस.एम.एस. अस्पताल परिसर, जयपुर
11.	एस.एम.एस. 10 ई	एस.एम.एस. अस्पताल परिसर, जयपुर
12.	एस.एम.एस. रात्रि 9	एस.एम.एस. अस्पताल परिसर, जयपुर
13.	एस.एम.एस. द्वितीय	एस.एम.एस. अस्पताल परिसर, जयपुर
14.	एस.एम.एस. पेंशन	एस.एम.एस. अस्पताल परिसर, जयपुर
15.	जे. के. लोन प्रथम	जे. के लोन अस्पताल परिसर
16.	जे. के. लोन द्वितीय	जे. के लोन अस्पताल परिसर
17.	जे. के. लोन तृतीय	जे. के लोन अस्पताल परिसर
18.	आमेर	आमेर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र परिसर, आमेर
19.	बिहारी बाजार	अजमेरी गेट, जयपुर
20.	चेस्ट अस्पताल	वक्ष एवं क्षय रोग अस्पताल परिसर, झोटवाड़ा रोड़, जयपुर

21.	गांधीनगर प्रथम	गांधीनगर डिस्पेन्सरी परिसर के पीछे, जयपुर
22.	गांधीनगर द्वितीय	गांधीनगर डिस्पेन्सरी परिसर के पीछे, जयपुर
23.	जयपुरिया अस्पताल	जयपुरिया अस्पताल परिसर, जयपुर
24.	झोटवाडा	खातीपुरा रोड़, पुलिया के पास झोटवाड़ा, जयपुर
25.	जवाहर नगर	डिस्पेन्सरी परिसर, जवाहर नगर, जयपुर
26.	कांवटिया अस्पताल	कांवटिया अस्पताल के पास, शास्त्रीनगर, जयपुर
27.	करधनी	मालवीय शापिंग सेन्टर परिसर, जयपुर
28.	किरणपथ मानसरोवर	डिस्पेन्सरी के पीछे, मानसरोवर, जयपुर
29.	मोती कटला	मोतीकटला डिस्पेन्सरी परिसर, जयपुर
30.	मिनी सचिवालय	मिनी सचिवालय परिसर, जयपुर
31.	मानसरोवरअग्रवालफार्म	अग्रवाल फार्म डिस्पेन्सरी के पास, जयपुर
32.	न्यू कालोनी	जाजू डिस्पेन्सरी के पास, न्यू कालोनी, जयपुर
33.	नाहरी का नाका	पोस्ट आफिस के सामने, हाउसिंग बोर्ड नाहरी का नाका, जयपुर
34.	पुरानी बस्ती प्रथम	गणगौरी बाजार डिस्पेन्सरी के पास, जयपुर
35.	पुरानी बस्ती द्वितीय	गणगौरी बाजार डिस्पेन्सरी के पास, जयपुर
36.	प्रताप नगर सांगानेर-6	प्रताप नगर सांगानेर डिस्पेन्सरी परिसर, जयपुर
37.	राजभवन	राजभवन डिस्पेन्सरी परिसर, जयपुर
38.	सिरहडयोढी	सिरहडयोढी डिस्पेन्सरी परिसर हवामहल गेट के पास, जयपुर
39.	सचिवालय	सचिवालय के पीछे, तिलक मार्ग, जयपुर
40.	सेठी कालोनी	सेटेलाईट अस्पताल परिसर, सेठी कालोनी, जयपुर

1	2	3
41	सहकार भवन	नेहरू सहकार भवन परिसर, 22 गोदाम
42.	सांगानेर	सिटी बस स्टेण्ड, सांगानेर ग्राम सेवा सहकारी समिति लि. सांगानेर, जयपुर
43.	तिलक नगर	एल.बी.एस. कालेज के सामने, तिलक नगर, जयपुर
44.	विधान सभा	विधान सभा परिसर, जयपुर
45.	वैशाली नगर	राजकीय डिस्पेन्सरी परिसर, वैशाली नगर, जयपुर
46.	जनाना प्रथम	जनाना अस्पताल परिसर, जयपुर
47.	जनाना द्वितीय	जनाना अस्पताल परिसर, जयपुर
48.	जनाना तृतीय	जनाना अस्पताल परिसर, जयपुर
49.	मोती डूंगरी सांगानेरी गेट	रेडक्रास सोसायटी परिसर, सांगानेरी गेट, जयपुर
50.	ईएसआई	ईएसआई अस्पताल परिसर, जयपुर
51.	बरकत नगर	बरकत नगर डिस्पेन्सरी के पास, बरकत नगर, जयपुर
52.	प्रतापनगर सांगानेर-11	सैक्टर-11, कुम्भा मार्ग, सांगानेर, जयपुर
53.	मुरलीपुरा स्कीम	राज. डिस्पेन्सरी परिसर में

राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ लिमिटेड मेडिकल अनुभाग
वर्तमान में मेडिकल अनुभाग में अनुबन्ध के आधार पर कार्यरत
फार्मासिस्टों का विवरण

परिशिष्ट-2

क्र. सं.	नाम फार्मासिस्ट	शाखा का नाम	कब से कार्यरत
1.	श्री सुरेश शर्मा	एसएमएस प्रथम	18.12.2004
2.	श्री गिर्राज सिंह	विधान सभा	21.3.2004
3.	श्री सुशील शर्मा	मुरलीपुरा	20.4.2004
4.	श्री सुरेन्द्र सिंह	पुरानी बस्ती-I	27.1.2005
5.	श्री देवी सिंह	मोती डूंगरी	23.8.2003
6.	श्री लोकेश कुमार सैनी	आमेर शाखा	22.3.2003
7.	श्री सतीश छापोला	प्रताप नगर सैक्टर-6	27.5.2004
8.	श्री कैलाश शर्मा	प्रताप नगर सैक्टर-11	23.6.2004
9.	मनीष कुमार मित्तल	किरण पथ मानसरोवर	8.2.2005
10.	श्री मधुसूदन शर्मा	जे. के. लोन द्वितीय	9.2.2005
11.	श्री नरेन्द्र छंगानी	बिहारी बाजार एलोपेथिक	9.2.2005

जिला आयोजना एवं समन्वय समिति की बैठकों में विधायकों की भागीदारी

79. श्री भरत सिंह (दीगोद) : क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जिला कोटा की जिला आयोजना एवं समन्वय समिति का गठन कब किया गया व कितने वर्षों से यह समिति कार्य कर रही है तथा इसके सदस्यों का चयन किस आधार पर किया जाता है?

(श्री भरत सिंह)

(2) क्या यह सही है कि जिला आयोजना एवं समन्वय समिति की बैठकों में क्षेत्रीय विधायकों को आमंत्रित नहीं किया जाता है? यदि हां, तो जिले की वार्षिक योजना तैयार करते समय विधायकों की भागीदारी नहीं रखने के क्या कारण हैं?

(3) क्या यह सही है कि जिला कोटा की वार्षिक योजना 2004-05 को तैयार करते समय विधायकों से चर्चा की गई थी? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जिला कोटा की जिला आयोजना एवं समन्वय समिति का गठन दिनांक 16.10.2001 को किया गया। यह समिति गठन के समय से ही कार्य कर रही है। समिति का गठन राज्य सरकार के आदेश क्रमांक 4211 दिनांक 15.11.99 के निर्देशानुसार किया गया है। (प्रति सलंग्न है)

(2) जी हां। जिला आयोजना एवं समन्वय समिति में कोई भी जनप्रतिनिधि सदस्य नहीं होते हैं।

जिले की वार्षिक योजना का प्रारूप जिला आयोजना एवं समन्वय समिति में तैयार कर जिले की जिला आयोजना समिति में समीक्षा की जाती है।

जिला आयोजना समिति में सदस्य के रूप में माननीय क्षेत्रीय विधायक/माननीय सांसद/मान्यता प्राप्त एन.जी.ओ. में से दो सदस्य राज्य सरकार द्वारा मनोनीत किये जाते हैं। अभी तक दो सदस्यों का मनोनयन नहीं किया गया है।

(3) जिला कोटा की वार्षिक योजना 2004-05 को तैयार करते समय विधायकों से चर्चा नहीं की गई, क्योंकि जिला आयोजना समिति में नामित दो सदस्यों का मनोनयन नहीं किया गया था।

राजस्थान सरकार

पंचायती राज विभाग

क्रमांक एफ4/(5)ग्राविप/प्रशा/विधि/95/4211 जयपुर, दिनांक नवम्बर, 1999

15.11.1999

आदेश

राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 121 एवं पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 350 के अन्तर्गत जिले की पंचायती राज संस्थाओं एवं नगर पालिकाओं द्वारा बनाई गई योजनाओं को इकजाई करने एवं सम्पूर्ण जिले के लिये विकास योजनाओं का प्रारूप तैयार करने के लिये प्रत्येक जिले में जिला आयोजना समिति का गठन किया है।

1. प्रत्येक जिला आयोजना समिति के कार्य संचालन में सहायता के लिये एक जिला स्तरीय जिला आयोजना एवं समन्वय समिति का गठन निम्न प्रकार होगा :-

I	जिला कलक्टर	अध्यक्ष
II	अतिरिक्त कलक्टर (विकास)	सदस्य
III	अधीक्षण अभियन्ता/अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई/सार्वजनिक निर्माण विभाग/राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल/जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग	सदस्य
IV	जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक/माध्यमिक	सदस्य
V	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी	सदस्य
VI	जिला कृषि अधिकारी	सदस्य
VII	मण्डल वन अधिकारी	सदस्य
VIII	महा प्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र	सदस्य
IX	महिला एवं बाल विकास/पशुपालन/समाज कल्याण विभाग के प्रतिनिधि	सदस्य

X	स्थानीय निकायों के प्रतिनिधि	सदस्य
XI	अग्रणी बैंक अधिकारी	सदस्य

2. मुख्य आयोजना अधिकारी उक्त समिति का सदस्य सचिव होगा।

3. उक्त समिति अन्य विभागों के प्रतिनिधिओं को आवश्यकतानुसार सहवरण (Co-opt) करने के लिये सक्षम होगी।

4. समिति की प्रत्येक त्रैमास में एक बैठक आवश्यक रूप से आयोजित की जावेगी।

पी. एन. भण्डारी

अतिरिक्त मुख्य सचिव विकास

अजमेर की पंचायतों का निरीक्षण

80. डा. श्रीगोपाल बाहेती (पुष्कर) : क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) राज्य में कितनी पंचायत समितियां/ग्राम पंचायतें हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि इनके निरीक्षण करने हेतु पंचायती राज अधिनियम बने हुये हैं यदि हां, तो उनका विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) इनके निरीक्षण करने हेतु कौन-कौन अधिकारी प्राधिकृत हैं एवं इनके निरीक्षण के प्रतिवर्ष क्या मानदण्ड हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) जिला अजमेर में इन अधिकारियों द्वारा गत वर्ष पंचायत समितिवार कितने निरीक्षण किये गये? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या सरकार मानदण्डानुसार निरीक्षण नहीं करने वाले अधिकारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) राज्य में 237 पंचायत समितियां एवं 9188 ग्राम पंचायते हैं, जिनका जिलेवार विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है। (परिशिष्ट 'क')

(2) जी हां। पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 100 के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा अधिकृत अधिकारी. निरीक्षण तथा जांच कर सकता है। इस हेतु राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 339 में अधिकारियों के लिए निरीक्षण किये जाने के मापदण्ड का प्रावधान है। जिनका विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है। (परिशिष्ट 'ख')

(3) प्राधिकृत अधिकारियों के निरीक्षण के मापदण्ड का विवरण परिशिष्ट 'ख' में वर्णित है।

(4) जिला अजमेर में इन अधिकारियों द्वारा किये गये निरीक्षण का विवरण सदन की मेज पर रख दिया है। (परिशिष्ट 'ग')

(5) जी हां। ऐसे दोषी कर्मचारियों का विवरण प्राप्त किया जा रहा है।

परिशिष्ट-क

पंचायत समितियां एवं ग्राम पंचायतों की जिलेवार सूची

क्र. सं.	जिले का नाम	पंचायत समिति	ग्राम पंचायत
1	2	3	4
1.	अजमेर	8	276
2.	अलवर	14	478
3.	बांसवाड़ा	8	325
4.	बारां	7	215
5.	बाड़मेर	8	380
6.	भरतपुर	९	371
7.	भीलवाड़ा	11	381

1	2	3	4
8.	बीकानेर	5	219
9.	बून्दी	4	181
10.	चित्तौड़गढ़	14	393
11.	चूरू	6	249
12.	दौसा	5	223
13.	धौलपुर	4	153
14.	डूंगरपुर	5	237
15.	श्रीगंगानगर	7	320
16.	हनुमानगढ़	3	251
17.	जयपुर	13	488
18.	जैसलमेर	3	128
19.	जालौर	7	264
20.	झालावाड़	6	252
21.	झुंझुनूं	8	288
22.	जोधपुर	9	339
23.	करौली	5	224
24.	कोटा	5	162
25.	नागौर	11	461
26.	पाली	10	320
27.	राजसमन्द	7	206
28.	सवाईमाधोपुर	5	197
29.	सीकर	8	329

1	2	3	4
30.	सिरोही	5	151
31.	टोंक	6	231
32.	उदयपुर	11	498
	योग	237	9188

परिशिष्ट-ख

राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम-339 में वर्णित अधिकारियों के लिए निरीक्षण के मानदण्ड

निरीक्षण	अधिकारी	कालावधि
(1) पंचायत	(क) पंचायत प्रसार अधिकारी	अर्द्धवार्षिक
	(ख) विकास अधिकारी	वर्ष में एक बार
	(ग) मुख्य कार्यपालक अधिकारी	प्रतिवर्ष 20 पंचायतें
	(घ) मुख्यालयों पर पदस्थापित उपायुक्त	प्रतिवर्ष 20 पंचायतें
(2) पंचायत समिति	(क) विकास अधिकारी	अर्द्धवार्षिक
	(ख) मुख्य कार्यपालक अधिकारी	वर्ष में एक बार, यदि जिले में पंचायत समितियों की संख्या-6 से अधिक नहीं हो। अन्य जिलों के मामलों में प्रतिवर्ष 6 पंचायत समितियाँ किन्तु एक ही पंचायत समिति का निरीक्षण बार-बार नहीं किया जायेगा।
	(ग) मुख्यालय पर पदस्थापित उपायुक्त	प्रतिवर्ष-5

परिशिष्ट-ग

अजमेर में पंचायत संस्थाओं के वर्ष 2003-2004 में अधिकारियों द्वारा किये गये निरीक्षण सूचना :-

क्र. सं.	पंचायत समिति	ग्राम पंचायत	निरीक्षण	अधिकारी जिसके द्वारा निरीक्षण किया	वि. वि.
1.	श्रीनगर दिनांक 4.8.2003	—	4.8.2003	मुख्य कार्यकारी अधिकारी	
2.	अराई दिनांक 30.7.2003	—	30.7.2003	जिला कलक्टर	
3.	भिनाय दिनांक 27.3.2003	सोबडी 27.3.2004 बांदनवाडा 27.3.2004	27.3.2004	अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी	
4.	मसूदा दिनांक 24.3.2004	सतावडिया 24.3.2004 अन्देरी देवरी 25.3.2004	24.3.2004	अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी	
5.	जवाजा दिनांक 26.8.2003	—	26.8.2003	मुख्य कार्यकारी अधिकारी	
6.	पीसांगन दिनांक 14.7.2003	—	14.7.2003	जिला कलक्टर	
	दिनांक 19.3.2004	बुधवाडा 19.3.2004 पीसांगन 19.3.2004	19.3.2004	अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी	

हिण्डौली पंचायत समिति (बूंदी) द्वारा निर्मित एनिकट

81. श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली) : क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) पंचायत समिति हिण्डौली, जिला बून्दी द्वारा गत पांच वर्षों के कार्यकाल में कितनी-कितनी लागत के किस-किस गांव में कितने एनिकटों का निर्माण करवाया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) वर्ष 2004-05 में पंचायत समिति हिण्डौली में कुल कितनी निजी आय हुई और निजी आय से इस वर्ष कहां-कहां पर कितनी-कितनी लागत के कितने कार्य किस-किस तिथि को स्वीकृत हुए? विवरण सदन की मेज पर रखें। उक्त में से कितने कार्य पूर्ण हुए?

उत्तर

(1) पंचायत समिति हिण्डौली, जिला बून्दी में गत पांच वर्षों में रू. 168.55 लाख की लागत के 64 एनिकटों का निर्माण करवाया गया। कार्यवार विवरण परिशिष्ट 'अ' पर सलंग्न है।

(2) वर्ष 2004-05 में पंचायत समिति हिण्डौली में कुल 8,16,861/- रूपये की निजी आय हुई और निजी आय से वर्ष 2004-05 में रू. 1605 लाख के 22 कार्य स्वीकृत किये गये। कार्यो की लागत एवं स्वीकृत तिथि का विवरण परिशिष्ट 'ब' पर सलंग्न है।

उक्त में से 14 कार्य पूर्ण हो चुके हैं।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया।)

अधिकृत पर्यटन परिचय पत्र धारक पथ प्रदर्शक

82. श्री अमराराम (धोद) (धोद) : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा परिचय पत्र धारक पथ प्रदर्शकों (गाइड) हेतु गणवेश (ड्रेस) निर्धारित है? यदि हां, तो विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि पथ प्रदर्शकों (गाइड) को कार्य करते समय निर्धारित नाम पट्टिका (नेम प्लेट) लगाना अनिवार्य है? यदि हां, तो ऐसा नहीं करने वाले पथ प्रदर्शक को पाबन्द करने अथवा दण्डित करने के सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जाती है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि सरकारी विश्राम गृह तथा निजी विश्राम गृहों में ठहरे हुए पर्यटकों को भ्रमण हेतु ले जाने के लिए सरकारी परिचय पत्र धारक पथ प्रदर्शक एवं निजी परिचय पत्र धारक पथ प्रदर्शकों का वर्गीकरण है? यदि नहीं, तो क्या दोनों प्रकार के पथ प्रदर्शक दोनों ही प्रकार के विश्राम गृहों से पर्यटकों को ले जा सकते हैं?

उत्तर

(1) पर्यटन विभाग द्वारा परिचय पत्र धारकों को गाईड हेतु जारी दिशा-निर्देश के अनुसार पथ प्रदर्शक अपने कार्य के समय साफ सुथरी व गरिमामय पोशाक धारण करेंगे एवं यह अपेक्षा की जाती है कि वे सर्दियों में जोधपुरी सूट व गर्मियों में सफारी सूट पहनेंगे।

(2) पथ प्रदर्शक को अपने कार्य के समय निर्धारित नाम पट्टिका (टैग) लगाने हेतु निर्देशित किया गया है। ऐसा नहीं करने पर पथ प्रदर्शक को जारी परिचय पत्र को रद्द भी किया जा सकता है।

(3) सरकारी परिचय पत्र धारक पथ प्रदर्शक ही वर्तमान में मान्यता प्राप्त है।

ब्यावर परिवहन निगम बस स्टैण्ड पर आबंटित दुकानें

83. **श्री देवीशंकर भूतड़ा (ब्यावर) :** क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम द्वारा ब्यावर बस स्टैण्ड पर किन नियमों के आधार पर दुकानों का आबंटन किया जाता है? नियमों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त दुकानें कितनी अवधि के लिए आबंटित की गई?

उत्तर

(1) वर्तमान में राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के सभी बस स्टैण्ड पर दुकान/स्टालों का आबंटन परिपत्र क्रमांक : 202 दिनांक 22.7.97 द्वारा निर्धारित नीति के अनुसार किया जाता है। प्रति परिशिष्ट "1" पर संलग्न है।

(2) इन दुकान/स्टालों का आबंटन/लाइसेन्स प्राथमिक तौर पर एक वर्ष के लिये किया जाता है। सन्तोषजनक सेवाएं देने पर अधिकतम 5 वर्ष तक नवीनीकरण किया जाता है।

परिशिष्ट "1"

राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, जयपुर

क्र. : फा(93)मु./प्रशा./वि.के./97/202 दिनांक : 22.7.1997

परिपत्र

निगम मण्डल की 181वीं सभा में प्रस्तुत प्रस्ताव के निर्णय सं. 42/97 दिनांक 5.7.97 की अनुपालना में दुकान/स्टाल बूथ को लाइसेन्स पर आबंटन करने के सम्बन्ध में समय-समय पर जारी आदेशों/निर्देशों को अधिलंधन कर निम्नानुसार संकलित नीति पत्र जारी किया जाता है।

बस स्टैण्ड निगम परिसर पर केन्टीन तथा स्टाल/बूथ के आबंटन का कार्य आगार स्तरीय समिति द्वारा किया जावेगा जिसके निम्नलिखित सदस्य होंगे :-

(1) मुख्य प्रबन्धक, अध्यक्ष

(2) प्रबन्धक (यातायात) सदस्य

(3) प्रबन्धक (लेखा) सदस्य

नोटः- (1) जिन केन्द्रीय बस स्टैण्डों पर अलग से मुख्य प्रबन्धक नियुक्त हैं वहां पर वे कमेटी के अध्यक्ष रहेंगे।

(2) यदि केन्द्रीय बस स्टैण्ड पर प्रबन्धक (यातायात) एवं प्रबन्धक (लेखा) अलग से नियुक्त नहीं हो तो वहां के (अ) आगार के प्रबन्धक सदस्य के रूप में कार्य करेंगे।

केन्टीन एवं स्टाल/बूथ के आबंटन/लाइसेन्स नवीनकरण, निरस्तीकरण उपयोग एवं उपभोग को नियमित करने का सम्पूर्ण अधिकार उक्त समिति को होगा एवं आवश्यकता पड़ने पर उक्त समिति मुख्यालय से मार्ग दर्शन प्राप्त कर सकेगी। मुख्यालय से अनुमोदन की आशा रखते हुए किसी भी प्रकार के आदेश मुख्य प्रबन्धक/समिति प्रसारित नहीं करेंगे।

आगार स्तर पर उपरोक्त कार्य सम्पन्न करते समय निम्न कार्य विधि एवं निर्देशों की पालना की जायेगी :-

1. संख्या :-

बस स्टैण्ड पर स्थान की उपलब्धता तथा यात्रियों एवं वाहनों के आवागमन की सुगमता को दृष्टिगत रखते हुए स्टाल/दुकान की संख्या का निर्धारण (कमी/बढ़ोत्तरी) आगार स्तरीय समिति की अभिशंषा पर मुख्यालय के अनुमोदन से किया जावेगा।

2. उपयोग :-

स्टाल/बूथ, टी-स्टाल, केन्टीन, फ्रूट एवं ज्यूस स्टाल, बुक स्टाल, कनफेक्शनरी स्टाल, जनरल मर्चेंट, खिलौना शाप एवं स्थानीय प्रसिद्ध वस्तु, खाद्य पदार्थ के विक्रय प्रयोजनार्थ लाइसेन्स पर दी जावेगी। इसके अतिरिक्त

अन्य प्रयोजनार्थ प्रयोग/आबंटन हेतु प्रबन्ध निदेशक की अनुमति प्राप्त करना आवश्यक होगा वायु प्रदूषण ध्वनि प्रदूषण पर नियंत्रण एवं धूम्रपान सामग्री व मादक पदार्थों के उपयोग एवं विक्रय पर भी प्रतिबन्ध रहेगा।

3. प्रक्रिया :-

दुकान/स्टाल/बूथ का लाइसेन्स पर आबंटन आगार स्तरीय समिति द्वारा खुली निविदाओं के माध्यम से किया जावेगा। प्रत्येक इकाई के लिए निविदा शुल्क 100/- रुपये तथा धरोहर राशि 5,000 रुपये (पांच हजार रुपये) रहेगी। अधिकतक निविदादाता की लाईसेन्स जारी करने से पूर्व लाइसेन्स शुल्क की तिगुनी राशिं नकद सुरक्षा राशि के रूप में अनुबन्ध समाप्ति तक के लिए निगम कोष में जमा करानी होगी एवं निगम से अनुबन्ध पत्र का निष्पादन करना होगा। लाइसेन्स आबंटी द्वारा लाइसेन्स जारी किये जाने के 30 दिन के भीतर व्यवसाय प्रारम्भ नहीं करने पर आगार स्तरीय समिति द्वारा उसका लाइसेन्स रद्द कर उपयोगिता के आधार द्वितीय अधिकतम निविदा प्रस्ताव अथवा पुनः निविदाओं के आधार पर लाईसेन्स आबंटन किया जा सकेगा।

4. एस.टी.डी./पी.सी.ओ. बूथ लाइसेन्स :-

आवश्यकता एवं स्थान उपलब्धता के आधार पर आगार स्तरीय समिति की अभिशंषा पर एसटीडी/पीसीओ बूथ के लिए स्वीकृति दी जा सकेगी। इसके लिए प्रार्थना पत्र केवल विकलांग एवं विधवाओं से ही आमन्त्रित किये जावेंगे एवं लाटरी के माध्यम से निर्णय किया जावेगा। सफल आवेदक को 2,000/- रू. (दो हजार रुपये) नगद धरोहर राशि जमा करानी होगी एवं दूर संचार विभाग से तीन माह के भीतर आवश्यक प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। लाइसेन्स शुल्क दूर संचार विभाग से प्राप्त कमीशन एवं उपभोक्ताओं से प्राप्त सेवा शुल्क की कुल राशि का 50 प्रतिशत होगी। ऐसा बूथ प्लाईवूड व ग्लास/एक्रेलिकशीट में 4x4 आगार में लगभग 6-7 फिट ऊंचा पूर्णतः अस्थाई आधार पर बनाया जावेगा। इसके लिए किसी भी प्रकार के पक्के निर्माण की अनुमति नहीं दी जावेगी। लाइसेन्स आबंटी द्वारा तीन माह में कार्य प्रारम्भ ना करने पर उसका लाइसेन्स समाप्त कर एवं प्रतिभूति राशि जब्त कर पुनः प्रार्थना पत्र आमंत्रित कर लाटरी के माध्यम से आबंटन किया जावेगा।

5. लाइसेन्स अवधि :-

लाइसेन्स प्राथमिक तौर पर एक वर्ष के लिए जारी किये जावेंगे तथा लाईसेन्सधारी को प्रत्येक माह के निर्धारित शुल्क का भुगतान पिछले माह की अन्तिम तिथि तक कर लाइसेन्स का नवीनीकरण कराना होगा। प्रत्येक लाइसेन्स की वार्षिक अवधि समाप्त होने से कम से कम 15 दिवस पूर्व आगार स्तरीय समिति द्वारा उस लाइसेन्स के नवीनीकरण पर विचार किया जावेगा तथा उपयोगिता के आधार पर आगार स्तरीय समिति प्रथम वर्ष के लिए निर्धारित दर में 20 प्रतिशत वृद्धि कर तथा बाद में प्रत्येक वर्ष में 10 प्रतिशत वृद्धि चक्रवृति दर पर वार्षिक बढ़ोतरी कर अधिकतम लगातार 5 वर्षों तक नवीनीकरण कर सकेगी। परन्तु प्रत्येक 5 वर्ष पश्चात पुनः खुली निविदाएं आमंत्रित कर तदनुसार आबंटन की कार्यवाही की जावेगी।

निगम के वर्तमान लाइसेन्सधारकों की सुविधा को दृष्टिगत रखते हुये 5 वर्ष के अधिकतम समय सीमा के आधार पर उनके लाइसेन्स निरस्त कर पुनः निविदा आमंत्रित करने की कार्यवाही इस नीति पत्र के लागू होने की तिथि से एक वर्ष पश्चात ही प्रारम्भ की जावेगी

6. लाइसेन्स की शर्ते :-

लाइसेन्स पूर्णतः अस्थाई आधार पर दिये जावेंगे। लाइसेन्स धारक को बिजली एवं पानी का कनेक्शन अपने स्तर पर लेना होगा व सम्बन्धित विभाग को उनके शुल्क का भुगतान भी सीधे ही करना होगा। वायु प्रदूषण एवं ध्वनि प्रदूषण, गनदगी एवं कचरा फैलाने, लाइसेन्स में निर्धारित शर्तो के अतिरिक्त अन्य वस्तुओं के विक्रय, मादक पेय एवं पेय पदार्थों के विक्रय स्वास्थ्य के लिए हानिकारक एवं सड़े गले खाद्य एवं पदार्थों के विक्रय अश्लील साहित्य एवं पत्रिकाओं के विक्रय, दुकान/स्टाल में किसी भी प्रकार के नवीन निर्माण/संशोधन/परिवर्तन करने, निर्धारित क्षेत्रफल से अधिक क्षेत्र के उपयोग व आवागमन में अवरोध उत्पन्न करने एवं लाइसेन्स शुदा स्टाल/दुकान को सबलेट करने पर पूर्ण प्रतिबन्ध रहेगा इन सभी शर्तो का उल्लेख लाइसेन्स पत्र एवं अनुबन्ध पत्र में किया जावेगा।

7. लाइसेन्स का निरस्तीकरण :-

लाइसेन्सधारक द्वारा निर्धारित शर्तों का उल्लंघन करने, निर्धारित शुल्का का समय पर भुगतान न करने अथवा बस स्टैण्ड के विस्तार/जन सुविधाओं के निर्माण या किसी अन्य कार्य के लिए निगम को स्थान की आवश्यकता होने पर लाइसेन्सधारी को 15 दिवस का नोटिस देकर स्टाल/दुकान/स्थान को खाली करने की अपेक्षा करते हुए आगार स्तरीय समिति किसी भी लाइसेन्स का निरस्तीकरण कर सकेगी एवं विद्युत जलदाय विभाग को कनेक्शन काटने हेतु भी सूचित कर देगी। निर्धारित अवधि में लाइसेन्सधारी द्वारा स्टाल खाली कर कब्जा नहीं सम्भलवाने पर निगम द्वारा कब्जा प्राप्त करने की कार्यवाही की जा सकेगी। यदि लाइसेन्स की शर्तों के उल्लंघन पर आगार स्तरीय समिति चाहे तो अधिकतम एक माह के लिए लाइसेन्सधारी का लाइसेन्स भी निलम्बित कर सकेगी एवं निलम्बिन की अवधि में व्यवसाय पर रोक लगा सकेगी।

यदि स्टालधारी स्वयं अपना लाइसेन्स चालू नहीं रखना चाहे तो उसे कम से कम तीन माह पूर्व इसकी सूचना आगार प्रभारी को प्रस्तुत करनी होगी तीन माह का नोटिस दिये बिना व्यवसाय बन्द करने पर उसकी पूर्व में जमा प्रतिभूति राशि निगम द्वारा जब्त कर ली जावेगी।

8. स्टाल/बूथ का स्थान परिवर्तन :

बस स्टैण्ड पर स्थापित दुकान/स्टाल/बूथ के स्थान के किसी अन्य प्रयोजनार्थ आवश्यकता होने पर एवं बस स्टैण्ड परिसर में किसी वैकल्पिक स्थान के उपलब्ध होने पर आगार स्तरीय समिति द्वारा समुचित रूप से विचार कर किसी भी स्टाल/बूथ के स्थान परिवर्तन का निर्णय लिया जा सकेगा एवं लाइसेन्सधारी को निर्धारित की गई अवधि में अन्य स्थान पर शिफ्ट कर पुराने स्थान पर कब्जा निगम को सम्भलाना होगा. वैकल्पिक अन्य स्थान की उपलब्धता एवं उसकी व्यवसायिक उपयोगिता को इंगित रखते हुए उसके नवीन लाइसेन्स दरों के प्रस्ताव आगार स्तरीय समिति द्वारा तैयार किये जावेंगे एव उनका अनुमोदन प्रबन्ध निदेशक के स्तर से किया जावे. अन्य स्थान के लिए निर्धारित किये जाने वाले लाइसेन्स शुल्क/दर को लेकर निगम व

लाइसेन्सधारी के मध्य विवाद ना हो इसलिए यह व्यवस्था की जाती हैं कि जब भी लाइसेन्सधारी को पूर्व स्थान से शिफ्ट करना हो तो पहले नियमानुसार उसका लाइसेन्स निरस्त किया जावे तथा नये स्थान पर आबंटन के लिए लाइसेन्सधारी को प्राथमिकता दी जावे व खुली निविदाएं आमंत्रित न की जावे। यदि नवीन लाइसेन्स शुल्क/दरों के लिए पूर्व लाइसेन्सधारी सहमत न हो तो ऐसी दशा में उसकी स्थान परिवर्तन के आधार प्राथमिकता समाप्त कर दी जावेगी एवं नये स्थल का लाइसेन्स भी निर्धारित प्रक्रिया से निविदाएं आमंत्रित कर आबंटन किया जावेगा।

9. लाइसेन्स हस्तान्तरण :-

दुकान/स्टाल/बूथ का लाइसेन्स अहस्तान्तरणीय होगा व सबलेट नहीं किया जा सकेगा। परन्तु यदि किसी स्टालधारी की लाइसेन्स अवधि के दौरान मृत्यु हो जाती है तो स्टालधारी पर आश्रित उसकी पत्नि/बच्चों एवं परिवार के अन्य सदस्यों जैसे माता-पिता, भाई, बहन के नाम पर लाइसेन्स की शेष अवधि के लिए नाम हस्तान्तरण किया जा सकेगा। पत्नि स्वयं व्यापार करने में सक्षम/इच्छुक नहीं होने अथवा आश्रित बच्चों के नाबलिग होने की दशा में पत्नी की अभिशंषा (शपथ पत्र लेकर) पर अथवा मृतक लाईसेन्सधारी के अविवाहित या विधुर होने की दशा में पति/पत्नि के माता, पिता, भाई, बहिन या नाबलिग सन्तानों के विधिक संरक्षक के नाम लाइसेन्स हस्तान्तरण, लाईसेन्स की शेष अवधि के लिए किया जा सकेगा तथा प्रचलित नीति के अनुसार यदि आगार स्तरीय समिति उचित समझे तो आगे भी समय अवधि बढ़ायी जा सकेगी मृतक लाइसेन्सधारी के लाइसेन्स हस्तान्तरण सम्बन्धी आगार स्तरीय समिति के प्रस्ताव का अनुमोदन प्रबन्ध निदेशक से होने के पश्चात भी उसे लागू किया जा सकेगा।

10. विशेष लाइसेन्स :-

राजस्थान पर्यटन विकास निगम, मोर्डन फूड इण्डस्ट्रीज, एच.पी.एम.सी.आर.सी.डी.एफ. राजस्थान खादी ग्रामोद्योग आदि स्वायत्तशासी संस्थाओं एवं राजकीय उपक्रमों द्वारा आवेदन करने पर उन्हें प्राथमिकता के आधार पर आगार स्तरीय समिति द्वारा प्रस्तावित दरों पर (निविदाओं के

आधार पर नहीं) मुख्यालय स्तर पर प्रबन्ध निदेशक द्वारा अनुमोदन/निर्धारण कर लाइसेन्स जारी किया जा सकेगा। ऐसे विभाग/निगम/संस्था संचालन हेतु किसी अन्य को सबलेट नहीं करे सकेंगे।

11. विवादों का निस्तारण :-

लाइसेन्स शर्तो के सम्बन्ध में अथवा अन्य किसी मामले में लाईसेन्स धारक एवं निगम के मध्य विवाद उत्पन्न हो जाने की स्थिति में निगम अध्यक्ष का निर्णय अन्तिम होगा।

लाइसेन्सधारकों से लाइसेन्स की सभी शर्तो की पूर्ति करवाना, लाईसेन्स के नवीनीकरण/निरस्तीकरण, समय पर शुल्क की वसूली करना, न्यायिक प्रकरणों में प्रभावी पैरवी करना एवं नियमानुसार स्टाल खाली करवाना व अन्य आवश्यक कार्यवाही कराने का पूर्ण दायित्व आगार समिति का होगा तथा उपरोक्त में से किसी भी शर्त का उल्लंघन पाये जाने पर आगार स्तरीय समिति के सदस्यों को सामूहिक रूप से एवं पृथक-2 रूप से उत्तरदायी ठहराया जा सकेगा।

प्रबन्ध निदेशक

परिवहन निगम के वाहन चालक/परिचालकों को देय रात्रि विश्राम भत्ता

84. श्री अमराराम (धोद) (धोद) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की राज्य से बाहर रात्रि में ठहराने वाली बसों के चालक व परिचालक को विश्राम भत्ता किस दर से दिया जाता है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) राज्य में वर्तमान में कितने आगार हैं तथा इनमें से कितने घाटे में चल रहे हैं?

उत्तर

(1) राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की राज्य से बाहर रात्रि में ठहरने वाली बसों के चालकों/परिचालकों को विश्राम भत्ता निम्न दर से दिया जाता है :-

स्थान	दर
1. दिल्ली एवं राज्यों की राजधानी	15/- रू. प्रति रात्रि
2. राज्य के बाहर अन्य स्थान	12/- रू. प्रति रात्रि

(2) राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के कुल 52 आगार में से 48 बस संचालित आगार है तथा 4 आगार असंचालन आगार है। जिनमें से अप्रैल 4 से दिसम्बर, 2004 तक की अविध में 41 आगार घाटे में चल रहे हैं।

अनुसूचित जाति/जनजाति की छात्राओं को साइकिल वितरण हेतु निविदा

85. **श्री नन्दलाल मीणा (प्रतापगढ़)** : क्या जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जनजाति उपयोजना क्षेत्र में आने वाले अनुसूचित जाति/जनजाति विद्यालयों में कक्षा 9 से 12वीं तक अनुसूचित जाति की कितनी छात्राएं अध्ययनरत हैं? जिलेवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा कक्षा 9 से 12वीं तक 12300 छात्राओं को साइकिलें वितरण करने की घोषणा वितीय वर्ष 2004-05 के लिए की गई है? यदि हां, तो इस हेतु वितीय प्रावधान क्या है और साइकिलें वितरण के लिए क्या कोई निविदाएं आमंत्रित की गई हैं? यदि हां, तो निविदा की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि मार्च, 2004-05 में समाप्त होने वाले शैक्षणिक सत्र की कक्षा 10वीं, 12वीं की छात्राओं की इस लाभ से वंचित रहना

(श्री नन्दलाल मीणा)

पड़ेगा? यदि नहीं, तो साइकिल वितरण का कार्य कब तक सम्पादित कर दिया जायेगा?

उत्तर

(1) समाज कल्याण विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन राजस्थान रजीडेंसियल एजूकेशन इन्स्टीट्यूशन्स सोसायटी जयपुर द्वारा जनजाति उपयोजना क्षेत्र में डा. भीमराव अम्बेडकर आवासीय बालिका विद्यालय खोड़न जिला बांसवाड़ा में स्थापित है जिसमें कक्षा 9 से तीन एवं कक्षा 10 में दो अनूसूचित जाति की छात्रायें अध्ययनरत हैं। वर्तमान में यह विद्यालय कक्षा 10 स्तर तक का है।

(2) जी हां। सरकार द्वारा 12300 छात्राओं (12246 टीएसपी क्षेत्र+54 सहरिया क्षेत्र) के लिए साइकिलें उपलब्ध कराने हेतु 203.00 लाख रुपये का वित्तीय प्रावधान महाराष्ट्र प्रणाली के अन्तर्गत कर प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी की जा चुकी है। अभी तक निविदायें आमंत्रित नहीं की गई हैं। इस हेतु उच्च स्तरीय क्रय समिति का गठन राज्य सरकार द्वारा किया जा चुका है। सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों के अनुरुप क्रय करने की कार्यवाही आयुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग द्वारा की जा रही है।

(3) जी नहीं। शैक्षणिक सत्र 2004-05 में कक्षा 9वीं से 12वीं में अध्ययनरत सभी छात्राओं (छात्रावासों में रह रही अनुसूचित जनजाति छात्राओं के अतिरिक्त) मुफ्त साइकिलें वितरित की जावेंगी' साइकिल वितरण का कार्य इसी वित्तीय वर्ष में संपादित करने के प्रयास किये जा रहे हैं।

कपासन विधान सभा क्षेत्र में संचालित ग्रामीण विकास योजनाएं

86. श्री बद्रीलाल जाट (कपासन) : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र कपासन में ग्रामीण विकास की कौन-कौन सी योजनायें संचालित की जा रही हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री बद्रीलाल जाट)

(2) सरकार द्वारा ग्रामीण विकास के लिये क्या-क्या योजनायें बनाई गई हैं तथा इसके क्या-क्या प्रावधान व मानदण्ड हैं व इनके लिये सरकार द्वारा क्या छूट दी जा रही है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र कपासन में ग्रामीण विकास विभाग की संचालित योजनाओं का विवरण परिशिष्ट-अ पर अवलोकनीय है।

(2) सरकार द्वारा ग्रामीण विकास के लिये चलाई जा रही योजनाओं में प्रावधान व मापदण्ड तथा सरकार द्वारा दी जा रही है छूट का विस्तृत विवरण परिशिष्ट-ब पर अवलोकनीय है।

परिशिष्ट 'अ'

विधान सभा क्षेत्र कपासन में ग्रामीण विकास विभाग द्वारा संचालित योजनाएं

1. विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास योजना
2. सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना
3. सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना
4. गुरु गोलवलकर जन सहभागिता विकास योजना
5. स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना
6. इन्दिरा आवास योजना
7. प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना (ग्रामीण आवास)
8. क्रेडिट कम सबसीडी योजना
9. आई.डब्लू.डी.पी. योजना

परिशिष्ट 'ब'

विभागीय योजनाओं का विवरण

ग्रामीण विकास विभाग द्वारा संचालित योजनाओं में प्रावधान व मानदण्ड तथा सरकार द्वारा दी जा रही सहायता का संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है :-

1. स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना।

स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले व्यक्तियों को स्व-रोजगार उपलब्ध कराने की योजना है। चयनित मुख्य गतिविधियों के कलस्टर बनाने, गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को स्वयं सहायता समूह के रूप में संगठित करने, व्यक्तिगत लाभार्थियों को चयन करना, उनकी क्षमता विकसित करने के साथ पशिक्षित. संरचना प्रोद्योगिकी साख एवं वितरण के क्षेत्र को विकसित किये जाने का प्रावधान है। योजनान्तर्गत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, महिलायें एवं शारीरिक रूप से विकलांग को प्राथमिकता देते हुए लाभान्वित किये जाने का प्रावधान है।

योजना के तहत स्वयं सहायता समूह हेतु अनुदान की सीमा परियोजना लागत की 50 प्रतिशत अधिकतम रू. 1.25 लाख है। लघु सिंचाई हेतु अनुदान की कोई अधिकतम सीमा निर्धारित नहीं है। व्यक्तिगत लाभ के बतौर योजनान्तर्गत सामान्य वर्ग हेतु परियोजना लागत का 30 प्रतिशत अधिकतम रू. 7500/- तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिये परियोजना का 50 प्रतिशत व अधिकतम रू. 10,000/- अनुदान किये जाने का प्रावधान है। योजनान्तर्गत ऋण कामर्शियल बैंक, सहकारी बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के माध्यम से उपलब्ध कराया जाता है।

स्वयं सहायता समूह में 10 से 20 ग्रामीण गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों के सदस्य होने आवश्यक हैं. लघु सिंचाई परियोजनाओं एवं विकलांगों के समूह में न्यूनतम संख्या 5 रखी गई है। एक समूह में एक परिवार का एक ही सदस्य सम्मिलित किया जा सकता है तथा कोई भी सदस्य एक समूह से ज्यादा में सदस्य नहीं बनाया जा सकता है।

2. वानिकीकरण एवं कृषि उद्यान के कार्य

3. चारागाह विकास के कार्य

4. लघु सिंचाई के कार्य

5. संपर्क सड़कों के कार्य

इस योजनान्तर्गत धार्मिक उद्देश्य जैसे मंदिर, मस्जिद, गुरद्वारा, चर्च, इत्यादि के भवन स्मारक, मूर्तियां, स्वागत द्वार, स्मृति चिन्ह इत्यादि बड़े भवन एवं बड़े पूल आदि के कार्य कराना निषेधित है।

मस्टररोल से ही मजदूर, नियोजित करने का प्रावधान है। मजदूरी का साप्ताहिक आधार पर भुगतान करने की व्यवस्था है। ठेकेदारों से कार्य कराने पर पूर्णतया प्रतिबंध है।

जिला परिषद एवं पंचायत समितियों को उपलब्ध होने वाले संसाधनों में से 22.5 प्रतिशत राशि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के चयनित बी.पी.एल. व्यक्तियों के व्यक्गित/समूह कार्यों के लिए उपयोग में लिये जाने का प्रावधान है। योजनान्तर्गत ग्राम पंचायतों को उपलब्ध होने वाले संसाधनों में से 50 प्रतिशत संसाधन अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की बस्तियों/इलाकों में इन्फ्रास्ट्रक्चर विकास के कार्यों के लिए व्यय करने हेतु आरक्षित है। मजदूरी के आंशिक भुगतान हेतु कम से कम 5 कि.ग्रा. तथा अधिकतम 10 कि.ग्रा. गेहूं प्रति श्रमिक को बी.पी.एल. दर 4 रू. 60 पैसे प्रति कि.ग्रा. से दिया जाना अनिवार्य रखा गया है, जिसमें कम से कम 25 प्रतिशत मजदूरी की राशि नकद में भुगतान किया जाना आवश्यक है।

3. सीमान्त क्षेत्र विकास कार्यक्रम

राज्य के 4 सीमावर्ती जिलों-बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर एवं गंगानगर के 13 विकास खण्डों में क्रियान्वित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत विभिन्न विकास कार्यो जैसे- कृषि, सिंचाई, पेयजल, चिकित्सा, सामाजिक आधारभूत संरचनाएं, सम्पर्क सड़क, विद्युतीकरण, सुरक्षा इत्यादि के कार्य किये जाने का प्रावधान है। कुल उपलब्ध राशि में से 7.5 प्रतिशत राशि

व्यक्तिगत/सैल्फ हैल्फ ग्रुप स्वरोजगारियों के चिन्हींकरण का कार्य विकास अधिकारी अथवा प्रतिनिधि, बैंक अधिकारी तथा सरपंच की तीन सदस्यीय टीम द्वारा किया जाता है। अनुदान अंतिम चरण सहायिकी (बैंक एण्ड सब्सिडी) की प्रणाली के रूप में पंचायत समिति/जिला परिषद (ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ) द्वारा स्वीकृत किया जाता है।

भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना के तहत लाभार्थी हितधारी को लाभान्वित करने की तिथि से 5 वर्ष की अवधि के लिये बीमा सुरक्षा की जाती है। योजनान्तर्गत सामान्य मृत्यु होने पर रू. 6000/- एवं दुर्घटना होने की स्थिति में रू. 12,000/- उपलब्ध कराया जाता है। बीमाधारी की आश्रित द्वारा आवेदन पत्र विकास अधिकारी को मृत्यु तिथि से 6 माह की अवधि में प्रस्तुत किया जावेगा, जिसके आधार पर भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना

ग्रामीण क्षेत्रों में मजदूरी रोजगार एवं खाद्य सुरक्षा के साथ-साथ स्थाई स्वरूप की सामुदायिक परिसंपत्तियां, सामाजिक एवं आर्थिक संसाधनों के सृजन तथा इन्फ्रास्ट्रक्चर विकास करने के मुख्य उद्देश्य से भारत सरकार ने जवाहर ग्राम समृद्धि योजना एवं सुनिश्चित रोजगार योजना को समाहित करते हुए, इस योजना को प्रारम्भ किया है। इसी के साथ मजूदरी के आंशिक भुगतान के लिए गेहूं उपलब्ध कराने की व्यवस्था है। इस योजना में से 20 प्रतिशत राशि जिला परिषद, 30 प्रतिशत राशि जिले की पंचायत समितियों को एवं 50 प्रतिशत राशि ग्राम पंचायतों को उपलब्ध कराई जाती है। पंचायत राज संस्थाओं के तीनों स्तर पर प्रतिवर्ष पृथक-पृथक वार्षिक कार्य योजना बनाये जाने व अनुमोदन कराने का प्रावधान रखा गया है।

इस योजनान्तर्गत रोजगार सृजन के ऐसे कार्य जिनसे स्थायी एवं लाभदायक रोजगार के क्षमता वाली उपयागी सामुदायिक परिसंपत्तियां सृजित हों, कराये जाने का प्रावधान है जैसे :-

1. जल एवं मृदा संरक्षण के कार्य

सुरक्षा सम्बन्धित कार्यों के लिए एवं अधिकतम 60 प्रतिशत राशि भवन व सड़क निर्माण पर व्यय किये जाने का प्रावधान है।

सीमांत क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत कार्यों के प्रस्ताव जिला स्तर पर कलक्टर की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा तैयार कर अनुमोदन हेतु मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में गठित राज्य स्तरीय स्क्रीनिंग कमेटी को प्रस्तुत किये जाते हैं। वर्ष के प्रारम्भ में उपलब्ध अवशेष राशि उपयोग होने एवं पथम किश्त की राशि में से निर्धारित प्रतिशत तक व्यय होने पर ही द्वितीय किश्त की राशि जारी की जाती है।

4. जलग्रहण विकास कार्यक्रम

सूखा सम्भावित क्षेत्र कार्यक्रम एवं मरु विकास कार्यक्रम के तहत भारत सरकार द्वारा जारी जलग्रहण विकास मार्गदर्शिका अनुसार जलग्रहण परियोजनायें क्रियान्वित की जा रही है। जलग्रहण परियोजनाओं का आबंटन भारत सरकार द्वारा सीधे ही सम्बन्धित जिला परिषद को पंचायत समितिवार संख्या दर्शाते हुए किया जाता है। जिला स्तर पर परियोजना का क्रियान्वयन चयनित परियोजना क्रियान्वयन एजेन्सी द्वारा किया जाता है तथा परियोजना की स्वीकृति जिला परिषद द्वारा प्रदान की जाती है।

जलग्रहण समिति, क्षेत्र में रहने वाले लोगों में से चयन कर गठित की जा सकती है जो ग्राम पंचायत/जलग्रहण विकास दल/जिला परिषद तथा सम्बन्धित सरकारी अभिकरणों के साथ समन्वय तथा सम्पर्क बनाये रखने के लिये उत्तरदायी है। स्वीकृत जलग्रहण परियोजनाओं के लिये प्रति हैक्टयर रूपये 6000/- इकाई लागत निर्धारित है।

1.4.2003 से स्वीकृत परियोजनाओं के अन्तर्गत पांच वर्षीय परियोजनाकाल के दौरान परियोजना लागत में से 85 प्रतिशत कार्य के लिये, 5 प्रतिशत प्रशिक्षण तथा सामुदायिक संगठन के लिये एवं शेष 10 प्रतिशत प्रशासनिक मद में व्यय किये जाने का प्रावधान किया गया है।

5. इन्दिरा आवास योजना

इस योजना के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे जीवन

यापन करने वाले चयनित परिवारों को नये आवास निर्मित करने हेतु रू. 25000/- की वितीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है। अगर प्रयास करने के बावजूद उपरान्त भी वह निर्धूम चूल्हे की स्थापना नहीं करता है तो रू. 100/- की एवं स्वच्छ शौचालय का निर्माण नही करता है तो रू. 600/- की कटौती की जांती है।

लाभार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र ग्राम पंचायत में प्रस्तुत होने पर, लाभार्थियों का चयन ग्राम सभा में एवं आवास की स्वीकृति ग्राम पंचायत द्वारा की जाती है। लाभार्थी को सहायता राशि 2 किश्तों में स्वीकृत की जाती है। प्रथम किश्त 50 प्रतिशत (नींव का कार्य पूर्ण करने पर) तथा द्वितीय किश्त 50 प्रतिशत (छत डालने के स्तर तक निर्माण कार्य होने पर) दी जाती है। प्रत्येक आवास पर योजना का प्रतीक चिन्ह तथा लाभार्थी का नाम, निर्माण वर्ष एवं योजना का नाम लिखा जाना आवश्यक है। निर्माण कार्य साधारणतया 6 माह उसी वित्तीय वर्ष में कराया जाना आवश्यक है किन्हीं विशेष परिस्थितियों में इसकी अवधि में वृद्धि की जा सकती है लेकिन 2 वर्ष से कम होनी आवश्यक है। इन्दिरा आवास (क्रमोन्नत) के तहत न रहने लायक कच्चे मकान को पक्के/अर्द्ध पक्के मकानों में बदलने के लिए अधिकतम सहायता राशि रू. 12500/- दिये जाते हैं।

6. प्रधान मंत्री ग्रामोदय योजना (ग्रामीण आवास)

इस योजना में इन्दिरा आवास योजना के अनुरुप वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाई जाती है साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में आधारभूत सुविधायें जैसे पेयजल, आन्तरिक सड़क, नाली निर्माण, वृक्षारोपण आदि के लिए अतिरिक्त राशि भी उपलब्ध करवाई जाती है।

7. ऋण एवं अनुदान योजना (ग्रामीण आवास)

गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले तथा ऐसे परिवार जिनकी वार्षिक आय 32,000/- रू से कम है, उन्हें आवासीय निर्माण हेतु रू. 12,500/- की आर्थिक सहायता एवं बैंक के माध्यम से 40,000/- रू. तक वित्तीय संस्थाओं से ऋण उपलब्ध कराया जाता है।

8. सांसद स्थानीय क्षेत्र वि- र कार्यक्रम

प्रत्येक लोक सभा एव राज्य सभा सदस्य उनके क्षेत्रों क विकास के लिये रू. 2.00 करोड़ की राशि तक के कार्यों की अनुशंषा कर सकते हैं। कार्यों की स्वीकृति जिला परिषद (ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ) द्वारा जारी की जाती है। कार्य एक वर्ष की समयावधि में सामान्यतया पूर्ण किया जाना अपेक्षित है। भारत सरकार द्वारा जारी मार्गदर्शिका में वर्णित कार्य ही स्वीकृत किये जा सकते है। कार्यों का क्रियान्वयन कार्यकारी एजेन्सी जैसे राजकीय विभाग-सार्वजनिक निर्माण विभाग, सिंचाई विभाग, जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग पंचायती राज संस्थाओं एवं पंजीकृत स्वयं सेवी संस्थाओं के माध्यम से किया जा सकता है।

9. विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम

योजनान्तर्गत विधायक अपने विधान सभा क्षेत्र में स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार सामुदायिक उपयोग की परिसम्पत्तियों का निर्माण कराने के लिये निर्धारित राशि (60.00 लाख प्रतिवर्ष) की अनुशंषा कर सकते हैं। अनुशंषा के आधार पर स्वीकृति जिला परिषद (ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ) द्वारा जारी की जाती है। जिला स्तरीय राजकीय कार्यालय भवन/विस्तार, राजकीय कालेज भवन/विस्तार, राजकीय हास्पिटल भवन/ विस्तार एवं जिलों को जोड़ने वाली सड़कों तथा अन्य सामुदायिक महत्व के निर्माण कार्य हेतु जिले के कोई भी विधायक अपने हिस्से की राशि से कार्य करवाने का प्रस्ताव भेज सकते हैं।

यह योजना शत-प्रतिशत राज्य वित्त पोषित योजना है, जो राज्य के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में लागू है। योजना के तहत स्वीकृत कार्यों का क्रियान्वयन पंचायती राज संस्थाओं/स्थानीय निकाय/राज्य सरकार से सम्बन्धित विभागों द्वारा कराया जा सकता है।

10. मेवात क्षेत्र विकास कार्य .

अलवर एवं भरतपुर जिलों का मेव बाहुलय क्षेत्र मेवात क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। मेवात क्षेत्र के विकास हेतु यह योजना अलवर जिले की 8

(लक्ष्मणगढ़ रामगढ़, तिजारा, मुण्डावर, किशनगढ़बास, कठूमर, उमरेण, कोटकासिम) एवं भरतपुर जिले की 3 पंचायत समितियों (नगर, डीग, कामां) में क्रियान्विति किया जा रहा है।

उक्त योजना का मुख्य उद्देश्य मेवात क्षेत्र विकास को गति देना एवं क्षेत्र के लोगों का सामाजिक एवं आर्थिक स्तर को ऊंचा उठाना है। सम्बन्धित जिले में प्रस्ताव प्राप्त होने पर मेवात क्षेत्रीय विकास मण्डल/कार्यकारी समिति की बैठक में अनुमोदन किया जाता है, जिसके अध्यक्ष विभाग के मंत्री महोदय हैं। मेवात क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम के तहत प्रगति की समीक्षा हेतु मण्डल के अधीन मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में कार्यकारी समिति का गठन किया गया है।

11. गुरू गोलवलकर जन भागीदारी विकास योजना

ग्रामीण क्षेत्रों में विकास एवं रोजगार सृजन तथा सामुदायिक परिसम्पत्तियों के निर्माण एवं रख-रखाव में स्थानीय समुदाय की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए "गोलवलकर जन भागीदारी विकास योजना" प्रारम्भ करने की माननीय मुख्य मंत्री द्वारा बजट भाषण में घोषणा की गई है। "गुरू गोलवलकर जन भागीदारी विकास योजना" अन्तर्गत विकास कार्यों का चयन जन समुदाय की आवश्यकता के अनुसार किया जाकर कार्य करवाये जायेंगे। इस योजना के तहत सामान्य क्षेत्र में न्यूनतम 30 प्रतिशत राशि एवं अनुसूचित जाति एवं जनजाति बाहुल्य क्षेत्रों में न्यूनतत 20 प्रतिशत राशि जन सहयोग से सामग्री या श्रम के रूप में अथवा नकद प्राप्त की जावेगी। शेष राशि राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध करायी जायेगी।

12. सहरिया एवं काथेड़ी जनजाति के परिवारों हेतु विशेष रोजगार योजना

बारां जिले की शाहबाद एवं किशनगंज पंचायत समितियों में निवास कर रहे आदिम जनजाति सहरिया के परिवारों तथा उदयपुर जिले की कोटड़ा एवं झाडोल पंचायत समिति में निवास कर रहे काथोड़ी जनजाति के परिवारों क आर्थिक एवं शैक्षणिक दृष्टि से अत्यन्त पिछड़ेपन की स्थिति को देखते हुए उनके विकास के लिए एक विशेष रोजगार कार्यक्रम चलाये जाने की घोषणा की गई है। इस घोषणा के अंतर्गत सहरिया एवं काथोड़ी जनजाति के प्रत्येक परिवार के लिए वर्ष में कम से कम 30 दिवस का मजदूरी रोजगार उपलब्ध

कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा। इस विशेष रोजगार कार्यक्रम के लिए वर्ष 2004-05 के राज्य बजट के निधियों का प्रावधान किया गया है, जिसका उपयोग इन जनजाति के परिवारो को मजदूरी रोजगार उपलब्ध कराने के साथ साथ इस क्षेत्र के विकास हेतु आर्थिक आधारभूत अवसंरचना तथा सामुदायिक परिसंपत्तियों का सृजन हेतु किया जायेगा, जिससे इस क्षेत्र के इन परिवारों की आर्थिक स्थिति में सुधार आ सके। इन परिवारो की खाद्य सुरक्षा एवं पोषण स्तर को सुधारने के लिए यह भी प्रयास किया जायेगा कि मजदूरी के आंशिक भुगतान हेतु भारत सरकार से खाद्यान्न आबंटित कराया जाये तथा उस खाद्यान्न को सस्ती दर पर (बी.पी.एल. दर पर) मजदूरी के आंशिक भुगतान के बतौर उपलब्ध कराया जायेगा। इस योजना के लिए आबंटित संसाधनों का उपयोग उसी दिशा में किया जायेगा, जबकि इन जनजाति के परिवारों को प्रति परिवार वर्ष में कम से कम 100 दिवस का मजदूरी रोजगार, उस क्षेत्र में क्रियान्वित विभिन्न योजनाओं एवं राजकीय निधियों से क्रियान्वित कार्यो पर उपलब्ध नहीं हो सके। यह विशेष रोजगार योजना इन जनजातियों के प्रत्येक परिवार को वर्ष में कम से कम 100 दिवस का मजदूरी रोजगार उपलब्ध कराने के लिए पूरक व्यवस्था की योजना है, जिसे अन्य योजनाओं के पूरक के रूप में निर्धारित 100 दिवस से कम मजदूरी रोजगार उपलब्ध कराने की दशा में ही उपयोग में लिया जायेगा।

इस योजना की क्रियान्विति से यह अपेक्षा की जाती है कि सहरिया एवं कथोड़ी जनजाति के परिवारों को अच्छा आर्थिक संबल मिलेगा, जिससे कालांतर में ये परिवार अपनी उद्यमता का विकास कर स्व-रोजगार की ओर अग्रेषित होंगे तथा आर्थिक एवं शैक्षणिक पिछड़ेपन से मुक्ति पा सकेंगे।

13 डांग क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम

दस्युओं से प्रभावित डांग क्षेत्र में आधारभूत सुविधाओं के विकास एवं अतिरिक्त रोजगार के अवसर उपलब्ध कराये जाने हेतु डांग क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम राज्य के 8 जिलों यथा-सवाई माधोपुर, करौली, कोटा, बून्दी, बारां, धौलपुर, भरतपुर, झालावाड़ की 21 पंचायत समितियों के 357 ग्राम पंचायतों में संचालित रहा। यह कार्यक्रम शत-प्रतिशत राज्य वित पोषित कार्यक्रम था, जिसके तहत वर्ष 1995-96 से 2000-2001 तक स्वीकृत 2..31 करोड़ रूपये के विरुद्ध 21.17 करोड़ रूपये व्यय किये गये। वर्ष 2001-02 से यह कार्यक्रम बन्द है।

डांग क्षेत्र की आवश्यकता एवं महत्व को दृष्टिगत रखते हुये माननीय मुख्यमंत्री महोदया द्वारा वर्ष 2004-05 के बजट पर बहस के दौरान वित्त विधेयक पर जवाब प्रस्तुत करते हुए डांग विकास परियोजना को पुनः प्रारम्भ करने की घोषणा की गयी। रिमोट सेन्सिंग एजेंसी जोधपुर द्वारा रिवाईन्स के किये गये सर्वे को दृष्टिगत रखते हुए डांग क्षेत्र में शामिल 8 जिलों की 21 पंचायत समितियों की 357 ग्राम पंचायतों के अतिरिक्त कुछ अन्य जिलों के रिवाईन्स वाले क्षेत्रों को भी डांग क्षेत्र में सम्मिलित किये जाने हेतु चिन्हिकरण किया जा रहा है। डांग विकास कार्यक्रम हेतु वर्ष 2004-05 में राज्य योजना से बजट स्वीकृत करने हेतु प्रयास किये जा रहे हैं साथ ही राज्य योजना के अतिरिक्त केन्द्र सरकार एवं बाह्य ऐजेन्सियों से भी वित्तीय सहायता प्राप्त करने हेतु प्रयास किये जायेंगे।

दौसा जिले में विभिन्न योजनान्तर्गत पंचायतों को आबंटित राशि

87 श्री रामकिशोर मीणा (सिकराय) : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जिला दौसा में गत 5 वर्षों में किस-किस योजना में कितनी-कितनी राशि किस-किस पंचायत समिति को आबंटित की गई? आबंटित राशि का योजनावार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) पंचायत समितियों द्वारा उक्त राशि का पंचायतों को किस आधार पर आबंटन किया गया? आबंटित राशि का योजनावार विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जिला परिषद दौसा में गत 5 वर्षों में विभिन्न योजनाओं में आबंटित की गई राशि का विवरण परिशिष्ट-1 पर अवलोकनीय है

(2) पंचायत समितियों द्वारा ग्राम पंचायतों को विभिन्न योजनाओं में राशि का आबंटन योजनाओं के दिशा-निर्देशों के आधार पर किया गया है। आबंटित राशि का विवरण परिशिष्ट-2 पर अवलोकनीय है।

(विवरण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

सदस्य सूची

बुधवार, 16 फरवरी, 2005

नाम | पृष्ठ संख्या

श्री अध्यक्ष

अनुपस्थिति अनुमति

-स्नेहलता श्रीमती सदस्य को 3 फरवरी, 05 से सत्रांत तक 43

संदेश

-राज्यपाल महोदय से प्राप्त संदेश-दण्ड प्रक्रिया संहिता (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 2004 पर पुनर्विचार हेतु 44

स्थगन प्रस्ताव

-श्री अमराराम धोद एवं 3 अन्य सदस्यों की ओर से राज्य में बिजली की दरों में असहनीय वृद्धि के संबंध में 47

-श्री जुबेर खान सदस्य की ओर से राज्य में समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग के छात्रावासों की खस्ता हालत एवं उनमें फैले कथित भ्रष्टाचार के संबंध में 46

-श्री संयम लोढ़ा एवं 2 अन्य सदस्यों की ओर से राज्य में क्रमोन्नत किये गये माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालयों में राजनैतिक आधार पर भेदभाव बरते जाने के संबंध में 47

श्री अमराराम (धोद)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

पर्यटन

-अधिकृत पर्यटन परिचय पत्र धारक पथ प्रदर्शक 381

यातायात एवं परिवहन

-परिवहन निगम के वाहन चालक/परिचालकों को देय रात्रि विश्राम भत्ता 388

नाम	पृष्ठ संख्या
पर्ची के माध्यम से उठाये गये मुद्दे	
-लक्ष्मणगढ़ में ओलावृष्टि से नुकसान	77
-सीकर से लुहारू मार्ग पर टोल टैक्स की वसूली	72
शासकीय वक्तव्य	
-घड़साना, रावला एवं खाजूवाला के किसानों पर गोली एवं लाठी चार्ज	122
श्री अशोक कुमार नवलखा (निम्बाहेड़ा)	
अतारांकित प्रश्नोत्तर	
खेल	
-निम्बाहेड़ा (चित्तौड़गढ़) में खेल स्टेडियम का निर्माण	337
श्री अशोक नागपाल (सूरतगढ़)	
शासकीय वक्तव्य	
-घड़साना, रावला एवं खाजूवाला के किसानों पर गोली एवं लाठी चार्ज	130
श्री अशोक बैरवा (खण्डार)	
तारांकित प्रश्नोत्तर	
यातायात एवं परिवहन	
-बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम हेतु कार्य योजना	14
डा. एन.एस. गुर्जर (टोडारायसिंह), मंत्री	
संदेश	
-राज्यपाल महोदय से प्राप्त संदेश-दण्ड प्रक्रिया संहिता (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 2004 पर पुनर्विचार हेतु	45
अभिभाषण	
-धन्यवाद प्रस्ताव पर वाद-विवाद	186

नाम	पृष्ठ संख्या
श्री कन्हैया लाल मीणा (बस्सी)	
तारांकित प्रश्नोत्तर	
समाज कल्याण	
-सामाजिक सुरक्षा के तहत अशक्तजनों को पेंशन	10
श्री कालीचरण सर्राफ (जौहरी बाजार)	
समिति प्रतिवेदन : प्राक्कलन "क"	
प्रतिवेदन एवं लेखे	
-प्राक्कलन समिति क (क्र.सं. 6 से 10)	89
श्री कालूलाल गुर्जर (मांडल), मंत्री	
तारांकित प्रश्नोत्तर	
ग्रामीण विकास	
-अटरू पंचायत समिति द्वारा विभिन्न योजनान्तर्गत देय अनुदान राशि का दुरुपयोग	18
श्री केसरदेव बाबर (लक्ष्मणगढ़)	
पर्ची के माध्यम से उठाये गये मुद्दे	
-लक्ष्मणगढ़ में ओलावृष्टि से नुकसान	77
श्री कैलाश त्रिवेदी (सहाड़ा)	
तारांकित प्रश्नोत्तर	
यातायात एवं परिवहन	
-बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम हेतु कार्य योजना	15
श्री गुरजंट सिंह बराड़ (संगरिया)	
तारांकित प्रश्नोत्तर	
सहकारिता	
-श्रीगंगानगर क्रय-विक्रय सहकारी समिति द्वारा जौ एवं सरसों की खरीद पर व्यय	338

नाम	पृष्ठ संख्या
श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर), मंत्री	
शासकीय वक्तव्य	
-घड़साना, रावला एवं खाजूवाला के किसानों पर गोली एवं लाठी चार्ज	98
संदेश	
-राज्यपाल महोदय से प्राप्त संदेश-दण्ड प्रक्रिया संहिता (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 2004 पर पुनर्विचार हेतु	45
श्री गोविन्द राम चौहान (नोखा)	
अभिभाषण	
-धन्यवाद प्रस्ताव पर वाद-विवाद	275
सूचना	
-नोखा नगरपालिका में घोटाला	92
श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर), मंत्री	
विधेयक का पुरःस्थापन	
-राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयक, 2005	97
डा. चन्द्रशेखर बैद (तारानगर)	
अभिभाषण	
-धन्यवाद प्रस्ताव पर वाद-विवाद	288
तारांकित प्रश्नोत्तर	
समाज कल्याण	
-सामाजिक सुरक्षा के तहत अशक्तजनों को पेंशन	10
सूचना	
-विधायकों को कम्प्यूटर	80

नाम	पृष्ठ संख्या

श्री जुबेर खान (रामगढ़)

तारांकित प्रश्नोत्तर

ऊर्जा

-रामगढ़ (अलवर) हेतु प्रस्तावित 132 के.वी. ग्रिड सब-स्टेशन की स्थापना 341

ग्रामीण विकास

-अटरू पंचायत समिति द्वारा विभिन्न योजनान्तर्गत देय अनुदान राशि का दुरूपयोग 21

यातायात एवं परिवहन

-बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम हेतु कार्य योजना 14

समाज कल्याण

-सामाजिक सुरक्षा के तहत अशक्तजनों को पेंशन 10

श्री देवीशंकर भूतड़ा (ब्यावर)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

यातायात एवं परिवहन

-ब्यावर परिवहन निगम बस स्टैण्ड पर आबंटित दुकानें 382

तारांकित प्रश्नोत्तर

कार्मिक

-ब्यावर के राजकीय कार्यालयों में रिक्त पद 337

श्री धर्मेन्द्र कुमार मोची (टिब्बी)

तारांकित प्रश्नोत्तर

सहकारिता

-हनुमानगढ़ जिले में केन्द्रीय सहकारी बैंक मुख्यालय की स्थापना 342

नाम पृष्ठ संख्या

श्री नन्दलाल पूनिया (सादुलपुर)

नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख

-डिगली-राजगढ़ (चूरू) राजकीय कन्या उच्च प्राथमिक विद्यालय में बालकों को भी प्रवेश 70

श्री नन्दलाल मीणा (प्रतापगढ़)

अतारांकित प्रश्नोतर

जनजाति क्षेत्रीय विकास

-अनुसूचित जाति/जनजाति की छात्राओं को साइकिल वितरण हेतु निविदा 389

तारांकित प्रश्नोत्तर

जनजाति क्षेत्रीय विकास

-महाराष्ट्र प्रणाली के अन्तर्गत जनजाति उपयोजना क्षेत्र में संचालित छात्रावास 302

श्री नवनीत नीनामा (घाटोल)

नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख

-गरनावट (घाटोल) के गरीब आदिवासियों को भूमि आबंटन 68

श्री नवरतन राजोरिया (फुलेरा)

तारांकित प्रश्नोत्तर

नगरीय विकास एवं आवासन

-राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा आवास आबंटन में अनियमितता 323

श्री प्रभुलाल सैनी (उनियारा), मंत्री

पर्ची के माध्यम से उठाये गये मुद्दे

-लक्ष्मणगढ़ में ओलावृष्टि से नुकसान 78

-लूणकरणसर में भेड़ों की अकाल मौत 84

नाम	पृष्ठ संख्या
श्री प्रमोद जैन 'भाया' (बारां)	
तारांकित प्रश्नोत्तर	
वित्त	
-राज्य के बीयर बारों से प्राप्त राजस्व	343
श्री प्रहलाद गुंजल (रामगंजमण्डी)	
अभिभाषण	
-धन्यवाद प्रस्ताव पर वाद-विवाद	259
श्री बंशीलाल खटीक (राजसमन्द)	
अतारांकित प्रश्नोत्तर	
वित्त	
-वर्ष 1998 में तकनीकी कर्मियों को केन्द्रीय वेतनमान दिये जाने हेतु लिए गए निर्णय का क्रियान्वयन	346
श्री बद्रीलाल जाट (कपासन)	
अतारांकित प्रश्नोत्तर	
ऊर्जा	
-कपासन विधान सभा क्षेत्र में 33 के.वी. ग्रिड सब स्टेशन की स्थापना	358
ग्रामीण विकास	
-कपासन विधान सभा क्षेत्र में संचालित ग्रामीण विकास योजनाएं	390
श्री बहादुर सिंह गोदारा (नोहर)	
तारांकित प्रश्नोत्तर	
समाज कल्याण	
-सामाजिक सुरक्षा के तहत अशक्तजनों को पेंशन	1
श्री बाबूलाल नागर (दूदू)	
तारांकित प्रश्नोत्तर	
यातायात एवं परिवहन	
-बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम हेतु कार्य योजना	17

नाम	पृष्ठ संख्या
प्रो. बीरूसिंह राठौड़ (बनीपार्क)	
अतारांकित प्रश्नोत्तर	
ऊर्जा	
-बनीपार्क विधान सभा क्षेत्र की हाई-टेंशन लाइनें	359
नगरीय विकास एवं आवासन	
-बनीपार्क विधान सभा क्षेत्र में विकास कार्य	356
डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर), नेता, प्रतिपक्ष	
तारांकित प्रश्नोत्तर	
ग्रामीण विकास	
-अटरू पंचायत समिति द्वारा विभिन्न योजनान्तर्गत देय अनुदान राशि का दुरूपयोग	36
शासकीय वक्तव्य	
-घड़साना, रावला एवं खाजूवाला के किसानों पर गोली एवं लाठी चार्ज	140
समिति प्रतिवेदन : जन लेखा	
प्रतिवेदन एवं लेखे	
-जन लेखा समिति (क्र.सं. 82 से 93)	90
श्री बृजकिशोर शर्मा (जयपुर ग्रामीण)	
तारांकित प्रश्नोत्तर	
समाज कल्याण	
-सामाजिक सुरक्षा के तहत अशक्तजनों को पेंशन	4
श्री भरत सिंह (दीगोद)	
अतारांकित प्रश्नोत्तर	
पंचायती राज	
-जिला आयोजना एवं समन्वय समिति की बैठकों में विधायकों की भागीदारी	372

नाम	पृष्ठ संख्या
श्री महावीर प्रसाद जैन (टोंक), मुख्य सचेतक	
सदन की कार्यवाही	
-विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि	207
-विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि	268
श्री मांगीलाल गरासिया (गोगुन्दा)	
नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख	
-गोगुन्दा एवं कोटड़ा में एनीकट निर्माण	71
श्री मुरारी लाल मीणा (बांदीकुई)	
तारांकित प्रश्नोत्तर	
यातायात एवं परिवहन	
-बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम हेतु कार्य योजना	17
श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल)	
अतारांकित प्रश्नोत्तर	
सहकारिता	
-संविदा आधार पर नियुक्त फार्मासिस्ट	367
तारांकित प्रश्नोत्तर	
समाज कल्याण	
-सामाजिक सुरक्षा के तहत अशक्तजनों को पेंशन	11
श्री मोहम्मद माहिर आजाद (नगर)	
अभिभाषण	
-धन्यवाद प्रस्ताव पर वाद-विवाद	219

नाम	पृष्ठ संख्या
श्री मदन दिलावर (अटरू), मंत्री	
तारांकित प्रश्नोत्तर	
ग्रामीण विकास	
-अटरू पंचायत समिति द्वारा विभिन्न योजनान्तर्गत देय अनुदान राशि का दुरूपयोग	29
समाज कल्याण	
-सामाजिक सुरक्षा के तहत अशक्तजनों को पेंशन	1
स्पष्टीकरण	
-मदन दिलावर श्री, समाज कल्याण मंत्री का स्पष्टीकरण	39
श्री मदन मोहन सिंघल (कामां)	
अतारांकित प्रश्नोत्तर	
ऊर्जा	
-चौमूं के ग्राम चीथवाड़ी के कृषि कनेक्शन शिफ्टिंग के लम्बित प्रकरण	360
श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर)	
अतारांकित प्रश्नोत्तर	
सहकारिता	
-पाली सेन्ट्रल को-आपरेटिव बैंक लि. का पदोन्नति प्रकरण	366
तारांकित प्रश्नोत्तर	
महिला एवं बाल विकास	
-पाली जिले के स्वयं सहायता समूह से अनियमित वसूली	336
पर्ची के माध्यम से उठाये गये मुद्दे	
-पाली-जालौर क्षेत्र में बहने वाली सूकड़ी नदी पर पानी रोकने के संबंध में	75

नाम	पृष्ठ संख्या

तारांकित प्रश्नोत्तर

ग्रामीण विकास

-अटरू पंचायत समिति द्वारा विभिन्न योजनान्तर्गत देय अनुदान राशि का दुरूपयोग 29

-ग्रामीण विकास हेतु योजना राशि में वृद्धि 334

शासकीय वक्तव्य

-घड़साना, रावला एवं खाजूवाला के किसानों पर गोली एवं लाठी चार्ज 120

संदेश

-राज्यपाल महोदय से प्राप्त संदेश-दण्ड प्रक्रिया संहिता (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 2004 पर पुनर्विचार हेतु 45

सूचना

-नगर की ग्राम पंचायत सेमलाकलां के सरपंच की हत्या 85

श्री युनूस खान (डीडवाना), मंत्री

तारांकित प्रश्नोत्तर

यातायात एवं परिवहन

-बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम हेतु कार्य योजना 11

श्री राकेश मेघवाल (परबतसर)

तारांकित प्रश्नोत्तर

समाज कल्याण

-सामाजिक सुरक्षा के तहत अशक्तजनों को पेंशन 10

श्रीमती राजकुमारी शर्मा (सीकर)

अभिभाषण

-धन्यवाद प्रस्ताव पर वाद-विवाद 210

नाम	पृष्ठ संख्या
श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू), मंत्री	
पर्ची के माध्यम से उठाये गये मुद्दे	
-सीकर से लुहारू मार्ग पर टोल टैक्स की वसूली	74
शासकीय वक्तव्य	
-घड़साना, रावला एवं खाजूवाला के किसानों पर गोली एवं लाठी चार्ज	114
सदन पटल पर रखे गये पत्र	
प्रतिवेदन एवं लेखे	
-राजस्थान स्टेट रोड डवलपर्मेट एण्ड कन्स्ट्रक्शन कारपोरेशन लि. का चतुर्थ वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे वर्ष 2003-04	88
श्री रामकिशोर मीणा (सिकराय)	
अतारांकित प्रश्नोत्तर	
ग्रामीण विकास	
-दौसा जिले में विभिन्न योजनान्तर्गत पंचायतों को आबंटित राशि	400
श्री रामचन्द्र सराधना (जमवारामगढ़)	
तारांकित प्रश्नोत्तर	
नगरीय विकास एवं आवासन	
-अमानीशाह नाले का पुनर्सीमाकंन	338
श्री रामनारायण मीणा (नैनवां)	
तारांकित प्रश्नोत्तर	
ऊर्जा	
-ट्रान्सफार्मर्स की उपयोगिता के संबंध में जारी निर्देश	316
श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा)	
अभिभाषण	
-धन्यवाद प्रस्ताव पर वाद-विवाद	214

नाम	पृष्ठ संख्या
पर्ची के माध्यम से उठाये गये मुद्दे	
-लक्ष्मणगढ़ में ओलावृष्टि से नुकसान	78
शासकीय वक्तव्य	
-घड़साना, रावला एवं खाजूवाला के किसानों पर गोली एवं लाठी चार्ज	129
श्री रामलाल शर्मा (चौमूं)	
नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख	
-चौमूं राजकीय महिला महाविद्यालय का भवन निर्माण	69
श्री विजय बंसल (भरतपुर)	
अतारांकित प्रश्नोत्तर	
नगरीय विकास एवं आवासन	
-भरतपुर विजय नगर कालोनी का नियमन	354
चौ. विनोद कुमार (हनुमानगढ़)	
शासकीय वक्तव्य	
-घड़साना, रावला एवं खाजूवाला के किसानों पर गोली एवं लाठी चार्ज	135
श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (लूणकरणसर)	
तारांकित प्रश्नोत्तर	
पंचायती राज	
-सेवानिवृत्त अधिशेष कर्मियों के पेंशन प्रकरण	339
पर्ची के माध्यम से उठाये गये मुद्दे	
-लूणकरणसर में भेड़ों की अकाल मौत	79
शासकीय वक्तव्य	
-घड़साना, रावला एवं खाजूवाला के किसानों पर गोली एवं लाठी चार्ज	110

नाम	पृष्ठ संख्या
श्री वीरेन्द्र मीणा (लालसोट), राज्य मंत्री	
सदन पटल पर रखे गये पत्र	
प्रतिवेदन एवं लेखे	
-भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के वित्त एवं विनियोग लेखे वर्ष 2003-04	89
डा. श्रीगोपाल बाहेती (पुष्कर)	
अतारांकित प्रश्नोत्तर	
पंचायती राज	
-अजमेर की पंचायतों का निरीक्षण	375
तारांकित प्रश्नोत्तर	
खेल	
-खेल संघों को देय अनुदान राशि	327
नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख	
-पुष्कर को बीसलपुर योजना से पेयजल	66
श्री संयम लोढ़ा (सिरोही)	
तारांकित प्रश्नोत्तर	
समाज कल्याण	
-सामाजिक सुरक्षा के तहत अशक्तजनों को पेंशन	9
शासकीय वक्तव्य	
-घड़साना, रावला एवं खाजूवाला के किसानों पर गोली एवं लाठी चार्ज	108
स्पष्टीकरण	
-संयम लोढ़ा श्री, सदस्य का व्यक्तिगत स्पष्टीकरण	185

नाम	पृष्ठ संख्या
श्री सांगसिंह भाटी (जैसलमेर)	
शासकीय वक्तव्य	
-घड़साना, रावला एवं खाजूवाला के किसानों पर गोली एवं लाठी चार्ज	143
श्री सांवर लाल (भिनाय), मंत्री	
शासकीय वक्तव्य	
-घड़साना, रावला एवं खाजूवाला के किसानों पर गोली एवं लाठी चार्ज	111
डा. सी.पी. जोशी (नाथद्वारा)	
अभिभाषण	
-धन्यवाद प्रस्ताव पर वाद-विवाद	156
तारांकित प्रश्नोत्तर	
ग्रामीण विकास	
-अटरू पंचायत समिति द्वारा विभिन्न योजनान्तर्गत देय अनुदान राशि का दुरूपयोग	25
शासकीय वक्तव्य	
-घड़साना, रावला एवं खाजूवाला के किसानों पर गोली एवं लाठी चार्ज	115
श्री सुभाष चन्द्र शर्मा (कोटपूतली)	
तारांकित प्रश्नोत्तर	
यातायात एवं परिवहन	
-बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम हेतु कार्य योजना	11
समाज कल्याण	
-सामाजिक सुरक्षा के तहत अशक्तजनों को पेंशन	8

नाम	पृष्ठ संख्या

श्री सुरेन्द्र पारीक (हवामहल)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

नगरीय विकास एवं आवासन

-जयपुर ग्राम सोड़ाला का भूमि अवाप्ति प्रकरण 355

सामान्य प्रशासन

-जयपुर स्थित नजूल सम्पत्तियों का बेचान 349

श्री सुरेन्द्र सिंह राठौर (श्रीगंगानगर)

शासकीय वक्तव्य

-घड़साना, रावला एवं खाजूवाला के किसानों पर गोली एवं लाठी चार्ज 109

श्री सुरेश मीणा (करौली)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

कार्मिक

-प्रशासनिक अधिकारियों के विरुद्ध दर्ज प्रकरण 350

अभिभा .ण

-धन्यवाद प्रस्ताव पर वाद-विवाद 272

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (जोधपुर)

नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख

-खनन क्षेत्रों में आधारभूत सुविधाओं का विकास 67

श्री हंगामी लाल मेवाड़ा (आसीन्द)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

वित्त

आसीन्द तहसील मुख्यालय (भीलवाड़ा) में उप कोष कार्यालय की स्थापना348

नाम	पृष्ठ संख्या
श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली)	
अतारांकित प्रश्नोत्तर	
पंचायती राज	
-हिण्डौली पंचायत समिति (बूंदी) द्वारा निर्मित एनीकट	380
तारांकित प्रश्नोत्तर	
ग्रामीण विकास	
-अटरू पंचायत समिति द्वारा विभिन्न योजनान्तर्गत देय अनुदान राशि का दुरूपयोग	17
शासकीय वक्तव्य	
-घड़साना, रावला एवं खाजूवाला के किसानों पर गोली एवं लाठी चार्ज	135
संदेश	
-राज्यपाल महोदय से प्राप्त संदेश-दण्ड प्रक्रिया संहिता (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 2004 पर पुनर्विचार हेतु	44
श्री हीरालाल (निवाई)	
अतारांकित प्रश्नोत्तर	
नगरीय विकास एवं आवासन	
-जयपुर की श्री सत्य कालोनी, अजमेर रोड़ में विकास कार्य	351
समाज कल्याण	
-बारां जिले के सहरिया आदिवासी छात्रावास	363
तारांकित प्रश्नोत्तर	
सहकारिता	
-केन्द्रीय सहकारी बैंक अलीगढ़ (टोंक) का गबन प्रकरण	326